التَّقْسِيمُ وَالتَّقْعِيدُ لِلْقَوْلِ الْمُفِيدِ

अल-क़ौल अल-मुफ़ीद का विभाजीय एवं नियमक रूपांतरण

लेखकः

शैख़ हैसम बिन मुहम्मद जमील सरहान

पूर्व शिक्षक अल-हरम शिक्षण संस्थान मस्जिद -ए- नबवी व महा प्रबंधक "अततासील अल-इल्मी डॉट कॉम"

http://attasseel-alelmi.com

हिंदी अनुवादः

साबिर हुसैन मुहम्मद मोजीबुर रहमान

[रिसर्च स्कॉलर, इस्लामिक यूनिवर्सिटि, मदीना मुनव्वरा]

प्रथम संस्करण

सभी अधिकार सुरक्षित हैं

सिवाय उसके जो लेखक के पुनरावलोकन पश्चात फ्री बाँटने के लिये इसका अनुवाद अथवा प्रिंट करना चाहे

निम्नांकित ईमेल पर संपर्क करें :

islamtorrent@gmail.com

sabirhussainzamanwi@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
إنَّ الحَمدَ لله نَحْمَدُه و نستعينهُ ونَستغفرُه، ونَعوذُ بالله من شُرور أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالنا مَن يَهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلل فلا هادِيَ له، وأشهَد أنْ لا إله إلَّا الله وحدَه لا شَريك له، وأشهَد أنَّ محمَّدا عبدُه ورسولُه ﷺ، أمَّا بعد:

चंद सिद्धांत पुस्तक आरंभ करने के पूर्व जिनके बारे में जानना आवश्यक है।

(1) छात्रों को पठन आरंभ करने के पूर्व मत्न (मूल पुस्तक) को कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए, जैसाकि प्रचलित मुहावरा हैः (कंठस्थ करो क्योंकि सभी इमाम एवं बड़े विद्वान कंठस्थ करने वाले थे)।

(2) प्रत्येक आयत से दलील पकड़ने की वजह जानना, तथा बाब (अध्याय) में उल्लेख करने का कारण जानना।

(3) प्रत्येक बाब (अध्याय) का किताबुत तौहीद से संबंध, तथा उस अध्याय में जिक्र करने का सबब जानना, ताकि उसका पुस्तक से संबंध मालूम हो।

(4) इस पुस्तक की व्याख्या करते समय इस पुस्तक की व्याख्या करने वाली पुस्तकों में से एक ही पुस्तक शैख़ इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह द्वारा रचित “अल-क़ौल अल-मुफ़ीद” पर हम अपना सारा ध्यान केंद्रित करेंगे, और जब हम इससे फारिग़ हो जाएंगे तब दूसरी पुस्तकों का रुख़ करेंगे ताकि सभी जानकारियां एक-दूसरे में गडमड हो कर न रह जाए।

हम यह पुस्तक क्यों पढ़ें ?

(१) क्योंकि रब्बानी उलेमा ने इसे पढ़ने की नसीहत की है। (२) क्योंकि यह इस विषय में लिखी गई सबसे उत्तम पुस्तकों में से एक है। (३) क्योंकि लेखक रहिमहुल्लाह ने विरोधियों की हुज्जत का बड़ा सार्थक उत्तर दिया है और उनके संश्यों का रद्द दलीलों के साथ किया है। (४) अल्लाह तआला ने इस पुस्तक को बड़ी लोकप्रियता दी है। (५) उलेमा ने इसे कंठस्थ करने एवं समझने की नसीहत की है। (६) पुस्तक की उत्तम तरतीब व क्रम। (७) उलेमा का इस किताब के पठन में रुचि लेना तथा इसके व्याख्या की अधिकता। (८) क्योंकि इस पुस्तक में क़ुरआन व ह़दीस़ से दी गई दलीलों की भरमार है। (९) इसके वाक्यों की सरलता। (१०) उलेमा ने इस पुस्तक के लेखक के सही एतक़ाद (आस्था), प्रचंड ज्ञान एवं प्रबुद्धता की गवाही दी है। (११) क्योंकि इस पुस्क में तौहीद -ए- रुबूबियत एवं तौहीद -ए- असमा व सिफात के उल्लेख के साथ-साथ, तौहीद -ए- उबूदियत में सर्वाधिक दोष पाए जाने के कारण इस विषय का सबसे अधिक ध्यान रखा गया है। (१२) क्योंकि लेखक ने इस पुस्तक में सलफ़ का ढ़ंग अपनाया है, उन्होंने भी इमाम बुख़ारी रहिमहुल्लाह की “स़ह़ीह़ बुख़ारी” की तरह अपनी ओर से इस पुस्तक में कुछ भी जिक्र नहीं किया है।

"किताबुत तौहीद" के अध्यायों का सारांश (६७ अध्याय)

किसी भी पुस्तक को आरंभ करने के पूर्व उसका प्राक्कथन एवं विषय सूची पढ़ लेना चाहिए ताकि पुस्तक का विषय, लेखनी का तरीका और पुस्तक का एक मुकम्मल ख़ाका दिमाग़ में आ जाए, हम इस पुस्तक को दस भागों में विभाजित कर सकते हैं।

पहला: प्राक्कथन (५ अध्याय)

(1) (इस अध्याय के लिए कोई शीर्षक नहीं लगाया है जोकि तौहीद के वाजिब होने के अध्याय है)

इस अध्याय को यह बताने के लिए लाए हैं कि तौहीद सर्वोपरि तथा वाजिबात में सबसे बड़ा वाजिब है, क्योंकि नबियों की दावत यही रही है।

(२) तौहीद की प्रधानता और यह की वह पापों को मिटा देने का कारण है।

इस अध्याय को रुचि पैदा करने तथा यह बताने के लिए लाए हैं कि किसी अमल की फ़ज़ीलत का ज़िक्र करना उसके वाजिब न होने की दलील नहीं है, और इसलिए भी कि बहुत से लोग तौहीद के पठन-पाठ से लोगों को दूर करने में लगे हुए हैं।

(३) जो वास्तविक तौहीद अपनाएगा वह बिना हिसाब के जन्नत में प्रवेश पाएगा।

यह अध्याय शिर्क (अनेकेश्वरवाद), बिदअत (नवाचार) एवं गुनाहों (कुकर्मों) से तौहीद को विशुद्ध करने का है, अतः तौहीद के वाजिब होने और उसकी फ़ज़ीलत का उल्लेख करने के पश्चात इस अध्याय का लाना बिल्कुल उपयुक्त है।

(४) शिर्क (अनेकेश्वरवाद) से डरने का अध्याय।

जो तौहीद को वास्तविक रूप में अपनाना चाहता है उसके लिए अपरिहार्य है कि वह स्वंय के तथा दूसरो के शिर्क में पड़ जाने से डरता रहे, क्योंकि कभी-कभी इंसान सोचता है कि उसने तौहीद को वास्तविक रूप में अपना लिया है जब्कि ऐसा होता नहीं है, इस अध्याय के पश्चात जो भी अध्याय हैं वह इसी के पूरक हैं, उदाहरणस्वरूप शिर्क से डरने का अध्याय इसी तौहीद को वास्तविक रूप में अपनाने का एक भाग मात्र है।

लाइलाहा इल्लल्लाह (अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं) की गवाही के लिए लोगों को दावत देना।

1- इस अध्याय का उल्लेख -बाक़ी अल्लाह बेहतर जानता है- दो कारणों से किया है:
जो तौहीद को वास्तविक रूप में अपनाना चाहता है उसके लिए अपरिहार्य है कि वह लोगों को उसकी दावत दे जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपके पैरोकारों (अनुसरणकर्ताओं) ने किया है।

2- यह उन पर रद्द है जो कहते हैं कि सर्वप्रथम नमाज़ की दावत दी जाएगी।

दूसरा: तौहीद की तफ्सीर एवं व्याख्या (९ अध्याय)

(६) तौहीद की तफ्सीर और लाइलाहा इल्लल्लाह की गवाही का अर्थ।

तौहीद के वाजिब होने, उसमें रुचि पैदा करने, तौहीद को वास्तविक रूप में अपनाने, उसके उलट चीज़ों से डरने, उसकी ओर दावत देने का जब उल्लेख कर चुके तो मुनासिब यही था कि यहाँ से लेकर अंत तक तौहीद की तफ्सीर एवं व्याख्या की जाए।

(७) बला या मुसीबत दूर करने के लिए छल्ला या धागा इत्यादि पहन्ना शिर्क है।

यह तौहीद के उलट चीज़ों का ज्ञान अर्जित करने के द्वारा तौहीद की तफ्सीर एवं व्याख्या है।

(८) ताबीज़ों तथा मंत्रों का बयान।

इसके द्वारा ताबीज़ों तथा मंत्रों की व्याख्या व तफ्सीर बयान की है जोकि तौहीद के विपरीत है।

(९) किसी पेड़ या पत्थर इत्यादि को मुबारक (शुभ व मंगलकारी) समझना।

इसके द्वारा निषिद्ध तबर्रुक (किसी वस्तु को शुभ-मंगल समझना) की व्याख्या व तफ्सीर बयान की है जोकि तौहीद के उलट (विरुद्ध) चीज़ है।

(१०) ग़ैरुल्लाह के लिए ज़ब्ह करने का बयान।

लेखक ने इसके द्वारा यह बताया है कि ग़ैरुल्लाह के लिए सप्रेम व उसकी महानता का बोध रखते हुए ज़ब्ह करना तौहीद के खिलाफ है।

(११) जहाँ ग़ैरुल्लाह के नाम पर पशु-वध होता हो वहाँ अल्लाह के नाम पर भी ज़ब्ह नहीं किया जाएगा।

लेखक ने इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया है कि कुछ नासमझ लोगों का मुश्रिकीन की उपासनाओं एवं त्योहारों की नकल करना तथा उसमें सम्मिलित होना तौहीद के खिलाफ है।

(१२) ग़ैरुल्लाह की नज़्र (व्रत, मन्नत) मानना शिर्क है।

इसके द्वारा निषिद्ध नज़्र की व्याख्या की है जोकि तौहीद के विरुद्ध है।

(१३) ग़ैरुल्लाह का इस्तेआज़ा (शरण मांगना) शिर्क है।

इसके द्वारा यह बताया है कि ऐसी चीजों में ग़ैरुल्लाह की शरण मांगना जिनका सामर्थ्य केवल अल्लाह ही के पास है शिर्क है।

(१४) ग़ैरुल्लाह से इस्तिग़ास़ा (फरियाद करना) या उन्हें पुकारना शिर्क है।

इसके द्वारा ग़ैरुल्लाह से इस्तिगास़ा (फरियाद) करना या उनसे ऐसी चीज़ें मांगना जिन का सामर्थ्य केवल अल्लाह ही के पास है, इत्यादि शिर्क वाले कर्मों को बयान किया है जो तौहीद के विरुद्ध है।

तीसराः अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करन बातिल है (४ अध्याय)

(१५) अल्लाह तआला के इस फरमानः ﴿أَيُشۡرِكُونَ مَا لَا يَخۡلُقُ شَيۡـٔٗا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ﴾ का अध्याय।

इसके द्वारा अल्लाह के सिवा सभी की इबादत को निषेध बताया है, चाहे वह नबी हो अथवा मूर्ति या कोई और चीज।

(१६) अल्लाह तआला के इस फरमानः ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمۡ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمۡۖ قَالُواْ ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ﴾ का अध्याय।

इसके द्वारा फरिश्तों की उपासना का इंकार किया है।

(१७) सिफारिश का बयान।

इसके द्वारा काफिरों का अपने पूज्यों के प्रति सिफारिश की जो धारणा व आस्था है उसका खंडन किया है।

(१६) अल्लाह तआला के इस फरमानः ﴿إِنَّكَ لَا تَهۡدِي مَنۡ أَحۡبَبۡتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ﴾ का अध्याय।

इसके द्वारा यह बताया है कि हिदायत (पथ-प्रदर्शन) वाली तौफ़ीक़ (अनुग्रह) केवल अल्लाह ही दे सकता है।

चौथाः मानव के कुफ्र का सबब (४ अध्याय)

तौहीद की तफ़्सीर एवं व्याख्या तथा अल्लाह के सिवा बाक़ी सभी की इबादतों का खंडन करने के पश्चात मुनासिब था कि कुफ्र में पड़ने का कारण बताया जाए ताकि हम इस से बच सकें।

(१९) मानव के कुफ्र में पड़ने तथा धर्म को छोड़ देने का मूल कारण धार्मिक लोगों के प्रति अतिवाद (ग़ुलू) का शिकार होना है।

इंसान के कुफ्र में पड़ने का यह सबसे खतरनाक कारण है, और इस धरती पर पनपने वाले सर्वप्रथम शिर्क का कारण भी यही है।

(२०) किसी बुज़ुर्ग (संत, महात्मा) की क़ब्र (समाधि) के पास बैठ कर अल्लाह तआला की उपासना करना नाजायज (निषेध) व संगीन जुर्म है, तो स्वयं उस क़ब्र वाले व्यक्ति की पूजा करना कितना बड़ा जुर्म होगा?

मूर्ति, चित्र तथा क़ब्रों को सज्दा करने (शीश झुकाने) का स्थान बना लेना शिर्क पनपने के कारणों में से है।

(२१) बुज़ुर्गों की क़ब्रों के बारे में अतिवाद (ग़ुलू) का अंजाम शिर्क -ए- अकबर है।

बुज़ुर्गों की क़ब्रों के बारे में ग़ुलू (अतिवाद) भी कुफ्र पनपने के कारणों में से एक कारण है।

(२२) नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तौहीद की पूर्णरुपेण सुरक्षा करना तथा शिर्क (अनेकेश्वरवाद) तक ले जाने वाले सभी द्वारों को बंद करना।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आस्था एवं कर्म में शिर्क तक ले जाने वाले सभी मार्गों को बंद कर दिया है, और शीघ्र ही एक ऐसा अध्याय भी आएगा जिसमें वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने शिर्क तक ले जाने वाले कथन (बात, गुफ्तगू) के भी सभी मार्गों को बंद कर दिया है।

पाँचवा: उन लोगों के दलीलों का खंडन जो कहते हैं कि इस उम्मत में या अरब द्वीप में शिर्क नहीं पनप सकता (एक अध्याय)

(२३) नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत के कुछ लोग मूर्ति पूजन करने लगेंगे।

छठा: शैतानी आमाल व कर्मों का बयान (७

(२४) जादू का बयान।

इसके द्वारा यह बताया है कि कुफ्र किए बिना जादू संभव नहीं है, बल्कि यह लोगों के कुफ्र में ले जाने के सबसे बड़े कारणों में से एक है।

(२५) जादू के कुछ प्रकार।

इसके द्वारा हमें यह सीख दी है कि जादू के कई प्रकार हैं, एवं इन सभी से बचना वाजिब व अनिवार्य है।

(२६) ज्योतिष एवं अंतर्यामी होने का दावा करने वाले।

इसके द्वारा ऐसे कर्मों की गंभीरता, ऐसे लोगों के पास जाने का हुक्म तथा उनके पास जाने के प्रारूप एवं तरीका तथा उसका हुक्म बयान किया है।

(२७) जादू-टोना के द्वारा उपचार करने का हुक्म।

इसके द्वारा जादू के उपचार के लिए क्या जायज़ तरीका है एवं क्या नाजायज़ इसे बयान किया है।

(२८) अपशगुन लेने का बयान।

इसके द्वारा जाहिलियत वाले युग में पाए जाने वाले अपशगुन के तरीकों का खंडन किया है।

(२९) ज्योतिष विद्या (ग्रहों से संबंधित ज्ञान) सीखने का हुक्म।

इसके द्वारा ग्रहों से संबंधित ज्ञान (ज्योतिष विद्या) के कथित प्रभाव का खंडन किया है।

(३०) नक्षत्र अर्थात तारों के प्रभाव से पानी बरसने का अक़ीदा (आस्था) रखना।

इसके द्वारा उन कारणों से संबंध जोड़ने का खंडन किया है जो शिर्क पर आधारित हों।

सातवाँ: दिलों (हृदय) के आमाल एवं कर्म (९ अध्याय)

(३१) अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا ﴾ का अध्याय।

इसके द्वारा उनलोगों के मुवह्हिद (एकेश्वरवादी) होने का खंडन किया है जो किसी मख़लूक़ (प्राणी) से अल्लाह की तरह या उससे भी अधिक प्रेम रखते हैं।

(३२) अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوۡلِيَآءَهُۥ﴾ का अध्याय।

इसके द्वारा उनलोगों के मुवह्हिद (एकेश्वरवादी) होने का खंडन किया है जो किसी मख़लूक़ (प्राणी) से अल्लाह की तरह या उससे भी अधिक डरते हैं।

(३३) अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ﴾ का अध्याय।

इसके द्वारा उनलोगों के मुवह्हिद (एकेश्वरवादी) होने का खंडन किया है जो ग़ैरुल्लाह पर तवक्कुल व भरोसा करते हैं।

(३४) अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿أَفَأَمِنُواْ مَكۡرَ ٱللَّهِۚ﴾ का अध्याय।

इसके द्वारा यह बताया है कि मोमिन को चाहिए कि वह अल्लाह से भय खाने तथा उससे उम्मीद लगाए रखने के मध्य रहे, अर्थात अल्लाह से डरता भी रहे और उससे उम्मीद व आस भी लगाए रहे।

(३५) अल्लाह तआला की लिखी हुई तक़दीर (भाग्य) पर सब्र करना (संयम रखना) ईमान का हिस्सा है।

इसके द्वारा यह बताया है कि आजमाइश के समय मोमिन को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए।

(३६) रियाकारी (पाखंड) का बयान।

इसके द्वारा मुवह्हिद (एकेश्वरवादी) के ऊपर रियाकारी की संगीनी को बयान किया है, और ज्ञात रहे कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों पर सर्वाधिक भय इसी में पड़ जाने का रहता है।

(३७) इंसान का अपने कर्मों से सांसारिक लाभ चाहना भी एक प्रकार का शिर्क है (शिर्क -ए- असग़र)।

इसके द्वारा यह बताया है कि जो व्यक्ति आख़िरत (परलोक) से संबंध रखने वाले कर्मों के द्वारा सांसारिक लाभ पाना चाहता है वह शिर्क में पड़ जाता है, और इसका स्पष्टिकरण यह है कि वह सांसारिक लाभ के लिए ही प्रसन्न तथा अप्रसन्न होता हो।

(३८) अल्लाह की ह़लाल की हुई वस्तु को ह़राम तथा ह़राम की हुई वस्तु को ह़लाल करने में उलेमा तथा हुक्मरानों के आदेशों का पालन करना उन्हें रब का दर्जा देना है (आदेश पालन में साझी बनाना है)।

इसके द्वारा यह बयान किया है कि ग़ैरुल्लाह को हाकिम बनाना तौह़ीद को नष्ट कर देता है।

(३९) अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ﴾ का अध्याय।

इस अध्याय को इस लिए लाए हैं ताकि मुवह्हिद (एकेश्वरवादी) को यह समझने में मदद मिले कि ताग़ूत के इंकार का क्या अर्थ है, और सच्चे व झूठे ईमान की व्याख्या व तफ्सीर मालूम हो।

आठवाँ: तौहीद -ए- असमा व सिफात (एक अध्याय)

(४०) जिसने असमा व सिफात में से किसी एक का इंकार किया उसका हुक्म।

इसके द्वारा उनलोगों के मोमिन होने का खंडन किया है जो असमा व सिफात में से किसी का इंकार करे।

नौवाँ: निषिद्ध एवं शिर्क का भाव रखने वाले वाक्य (२९ अध्याय)

(४१) अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿يَعۡرِفُونَ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا﴾ का अध्याय।

इसके द्वारा यह बयान किया है कि नेमत (अनुग्रह) के विषय में एक मुवह्हिद के ऊपर किया वाजिब व अनिवार्य है।

(४२) अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ का अध्याय।

इसके द्वारा यह बयान किया है कि मुवह्हिद (एकेश्वरवादी) केवल अल्लाह की क़सम (सौगंध) खाता है ग़ैरुल्लाह की नहीं, और अरबी भाषा के शब्द واو (वाव, -और-) तथा ثُمَّ (सुम्मा, -फिर-) के मध्य अंतर बताया है।

(४३) जो अल्लाह तआला की क़सम खाने पर राज़ी न हो उसका हुक्म।

इसके द्वारा यह बयान किया है कि अल्लाह की क़सम खाते समय मुवह्हिद के दिल में अल्लाह की अज़मत व महानता का कितना अधिक भाव होता है।

(४४) "जो अल्लाह चाहे और आप चाहें", कहने का हुक्म।

यह अध्याय इस लिए लाए हैं ताकि मुवह्हिद व एकेश्वरवादी को मशीयत व इच्छा में अल्लाह के साथ किसी और को साझी बनाने से डराएं।

(४५) ज़माना (युग, समय) को गाली देना गोया अल्लाह को तकलीफ देने के समान है।

इसके द्वारा यह बताया है कि मुवह्हिद को डरते रहना चाहिए कि कहीं वह किसी चीज़ को गाली दे कर ऐसा न हो कि उसके अधिनायक व उसे ऐसा करने का आदेश देने वाले को गाली दे बैठे।

(४६) "काज़ी अल-क़ुज़ात" (सर्वोच्च न्यायाधीश) इत्यादि उपाधि का शरई हुक्म।

इसके द्वारा मुवह्हिद को डराया है कि कहीं वह रूबूबियत (अल्लाह को पालनहार मानने का भाव) की हद् को न फलांग जाए।

(४७) अल्लाह के अच्छे नामों का आदर तथा इसके कारण किसी नाम को बदल देना।

इसके द्वारा अल्लाह के नामों, सिफातों (गुणों), दीन व नबियों के प्रति एक मुवह्हिद का क्या आदर भाव होता है उस दशा को बताया है।

(४८) अल्लाह तआला, क़ुरआन तथा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का उपहास उड़ाने वालों का हुक्म।

इसके द्वारा यह बताया है कि इस प्रकार का उपहास उड़ाने वालों के अंदर से तौहीद बिल्कुल समाप्त हो जाता है, और ऐसे लोगों के साथ हमें किस प्रकार से पेश आना चाहिए, तथा इन सब चीजों से ज़ुबान की रक्षा करना वाजिब व अपरिहार्य है।

(४९) अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِى﴾ का अध्याय।

इसके द्वारा यह बताया है कि नेमत (अनुग्रह) के उतरने के पूर्व तथा नेमत के पश्चात मोमिन पर क्या वाजिब होता है।

(५०) अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُمَا صَٰلِحًا جَعَلَا لَهُۥ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَىٰهُمَا﴾ का अध्याय।

इसके द्वारा नेमत के उतरते समय मोमोनों की कैफियत बयान की है, साथ ही यह भी कि अल्लाह के सिवा जिनकी पूजा की जाती है उनके नाम पर बच्चों का नामकरण करना ह़राम है।

(५१) अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا﴾ का अध्याय।

इसके द्वारा मुवह्हिद को अल्लाह तआला के नामों व गुणों में इल्हाद (हेर-फेर, इंकार) करने से डराया है।

(५२) "अस्सलामु अलल्लाह" (अल्लाह पर सलमती हो) कहना निषेध है।

इसके द्वारा मुवह्हिद को ऐसे शब्दों के प्रयोग से डराया है जिनसे अल्लाह के लिए अनादर का भाव उत्पन्न होता हो।

(५३) "ऐ अल्लाह, अगर तू चाहे तो मुझे माफ कर दे" कहने का हुक्म।

इसके द्वारा दुआ करते समय मुवह्हिद को इस्तिस्ना (अपवाद, बहुत में किसी विशेष वस्तु को अलग कर देना, अर्थातः क्षमा मांगते समय इसे क़बूल करने अथवा रद्द करने का विकल्प अल्लाह पर छोड़ देने का भाव) का प्रयोग करने से डराया है, तथा उसे चाहिए कि वह अल्लाह के क़ादिर व संपूर्ण शक्तिमान होने का भाव रखे।

(५४) सेवक या सेविका को "अब्दी या अमती" (मेरा बंदा अथवा मेरी बंदी) कहने का हुक्म।

इसके द्वारा बेहतर शब्दों के चयन की ओर मुवह्हिद का ध्यान आकर्षित किया है।

(५५) अल्लाह के नाम पर मांगने वालों को ख़ाली हाथ न लौटाया जाए।

इसके द्वारा मुवह्हिद की हालत बयान की है कि जब उससे अल्लाह के नाम पर कोई कुछ मांगे तो अल्लाह की महानता का आदर करते हुए वह उसकी आवश्यकता पूर्ति कर दे।

(५६) अल्लाह तआला का वास्ता देकर जन्नत के सिवा और कुछ न मांगा जाए।

इसके द्वारा मुवह्हिद का अल्लाह तआला के लिए ताज़ीम, महानता व आदर के भाव को बयान किया है।

(५७) "लौ, -अगर, मगर...-" शब्द के प्रयोग का हुक्म।

इसके द्वारा मुवह्हिद का बेहतर शब्दों का चयन करने के शिष्टाचार तथा शरीअत पर एतराज या तक़दीर का शिकवा न करने की हालत को बयान किया है।

(५८) हवा, पवन तथा आँधी को गाली देने की निषिद्धता व मनाही।

इसके द्वारा मुवह्हिद का मार्गदर्शन इस ओर किया है कि जब वह कोई अप्रिय चीज देखे तो उस अंदाज में बात करे जो उसके लिए लाभदायक हो।

(५९) अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ﴾ का अध्याय।

इसके द्वारा मुवह्हिद को अल्लाह तआला के प्रति जाहिलीयत वाले युग के समान बदगुमानी व कुधारणा रखने से डराया है।

(६०) तक़दीर (भाग्य) का इंकार करने वालों का बयान।

इसके द्वारा क़ज़ा व क़दर (अल्लाह के फैसले व उसके द्वारा लिखा गया भाग्य) के संबंध में मुवह्हिद के ईमान की हालत को बयान किया है।

(६१) चित्र बनाने का हुक्म।

इसके द्वारा मुवह्हिद को रुबूबियत की हद्द फलांगने की संगीनी का एहसास दिलाया है।

(६२) बहुत ज़्यादा क़सम खाना।

इसके द्वारा मुवह्हिद को अपने ईमान की सुरक्षा तथा लोगों से मामला करते समय अल्लाह की ताज़ीम, महानता व आदर भाव रखने की नसीहत की है।

(६३) शत्रु को अल्लाह का ज़िम्मा तथा अल्लाह की ज़मानत देने का हुक्म।

इसके द्वारा यह बताया है कि ख़ुशी और ग़म दोनों हालतों में मुवह्हिद को अल्लाह का ज़िम्मा तथा उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ज़िम्मा देने के महत्व का ध्यान रहे।

(६४) अल्लाह तआला पर क़सम खाना।

इसके द्वारा मुवह्हिद को डराया है कि बंदों से अल्लाह की रहमत व दया के द्वार बंद करने का प्रयास करके रूबूबियत की हद्द फलांगने की कोशिश न करे।

(६५) अल्लाह तआला को उसी की पैदा की हुई जीव के सामने सिफारिशी के तौर पर पेश करना।

इसके द्वारा मुवह्हिद को डराया है कि कहीं वह ख़ालिक़ (रचनाकार) का दर्जा मख़लूक़ (रचना) से आगे न बढ़ा दे।

(६६) नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तौहीद के चमन की रक्षा करना तथा शिर्क के सभी चोर दरवाजों को बंद करना।

इसके द्वारा प्रत्येक मुवह्हिद को आगाह व सावधान किया है कि उन्हें हर उस बात से बचना चाहिए जो उसे शिर्क तक ले जाए।

दसवाँ: समाप्ति (एक अध्याय)

अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ﴾ का अध्याय।

इसके द्वारा मुवह्हिद को यह बताया है कि वह मुश्रिकीन (बहुदेववादी) जिन्होंने अल्लाह की एकता का इक़रार नहीं किया दरअसल उन्होंने अल्लाह का जैसा आदर होना चाहिए वैसा आदर नहीं किया, अतः हे मुवह्हिद (एकेश्वरवादी) आपको उसका अनुसरण करने से बचना चाहिए।

पहला: प्रस्तावना (५ अध्याय) किताबुत तौह़ीद

इस पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख क्यों नहीं है?

(1) कुछ नासिख़ (लिपिकार, नक़लनवीस) से यह छूट गया है, क्योंकि कुछेक पाण्डुलिपियों (प्रतिलिपियों) में बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद व सलाम मौजूद है।

(२) केवल शीर्षक को ही पर्याप्त इसलिए समझा है कि पुस्तक का विषय ही तौह़ीद है।

(३) इमाम बुख़ारी रह़िमहुल्लाह की पैरवी व अनुगमन करते हुए क्योंकि उन्होंने भी अपनी किताब में प्रस्तावना का उल्लेख नहीं किया है, और उनकी इच्छा यह थी की लोगों का सीधा व प्रत्यक्ष जुड़ाव क़ुरआन व हदीस से हो।

(४) पुस्तक के प्रारंभिक पाँच अध्याय प्रस्तावना के ही समान हैं।

तौहीद की परिभषा:

शब्दकोष के अनुसार: किसी वस्तु को एक करना या एक मानना, जिसकी उत्पत्ति मूल शब्द वह्हदा युवह्हिदो

शरीअत के अनुसार: अल्लाह तआला को उसकी समस्त विशेषताओं: उपासना, सृजनकर्ता होने तथा उसके नाम एवं गुण में अकेला मानना।

(१) तौहीद –ए- रुबूबीयत

अल्लाह तआला को उनके समस्त क्रियाकलाप में अकेला मानना या अल्लाह तआला को सृष्टि कर्ता होने, बादशाहत तथा तदबीर करने में अकेला मानना।

(२) तौहीद –ए- उलूहियत

उपासना एवं आराधना योग्य होने में अल्लाह तआला को अकेला मानना।

(३) तौहीद अल-असमा व अल-सिफात

अल्लाह ने अपने क़ुरआन में या अपने रसूल के द्वारा अपना जो नाम या विशेषता बताई है, उन सब में अल्लाह को अकेला मानना, और वह इस प्रकार कि उसने अपने लिए जो साबित किया है उसको साबित करना और जिसका अपनी ओर से इंकार किया है उसका इंकार करना। बिना किसी हेर-फेर, निरस्तिकरण , कैफियत एवं समानता के।

नेक आमाल (सदकर्म) तौह़ीद के बिना स्वीकार्य नहीं, और हमें तौह़ीद के लिए ही पैदा किया गया है, और याद रहे कि जन्नत में केवल मुवह्हिद ही प्रवेश पाएगा, यही नबियों की दावत रही है, और तौह़ीद को वास्तविक रूप में अपनाना शिर्क में पड़ने से रोकता है, जो नेकियों में बढ़ोतरी का कारण है।

इबादत (उपासना) दो चीजों को कहते हैं:

(१) आमिल (कर्म करने वाला): अल-तअब्बुद (इबादत व उपासना करना), अर्थात प्रेम व आदर के भाव से ओत-प्रोत होकर अल्लाह के आदेशों का पालन तथा मना किए गए चीजों से रुकते हुए अल्लाह के लिए ख़ाकसारी व विनम्रता धारण करना।

(२) अमल (कर्म): अल-मुतअब्बद बिही (की जाने वाली इबादत व उपासना) यह एक समग्र व व्यापक शब्द है जो हरेक उस चीज को समाहित है जिससे अल्लाह प्रेम रखता है व उससे प्रसन्न होता है चाहे वह स्पष्ट अथवा छिपे हुए कर्म हों या बात (वक्तव्य)।

([१] तौहीद के वाजिब व अपरिहार्य होने का अध्याय)

लेखक महोदय ने इस अध्याय का कोई शीर्षक नहीं रखा है ताकि लोगों का सीधा जुड़ाव क़ुरआन व सुन्नत से हो, परंतु उन्होंने जो दलीलें पेश की हैं वह तौहीद के वाजिब व अपरिहार्य होने की दलीलें हैं, अतः इसे हम तौहीद के वाजिब होने का अध्याय कह सकते हैं।

पहली दलील:

1- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (और मैंने जिन्नों (दानवों) तथा इंसानों (मानवों) को मात्र अपनी इबादत (उपासना) के लिए पैदा किया)।

- ﴿لِيَعْبُدُونِ﴾: ताकि वो मुझे अकेला मानें, या फिर, मेरे आदेशों का पालन तथा मेरे द्वारा निषेध किए गए कर्मों को छोड़ कर मेरी आज्ञाकारिता करते हुए मेरे लिए विनम्रता अपनाएं। "क़ुरआन में जहाँ भी "इबादत" शब्द आया है उसका अर्थ "तौहीद" है, यह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कथन है"।
- **आयत का अर्थ यह है कि:** मैंने जिन्नों तथा इंसानों (मानवों तथा दानवों) को किसी और चीज के लिए नहीं वरन केवल अपनी इबादत (उपासना) के लिए सृजित व पैदा किया है।

दूसरी दलील:

२- अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ﴾

निश्चय ही हम ने प्रत्येक समुदाय में दूत भेजा कि अल्लाह की इबादत (उपासना) करो और अवज्ञा कारी से बचो।

- **<u>इस आयत में ताकीद करने वाले तीन शब्दों के द्वारा ताकीद की गई है:</u>** १- छिपा हुआ क़सम (सौगंध), २- लाम (لام), ३- और क़द (قد)।
- इस आयत से यह सिद्ध होता है कि समस्त रसूलों व दूतों ने तौहीद (एकेश्वरवाद) की ही दावत दी थी और अल्लाह तआला ने उन्हें इसी कार्य के लिए भेजा था।

उम्मत शब्द का प्रयोग क़ुरआन में चार अर्थों में हुआ है:

१- समूह: जैसा कि उपरोक्त आयत में है।

२- इमाम: ﴿إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا﴾(बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम पेशवा, अल्लाह तआला के आज्ञाकारी और पूरी तरह से अल्लाह के लिए मुख़लिस़ व निश्छल थे)।

३- मिल्लत व मज़हब: ﴿بَلْ قَالُوٓا۟ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ﴾ (बल्कि ये तो कहते हैं कि हमने अपने पूर्वजों को एक मज़हब (मत) पर पाया)।

४- ज़माना (युग तथा मुद्दत) ﴿وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ (उन दो क़ैदियों में से जो रिहा हुआ था उसे एक मुद्दत (युग) के बाद आ गया।

﴿وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ﴾ (और त़ाग़ूत से बचो): अर्थात तुम उससे इस प्रकार बच के रहो कि वह एक किनारे पर हो तो तुम दूसरे किनारे पर रहो।

- इसकी सर्वश्रेष्ठ परिभाषा इब्ने क़ैयिम रहि़महुल्लाह ने की है, कि: (**त़ाग़ूत हरेक वो चीज है जिसके कारण बंदा अपनी सीमा लांघ जाए, चाहे वो माबूद (उपास्य) हो, या पेशवा अथवा हाकिम**), और इससे तात्पर्य वो हैं जो अपनी इस इबादत व उपासना से प्रसन्न हों।

  १- **हाकिम:** जैसे ज्योतिषि, जादूगर अथवा बुरे उलेमा, २- **माबूद:** जैसे पत्थर की मूर्ति इत्यादि अथवा पेड़, ३- **पेशवा:** जैसे अल्लाह की अवज्ञा का आदेश देने वाले शासक।
- यह आयत तौहीद को इस प्रकार प्रमाणित करती है कि बुत उन त़ाग़ूतों में से है जिनकी अल्लाह के सिवा पूजा की जाती है।

- **तौहीद दो रुक्न (स्तंभ) के बिना मुकम्मल नहीं हो सकता जोकि इंकार करना तथा साबित करना है:** क्योंकि केवल इंकार करना यह निरस्तिकरण है, और केवल साबित करना यह किसी और के उसमें साझी बनने को मना नहीं करता है, उदाहरणस्वरूप यदि हम कहें: (ज़ैद खड़ा है) तो, यह ज़ैद के खड़े होने को तो प्रमाणित करता है किंतु उसके अकेले खड़े होने को प्रमाणित नहीं करता है, और यदि हम कहें: (कोई भी खड़ा नहीं हुआ) तो यह केवल सभी के खड़े होने का इंकार करना भर है, किंतु जब हम कहें: (ज़ैद के सिवा कोई भी खड़ा नहीं हुआ) तो ऐसा कहना खड़े होने में उसकी विशिष्टता व अकेलेपन को दर्शाता है, क्योंक यह इंकार करने एवं प्रमाणित करने दोनों को सम्मिलित है।

रसूलों को भेजने की हिकमत व मंशा:

१- बंदों पर हुज्जत क़ायम करना: ﴿رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ﴾ (हमने उन्हें रसूल बनाया है, शुभ-सूचना देने वाले तथा डराने वाले, ताकि लोगों की कोई हुज्जत तथा इल्ज़ाम रसूलों को भेजने के बाद अल्लाह पर न रह जाए)।

२- रहम (करुणा, दया): ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ﴾ (और हमने आप को समस्त लोक के लिए रहमत बना कर भेजा है)।

३- अल्लाह तआला तक पहुँचने का रास्ता बताने के लिए।

तीसरी दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (और तेरे रब ने साफ-साफ हुक्म दे दिया है कि तुम उस के सिवा किसी और की इबादत व उपासना न करना, और माता-पिता के संग एहसान व भलाई करना, यदि तुम्हारे रहते हुए उन दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनके सामने उफ्फ तक न कहना न उन्हें डाँटना, बल्कि उनके संग आदर भाव के साथ बात-चीत करना)।

- ﴿أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ﴾ (तुम उस के सिवा किसी और की इबादत व उपासना न करना): यही वह तौहीद है जो इंकार करने तथा साबित व प्रमाणित करने दोनों को सम्मिलित है।

अल्लाह तआला के क़ज़ा (फैसले) के दो प्रकार हैं:

1- कौनी क़जा (लौकिक फैसला):

- यह जिससे अल्लाह तआला प्रेम करता है और जिससे प्रेम नहीं करता है दोनों में होगा।
- इसका घटित होना निश्चित है:

﴿وَقَضَيۡنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ (हमने बनी इस्राईल के लिए उनकी किताब में स्पष्ट फैसला कर दिया था कि तुम धरती पर फसाद फैलाओगे), फसाद फैलाने को न तो अल्लाह तआला ने शरीअत के तौर पर उतारा है और न ही इससे प्रेम रखता है।

२- शरई क़जा (शरई फैसला):

- यह उसी में होगा जिससे अल्लाह प्रेम रखता है।
- यह घटित हो भी सकता है और नहीं भी घट सकता है:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ﴾ (और तेरे रब ने साफ-साफ हुक्म दे दिया है कि तुम उस के सिवा किसी और की इबादत व उपासना न करना), यहाँ क़ज़ा (फैसला) का अर्थ होगा कि शरीअत मुक़र्रर की या वसीयत की।

अल्लाह तआला उस चीज़ का फैसला कैसे कर देता है जिसे वह पसंद नहीं करता ?

कभी-कभी कोई चीज स्वयं तो लोगों के पास अप्रिय समझी जाती है, किंतु उसमें मौजूद हित व लाभ के कारण उसे प्रिय रखा जाता है, इस प्रकार वह चीज एक दिशा से प्रिय होती है तो दूसरी दिशा से उसे अप्रिय भी समझा जाता है।

इसको उदाहरणस्वरूप आप यूँ समझें कि: बनी इस्राईल का धरती में फसाद फैलाना के कार्य करना स्वयं अपने आप में अल्लाह के समीप अप्रिय है क्योंकि अल्लाह तआला न तो फसाद को पसंद करता है और न फसादी को, परंतु उसमें छिपे हुए किसी हिकमत के कारण दूसरे कोण से अल्लाह के समीप पसंदीदा भी है, और इसी प्रकार से अकाल, सुखाड़, रोग तथा निर्धनता भी है।

महबूब व प्रिय के दो प्रकार हैं:

१- जो स्वयं स्वाभाविक रूप से महबूब व प्रिय हो: और ऐसा केवल अल्लाह तआला है।

२- जो स्वयं स्वाभाविक रुप से महबूब व प्रिय न हो: जैसे औषधि के वह केवल उपचार हेतु प्रिय रखा जाता है।

उबूदियत (उपासना) के तीन प्रकार हैं:

सामान्य: यह रुबूबियत वाली उबूदियत व उपासना (क़हर - प्रभुत्व- वाली उबूदियत) है, यह प्रत्येक जीव के लिए है, अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحۡمَٰنِ عَبۡدٗا﴾ (आकाश व पृथ्वी में जो कुछ भी है सभी अल्लाह के दास बन कर ही आने वाले हैं) और इसमें कुफ्फार भी शामिल हैं।

विशिष्ट: यह सामान्य आज्ञा पालन वाली इबादत व उपासना है, अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا﴾, (रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो धरती पर विनम्रता के साथ चलते-फिरते हैं), और यह प्रत्येक उस व्यक्ति को आम है जो अल्लाह की शरीअत के अनुसार उसकी उपासना करता है।

अति विशिष्ट: यह रसूल अलैहिमुस्सलाम के द्वारा अंजाम दी जाने वाली इबादत व उपासना है (यह सर्वाधिक संपूर्ण इबादत है), अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلۡفُرۡقَانَ عَلَىٰ عَبۡدِهِۦ﴾ बहुत बरकत वाला है वह अल्लाह तआला जिसने अपने दास पर फुर्क़ान उतारा), क्योंकि उबूदियत व उपासना के मामले में रसूलों से आगे कोई बढ़ ही नहीं सकता।

चौथी दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ﴾ (और अल्लाह तआला की इबादत करो और उसके संग किसी को साझी न बनाओ)।

- ﴿شَيۡـٔٗا﴾: यह नह्य (इंकार) के संदर्भ में नकरा (व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाने वाला अरबी शब्द) है, जो व्यापकता के अर्थ में है, अर्थात न कोई नबी, न वली, न फरिश्ता बल्कि दुनियाँ की कोई भी वस्तु हो उसको अल्लाह का साझी नहीं बनाया जा सकता है।

पाँचवीं दलील:

५- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿قُلۡ تَعَالَوۡاْ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡۖ أَلَّا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ﴾ (आप कहें कि आओ, तुम को वो चीजें पढ़ कर सुनाता हूँ जिन को तुम्हारे रब ने तुम पर हराम व निषेध किया है वह यह कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को साझी न बनाओ)।

छठी दलील:

६- हजरत अब्दुल बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि: जो व्यक्ति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उस वसीयत को देखना चाहता है जिस पर आपकी मुहर लगी है, वह अल्लाह तआला का यह फरमान पढ़े: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ (आप कहें कि आओ, तुम को वो चीजें पढ़ कर सुनाता हूँ जिन को तुम्हारे रब ने तुम पर हराम व निषेध किया है)। से ले कर ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ (और यह कि यह दीन (धर्म) मेरा रास्ता है जो बिल्कुल सीधा है सो इस पर चलो) यहाँ तक।

- सिरात (रास्ता,राह) की इज़ाफत (तत्पुरुष) कभी:
  1. अल्लाह की तरफ होती है, क्योंकि यह अल्लाह तक पहुँचाने वाला है और क्योंकि अल्लाह ने ही इसे बंदों के लिए तैयार किया है: ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي﴾ (और यह दीन मेरा रास्ता है)।
  2. इस पर चलने वाले की तरफ होती है, क्योंकि वो इस पर चलते हैं, और संज्ञान रहे कि बचाव व निजात का रास्ता केवल एक है अनेक नहीं, इसके अतिरिक्त जो भी रास्ते हैं वह सीधा न हो कर अन्य रास्ते हैं: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ (उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फ़रमाया)।

इस आयत में दस वसीयतें हैं:

पहली आयत (५ वसीयतें):

1- अल्लाह तआला की तौहीद।

2- माता-पिता के साथ भलाई करना।

3- हम अपनी संतानों को क़त्ल न करें।

4- हम व्यभिचार के समीप भी न जाएं।

5- मासूम को अकारण क़त्ल न किया जाए।

दूसरी आयत (४ वसीयतें):

6- हम यतीम (अनाथ) -जिसका पिता उसके व्यस्क होने के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो- का धन बेहतर तरीके से प्रयोग करें।

7- हम न्यायपूर्ण बातें करें।

8- हम नाप-तौल में कमी ना करें।

9- हम अल्लाह तआला से किया हुआ वादा पूरा करें।

तीसरी आयत (एक वसीयत): १०- ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي﴾ (और यह दीन मेरा रास्ता है), हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक सीधी लकीर खींची और फरमाया: "**यह अल्लाह का रास्ता है**" तत्पश्चात आप ने उस के दाएं-बाएं अनेक लकीरें खींची और फरमाया: "**यह सुबुल -अर्थात अलग-अलग रास्ता- है और इस में से प्रत्योक रास्ते पर शैतान है जो लोगों को उस की ओर बुला रहा है**", फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उपरोक्त आयत की तिलावत फरमाई।

कुछ महत्वपूर्ण बातें:

वह जान जिसको क़त्ल करना अल्लाह ने हराम क़रार दिया है (मासूम)

1- मुस्लिम।
2- ज़िम्मी (जो इस्लामी मुल्क में रहता हो)।
3- मुआहद (हमारे और उनके मध्य लड़ाई न करने की संधि हो)।
4- मुस्तामिन (जिस को हमने शरण व अमान दे रखी हो)।

﴿ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكُمۡ وَإِيَّاهُمۡۖ ﴾(हम तुम्हें और उनको रिज़्क (जीविका) देते हैं), यहाँ माता-पिता की जीविका से प्रारंभ किया क्योंकि दोनों को इसकी आवश्यकता है, जब्कि सूरह इस्रा (बनी इस्राईल) में फरमाया:

﴿ نَّحۡنُ نَرۡزُقُهُمۡ وَإِيَّاكُمۡۚ ﴾ (हम उन्हें और तुमको रिज़्क (जीविका) देते हैं), यहाँ माता-पिता की जीविका के पूर्व संतान के जीविका का उल्लेख किया है क्योंकि दोनों धनिक व मालदार हैं परंतु निर्धनता का भय खाते हैं।

अशुद्द (أَشُدَّ) (जवानी की हद) को पहुँचना जिसके पश्चात इंसान इस्लामी अहकाम व आदेशों का पाबंद हो जाता है:

1- आयु के पंद्रह वर्ष मुकम्मल कर लेना।
2- या काँख का बाल निकलना।
3- या वीर्य स्खलन का पाया जाना।

महिला के लिए एक और चीज का इज़ाफ़ा होगा जोकि हैज़ (रज, मासिक रक्तरसाव) है।

﴿ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ ﴾ (सिवाय हक़ के) अर्थात जिसको शरीअत ने साबित किया है:

1- जान के बदले जान।
2- विवाहित व्यभिचारी।
3- दीन को छोड़ कर समूह से अलग हो जाने वाला।

वसीयत: अह्द लेने के अर्थ में हैं, और वसीयत अह्द लेने के अर्थ में उसी समय होगी जब कोई बहुत ही अहम मामला हो।

अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह क्यों कहा कि यह वसीयत है जब्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसी कोई वसीयत नहीं की ?

1- इसलिए कि यह अल्लाह की वसीयत है:

﴿ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ ﴾ (अल्लाह तआला ने तुमको ताकीद के साथ हुक्म दिया है) और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, अल्लाह की ओर से पहुँचाने वाले हैं।

2- इसलिए कि उनकी राय यह थी कि यह आयत दीन के समस्त बड़े व अहम मामले को समोए हुए है, और यह बड़ी महान आयत है।

सातवीं दलील:

मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के संग एक गधे पर सवार था, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझसे कहा: «**يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ الله عَلَى الْعِبَادِ؟، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله؟**»، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «**حَقُّ الله عَلَى الْعِبَادِ: أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله: أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا**»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله؛ أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: «**لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا**». "**हे मुआज़, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह का अधिकार बंदों पर क्या है, तथा बंदों का दायित्व अल्लाह के प्रति क्या है ? मैंने कहा: अल्लाह तथा उसके रसूल अधिक जानते हैं। आपने फरमाया: अल्लाह का अधिकार बंदों पर यह है कि उसकी इबादत व उपासना करें, किसी को उसका साझी न बनाएं तथा बंदों के प्रति अल्लाह का दायित्व यह है कि वह उसे दण्ड न दे जो उसके साथ शिर्क न करे।** मैंने कहा: अल्लाह के रसूल मैं लोगों को यह शुभ-सूचना क्यों न सुना दूँ? आप ने कहा: **मत सुनाओ, ऐसा न हो कि लोग इसी पर भरोसा कर लें**"।

- « أَتَدْرِي » : यह दिलचस्पी पैदा करने के लिए और दिल को पूरी तरह से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए है, तथा यह शिक्षा देने का अति उत्तम अंदाज़ है।
- « حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله » : बंदों ने अल्लाह पर कुछ भी वाजिब नहीं किया है बल्कि यह अल्लाह तआला ने बंदों पर कृपा करते हुए स्वयं अपने ऊपर वाजिब कर लिया है।
- « أُبَشِّرُ »: बशारत (शुभ-संदेश): कहते हैं ऐसी चीज के विषय में संदेश देना जिस को सुन कर इंसान (चित्त) प्रसन्न हो जाए, तथा यदा-कदा अप्रसन्न करने वाले संदेश के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है।
- « لَا تُبَشِّرْهُمْ »: अर्थात उन्हें न बताओ।
- इस हदीस़ से तौह़ीद की फ़ज़ीलत व प्रधानता प्रमाणित होती है और यह भी साबित होता है कि तौह़ीद अल्लाह के अज़ाब को रोकने का कारण है।

- यह भी प्रमाणित होता है कि जो अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक व साझी नहीं बनाएगा अल्लाह उसे अज़ाब व यातना नहीं देगा, और यह भी कि तौहीद को वास्तविक रूप में अपनाने से कुकर्म धुल जाते हैं व गुनाह माफ हो जाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसके विषय में बताने से इसलिए मना फरमाया कि कहीं लोग इसी पर भरोसा करते हुए अन्य सुकर्म करना छोड़ न दें, क्योंकि तौहीद को वास्तविक रूप में अपनाने का अर्थ है लाज़िमी तौर पर गुनाहों से बचना, इसलिए कि गुनाह व कुकर्म ख़्वाहिशे नफ्स (कामनाओं की पूर्ति में लीन रहना) की पैरवी के कारण वजूद में आते हैं जोकि एक प्रकार का शिर्क ही है।

मसाइल:

(ये मसले किताबुत तौहीद में शामिल नहीं हैं, बल्कि लेखक महोदय रहिमहुल्लाह ने इसको व्याख्या के रूप में उल्लेखित किया है और उन से बेहतर कोई दूसरा नहीं हो सकता था जो इन को बयान करे क्योंकि उन्हें इन से अभिप्राय चीजों का अधिक ज्ञान है, अतः इसका ध्यान रखना चाहिए)।

पहला: जिन्नों तथा इंसानों को पैदा करने व रचने में क्या हिकमत (तत्व दर्शिता) है (तौहीद का इक़रार व पालन करना है न कि केवल खाना-पीना और शादी विवाह करना इत्यादि)।

दूसरा: वास्तव में तौहीद (एक अल्लाह की उपासना) ही इबादत है, क्योंकि सारा झगड़ा इसी में है (अर्थात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा क़ुरैश के बीच, अतः हर वह उपासना जिसकी नींव तौहीद पर न हो वह बातिल तथा बेकार है)।

तीसरा: जिसने तौहीद (एक अल्लाह की इबादत) को नहीं अपनाया उसने अल्लाह की इबादत नहीं की, इसी अर्थ में अल्लाह तआला का यह फरमान है: ﴿وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ﴾ (तुम उसकी इबादत नहीं करने वाले जिसकी इबादत मैं करता हूँ)।

चौथा: रसूलों को भेजने की क्या हिकमत (तत्वदर्शिता) है (केवल एक अलालह की इबादत करना तथा ताग़ूत की इबादत से बचना)।

पाँचवाँ: प्रत्येक उम्मत में रसूल (ईशदूत) भेजे गए (उम्मत अर्थातः समुदाय व गिरोह)।

छठा: समस्त रसूलों (ईशदूतों) का दीन व धर्म एक ही है (दीन का आधार एक ही है, परंतु अमल व कर्म करने के हिसाब से भिन्न-भिन्न उम्मत, स्थान तथा समय के अनुसार व उस आधार पर शरीअत भिन्न है)।

छठा: एक महत्वपूर्ण बात यह भी पता चली कि ताग़ूत का इंकार किए बिना अल्लाह तआला की इबादत संभव नहीं, इसी अर्थ में अल्लाह तआला का यह कथन है: ﴿فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ﴾ الْآيَة। (जो ताग़ूत का इंकार करे -तथा अल्लाह तआला पर ईमान रखता है उसने मज़बूती से मज़बूत रस्सी को पकड़ लिया है-) (इसको बड़ा मसला व महत्वपूर्ण बात इसलिए कहा कि अधकांश लोग इससे अनभिज्ञ होते हैं, हाँ यह भी याद रहे कि जिसने इन चीजों में से कुछ कर लिया तो आम अंदाज़ में उस पर शिर्क, कुफ्र का हुक्म लगाना या लानत करना जायज़ नहीं है, क्योंकि इन मामलों में या इन जैसे अन्य मामलों में कोई भी फैसला करने से पहले कारणों तथा बाधाओं का ध्यान रखना अति आवश्यक है।

आठवाँ: ताग़ूत एक व्यापक शब्द है जिसमें वे समस्त चीजें सम्मिलित हैं जिन की अल्लाह के सिवा पूजा की जाती है।

नौवाँ: सूरह अनआम की तीन मुहकम व अटल आयतों की अहमियत व प्रधानता हमारे सलफ (पूर्वज) के निकट जिनमें दस विषय हैं और उनमें सबसे अहम व प्रधान शिर्क का निषेध है।

दसवाँ: सूरह इस्रा (बनी इस्राईल) की मुहकम (सुदृढ़ व अटल) आयतें जिनमें अट्ठारह विषय हैं, जिनका आरंभ अल्लाह तआला ने अपने इस कथन से किया है: ﴿ لَّا تَجۡعَلۡ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَقۡعُدَ مَذۡمُومٗا مَّخۡذُولٗا ﴿٢٢﴾ ﴾ (अल्लाह के साथ किसी दूसरे को पूज्य न बनाओ कि धिक्कार एवं तिरस्कार के पात्र बन जाओ) तथा अंत इस कथन पर किया है: ﴿ وَلَا تَجۡعَلۡ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتُلۡقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومٗا مَّدۡحُورًا ﴿٣٩﴾ ﴾ (अल्लाह के साथ किसी दूसरे को पूज्य न बनाओ अन्यथा निन्दित तथा अपमानित करके नरक में झोंक दिए जाओगे), तथा अल्लाह तआला ने इन विषयों कि अहमियत व प्रधानता का एहसास हमें अपने इस कथन से दिलाया है: ﴿ ذَٰلِكَ مِمَّآ أَوۡحَىٰٓ إِلَيۡكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلۡحِكۡمَةِۗ ﴾ (यही वह हिकमत -तत्वदर्शिता- की बातें हैं जो अल्लाह ने आप की ओर वह्य -प्रकाशना- की हैं)।

ग्यारह्वाँ: सूरह निसा की वह आयत जिसको "दस हुक़ूक़ (दायित्वों)" वाली आयत कहा जाता है, उसका आरंभ अल्लाह तआला ने अपने इस कथन से किया है: ﴿ وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ ﴾ (अल्लाह तआला की बंदगी व इबादत करो तथा उसके साथ किसी और को साझी न बनाओ) (अतः इससे पता चला कि तमाम हुक़ूक़ व दायित्वों में अल्लाह तआला का हक़ व दायित्व सर्वोपरि तथा सर्वप्रथम अदा करने योग्य है)।

बारह्वाँ: निधन के समय नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वसीयत का वर्णन (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वास्तविक रूप से इस की वसीयत नहीं की थी, बल्कि हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस ओर इशारा अवश्य फरमाया था कि यदि हम अल्लाह तआला की किताब (क़ुरआन) को मज़बूती के साथ थाम लें तो हम कभी गुमराह (दिग्भ्रमित) नहीं होंगे)।

तेरह्वाँ: बंदों पर अल्लाह तआला के हक़ का परिचय (कि हम उस की इबादत, उपासना व वंदना करें तथा उसके संग किसी और को उसका भागीदार न बनाएं)।

चौदह्वाँ: बंदों के लिए अल्लाह का हक़ क्या है जबकि वे अल्लाह तआला का हक़ अदा करें (यह हक़ कृपा व उपकार वाला हक़ है)।

पंद्रह्वाँ: इस मसला को अधिकतर सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हुम नहीं जानते थे (क्योंकि मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी मृत्यु के समय इसकी सूचना इसलिए दे दी थी कि कहीं इल्म व ज्ञान छुपाने की जो सज़ा है वह उस के पात्र न बन जाएं, और उस समय तक अधिकंश सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हुम काल के गाल में समा चुके थे, अन्य सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हुम को यह ख़बर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस भय से नहीं दी थी कि कहीं वो इसी पर भरोसा कर के न बैठ जाएं, आपका कतई यह मक़्सद नहीं था कि किसी को भी इस की भनक न लगे क्योंकि यदि आपका उद्दश्य यही होता तो फिर आप मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को भी इस विषय में कुछ न बताते)।

सोलह्वाँ: किसी मसलेहत व उचित औचित्य के कारण ज्ञान छिपाना जायज़ है (इस को व्यापक अर्थों में ले कर सभी स्थान पर इसे फिट नहीं किया जा सकता)।

सत्रह्वाँ: मुसलमानों को ऐसी शुभ-सूचना देना मुस्तहब है जिस को सुन कर वह प्रसन्न हो जाए (यह अति उत्तम फायदों में से एक है)।

अट्ठारह्वाँ: अल्लाह तआला की असीम दया व कृपा पर भरोसा कर लेने से डरना चाहिए (इसी प्रकार उस की रहमत से मायूस हो जाना भी है, अर्थात उसकी रहमत व कृपा से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए)।

उन्नीसवाँ: जब किसी व्यक्ति से किसी ऐसी चीज के विषय में प्रश्न किया जाए जिसे वह नहीं जानता हो तो उसे कहना चाहिए किः "अल्लाह तथा उसके रसूल बेहतर जानते हैं" (ध्यान रहे ऐसा केवल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन काल में कहा जा सकता था, अथवा अब ऐसे शरई मामलों में कहा जाएगा जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सिखलाए हैं)।

(और सामान्य परिस्थितियों में "वल्लाहु आलम (अल्लाह तआला बेहतर जानता है)" कहना चाहिए)।

बीसवाँ: विशेष व्यक्ति को कोई बात किसी अन्य को इसके बारे में न बता कर बताना जायज़ है।

इक्कीसवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की विनम्रता की आप गधे पर सवार हुए इस पर तुर्रा यह कि आपने अपने पीछे एक दूसरे व्यक्ति को बैठा भी लिया।

बाईसवाँ: जानवर पर अपने पीछे किसी और को भी सवार कर लेना जायज़ है (इस शर्त के साथ कि ऐसा करने से जानवर को कोई दिक्कत न हो)।

तेईसवाँ: इस मसला (तौहीद) की महत्ता।

चौबीसवाँ: हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु की फज़ीलत व श्रेष्ठता।

२- तौहीद की फ़ज़ीलत व प्रधानता और यह कि वह पापों को मिटा देता है

रुचि बढ़ाने के लिए लेखक रहिमहुमुल्लाह यह अध्याय ले कर आए हैं उसके विपरीत जो शैतान लोगों के दिलों में डालता रहता है, और किसी चीज़ की फ़ज़ीलत व प्रधानता साबित करने का कतई यह अर्थ नहीं है कि वह वाजिब व अपरिहार्य नहीं है, बल्कि यह प्रधानता उस के प्रभाव व परिणाम में से है, जैसे जमात के साथ नमाज़ पढ़ना।

पहली दलील:

१- अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ﴾ (जो लोग ईमान लाए तथा अपने ईमान का घाल-मेल शिर्क (बहुदेववादिता) से नहीं किया उन्हीं के लिए शान्ति है तथा वही सत्य मार्ग को ओर अग्रसर हैं)।

- ﴿وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ﴾: अर्थात गड्ड-मड्ड व मिलावट नहीं किया।
- ﴿بِظُلۡمٍ﴾ : ज़ुल्म का प्रयोग यहाँ ईमान के विपरीत अर्थ में हुआ है जिससे अभिप्राय शिर्क है।
- ﴿مُّهۡتَدُونَ﴾ (हिदायत पाने वाले तथा सत्य मार्ग की ओर अग्रसर हैं): १- **दुनियाँ मे**: ज्ञान व कर्म के द्वारा अल्लाह की शरीअत अपनाने के कारण। २- **आख़िरत में (मरणोपरांत)**: जन्नत की ओर।
- तौहीद की फज़ीलत व प्रधानता में से यह भी है कि इस के द्वारा लोक तथा परलोक में शांति स्थापित होती है।

दूसरी दलील:

२- उबादा बिन स़ामित रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ»، **"जो इक़रार कर ले कि एक अल्लाह के सिवाय कोई पूज्य नहीं, उसका कोई साझी नहीं, तथा यह कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के बंदे व उस के रसूल (दूत) हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे तथा उस के रसूल हैं और उसका कलेमा (वाक्य) हैं जिसे उस ने मरियम की ओर डाला था तथा उस की रूह़ (प्राण) हैं, स्वर्ग सत्य है एवं नरक भी सत्य है, (अल्लाह) उसे स्वर्ग में प्रवेश देगा, चाहे उसके कर्म कैसे भी हों"**। बुख़ारी व मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है।

तीसरी दलील:

बुख़ारी व मुस्लिम में इतबान रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है किः

«فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)؛ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ»،

"जिसने केवल अल्लाह की प्रसन्नता के लिए "लाइलाहा इल्लल्लाह" -अल्लाह के सिवाय कोई सच्चा पूज्य नहीं- कहा, अल्लाह उसे जहन्नम (नरक) पर ह़राम (वर्जित) कर देता है"।

- «شَهِدَ»: "शहादत": ज़ुबान से इक़रार, दिल से एतक़ाद व आस्था तथा शारीरिक अंगों के द्वारा उसकी तसदीक एवं पुष्टि करने का नाम है।
- «أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»: हकीकी व असली इबादत एवं उपासना का पात्र अल्लाह तआला के सिवाय कोई नहीं है।
- «وَحْدَهُ»: इसमें पुष्टि करने की ताकीद है। «لَا شَرِيكَ لَهُ»: तथा इस में अल्लाह की विशेषताओं में किसी और को भागीदार बनाने का पुरज़ोर विरोध तथा ताकीद के साथ इंकार है।
- «وَأَنَّ مُحَمَّدًا»: आप अंतिम नबी मुहम्मद सुपुत्र अब्दुल्लाह पुत्र अब्दुल मुत्तलिब अल-क़ुरशी अल-हाशमी हैं।
- «عَبْدُهُ»: अर्थातः १- आप अल्लाह के साझी व भागी नहीं हैं, २- आप अल्लाह तआला की सर्वाधिक इबादत व उपासना करने वाले हैं।
- «وَرَسُولُهُ»: अर्थातः आप पर वह्य (आकाशवाणी) के द्वारा सही में आप को ईशदूत बना कर भेजा गया है न कि आप झूठ बोल कर स्वयं को अल्लाह का नबी प्रमाणित कराना चाहते हैं, तथा इस शहादत व गवाही को स्वाभाविक रूप में अपनाने का विलोम हैः १- कुकर्म करना, २- तथा दीन में ऐसी बिदअतें (नवाचार) अविष्कार करना जो दीन का हिस्सा व अंग नहीं थीं।
- मआस़ी (गुनाह के काम): व्यापक अर्थों में शिर्क को भी कहा जाता है, तथा विशेष अर्थों में इस के प्रकार हैं: १- शिर्क -ए- अकबर। २- शिर्क -ए- अस़ग़र। ३- गुनाह -ए- स़ग़ीरा (छोटे गुनाह)। ४- गुनाह -ए- कबीरा (बड़े गुनाह)।
- «عِيسَى عَبْدُ اللهِ»: यह ईसाईयों पर रद्द है। «وَرَسُولُهُ»: यह यहूदियों पर रद्द है, हम उन के रसूल होने पर ईमान लाते हैं, और उन की लाई हुई शरीअत में से जो हमारी शरीअत के उलट हो उसकी पैरवी करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है, और हम से पूर्व की जो शरीअतें हैं उनकी स्थिति हमारी शरीअत की तुलना में इस प्रकार हैः

    1- यदि वह हमारी शरीअत के विपरीत हो तो हमारा अमल अपनी शरीअत के अनुसार होगा।

2- यदि वह हमारी शरीअत के अनुकूल हो तो ऐसी दशा में भी हम अपनी शरीअत ही पर अमल करेंगे।

3- उस के विषय में हमारी शरीअत में कुछ न हो तो ऐसी दशा में वह हमारी शरीअत मानी जाएगी।

- ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आस्था रखने वाले लोग तीन प्रकार के हैं (अति व न्यून तथा इन दोनों के मध्य एतदाल व संतुलन बना कर चलने वाले अर्थात न कमी न अति करने वाले):

1- **न्यून अर्थात आप के प्रति ज़ालिमाना रवैया रखने वाले:** जैसे यहूदी जिन्होंने आप को झुठलाया, आपके तथा आप की माता के ऊपर लांछन लगाए, आप के नबी होने का इंकार किया और आपका वध करने का प्रयास किया।

2- **अति करने वाले:** जैसे ईसाई जिन्होंने कहा कि आप अल्लाह के बेटे व पुत्र हैं, आप तीन माबूदों में से एक हैं तथा आप की पूजा, वंदना व इबादत करने लगे।

3- **आप के प्रति एतदाल (अति एवं न्यून के मध्य संतुलित) रवैया अपनाने वाले:** वह हम लोग हैं जो गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के बंदे तथा रसूल हैं, आप की माता सच्ची थीं, वह अपने जननांगों की रक्षा करने वाली कुँवारी थीं, आप का उदाहरण अल्लाह के निकट बिल्कुल आदम अलैहिस्सलाम के समान है कि अल्लाह तआला ने उन्हें मिट्टी से पैदा किया तथा कहा: कुन (हो जा) तो वह वजूद में आ गए।

- «كَلِمَتُهُ»: क्योंकि आप कलमा -ए- "कुन (हो जा)" के द्वारा पैदा किए गए थे, इसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलमा हैं, क्योंकि कलाम करना अर्थात बात-चीत करना अल्लाह तआला की सिफत अर्थात गुण व विशेषता है।
- «رُوحٌ مِنْهُ»: अल्लाह तआला की रचनाओं में से एक रचना हैं, अल्लाह की ओर इस की इज़ाफत (संबंध, तत्पुरुष) इज्जत बढ़ाने तथा आदर-सत्कार के लिए किया गया है।
- « أَدْخَلَهُ اللهُ الْـجَنَّةَ »: जन्नत में प्रवेश कराने के दो प्रकार हैं:

1- संपूर्ण रूप से, अर्थात बिना किसी प्रकार का अज़ाब (यातना) दिए जन्नत (स्वर्ग) में प्रवेश करा देना, यह उस के लिए होगा जिस के कर्म पूर्ण होंगे।

2- अपूर्ण रूप से, अर्थात पहले अज़ाब (यातना) देने के बाद जन्नत में प्रवेश कराना, यह उस के लिए होगा जिसके कर्म अपूर्ण होंगे।

- «قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)»: इस के लिए इख़्लास (निष्कपटता) शर्त है, जिसका प्रमाण आप का यह कथन है: «يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ» (जिसने केवल अल्लाह की प्रसन्नता के लिए ऐसा कहा)।
- इस हदीस में दो मतों का खण्डन है:

1. **मुर्जिआ पर:** जो कहते हैं कि केवल «لا إله إِلَّا اللهُ» "लाइलाहा इल्लल्लाह" कहना काफी है, कर्म तथा इख़्लास़ की आवश्यकता नहीं।
2. **ख़्वारिज पर:** जो कहते हैं कि कबीरा गुनाह करने वाला सदा के लिए जहन्नम में रहेगा।

जिसकी इज़ाफत (संबंध, जोड़, तत्पुरुष) अल्लाह तआला ने अपनी ओर की है:

इज़ाफत -ए- आअयान, अर्थात ऐसी वस्तु से संबंध जोड़ना जो स्व-स्थायी हो तथा इससे जुड़ी हुई वस्तु मख़लूक़ (जीव) होती है: जैसे ﴿نَاقَةَ ٱللَّهِ﴾ (अल्लाह की ऊँटनी) यह रचना का संबंध रचानाकार से जोड़ने के रूप में है, प्रत्येक वह वस्तु जो स्व-स्थायी हो तथा अल्लाह से अलग हो वह मख़लूक़ (जनता) है।

इज़ाफत -ए- औसाफ (गुण), अर्थात ऐसी वस्तु से संबंध जोड़ना जो मख़लूक़ (जीव) न हो: जैसे ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ (जिसे मैंने अपने हाथ से पैदा किया), यह सिफत का संबंध मौसूफ (गुण का गुणी) से जोड़ना है।

आम इज़ाफत: ﴿إِنَّ أَرْضِي وَٰسِعَةٌ﴾ (निःसंदेह मेरी पृथ्वी बड़ी वृहद व विस्तृत है)।

सत्कार वाली इज़ाफत: ﴿وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾(और उस की रूह हैं)।

चौथी तथा पाँचवीं दलील:

४- अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बयान करते हैं कि: «قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا رَبِّ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ، قَالَ: قُلْ يَا مُوسَى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هٰذا؟ قَالَ: يَا مُوسَى؛ لَوْ أَنَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ – غَيْرِي – وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ، وَ(لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) فِي كِفَّةٍ، مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» **"मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा: हे मेरे रब, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें सिखा दे जिससे मैं तेरा स्मरण किया करूँ तथा तुझ से प्रार्थना करूँ। अल्लाह तआला ने फरमाया: हे मूसा "ला इलाहा इल्लल्लाह" -अल्लाह के सिवाय कोई सच्चा पूज्य नहीं- कहो, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा: यह तो तेरे सभी बंदे कहते हैं। अल्लाह तआला ने फरमाया: हे मूसा, यदि मेरे सिवाय सातों आकाश तथा उनके निवासी एवं सातों धरती तराज़ू के एक पलड़े में हो तथा "ला इलाहा इल्लल्लाह" एक पलड़े में हो तो "ला इलाहा इल्लल्लाह" उन्हें ले कर झुक जाएगा"**। इसे इब्ने हिब्बान तथा हाकिम ने रिवायत किया है तथा इस हदीस़ को सही कहा है।

५- और तिर्मिज़ी में अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है जिसे उन्होंने ह़सन कहा है, वह कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुना: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً» **"अल्लाह तआला फरमाता है: हे आदम की संतान, यदि तेरा पाप धरती भर हो फिर तू**

मुझ से ऐसे मिले कि मेरे संग किसी को शरीक व साझी नहीं बनाया हो तो मैं धरती भर क्षमा के साथ तेरे सामने आऊँगा"।

- «لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ»: यह वाक्य "ज़िक्र" (स्मरण) है जो दुआ (प्रार्थना) को सम्मिलित है, क्योंकि ज़िक्र (स्मरण) करने वाला इस के द्वारा अल्लाह को प्रसन्न करना चाहता है, किंतु यदि कोई व्यक्ति ऐसी चाभी से ताला खोलने का प्रयास करे जिसमें दाँत न हो तो ताला नहीं खुल सकता, इसी प्रकार "ला इलाहा इल्लल्लाह" की शर्तें ही उस के दाँत हैं।
- « بِقُـرَابِهَا مَغْفِرَةً »: यह तौहीद की महानता है कि बंदा जब अल्लाह तआला से शिर्क व बहुदेववादिता की मिलावट से पाक-साफ होकर भेंट करता है तो वह उस के समस्त कबीरा गुनाहों को मिटा देता है, और मग़फिरत कहते हैः गुनाहों को ढ़ाँपना तथा उस की अनदेखी करना।

मसाइलः

पहलाः अल्लाह तआला के फज़्ल व कृपा का विस्तार।
दूसराः अल्लाह के पास तौहीद के प्रतिफल (पुण्य, सवाब) की अधिकता।
तीसराः इस के साथ ही इस तौहीद का पापों का मिटा देना।

चौथाः सूरह अल-अनआम की आयतः ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَـٰنَهُم بِظُلْمٍ﴾ (जो लोग ईमान रखते हैं और अपने ईमान को शिर्क से पाक रखते हैं) की तफ्सीर व व्याख्या।
पाँचवांः उबादा बिन स़ामित रज़ियल्लाहु अन्हु की ह़दीस़ में वर्णित पाँच बातों में गहन विचार विमर्श करना।
छठाः उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु और इतबान रज़ियल्लाहु अन्हु की ह़दीस़ को एकत्र करें तो «لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ» "ला इलाहा इल्लल्लाह" कहने का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, तथा जो लोग धोखे में पड़े हुए हैं उनकी कलई खुल कर सामने आ जाएगी (क्योंकि आवश्यक है कि वह इस के द्वारा अल्लाह तआला को प्रसन्न करना चाहता हो, और जिसका उद्देश्य यह होगा वह निश्चित ही सुकर्म व नेक आमाल करेगा)।
सातवाँः उस शर्त की चेतावनी व उस और ध्यानाकर्षण करना जो इतबान रज़ियल्लाहु अन्हु की ह़दीस़ में है (केवल ज़ुबान से कहना पर्याप्त नहीं है)।
आठवाँः नबियों को भी "ला इलाहा इल्लल्लाह" की फज़ीलत व प्रधानता पर सचेत करने की आवश्यकता होती है (तो उनके अलावा दूसरे लोगों को तो इसकी और अधिक आवश्यकता है)।
नौवाँः यह चेतावनी की कलमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" समस्त सृष्टि से भारी है इसके बावजूद बहुत से लोग जो इसको बोलते हैं उनका तुला हलका होगा (कमी इस वाक्य में नहीं है बल्कि इस को कहने वाले में है या तो किसी शर्त में कमी के कारण या इस से रोकने वाली किसी वस्तु के मौजूद होने का कारण)।

दसवाँ: यह प्रमाण कि आकाश के समान धरती के भी सात परत हैं (यह समानता केवल संख्या में है)।
ग्यारहवाँ: उन में आबादियाँ हैं (अर्थात: आकाश में, तथा उसकी आबादियाँ फरिश्ते हैं)।
बारहवाँ: अल्लाह तआला के लिए सिफात (गुण, विशेषता) होने का प्रमाण, अशअरी (सम्प्रदाय) के विपरीत (इसी प्रकार मुअत्तला सम्प्रदाय के विपरीत भी, इस में अल्लाह तआला के लिए "वज्ह" (मुख, चेहरा) का प्रमाण है)।
तेरहवाँ: जब आप ने अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस़ को जान लिया तो आप को यह भी ज्ञात हो गया होगा कि इतबान रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस़ जिस में आप ने फरमाया है:
«فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)؛ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ» **"कि अल्लाह तआला ने उस पर जहन्नम हराम कर दिया जिसने केवल अल्लाह की प्रसन्नता के लिए "ला इलाहा इल्लल्लाह" -अल्लाह के सिवाय कोई सच्चा पूज्य नहीं- कहा"**, उस का अर्थ शिर्क व बहुदेववादिता का त्याग करना है न कि केवल मुख से बोल भर देना।
चौदहवाँ: मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा ईसा अलैहिस्सलाम दोनों को एक साथ एक स्थान पर अल्लाह का बंदा तथा रसूल कहने पर गहन विचार करना।
पंद्रहवाँ: ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह के कलमा (वाक्य) होने की विशेषता को जानना (कि आप बिना पिता के पैदा किए गए हैं)।
सोलहवाँ: विशेष रूप से ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रूह (प्राण) होने को जानना (कि आप उन समस्त प्राणियों में से हैं जिन्हें अल्लाह तआला ने पैदा किया है)।
सत्रहवाँ: जन्नत तथा जहन्नम (स्वर्ग एवं नरक) पर ईमान रखने की फ़ज़ीलत व प्रधानता को जानना (कि यह जन्नत में प्रवेश पाने के कारणों में से है)।
अट्ठारहवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथन: **«عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ»** **"चाहे जैसा भी कर्म हो"** को समझना।
उन्नीसवाँ: इस बात का ज्ञान कि तराज़ू के दो पलड़े हैं।
बीसवाँ: अल्लाह तआला के "वज्ह" (मुख, चेहरा) का उल्लेख (जो कि अल्लाह तआला के सिफ़ात में से एक सिफ़त तथा गुणों में से एक गुण है)।

३- जो वास्तविक तौहीद अपनाएगा बिना हिसाब जन्नत में प्रवेश पाएगा

इस अध्याय को इसलिए लाए हैं ताकि हम सच्चे व वास्तविक मुवह्हिद (एकेश्वरवादी) बन जाएं जो कि हमारे ऊपर वाजिब है और हम इस की ओर आकर्षित हों, तथा तौहीद को वास्तविक रूप में अपनाने का अर्थ यह है किः इसे शिर्क (बहुदेववादिता), बिदअत (नवाचार) तथा गुनाहों (कुकर्मों) से बचा कर रखना, जोकि ज्ञान, आस्था तथा विनम्रता अपनाने के द्वारा होगा।
लेखक रहिमहुल्लाह के निकट, अध्याय का पठन करने के द्वारा वृहद रूप में वास्तविक तौहीद को अपनाना होगा, तथा संक्षिप्त में निम्नांकित के द्वारा होगाः
१- अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी के द्वारा। २- सादात औलिया (सहाबा) की पैरवी के द्वारा। ३- तौहीद पर टिके रहने के द्वारा गरचे आप अकेले ही क्यों न हों। ४- तवक्कुल (भरोसा) करने तथा झाड़-फूँक, दाग़ने एवं अपशकुन को छोड़ने के द्वारा।

पहली दलीलः

अल्लाह तआला का फरमान हैः ﴿إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ निःसंदेह इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के आज्ञाकारी, उस की ओर एकाग्रचित्त तथा एक उम्मत थे, तथा वह मुश्रिकों में (बहुदेववादियों) से नहीं थे)।

इस आयत में सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की प्रशंसा है, अतः हमारे लिए अपरिहार्य व वाजिब है कि हम आप से प्रेम करें तथा आप का अनुसरण करें, हम जितना आप का अनुसरण करेंगे उतना ही हमें उस प्रशंसा से हिस्सा मिलेगा, वह इस प्रकार कि उन्होंने छः चीजों के द्वारा वास्तविक तौहीद को अपनाया था जिनका उल्लेख उपरोक्त आयत में हैः

1. ﴿أُمَّةً﴾ : वह ऐसे इमाम थे जिन का अनुसरण अल्लाह पर भरोसा करते हुए, उन के कर्म, कर्तव्य तथा जिहाद (इस राह में भरसक प्रयास करने) में की जाती है।
2. ﴿قَانِتًا﴾: सदा फरमाँबरदारी करने वाले, हर परिस्थित में उस पर टिके रहने वाले, अर्थात आप हर हाल में अल्लाह के आदेशों का अनुपालन करने वाले थे।
3. ﴿لِّلَّهِ﴾: यह आप के इख़्लास़ व निश्छल होने को इंगित करता है।
4. ﴿حَنِيفًا﴾: शिर्क से मुँह मोड़ कर अल्लाह की ओर ध्यान लगाने वाले, हरेक उस चीज़ को छोड़ देने वाले जो आज्ञापालन के प्रतिकूल हो।
5. ﴿وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾: शिर्क तथा मुश्रिकीन से बराअत (दिल, ज़ुबान तथा शारीरिक अंगों द्वारा)।
6. ﴿شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ﴾ : क्योंकि नेमत (अनुग्रह) आज़माइश है जिस का शुक्रिया अदा करना चाहिए।

लाभः

1. :इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पिता आज़र की मृत्यु शिर्क करते हुए हुई थीः

﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنۡهُۚ﴾ (फिर जब उन पर यह बात स्पष्ट हो गई कि वह अल्लाह का शत्रु है तो वह उससे विमुख हो गए)।

2. नूह अलैहिस्सलाम के माता-पिता मोमिन थेः ﴿رَّبِّ ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ﴾ (हे अल्लाह, तू मुझे तथा मेरे माता-पिता को क्षमा कर दे)।

3. इमाम अहमद रहिमहुल्लाह फरमाते हैः तीन चीजों का कोई आधार नहीं: मग़ाज़ी (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ग़ज़वा से संबंधित ज्ञान), मलाहिम (आम लड़ाई के हालात), तफ्सीर, ये तीनों ही सामान्य रूप से बिना सनद (प्रमाण) के ही उल्लेख किए जाते हैं, अतः पिछली उम्मतों के विषय में अल्लाह के कथन व उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत अर्थात बिना वह्य (प्रकाशना) के जानना संभव नहीं है।

दूसरी दलीलः

अल्लाह तआला का फरमान हैः ﴿وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمۡ لَا يُشۡرِكُونَ﴾ (जो अपने रब के संग किसी को साझी नहीं बनाते)।

- ﴿لَا يُشۡرِكُونَ﴾: शिर्क यहाँ व्यापक अर्थों में है, क्योंकि वास्तविक तौहीद को अपनाना उस शिर्क से बचने के द्वारा ही होगी जो व्यापक अर्थ में हो, लेकिन इसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि उन से कुकर्म नहीं होगा, क्योंकि आदम की प्रत्येक संतान गुनाहगार है मासूम नहीं, किंतु उनसे जब कोई पाप हो जाता है तो वह अपने रब के समक्ष तौबा करते हैं उसी गुनाह में सदा लिप्त नहीं रहते हैं।

तीसरी दलीलः

हुसैन बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैं सईद बिन जुबैर के पास था, तो उन्होंने कहाः

أَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ الْبَارِحَةَ؟ فَقُلْتُ: أَنَا، ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ؛ وَلَكِنِّي لُدِغْتُ، قَالَ: فَمَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: ارْتَقَيْتُ، قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ، قَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمْ؟ قُلْتُ: حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ»، قَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنِ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ؛ وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «**عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ**

وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هٰذا مُوسَى وَقَوْمُهُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هٰذه أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْـجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ»، ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله ﷺ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِالله شَيْئًا، وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِم رَسُولُ الله ﷺ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «**هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ**»، فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «**أَنْتَ مِنْهُمْ**»، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «**سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ**»

विगत् रात जो तारा टूटा उसे किसने देखा? मैंने उत्तर दियाः मैंने, फिर मैंने कहाः सुनो मैं नमाज़ नहीं पढ़ रहा था बल्कि मुझे किसी चीज़ ने डस लिया था। सईद बिन जुबैर ने पूछाः फिर तुमने क्या किया? मैंने कहाः मैंने झाड़-फूँक (दम) किया, उन्होंने फिर पूछाः तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहाः एक हदीस़ के कारण ने जो शअबी ने हम से बयान किया, फिरः पूछाः वह हदीस़ क्या है? मैंने कहाः हम से बुरैदा बिन हुसैब रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस़ बयान की, कहा किः झाड़-फूँक बुरी नज़र लगने अथवा किसी विषैले जीव-जंतुओं के डस लेने ही में है, सईद बिन जुबैर ने कहाः जिसने सुन कर उस के अनुसार अमल किया उस ने बहुत अच्छा किया, परंतु मुझे अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस़ बताई कि आप ने फरमायाः "**मुझ पर बहुत सारी उम्मतें पेश की गईं तो मैंने किसी नबी को देखा कि उनके साथ एक समुदाय है, तो किसी नबी को देखा कि उनके साथ एक या दो आदमी ही है तथा ऐसा नबी भी देखा जिनके साथ कोई भी नहीं था, कि अकस्मात मेरे सामने एक बड़ा समुदाय आया तो मैंने सोचा कि यह मेरी उम्मत है तो मुझ से कहा गया कि यह मूसा अलैहिस्सलाम तथा उनका समुदाय है, फिर मैंने देखा तो एक और बड़ा समूह था तो मुझ से कहा गया कि यहः आप की उम्मत है जिनके साथ सत्तर हज़ार ऐसे हैं जो बिना किसी हिसाब और अज़ाब (यातना) के स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उठ कर घर में चले गए, तो लोग उस के विषय में खोद-कुरेद करने लगे, कुछ ने कहाः संभवतः यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हुम हैं, तो कुछ ने कहाः संभवतः यह वो लोग हैं जो इस्लाम ही में पैदा हुए तथा अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, उन्होंने कुछ अन्य चीज़ों का भी उल्लेख किया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनके पास आए तो उन्होंने आप को इस विषय में बताया, आप ने फरमायाः ये वो लोग होंगे जो झाड़-फूँक नहीं कराते, न अपशगुन लेते हैं और न ही आग से दागते हैं एवं अपने रब पर ही तवक्कुल व भरोसा करते हैं। फिर उक्काशा बिन मेहस़न खड़े हुए और कहा किः आप अल्लाह से प्रार्थना करें कि मुझे उन लोगों में से कर दे, आप ने फरमायाः तू उन्हीं में से है, फिर एक दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ और कहाः आप अल्लाह से प्रार्थना करें कि मुझे भी उन लोगों में से कर दे, तो आप ने फरमायाः इस में उक्काशा तुम पर बढ़त ले गए**"।

- «انْقَضَّ» : टूट कर गिरा। «ارْتَقَيْتُ» : मैंने झाड़-फूँक करवाया। «عَيْنٍ»: बुरी नज़र।
- «فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟»: इस से पता चलता है कि अदब के साथ दलील या हुज्जत (प्रमाण) माँगा जा सकता है।
- « لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ »: अर्थातः बुरी नज़र या विषैले जीव-जंतुओं के काटने में सशर्त शरई झाड़-फूँक से बढ़ कर लाभकारी कोई भी औषधि या उपचार नहीं है।
- «حُمَةٍ»: यह किसी भी विषैले जानवर के डंक मारने को कहते हैं, किंतु حُمَّة बुख़ार को कहते हैं।
- «رَهْط» : यह तीन से नौ तक के अंक पर बोला जाता है।
- «لَا يَسْتَرْقُونَ»: किसी से यह नहीं कहते कि दुआ पढ़ कर मेरे ऊपर दम कर दो, निम्नलिखित कारणों सेः

१- अल्लाह पर दृढ़ विश्वास के कारण। २- अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए तथा उसे ग़ैरुल्लाह के समक्ष तिरस्कार से बचाने हेतु। ३- इसमें एक प्रकार का ग़ैरुल्लाह से संबंध पाया जाता है।

- «لَا يَرْقُونَ»: (वह दम नहीं करते हैं), वाली रिवायत प्रमाणित नहीं है जैसा कि शैख़ुल इस्लाम ने कहा है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम स्वयं पर दम किया करते थे तथा जिब्रील अलैहिस्सलाम व आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप के ऊपर दम किया था, और इसी प्रकार सहाबा भी दम किया करते थे।
- दूसरों से झाड़-फूँक करवाने के विषय में लोगों के कई प्रकार हैं:
  1- किसी से कहे कि वह उस पर दम कर दे, इससे कमाल (विशिष्ट दर्जा) छिन गया (अर्थात वह सत्तर हज़ार लोगों से निकल गया)।
  2- कोई स्वतः आकर उस पर दम करे तो उस को न रोके, इससे कमाल (विशिष्ट दर्जा) नहीं छिना क्योंकि उस ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा था कि कोई आकर उस पर दम कर दे।
  3- कोई स्वतः दम करने के लिए आए तो उसको रोके, यह सुन्नत के विरुद्ध है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपने ऊपर दम करने से नहीं रोका था।
- «وَلَا يَكْتَوُونَ» : किसी अन्य को दागने के द्वारा उपचार करने को नहीं कहते हैं।
- «وَلَا يَتَطَيَّرُونَ»: ततय्युर, अरबी भाषा में अपशकुन लेने को कहते हैं, चाहे कोई दिखाई देने वाली (दृश्य), सुनाई देने वाली (श्रव्य), अथवा किसी विशेष स्थान या समय से अपशगुन लिया जाए। जहाँ तक ऐसा करने का हुक्म का प्रश्न है, तो ऐसा करनाः शिर्क -ए- असग़र है।

- ह़दीस़ में उल्लेखित इन तीन विशेष गुणों से सुसज्जित लोगों के अतिरिक्त दूसरे लोग भी जो औषधि इत्यादि का प्रयोग करते हैं वह भी जन्नत में बिना हिसाब के जा सकते हैं क्योंकि ह़दीस़ में उपचार का आदेश दिया गया है और कुछ औषधियों की प्रशंसा भी की गई है, जैसेः मधु तथा क्लोंजी इत्यादि।

उम्मत के प्रकारः

उम्मत -ए- इजाबाः जिसने अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दावत को स्वीकार किया, अर्थात मोमिन लोग।

उम्मत -ए- दावतः इस में जिसने अल्लाह तथा उस के रसूल (दूत) सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दावत को स्वीकार किया तथा जिसने अस्वीकार किया देनों शामिल हैं।

मसाइलः

पहलाः तौह़ीद में लोगों की विभिन्न श्रेणियां हैं।

दूसराः तौह़ीद (एकेश्वरवाद) को वास्तविक रूप में अपनाने का क्या अर्थ है (उस को शिर्क (बहुदेववादिता), बिदअत (नवाचार), तथा गुनाहों (कुकर्मों) से बचा कर रखना)।

तीसराः अल्लाह तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की प्रशंसा यूँ की है किः "वह मुश्रिकों में से नहीं थे"।

चौथाः अल्लाह तआला ने इस बात के लिए अपने सादात औलिया (पुनीत बंदों) की भी प्रशंसा की है कि वो शिर्क से बचने वाले थे।

पाँचवाँः मंत्र (झाड़-फूँक) तथा आग से दागने के द्वारा उपचार करने का त्याग ही तौह़ीद को वास्तविक रूप में अपनाना है (अर्थातः स्वयं किसी को दम करने या दागने के लिए न कहे)।

छठाः इन सभी स्वाभावों का संग्रह अल्लाह पर तवक्कुल व भरोसा करना है (क्योंकि उसने इसको मज़बूत तवक्कुल व भरोसा के कारण ही छोड़ा है)।

सातवाँः स़हाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के ज्ञान की गहनता कि उन्होंने यह अंदाज़ा लगा लिया कि उन्हें यह उच्च स्थान कोई कर्म करने के कारण ही मिला है (अर्थात ठोस कर्म)।

आठवाँः स़हाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का भलाई के कामों में रुचि लेना (क्योंकि उन की चाहत यह थी कि वो उस नतीजा तक पहुँचे ताकि वो भी वही कर्म करें)।

नौवाँः मात्रा (संख्या) तथा स्थिति (कर्म) में इस उम्मत की श्रेष्ठा।

दसवाँः इस से मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों (पैरोकारों) की फज़ीलत व प्रधानता भी साबित होती है।

ग्यारहवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समक्ष समस्त उम्मतें पेश की गईं (१- आप के सांत्वना के लिए। २- आप के आदर-सत्कार तथा फ़ज़ीलत व प्रधानता बताने के लिए)।

बारहवाँ: प्रत्येक उम्मत को अलग-अलग अपने नबियों के साथ उठाया जाएगा।

तेरहवाँ: नबियों की दावत स्वीकार करने वाले आम तौर पर कम ही लोग थे।

चौदहवाँ: जिस नबी की दावत को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया वह अकेले ही आएंगे।

पंद्रहवाँ: इस ज्ञान का लाभ यह है कि संख्या बल पर अभिमान नहीं करना चाहिए (१- कि कहीं हम भी उन्हीं के साथ नष्ट न हो जाएं), २- और संख्या कम होने पर चिंतित भी नहीं होना चाहिए (क्योंकि कभी-कभी कम होना अधिक होने से बेहतर होता है)।

सोलहवाँ: बुरी नज़र तथा विषैले जानवरों के काट लेने (इत्यादि) में (शरई) झाड़-फूँक की अनुमती।

सत्रहवाँ: सईद बिन जुबैर रहि़महुल्लाह के कथनः (जिसने अपने ज्ञान के अनुसार अमल किया उसने अच्छा किया) से सलफ (पूर्वजों) के गहन व गूढ़ ज्ञान का पता चलता है, साथ ही साथ यह भी ज्ञात हुआ कि प्रथम ह़दीस़ द्वितीय ह़दीस़ की विरोधी नहीं है।

अट्ठारहवाँ: सलफ (पूवर्जों) का अकारण किसी की प्रशंसा से बचना।

उन्नीसवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का उकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु से यह कहनाः (तुम उन्हीं में से हो), नबूवत के चिन्हों मे से एक चिन्ह है।

बीसवाँ: इससे उक्काशा रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ज़ीलत व श्रेष्ठता भी सिद्ध हीती है (कि वह उन लोगों में से हैं जो बिना हिसाब व अज़ाब (यातना) जन्नत में जाएंगे)।

इक्कीसवाँ: इससे यह भी ज्ञात हुआ कि (आवश्यकतानुसार) संकेतों का प्रयोग करना जायज़ है (आप ने ऐसा इस लिए किया किः १- या तो वह व्यक्ति मुनाफ़िक़ (पाखण्डी) था, २- या फिर इस लिए कि कहीं ऐसा सिलसिला न चल निकले तथा इस बार वह भी प्रार्थना करने के लिए कहे जो इसका पात्र नहीं है)।

बाईसवाँ: इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के शिष्टाचार व अच्छे व्यवहार का भी पता चलता है।

४- शिर्क (बहुदेववादिता) से डरने का बयान

वास्तविक तौहीद के उल्लेख वाले अध्याय के पश्चात इस का उल्लेख क्यों किया है?

क्योंकि, कभी-कभी इंसान को लगता है कि उसने तौहीद को उसके वास्तविक रूप में अपना लिया है जब्कि ऐसा होता नहीं, अतः किसी को भी इस धोखे में नहीं रहना चाहिए।

क्योंकि, वास्तविक तौहीद वाले अध्याय के पश्चात अब प्रत्येक अध्याय उसी से संबंधित है, अतः शिर्क से डरना, तौहीद की दावत देना इसी प्रकार से पुस्तक के अंत तक सभी वास्तविक तौहीद से ही संबंध रखता है।

पहली तथा दूसरी दलील:

१-अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ (निःसंदेह अल्लाह तआला शिर्क को क्षमा नहीं करेगा, इसके अतिरिक्त जिस पाप को चाहेगा क्षमा कर देगा)।

२- और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने प्रार्थना किया था: ﴿ وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡبُدَ ٱلۡأَصۡنَامَ ﴾ (हे मेरे रब (पालनहार), मुझे तथा मेरी संतान को मूर्ति पूजन से बचा के रखना)।

हम शिर्क (बहुदेववादिता) से कैसे बच सकते हैं?

- तौहीद सीखने, उसके अनुसार कर्म करने, उसकी ओर दावत देने तथा उस पर सब्र (संयम) करने के द्वारा।
- अल्लाह तआला से दुआ (प्रार्थना) तथा सहायता मांगने के द्वारा।
- शिर्क तथा उसकी ओर ले जाने वाली चीजों का ज्ञान अर्जित करके, ताकि हम उससे बच सकें।
- शिर्क तथा मुश्रिकीन से बराअत व दूरी अपना करके कि कहीं हम भी उन्हीं में से न हो जाएं।

- यदि किसी की मृत्यु शिर्क करते हुए होती है तो अल्लाह तआला ऐसे व्यक्ति को कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि वह अल्लाह तआला के विशेषाधिकार तौहीद में कटौती करने का मुजरिम बनता है, अतः जिस व्यक्ति की मृत्यु शिर्क -ए- अकबर की हालत में हुई वह सदा नरक में रहेगा, और यदि शिर्क -ए- असगर करते हुए हुई हो तो वह अपने शिर्क के अनुसार नरक में रहेगा तत्पश्चात स्वर्ग में प्रवेश पाएगा, वह सदा नरक नहीं भोगेगा क्योंकि वह मोमिन है।

- ﴿وَٱجۡنُبۡنِي﴾: मुझे एक किनारे तथा मुर्तियों को पूजने वालों को दूसरे किनारे कर दे ताकि हमारे बीच उचित व अत्याधिक दूरी बनी रहे।
- ﴿ٱلۡأَصۡنَامَ﴾: स़नम (प्रतिमा), ऐसी चीज़ को कहते हैं जो मानव इत्यादि की आकृती में बनाई गई हो तथा जिसको अल्लाह के सिवाय पूजा जाता हो, जब्कि "वस़न" ऐसी किसी भी चीज़ को कहते हैं जिसकी अल्लाह के अलावा पूजा की जाती हो, अतः "वस़न" सर्वव्यापक है "स़नम" के विपरीत।
- जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम स्वयं के शिर्क में पड़ जाने का भय खा रहे हैं जोकि अल्लाह के मित्र तथा मुवह्हिदीन (एकेश्वरवादियों) के इमाम व गुरू हैं, तो हमारी क्या दशा होनी चाहिए? अतः हम स्वयं को शिर्क से सुरक्षित न समझें तथा न ही निफ़ाक़ (पाखण्ड) से, क्योंकि स्वयं को निफ़ाक़ से सुरक्षित समझने वाला मुनाफ़िक़ (पाखण्डी) ही होता है।

तीसरी, चौथी व पाँचवीं दलील:

३- हदीस़ में आया है कि:«أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ: الشِّرْكُ الأَصْغَرُ، فَسُئِلَ عَنْهُ؟ فَقَالَ: الرِّيَاءُ» : **"मुझे तुम्हारे ऊपर सर्वाधिक भय छोटे शिर्क का है, आप से इस के संबंध में पूछा गया तो आप ने फरमाया: रियाकारी (पाखण्ड)"।**

४- और अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو لله نِدًّا؛ دَخَلَ النَّارَ» **"जो इस स्थिति में मरे कि अल्लाह के साथ किसी और को साझी बनाता रहा वह नरक में जायेगा"**। इस हदीस़ को बुख़ारी ने रिवायत किया है।

५- तथा मुस्लिम में जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: **"जो अल्लाह तआला से इस हाल में मिले कि उस के संग किसी को शरीक व साझीदार नहीं बनाया हो तो वह स्वर्ग में जायेगा, तथा जो इस हालत में मिला कि उस के साथ शिर्क किया हो तो वह नरक में जायेगा"**।

- الرِّياء (रियाकारी, पाखण्ड): यह है कि इंसान अल्लाह की इबादत (उपासना) इस लिए करे कि कोई उसे देखे या सुने तो ऐसा करने पर उस की प्रशंसा करे कि वह बड़ा उपासक व तपस्वी है, न कि उसकी उपासना ही लोगों के लिए हो अन्यथा यह शिर्क -ए- अकबर हो जाएगी, किंतु यदि उसकी इस उपासना का उद्देश्य यह हो कि उसकी देखा-देखी लोग भी इबादत करने लगें तो यह रियाकारी नहीं होगी बल्कि यह अल्लाह की ओर दावत देना समझा जायेगा, तथा रियाकारी (पाखण्ड) का उपचार निम्नलिखित विधियों से किया जा सकता है:

1– तौहीद का पाठ करना, क्योंकि इसके द्वारा हृदय में अल्लाह की महानता व उसके प्रभुत्वशाली होने का बोध होता है और बंदा अल्लाह के सिवाय किसी और की परवाह करना छोड़ देता है।

२- दुआ (प्रार्थाना करना)।
३- इस बात का प्रयास करना कि सारे कर्म गुप्त रूप से बंदा तथा अल्लाह के मध्य ही रहें।
४- इस भय से कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए कि कहीं हम रियाकारी में न पड़ जाएं।
५- अधिकाधिक ऐसे नेक आमाल (सुकर्म) करना जो आख़िरत (परलोक) का स्मरण कराते हों, जैसे क़ब्रिस्तान (शमशान) का भ्रमण करना इसके भ्रमण की शर्तों का पालन करते हुए।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी उम्मत पर मसीह़ दज्जाल से भी अधिक रियाकारी (पाखण्ड) का भय क्यों खाते थे?

- क्योंकि दज्जाल का फित्ना (उपद्रव) सीमित समय के लिए (अंतिम युग में) होगा, जब्कि रियाकारी का फित्ना हर समय मौजूद है।
- क्योंकि दज्जाल का फित्ना ज़ाहिर व स्पष्ट होगा जब्कि रियाकारी का फित्ना गुप्त होता है।

रियाकारी (पाखण्ड) के प्रकार:

- मूल इबादत (उपासना) में हो: अर्थात कोई रियाकारी व दिखावा के लिए ही इबादत कर रहा हो, तो ऐसी इबादत बातिल व व्यर्थ है।
- वक़्ती (सामयिक) हो: अर्थात मूलरूप से उपासना उसने अल्लाह के लिए ही आरंभ किया था किंतु बाद में उस में रियाकारी व दिखावा शामिल हो गया।
  - इसी में लगा रहे: इसमें तफ़्सील व विस्तार है:
    - इबादत यदि ऐसी हो जिसके आरंभ का संबंध व जोड़ अंत से हो, जैसे नमाज़: तो सारी इबादत व्यर्थ एवं बातिल है।
    - इबादत यदि ऐसी हो जिसके प्रारंभ का संबंध व जोड़ अंत से न हो, जैसे ज़कात: तो केवल वह अंश व भाग बातिल एवं व्यर्थ होगा जिसमें रियाकारी व दिखावा था।
  - इसको दूर करे: यह हानि नहीं पहूँचाएगा क्योंकि उसने इसको दूर करने का प्रयास करके दूर किया, तथा उसकी इबादत सही है।
- इबादत (उपासना) समाप्त हो जाने के पश्चात हो: यह प्रभावित नहीं करेगा सिवाय इसके कि इसमें अत्याचार का समावेश हो, जैसे सदक़ा (दान) करने के पश्चात एहसान (उपकार) जतलाना व दुःख देना।

- «نِدًّا»: **निद्द**, मानिंद, समान तथा तुल्य को कहते हैं।
- «دَخَلَ النَّارَ»: यह अल्लाह के लिए निद्द (साझी) बनाने की सज़ा (दण्ड) है।
- «شَيْئًا» (किसी को भी): इसमें हरेक प्रकार का शिर्क शामिल है, यहाँ तक कि यदि सर्वोत्तम इंसान (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को भी यदि अल्लाह का साझी बनाता है तो वह जहन्नम में जाएगा।
- «وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ» (जो इस दशा में अल्लाह से मिले कि वह उसके साथ किसी और को उसका साझी बनाता हो तो वह नरक भोगेगा): शिर्क (बहुदेववादिता) यदि असग़र (छोटा) होगा तो वह सदा के लिए जहन्नम में नहीं रहेगा, किंतु शिर्क (बहुदेववादिता) यदि अकबर (बड़ा) होगा तो फिर ऐसा करने वाला सदा के लिए नरक भोगेगा।
- शिर्क का मामला बड़ा कठिन है लेकिन अल्लाह तआला अपने बंदों के लिए इख़्लास (निष्ठा) को सरल बना देता है, और वह इस प्रकार कि बंदा अल्लाह को ही अपना लक्ष्य व ध्येय बना लेता है, अतः वह अपने कर्म के द्वारा केवल अल्लाह को ही प्रसन्न करना चाहता है न कि इंसानों को, और न ही वह लोगों की प्रशंसा करने अथवा निंदा करने की परवाह करता है, क्योंकि मानव कभी भी उसको कोई भी लाभ नहीं पहूँचा सकता है।
- इसी प्रकार यह बिंदु भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि इंसान इस बात पर प्रसन्न न हो कि लोगों के बीच उस की बात इसलिए स्वीकार्य है कि वह उस के द्वारा कही गई बात है, बल्कि इस लिए प्रसन्न हो कि लोग उस की बात इस लिए स्वीकार करते हैं कि वह हक़ (सत्य) है न कि इसलिए कि वह उस की बात है या इस के विपरीत, क्योंकि इख़्लास़ (निष्ठा) की डगर बड़ी कठिन है, यह अलग बात है कि इंसान सच्चे तौर पर सीधे रास्ते पर चलते हुए अपना ध्येय केवल अल्लाह को प्रसन्न करना ही बनाए रखे तो ऐसी दशा में अल्लाह तआला भी उस की सहायता करता है और उस के लिए सुगमता एवं सरलता के उपाय कर देता

दुआ के दो प्रकार है:

दुआ -ए- मसअला (मांगी जाने वाली प्रार्थना):

और इसके भी दे प्रकार हैं:

दुआ -ए- इबादत (उपासना वाली दुआ): जैसे, कोई ग़ैरुल्लाह के लिए रोज़ा रखे (उपवास करे), नमाज़ पढ़े, या हज करे तो उसने कुफ्र किया।

जिस का सामर्थ्य (क़ुदरत व ताक़त) केवल अल्लाह के पास है: उस को ग़ैरुल्लाह (अल्लाह के अतिरिक्त कोई और) के लिए अंजाम देना शिर्क -ए- अकबर है, जैसे ग़ैरुल्लाह से संतान माँगना अथवा उससे पानी बरसाने की प्रार्थना करना।

जिस का सामर्थ्य (क़ुदरत व ताकत) मख़्लूक़ (बंदा) के पास भी है: यह चार शर्तों के साथ जायज़ है, कि जिससे मांगा जा रहा है, वह: जीवित हो, उपस्थित हो, समर्थ व सक्षम (क़ुदरत व ताकत रखता) हो और उससे केवल उसको एक कारण व सबब मान कर मांगा जा रहा हो।

शिर्क -ए- अकबर तथा शिर्क -ए- अस़ग़र के मध्य अंतर:

शिर्क -ए- अकबर

- इस्लामिक सीमा से बाहर कर देता है।
- सारे आमाल को बर्बाद कर देता है।
- जान व माल को हलाल कर देता है, बशर्ते कि उसका कार्यान्वयन मुस्लिम शासक की ओर से हो।
- सर्वदा जहन्नम में रहने का कारण है।
- इसको शरीअत में शिर्क –ए- अकबर कहा गया हो।
- शरई नुसूस (वैध ग्रंथ) में उल्लेखित शिर्क तथा कुफ्र शब्द पर अल (الْ) हो।
- यह आस्था रखे कि ग़ैरुल्लाह ब्रह्माण्ड में गुप्त रूप से फेर-बदल करने का अधिकार रखता है।

शिर्क -ए- अस़ग़र

- इस्लामिक सीमा से बाहर नहीं करता है।
- सारे आमाल को बर्बाद नहीं करता है।
- जान व माल को हलाल नहीं करता है।
- सर्वदा जहन्नम में रहने का कारण नहीं बनता है।
- इसको शरीअत में शिर्क –ए- अस़ग़र कहा गया हो।
- प्रत्येक वह चीज जो शिर्क -ए- अकबर तक पहुँचने का कारण बने।
- शरई नुसूस (वैध ग्रंथ) में उल्लेखित शिर्क तथा कुफ्र शब्द पर अल (الْ) दाखिल न हो।

मसाइलः

पहलाः शिर्क से भयभीत रहना चाहिए।

दूसराः रियाकारी व दिखावा करना शिर्क है।

तीसराः रियाकारी व दिखावा (पाखण्ड) करना शिर्क -ए- अस़ग़र (छोटा शिर्क) है (अर्थात रियाकारी व दिखावा की थोड़ी सी मात्रा शिर्क -ए- अस़ग़र है)।

चौथाः रियाकारी व दिखावा का भय सर्वाधिक नेक लोगों पर होता है (क्योंकि यह लोगों कि दिलों में ग़ैर इरादि तौर अर्थात अनेच्छिक रूप से तथा अवचेतन में घुस जाता है इस के गुप्त होने तथा लोगों का इस के लिए लालायित रहने के कारण, क्योंकि अधिकांश लोगों की इच्छा होती है कि इबादत व उपासना करने पर उस की प्रशंसा की जाए)।

पाँचवांः जन्नत और जहन्नम (स्वर्ग तथा नरक) का समीप होना।

छठाः दोनों की समीपता का एक ही ह़दीस़ में उल्लेख करना।

सातवांः जो शिर्क करते हुए मरेगा वह नरक में प्रवेश करेगा यद्यपि वह कितना बड़ा ही इबादत गुज़ार व उपासक तथा तपस्वी क्यों न हो (यदि यह शिर्क -ए- अकबर होगा तो वह कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा, किंतु यदि यह शिर्क, अस़ग़र (छोटा) हो तो अपने पापों के अनुसार यातना भुगतने के पश्चात जन्नत में प्रवेश करेगा)।

आठवांः सबसे बड़ी बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम का स्वयं तथा अपनी संतान के लिए शिर्क (बहुदेववादिता) से सुरक्षा की प्रार्थना करना है। (अतः हमें भी इसकी संगीनी नहीं भूलनी चाहिए)।

नौवांः इब्राहीम अलैहिस्सलाम नेः ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾ (हे मेरे रब (पालनहार) इन मूर्तियों ने हम में से अधिकांश लोगों को गुमराह (पथभ्रष्ट) कर दिया है) कह कर अधिकतर लोगों की स्थिति से सीख ली है।

दसवांः इमाम बुख़ारी रहिमहुल्लाह के कथन के अनुसार इस में "ला इलाहा इल्लल्लाह" की तफ़्सीर व व्याख्या है।

ग्यारह्वांः इस अध्याय के द्वारा शिर्क से बचने वालों की फ़ज़ीलत व प्रधानता भी प्रमाणित होती है (कि ऐसा करने वाला जन्नत में प्रवेश करेगा)।

५- "ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही के लिए आमंत्रण देने का अध्याय

लेखक रह़िमहुल्लाह ने यह अध्याय क्यों बाँधा है?

1- जब व्यक्ति के स्वयं तौह़ीद पर अमल कर लेने का उल्लेख कर चुके तो अन्य को भी इसकी ओर आमंत्रण देने का उल्लेख किया है क्योंकि ईमान उसी समय पूर्ण हो सकता है जब वह दूसरों को भी तौह़ीद की दावत दे, अतः तौह़ीद पर स्वयं अमल करने के साथ-साथ दूसरों को भी इसकी दावत देना आवश्यक है ताकि ईमान पूर्ण हो अन्यथा ईमान अपूर्ण रहेगा।

२- यह उन लोगों का खंडन है जो कहते हैं कि सर्वप्रथम नमाज़ की दावत दी जाएगी न कि तौह़ीद की।

पहली दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى﴾ (आप कह दिजीये, यही मेरा मार्ग है, मैं अल्लाह की ओर बुलाता हूँ, मैं स्वयं भी पूर्ण प्रकाश में हूँ तथा मेरे अनुयायी भी)।

- ﴿سَبِيلِىٓ﴾: मेरा तरीका, ढ़ंग एवं रास्ताः और इस में आप की लाई हुई शरीअत की प्रत्येक चीज़ सम्मिलित है, चाहे उसका संबंध इबादत एवं उपासना से हो अथवा अल्लाह की ओर दावत देने से।
- ﴿إِلَى ٱللَّهِ﴾: दाई (प्रचारक) के दो प्रकार हैं: १- अल्लाह की ओर दावत देने वाले। २- ग़ैरुल्लाह की ओर दावत देने वाले।
- ﴿عَلَىٰ بَصِيرَةٍ﴾: इस में सम्मिलित है: १- शरीअत का इल्म व ज्ञान। २- दावत दिए जाने वाले लोगों की परिस्थिति का सटीक आकलन। ३- हिकमत (तत्वदर्शिता)।
- **अल्लाह की ओर दावत देने की शर्तें:**

१- इख़्लास़ (निष्ठा)। २- शरई इल्म। ३- हिकमत (तत्वदर्शिता)। ४- दावत दिए जाने वाले लोगों की हालत का ज्ञान। ५- सब्र एवं संयम।

दूसरी दलील:

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है वह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन भेजा तो उनसे कहा: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ – وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ – فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ؛ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ،

فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ» "तुम एक अहले किताब के पास जा रहे हो, अतः सर्वप्रथम उन्हें "ला इलाहा इल्लल्लाह" का इक़रार करने की ओर बुलाना -तथा एक अन्य ह़दीस़ में है कि अल्लाह के एक अकेला (अद्वैत) होने की ओर बुलाना, यदि वो तुम्हारी बात मान लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह तआला ने तुम पर रात-दिन में पाँच नमाज़ें अनिवार्य कर दी हैं, यदि वो तुम्हारी यह बात भी मान लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह तआला ने तुम पर सदका (दान) देना अनिवार्य कर दिया है जो उनके धनी लोगों से ले कर निर्धनों पर खर्च किया जाएगा, फिर यदि वो आपकी यह बात भी स्वीकार कर लें तो उनके उत्तम व अच्छे धन को ले लेने से बचना, तथा सताये हुए की हाय व बद्दुआ से बचना क्योंकि उसके तथा अललाह के बीच कोई आड़ नहीं होती"। इसे बुख़ारी तथा मुस्लिम ने रिवायत किया है।

- **इस ह़दीस़ में:**

1- दाई को सिखलाने (शिक्षित करने) तथा उसे अल्लाह तआला की ओर दावत देने के लिए भेजने के मशरूअ (धर्मशास्त्र) होने का प्रमाण।

2- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने केवल एक व्यक्ति को भेजा था, जिस से ख़बर -ए- वाह़िद (एक अकेला की सूचना) को सच मानने एवं स्वीकार करने का प्रमाण मिलता है।

3- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कोई समय सीमा तय नहीं की, ताकि उनकी आवश्यकतानुसार जब तक चाहें वह उन के पास ठहरे रहें।

4- विरोधियों को दावत देने का ढ़ंग भी ज्ञात हुआ, और सरलतम ढ़ंग यह है कि उन्हें तौह़ीद की ओर बुलाया जाए न कि मुनाज़िरह तथा वाद-विवाद की ओर।

5- सिर्फ इसलाम की दावत देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसलाम स्वीकार करने के पश्चात उन पर क्या-क्या अनिवार्य होगा उनके विषय में भी बताया जाए ताकि उनको संतुष्टि हो तथा वह उसके अनुसार कर्म करें, किंतु यह सब क्रमबद्ध रुप से होगा जैसाकि मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु वाली ह़दीस़ में वर्णित है।

तीसरी दलील:

बुख़ारी एवं मुस्लिम ही में सह्ल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु कि रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ख़ैबर के दिन फरमाया:

«لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ»،

فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ، أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحُوا غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: «**أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟**»، فَقِيلَ: هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأُتِيَ بِهِ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ؛ فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ: «**انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فِيهِ، فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ**». «يَدُوكُونَ»؛ أَيْ: يَخُوضُونَ، **"कल मैं एक ऐसे व्यक्ति को झण्डा दूँगा जो अल्लाह तआला तथा उस के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से प्रेम करता है तथा अल्लाह तआला एवं उसके रसूल भी उस से प्रेम करते हैं, अल्लाह तआला उसके द्वारा विजय देगा, लोग (सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम) रात भर सोच-विचार करते रहे कि झण्डा किसे दिया जायेगा, तथा सवेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास इस आशा के साथ आए कि झंडा उसे ही दिया जाएगा, आपने प्रश्न किया: अली बिन अबू तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहाँ हैं? लोगों ने बताया कि उनकी आँखों में तक्लीफ है, उन्हें बुला कर लाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनकी आँख में थूक लगाया और उनके लिए दुआ किया तो वह ऐसे स्वस्थ हो गए कि मानो उन्हें कोई पीड़ा थी ही नहीं, आप ने उन्हें झण्डा दिया तथा कहा: आराम से चले जाओ तथा जब उनके क्षेत्र में पहुँचो तो उन्हें इसलाम की ओर बुलाओ तथा उन पर अल्लाह का जो हक़ है वह बताओ, अल्लाह की सौगंध, यदि तुम्हारे द्वारा अल्लाह तआला ने एक व्यक्ति को भी हिदायत (मार्ग दर्शन) दे दिया तो तुम्हारे लिए यह लाल ऊँट से उत्तम है"।**

«يَدُوكُونَ»: का अर्थ है: गहन सोच-विचार करना।

- अल्लाह तआला के लिए सिफत -ए- मुहब्बत (प्रेम करने की विशेषता एवं गुण) का प्रमाण कि अल्लाह तआला प्रेम करता है तथा उससे भी प्रेम किया जाता है किंतु उसका प्रेम करना मख़लूक़ (बंदा) के प्रेम करने के समान नहीं है।
- किसी विशेष फ़ज़ीलत एवं प्रधानता के साबित होने से किसी व्यक्ति के साधारणतः एवं व्यापक रूप से फ़ाज़िल एवं प्रधान होना साबित नहीं होता है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के विषय में कहना कि: "वह इस उम्मत के अमीन एवं धरोहर हैं" इससे यह साबित नहीं होता है कि वह समस्त सहाबा से उत्तम हैं, इसी प्रकार मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु का मामला है।
- «حُمْرِ النَّعَمِ»: यह लाल ऊँट को कहते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसका उल्लेख इसलिए किया क्योंकि यह अरब के निकट बड़ी प्रिय वस्तु समझी जाती थी।

चमत्कार के चार प्रकार हैं: और चमत्कार कहते हैं सामान्य स्वाभाव से हटकर घटित होने वाली घटना, जैसे कोई हवा में उड़ने लगे अथवा पानी पर चलने लगे:

१- आयत: यह नबियों के लिए होता है और इसे मोजज़ा नहीं कहा जायेगा क्योंकि क़ुरआन में इसे आयत ही कहा गया है, क्योंकि मोजज़ा वह होता है जिसके करने से कुछ लोग आजिज़ (असमर्थ) हों तथा यह नबियों के अतिरिक्त किसी और के लिए भी हो सकता है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मृत्यु के पश्चात किसी आयत का दावा करना असंभव है।

२- करामत: यह अल्लाह तआला के उन वलियों तथा मित्रों के लिए होता है जिन्होंने ईमान तथा तक़वा (इंद्रियनिग्रह) को अपनाया, करामत के उदाहरणस्वरूप अस्हाब -ए- कहफ (गुफा वाले) का वृत्तांत (किस्सा, कथा) मौजूद है।

मोजज़ा अथवा फित्ना: यह शैतान के चेलों के लिए होता है, ऐसे लोगों को देख कर इसका अनुमान हम सरलता के साथ इस प्रकार के लोगों की दशा देख कर लगा सकते हैं कि ऐसे लोगों के पास न ईमान होता है न तक़्वा, इसका उदाहरण वह है जो दज्जाल को प्राप्त होगा।

४- फजीहत (फजीता, अपयश): हरेक वह व्यक्ति जो अल्लाह पर झूठ बाँधता है अल्लाह तआला परलोक के पूर्व इस लोक में ही उस की फजीहत कर देता है, इसका उदाहरण वह है जो मुसैलमा कज़्ज़ाब (अत्यंत झूठा) के साथ पेश आया था कि उसने एक व्यक्ति की आँख में फूँक मारा तो वह अंधा हो गया।

मसाईल

पहला: अल्लाह की ओर बुलाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अनुयायियों की रीति है (रसूलों तथा उनके पैरोकारों की)।

दूसरा: इख़्लास़ (निष्ठा) पर सचेत करना, क्योंकि अधिकांश लोग यद्यपि हक़ व सत्य की दावत दे रहे होते हैं तथापि वह लोगों को स्वयं की ओर दावत दे रहे होते हैं।

तीसरा: सूझ-बूझ के साथ दावत का कार्य करना अनिवार्य है (चूँकि दावत का कार्य करना फर्ज है, अत: उससे संबंधित ज्ञान अर्जित करना भी फर्ज होगा)।

चौथा: तौह़ीद की ख़ूबी एवं विशेषता यह है कि यह अल्लाह को हर प्रकार के दोष एवं त्रुटि से बरी व पाक मानती है।

पाँचवां: शिर्क की बुराई यह है कि यह अल्लाह को दूषित एवं त्रुटिपूर्ण बनाती है (और मुवह्हिद (एकेश्वरवादि) अल्लाह तआला को हर प्रकार के दोष से पाक मानता है)।

छठा: इस अध्याय का अत्यंत महत्वपूर्ण एक मसला यह है कि मुसलमान को मुश्रिक से दूर रहना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि शिर्क न करने के बावजूद भी कहीं वह उन्हीं में से न हो जाए (क्योंकि उनके साथ रहने के कारण यद्यपि वह शिर्क न करता हो तथापि प्रथम दृष्टया में वह उन्हीं के साथ समझा जाएगा)।

सातवाँ: तौह़ीद (एकेश्वरवाद, अद्वैत)सर्वोपरि, प्रथम एवं परम कर्तव्य है।

आठवाँ: सर्वप्रथम यहाँ तक कि नमाज़ से भी पहले, इसी तौह़ीद की दावत दी जाएगी।

नौवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फरमान: «أَنْ يُوَحِّدُوا اللّٰهَ» (कि वो अल्लाह तआला को एक अकेला मानें) तथा कलमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही, दोनों का अर्थ एक ही है।

दसवाँ: इंसान कभी अहले किताब (यहूदी एवं ईसाई) में से होते हुए भी किताब (अर्थात तौह़ीद) को तो अच्छी तरह नहीं जानता है या जानता है तो उसके अनुसार कर्म नहीं करता है।

ग्यारह्वाँ: धीरे-धीरे क्रमबद्ध ढ़ंग से शिक्षा देने की ओर ध्यानाकर्षण।

बारह्वाँ: सर्वप्रथम श्रेष्ठतम तत्पश्चात श्रेष्ठ (अति महत्वपूर्ण फिर महत्वपूर्ण) इस प्रकार आरंभ करना चाहिए (सर्वप्रथम तौह़ीद तत्पश्चात नमाज़ तदोपरांत ज़कात)।

तेरह्वाँ: ज़कात (देय दान) किसे देना चाहिए (उसके आठ प्रकार हैं)।

चौदह्वाँ: शिक्षक का शिक्षार्थी (छात्र) की शंकाओं का निवारण करना (उसे ज्ञान दे कर तथा उससे अज्ञानता को दूर करके)।

पंद्रह्वाँ: सर्वोत्तम व अच्छा धन लेना निषिद्ध एवं वर्जित है।

सोलह्वाँ: मज़लूम (पिड़ित, त्रस्त) की बद्दुआ (शाप, हाय) से बचना।

सत्रह्वाँ: इसकी सूचना कि मज़लूम की बद्दुआ रोकी नहीं जाती (अर्थात तरग़ीब व तरहीब -रुचि पैदा करना तथा भय दिलाना- दोनों का उल्लेख एक साथ किया है)।

अट्ठारह्वाँ: रसूलों के सरदार (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तथा वलियों के मुखिया (स़हाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम) को जो दु:खों, भूख एवं रोगों का सामना करना पड़ा वह तौह़ीद के प्रमाण में से है (उदाहरणस्वरूप ख़ैबर की घटना को देखा जा सकता है)।

उन्नीसवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन कि: "**कल मैं झण्डा ऐसे व्यक्ति को दूँगा...**" नबूवत के प्रमाणों में से एक प्रमाण है।

बीसवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अली रज़ियल्लाहु अन्हु की आँख में थुकथुकाना (तथा उनका ठीक हो जाना) भी नबूवत के प्रमाणों में से एक प्रमाण है।

इक्कीसवाँ: इससे अली रज़ियल्लाहु अन्हु की श्रेष्ठता भी सिद्ध होती है (यह अमीरुल मोमिनीन -मोमिनों के मुखिया व सरदार- रज़ियल्लाहु अन्हु के मनकबत (फ़ज़ीलत) में से है)।

बाईसवाँ: इससे स़हाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की श्रेष्ठता भी सिद्ध होती है कि वह रात भर गहन सोच-विचार करते रहे कि यहाँ तक कि विजय की शुभ-सूचना भी भूल गए।

तेईसवाँ: तक़दीर (भाग्य) पर ईमान कि जिसने इसे पाने के लिए रात भर प्रयास किया उसे नहीं मिला तथा जिसने प्रयत्न नहीं किया उसे मिल गया।

चौबीसवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथन "**शांति पूर्वक जाओ**" में (लड़ाई) का शिष्टाचार है (कि आपने जल्दी करने के स्थान पर शांति के साथ जाने का आदेश दिया)।

पच्चीसवाँ: युद्ध आरंभ करने के पूर्व इस्लाम की दावत देना।

छब्बीसवाँ: इसलाम का आमंत्रण देना चाहे इसके पूर्व उसे आमंत्रण दिया जा चुका हो तथा उनसे लड़ाई हो चुकी हो।

सत्ताईसवाँ: सूझ-बूझ से दावत देना क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**उनके ऊपर जो अनिवार्य होता है उन्हें बता देना**" (क्योंकि हो सकता है कि वह इसलाम पर अमल करें या न करें, अतः उनसे संधि लेना आवश्यक है ताकि वह मुर्तद -इसलाम से फिर जाना- न हो जाएं)।

अट्ठाईसवाँ: मुसलमान होकर इसलाम मे अल्लाह के ह़क़ (अधिकार) का ज्ञान।

उन्तीसवाँ: जिसके हाथ पर एक आदमी भी मुसलमान हो जाए उसका सवाब (फल) (कि यह संसार में सर्वोत्तम मानी जाने वाली वस्तुओं से भी बढ़ कर है)।

तीसवाँ: फत्वा (शास्त्रीय आदेश) पर सौगंध खाना (किसी लाभ या मसलेहत के बिना फत्वा पर सौगंध खाना मुनासिब नहीं है)।

(फत्वाः इसलाम से जुड़े किसी मसले पर क़ुरान और ह़दीस़ की रौशनी में जो हुक्म जारी किया जाता है वह फ़त्वा कहलाता है)।

पहले पाठ से परीक्षा (५ अध्याय)

प्रथम प्रश्नः किताबुत तौहीद के प्रारंभिक पाँच अध्याय का उल्लेख करें, तथा प्रत्येक अध्याय का पुस्तक से संबंध भी स्पष्ट करें:

अध्याय का शीर्षक	लेखक का इस अध्याय में इसे उल्लेख करने का कारण	क्र. सं.
....	....	1
....	....	2
....	....	3
....	....	4
....	....	5

द्वीतीय प्रश्नः उचित शब्दों द्वारा वाक्य पूर्ण करेः

1- हमें कई कारणों से किताबुत तौहीद का पठन करना चाहिए, जैसेः 1- .... 2- .... 3- .... 4- .... 5- ....

2- लेखक महोदय ने पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकिः १-.. २- .... ३- ....

3- हम किताबुत तौहीद को इतने भागों में खण्डित कर सकते हैं: १-.............................. 2- .... 3- ....4- .... 5- ....6- ....7- .... 8- ....9- .... 10- ....

4- जो लोग कहते हैं कि कुताबुत तौहीद में केवल उलूहियत का उल्लेख है, हम उनका खंडन इन अध्यायों के द्वारा करेंगे: अध्याय .... तथा अध्याय .... तथा अध्याय ....

5- उबूदियत (उपासना) के प्रकार हैं: उबूदियत -ए- .... तथा इसका अर्थ है ....
और इसका प्रमाण हैः ....
२- उबूदियत -ए- .... जिसका अर्थ है .... इसका प्रमाण हैः ....
३- उबूदियत -ए- .... जिसका अर्थ है .... इसका प्रमाण हैः ....

6- जिन प्राणों को क़त्ल करने से अल्लाह ने रोका है, वह चार हैं: ...., ..., ..., ...

7- इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने आयत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वसीयत इस लिए कहा है किः ....

8- "उम्मत" शब्द के क़ुरआन में कई अर्थ हैं: .... या .... या .... या ....

9- वास्तविक तौहीद अर्थातः उसको .... तथा ....तथा ....

10- यह उम्मत दूसरी उम्मतों के विपरीत सर्वाधिक हैः .... तथा ....

11- किसी विशेष प्रधानता के कारण .... प्रधान होने को प्रमाणित नहीं करता है।

12- "**केवल बुरी नज़र में ही झाड़-फूँक किया जाएगा**" अर्थातः ....

13- किसी से झाड़-फूँक करवाने या दागने के द्वारा उपचार करने को निषेध करने का कदाचित यह अर्थ नहीं है कि डॉक्टरों के पास नहीं जाया जाए, क्योंकि ....

14- ﴿لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ﴾: अर्थात: .... ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ﴾: अर्थात: ....

15- ﴿رُوحٌ مِّنْهُ﴾ : अर्थात: .... ﴿كَلِمَتُهُ﴾: अर्थात: ....

16- जिसका संबंध अल्लाह तआला ने स्वयं से जोड़ा है उसके दो प्रकार हैं: इज़ाफत -ए- .... जोकि .... २- इज़ाफत -ए- .... जोकि ....

17- नबी का कथन: "**उक्काशा तुम पर बढ़त ले गया**" ताकि .... या ....

18- ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟﴾: अर्थात: .... ﴿بِظُلْمٍ﴾: अर्थात: ....

19- शिर्क से हम कैसे बच सकते हैं: १- .... २- ....

3- …………………………………………….. 4- ……………………………………………….

20- "**इसके द्वारा अल्लाह तआला की प्रसन्नता चाहता हो**" अर्थात: .... तथा इस में अल्लाह की एक सिफत (विशेषता, गुण) .... का प्रमाण है।

21- अल्लाह की ओर दावत देने की शर्तें: १- .... २- .... ३- .... ४- .... ५- ....

22- चमत्कार: १- .... तथा यह .... २- .... यह .... ३- .... यह .... ४- .... यह ....

23- लेखक रहिमहुल्लाह ने कहा है कि: (झाड़-फूँक अथवा दागने के लिए किसी को कहने को छोड़ना वास्तविक तौहीद में से है) और अकशगुन का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि अपशकुन लेना: ....

तृतीय प्रश्न: निम्नांकित तालिका में रिया के प्रकार को भरें:

मूल इबादत (उपासना) में हो, अर्थात: ....

वक़्ती (सामयिक) हो: अर्थात:.......... ....

इबादत समाप्त होने के पश्चात हो: यह: ....

:..................
इसमें तफ्सील व विस्तार है:

:...............
यह हानिकारक नहीं तथा इबादत सही है।

:.................................
इसका हुक्म: ....

:.................................
इसका हुक्म:.............................

चतुर्थ प्रश्नः (☒) का चिह्न उचित स्थान पर लगाएं अथवा वाक्य पूर्ण करें:	
1-	किताबुत तौहीद के लेखक हैं: ☐ इब्ने उसैमीन ☐ मुहम्मद बिन अब्दुल वहहाब तमीमी।
2-	उलेमा ने नसीहत (सदुपदेश) की हैः ☐ पठन प्रारंभ करने के पूर्व मुतून (पुस्तक का मूल लेख) कंठस्थ करना ☐ कंठस्थ करने का कोई लाभ नहीं है महत्वूर्ण यह है कि इसे समझा जाए।
3-	﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ (जिन्हें हमने किताब दी है तथा वो लोग उसे इस तरह पढ़ते रहते हैं जैसे पढ़न का हक़ है) इस आयत से पता चलता है कि छात्र किसी भी ज्ञान को उसे संपूर्ण रूप से अर्जित कर लेने के पूर्व न छोड़ेः ☐ सत्य ☐ असत्य।
4-	उलेमा ने काफी प्रयास करने के बावजूद किताबुत तौहीद में कोई मुंकर हदीस़ नहीं पाईः ☐ सत्य ☐ असत्य।
5-	उलेमा चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो जाएं, वह मासूम नहीं हो सकतेः ☐ सत्य ☐ असत्य।
6-	शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वहहाब रहिमहुल्लाह द्वारा रचित पुस्तकें हैं: ☐ कश्फ अल-शुबुहात ☐ मसाइल अल-जाहिलिया ☐ मुख़्तस़र अल-सीरत ☐ उसूल अल-ईमान ☐ उपरोक्त सभी।
7-	किताबुत तौहीद के अध्यायों की संख्या हैः ☐ ६७ ☐ ७६ ☐ १०।
8-	आप जब कोई पुस्तक खरीदें तो उसे मोटे (सरसरी) तौर पर पढ़े बिना, अथवा कम से कम उसकी प्रस्तावना, विषय सूची तथा चुनिंदा स्थानों से पढ़े बिना अपनी पुस्तकालय में न रखेः ☐ सही ☐ गलत।
9-	किताबुत तौहीद को इतने भागों में विभाजित करना संभव हैः ☐ ११ भाग ☐ ९ भाग ☐ १० भाग।
10-	सर्वाधिक लाभदायक पुस्तक वह है जो अहकाम की इल्लत (आदेश का कारण), मसाइल के इसरार (मसले के भेद) तथा इस्तिदलाल (प्रमाणों से मसला समझने की क्षमता) के अनुरूप तैयार की गई हो, जैसे कि किताबुत तौहीदः ☐ सही ☐ गलत।
11-	इल्म (ज्ञान) कहते हैं: जमा एवं विभाजित (जोड़-घटाव) करने को, आज़माने या समानता देखने तथा खण्डित करने को ☐ सही ☐ गलत।
12-	उलेमा द्वारा उल्लेखित परिभाषा, प्रकार तथा अंतर को अवश्य याद करना चाहिएः ☐ सही ☐ गलत।
13-	किताबुत तौहीद की पहली किस्म हैः ☐ प्राक्कथन ☐ तौहीद की तफ्सीर तथा व्याख्या ☐ तौहीद के वाजिब एवं अनिवार्य होने का अध्याय।
14-	लेखक रहिमहुल्लाह ने प्राक्कथन तथा समाप्ति में इमाम बुख़ारी रहिमहुल्लाह के ढ़ंग को अपनाया हैः ☐ सही ☐ गलत।

15-	लेखक महोदय ने प्रथम अध्याय का कोई नामकरण नहीं किया है, किंतु संभव है कि हम उसे: प्रस्तावना के लिए आरक्षित अध्याय कह सकें: ☐ सही ☐ गलत।
16-	पुस्तक का पहला खण्ड आधारित है: ☐ ५ अध्याय पर ☐ ६ अध्याय पर ☐ ७ अध्याय पर।
17-	तौहीद के प्रकार हैं: ☐ रुबूबियत, उलूहियत तथा असमा व सिफात ☐ मारिफ़त व इस्बात तथा इरादा व क़स्द ☐ उपरोक्त सभी, इनमें कोई अंतर नहीं है।
18-	जिसने तौहीद के सभी प्रकारों को छोड़ कर केवल एक प्रकार को अपनाया वह मुवहिहद (एकेश्वरवादी) नहीं कहला सकता: ☐ सही ☐ गलत।
19-	तौहीद को कई भागों में विभाजित करना बिदअत (नवाचार) है,क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है: ☐ सही ☐ गलत।
20-	तौहीद का ईमान से संबंध इस प्रकार है कि ईमान आम (व्यापक) है तथा तौहीद उसका एक अंश है: ☐ सही ☐ गलत।
21-	"ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही के रुक्न (स्तंभ) हैं: ☐ दो ☐ आठ ☐ सात।
22-	अल्लाह तआला को ब्रह्माण्ड का प्रबंध करने तथा वर्षा कराने में अकेला मानना, यह तौहीद -ए-: ☐ उलूहियत है ☐ रुबूबियत है ☐ असमा व सिफात है।
23-	तौहीद की मूल भावना के विपरीत है: ☐ शिर्क -ए- अकबर ☐ शिर्क -ए- असग़र ☐ बिदअत।
24-	वाजिबात में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाजिब है मातृ-पिता के साथ अच्छा बर्ताव करना: ☐ सही ☐ गलत।
25-	हराम कार्यों में सबसे संगीन हराम कार्य है व्यभिचार करना तथा उसे कत्ल करना जिसे मारना अल्लाह तआला ने वर्जित किया है: ☐ सही ☐ गलत।
26-	इबादत आधारित है: ☐ दो चीजों पर ☐ केवल एक चीज पर।
27-	(इबादत एक ऐसा व्यापक शब्द है जो ...) यह कथन है: ☐ इब्ने क़ैय्यिम का ☐ इब्ने तैमीय्या का।
28-	सही यह है कि: (बिना किसी ...) ☐ कैफियत एवं समानता के ☐ कैफियत एवं तुलना के ☐ सभी, इनमें कोई अंतर नहीं है।
29-	क़ुरआन की प्रत्येक आयत तौहीद पर आधारित है: ☐ सही ☐ गलत।
30-	इंसानों तथा जिन्नों (मानवों तथा दानवों) की रचना का भी वही उद्देश्य है जो पशु की रचना का उद्देश्य है: ☐ सही ☐ गलत।
31-	﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ﴾ इसमें अधिकतर कठिनाई होती है: ☐ समझने में ☐ कर्म करने में।
32-	जिन्न पाबंद हैं: ☐ ईमान लाने के ☐ ईमान लाने तथा शरीअत पर चलने के।

33-	उम्मत का अर्थ है: ☐ इमाम ☐ मिल्लत (समुदाय) ☐ युग ☐ जमात (गिरोह) ☐ उपरोक्त सभी।
34-	﴿ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا ﴾ (हमने प्रत्येक उम्मत में रसूल भेजा): (☐ आदम ☐ नूह) के युग से लेकर (☐ ईसा ☐ मुहम्मद) के युग तक, तथा उनको रसूल बनाकर भेजने की हिकमत थी: ☐ हुज्जत क़ायम करना ☐ रहमत ☐ अल्लाह के तरीक़ा को बयान करना ☐ उपरोक्त सभी।
35-	ये बुत (मूर्तियाँ) उन ताग़ूत में से हैं जिनकी अल्लाह के सिवा पूजा की जाती है: ☐ सही ☐ गलत।
36-	ताग़ूत में से हाकिम का उदाहरण वो शासक हैं जो अल्लाह की इबादत से बाहर हैं: ☐ सही ☐ गलत।
37-	जिसकी अल्लाह के सिवाय इबादत की जाए तथा वह उससे प्रसन्न न हो: ☐ वह ताग़ूत है ☐ वह ताग़ूत नहीं है।
38-	किताबुत तौहीद की दूसरी आयत इस इजमाअ (किसी मसले पर एक मत होना) को दर्शाती है कि सारे रसूल तौहीद की दावत देनेके लिए ही भेजे गए थे: ☐ सही ☐ गलत।
39-	लेखक महोदय के कथन: (आयत अथवा आयात) का अर्थ है: (आयत या आयात को पूर्ण करें): ☐ सही ☐ गलत।
40-	क़ज़ा (फैसला), हुक्म और इरादा के दो प्रकार हैं: कौनी और शरई: ☐ सही ☐ गलत।
41-	क़ज़ा -ए- (☐ कौनी ☐ शरई) में से है वह चीज जिसको अल्लाह एक ओर से पसंद करता है तो दूसरे छोर से नापसंद करता है।
42-	﴿وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ فِي ٱلْكِتَٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ यह क़ज़ा -ए- ☐ कौनी है ☐ शरई है।
43-	समस्त जानवर अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं सिवाय छिपकली के: ☐ सही ☐ गलत।
44-	उबूदियत के प्रकार हैं: ☐ २ ☐ ३। पक्षियों का अल्लाह की तस्बीह बयान करना यह उबूदियत है: ☐ क़हर (प्रभुत्व) वाली ☐ फरमाँबरदारी वाली।
45-	मुश्रिकीन भी अल्लाह की थोड़ी सी उपासना करते हैं: ☐ सही ☐ गलत।
46-	इबादत (उपासना) केवल ज़ुबान व शारीरिक अंगों के द्वारा ही हो सकती है: ☐ सही ☐ गलत।
47-	﴿وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا﴾ (उसके संग किसी को साझी न बनाओ) यह हरेक के लिए आम है चाहे वह नबी, फरिश्ता, वली (संत) हो बल्कि संसार की कोई भी चीज हो: ☐ सही ☐ गलत।
48-	बशारत उस सूचना को कहते हैं जो प्रसन्न करने वाली हो न कि अप्रसन्न करने वाली: ☐ सही ☐ गलत।
49-	वह जान जिसको क़त्ल करना अल्लाह तआला ने हराम (वर्जित) किया है वह निम्नांकित हैं: ☐ मुस्लिम ☐ ज़िम्मी ☐ मुआहद ☐ मुस्तामिन ☐ समस्त।
50-	क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वसीयत की थी? ☐ हाँ ☐ नहीं।
51-	इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का कथन: (यह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वसीयत है)

	क्योंकि: ☐ यह दीन के समस्त मामले को सम्मिलित है ☐ यह अल्लाह की वसीयत है ☐ उपरोक्त सभी।
52-	अल्लाह पर बंदों का हक़: ☐ बाजिब हक़ है ☐ यह अल्लाह की ओर से बंदों पर एहसान (अनुग्रह) है।
53-	(अल्लाह व उसके रसूल अधिक जानते हैं) ऐसा कहा जाएगा: ☐ जबतक आप जीवित थे ☐ किसी भी समय।
54-	नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बशारत (शुभ सूचना) देने से इसलिए रोका था कि कहीं वो: ☐ एक दूसरे से प्रतिद्वंद्विता न करने लगें ☐ उसी पर भरोसा न करने लगें ☐ सभी, तथा मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनका विरोध किया? ☐ हाँ ☐ नहीं, इसलिए कि किसी भी हाल में ज्ञान छुपाना जायेज़ नहीं: ☐ सही ☐ गलत।
55-	क्या यह हुक्म केवल मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ ख़ास है? ☐ सही ☐ गलत।
56-	किसी चीज की फ़ज़ीलत (प्रधानता) प्रमाणित होने से यह लाज़िम नहीं आता है कि वह वाजिब न हो: ☐ सही ☐ गलत।
57-	﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحۡدَهُ ٱشۡمَأَزَّتۡ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِۖ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦٓ إِذَا هُمۡ يَسۡتَبۡشِرُونَ ﴾ (जब अल्लाह अकेले का ज़िक्र किया जाए तो उन लोगों के दिल नफरत करने लगते हैं जो आख़िरत (परलोक) पर यकीन नहीं रखते और जब उसके सिवाय (और का) ज़िक्र किया जाए तो उनके दिल ख़ुश हो जाते हैं) यह अध्याय संख्या ... पर बिल्कुल फिट आता है: ☐ २ ☐ ५ ☐ ४।
58-	जिसका संबंध अल्लाह ने स्वयं से जोड़ा है उसके प्रकार हैं: ☐ दो ☐ तीन।
59-	सबसे बड़ा जुल्म किसी इंसान का दूसरे की जान, माल या इज्जत पर जुल्म करना है: ☐ सही ☐ गलत।
60-	उसका ठिकाना जो शिर्क के सिवाय अन्य गुनाहों पर हठ करते हुए मर जाए: ☐ अज़ाब है ☐ अल्लाह की मर्ज़ी पर है।
61-	"ला इलाहा इल्लल्लाह" ज़िक्र (स्मरण) है, दुआ (प्रार्थना) नहीं: ☐ सही ☐ गलत।
62-	ऐसे लोग भी पाए जाएंगे जो "ला इलाहा इल्लल्लाह" का इकरार तो करते हैं लेकिन अल्लाह के निकट उसका कोई मोल नहीं होगा: ☐ सही ☐ गलत।
63-	मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, इस गवाही का विरोधी है: ☐ गुनाह ☐ बिदअत ☐ सभी।
64-	(ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं) यह यहूदियों का खंडन है, तथा (आप अल्लाह के रसूल हैं) यह ईसाइयों का खंडन है: ☐ सही ☐ गलत।
65-	﴿ وَرُوحٞ مِّنۡهُ ﴾ (और उसकी रूह हैं) यह इज़ाफत -ए-: ☐ आअयान है ☐ औसाफ है।
66-	अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा: ☐ पूर्ण रूप से ☐ अपूर्ण रूप से ☐ सभी।
67-	वास्तविक तौहीद का अर्थ है उसको बचाना: ☐ शिर्क से ☐ बिदअत से ☐ कुकर्मों से ☐ सभी।

68-	﴿ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ (इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक उम्मत थे) अर्थातः ☐ प्रेरणास्रोत ☐ इमाम ☐ ख़ैर व भलाई के शिक्षक ☐ सभी।
69-	शारीरिक एवं नैतिक रोगों में बुरी नज़र तथा विषैले जानवरों के डस लेने के सिवाय झाड़-फूँक नहीं करना चाहिए: ☐ सही ☐ गलत।
70-	«لَا يَسْتَرْقُونَ»(वह किसी से झाड़-फूँक करने को नहीं कहते हैं), तथा मुस्लिम ने इसमें वृद्धि किया है इस शब्द «وَلَا يُرْقَوْنَ» (उन्हें झाड़ा-फूँका नहीं जाता है) का, तथा यह वृद्धिः ☐ सही है ☐ गलत है।
71-	शिर्क -ए- अकबर धन तथा जान को (शासक) के लिए हलाल कर देता है जबतक वह ज़िम्मी अथवा मुआहद न होः ☐ सही ☐ गलत।
72-	राक़ी (बिना कहे स्वतः किसी पर दम करने वाला) और मुस्तरक़ी (किसी को दम करने के लिए कहने वाला) में अंतर यह है कि मुस्तरक़ी अपने दिल से ग़ैरुल्लाह से मांगने वाला तथा उसकी ओर आकर्षित होने वाला होता है जब्कि राक़ी मोहसिन एवं उपकार करने वाला होता हैः ☐ सही ☐ गलत।
73-	अल्लाह की विशेषताओं में किसी और को उसका साझी बनाना शिर्क -ए- ☐ अकबर है ☐ अस़ग़र है।
74-	जो मूर्ति के रूप में तराशा गया हो उसे कहते हैं: ☐ सनम ☐ वस़न ☐ समस्त।
75-	कराइम -ए- अमवाल का अर्थ हैः ☐ सर्वोत्तम ☐ मध्यम दर्जे का ☐ सबसे घटिया।
76-	ज्ञान एवं कर्म के द्वारा बंदा स्वयं को पूर्ण करता है तथा दावत एवं सब्र के द्वारा अन्य कोः ☐ सही ☐ गलत।
77-	नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी उम्मत पर दज्जाल से भी अधिक रियाकारी (दिखावा, पाखण्ड) का भय खाते थे, क्योंकि रियाकारी शिर्क -ए- अस़ग़र हैः ☐ सही ☐ गलत।
78-	बंदा यदि अपनी आस्था में सच्चा हो तो आवश्यक है कि वह अन्य को भी इसका आमंत्रण देः ☐ सही ☐ गलत।
79-	बसीरत कहते हैं: ☐ शरई इल्म को ☐ हिकमत को ☐ दावत दिए जाने वाले लोगों की परिस्थिति का ध्यान रखने को ☐ उपरोक्त सभी।
80-	दावत के शर्तों की संख्या हैः ☐ पाँच ☐ चार ☐ तीन।
81-	शिर्क -ए- अकबर तथा शिर्क -ए- अस़ग़र के मध्य अंतरः ....

पंचम प्रश्न: तालिका (क) के उचित वाक्यों को तालिका (ख) के उचित वाक्यों से मिलाएं:

ख	क	
प्रेम तथा आदर भाव से ओत-प्रोत होकर अल्लाह का आज्ञापालन तथा वर्जनाओं से बचते हुए विनम्रता तथा तुच्छता अपनाना।	حُمَةٌ (हुमः)	1
इससे अभिप्राय लाल ऊँट है, तथा इसका उल्लेख इसलिए किया गया है कि यह अरबों के समीप बड़ी प्रिय वस्तु थी।	उलूहियत	2
अपशकुन लेना चाहे वह दिखाई देने वाली, सुनाई देने वाली अथवा विशेष स्थान या समय से हो।	इबादत	3
समान, तुल्य, मानिंद तथा तुलना	ताग़ूत	4
जिसकी इंसान (प्रतिमा) इत्यादि की सूरत में पूजा की जाती हो।	रियाकारी	5
जिसकी किसी भी सूरत में अल्लाह के सिवाय पूजा की जाती हो।	अपशकुन	6
जिसके द्वारा बंदा अपनी सीमा फलांग जाए चाहे वो माबूद हो, पेश्वा हो अथवा हाकिम।	निद्द	7
अल्लाह की इबादत करे ताकि लोग देखें या सुने तो उसकी प्रशंसा करें।	सनम	8
यह अल्लाह तआला को पैदा (रचना) करने, बादशाहत तथा प्रबंध करने में अकेला मानना है।	तौहीद	9
यह अल्लाह तआला को इबादत (उपासना) में या बंदों के कर्मों में अकेला मानना है।	इबादत	10
यह एक व्यापक शब्द है जो हरेक उस चीज को सम्मिलित है जिससे अल्लाह प्रेम करता है या प्रसन्न होता है, चाहे वह बाह्य अथवा आंतरिक कथन हो या कर्म।	ख़्वारिज	11
जो कहते हैं कि कबीरा गुनाह करने वाला काफिर तथा सदा का जहन्नमी है।	वसन	12
अल्लाह तआला को उसकी विशेषताओं रुबूबियत, उलूहियत तथा असमा व सिफात में अकेला मानना है।	रुबूबियत	13
शिर्क से दूरी अपनाते हुए अल्लाह की ओर झुकना तथा इसके विपरीत वस्तुओं से स्वयं को दूर रखना।	حُمُرِ النَّعَمِ (हुम्र अल-नअम)	14
प्रत्येक विषैले जानवरों के डंक मारने को कहते हैं।	حنيفا (हनीफा)	15

दूसरा: तौहीद की तफ़्सीर एवं व्याख्या (९ अध्याय)

६- तौहीद व "ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही की तफ्सीर एवं व्याख्या

आरंभ में जब तौहीद के संबंध में लिखा गया था तो मन में रुचि पैदा हो गई थी कि आख़िर तौहीद है क्या जिसके लिए यह अध्याय लाए गए हैं (वुजूब -अनिवार्यता-, फ़ज़ीलत -प्रधानता-, उसका वास्तविक रूप, उसके विपरीत से भय खाना, उसकी ओर दावत देना) इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस अध्याय के द्वारा दिया गया है, अर्थात यहाँ से ले कर समाप्ति तक तौहीद की तफ़्सीर एवं व्याख्या ही है।

पहली दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ الآية. (जिनको ये लोग पुकारते हैं वो तो स्वयं अपने रब का सामीप्य ढूँढ़ते हैं कि उनमें से कौन सबसे अधिक निकटता प्राप्त कर ले)।

- ﴿يَدْعُونَ﴾: ये लोग जिन्हें आवश्यकता पूर्ति के लिए पुकारते हैं वो स्वयं अपने रब का सामीप्य प्राप्त करने के लिए वसीला (साधन) ढूँढ़ते हैं कि कौन उनमें से सर्वाधिक निकटता प्राप्त कर ले, तो कैसे ये लोग उनको पुकारते हैं जो स्वयं मोहताज एवं असहाय हैं (यह दुआ एवं प्रार्थना में साझी बनाना है)।

दूसरी दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ الآية. (और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने पिता तथा समुदाय के लोगों से कहा, जिनकी तुम पूजा करते हो उनसे मेरा कोई संबंध नही, सिवाय उसके जिसने मुझे पैदा किया)।

- ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ (सिवाय उसके जिसने मुझे पैदा किया) यह इंकार करने तथा साबित करने के मध्य जमा करना व संतुलन बनाना है, और दो कारणों से (इल्लल्लाह) नहीं कहा:

1- अल्लाह तआला को इबादत एवं उपासना में एक अकेला करार देने की इल्लत (कारण) बयान करने के लिए, कि जिस प्रकार वह अकेला पैदा करने वाला है उसी प्रकार इबादत भी केवल एक उसी की हो।

2- मूर्तियों की उपासना करने को बातिल (मिथ्या) साबित करने के लिए कि चूँकि इन्होंने तुम लोगों

को पैदा नहीं किया है, अतः उनकी उपासना न करो।

- अल्लाह की इबादत करने के साथ-साथ ग़ैरुल्लाह की भी इबादत करते रहने से तौहीद प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उसको केवल अल्लाह के लिए ख़ालिस (निष्ठित) करना अपरिहार्य है, बड़े दुःख की बात है कि बहुतेरे ऐसे इस्लामी देश हैं जहाँ लोग नमाज़, रोज़ा, ज़कात और हज जैसी इबादतें करने के संग-संग क़ब्रों (समाधियों) को भी सज्दा करते (शीश झुकाते) हैं।

तीसरी व चौथी दलील:

३- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿ ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ الآية. (उन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने उलेमा (विद्वानों) तथा इबादत गुज़ारों (साधू-संतों, तपस्वियों) को अपना रब बना लिया था)।

४- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادٗا يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ ﴾ الآية. (और कुछ लोग ऐसे हैं जो ग़ैरुल्लाह को (अल्लाह का) साझी मानते हैं तथा वो उन से अल्लाह से प्रेम करने के समान ही प्रेम रखते हैं)।

- ﴿أَحۡبَارَهُمۡ﴾: अर्थात उनके उलेमा (विद्वान), और उनको बह्र (समुद्र) उनके ज्ञान की बहुलता के कारण कहा जाता है।
- «وَرُهۡبَٰنَهُمۡ»: अर्थात उनके इबादत गुज़ार एवं उपासक (साधु-संत, महात्मा, तपस्वी)।
- ﴿ أَرۡبَابٗا ﴾: उन्होंने अल्लाह की अवज्ञा में अपने उलेमा का आज्ञापालन किया तथा संतों की उपासना की (यह इताअत अर्थात आज्ञापालन में साझी बनाना है)।
- ﴿يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ﴾: अर्थात "निद्द" (ग़ैरुल्लाह) से ऐसा प्रेम करते हैं जो अल्लाह से प्रेम करने के समान है।

मोहब्बत (प्रेम) के प्रकार:

नैसर्गिक मोहब्बत:	अल्लाह से या अल्लाह के लिए मोहब्बत करना:	अल्लाह के साथ-साथ अन्य से भी मोहब्बत करना:
यह जायज़ है बशर्ते कि इसको अल्लाह की मोहब्बत पर प्राथमिकता न दी जाए, जैसे संतान अथवा पत्नी से मोहब्बत करना।	(यह वाजिब है) «أَوْثَقُ عُرَى الْإِيْمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ...» "ईमान का सर्वश्रेष्ठ दर्जा अल्लाह के लिए (किसी से) मोहब्बत करना है ..."	(यह शिर्क -ए- अकबर है) जो ग़ैरुल्लाह से मोहब्बत रखने को वर्जित करता है, जैसे ग़ैरुल्लाह से अल्लाह के समान या उससे भी अधिक मोहब्बत करना।

अल्लाह से मोहब्बत रखने के भी कई प्रकार हैं, जैसे: किसी कर्म, कर्म करने वाले, स्थान या समय से प्रेम रखना।

पाँचवीं दलील:

और सहीह (मुस्लिम) में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ ﷻ» **"जिसने "ला इलाहा इल्लल्लाह" -अल्लाह के अतिरिक्त कोई सच्चा पूज्य नहीं- कहा तथा अल्लाह के सिवाय सभी पूज्यों का इंकार किया उसका धन तथा रक्त अल्लाह ने ह़राम (निषेध) कर दिया तथा उसका ह़िसाब अल्लाह के ऊपर है"।**

आगामी अध्याय इसी शीर्षक की व्याख्या हैं।

- «وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ» **:** अल्लाह के सिवाय जिनकी पूजा की जाती है उनका इंकार करना अनिवार्य है, बल्कि हरेक कुफ्र का इंकार अनिवार्य है, जो कलमा -ए- शहादत की गवाही देता हो तथा यह मानता हो कि यहूदी तथा ईसाई आज भी सही दीन (धर्म) पर हैं तो वह मुसलमान नहीं है, इसी प्रकार जो यह समझता हो कि दीन (धर्म) विचारों का एक पुष्पगुच्छ है उसमें से वह जो चाहे ले ले तथा जिसे चाहे छोड़ दे तो भी वह मुसलमान नहीं।

मसाइल:

1- इस में सबसे बड़ा तथा महत्वूर्ण विषय तौह़ीद तथा कलमा -ए- शहादत के इकरार की तफ़्सीर एवं व्याख्या है, तथा उसे कुछ चीजों के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट रूप से बयान किया है (कि इस में इकरार करना तथा इंकार करना दोनों का पाया जाना अति आवश्यक है) जोकि निम्नलिखित हैं:

(क) एक तो सूरह इस्रा (बनी इस्राईल) की आयत जिसमें उन मुश्रिकों (बहुदेववादियों) का खंडन किया गया है जो धर्मात्माओं से प्रार्थना करते हैं, इसमें स्पष्ट किया गया है कि यह शिर्क -ए- अकबर (महाशिर्क) है (दुआ व प्रार्थना में शिर्क करना है)।

(ख) तथा सूरह बराअः की आयत जिसमें है कि अहले किताब (पूर्व की किताबों के अनुपालकों) ने अपने विद्वानों तथा संतों को अल्लाह के सिवा रब (प्रभु) बना लिया था, जब्कि उन्हें मात्र एक पूज्य (अल्लाह तआला) की उपासना का आदेश दिया गया था, तथा इस की व्याख्या में यह बात स्पष्ट रूप से विदित है कि उन्हें रब एवं प्रभु बना लेने का अर्थ यह है कि वो (अल्लाह की) अवज्ञाकारिता में अपने ज्ञानियों तथा संतों का अनुसरण किया करते थे, इसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि वो उनसे दुआ एवं प्रार्थना करते थे (यह फरमाँबरदारी तथा आज्ञापालन में शिर्क करना है)।

(ग) इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस कथन का उल्लेख जो उन्होंने काफिरों से कहा था: ﴿إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعۡبُدُونَ ۝٢٦ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي﴾ (वस्तुतः मैं तुम्हारे उपास्यों से विलग हूँ सिवाय उस (अल्लाह) के जिसने मुझे पैदा किया), तो इस प्रकार से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समस्त उपास्यों से अपने रब को अलग कर दिया, तथा अलालह तआला ने बताया कि यही विलगाव तथा अल्लाह से मित्रता "ला इलाहा इल्लल्लाह" की व्याख्या है, तथा अल्लाह तआला ने फरमाया: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةَۢ بَاقِيَةٗ فِي عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ﴾ (और इब्राहीम इस सूत्र को अपनी संतान में छोड़ गए ताकि वह (उसकी ओर) लौट जाएं)।

(घ) इसी में से सूरह बक़रः की आयत है जिस में काफिरों के बारे में अल्लाह तआला ने फरमाया है: ﴿وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ﴾ (वह आग से नहीं निकल पाएंगे), अल्लाह तआला ने बताया कि वो अपने "निद्दों" (शरीकों) से अल्लाह के समान प्रेम रखते हैं, इस से ज्ञात हुआ कि वे अल्लाह तआला से अत्याधिक प्रेम करते हैं फिर भी वो मुस्लिमों में नहीं गिने गए तो वह कैसे मुसलमान हो सकता है जो अल्लाह से अधिक अपने शरीक ("निद्द") से प्रेम करता हो? तथा उसका क्या हाल होगा जो अल्लाह को छोड़ कर केवल शरीकों ("निद्द", ग़ैरुल्लाह) से ही प्रेम करता हो? (यह फरमाँबरदारी तथा आज्ञापालन में शरीक ठहराना एवं साझी बनाना है, तो इस तरह इसके चार प्रकार हैं:

1- अल्लाह तआला से अन्य के मुकाबले में अधिक प्रेम करे, और यही तौहीद है।

2- ग़ैरुल्लाह से अल्लाह के समान प्रेम करे, यह शिर्क है।

3- अल्लाह से प्रेम करने से भी अधिक ग़ैरुल्लाह से प्रेम करे, यह पहले वाले से अधिक संगीन है।

4- वह केवल ग़ैरुल्लाह से ही प्रेम करे तथा उसके हृदय में अल्लाह से प्रेम के लिए कोई स्थान न हो, यह सब से निकृष्ट (बुरा) तथा संगीन है।

(ङ) इसी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह कथन भी है कि: "**जिसने "ला इलाहा इल्लल्लाह"** -अल्लाह के अतिरिक्त कोई सच्चा पूज्य नहीं- **कहा तथा अल्लाह के सिवाय सभी पूज्यों का इंकार किया उसका धन तथा रक्त अल्लाह ने ह़राम (निषेध) कर दिया तथा उसका हिसाब अल्लाह के ऊपर है**" तथा यह सबसे बढ़ कर "ला इलाहा इल्लल्लाह" के अर्थ को स्पष्ट करती है, क्योंकि अल्लाह तआला ने इसके उच्चारण भर को रक्त तथा धन का रक्षक नहीं बनाया है, न ही शब्द सहित इस के अर्थ जानने को, बल्कि मात्र अल्लाह को जो एक अकेला तथा बिना साझी के है उसे पुकारने को भी नहीं, बल्कि उसका रक्त तथा धन उस स्थिति में हराम व वर्जित होगा जब वह अल्लाह के सिवाय अन्य पूज्यों का इंकार करेगा, और यदि कोई शंका करे अथवा दुविधा में रहे तो उसका धन एवं रक्त हराम नहीं होगा, यह कितना बड़ा एवं कितना महत्वपूर्ण, किस कदर स्पष्ट वर्णन एवं बयान, तथा विरोधियों के झगड़े के उन्मूलन के लिए कितना सटीक तर्क है।

७- विपत्ति को रोकने अथवा दूर करने के लिए कड़ा एवं धागा आदि पहनना शिर्क है

- «مِنَ الشِّرْكِ»: अर्थातः शिर्क का अंश है, अब इसमें कुछ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे, इसी लिए इसको व्यापक रूप में प्रयोग किया है।
- «لِرَفْعِ الْبَلَاءِ»: अर्थात उतरने के पश्चात। « أَوْ دَفْعِهِ »: अर्थात उतरने के पूर्व।

कड़ा और धागा इत्यादि पहनना शिर्क -ए- अकबर है अथवा शिर्क -ए- असग़र ?

शिर्क -ए- अकबर है: यदि यह आस्था रखे कि यह स्वयं अपने आप प्रभावी हैं, तथा यह स्वतः लाभ पहुँचाने और हानि दूर करने की क्षमता रखती हैं।

शिर्क -ए- असग़र है: यदि यह आस्था रखे कि यह एक सबब एवं माध्यम है जब्कि अल्लाह तआला ने इसे न तो शरई तौर पर और न ही इंद्रीय तौर पर माध्यम बनाया है।

अस्बाब (माध्यम) के संबंध में एतेकाद़ (आस्था) रखने के विषय में लोगों के तीन प्रकार हैं:

सही: ये वो लोग हैं जिनकी आस्था है कि केवल उन्हीं चीजों को सबब (माध्यम) बनाना सही है जिनको अल्लाह ने सबब एवं माध्यम बनाया है।

शिर्क -ए- असग़र: जिन चीजों को अल्लाह ने सबब व माध्यम नहीं बनाया है उनको सबब मानने की आस्था रखना, जैसे बुरी नज़र से बचने के लिए बैल की मुंडी लटकाना, जबकि यह कोई सबब है ही नहीं।

शिर्क -ए- अकबर: यदि यह आस्था रखे कि यह स्वयं अपने आप प्रभावी हैं, तथा यह स्वतः लाभ पहुँचाने और हानि दूर करने की क्षमता रखती हैं।

माध्यम को अपनाने में लोग अति, न्यून तथा इन दोनों के मध्य संतुलन बनाकर रखने वाले हैं:

जो असबाब (माध्यम) का इंकार करते हैं: वो अल्लाह की हिकमत (तत्वदर्शिता) का इंकार करते हैं, जैसे जबरिया तथा अशाइरा।

जो असबाब (माध्यम) को अपनाने में अति करते हैं: ऐसे लोग उसको भी माध्यम मान लेते हैं जो वास्तव में माध्यम है ही नहीं, जैसे सूफ़ी लोग।

जो असबाब (माध्यम) अपनाने में अति एवं न्यून दोनों के मध्य संतुलन बनाकर रखते हैं: वो केवल शरई तथा इंद्रीय माध्यम को ही सबब व माध्यम मानते हैं इन दोनों के अतिरिक्त अन्य को नहीं।

धागा आदि लटकाने वाले के कई हालात एवं स्थितियाँ हैं:

हालत	हुक्म
वह इस के हुक्म से अंजान एवं अनभिज्ञ हो।	उसे सिखाया जाएगा।
यह आस्था (अक़ीदा) रखे कि यह माध्यम (सबब) है जब्कि अल्लाह ने उसे माध्यम (सबब) नहीं बनाया है।	यह शिर्क -ए- अस़ग़र है।
यह आस्था रखे कि यह स्वयं अपने आप प्रभावी है, तथा यह स्वतः लाभ पहुँचाने अथवा हानि दूर करने की क्षमता रखती है।	यह शिर्क -ए- अकबर है।
इस संबंध में उसका कोई विशेष अक़ीदा एवं आस्था न हो बल्कि इसे केवल शोभा एवं सज्जा के लिए बाँधता हो जैसाकि आज कल कुछ युवा ऐसा करते हैं -अल्लाह हमें तथा उन्हें हिदायत दे व सही मार्गदर्शन करे- तो जो भी उसे इस प्रकार से बाँधे हुए देखेगा वह समझेगा कि ऐसा करना जायज़ है और इस तरह वह दूसरों के लिए बुराई के द्वार खोलेगा, इसके अतिरिक्त इसमें महिलाओं तथा मुश्रिकीन की नकल भी है।	यह कबीरा गुनाह है।

पहली दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِىَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَـٰشِفَـٰتُ ضُرِّهِۦٓ﴾ الآية. (-हे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- आप कह दीजिए कि अल्लाह के सिवाय जिन्हें तुम पुकारते हो यदि अल्लाह मुझे कोई हानि पहुँचाना चाहे तो क्या वो उसे दूर कर सकते हैं?)

- ये बुत (मूर्तियाँ) अपनी उपासना करने वालों को कुछ भी लाभ नहीं पहुँचा सकते तथा न ही उनसे हानि दूर कर सकते हैं, अतः यह लाभ-हानि के माध्यम कदापि नहीं हैं, अब इसी पर कयास (अनुमान, कल्पना) करते हुए हरेक वह चीज जो शरई अथवा इंद्रीय माध्यम नहीं है उसको माध्यम बनाना अल्लाह के साथ शरीक एवं साझी बनाना समझा जाएगा।
- ﴿قُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ﴾ (आप कह दीजिए कि अल्लाह हमारे लिए काफी -पर्याप्त- है) इसमें मिथ्या एवं भ्रमात्मक माध्यमों को छोड़ कर "केवल अल्लाह ही हमारे लिए काफी है" यह मान लेना है।

दूसरी दलील:

इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: «مَا هٰذِهِ؟»، قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ، فَقَالَ: «انْزِعْهَا؛ فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ

«وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا». **"नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक व्यक्ति के हाथ में पीतल का कड़ा देखा तो प्रश्न किया: यह क्या है? उसने कहा: यह दुर्बलता (दूर करने) के लिए है, आपने कहा: इसे उतार दो, क्योंकि यह तुम्हारी दुर्बलता को और बढ़ाएगा ही, यदि तू इसे पहने हुए मर जायेगा तो कभी सफल नहीं होगा"।** इस हदीस़ को इमाम अहमद ने अच्छी सनद से रिवायत किया है।

- «حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ»: ताँबा इत्यादि का कड़ा, या फिर लोहा अथवा धागा ही क्यों न हो।
- «مَـا هٰـذِه؟»: (या क्या है) यह इंकार करने के पूर्व जाँच-पड़ताल कर लेना है कि कहीं ऐसी चीज़ को मुन्कर (आपत्तिजनक) न समझ ले जो वास्तव में मुन्कर नहीं है।
- «الْوَاهِنَـــةِ»: यह गठिया (रोमेटिज़्म) की तरह का एक प्रकार का रोग है जो हड्डियों में होता है, इसको पहनने का उनका उद्देश्य यह था कि यह कड़ा उस रोग को दूर कर देगा तथा उनकी रक्षा करेगा।
- «لَا تَزِيـــدُكَ إِلَّا وَهْنًـــا»: अर्थात शरीर तथा अक़ीदा (आस्था) दोनों को (शक्ति देने के स्थान पर) कमज़ोर तथा दुर्बल कर देगा, क्योंकि वैसे भी जैसे को तैसा मिलता है।

तीसरी दलील:

मुसनद अहमद ही में, उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन वर्णित है: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ». وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ». **"जिसने (रोग आदि से बचाव के लिए) कोई तावीज़ (यंत्र) लटकाया, अल्लाह उसके उद्देश्य को पूरा न करे, जिसने सीप लटकाया अल्लाह उसे भी आराम न दे"।** और एक अन्य रिवायत में है: **"जिसने -रोग आदि से बचाव के लिए- तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया"।**

- «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً»: जिसने तावीज़ लटकाया उसका दिल भी उसी से जुड़ व लटक गया, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने «تَعَلَّقَ» फरमाया: तथा «عَلَّقَ» नहीं कहा।
- «فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ»: यह उसके ऊपर या तो बद्दुआ है या यूँ हि केवल सूचना देना भर है।
- «وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً»: वदआ, समुद्र से प्राप्त होने वाली वस्तुओं को कहते हैं, जैसे सीप।
- «فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ»: अल्लाह तआला उसे आराम न लेने दे, अर्थात उसने जिस आराम व सुगमता के उद्देश्य से इसे पहना था उसके बिल्कुल विपरीत आराम न देकर उसको इसका बदला दिया गया।

- «فَقَدْ أَشْرَكَ»: **शिर्क -ए- अकबर है**, यदि इस एतक़ाद (आस्था) से पहने की यह स्वतः अल्लाह के आदेश के बिना भी अपने आप प्रभावी है, अन्यथा शिर्क -ए- असग़र है।

चौथी दलील:

इब्ने अबू हातिम ने हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के संबंध में बयान किया है कि: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الْحُمَّى، فَقَطَعَهُ، وَتَلَا قَوْلَهُ: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ﴾ "उन्होंने एक व्यक्ति के हाथ में बुख़ार (ज्वार ताप) के कारण धागा बाँधे हुए देखा तो उसे काट दिया, तथा यह आयत पढ़ी: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ﴾ (उन में से बहुतेरे ईमान लाकर भी शिर्क करते हैं)"।

- «مِنَ الْحُمَّى»: अर्थात बुख़ार के कारण, ताकि यह ठण्डा हो जाए अथवा उसे इससे मुक्ति मिल जाए।
- «فَقَطَعَهُ»: मुन्कर (आपत्तिजनक कार्य) को यदि हाथ से रोकने की क्षमता हो तो हाथ से रोकना चाहिए, इससे मुन्कर को रोकने के विषय में सलफ की मज़बूत इच्छा शक्ति का भी पता चलता है।
- **लटकाने का हुक्म:** इस प्रकार का कुछ भी लटकाना हराम है, चाहे वह कड़ा, धागा, सीप, तावीज़, भेड़िया की आँख (चक्षु), खुड़, पुराना जूता, नीला पत्थर (मनका), हथेली, चक्षु (आँख), बैल का सींग व सिर, शेर की प्रतिमा, पेड़ का चित्र तथा चिथड़ा इत्यादि कुछ भी हो।

मसाइल:

पहला: (रोग से बचाव की नीयत से) कड़ा, धागा या डोर इत्यादि बाँधना कड़ाई के साथ वर्जित है।

दूसरा: सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु यदि इसे बाँधे हुए वाली स्थिति में मर जाते तो सफल न होते, इसमें सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के इस कथन का प्रमाण है कि शिर्क -ए- असग़र सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है (क्योंकि शिर्क यद्यपि छोटा ही क्यों न हो तथापि क्षमा नहीं किया जाएगा, कबीरा गुनाह का मामला इसके विपरीत है)।

तीसरा: जिहालत व अज्ञानता के कारण उसको विवश (क्षमा योग्य) नहीं समझा जाएगा (उसको इसके विषय में बता देने के बाद उसे विवश नहीं समझा जाएगा, तथा अज्ञानता के दो प्रकार हैं:

1- ऐसी अज्ञानता जिसमें उसे विवश (क्षमा योग्य) नहीं समझा जाएगा, वह यह है कि शिक्षा के लिए पर्याप्त संभवाना होने के बाद भी सुस्ती तथा आलस्य के कारण शिक्षित न हो कर अशिक्षित रह गया हो।

2- वह अज्ञानता जिसमें उसे विवश (क्षम्य) समझा जाएगा, यह वह है जो उपरोक्त के विपरीत हो, अर्थात उसे सीखने का कोई मौका नहीं मिला, उसके मन-मस्तिष्क में यह विचार कभी आया ही नहीं कि यह हराम है जिसको वह सीखे, न कि उसने आलस्य के कारण सीखना छोड़ा, ऐसे व्यक्ति को विवश समझा जाएगा, और यदि वह मुस्लिम है तो इससे उसे कोई हानि नहीं होगी, और यदि काफिर है तो दुनियाँ में उसे काफिर समझा जाएगा तथा आख़िरत में उसका मामला अल्लाह के हवाले है)।

चौथा: यह तावीज़ (यंत्र-तंत्र) इत्यादि संसार में लाभदायक नहीं वरन हानिकारक है, जैसाकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "**यह तेरे रोग को बढ़ाने के सिवाय कुछ न करेगा**"।

पाँचवाँ: जो ऐसा करता हो उसका कड़ाई से इंकार किया जाए।

छठा: इसका स्पष्ट वर्णन कि जो व्यक्ति कुछ लटकाता है उसे उसी के सुपुर्द कर दिया जाता है।

सातवाँ: इसका स्पष्ट वर्णन कि जिसने तावीज़ (यंत्र) लटकाया उसने शिर्क किया।

आठवाँ: बुख़ार (ज्वार) के कारण धागा बाँधना इसी (शिर्क) में से है।

नौवाँ: हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु का उपरोक्त आयत की तिलावत करना इस बात का प्रमाण है कि सहाबा (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहचर) रज़ियल्लाहु अन्हुम शिर्क -ए- अकबर (महा शिर्क) की आयतों को शिर्क -ए- असग़र के लिए तर्क के रूप में प्रयोग करते थे, जैसे इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरह बक़रह की (मोहब्बत वाली) आयत में किया।

दसवाँ: बुरी नज़र आदि से बचने के लिए सीप इत्यादि का लटकाना भी इसी (शिर्क वाले तावीज़) में से है।

ग्यारहवाँ: उसे श्राप देना जो तावीज़ (यंत्र) पहनता हो कि अल्लाह तआला उसे उसके उद्देश्य में सफल न करे, तथा जो सीप पहने अल्लाह तआला उसे आराम न दे, अर्थात अल्लाह तआला उसे विपत्ति में ही छोड़ दे (किसी तावीज़ व यंत्र धारण करने वाले को स्पष्ट रूप से हम यह तो नहीं कहेंगे कि: "अल्लाह तआला तुम्हारी मुराद पूरी न करे" क्योंकि ऐसा करना उसको घृणा दिलाने का कारण बन सकता है, परंतु हम उससे कहेंगे: "तावीज़ (यंत्र-तंत्र) तथा सीप इत्यादि धारण करना छोड़ दो" और उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ह़दीस़ पढ़ कर सुनाएंगे।

८- झाड़-फूँक और तावीज़ (यंत्र तथा मंत्र) का बयान

यह क्यों कहा किः (इसका बयान) पिछले अध्याय की तरह यह क्यों नहीं कहा किः (तंत्र-मंत्र करना शिर्क है)

1. क्योंकि झाड़-फूँक करने के दो प्रकार हैं, शरई तथा ग़ैर शरई।
2. हर प्रकार का तावीज़ लटकाना शिर्क है, किंतु यदि क़ुरआन में से कुछ लिख कर लटकाया जाए तो वह हराम है (शिर्क नहीं)।

पहली दलीलः

सहीह (मुस्लिम) में अबू बशीर अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के संग एक यात्रा में थे, «أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَرْسَلَ رَسُولاً: أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ – أَوْ: قِلَادَةٌ – إِلَّا قُطِعَتْ» तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक व्यक्ति को यह एलान करने के लिए भेजा किः **"किसी ऊँट की गर्दन में ताँत का पट्टा न रहने दिया जाए – या केवल पट्टा ही कहा ताँत का शब्द प्रयोग नहीं किया- सब काट दिया जाए"**।

- «فَأَرْسَلَ» : शरीअत की मंशा के अनुसार उनका हाल-चाल पूछने के लिए।
- «قِـــلَادَةٌ» : (हार, पट्टी) वो ऐसी आस्था (अक़ीदा) रखते थे कि इसको लटकाने से ऊँट को बुरी नज़र नहीं लगती है, जब्कि ऐसी आस्था रखना फासिद व बेकार है।

दूसरी तथा तीसरी दलीलः

२- इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुनाः «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» **"तंत्र-मंत्र (झाड़-फूँक), यंत्र (तावीज़) तथा (प्रेम अथवा घृणा के लिए किया जाने वाला) जादू, सब शिर्क हैं"**। अहमद तथा अबू दाऊद ने इसे रिवायत किया है।

३- तथा अब्दुल्लाह बिन ऊकैम रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफूअन वर्णित है किः «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ» **"जिसने कोई चीज़ लटकाई उसे उसी के हवाले कर दिया जाता है"**। इसे अहमद तथा तिरमिज़ी ने रिवायत किया है।

- «إِنَّ الرُّقَى»: अर्थात शिर्क वाले वह तंत्र-मंत्र जो उनके निकट विदित एवं प्रसिद्ध थे, वह झाड़-फूँक नहीं जिसकी इजाज़त व मान्यता शरीअत ने दी है।
- «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ»: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने (من علَّق) नहीं फरमाया, क्योंकि उसने उसको लटकाया तथा दिल को उसी से लगा लिया, अब जो अल्लाह से आशा रखेगा अल्लाह उसके लिए काफी व पर्याप्त होगा, तथा जो ग़ैरुल्लाह से उम्मीद रखेगा वह अपमानित होगा।
- इंसान के लिए किसी भी स्थिति में उचित नहीं है कि वह माध्यम (सबब) से उम्मीद लगाए, बल्कि आशा केवल अल्लाह से रखनी चाहिए, अब जिसने मुसब्बिब (सबब बनाने वाला) अर्थात अल्लाह को छोड़ कर केवल उस वस्तु से दिल लगा लिया तो वह एक प्रकार के शिर्क में पड़ गया, अलबत्ता यदि यह अक़ीदा व आस्था हो कि वह जो कर रहा है उसे केवल एक सबब व माध्यम समझ कर रहा है तथा मुसब्बिब केवल अल्लाह है तो यह अल्लाह पर तवक्कुल (भरोसा) करने के विरोधी नहीं है।

शरीअत के अनुसार झाड़-फूँक करने की शर्तें:

यह क़ुरआन व हदीस़ से हो, या अल्लाह के असमा व सिफात (नाम व गुण) के द्वारा दुआ करे।	यह ऐसी वाणी के द्वारा हो, जिसका भावार्थ स्पष्ट हो, सुना जा सकता हो, मालूम (ज्ञात) चीज़ के द्वारा हो तथा अरबी भाषा में हो।	यह अक़ीदा (आस्था) रखे कि यह शरई सबब एवं माध्यम है जो अल्लाह के आदेश के बिना कोई लाभ नहीं पहुँचा सकता।

इन शर्तों में से यदि कोई एक भी शर्त कम हो जाए तो उसे शरई झाड़-फूँक नहीं कहा जाएगा, और ज्ञात रहे कि अरबी भाषा को छोड़ कर किसी अन्य भाषा में शरई झाड़-फूँक नहीं हो सकता है, किंतु हाँ यदि दुआ कर रहा हो तो जायज़ है कि अरबी भाषा छोड़ कर अपनी भाषा में दुआ करे बशर्ते कि अल्लाह तआला के असमा -ए-हुस्ना (अच्छे -अच्छे नामों) को न बदले क्योंकि यह तौक़ीफी (अर्थात जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता) हैं (और वैसे भी नाम प्रत्येक भाषा में वैसा ही बोला जाता है जैसा वह अपनी मूल भाषा में होता है)

التَّمَائِم: "अत-तमाइम", यह "तमीमा" का बहुवचन है, इससे अभिप्राय हरेक वह चीज़ है जो बुरी नज़र से बचने के लिए बच्चों के गले में बांधी, लटकाई या डाली जाए, क़ुरआन की आयत वाले तावीज़ (यंत्र) को कुछ उलेमा ने जायज़ और कुछ ने नाजायज़ कहा है, नाजायज़ कहने वालों में से एक अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं।

الرُّقَى: “अल-रुक़ा” यह “अल-रुक़िया” का बहुवचन है, इसे “अल-अज़ाइम” भी कहा जाता है, तथा रुक़िया झाड़-फूँक करने को कहते हैं, यद्यपि ह़दीस़ में इसको शिर्क कहा गया है, किंतु अन्य दलीलों से साबित होता है कि जो झाड़-फूँक शिर्क से अलग रह कर किया जाए उसकी अनुमती बुरी नज़र तथा विषैले जानवरों के डस लेने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दी है।

التِّوَلَة: (अल-तेवलः) यह ऐसा अमल (तंत्र) है जिसको करने से अरब वासियों के गुमान के अनुसार पति के ह्रदय में पत्नी के लिए तथा पत्नी के ह्रदय में पति के लिए प्रेम भाव उत्पन्न होता है।

वेडिंग रिंग (शादी की अँगूठी) भी तेवलः में से है:

हराम (वर्जित) है	शिर्क -ए- असग़र है	शिर्क -ए- अकबर है
और यह इसका न्यूनतम दर्जा है, क्योंकि यह ईसाईयों के आदत व स्वाभाव में से है, क्योंकि इसके द्वारा वह अपना तस़्लीस़ (तीन ईश्वर) वाला अक़ीदा प्रकट करते हैं, और यदि यह सोने की हो तो पुरुषों के लिए इसमें हुरमत (वर्जना) का एक और कारण, उनके लिए इसका पहनना ह़राम होना है।	यदि यह आस्था (अक़ीदा) रखे कि यह वैवाहिक जीवन को बरकरार एवं बहाल रखने का कारण है।	यदि यह आस्था (अक़ीदा) रखे कि यह स्वतः प्रभावी है, तथा यह अपने आप लाभ पहुँचाने अथवा हानि दूर करने की क्षमता रखती है।

चौथी दलील:

इमाम अहमद रह़िमहुल्लाह ने रुवैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझसे फरमया: «يَا رُوَيْفِعُ، لَعَلَّ الْـحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ بَرِيءٌ مِنْهُ»، **“हे रुवैफा, संभवतः तुम्हारी आयु मुझसे अधिक हो सकती है, अतः लोगों को बता देना कि जो अपनी दाढ़ी में गाँठ लगाए, अथवा गले में ताँत (गंडा) पहने, या जानवरों के गोबर अथवा हड्डी को इस्तिंजा (पेशाब-पैख़ाना को साफ करने) के लिए प्रयोग करे तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनसे बरी व अलग हैं”।**

- «أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ»: या तो तकब्बुर (घमंड) के कारण, या बुरी नज़र से बचने के लिए।
- «تَقَلَّدَ وَتَرًا»: “वतर” बकरी के पुट्ठा से बनाया गया एक प्रकार का ताँत (तंतु) है जो बुरी नज़रे से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है।

- «أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ»: पेशाब अथवा पैख़ाना के पश्चात उस स्थान को पशुओं की लीद से साफ करना।
- «أَوْ عَظْمٍ»: (हड्डी), यह जिन्नों की ख़ुराक (भोजन) है, तथा लीद जिन्नों के पशुओं का चारा है।

पाँचवीं तथा छठी दलील:

५- सईद बिन जुबैर रहिमहुल्लाह से रिवायत है कि: «مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً مِنْ إِنْسَانٍ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ» "जिसने किसी के गले से तावीज़ (जंतर) काट डाले तो मानो उसने एक प्राण मुक्त किया"। इसको वकीअ ने रिवायत किया है।

६- उन्होंने ही इब्राहीम नख़ई से रिवायत किया है कि: «كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا؛ مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرْآنِ» "लोग (अर्थात इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथी) हर प्रकार के तावीज़ (जंतर) को अप्रिय समझते थे चाहे वह क़ुरआन से हो या उसके सिवा"।

- «كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ»: क्योंकि उसने उसे शैतान की इबादत जोकि शिर्क है उससे आज़ाद किया, तथा यह इंसानों को इंसानों की गुलामी से आज़ादी दिलाने से भी बेहतर है, किंतु हाँ, तावीज़ (जंतर) काटने का कार्य इस प्रकार करे कि इससे घृणा पैदा न हो।

हम क़ुरआन से लिखे हुए तावीज़ (जंतर) को ह़राम क्यों कहते हैं?

- इसमें कुरान के साथ बेअदबी व असभ्यता है, संभव है कि वह उसको पहने हुए शौचालय चला जाए, या उसमें गंदगी लग जाए।
- इसकी प्रबल संभावना है कि इससे बुराई का दरवाज़ा खुले, क्योंकि हो सकता है कि उसको पहने देख कर कोई यह सोचे कि हर प्रकार का तावीज़ तथा जंतर धारण करना जायज़ है फिर वह चाहे क़ुरआन के अतिरिक्त ही क्यों न हो।
- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथन «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» (तंत्र-मंत्र, तावीज़ तथा प्रेम अथवा घृणा पैदा करने के लिए किया गया जादू, सभी शिर्क हैं) के उमूम (व्यापक अर्थों) में यह शामिल है।
- कुछ सलफ (नेक पूर्वजों) ने इसे मकरूह कहा है, तथा सलफ के निकट मकरूह का अर्थ हराम ही होता था।

मसाइलः

पहला: रुक़्या एवं तमीमा (मंत्र तथा यंत्र) की व्याख्या।

दूसरा: तेवलः (तंत्र) की व्याख्या।

तीसरा: यह तीनों (रुक़्या, तमीमः तथा तेवलः) शिर्क हैं।

चौथा: बुरी नज़र तथा विषैले जानवरों के डस लेने पर बिना शिर्क वाले वाक्यों द्वारा उपचार करना वर्जित नहीं है (इन दोनों के अतिरिक्त और भी चीजें इसमें शामिल हैं, जैसे जादू)।

पाँचवां: तावीज़ (जंतर) यदि क़ुरआन के आयत से हो तो उलेमा (धर्मज्ञ) के बीच मतभेद है कि यह शर्क है अथवा नहीं (एहतियात एवं सतर्कता यही है कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के मतानुसार अमल किया जाए, क्योंकि मूल रूप से देखा जाए तो यह शरीअत से साबित नहीं है)।

छठा: बुरी नज़र से बचने के लिए चौपायों को ताँत पहनाना इसी (शिर्क) में से है।

सातवाँ: इसमें ताँत (तंतु) लटकाने वालों के लिए कड़ी चेतावनी है।

आठवाँ: किसी इंसान के गले में लटकाए हुए तावीज़ (जंतर) को काट कर फेंक देने की फ़ज़ीलत एवं प्रधानता भी पता चली।

नौवाँ: इब्राहीम नख़ई के कथन तथा उपरोक्त उलेमा के बीच मतभेद में कोई विरोधाभास नहीं है क्योंकि इससे उनका अभिप्राय अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथी-संगति हैं (इससे उनका आश्य सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम नहीं हैं तथा न ही समस्त ताबईन -सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथी-संगती-)।

९- जो पेड़ अथवा पत्थर आदि को मुबारक (शुभ) समझता हो

तबर्रुक: बरकत चाहने को कहते हैं, और इसके प्रकार निम्नांकित हैं:

नाजायज़ तबर्रुक: इसको परखने का नियम यह है कि प्रत्येक वह चीज़ जो शरीअत या इंद्रीय द्वारा प्रमाणित न हो, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुजरा (कमरा) को छूना।

जायज़ तबर्रुक:

शरीअत द्वारा प्रमाणित: जैसे मस्जिद -ए- ह़राम में नमाज़ पढ़ना, क़ुरआन का पाठ करना।

इंद्रीय द्वारा प्रमाणित: जैसे अहले सुन्नत वल जमात की पुस्तकों का अध्यन करना, उदाहरणस्वरूप शैख़ुल इस्लाम की पुस्तकें।

पहली तथा दूसरी दलील:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّـٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ﴾ الآيات.
(तुमने (कभी) लात, उज़्ज़ा और तीसरी (देवी) मनात के बारे में विचार-विमर्श किया है?)

२- तथा अबू वाक़िद लैसी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى حُنَيْنٍ، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، يُقَالُ لَهَا: (ذَاتُ أَنْوَاطٍ)، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**اللهُ أَكْبَرُ، إِنَّهَا السُّنَنُ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: ﴿ٱجْعَل لَّنَآ إِلَـٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾﴾، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ**» हम लोग रसूलुल्लाह के साथ हुनैन (स्थान का नाम) की ओर निकले, और अभी हम नए-नए मुसलमान हुए थे (रास्ते में) मुश्रिकीन का एक बैरी का पेड़ था वो (मंगल कामना करते हुए) वहां धूनी रमाए रहते थे तथा उस पर अपने हथियार लटकाते थे जिसका नाम “ज़ात -ए- अनवात़” था, और हम भी एक बैरी के पास पहुँचे तो हमने कहा: हे अल्लाह के रसूल, हमारे लिए भी एक “ज़ात -ए- अनवात़” बना दें जैसा उन लोगों के लिए “ज़ात -ए- अनवात़” है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: अल्लाहु अकबर (अल्लाह महान है), यही तो (गुमराही व पिछली उम्मतों) रास्ता है, तुमने वही बात कही जो बनी इस्राईल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी: ﴿ٱجْعَل لَّنَآ إِلَـٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾﴾ (आप हमारे लिए उसी तरह से एक माबूद व देवता बना दें जैसा उन लोगों के पास माबूद व देवता

है, तो उन्होंने ने कहाः तुम मुर्ख लोग हो), और फिर आप ने फरमायाः तुम पिछली उम्मतों की रीतियों को अवश्य अपनाओगे"। इस हदीस़ को इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है तथा सही कहा है।

- ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾: हमें बताओ कि उन बुतों व मूर्तियों के संबंध में जिनका तुम आदर करते हो, तथा मेराज जैसी बड़ी निशानियों के मुकाबले में इनकी क्या हैसियत है, क्योंकि उनका अक़ीदा यह था कि ये मूर्तियां उन्हें लाभ तथा हानि पहुँचाने की क्षमता रखते हैं, इसी लिए वह उनके पास आकर उनसे प्रार्थना करते थे, उनके लिए वध करते थे तथा उनका सामीप्य प्राप्त करने का प्रयास करते थे।
- ﴿ٱللَّٰتَ﴾: 1- "अल-लात" इसे "ता" के तश्दीद (ता का उच्चारण दो बार करने के साथ) पढ़ा गया है, जिसका अभिप्राय "लात" नामक एक भलामानस से है जो हाजियों को सत्तू घोल कर पिलाया करता था।

२- तथा इसे "ता" के तख़फीफ (ता का उच्चारण एक बार ही करने के साथ) पढ़ा गया है, जिसका अर्थ है कि इस बुत (मूर्ति) का नाम अल्लाह के नामों में से एक नाम के यौगिक से "लात" रखा गया है।

- ﴿ وَٱلْعُزَّىٰ﴾: यह अल्लाह के नाम अल-अज़ीज़ से मुश्तक़क़ (यौगिक) है।
- ﴿ وَمَنَوٰةَ ﴾: यह यौगिक है, या तोः १- अल्लाह के नमा अल-मन्नान से, २- या मिना से, क्योंकि इस मूर्ति के समीप प्रचुर मात्रा में रक्त बहाया जाता था, और (मक्का के समीप एक स्थान) "मिना" को भी "मिना" इसीलिए कहा जाता है (कि हज के समय यहाँ प्रचूर मात्रा में क़ुर्बानी के पशुओं का रक्त बहता है)।
- «حُدَثَاءُ»: अर्थात जो अभी नए-नए मुसलमान हुए हों, यहाँ इस शब्द को उनके प्रश्न के लिए क्षमा याचना के रूप में उल्लेखित किया गया है।
- «يَنُوطُونَ»: उससे बरकत पाने के लिए अपने हथियारों को उस पर लटकाया करते थे।
- «ذَاتُ أَنْوَاطٍ»: (लटकाया जाने वाला) क्योंकि उस पेड़ पर वो लोग अपने हथियार लटकाते थे।
- «اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ»: उनको यह बात मालूम थी कि इबादत तौक़ीफी हैं, जिसके लिए आज्ञा लेना आवश्यक है अर्थात इसमें अपनी ओर से कुछ भी जोड़-घटाव नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से आज्ञा मांगी, तो आपने उन्हें कड़ाई के साथ इस मामले की संगीनी को बताया, फलस्वरूप वह शिर्क करने से बच गए।
- «لَتَرْكَبُنَّ»: तुम उनकी तरह के कथन तथा कर्म अवश्य करोगे, इसमें सूचना देना भी है तथा भयभीत करना भी कि उनकी तरह न बन जाना।

मसाइल:

पहला: सूरह नज्म की आयत (﴿ أَفَرَءَيۡتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلۡعُزَّىٰ ١٩ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلۡأُخۡرَىٰٓ ﴾) की तफ़्सीर व व्याख्या।

दूसरा: सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की "ज़ात -ए- अनवात" मांगने की वास्तविकता को जानना (कि यह कुफ्फार के मुकाबले में था, न कि इसलिए कि वो उसकी इबादत करेंगे)।

तीसरा: सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने केवल इसकी कामना की थी ऐसा किया नहीं।

चौथा: सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का उद्देश्य इससे केवल इतना था कि वह इसके द्वारा अल्लाह का सामीप्य प्राप्त करें, क्योंकि उनका गुमान था कि यह अल्लाह को प्रिय है।

पाँचवां: जब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम शिर्क के इस प्रकार व किस्म से अनभिज्ञ रहे तो औरों का इससे अनभिज्ञ रहना और अधिक संभव है (अतः हम, लोगों के अमल करने से धोखा न खाएं)।

छठा: (सदकर्म के बदले) नेकियों (पुण्य) तथा माफी व क्षमा का उनसे जो वादा किया गया है वह किसी अन्य को प्राप्त नहीं है (अतः उन्हें हम जब भी याद करें भलाई के साथ ही याद करें, क्योंकि उन पर लांछन लगाना मानो अल्लाह, उसके रसूल (के साथ-साथ) तथा उन सहाबा सब पर लांछन लगाना है)।

सातवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें ऐसा करने पर क्षमा योग्य नहीं माना अपितु अपने कथनः अल्लाहु अकबर, यही तो (पिछली उम्मतों के) रास्ते हैं, तुम अवश्य पिछली उम्मतों की रीतियों का अनुसरण करोगे, अतः इन तीन बातों के द्वारा विषय की गंभीरता को बयान किया।

आठवाँ: सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात जो मूल उद्देश्य है, वह यह कि आपने उन्हें सूचित किया कि उनकी यह मांग बनी इस्राईल की मांग के समान है, जब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा थाः ﴿ ٱجۡعَل لَّنَآ إِلَٰهٗا ﴾ (आप हमारे लिए कोई देवता बना दें) (इसमें शब्दों में भी मुश्रिकीन की नकल करने से रोका गया है)।

नौवाँ: इस प्रकार के स्थान को पवित्र तथा मुबारक न समझना ("ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही के अर्थों में से है, यह एक अति गुप्त बात है जो उनसे क्षिप्त व ओझल रहे (जिस प्रकार "ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही का अर्थ है कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा पूज्य नहीं, उसी प्रकार बरकत भी अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं हासिल की जा सकती)।

दसवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फत्वा पर क़सम (सौगंध) खाई जबकि बिना किसी मसलेहत (अथवा बुराई को दूर करने) के क़सम खाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आदत न थी।

ग्यारहवाँ: चूँकि सहाबा को इस मांग के कारण मुर्तद (अधर्मी) नहीं समझा गया, जिससे पता चलता है कि शिर्क अकबर (बड़ा) भी होता है तथा अस़ग़र (छोटा) भी।

बारहवाँ: अबू वाक़िद रज़ियल्लाहु अन्हु का यह कहना कि हम नए-नए मुसलमान हुए थे, इससे पता चलता है कि अन्य सहाबा इससे अंजान न थे (और उनको नए-नए मुसलमान होने के कारण इससे अज्ञानता के कारण क्षमा योग्य समझा जाएगा)।

तेरहवाँ: इससे यह भी पता चलता है कि आशचर्य के समय अल्लाहु अकबर कहना जायज़ है, उनके विपरीत जो इसे अप्रिय सझते हैं।

चौदहवाँ: (शिर्क व बिदअत के) साधनों एवं द्वारों (ज़रिया) को बंद करना (ज़रिया -साधन- कहते हैं किसी चीज़ तक पहुँचने के रास्ते को, तथा ज़रिया (साधन) के दो प्रकार हैं:

1- वांछित एवं रुचिकर चीज़ों तक पहुँचने का साधन (ज़रिया), इसे बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका द्वार खोला जाएगा तथा इसे तलाश किया जाएगा।

2- निंदनीय चीज़ों तक पहुँचने का साधन (ज़रिया), इसे बंद किया जाएगा, तथा लेखक रहिमहुल्लाह का आशय (मुराद) यही है।

पंद्रहवाँ: इसमें जाहिलियत (अंधकार एवं अज्ञानता) वाले युग की नकल करने से रोका गया है (यह केवल आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नबी बनाए जाने के पूर्व वाले युग के साथ खास नहीं है, बल्कि हरेक वह व्यक्ति जिसने हक़ (सत्य) को नहीं पहचाना तथा जाहिलों (अज्ञानियों) वाला कर्म किया, ये सभी जाहिलियत वाले ही माने जाएंगे)।

सोलहवाँ: शिक्षा देते समय (किसी कारणवश) शिक्षक का छात्र पर क्रोधित एवं खिन्न होना भी साबित होता है।

सत्रहवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने "إنها السنن, यह रीतियां हैं" कह कर एक सामान्य नियम बता दिया (और यह डराने के लिए है)।

अट्ठारहवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह सूचना देना भी आप के नबी होने के चिह्नों में से एक चिह्न है, क्योंकि आपने जो भविष्यवाणी की थी वैसा ही हुआ।

उन्नीसवाँ: अल्लाह तआला ने क़ुरआन में जिन बातों पर यहूदी तथा ईसाईयों की निंदा की है वह दरअसल हमारी चेतावनी के लिए है (कि हम उससे बचें)।

बीसवाँ: यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि इबादतों का आधार आदेश पर है, अतः इसमें क़ब्र के प्रश्नों पर ध्यानाकर्षण करना है कि क़ब्र में प्रथम प्रश्न होगा: (مَنْ رَبُّكَ؟ तेरा रब कौन है?) यह तो स्पष्ट है, अलबत्ता द्वितीय प्रश्न: (مَنْ نَبِيُّكَ؟ तेरा नबी कौन है? तो यह आपके ग़ैब (परोक्ष) की सूचना देना है, तथा तृतीय प्रश्न: ((مَا دِينُكَ؟ तुम्हारा धर्म क्या है?) तो यह उनके कथन: («اِجْعَلْ لَنَا إِلَهًا اِلَخ» आप हमारे लिए एक देवता बना दें) अंत तक में है।

इक्कीसवाँ: अहले किताब की रीतियां भी मुश्रिकों (बहुदेववादियों) की रीतियों के समान निंदनीय हैं।

बाईसवाँ: जो बातिल (असत्य) से हक़ (सत्य) की ओर आता है उसमें बातिल (असत्य) का कुछ आचरण शेष रह जाता है, जैसाकि अबू वाक़िद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा: "हम अभी नये-नये मुसलमान हुए थे" (इसी लिए हिकमत (तत्वदर्शिता) का तकाज़ा यह है कि व्यभिचारी को कोड़ा मारने के पश्चात उस स्थान से तड़ीपार कर दिया जाए ताकि वह फिर से उस जुर्म की ओर पलट न जाए, अतः इंसान को चाहिए कि वह कुफ्र, शिर्क तथा फिस्क़ के स्थानों से दूर रहे, और अहले सुन्नत का तरीका यह है कि वह रब्बानी (रब वाले नेक) उलेमा से ही शिक्षा-दीक्षा लेते है, तथा वह व्यक्ति जो पहले गुमराह (पथभ्रष्ट) था किंतु अब सुन्नत की ओर पलट चुका है तो उससे उस समय तक शिक्षा-दीक्षा नहीं ली जाएगी जब तक उलेमा उनके गुमराही वाले अक़ीदा व आस्था तथा कर्मों से पूरी तरह से पाक हो जाने की गवाही न दें।

१०- अल्लाह के सिवाय किसी अन्य के लिए बलि चढ़ाने के विषय में

यह क्यों कहा (इस विषय में जो आया है), यह क्यों नहीं कहा कि (ग़ैरुल्लाह के लिए बलि चढ़ाना शिर्क है)?

1. लेखक महोदय की इच्छा है कि छात्र दलील से स्वयं हुक्म निकालने का हुनर सीखें, तथा शैक्षिक प्रशिक्षण का यह भी एक ढंग है।
2. या इसलिए कि ग़ैरुल्लाह के लिए ज़ब्ह करने के दो प्रकार हैं: जायज़ और शिर्क -ए- अकबर।

पहली और दूसरी दलील:

1– अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥ﴾ الآية. (कह दीजिए कि मेरी नमाज़, मेरी क़ुर्बानी (बलि) तथा मेरा जीवन-मरण सब सारे जहाँ (सर्वलोक) के रब (प्रभु) के लिए है जिसका कोई साझी नहीं)।

2– अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ الآية. (आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ें तथा क़ुर्बानी (बलि) दें)।

- ﴿قُلْ﴾: आप निश्छल तौहीद को अपनाते हुए इन मुश्रिकीन से डंके की चोट पर कहिए।
- ﴿صَلَاتِي﴾: मेरे समस्त शारीरिक कर्म जिनमें सर्वश्रेष्ठ नमाज़ है चाहे वह फर्ज़ हो अथवा नफ़्ल।
- ﴿وَنُسُكِي﴾: अर्थात मेरी क़ुर्बानी (बलि), मेरे समस्त वित्तीय कर्म जिनमें सर्वश्रेष्ठ अल्लाह के लिए क़ुर्बानी करना (बलि चढ़ाना) है।
- ﴿وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي﴾: अर्थात मेरे अस्तित्व में हरेक प्रकार का अधिकार तथा मेरे जीवन-मरण से ले कर सभी प्रकार का मामला केवल अल्लाह के लिए है।
- ﴿أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (मैं सर्वप्रथम मुस्लिम हूँ): इसका अर्थ या तो यह है कि: १- मैं इस उम्मत का सबसे पहला मुसलमान हूँ।

२- या यह है कि: मैं सभी लोगों में सबसे बड़ा मुसलमान और अल्लाह का सबसे विनम्र व आज्ञाकारी बंदा हूँ।

- ﴿وَانْحَرْ﴾: जिस प्रकार नमाज़ आप केवल अल्लाह के लिए पढ़ते हैं उसी प्रकार आप अपनी क़ुर्बानी भी निश्छल भाव से केवल अल्लाह के लिए ही करें।

ज़ब्ह के प्रकार:

अल्लाह के लिए ज़ब्ह करना: जैसे हज, ईद अल-अज़्हा एवं सदका व खैरात के लिए ज़ब्ह करना।	ऐसा जब्ह जो जायज़ हो: जैसे स्वयं खाने के लिए अथवा अतिथी सत्कार या व्यापार के लिए जब्ह करना।	अल्लाह के सिवा किसी और के लिए सप्रेम एवं क़द्रदानी करते हुए ज़ब्ह करना: जैसे जिन्न तथा क़ब्र वालों के लिए जब्ह करना, यह शिर्क -ए- अकबर (बड़ा शिर्क) है।

तीसरी दलील:

अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने चार बातें बयान कीं: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ» **"जो ग़ैरुल्लाह के लिए ज़ब्ह करे (बलि चढ़ाए) उस पर अल्लाह की लानत (धिक्कार) हो, जिसने अपने माता-पिता को धिक्कारा उस पर अल्लाह की धिक्कार हो, जिसने किसी बिदअती (नवाचारी) को शरण दिया उसपर अल्लाह की धिक्कार हो, जिसने धरती की सीमा के चिन्ह को बदल दिया उसपर अल्लाह की धिक्कार हो"**। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

- «لَعَنَ»: अल्लाह तआला की लानत (धिक्कार) का अर्थ, उसे अल्लाह की रहमत (कृपा) से दूर करना है, संभव है कि यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर से केवल सूचना देना भर हो, तथा यह भी संभव है कि यह आपकी ओर से उस व्यक्ति पर बद्दुआ (शाप) हो कि: जो ग़ैरुल्लाह के लिए ज़ब्ह करे उस पर अल्लाह की लानत एवं धिक्कार है।

चौथी दलील:

तारिक़ बिन शिहाब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ»، قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ، لَا يَجُوزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا، فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا: قَرِّبْ، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أُقَرِّبُ، قَالُوا لَهُ: قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا، فَقَرَّبَ ذُبَابًا؛ فَخَلَّوْا سَبِيلَهُ، فَدَخَلَ النَّارَ، وَقَالُوا لِلآخَرِ: قَرِّبْ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأُقَرِّبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اللهِ ﷻ، فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ»،

“एक व्यक्ति मक्खी के कारण स्वर्ग में गया तो एक व्यक्ति मक्खी के कारण ही नरक में गया, सहाबा ने पूछाः वह कैसे ऐ अल्लाह के रसूल? आपने फरमायाः दो व्यक्ति एक समुदाय के पास से गुज़रे जिनका एक देवता था, तथा वहाँ से कोई भी उस समय तक नहीं गुज़र सकता था जब तक वह उसके देवता के लिए कोई चढ़ावा न चढ़ा दे, उन्होंने एक से कहाः कुछ चढ़ावा चढ़ाओ, उसने कहाः चढ़ाने के लए मेरे पास कुछ नहीं है, उनलोगों ने उससे कहाः कुछ भी अवश्य चढ़ाओ चाहे एक मक्खी ही क्यों न हो, तो उसने एक मक्खी चढ़ा दिया, तो उसने उसका रास्ता छोड़ दिया, और (इस चढ़ावा के कारण) वह नरक में पहुँच गया, और उन्होंने दूसरे व्यक्ति से कहाः चढ़ावा चढ़ाओ, उसने कहाः मैं अल्लाह के अतिरिक्त किसी और के लिए कुछ भी नहीं चढ़ा सकता, तो उन्होंने उसकी गर्दन उतार दी, तो इसके कारण वह जन्नत में पहुँच गया”। इसे अहमद ने रिवायत किया है।

- «فِي ذُبَابٍ»: अरबी भाषा का शब्द “फी” यहाँ सबब व कारण के अर्थ में है, अर्थात मक्खी के कारण।

मसाइलः

पहलाः अल्लाह तआला के फरमानः ﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي﴾ की तफ़्सीर व व्याख्या।

दूसराः अल्लाह तआला के फरमानः ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ﴾ की तफ़्सीर व व्याख्या।

तीसराः सर्वप्रथम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ग़ैरुल्लाह के नाम पर ज़ब्ह करने वाले पर लानत (धिक्कार) भेजी (क्योंकि यह शिर्क है, तथा अल्लाह का हक़ (अधिकार) सारे हुक़ूक़ (अधिकारें) से बढ़ कर है)।

चौथाः अपने माता-पिता को धिक्कारने (लानत करने) वाला स्वयं धिक्कारित (लानती) है, तथा इसी में यह भी है कि आप किसी और के माता-पिता को धिक्कारो तो बदले में वह आपके माता-पिता को धिक्कारे (क्योंकि किसी चीज़ का कारण बनना मानो स्वयं वह कर्म करना है, या फिर वह प्रत्यक्ष रूप से वह माता-पिता को धिक्कारे)।

पाँचवांः जो व्यक्ति किसी बिदअती (मुजरिम) को शरण दे, वह मलऊन (धिक्कारा हुआ) है, बिदअती का तात्पर्य हरेक उस व्यक्ति से है जो किसी ऐसे जुर्म को अंजाम दिया हो जिसपर अल्लाह की तरफ से दण्ड निर्धारित हो तथा वह उससे बचने के लिए किसी की शरण खोजे (उसकी सहायता करने वाला, केवल उसकी हिमायत करने वाले के मुकाबले में बड़ा मुजरिम है, तथा बिदअत (नवाचार) के निम्नांकित प्रकार हैं:

1- दीन में बिदअत ईजाद करना, जैसाकि जहमीय्या, मोतज़ला तथा राफ़ज़ी इत्यादियों ने किया।

2- उम्मत से संबंधित मामले में अंजाम देना, जैसे जरायम (अपराध) तथा उस जैसी अन्य चीज़ें, उदाहरणस्वरूप किसी चोर अथवा डाकू को शरण देना।

छठा: जो भूमि के सीमा चिन्ह को बदल दे वह लानती (धिक्कारित) है, इससे अभिप्राय ऐसे चिन्ह हैं जो आप के तथा आपके पड़ोसी के अधिकार के मध्य अंतर करता हो, तथा इसको बदलने का उद्देश्य किसी का हक़ मारना हो।

सातवाँ: किसी निश्चित व्यक्ति पर तथा उमूमी रूप से (साधारण्यता) किसी पापी पर लानत करने में अंतर है (प्रथम वर्जित तथा द्वितीय जायज़ है, किसी निर्धारित व्यक्ति पर लानत भेजना जायज़ नहीं है, तथा इस परिप्रेक्ष्य में मूल बात यही है कि व्यापक रूप में (मुतलकन) किसी पर लानत भेजना जायज़ नहीं है)।

आठवाँ: एक मक्खी के कारण नरक में जाने वाला वृत्तांत बड़ा महत्वपूर्ण है (यदि इस किस्सा को सही मान लिया जाए तब)।

नौवाँ: मक्खी चढ़ाने वाला नरक में गया, जब्कि ऐसा करने से उसका उद्देश्य शिर्क करना नहीं था, बल्कि उसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया था (क्योंकि पिछली उम्मतों में बाध्यता को भी क्षमा योग्य नहीं माना जाता था)।

दसवाँ: शिर्क मोमिन के दिल को कितना घृणित लगता है कि उसने क़त्ल होना सहन कर लिया किंतु उनकी माँग नहीं पूरी की, जब्कि वह लोग ऊपरी तौर पर ही सही यह काम कराना चाहते थे (यदि उसका समर्थन करने तथा सब्र (धैर्य) न करने से इसलाम को हानि पहुँचने का गुमान हो तो सब्र करे, और स्मरण (याद) रहे कि सब्र करना कभी-कभी वाजिब हो जाता है)।

ग्यारह्वाँ: नरक में जाने वाला व्यक्ति मुसलमान था क्योंकि यदि वह काफिर होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह नहीं कहते कि: "**मक्खी के कारण नरक में गया**" (अर्थात एक मक्खी का चढ़ावा चढ़ाना ही उसके नरक में जाने का कारण बना)।

बारह्वाँ: इसमें उस दूसरी ह़दीस़ का भी समर्थन है जिसमें है कि: "**जन्नत और जहन्नम तुम्हारे जूते के फ़ीते से भी अधिक समीप है**" (तथा इसका उद्देश्य लोगों को भयभीत करना तथा रुचि दिलाना है)।

तेरह्वाँ: ज्ञात हो कि दिल से किया गया कर्म ही हरेक के समीप अति महत्वपूर्ण तथा महा उद्देश्य होता यहँ तक कि मूर्ति पूजकों के पास भी (दिल के रोगों का उपचार क़ुरआन एवं ह़दीस़ है, अतः दिल को सांसारिक मोह-माया से बचाकर रखें)।

जब किसी व्यक्ति को कुफ्र करने पर विवश किया जाए तो उसके लिए उचित क्या है? सब्र करे और क़त्ल हो जाए अथवा ऊपरी तौर पर उसका समर्थन करे तथा दिल में उसके लिए कोई तावील (तर्क) गढ़ ले?

1- आंतरिक तथा बाह्य दोनों रूप में उसका समर्थ करे, यह जायज़ नहीं है क्योंकि यह रिद्दत (इसलाम से फिर जाना) है।

2- ऊपरी रूप से उसका समर्थन करे आंतरिक रूप से नहीं, और उद्देश्य केवल इस विवशता से बचना हो, ऐसा करना जायज़ है।

3- न तो बाह्य रूप से और न ही आंतरिक रूप से उसका समर्थन करे, बल्कि क़त्ल हो जाने को प्राथमिकता दे, तो ऐसा करना जायज़ है और यह सब्र करने में दाख़िल है, तथा यह उस समय हो कि विवश करने पर उसका समर्थन करने से सामान्य लोगों के दीन (धर्म) को हानि पहुँचने का अंदेशा हो, अन्यथा ऊपरी तौर पर समथर्न कर दे आंतरिक तौर पर नहीं।

११- जिस स्थान में ग़ैरुल्लाह के लिए बलि दी जाती हो वहाँ अल्लाह के लिए क़ुर्बानी न किया जाए

ग़ैरुल्लाह के लिए ज़ब्ह करने का हुक्म ज़िक्र करने के बाद ऐसे स्थान पर अल्लाह के लिए ज़ब्ह करने का हुक्म ज़िक्र करना जहाँ ग़ैरुल्लाह के लिए ज़ब्ह किया जाता हो, लेखक महोदय का बड़ा ही बेहतरीन अंदाज़ है, अर्थात कोई उस स्थान पर अल्लाह के लिए क़ुर्बानी करने का इरादा करे जहाँ बुतों (मूर्तियों) के लिए बलि चढ़ाई जाती हो, उसका क्या हुक्म होगा, तथा इस वर्जना की हिकमत (तत्वदर्शिता) निम्मांकित हैं:

1- यह कुफ्फार की नकल करने के समान है।

2- ऐसा करने में एक प्रकार का धोखा है, क्योंकि इससे यह गुमान होगा कि मुश्रिकीन का अमल जायज़ है।

3- इसके द्वारा मुश्रिकीन के इस अमल को ताक़त मिलेगी, जब्कि यह वर्जित है और उसका खण्डन करना वांछित है।

पहली दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ الآيَةَ. (आप कदापि -उस मस्जिद -ए- ज़िरार में नमाज़ के लिए- खड़े न होना)।

लेखक रह़िमहुल्लाह का इस आयत को इस अध्याय में उल्लेख करने का उद्देश्य:

मस्जिद -ए- ज़िरार चूँकि कुकर्म करने, मुसलमानों के विरुद्ध इसका प्रयोग करने, मुसलमानों को हानि पहुँचाने तथा उनके मध्य अलगाव पैदा करने के उद्देश्य से बनाई गई थी तो अल्लाह तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उसमें खड़े होने से रोक दिया, जब्कि उसमें भी नमाज़ केवल अल्लाह के लिए ही पढ़ी जाती, जो इस बात का प्रमाण है कि हरेक वह स्थान जहाँ अल्लाह की नाफरमानी (अवज्ञा) की जाती हो वहाँ खड़ा नहीं हुआ जाएगा यद्यपि अब उसे समाप्त ही क्यों न कर दिया गया हो, और जिस प्रकार नमाज़ इबादत है उसी प्रकार क़ुर्बानी करना भी इबादत है।

और इसी से मिलती-जुलती चीज़ सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय नमाज़ पढ़ने से रोकना है, क्योंकि उस समय कुफ्फार सूर्य की उपासना कर रहे होते हैं, यहाँ युग तथा समय के आधार पर निषेध किया गया है जब्कि उक्त ह़दीस़ में स्थान के आधार पर वर्जित किया गया है।

दूसरी दलील:

स़ाबित बिन ज़ह्हाक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वह कहते हैं कि एक व्यक्ति ने "बवाना" नामक स्थान पर ऊँट की बलि देने की नज़्र (मनौती) मानी तो उसके संबंध में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रश्न किया, तो आपने पूछा: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟»، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟»، قَالُوا: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ». **"क्या जाहिलियत (अज्ञानता, अंधकार, मुर्खता) वाले युग में वहाँ कोई मूर्ति थी जिसकी पूजा होती थी? लोगों ने कहा: नहीं, आपने फिर पूछा: क्या वहाँ उनका कोई पर्व होता**

था? लोगों ने कहाः नहीं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः अपनी नज़्र (मन्नत) पूरी कर लो, (और ज्ञात रहे कि) अल्लाह की अवज्ञा में कोई मनौती नहीं तथा न ही उस चीज़ में जिसका इंसान मालिक न हो"। इसको अबूदाऊद ने रिवायत किया है तथा इसकी सनद दोनों (बुख़ारी एवं मुस्लिम) की शर्त पर पूरा उतरती है।

नज़्र (मनौती): शब्दकोष के अनुसारः अनिवार्य तथा अपरिहार्य करना, एवं शरीअत के अनुसारः बंदे का अपने ऊपर ग़ैर वाजिब (अनावश्यक) चीज़ को वाजिब (आवश्यक) कर लेना।

ग़ैरुल्लाह के लिए नज़्र मानना (शिर्क -ए- अकबर है):
जैसे कोई केवल शब्द उच्चारण करके ग़ैरुल्लाह की क़सम खाले, यह पूरा नहीं होगा (अर्थात इसको पूरा नहीं किया जाएगा और न ही इसमें कफ्फारा (प्रायश्चित) है, वह बस अल्लाह के सामने तौबा (पश्चाताप) करे)।

अल्लाह के लिए नज़्र मानना:

आम नज़्रः इसमें हरेक मुसलमान शामिल है ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ (वह अपने नज़्र को पूरा करते हैं) क्योंकि प्रत्येक मुसलमान ने आज्ञापालन करने तथा अवज्ञा न करने की नज़्र मानी है।

ख़ास (विशेष) नज़्रः

उच्चारण करने के पूर्वः ऐसा करना हराम है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा करने से मना किया है, और इसमें यदि कुछ भी भलाई होती तो नबी ने भी इस प्रकार की नज़्र मानी होती।

इसका उच्चारण कर लेने के बादः या तो इसे पूरा करे या कफ्फारा दे।

आज्ञापालन (फरमाँबरदारी) वाली नज़्रः इसको पूरी करना वाजिब है और यदि क़सम तोड़ दे तो कफ्फारा (प्रायश्चित) वाजिब है (इसका उदाहरणः नफ्ल नमाज़ की नज़्र मानना है)।

अवज्ञा (नाफरमानी) वाली नज़्रः इसको पूरी करना हराम (वर्जित) है और क़सम तोड़ कर कफ्फारा देना वाजिब है (इसका उदाहरणः किसी हराम कार्य जैसे चुग़ली (पिशुनता) करने की नज़्र मानना है)।

मुबाह़ और जायज़ नज़्रः उसको अधिकार दिया जाएगा कि वह नज़्र (मन्नत) पूरी करे -और यह परमोचित है- अथवा कफ्फारा दे (इसका उदाहरणः कोई विशेष वस्त्र धारण करने की नज़्र मानना)।

क्रोध में आकर मानी गई नज़्रः इसका हुक्म मुबाह व जायज़ नज़्र ही की तरह है जो क़सम (सौगंध) के अर्थ में माना जायेगा, (इसका उदाहरण हैः नगर छोड़ने की नज़्र (मनौती) मानना)।

मकरूह (अप्रिय) नज़्रः इस नज़्र को पूरी करना मकरूह (अरूचिकर) है जब्कि इसको तोड़ कर कफ्फारा देना मुस्तह़ब (रूचिकर) है (इसका उदाहरण हैः नमाज़ में इधर-उधर देखने की नज़्र मानना)।

मुतलक़ (बिना कुछ तय एवं निश्चित किए) नज़्र माननाः अर्थात वह बस यूँहि बिना कुछ तय किए नज़्र माने, इसमें कफ्फारा है, (इसका उदाहरण हैः जैसे कोई कहे मैं अल्लाह के लिए नज़्र मानता हूँ, फिर चुप हो जाये)।

- नज़्र (मन्नत) यदि अल्लाह के लिए हो तो वह पूरी होगीः अब या तो उसको पूर्ण करे या फिर उसे तोड़ कर उसका कफ्फारा दे (प्रायश्चित करे)।
- नज़्र यदि ग़ैरुल्लाह के लिए हो तो वह पूरी नहीं होगीः अर्थात इसको पूर्ण नहीं किया जाएगा और न ही इसका कफ्फार दिया (प्रायश्चित किया) जायेगा, इस में केवल अल्लाह के सामने तौबा (पश्चाताप) किया जाएगा (और रही बात हुक्म की तो, यह शिर्क -ए- अकबर है)।

मसाइलः

पहलाः अल्लाह तआला के फरमानः ﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ﴾ की तफ्सीर एवं व्याख्या (आप कभी उस -मस्जिद -ए- ज़िरार- में -इबादत एवं उपासना के लिए- खड़े न होना)।

दूसराः फरमाँबरदारी एवं नाफरमानी (आज्ञाकारिता तथा अवज्ञा) का प्रभाव कभी-कभी भूखण्ड पर भी पड़ता है (चूँकि उस स्थान पर शिर्क (बहुदेववादिता) आधारित कर्मकांड किए जाते थे, अतः मुश्रिकीन (बहुदेववादियों) की नकल एवं एकरूपता से बचने के लिए ऐसे कर्म को ह़राम (निषेध) किया गया जिसमें शिर्क से समानता हो।

तीसराः किसी कठिन एवं जटिल मसला को समझाने के लिए सरल एवं आसान मसले की ओर ले जाना ताकि किसी प्रकार की कोई जटिलता बाकी न रहे।

चौथाः आवश्यकतानुसार मुफ़्ती (धर्मशास्त्री) प्रश्नकर्ता से विवरण एवं तफ्सील माँग सकता है (या इसी प्रकार उत्तर देते समय विस्तार से काम ले सकता है)।

पाँचवांः किसी विशेष स्थान की नज़्र (मनौती) मानना में कोई हर्ज नहीं है बशर्ते कि कोई शरई रुकावट न हो (किंतु यदि यह भय हो कि अवाम यह समझने लगेगी कि इस स्थान की अपनी कोई विशेषता है तो फिर वर्जित होगा)।

छठाः जिस स्थान पर जाहिलियत (अंधकार, अज्ञानता) वाले युग में कोई वस़न (बुत, मूर्ति) रही हो यद्यपि अब उसे हटा दिया गया हो तथापि वहाँ की नज़्र (मन्नत) मानना अनुचित है।

सातवाँः किसी ऐसे स्थान पर नज़्र (मन्नत) पूर्ण नहीं की जा सकती जहाँ मुश्रिकीन का कोई उत्सव, मेला या त्योहार होता था यद्यपि अब वहाँ कुछ न होता हो।

आठवाँ: यदि किसी ने मुश्रिकीन की मूर्ति या त्योहार वाले स्थान की नज़्र मानी हो तो उसे पूरा करना जायज़ नहीं (अनुचित) है क्योंकि यह अवज्ञा वाली नज़्र एवं मन्नत है।

नौवाँ: इससे यह ज्ञात हुआ कि त्योहारों में मुश्रिकीन की समानता एवं एकरूपता से बचना चाहिए, यद्यपि उसकी समानता करने का इरादा न भी हो तब भी (शैख़ुल इस्लाम रहिमहुल्लाह का कथन मौजूद है कि समानता के लिए निश्चय एवं इरादा का होना शर्त नहीं, परंतु ऐसा यदि इरादा के साथ किया जाए तो ज़्यादा गुनाहगार होगा)।

दसवाँ: अल्लाह की नाफरमानी (अवज्ञाकारिता) में नज़्र (मन्नत) नहीं होती (अर्थात इस प्रकार का नज़्र मान लेने का मतलब है कि यह अपने आप में नज़्र तो शुमार होगी, किंतु इसे पूर्ण नहीं किया जायेगा)।

ग्यारह्वाँ: इंसान जिस चीज़ का मालिक न हो उसकी नज़्र (मनौती) मांगना भी नाजायज़ एवं गलत है (अर्थात उसको पूरा नहीं किया जाएगा, और इंसान जिसका मालिक नहीं होता उसके दो प्रकार हैं:

1- शरई तौर पर उसका मालिक न हो: जैसे कोई कहे: मैं अल्लाह के लिए यह नज़्र (मन्नत) मानता हूँ कि अमूक व्यक्ति के दास (ग़ुलाम) को मैं आज़ाद कर दूँगा, ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि वह उसका मालिक नहीं है।

2- नैसर्गिक एवं फ़ितरी तौर पर उसका मालिक न हो: जैसे कोई कहे: मैं अल्लाह के लिए यह नज़्र (मन्नत) मानता हूँ कि मैं अपने हाथों से चिड़िया उड़ाउँगा, ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि वह उसका मालिक नहीं है।

अल्लाह के लिए नज़्र (मनौती) मानने का कफ्फारा (प्रायश्चित) वही है जो क़सम (सौगंध) का कफ्फारा है:

- उसको अधिकार दिया जायेगा कि या तो एक मुस्लिम दास (ग़ुलाम) आज़ाद करे, अथवा दस मिस्कीन (फ़क़ीर) को भोजन कराए, अथवा दस मिस्कीन को कपड़ा (वस्त्र) पहनाए।
- यदि ऐसा करने में असमर्थ एवं अक्षम हो तो निर्बाध (लगातार, मुसलसल) तीन दिन तक रोज़ा रखे।

१२- ग़ैरुल्लाह की नज़्र व नियाज़ (मनौती) मानना शिर्क है

पहली और दूसरी दलील:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ ये लोग नज़्र -मनौती- पूरी करते हैं)।

२- और अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ﴾ (तुम -अल्लाह के रास्ते में- जो भी धन ख़र्च करो अथवा नज़्र मानो अल्लाह उसे अवश्य जानता है)।

दोनों आयतों का अध्याय से संबंध इस प्रकार है कि नज़्र (मन्नत) उन असबाब (माध्यमों) में से है जिनके कारण नेक लोग जन्नत में जाएंगे, और चूँकि यह इबादत एवं उपासना है अतः इसको ग़ैरुल्लाह के लिए अंजाम देना शिर्क है, इसी प्रकार किसी चीज़ तथा उसके बदला को अल्लाह के इल्म व ज्ञान पर छोड़ देना है।

तीसरी दलील:

सहीह (बुख़ारी) में आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ» **"जो अल्लाह का आज्ञापालन (फरमाँबरदारी) करने की नज़्र (मन्नत) माने वह अपनी मन्नत पूरी करे, तथा जो अल्लाह के अवज्ञा (नाफरमानी) की नज़्र माने वह अवज्ञा न करे"।**

आज्ञापालन, अवज्ञा तथा ग़ैरुल्लाह के लिए नज़्र मानने में अंतर:

- अल्लाह के आज्ञापालन (फरमाँबरदारी) की नज़्र (मन्नत) मानना: जैसे अल्लाह की क़सम (सौगंध) खाना, यह नज़्र शुमार होगी, (इसको पूरा किया जायेगा अथवा इसका कफ्फारा दिया (प्रायश्चित किया) जायेगा)।
- अल्लाह की अवज्ञा (नाफरमानी) की नज़्र (मन्नत) मानना: जैसे अल्लाह की क़सम (सौगंध) खाना, यह नज़्र शुमार होगी, (इसको पूरा किया जायेगा अथवा इसका कफ्फारा दिया (प्रायश्चित किया) जायेगा)।
  इसको पूर्ण करना वाजिब है।
- अल्लाह के सिवा अन्य (ग़ैरुल्लाह) की नज़्र मानना: जैसे ग़ैरुल्लाह की क़सम (सौगंध) खाना, यह नज़्र शुमार नहीं होगी, इसमें अल्लाह के समक्ष तौबा व इस्तिग़फार (पश्चाताप) करे।
  यह शिर्क -ए- अकबर है।

मसाइल:

पहला: नज़्र (मन्नत) पूरी करना वाजिब व अपरिहार्य है (किंतु स्मरण रहे कि केवल आज्ञापलन व फरमाँबरदारी वाली नज़्र जब्कि वह केवल अल्लाह के लिए मानी गई हो)।

दूसरा: जब यह प्रमाणित हो चुका कि नज़्र (मन्नत) मानना अल्लाह की इबादत व उपासना है तो अब इसे अल्लाह के सिवा किसी अन्य (ग़ैरुल्लाह) के लिए अंजाम देना शिर्क है।

तीसरा: इससे यह भी ज्ञात हुआ कि अवज्ञा एवं नाफरमानी वाली नज़्र (मन्नत) पूरी करना नाजायज़ एवं अनुचित है (और उसका कफ्फारा (प्रायश्चित) वही है जो क़सम (सौगंध) का कफ्फारा है)।

टिप्पणी:

नज़्र तथा क़सम के अहकाम (प्रावधान) लगभग समान ही हैं, और इसीलिए फ़ुक़हा (धर्मज्ञ, धर्मशास्त्री) दोनों को एक ही अध्याय "बाब -अल ऐमान व अल-नुज़ूर (सौगंध एवं मनौती से संबंधित अध्याय)" के तहत उल्लेख करते हैं।

१३- अल्लाह के सिवाय अन्य से इस्तेआज़ा (शरण माँगना) शिर्क है (अर्थात ऐसी चीज़ों में ग़ैरुल्लाह से शरण माँगना जिन की शक्ति, सामर्थ्य एवं ताकत केवल अल्लाह ही के पास है)।

पहली दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلۡإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلۡجِنِّ فَزَادُوهُمۡ رَهَقًا﴾ (और यह कि कुछ लोग जिन्नात की शरण माँगा करते थे तो (इस प्रकार) उनका उपद्रव (सरकशी, विद्रोह) और बढ़ गया)।

- ﴿يَعُوذُونَ﴾: अर्थात उसकी शरण माँगते थे, अरबी शब्द "عياذ" "इयाज़" किसी चीज़ से डरते हुए शरण माँगना, तथा "لياذ" "लियाज़" कहते हैं किसी चीज़ को पाने की आशा रखते हुए शरण माँगना।
- ﴿فَزَادُوهُمۡ رَهَقًا﴾: अर्थात दिलों में डर व रोब डाल देते थे, बदन में डर समा जाने को "رَهَق" "रहक़" कहते हैं, ग़ैरुल्लाह की पनाह माँगना, पनाह माँगने वाले (शरणार्थी) को कुछ भी लाभ नहीं पहुँचाता है बल्कि उसे और अधिक भयभीत कर देता है, और चूँकि यह शिर्क -ए- अकबर है अतः उसे उसकी चाहत के विपरीत चीज़ के द्वारा सज़ा दी गई।

दूसरी दलील:

ख़ौला बिन्ते हकीम रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुना: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ: (أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ)، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ» **"जो किसी स्थान पर उतरे तथा यह दुआ पढ़े: (أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ) "(मैं अल्लाह के पूर्ण कलमों (शब्दों, वाणियों) के द्वारा उसकी रचित एवं पैदा की हुई सृष्टि की हरेक प्रकार की बुराई से पनाह माँगता हूँ), तो उसके वहाँ से प्रस्थान कर जाने तक कोई भी वस्तु उसे हानि नहीं पहुँचायेगी"**। इस हदीस़ को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है।।

- «مَنْزِلًا»: किसी स्थान पर स्थाई रूप से ठहरने के लिए उतरे, या अस्थाई रूप से ही सही जैसे कश्ती -पानी जहाज़- में।
- «أَعُوذُ»: मैं अल्लाह तआला की शरण में आता हूँ।
- «بِكَلِمَاتِ اللهِ»: वह कलमा (वाणी) चाहे कौनी (कायनात से संबंधित) हों अथवा शरई।
- «التَّامَّاتِ»: (पूर्ण), का अर्थ है: १- सूचना देने में सच्चा होना। २- कानून (नियम) में न्यायोचित होना।
- «شَرِّ مَا خَلَقَ»: बुराई का संबंध अल्लाह से नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि अल्लाह तआला ने बुराई को भी किसी हिकमत (तत्वज्ञान) के तहत ही पैदा किया है, तथा ज्ञात रहे कि मख़लूक़ (रचना, सृष्टि) के कई प्रकार हैं:
  1- जिनमें केवल भलाई (कल्याण, हित) ही भलाई है, जैसे स्वर्ग, रसूल, तथा फरिश्ते।
  2- जिनमें केवल बुराई (अहित) ही बुराई है, जैसे नरक तथा इब्लीस (शैतान) अपने वजूद (अस्तित्व) के आधार पर, लेकिन चूँकि अल्लाह तआला ने इसे भी किसी हिकमत के तहत ही पैदा किया है अतः इसमें भी भलाई है।
  3- जिनमें भलाई तथा बुराई दोनों हैं, जैसे इंसान, जिन्नात (मानव एवं दानव) तथा हैवान (पशु-पक्षी)।
- «لَمْ يضره شَيْءٌ»: **(कोई भी वस्तु उसे हानि नहीं पहुँचायेगी)** यह ऐसी सूचना है जिसका असत्य होना असंभव है, अर्थात यह दुआ प्रभावी न हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यह सच्चे तथा जिनकी सच्चाई की गवाही समस्त संसार ने दी है उनका कथन है, किंतु यदि यह अप्रभावी हो जाये तो ऐसा किसी रुकावट एवं रोधक के कारण होगा, इसलिए नहीं कि यह सूचना असत्य है अथवा इस सबब (माध्यम) में ही कोई कमी है, इसको इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि सूरह फ़ातिहा पढ़ना रोग से मुक्ति का कारण है, लेकिन कभी-कभी इंसान सूरह फ़ातिहा पढ़ता तो है परंतु रोग से मुक्ति नही मिलती। (तो यह किसी रुकावट तथा रोधक के कारण होता है न कि सबब एवं माध्यम ही में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने के कारण)।

मसाइल:

पहला: सूरह जिन्न की आयत: (﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٞ مِّنَ ٱلۡإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٖ مِّنَ ٱلۡجِنِّ فَزَادُوهُمۡ رَهَقٗا﴾) की तफ़्सीर एवं व्याख्या।

दूसरा: इससे यह भी साबित हुआ कि अल्लाह के सिवाय किसी अन्य (ग़ैरुल्लाह) से शरण माँगना शिर्क है (यहाँ शिर्क से तात्पर्य शिर्क -ए- अकबर है, अर्थात ऐसा चीज़ों में अल्लाह के सिवाय किसी अन्य से पनाह माँगना जिसका सामर्थ्य एवं शक्ति केवल अल्लाह तआला के पास है)।

तीसरा: इस मसला पर उपरोक्त ह़दीस़ से दलील पकड़ी जाती है, क्योंकि उलेमा (विद्वानों) ने इससे यह दलील पकड़ी है कि अल्लाह तआला के कलेमात (वाणियों, शब्दों) मख़लूक़ (रचना, सृष्टि) नहीं हैं, क्योंकि मख़लूक़ से पनाह माँगना शिर्क है (अर्थात इस प्रकार के मामलों में शिर्क -ए- अकबर है, और यह कलेमात यदि मख़लूक़ होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इसके द्वारा पनाह माँगने की ओर मार्गदर्शन नहीं करते)।

चौथा: इससे इस संक्षिप्त दुआ की फ़ज़ीलत एवं प्रधानता भी प्रमाणित होती है (क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि: “जब तक उस स्थान पर रहोगे तुम्हें कोई भी चीज़ हानि नहीं पहुँचाएगी”)।

पाँचवाँ: किसी वस्तु से सांसारिक लाभ होना, अर्थात किसी बुराई से बचाव अथवा किसी लाभ का मिलना, उसके शिर्क न होने का प्रमाण नहीं है (अतः किसी कार्य से लाभ पहुँचने का कदापि यह अर्थ नहीं है वह शिर्क नहीं है)।

अन्य फ़ायदे:

ह़दीस़ से साबित होता है कि इस्लामी शरीअत जब जाहिलियत (अंधकार, अज्ञानता) वाले युग के किसी कार्य को बातिल एवं वर्जित करती है तो उससे उत्कृष्ट एवं बेहतर उसका विकल्प भी उपलब्ध कराती है, उदाहरणस्वरूप यहाँ देखें कि वो लोग जाहिलीयत में जिन्नों से पनाह माँगा करते थे तो शरीअत ने उसको वर्जित करके उसे इन कलेमात (शब्दों) से बदल दिया।

और यह बड़ा उत्तम ढ़ंग है दीन की दावत देने का कार्य करने वालों को जिसका ध्यान रखना चाहिए कि जब वह अवाम में पाई जाने वाली किसी बुराई का द्वार बंद करें तो उससे उत्तम उसका कोई विकल्प भी उपलब्ध कराएं, और इस तरह के उदाहरण क़ुरआन एवं ह़दीस़ में बहुतेरे हैं।

१४- ग़ैरुल्लाह से इस्तेग़ास़ा (गुहार, फरियाद) करना अथवा दुआ करना शिर्क है

एक से पाँच तक दलीलें:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٦ وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ﴾ الآيَة. (और तुम अल्लाह के सिवाय उसे न पुकारो जो तुमको लाभ या हानि पहुँचाने में असमर्थ हों, यदि तुमने ऐसा किया तो तुम ज़ालिमों (अत्याचारियों) में से हो जाओगे, तथा यदि अल्लाह तुम्हें कोई हानि पहुँचाए तो उसके सिवा कोई और उसका निवारण नहीं कर सकता)।

२- तथा दुसरे स्थान पर फरमाया: ﴿فَٱبۡتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزۡقَ وَٱعۡبُدُوهُ﴾ الآيَة. (अल्लाह से ही रिज़्क़ – जीविका- माँगो और उसी की इबादत एवं बंदगी (पूजा-अर्चना) करो।

३- और फरमाया: ﴿وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسۡتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ﴾ الآيَتَيْن. (और उससे बड़ा गुमराह -दिग्भ्रमित- कौन हो सकता है जो अल्लाह को छोड़ कर उनको पुकारे जो क़यामत -महा प्रलय- तक उसका उत्तर न दे सके)।

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّوٓءَ﴾ الآيَة. (जब कोई व्याकुल एवं लाचार होकर पुकारता है तो कौन है जो उसकी पुकार को सुनता है तथा उसकी तक्लीफ एवं दुःख को दूर करता है?)।

५- और त़बरानी ने अपनी सनद से रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग में एक मुनाफ़िक़ (पाखण्डी, द्वयवादी) मुसलमानों को पीड़ा पहुँचाता था, तो कुछ लोगों ने कहा: चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इस मुनाफ़िक़ के सम्बंध में इस्तेग़ास़ा (गुहार) करें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللهِ» **"इस्तेग़ास़ा (गुहार, फरियाद) मुझसे नहीं की जाती, बल्कि इस्तेग़ास़ा केवल अल्लाह से की जाती है"**।

- ﴿وَلَا تَدۡعُ﴾: इससे अभिप्राय, दुआ -ए- इबादत (इबादत वाली दुआ) तथा दुआ -ए- मसअला (माँगने वाली दुआ) है।
- ﴿عِندَ ٱللَّهِ﴾: जिसको बाद में होना चाहिए उसका उल्लेख पहले करना ह़स्र (सीमित करने) का अर्थ देता है, यानी रिज़्क़ (जीविका) केवल अल्लाह के पास ही तलाश करो क्योंकि यह केवल अल्लाह ही के पास है न कि उसके सिवाय किसी और के पास, और स्थिति यह है कि ये लोग बुतों (मूर्तियों) की उपासना करते हैं जब्कि वो उनकी जीविका के कदापि मालिक नहीं हैं।

- ﴿وَاعْبُدُوهُ﴾: यह इस बात को इंगित करता है कि जीविका ढूँढ़ने तथा जीविका के माध्यमों एवं असबाब में से यह है कि बंदा इबादत को उसके वास्तविक रूप में अंजाम दे।
- ﴿وَاشْكُرُوا لَهُ﴾: क्योंकि नेमत (अनुग्रह) एक प्रकार की आज़माइश (परिक्षण) है, अतः दिल, ज़ुबान तथा शारीरिक अंगों द्वारा उसका शुक्र अदा करना (धन्यवाद देना) चाहिए।
- ﴿يُجِيبُ﴾: किसी ऐसे व्यक्ति से पीड़ा दूर करने तथा आवश्यकतापूर्ति करने के लिए दुआ एवं प्रार्थना नहीं की जाएगी जो उसका सामर्थ्य एवं शक्ति नहीं रखता है।
- ﴿مُنَافِقٌ﴾: मुनाफ़िक़ उसको कहते हैं जो कुफ्र को छुपाए रख कर मुसलमान होने का छलावा एवं दिखावा करे, तथा मुसलमानों को दुःख देना इसकी दिनचर्या एवं आदत होती है।

रिज़्क़ (जीविका) के प्रकारः

- आमः यह प्रत्येक मख़लूक़ (सृष्टि) के लिए आम है, चाहे वह हलाल हो अथवा हराम।
- मोमिनों के साथ ख़ासः इससे अभिप्रायः ईमान, तक़वा (परहेज़गारी, इंद्रियनिग्रह) तथा नेक आमाल (सदकर्म) हैं।

मसाइलः

पहलाः दुआ आम (सामान्य) है तथा इस्तेग़ासा (गुहार) ख़ास (विशेष), अतः इस्तेग़ासा के पश्चात दुआ की चर्चा करना, विशेष के बाद सामान्य एवं साधारण का उल्लेख करना है।

दूसराः अल्लाह के कथनः ﴿وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾ की तफ़्सीर एवं व्याख्या।

तीसराः अल्लाह के सिवाय अन्य (ग़ैरुल्लाह) को पुकारना शिर्क -ए- अकबर (महा शिर्क) है।

चौथाः बेहद नेक एवं संत समान व्यक्ति भी यदि ऐसा कार्य अल्लाह के सिवाय अन्य को प्रसन्न करने के लिए करे तो वह ज़ालिमों (अत्याचारियों) में से होगा (इस नह्य एवं इंकार का संबोधन उन लोगों से है जिनकी हालत देखते हुए उनसे इस प्रकार का कार्य करना असंभव लगता है, तो जिनसे इस प्रकार के कार्य का क्रियान्वयन संभव प्रतीत होता हो वो तो इस इंकार के संबोधन के अधिक पात्र हैं)।

पाँचवांः इसके बाद वाली आयतः ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ﴾ की व्याख्या भी ज्ञात हुई, कि जब अल्लाह के सिवाय कोई अन्य दुःखों को हरने (दूर करने) वाला नहीं है तो इबादत (उपासना) उसी की हो और इस्तेग़ासा (फरियाद, गुहार) भी उसी से किया जाएगा।

छठा: पता चला कि ग़ैरुल्लाह को पुकारना कुफ्र (अधर्म) होने के साथ-साथ यह कोई सांसारिक लाभ भी नहीं पहूँचाता है (अतः ऐसा करने वाला लोक परलोक दोनों स्थान पर घाटा उठाता है)।

सातवाँ: तीसरी आयतः (﴿فَٱبۡتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزۡقَ وَٱعۡبُدُوهُ﴾) की तफ़्सीर एवं व्याख्या।

आठवाँ: अल्लाह तआला के सिवाय किसी और से रिज़्क़ (जीविका) नहीं माँगनी चाहिए, जैसे स्वर्ग (जन्नत) की प्रार्थना केवल उसी से की जाती है।

नौवाँ: इससे चौथी आयतः (﴿وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾) की तफ़्सीर एवं व्याख्या भी होती है।

दसवाँ: जो व्यक्ति अल्लाह को छोड़ कर अन्य को पुकारता है उससे बड़ा गुमराह (दिग्भ्रमित) कोई नहीं है (क्योंकि इस्तिफ़हाम -प्रश्नवाचक संज्ञा- यहाँ नफी -इंकार- के अर्थ में है)।

ग्यारह्वाँ: अल्लाह तआला के सिवाय जिन्हें पुकारा जाता है वह पुकारने वाले की पुकार से अनभिज्ञ होते हैं।

बारह्वाँ: अल्लाह तआला के सिवाय अन्य जिसको पुकारा जाता है वह इस पुकार के कारण पुकारने वाले का शत्रु होगा।

तेरह्वाँ: ग़ैरुल्लाह को पुकारना वास्तव में उसकी इबादत एवं उपासना करना है।

चौदह्वाँ: जिनको पुकारा जाता है वो क़यामत के दिन इसका इंकार कर देंगे (उसका खण्डन करते हुए इंकार करेंगे)।

चौदह्वाँ: अल्लाह के सिवाय अन्य (ग़ैरुल्लाह) को पुकारने के कारण ही वह व्यक्ति सर्वाधिक गुमराह (दिग्भ्रमित) हुआ (१- क्योंकि वह उनको पुकार रहा है जो उसकी पुकार का जवाब नहीं दे सकते। २- जिनको वह पुकार रहा है वो उसकी पुकार से अनभिज्ञ हैं। ३- उनकी इबादत करने के कारण वह काफिर बन गया)।

सौलह्वाँ: इससे पाँचवी आयतः (﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾) की तफ़्सीर एवं व्याख्या भी होती है।

सत्रह्वाँ: आश्चर्यजनक बात तो यह है कि मूर्ति पूजक भी यह मानते हैं कि केवल अल्लाह ही व्याकुलों एवं लाचारों की गुहार सुनता है इसी कारण कड़े समय में वे मात्र अल्लाह को ही ख़ालिस एवं निश्छल हो कर पुकारते थे।

अट्ठारह्वाँ: इससे प्रमाणित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तौहीद के बगिया की पूर्णरूपेण सुरक्षा कर दी और (उम्मत को) अल्लाह तआला के साथ बेहद आदर-सत्कार के साथ पेश आने की शिक्षा दी (चुनाँचे उम्मत को यह शिक्षा दी कि कड़े समय में केवल एक अल्लाह की शरण में जाएं तथा इस्तेग़ास़ा (गुहार, फरियाद) भी केवल उसी एक अल्लाह से करें)।

दूसरे पाठ से परीक्षा (९ अध्याय)

प्रथम प्रश्नः नज़्र (मन्नत) के निम्नांकित प्रकार के मध्य अंतर बताएं:

आज्ञापालन वाली नज़्र	अवज्ञा वाली नज़्र	ग़ैरुल्लाह के लिए नज़्र
....	....	....
....	....	....
....	....	....

द्वितीय प्रश्नः निम्नांकित कर्मों का हुक्म दिए गए संख्याओं में से हरेक के लिए उचित संख्या का चयन करके बताएं:

जायज़ (१), मकरूह (२), सग़ीरा (३), कबीरा (४), शिर्क -ए- अस़ग़र (५), शिर्क -ए- अकबर (६), इसमें तफ़्सील एवं विस्तार है (७), वाजिब (८), मुस्तहिब (९)।

......	नबी से प्रेम रखना	......	पत्नी से प्रेम करना
......	अहले किताब के कुफ्र में शंका करना	......	अल्लाह के साथ किसी अन्य से भी प्रेम करना
......	ताँत लटकाने वाले पर बद्दुआ करना	......	बुरी नज़र दूर करने के लिए क़ुरआन छूना
......	वेडिंग रिंग पहनना	......	किसी निश्चित व्यक्ति पर लानत करना
......	नबी के हुजरा (कमरा) को छूना	......	तावीज़ लटकाना
......	नज़्र के लिए किसी स्थान को ख़ास करना	......	हड्डी अथवा गोबर से इस्तिंजा करना
......	कुफ्फार के त्योहारों में सम्मिलित होना	......	क़ुरआन का पाठ करके तबुर्रुक हासिल करना
......	जिन्नात से भयभीत होना	......	मख़लूक़ से गुहार करना
......	क़ुरआन की आयात लटकाना	......	ग़ैरुल्लाह की नज़्र मानना
......	क़ुरआनी आयात का तावीज़ लटकाना	......	अवज्ञा की नज़्र
......	अरबी को छोड़ कर अन्य भाषा में झाड़-फूँक करना	......	जूता या चीथड़ा लटकाना
......	अल्लाह के नामों को ग़ैर अरबी भाषा में ज़िक्र करना	......	शोभा के लिए धागा लटकाना
......	स्वास्थय लाभ की नीयत से ज़मज़म पीना	......	हजर -ए- असवद को छूना
......	मस्जिद -ए- ज़िरार के स्थान का पता करना	......	मसलेहत के कारण धन बर्बाद करना
		......	"हम रसूल से इस्तेग़ास़ा करेंगे" कहना

तृतीय प्रश्नः ☒ का चिन्ह उचित स्थान पर लगाएं अथवा वाक्य पूर्ण करे:

1. तौह़ीद की तफ़्सीर है: ☐ पहले क़िस्म में ☐ छठे अध्याय में ☐ दोनों सही हैं।
2. इस शीर्षक की व्याख्या इस अध्याय से ले कर: ☐ पुस्तक की समाप्ति तक है ☐ इस क़िस्म की समाप्ति तक है।

3. लेखक ने तौहीद की व्याख्या की है: ☐ उसके विपरीत के द्वारा ☐ स्पष्ट चीज़ों के द्वारा ☐ समस्त।
4. पुस्तक की दूसरी क़िस्म कितने अध्यायों पर आधारित है: ☐ ५ ☐ ९ ☐ ७।
5. ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ﴾ अर्थात: ....
6. मोहब्बत के प्रकार: १- .... उसका हुक्म ....
   २- .... उसका हुक्म .... ३- .... उसका हुक्म ....
7. अल्लाह के लिए मोहब्बत इन चीज़ों से होगी: .... और .... और .... और ....
8. क़ुरआन वाले तावीज़ के हराम होने के कारण: १- .... २- ....
   ३- .... ४- ....
9. जायज़ झाड़-फूँक की शर्तें: १- ....
   २- .... ३- ....
10. आयत ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ का अध्याय (जहाँ ग़ैरुल्लाह के लिए बलि दी जाती हो वहाँ अल्लाह के लिए क़ुर्बानी नहीं की जायेगी) में ज़िक्र करने का सबब: ....
11. आयत ﴿يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ﴾ का अध्याय (ग़ैरुल्लाह के लिए नज़्र मानना शिर्क है) में उल्लेख का कारण: ....
12. नज़्र की शरई परिभाषा: ....
13. नज़्र शुमार होगी का अर्थ है: ....
14. «فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» अर्थात: ....
15. «بُوَانَة» (बुवाना): अर्थात: .... «لَا يَجُوزُهُ» अर्थात:...
16. मस्जिद -ए- ज़िरार कुफ्र के लिए बनाई गई थी, और .... और .... और ....
17. जहाँ ग़ैरुल्लाह के लिए ज़ब्ह होता हो वहाँ अल्लाह के लिए क्यों नहीं ज़ब्ह किया जायेगा: १- ....
    २- .... ३- ....
18. नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह क्यों फरमाया? «لَا يُسْتَغَاثُ بِي» ....
19. «آوَى» अर्थात: .... «مُحْدِثًا» अर्थात:......................................या ....
20. «لَعَنَ وَالِدَيْهِ» अर्थात: ....या ....
21. ﴿وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾ अर्थात: ....या ....
22. ﴿أَفَرَءَيْتُمُ﴾ अर्थात: .... ﴿ٱللَّٰتَ﴾ अर्थात: ....
23. ﴿وَٱلْعُزَّىٰ﴾ अर्थात: .... ﴿وَمَنَوٰةَ﴾ अर्थात: .... अथवा: ....
24. «أَعُوذُ» अर्थात: .... «بِكَلِمَاتِ اللهِ» अर्थात ....
25. तबर्रुक के प्रकार हैं: १- .... २- ....
    तथा इन दोनों के मध्य अंतर इस प्रकार किया जायेगा: ....

26. जिहालत (अज्ञानता) के कारण क्षमा योग्य समझे जाने वाले लोगों के प्रकारः १- .... २- ....

27. जो नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है और ज़कात भी देता है, परंतु क़ब्रों पर जाकर सज्दा भी करता है, तो ऐसा करनाः ☐ कुफ्र -ए- अकबर है ☐ कुफ्र -ए- अस़ग़र है ☐ कबीरा गुनाह है ☐ वह मुनाफ़िक़ है।

28. शिर्क -ए- अकबर के प्रकार हैं: ☐ ३ ☐ ४ ☐ २ प्रकार।

29. ज़ब्ह के प्रकार हैं: ☐ ३ प्रकार ☐ ४ प्रकार।

30. ﴿إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعۡبُدُونَ ٢٦ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي﴾ ☐ इसमें: “ला इलाहा इल्लल्लाह” का अर्थ निहित है ☐ पैदा करने वाला ही इबादत का पात्र है ☐ मूर्तियों की विवशता है ☐ उक्त समस्त।

31. ﴿أَحۡبَارَهُمۡ﴾: ☐ उनके उलेमा ☐ उनके इबादत गुज़ार (तपस्वी, संत)।

32. ﴿وَرُهۡبَٰنَهُمۡ﴾: ☐ उनके इबादत गुज़ार (तपस्वी, संत) ☐ उनके उलेमा।

33. ﴿أَرۡبَابٗا﴾: यहः ☐ मोहब्बत में ☐ आज्ञापालन में: साझी बनाना है।

34. अस्बाब (माध्यम) अपनाने में लोगों के प्रकार हैं: ☐ अति एवं न्यून तथा इन दोनों के मध्य संुतलन बनाकर चलने वाले ☐ सही, शिर्क -ए- अकबर तथा शिर्क -ए- अस़ग़र है।

35. नह़ (क़ुर्बानी) शारीरिक इबादतों में सर्वोत्तम हैः ☐ सही ☐ गलत।

36. गुनाहगार पर लानत भेजना जायज़ नहीं है, किंतु यदि उमूमी तौर पर (व्यापक रुप से) ऐसा किया जाए तो जायज़ हैः ☐ सही ☐ गलत।

37. मुसलमान को चाहिए कि अपनी ज़ुबान को लानत-मलामत से बचा कर रखे, और स्मरण रहे कि लानत उसी पर भेजी जायेगी जो उसका पात्र होगा, या तो नस़्स (दलील) से प्रमाणित हो ☐ आम दलील के द्वारा जैसे कुफ्फार ☐ या विशेष दलील के द्वारा जैसे सूदखोर, ☐ उक्त समस्त।

38. वह स्थान जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार की गई हों, वहाँ नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, सिवाय मस्जिद केः ☐ सही ☐ गलत।

39. उन स्थानों को यदि आज्ञापालन (फरमाँबरदारी) वाले स्थान से बदल देना संभव हो तो बदल दिया जायेगाः ☐ सही ☐ गलत।

40. मस्जिद -ए- क़ुबा में नमाज़ पढ़ने के लिए यात्रा करना सही हैः ☐ सही ☐ गलत।

41. वह स्थान जहाँ शिर्क किया जाता था, अब उस स्थान से शिर्क का प्रभाव समाप्त हो जाने के पश्चात स्मरण के लिए जाना सही हैः ☐ सही ☐ गलत।

42. नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इबादत का ढ़ंग मालूम करने के लिए “ग़ार -ए- ह़िरा” जाना सही हैः ☐ सही ☐ गलत।

43. नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक की यात्रा को “मेराज” कहते हैं: ☐ सही ☐ गलत।

44. जो रास्ते की उन निशानियों को मिटा दे जिनसे लोग रास्ता मालूम करते हैं तो वहः☐ मलऊन (शापित) है ☐ गुनाहगार है।

45. सालेहीन (धर्मात्मा, संत) का तिरस्कार एवं अपमान तथा उनकी फज़ीलत (प्रधानता) एवं सदगुण का इंकार करते हैं: ☐ अति करने वाले ☐ न्यून वाले ☐ इन दोनों के मध्य संतुलन बनाकर चलने वाले।

चतुर्थ प्रश्नः नज़्र (मन्नत) का हुक्म विस्तार के साथ बयान करें:

ग़ैरुल्लाह के नज़्र मानना (यह शिर्क -ए- अकबर है):
....

अल्लाह के लिए नज़्र मानना:
....

....

....

शब्द द्वारा इसका उच्चारण करने के पूर्वः
....

इसका उच्चारण करने के बादः
....

आज्ञापालन वालीः...

अवज्ञा वालीः...

मुबाह़ (उचित):.. ....

क्रोधित होकरः ....

मकरूह (अप्रिय): ....

मुत़लक़ (सामान्य): ....

पंचम प्रश्नः तालिका (क) के उचित वाक्यों को तालिका (ख) के उचित वाक्यों से मिलान करें:

ख	क	क्र.
इसको “अज़ाइम” भी कहा जाता है, जिसमें शिर्क का समागम न हो ऐसा करना शरीअत से साबित है।	नज़्र	1
उनका गुमान था कि इससे पति-पत्नी के बीच प्रेम प्रगाढ़ होता है।	मुनाफ़िक़	2
बुरी नज़र से बचने के लिए बच्चों के गले में लटकाया में जाता है।	झाड़-फूँक	3
अल्लाह की ओर से इसके होने का अर्थ हैः उसको अल्लाह की रहमत से दूर करना।	तिवलः	4
बंदा का अपने ऊपर ग़ैर वाजिब को वाजिब कर लेना।	तावीज़	5
जो कुफ्र छुपाए हुए इसलाम का दिखावा करे, मुसलमानों को दुःख पहुँचाना इसकी दिनचर्या एवं आदत होती है।	लानत करना	6

तीसरा: अल्लाह के सिवाय अन्य की इबादत बातिल है (४ अध्याय)

तौहीद की तफ़्सीर एवं व्याख्य के पश्चात इन चार अध्यायों में उन दलीलों एवं प्रमाणों का उल्लेख किया है जो अल्लाह तआला के सिवा अन्य की इबादत एवं उपासना को बातिल तथा व्यर्थ साबित करते हैं:

- मूर्तियों, एवं अल्लाह तआला को छोड़ कर अन्य की उपासना करना यहाँ तक की नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इबादत करना भी बातिल एवं व्यर्थ है।
- फरिश्तों की इबादत करना बातिल है, जब्कि वो इंसानों में से कुछ अति विशिष्ट लोगों को छोड़ कर अल्लाह तआला के सबसे अधिक निकट हैं।
- अल्लाह तआला के सिवाय किसी और से तौफ़ीक़ वाली हिदायत माँगना बातिल है, क्योंकि इसका अल्लाह के सिवाय कोई और मालिक नहीं है।

१५- अल्लाह तआला के इस फरमान: ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا﴾ الآية (क्या वो उसे (अल्लाह तआला) का साझी बनाते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते बल्कि वे स्वयं पैदा किये गये हैं, और न ही उनकी सहायता करने का सामर्थ्य रखते हैं) **का अध्याय**

- अल्लाह तआला ने मूर्तियों की विवशता एवं असहायता का उल्लेख किया है, साथ ही यह भी कि निम्नांकित चार कारणों से ये उपास्य एवं पूज्य (माबूद) नहीं हो सकते:
  1- वह किसी भी वस्तु को पैदा करने में अक्षम हैं, और जो पैदा करने में अक्षम हो वह पूजे जाने योग्य नहीं हो सकता।
  2- वह अदम (अनस्तित्व, परलोक) से वजूद (अस्तित्व, लोक) में लाए गए तथा पैदा किए गए हैं।
  3- वह अपने पुकारने वालों की सहायता नहीं कर सकते।
  4- (बल्कि) वह स्वयं अपनी सहायता भी नहीं कर सकते।

दूसरी दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ﴾ الآية. (अल्लाह के सिवाय जिनको तुम पुकारते हो वो खजूर की गुठली में पड़े हुए छिलके के भी मालिक एवं स्वामी नहीं हैं)

- ﴿قِطْمِيرٍ﴾: (क़ितमीर) उस पतली झिल्ली को कहते हैं जो खजूर की गुठली के ऊपर होती है।

- अल्लाह तआला ने अपने सिवाय अन्य की इबादत को चंद बातों के द्वारा बातिल (व्यर्थ) क़रार दिया है:
    1- वो किसी भी वस्तु के मालिक एवं स्वामी नहीं हैं।
    2- वो सुनते नहीं हैं।
    3- यदि हम यह मान भी लें (जोकि असंभव है) कि वो सुनते हैं तो भी वो उस पुकार का उत्तर तथा पुकारने वाले की आवश्यकतापूर्ति नहीं कर सकते क्योंकि वो इसकी क्षमता नहीं रखते हैं।
    4- क़्यामत (महा प्रलय) के दिन अल्लाह तआला उन लोगों को लेकर आएगा जिनकी अल्लाह के सिवा पूजा की जाती है तो वह पूजकों की पूजा का इंकार कर देंगे।

तीन से छः तक दलीलें:

३- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِيرٍ﴾ الآية. (अल्लाह के सिवाय जिनको तुम पुकारते हो वो खजूर की गुठली में पड़े हुए छिलके के भी मालिक एवं स्वामी नहीं हैं)।

४- सही बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि: «شُجَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ» नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उहुद के दिन घायल एवं आहत हो गये तथा आप के अगले दो दाँत शहीद हो गये तो आपने फरमाया: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ؟» **"वह क़ौम (समुदाय) कैसे सफल हो सकती है जिन्होंने अपने नबी को आहत कर दिया, तो यह आयत उतरी: ﴿لَيۡسَ لَكَ مِنَ ٱلۡأَمۡرِ شَيۡءٌ﴾(इस विषय में आपको कुछ भी अधिकार नहीं)"।**

५- और सही (बुख़ारी) ही में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सुना कि, आप फज्र की नमाज़ की अंतिम रकअत में रुकूअ से सिर उठाया तो: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» (जिसने अल्लाह की प्रशंसा की अल्लाह तआला ने उसे सुन लिया, हे हमारे रब व पालनहार हरेक प्रकार की प्रशंसा तेरे लिए ही है) कहने के पश्चात कहा: «**اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا**»، हे अल्लाह अमूक तथा अमूक पर लानत फरमा (धिक्कार दे), तो अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी: ﴿لَيۡسَ لَكَ مِنَ ٱلۡأَمۡرِ شَيۡءٌ﴾ (इस विषय में आपको कुछ भी अधिकार नहीं)"।

तथा एक रिवायत में है कि आप स़फ़्वान बिन उमैय्या, सुहैल बिन अम्र एवं हारिस़ बिन हिशाम पर बद्दुआ कर (श्राप दे) रहे थे तब यह आयत उतरी: ﴿لَيۡسَ لَكَ مِنَ ٱلۡأَمۡرِ شَيۡءٌ﴾ (इस विषय में आपको कुछ भी अधिकार नहीं)"।

६- और एक स्थान पर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम पर यह आयतः ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ (आप अपने निकटतम संबंधियों को डराईये) उतरी तो आप खड़े हुए तथा कहने लगेः हे क़ुरैश की जमात, या इस तरह का कोई और वाक्य कहा, अपने प्राणों को बेचो (अर्थात स्वयं को बचा लो) अल्लाह के यहाँ मैं तुम्हारे कुछ काम न आऊँगा, हे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब मैं अल्लाह के यहाँ आपके कुछ भी काम नहीं आऊँगा, हे मेरी फूफी स़फीय्या, अल्लाह के यहाँ मैं तुम्हारे कुछ काम न आऊँगा, हे मेरी सुपुत्री फ़ातिमा मेरे धन में से जो चाहो मांग लो, किंतु अल्लाह के यहाँ मैं तुम्हारे कुछ काम न आऊँगा

- «شُجَّ»: (अल-शज्जा), विशेष रूप से सिर तथा मुख के घाव व ज़ख़्म को कहते हैं।
- «رَبَاعِيَتُهُ»: बीच वाले दोनों दाँतों को "स़नाया" तथा उसके बाद वाले दोनों दाँतों को "रबाई" कहा जाता है।
- इससे यह प्रमाणित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बशर (इंसान, मानव) हैं और उनको भी उन्हीं सब (सुख दुःख) का सामना करना पड़ा जिनका सामना एक साधारण मनुष्य करता है, तथा इससे यह भी साबित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इबादत करना बातिल है।
- इसमें यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण तथा शिक्षाप्रद है कि इंसान कितना गुनाहगार तथा पापी क्यों न हो उसके संबंध में अल्लाह के रहम एवं कृपा से नाउम्मीद तथा निराश नहीं होना चाहिए।
- «صَفْوَان بْن أُمَيَّة، وَسُهَيْل بْن عَمْرٍو، وَالْـحَارِث بْن هِشَام»: इन तीनों (स़फ़्वान बिन उमैय्या, सुहैल बिन अम्र एवं ह़ारिस़ बिन हिशाम) ने इसलाम धर्म स्वीकार किया और बड़े अच्छे ढ़ंग से इसलाम को अंगीकार किया तथा उस पर जमे रहे, साथ ही साथ इसमें यह भी सोच का विषय है कि कभी-कभी शत्रुता मित्रता में बदल जाती है।
- जिस (पर बद्दुआ करने, अर्थातः श्राप देने) से रोका गया है, वहः
  1- निश्चित रूप से किसी काफिर अर्थात उनका नाम ले कर उन पर लानत करना है, किंतु सामान्य रूप से उन पर लानत करने में कोई हर्ज नहीं है, इसी तरह से हमारा इस प्रकार काफिरों पर लानत करना कि हम कहें: ऐ अल्लाह, मुसलमानों को उन से राहत दे।
  2- उमूमी तौर पर (सामान्य रूप से) समस्त काफिरों के हिलाकत की बद्दुआ करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस प्रकार से कभी उन पर पर बद्दुआ नहीं की, और अल्लाह ने उनका बाकी रहना मुक़द्दर किया (भाग्य में लिख रखा) था। (तथा बाद में उन्हीं में से अधिकाधिक लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया)।

मसाइलः

पहलाः दोनों आयतों की तफ़्सीर एवं व्याख्या (जिनमें मूर्तियों और ग़ैरुल्लाह की इबादतों एवं पूजा को बातिल एवं व्यर्थ क़रार दिया गया है)।

दूसराः उहुद की लड़ाई का उल्लेख (जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इबादत को बातिल क़रार दिया गया है, तो दूसरे इस के अधिक पात्र हैं कि उनकी इबादत न की जाए)।

तीसरा: सैय्यदुल मुरसलीन (रसूलों के सरदार) सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नमाज़ में क़ुनूत -ए- नाज़िला पढ़ना और आप के पीछे सादात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का आमीन कहना साबित है (इस उम्मत का कोई भी व्यक्ति नबी और सहाबा की तुलना में अल्लाह के निकटतम नहीं हो सकता, फिर भी वो लोग अल्लाह की ओर पलटते थे, तो अन्य इसके अधिक ज़रूरतमंद हैं कि वो अल्लाह की ओर पलटें)।

चौथा: जिनके लिए बद्दुआ की गई वो काफिर थे (और नबी ﷺ उनके किसी मामले का अधिकार नहीं रखते थे)।

पाँचवां: उन लोगों ने ऐसे-ऐसे कुकर्म किए जो अन्य काफिरों ने भी नहीं किया, जैसे अपने नबी को आहत करना, और आपका वध करने के लिए प्रयासरत रहना तथा उहुद के शहीदों का अंग-भंग (मुस़ला) करना हालांकि वो शहीद उनके सगे-संबंधी भी थे।

छठा: ऐसे बदसलूकी (दुर्व्यवहार) तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बद्दुआ करने के मौके पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फरमाईः ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ (जिसका अर्थ है कि सभी मामले केवल अल्लाह के अधिकार में हैं)।

सातवाँ: अल्लाह तआला का यह फरमानाः ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (कि अल्लाह तआला उन काफिरों को या तो क्षमा कर देगा अथवा उन्हें अज़ाब (यातना) देगा क्योंकि वो लोग ज़ालिम हैं), और अल्लाह ने उन्हें क्षमा कर दिया तथा वो ईमान ले आए।

आठवाँ: इससे आपदाओं के समय क़ुनूत -ए- नाज़िला पढ़ने का भी प्रमाण मिलता है (ज्ञात रहे कि उन्हीं मामलों में क़ुनूत -ए- नाज़िला पढ़ना मशरूअ -सुन्नत- है जो अल्लाह की तरफ से उतरी हों, जैसे भूकंप)।

नौवाँ: जिन पर बद्दुआ की जा रही (श्राप दिया जा रहा) है नमाज़ में उनका तथा उनके पूर्वजों का नाम लेना (जायज़ है)।

दसवाँ: क़ुनूत -ए- नाज़िला (आपदा के समय की जाने वाली दुआ अथवा बद्दुआ) में किसी निश्चित व्यक्ति का नाम लेकर लानत करना (शाप देना) (पहले जायज़ था फिर बाद में इसे वर्जित कर दिया गया)।

ग्यारह्वाँ: इस आयत ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ के उतरने के पश्चात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अपने संबंधियों को डराना (यह अल्लाह के आदेश का पालन एवं आत्मसात करना था)।

बारह्वाँ: जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तौहीद की दावत दी तो आप को दीवाना कहा गया, इसी प्रकार आज भी यदि कोई तौहीद की दावत का कार्य करेगा तो उसे भी इसी प्रकार के उपहास का सामना करना पड़ेगा (अतः हिकमत -तत्वज्ञान- के साथ (बिना किसी की परवाह किए) दावत -ए- दीन का कार्य करते रहना चाहिए)।

तेरह्वाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अपने निकटतम तथा दूर के संबंधियों से कहना किः **"मैं अल्लाह के यहाँ तुम्हारे किसी काम न आऊँगा"** यहाँ तक कि आपने अपनी सुपुत्री से भी यही बात कहीः **"हे मुहम्मद की पुत्री फ़ातिमा मैं अल्लाह के समक्ष तुम्हारे किसी काम न आऊँगा"**, जब आपने -जोकि नबियों के सरदार थे- यह स्पष्ट कर दिया कि आप समस्त लोक की महिलाओं की सरदार के भी कुछ काम न आयेंगे जब्कि हमारा ईमान है कि आप जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं तो अब इसकी रौश्नी में आजकल के हालात देखिए कि इस रोग से आम लोग ही नहीं विशेष भी पीड़ित हैं, सोच-विचार करने के बाद तौहीद तथा दीन के अजनबी होने का स्पष्ट अनुभव आपको हो जायेगा (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की निस्बत से हमें जो चीज़ लाभान्वित करेगी वह यह कि हम आप पर ईमान लाएं तथा आपकी पैरवी करें, फिर यह भी स्मरण रहे कि मोमिन का नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रेम करना सर्वविदित है जिसका इंकार असंभव है, लेकिन इसके बावजूद किसी के लिए उचित नहीं कि वह संबंध तथा लगाव के आधार पर निर्णय करे, बल्कि उसके लिए अपरिहार्य है कि वह उस चीज़ का अनुसरण करे जिस की ओर क़ुरआन व हदीस़ मार्गदर्शन करती है तथा जिसका समर्थन शुबुहात (संशय एवं शंका पैदा करने वाला) तथा शहवात (लालसा) से पाक स्पष्ट बुद्धी करती है)।

१६- अल्लाह तआला के फरमान: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمۡ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمۡۖ قَالُواْ ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ﴾ (यहाँ तक कि जब उनके दिलों से भय दूर कर दिया जाता है तो पूछते हैं कि तुम्हारे रब (प्रभु) ने क्या कहा है? वे कहते हैं कि उसने हक़ (सत्य) कहा है तथा वह सर्वोच्च व सबसे महान है) का अध्याय

- यह उन तर्कों एवं दलीलों में से है, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि अल्लाह के सिवाय कोई भी इस योग्य नहीं कि उसको अल्लाह का साझी बनाया जाये, क्योंकि मानव जाती में कुछ अति विशिष्ट लोगों को छोड़ कर अल्लाह के सबसे निकटतम फरिश्ते हैं इसके बावजूद वो जब अल्लाह का कलाम (वाणी) सुनते हैं तो घबरा जाते हैं।

फरिश्तों पर ईमान लाने में क्या-क्या सम्मिलित है?

- फरिश्तों पर ईमान लाने में जो चीजें शामिल हैं वह यह ईमान रखना कि फरिशते ग़ैब की (अनदेखी दुनिया) दुनिया से संबंध रखते हैं, अल्लाह ने उन्हें नूर से पैदा किया है, वह अल्लाह के आज्ञापालन में लगे रहते हैं तथा उसकी अवज्ञा नहीं करते, उनके पास रूह (आत्मा) है, और शरीर भी, हृदय एवं बुद्धि भी, हम उन पर और उनके उन नामों पर भी ईमान रखते हैं जो अल्लाह ने हमें बता दिया है (जैसे जिब्रील, मीकाईल, इस्राफील) उनके गुणों पर भी एवं उनके कार्यों पर (जैसे अर्श को उठाने वाले फरिश्ते) तथा उनके विषय में जो खबरें हम तक पहूँची हैं मोटे तौर पर या विस्तृत रूप से, हम उन सब पर ईमान रखते हैं।
- ﴿فُزِّعَ﴾ उनके दिलों से बदहवास (उद्विग्न) कर देने वाला भय दूर कर दिया जाता है, ﴿وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ﴾ : अहले सुन्नत वल जमात अल्लाह तआला के लिए साबित करते हैं: उलूव्वे ज़ात (सर्वोच्च व्यक्तित्व), उलूव्वे सिफात (सर्वोच्च गुण), तथा उलूव्वे क़हर (सर्वोच्च प्रबल व प्रभुत्वशाली होने का भाव) समस्त मख़लूक़ (सृष्टि) पर।

आयत से संबंधित कुछ अन्य फायदे:

- फरिश्ते अल्लाह तआला से भय खाते हैं जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوۡقِهِمۡ﴾ (और अपने रब से जो उनके ऊपर है, कपकपाते रहते हैं)।
- इस आयत से साबित होता है कि फरिश्तों के पास दिल है, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمۡ﴾ (यहाँ तक कि जब उनके दिलों से डर दूर कर दिया जाता है)।
- इससे यह भी साबित होता है कि वो केवल रूह भर न होकर सशरीर हैं, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿جَاعِلِ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيٓ أَجۡنِحَةٖ مَّثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۚ﴾(और दो-दो, तीन-तीन, चार-चार पंखों वाले फरिश्तों को अपना दूत बनाने वाला है)।
- उनके पास अक़्ल (बुद्धि, विवेक) भी है क्योंकि दिल अक़्ल का ठिकाना है।

- अल्लाह तआला के एक गुण "क़ौल (बात करने)" का प्रमाण, और यह उसके इरादा से संबंधित है।
- इस बात का प्रमाण कि अल्लाह तआला की बात (क़ौल) बिल्कुल सच्ची है, तथा अल्लाह के कलाम (वाणी) के सच्चे होने का अर्थ है: १- सूचना देने में सच्चा होना। २- फैसला करने में न्यायोचित होना, अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴾(और आपके रब का कलाम (वाणी) सच्चाई तथा न्याय के एतबार से बिल्कुल मुकम्मल है)।

उलूव्वे ज़ात (सर्वोच्च व्यक्तित्व) के प्रमाण संक्षिप्त रूप से पाँच हैं:

क़ुरआन	हदीस़	इज्मा (सर्वसहमति)	अक़्ल (बुद्धि)	प्राकृति

दूसरी दलील:

सही (बुख़ारी) में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ، يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ؛ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟، قَالُوا: الْحَقَّ؛ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ - وَصَفَهُ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ، فَحَرَفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ- فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا، وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كِذْبَةٍ، فَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا؟ فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ» **"जब अल्लाह आकाश में कोई आदेश देता है तो फरिश्ते विनम्रता एवं आदर के कारण अपने पंख यूँ फड़फड़ाते हैं मानो चिकने पत्थर पर हल्के ज़ंजीर की ध्वनी हो, यहाँ तक कि जब उनका भय दूर कर दिया जाता है तो एक-दूसरे से पूछते हैं: तुम्हारे रब ने क्या कहा: (तो अल्लाह के निकटतम फरिश्ते कहते हैं:) उसने जो कहा वह ह़क़ (सत्य) है तथा वह सर्वोच्च व महान है, तो शैतान उसे चोरी-छुपे सुन लेता है, और वो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार होते हैं, सुफियान बिन उयैयना रह़िमहुल्लाह ने अपनी हथेली को थोड़ा टेढ़ा किया एवं उँगिलयों के मध्य अंतर रखा (और इस प्रकार शैतान के एक-दूसरे के ऊपर खड़े होने की स्थिति को बनाकर दिखाया), सबसे ऊपर वाला शैतान जब कोई बात सुन लेता है तो वह अपने नीचे वाले से बताता है और वह अपने नीचे वाले को अंततः सबसे नीचे वाला शैतान यह बात जादूगर या ज्योतिषि को बता देता है, कभी ज्योतिषि तक वह बात पहुँचने के पूर्व ही शिहाब**

(उल्का) उस (शैतान) को जला देता है, और कभी शिहाब उसे लगने के पूर्व वह ज्योतिषि को वह बात बता चुका होता है, अब वह ज्योतिषि उस बताई हुई बात के साथ सौ झूठ मिलाता है, (और यदि कोई घटना उसके बताए अनुसार घट जाए तो) लोग कहते हैं कि: अमूक दिन उस जादूगर अथवा ज्योतिषि ने ऐसा-ऐसा नहीं कहा था? अंततः उस एक बात के सच होने से जो आसमान से सुनी गई थी उस ज्योतिषि को सच्चा समझ लिया जाता है"।

- «صَفْوَانٍ»: ह़दीस़ में वर्णित शब्द (स़फ्वान) का अर्थ है: ठोस चिकना पत्थर, और उस पर जब ज़ंजीर पड़ती है तो बड़ी भयानक एवं कर्कश ध्वनी निलकती है, इस उपमा (तश्बीह) का उद्देश्य भय की उस स्थिति को बताना है जो अल्लाह का कलाम (वाणी) सुनने के पश्चात फरिश्तों की होती है।
- «يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ»: यह ध्वनी प्रत्येक स्थान तक पहुँती है।

ह़दीस़ से चयनित कुछ फायदे:

- अल्लाह तआला की महानता तथा उसके एक गुण (स़िफ़त) "क़ौल (बात, गुफ्तगू)" का प्रमाण, और अल्लाह की ओर से जो भी घोषणा होती है वह सत्य पर आधारित ही होती है।
- फरिश्तों के लिए पंख, बात-चीत तथा विवेक का प्रमाण, और यह कि वो अल्लाह से डरते हैं और उसके समक्ष विनम्रता तथा आदर का भाव अपनाए रहते हैं।
- अल्लाह तआला ने लोगों की आज़माइश एवं परीक्षण के लिए इन जिन्नातों का आसमान तक पहुँचना संभव कर दिया है।
- जिन्नों की अधिकता, और उनका शरीर अत्यंत हलका होता है जिसके कारण वो पक्षियों के समान उड़ते फिरते हैं।
- ज्योतिषि सर्वाधिक झूठा व्यक्ति होता है इसीलिए वह जिन्नों से सुनी हुई बात में अपनी ओर से अधिकाधिक झूठ मिला देता है।
- जादूगर यदा-कदा जादू किये गये व्यक्ति (मंत्रमुग्ध) को अपने जादू के ज़ोर पर कल्पित तथा मिथ्या को सच के रूप में पेश कर देता है, अतः उसके चाल से बचना वाजिब एवं अनिवार्य है।
- चोरी-छुपे आसमान की बातें सुनने वाले शैतानों के निम्नलिखित प्रकार हैं:
  - नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दूत बनाए जाने के पूर्व वो इस तरह की बातों को अधिकांश सुन लिया करते थे।
  - जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को संदेष्टा बनाया गया तो आसमान पर पहरा लगाकर जिन्नों को चोरी-छुपे सुन्ने से रोक दिया गया।
  - नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मृत्य के पश्चात चोरी-छुपे सुनने वाले जिन्न पुनः यह कार्य करने लगे किंतु पहले की तुलना में अब इसमें कमी आ गई।

तीसरी दलील:

नव्वास बिन समआन रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُوحِيَ بِالأَمْرِ، تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ أَخَذَتِ السَّمٰوَاتِ مِنْهُ رَجْفَةٌ – أَوْ قَالَ: رِعْدَةٌ – شَدِيدَةٌ، خَوْفًا مِنَ اللهِ ﷻ، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمٰوَاتِ صَعِقُوا وَخَرُّوا للهِ سُجَّدًا، فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرَائِيلُ، فَيُكَلِّمُهُ اللهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُرُّ جِبْرَائِيلُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءٍ سَأَلَهُ مَلَائِكَتُهَا: مَاذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جِبْرَائِيلُ؟ فَيَقُولُ جِبْرَائِيلُ: قَالَ الْحَقَّ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، فَيَقُولُونَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جِبْرَائِيلُ، فَيَنْتَهِي جَبْرَائِيلُ بِالْوَحْيِ إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ اللهُ ﷻ». "जब अल्लाह तआला किसी मामले की वह्य (आकाशवाणी) करना चाहता है तो वह्य के द्वारा बताता है जिसके भय से आकाशों में कंपन अथवा थरथराहट पैदा हो जाती है, तथा उसे जब आसमानों तथा ज़मीन के फरिश्ते (देव-दूत) सुनते हैं तो मूर्छित (बेहोश) होकर सज्दे में गिर पड़ते हैं, फिर सर्वप्रथम जिब्रील नामक फरिश्ता सिर उठाते हैं तो अल्लाह तआला वह्य के द्वारा अपनी इच्छानुसार उनसे बात करता है, तत्पश्चात जिब्रील फरिश्तों के पास से गुज़रते हैं, जिस-जिस आकाश से वह गुज़रते हैं उस आकाश के फरिश्ते उनसे पूछते हैं कि हे जिब्रीलः हमारे रब (प्रभु) ने क्या फरमाया है? तो जिब्रील उत्तर देते हैं कि ह़क़ (सत्य) कहा और वह सर्वोपरि व महान है, तो सभी उसी प्रकार बोलते हैं जैसा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बोला होता है, अंततः उस वह्य को जहाँ अल्लाह तआला का आदेश होता है वहाँ पहुँचा देते हैं"।

हदीस़ से चयनीत कुछ फायदेः

- अल्लाह तआला के लिए इरादा का प्रमाण, और इसके दो प्रकार हैं:
  1- इरादा शरईया (शरीअत से संबंधित संकल्प व इरादा)।
  2- इरादा कौनिया (ब्रह्माण्ड -कायनात- से संबंधित संकल्प व इरादा)।
- मख़लूक़ यद्यपि निर्जीव वस्तु ही क्यों न हो तथापि वह अल्लाह की महानता का अनुभव करती है।
- आसमान के कई परत होने का प्रमाण, और उनमें से हरेक परत के लिए फरिश्ते तैनात हैं।
- जिब्रील अलैहिस्सलाम की फज़ीलत कि वह विश्वसनीय हैं तथा पूरी अमानतदारी के साथ वह्य को गंतव्य स्थान तक पहुँचा देते हैं।
- अल्लाह तआला के लिए "इज़्ज़त (शक्ति, सामर्थ्य)" तथा "जलाल (प्रताप, तेज)" का प्रमाण।

"उस वह्य को जहाँ अल्लाह का आदेश होता है वहाँ पहुँचा देते हैं":

«جَلَّ»: अरबी भाषा का शब्द "अल-जलाल" ऐसी सर्वोच्च महानता का बखान करने कि लए प्रयोग में लाया जाता है कि जिससे महान कोई न हो।

«عَزَّ»: अरबी भाषा का शब्द "अल-इज़्ज़त" शक्ति, सामर्थ्य तथा प्रभुत्व के अर्थों में प्रयोग होता है।

- अज़ीज़ -ए- ग़ालिब एवं क़ाहिर, अर्थात प्रभुत्व तथा सभों पर नियंत्रण रखने वाला।
- अज़ीज़ -ए- क़ादिर, अर्थात ऐसा सामर्थ्य एवं योग्यता जिसमें कोई उसका साझी नहीं है।
- अज़ीज़ -ए- मुमतनअ, अर्थात जिसको कोई हानि नहीं पहुँचा सकता।

मसाइल:

पहला: सूरह सबा की आयत (﴿حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمۡ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمۡۖ قَالُواْ ٱلۡحَقَّۖ﴾) की तफ्सीर एवं व्याख्या।

दूसरा: इस आयत में शिर्क के बातिल (असत्य) होने का प्रमाण है, विशेष रूप से ऐसा शिर्क जिसका संबंध सालेहीन (धर्मात्माओं) से है, तथा इस आयत के विषय में कहा गया है कि यह आयत दिल से शिर्क रूपी वृक्ष का समूल उन्मूलन कर देती है।

तीसरा: इससे अल्लाह तआला के फरमान: ﴿قَالُواْ ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ﴾ की तफ़्सीर एवं व्याख्या भी होती है।

चौथा: फरिश्तों (देवदूतों) के प्रश्न करने का कारण भी इसमें उल्लेखित है (अत्यंत भयभीत होने के कारण ऐसा पूछते हैं)।

पाँचवाँ: फरिश्तों के प्रश्न करने पर जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह तआला का फरमान सुनाते हैं (कि अल्लाह तआला ने ऐसा ऐसा फरमाया है)।

छठा: इस बात का वर्णन कि जब समस्त फरिश्ते बेहोश (मूर्छित) हो जाते हैं तो सर्वप्रथम जिब्रील अपना सिर उठाते हैं (जिससे उनकी फ़ज़ीलत एवं प्रधानता साबित होती है)।

सातवाँ: चूँकि सभी फरिश्ते जिब्रील से पूछते हैं अतः वह सभी का उत्तर देते हैं (जो फरिश्तों के बीच जिब्रील अलैहिस्सलाम के महत्व तथा आदर को बताता है)।

आठवाँ: यह बेहोशी सामान्य रूप से समस्त आकाश वासियों के लिए होती है।

नौवाँ: अल्लाह तआला के कलाम (वाणी) से आकाश काँप उठता है (और ऐसा अल्लाह के आदर के कारण होता है)।

दसवाँ: जिब्रील अलैहिस्सलाम वह्य (आकाशवाणी) को गंतव्य स्थान तक पहुँचा देते हैं (क्योंकि वह अमानतदार एवं विश्वसनीय हैं)।

ग्यारह्वाँ: शैतान चोरी-छुपे अल्लाह तआला के कलाम को सुनने का प्रयास करते हैं।

बारह्वाँ: इस उद्देश्य के लिए वो एक-दूजे पर सवार हो जाते हैं।

तेरह्वाँ: उन पर शिहाब (उल्का) छोड़ा जाता है (जो चोरी-छुपे सुनने वाले शैतान को जला देती है)।

चौदह्वाँ: कभी बात ज्योतिषि तक पहुँचाने के पूर्व ही शिहाब उसको जला कर राख कर देता है और कभी शिहाब लगने से पहले ही शैतान अपने इंसानी मित्र को वह बात बता चुका होता है।

पंद्रह्वाँ: यदा-कदा ज्योतिषि की बात सच भी हो जाती है।

सोलह्वाँ: भविष्यवक्ता उस एक बात में सौ झूठ मिला देता है (-सौ झूठ- ऐसा अतिश्योक्ति के तौर पर कहा गया है, इसका अभिप्राय सटीक सौ की संख्या नही है)।

सत्रह्वाँ: लोग ज्योतिषियों की बात इसलिए मान लेते हैं कि उसने एक बात की सटीक भविष्यवाणी की थी जब्कि वह बात आसमान से चोरी छुपे सुनी गई थी।

अट्ठारह्वाँ: लोग बातिल एवं असत्य को अति शीघ्र स्वीकार कर लेते हैं, कि वो एक बात जो सच थी उसको याद रखते हैं तथा अन्य सौ झूठ की परवाह नहीं करते।

उन्नीसवाँ: शैतान इस बात को एक दूसरे से सुन कर याद कर लेता है और उसे (अन्य झूठी बातों को सही बनाने के लिए) तर्क के तौर पर पेश करता है (क्योंकि इसी से उसका सारा गोरखधंधा चलता है, यदि उसका समस्त धंधा झूठ पर ही आधारित हो तब तो सारा धंधा मंदा हो जायेगा)।

बीसवाँ: अशअरिया तथा मुअत़्तला (इसलाम धर्म में पाये जाने वाले दिग्भ्रमित मत) के विपरीत इससे अल्लाह तआला के सिफ़ात (गुणों) का भी प्रमाण मिलता है।

इक्कीसवाँ: आसमान में कंपन तथा मूर्छा अल्लाह के भय से होती है

बाईसवाँ: समस्त फरिश्ते अल्लाह के लिए सज्दे में गिर जाते हैं (अल्लाह की महानता का अनुभव करते हुए तथा जिससे वो भयभीत होते हैं उससे बचने के लिए)।

१७- शफ़ाअत (सिफारिश, अभिस्तावना) का अध्याय

लेखक रहिमहुल्लाह यह अध्याय क्यों लाए हैं?

- मूर्तियों के सिफारशी होने के गुमान को मिथ्या साबित करने के लिए, क्योंकि कुफ्फार यह आस्था रखते हैं कि यह मूर्तियां अल्लाह के निकट उसकी सिफारिश करेंगीं।
- क्योंकि अल्लाह तआला का इल्म (ज्ञान), क़ुदरत (शक्ति) तथा बादशाहत कामिल एवं पूर्ण है, अन्य सांसारिक बादशाहों की तरह नहीं अर्थात उसका ज्ञान, शक्ति एवं बादशाहत नाक़िस एवं अपूर्ण नहीं है कि उसे किसी सिफारिशी की आवश्यकता हो जो (मामले को संभालने में) उसकी सहायता करे यहाँ तक कि सिफारिश करने वालों को इतनी हिम्मत हो जाए कि वह अल्लाह की आज्ञा के बिना ही किसी के लिए सिफारिश करना आरंभ कर दें।

एक से पाँच तक दलीलें:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَلِىٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾ (और आप इस -क़ुरआन- के द्वारा उनको सचेत करें जो इस बात से डरते हैं कि अपने रब -प्रभु- के समक्ष ऐसी दशा में एकत्रित किये जायेंगे कि उनका अल्लाह के सिवाय कोई अन्य सहायक, समर्थक तथा सिफारिशी न हो)।

२- और अल्लाह का कथन है: ﴿قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعًا﴾ (आप कह दीजिए कि हरेक प्रकार की सिफारिश का अधिकार केवल अल्लाह को है)।

३- तथा एक स्थान पर अल्लाह तआला ने फरमाया: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ﴾ (कौन है जो उसके सम्मुख उसकी अनुमति के बिना सिफ़ारिश कर सके?)।

४- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغْنِى شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰٓ﴾ (आसमानों में बहुतेरे फरिश्ते (देवदूत) हैं जिनकी सिफारिश कुछ काम न देगी परंतु इसके पश्चात कि अल्लाह जिसके लिए सिफारिश की अनुमति दे दे तथा उससे प्रसन्न हो)।

५- ﴿قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُۥ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ﴾.

(-हे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- आप इन बहुदेववादियों से कह दीजिए कि तुम अल्लाह के सिवाय जिनको माबूद (उपास्य) समझते हो, उन्हें पुकार कर देखो, वह आसमानों तथा ज़मीन में एक कण के भी मालिक नहीं, और न उनमें कोई अल्लाह का साझीदार है और न ही सहयोगी, और अल्लाह तआला के पास किसी की सिफारिश उस समय तक लाभदायक नहीं हो सकती जब तक कि अल्लाह तआला उसकी अनुमति न प्रदान कर दे)।

- ﴿وَأَنذِرْ بِهِ﴾: अरबी भाषा का शब्द "इंज़ार" कहते हैं ऐसी सूचना तथा डराने को जिसमें भय सम्मिलित हो, तथा यहाँ इसका अभिप्राय यह है कि आप क़ुरआन के द्वारा उनको डराएं।
- ﴿وَكَم مِّن مَّلَكٍ﴾: अर्थातः आकाश में फरिश्तों की बहुतायत होने के बावजूद उनकी सिफ़ारिश किसी को कुछ भी लाभ नहीं पहुँचा सकती, परंतु यदि अल्लाह तआला उन्हें सिफारिश की अनुमति दे दे तो बात दूसरी है, और ज्ञात हो कि सिफारिश करने वाले तथा जिसकी सिफारिश की जा रही है दोनों से अल्लाह तआला का प्रसन्न होना अति आवश्यक है।
- ﴿ٱدۡعُواْ﴾: यह उनकी असमर्थता जताने तथा चुनौती के तौर पर है इस अर्थ में किः उन्हें उपस्थित करो अथवा दुआ के प्रकारों में से एक माँगने वाली दुआ के द्वारा उन्हें पुकारो।
- ﴿مِن شِرۡكٍ﴾: अर्थात वो न तो अकेले इसमें समर्थ हैं और न ही संगठित हो कर।
- ﴿مِّن ظَهِيرٍ﴾: यहाँ इस बात को मिथ्या बताया गया है कि बुत (मूर्ति) अल्लाह के सहायक हैं, और अरबी भाषा का शब्द "ज़हीर" का अर्थ होता हैः सहायक एवं मददगार।

- इन मूर्तियों की ओर से हरेक उस चीज़ का इंकार किया है जिसकी आशा उनकी उपासने करने वाले रखते हैं, कि ये किसी भी चीज़ के मालिक नहीं हैं न तो निजी रूप से, न संगठित रूप से और न ही सहायक के रूप में, क्योंकि कोई यदि किसी का सहायक हो यद्यपि वह साझीदार नहीं हो फिर भी वह उसका आभारी हो जाता है और उसका दिल रखने के लिए उसकी चाहत के अनुसार कार्य करने लगता है, अब जब इन तीनों चीज़ों का इंकार कर दिया गया तो अब केवल सिफारिश बचती है और अल्लाह तआला ने उसे भी बातिल क़रार दे दिया है, अंततः इनकी सिफारिश उन्हें कुछ भी लाभान्वित नहीं करेगी।
- यह आयत तथा इसके बाद वाली आयत के विषय में इब्नुल क़ैय्यिम रहिमहुल्लाह का कथन है किः "यह वह आयत है जो हृदय से शिर्क रूपी पेड़ का समूल उन्मूलन कर देती है"।

शफ़ाअत (कहते है: लाभ पाने अथवा हानि दूर करने के लिए किसी को वास्ता एवं माध्यम बनान तथा इसके निम्नलिखित) प्रकार हैं:

जायज़ सिफारिश:

जिसको अल्लाह ने केवल अपने लिए प्रमाणित किया है तथा इन शर्तों के साथ यह अल्लाह से तलब की जायेगी:

- शफ़ाअत करने की अनुमति मिलना।
- शफ़ाअत करने वाले से अल्लाह का प्रसन्न होना।
- जिसकी शफाअत की जा रही है उस से अल्लाह का प्रसन्न होना।

नाजायज़ सिफारिश:

जिसको क़ुरआन ने नाजायज़ कहा है जैसे कि अल्लाह को छोड़कर किसी और से ऐसी चीजों में सिफारिश चाहना जिसको पूरा करने में केवल अल्लाह ही सक्षम है।

यह बड़ा शिर्क है।

जिस को पूरा करने में कोई मनुष्य भी सक्षम हो

यह चार शर्तों के साथ सही है कि सिफारिश करने वाला:

- जीवित हो।
- योग्य (सक्षम) हो
- उपस्थित हो।
- सबब (माध्यम) मानना।

﴿وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغۡنِي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ أَن يَأۡذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرۡضَىٰٓ﴾

(आसमानों में बहुतेरे फरिश्ते (देवदूत) हैं जिनकी सिफारिश कुछ काम न देगी परंतु इसके पश्चात कि अल्लाह तआला जिसके लिए सिफारिश की अनुमति दे दे तथा उससे प्रसन्न हो)।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए विशेष सिफारिश (का प्रावधान) जिसमें कोई भी आपके संग साझी नहीं हो सकता:

१- सर्वोत्तम सिफारिश, और यही वह मक़ाम -ए- महमूद (प्रशंसनीय स्थान) है जिसका वादा अल्लाह तआला ने आप से फरमाया है।

२-नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अपने चाचा अबू तालिब की यातना में कमी के लिए सिफारिश करना।

३- जन्नत का द्वार खुलवाने के लिए सिफारिश करना।

आम सिफारिश जो अन्य नबियों, रसूलों, फरिश्तों, मुवह्हिदीन (एकेश्वरवादी) और शिशुओं के लिए होगी।

१- मुवह्हिदीन (एकेश्वरवादी) के पद में उन्नति के लिए सिफारिश।

२- मुवह्हिदीन (एकेश्वरवादी) में से जिनलोगों के लिए जहन्नम में जाने का आदेश जारी हो चुका होगा उनके लिए सिफारिश।

३- मुवह्हिदीन में से जो लोग जहन्नम में प्रवेश कर चुके होंगे उनको वहाँ से निकालने के लिए सिफारिश।

शैख़ुल इसलाम अबुल अब्बास रहिमहुल्लाह फरमाते हैं: “अल्लाह तआला ने अपने सिवाय समस्त मख़लूक़ (सृष्टि, रचना) से उन बातों को नकार दिया है जिनको मुश्रिकीन (बहुदेववादी) तर्क के रूप में पेश करते थे, उदाहरणस्वरूप इस बात का इंकार किया है कि आकाश तथा धरा में पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप से किसी भी प्रकार का अलल्ह के सिवा किसी को कोई अधिकार है या वह अल्लाह का सहायक है, अब सिफारिश ही शेष रह गई तो इसके संबंध में बताया कि यह उसी के लिए लाभदायक होगी जिसके लिए सिफारिश की अनुमति स्वयं अल्लाह तआला देंगे, जैसाकि फरमायाः ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ﴾ (वे उसी के लिए सिफारिश करेंगे जिससे अल्लाह प्रसन्न होगा) तो वह सिफारिश जिसका गुमान बहुदेववादी रखते हैं क़यामत के दिन नहीं होगी जैसाकि क़ुरआन ने इसका इंकार किया है। तथा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सूचना दी है किः “क़यामत के दिन आप आएंगे और सिफारिश ही से आरंभ नहीं करेंगे अपितु आप पहले अल्लाह के समक्ष सज्दा करेंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे, उसके पश्चात आपसे कहा जाएगा किः आप अपना सिर उठाएं और बात करें, आप माँगें आपकी माँग पूरी की जाएगी, आप सिफारिश करें आपकी सिफारिश स्वीकार की जाएग।

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से प्रश्न कियाः (हे अल्लाह के रसूल,) आपकी सिफारिश का सौभाग्य किसे प्राप्त होगा? आपने उत्तर दियाः “**जिसने इख़्लास़ के साथ निःकपट भाव से “ला इलाहा इल्लल्लाह” का इक़रार किया होगा**” अतः प्रमाणित हुआ कि यह सिफारिश अल्लाह की अनुमति से ही शुद्ध एकेश्वरवादियों के लिए होगी उसके लिए नहीं जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया होगा।

इसका अभिप्राय यह है कि अल्लाह तआला मुख़लिस़ (निश्छल) मुवह्हिदीन (एकेश्वरवादियों) पर अपनी विशेष कृपा करेगा तथा जिन लोगों को सिफारिश की अनुमति देगा उनके द्वारा इन एकेश्वरवादियों को क्षमा कर देगा, ताकि इस प्रकार उनको सम्मानित करे तथा उन्हें मक़ाम -ए- महमूद (प्रशंसनीय स्थान) प्राप्त हो।

अतः क़ुरआन ने जिस सिफारिश का इंकार किया है यह वह सिफारिश है जिसमें शिर्क का समागम हो इसीलिए अनेक स्थानों पर अपनी अनुमति से सिफारश को साबित किया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने स्पष्ट रूप से यह बता दिया है कि सिफारिश केवल उन्हीं लोगों के लिए होगी जिसने स्वच्छ मन से अल्लाह को माना तथा उसकी उपासना की”, उनका कथन समाप्त हुआ।

मसाइलः

पहला: उन आयतों की तफ्सीर एवं व्याख्या (जिनकी संख्या पाँच है)।

दूसरा: जिस सिफारिश को नकारा गया है उसका स्पष्टिकरण (अर्थात जिसमें शिर्क की मिलावट हो)।

तीसरा: जिस सिफारिश को स्वीकारा गया है उसका स्पष्टिकरण (यह अहले तौहीद की सिफारिश है जो अल्लाह तआला की अनुमति से उस स्थिति में होगी जब अल्लाह तआला सिफारिश करने वाला तथा जिसके लिए सिफारिश की जा रही है दोनों से प्रसन्न होगा)।

चौथा: महा सिफारिश की चर्चा, जिसे मक़ाम -ए- महमूद भी कहते हैं (यह फैसले की प्रतीक्षा में खड़े लोगों का फैसला जल्दी करने के लिए होगी)।

पाँचवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का सिफारिश करने का ढ़ंग कि आप जाते ही सिफारिश से आरंभ नहीं करेंगे अपितु आप पहले सज्दा करेंगे फिर अनुमति मिलने पर आप सिफारिश करेंगे (यह अल्लाह तआला की महानता तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आदर को इंगित करता है)।

छठा: (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिफारिश का सौभाग्य पाने वाले व्यक्ति का उल्लेख (कि वह अहले तौहीद तथा एहले इख़लास़ (निःकपट भाव से अल्लाह की उपासना करने वाले) होंगे।

सातवाँ: यह सिफारिश मुश्रिकीन को प्राप्त नहीं हो सकेगी।

आठवाँ: सिफारिश (अभिस्तावना) की हक़ीक़त (यथार्थता एवं वास्तविकता) का वर्णन (कि दरअसल अल्लाह तआला इसके द्वारा अहले इख़लास़ पर कृपा करेगा, अतः उनके गुनाहों (पापों) को उस व्यक्ति की दुआ के द्वारा क्षमा कर देगा जिसको वह सिफारिश की अनुमति देगा ताकि अल्लाह तआला उसका सम्मान करे और वह मक़ाम -ए- महमूद प्राप्त कर लें)।

१८- अल्लाह तआला के फरमानः ﴿ إِنَّكَ لَا تَهۡدِي مَنۡ أَحۡبَبۡتَ ﴾الآية (आप जिसे चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते) का अध्याय

दूसरी दलीलः

सही (बुख़ारी) में इब्ने मुसय्यिब ने अपने पिता से रिवायत किया है किः (لَـمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ، جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ وَأَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ لَهُ: «**يَا عَمِّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ**»، فَقَالَا لَهُ: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْـمُطَّلِبِ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَعَادَا، فَكَانَ آخِرَ مَا قَالَ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْـمُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)، जब अबू तालिब का अंतिम समय हुआ तो उनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आये और उनके पास अब्दुल्लाह पुत्र अबू उमैय्या तथा अबूजहल उपस्थित थे तो आपने फरमायाः हे चाचा, "ला इलाहा इल्लल्लाह" का इक़रार कर लीजिए, यह ऐसा वाक्य है कि इसे मैं अल्लाह के पास आपके लिए दलील के तौर पर पेश करूँगा, वो दोनों बोलेः क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के धर्म से विमुख हो जाओगे? तो आपने अपनी बात दुहराई तो उन दोनों ने भी पुनः वही बात कही, अंततः उसने जो सबसे अंतिम वाक्य कहा वह यह था किः वह अब्दुल मुत्तलिब के धर्म पर अडिग है, तथा "ला इलाहा इल्लल्लाह" का इक़रार करने से मना कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा किः मैं आप के लिए क्षमा याचना करता रहूँगा जब तक कि मुझे इससे रोक न दिया जाये, तो अल्लाह तआला ने यह आयत उतारीः ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ ﴾ (नबी के लिए तथा ईमान वालों के लिए अनुचित है कि वो मुश्रिकों के लिए क्षमा याचना करें), तथा अल्लाह तआला ने अबू तालिब के संबंध में यह आयत नाज़िल कीः ﴿ إِنَّكَ لَا تَهۡدِي مَنۡ أَحۡبَبۡتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ ﴾ (निश्चय ही आप उसे मार्गदर्शन नहीं दे सकते जिसे आप चाहें किंतु अल्लाह तआला जिसे चाहे मार्दशन देता है)।

हिदायत (मार्गदर्शन) के प्रकारः

हिदायत मार्गदर्शन एवं पथ प्रदर्शन के अर्थ मेः इसका अधिकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास भी हैः

﴿ وَإِنَّكَ لَتَهۡدِيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ﴾

(आप सीधे व सटीक पथ की ओर मार्गदर्शन करते हैं)

हिदायत तौफ़ीक़ के अर्थ मेः इसका अधिकार केवल अल्लाह के पास हैः

﴿ إِنَّكَ لَا تَهۡدِي مَنۡ أَحۡبَبۡتَ ﴾

(आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते)

- लेखक रहिमहुल्लाह इस अध्याय को यह बताने के लिए लाए हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी को "तौफ़ीक़ वाली हिदायत" नहीं दे सकता, अतः अल्लाह तआला ने उसे जो आदेश दिया है उसका पालन करता रहे।
- एक दुविधा है: कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अबू तालिब से कैसे प्रेम कर सकते हैं जब्कि वह काफिर थे?
  समाधान: अनुमानित तथा संभावित वाक्य इस प्रकार है: १- जिसके हिदायत पा लेने से आपको प्रेम है न कि आप स्वयं उस व्यक्त से प्रेम करते हैं (इस विषय में की गई यह सर्वोत्तम विवेचना है), २- या, आप जिससे नैसर्गिक रूप से प्रेम करते हैं, और ऐसा करना जायज़ है, ३- अथवा, काफिरों से प्रेम रखने को निषेध क़रार देने वाले हुक्म के उतरने से पूर्व वाला प्रेम जो आप उनसे रखते थे।
- «جَاءَهُ رَسُولُ الله ﷺ»: इससे काफिरों का दर्शन करने एवं उसका हाल-चाल पूछने के लिए जाने का मुस्तहब (पुनीत) होना प्रमाणित होता है यदि उसके इसलाम धर्म स्वीकार करने की आशा हो।
- «يَا عَمِّ»: (हे मेरे चाचा) आपने यह उपाधि तथा वाक्य का प्रयोग इसलिए किया कि इससे प्रेम प्रकट होता है, तथा यह दावत देते समय हिकमत (तत्वदर्शिता) अपनाने को भी बताता है।
- इस हदीस़ तथा उलेमा का यह कथन कि: "मृत्यु शय्या पर पड़े हुए व्यक्ति को "कहो अथवा पढ़ो" कह कर आदेश न दे कर कलमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" कहने के लिए प्रेरित करना चाहिए" के मध्य संतुलन कैसे बनाएंगे? इसका समाधान यूँ है कि अबू तालिब काफिर थे अतः जब उनसे कहा गया कि (कहो) और उन्होंने ऐसा कहने से इंकार कर दिया तो वह अपने कुफ्र पर ही अडिग रहे, अर्थात इस प्रकार प्रेरित करने के ढ़ंग से उन्हें कुछ भी हानि नहीं पहुँची सका मुसलमानों के विपरीत, क्योंकि मुसलमानों का मामला संगीन है क्योंकि इस प्रकार आदेश देते हुए कहने का ढ़ंग उनके लिए हानिकारक बन सकता है (यदि किसी ने मृत्युशय्या पर पड़े हुए किसी मुसलमान को आदेश देते हुए कलमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" पढ़ने के लिए कहा तथा उसने मना कर दिया तब तो वह इस्लाम से कुफ्र में चला जायेगा)।
- «حَضَرَتْ»: अर्थात अभी मृत्यु का प्रभाव उन पर दिख रहा था परंतु मृत्यु हुई नहीं थी, ऐसी स्थिति में क्या उसका तौबा (पश्चाताप) स्वीकार्य है? तो इस विषय में सटीक एवं सही बात यह है कि उसका तौबा अस्वीकार्य है, १- क्योंकि आयत ﴿وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ﴾ (ऐसे लोगों के लिए तौबा नहीं जो कुकर्म किए चले जाएं यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मृत्यु का समय नज़्दीक हो जाता है (-तो कहने लगता है, अब मैं तौबा करता हूँ-)) हदीस़ के अनुकूल है।
  2– नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «أُحَاجُّ لَكَ» "मैं इसे आपके लिए अल्लाह के समक्ष दलील के तौर पर पेश करूँगा" और ऐसा करने से अबू तालिब को इसका फायदा पहुँचेगा ही इसकी ज़मानत आपने नहीं ली।
- यह केवल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए आरक्षित है कि अपने चाचा के काफिर होने के बावजूद आप उनके लिए सिफारिश करेंगे।

- मुसय्यिब तथा अब्दुल्लाह बिन उमैय्या ने इस्लाम स्वीकार किया, अबू जहल तथा अबू तालिब के विपरीत।
- «هُوَ عَلَى مِلَّةِ»: सर्वनाम (मैं) के स्थान पर (वह) का प्रयोग दर्शाता है कि ह़दीस़ के रावी (वाचक) ने अपने तौह़ीद में किसी प्रकार के विकार से बचने के लिए यह ढ़ंग अपनाया है।

मसाइलः

पहलाः आयत ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ ﴾ الْآيَةَ। की तफ्सीर।

दूसराः आयत ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ﴾ الْآيَةَ। की तफ्सीर (उनकी मृत्यु पर ग़म करना तथा ताज़ियत के लिए जाना ह़राम है)।

तीसराः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथनः «قُلْ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ» (आप “ला इलाहा इल्लल्लाह” का इक़रार कर लें) की व्याख्या अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें उन स्वघोषित ज्ञानियों पर कुठराघात है जो केवल ज़ुबान से कह देने भर को पर्याप्त समझते हैं (अर्थात केवल ज़ुबान से कह भर देना काफी नहीं है बल्कि इक़रार एवं पालन भी ज़रूरी है और इसी कारणवश अबू तालिब ने ऐसा कहने से इंकार कर दिया)।

चौथाः जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने चाचा से “ला इलाहा इल्लल्लाह” पढ़ने को कहा तो इसका अभिप्राय अबू जहल व उसके साथी समझते थे, अल्लाह उन स्वघोषितों का बुरा करे जिनसे अधिक अबू जहल इस्लाम के मूल स्वभाव को समझता था।

पाँचवांः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने चाचा को मुसलमान बनाने के लए कठोर परिश्रम तथा अंथक प्रयास किया (१- निकटतम संबंधी होने के कारण, २- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा इसलाम के प्रति जो उपकार उन्होंने किया उस आधार पर वह धन्यवाद के पात्र हैं, यद्यपि कुफ्र की स्थिति में मृत्यु पाने के कारण गुनाहगार एवं दोषी हैं)।

छठाः इसमें उन लोगों का खंडन है जो अब्दुल मुत्तलिब तथा उनके पूवर्जों को मुसलमान समझते हैं (उनका धर्म कुफ्र का पालन करना था)

सातवाँः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अबू तालिब के लिए क्षमा की दुआ की फिर भी उनको माफ नहीं किया गया बल्कि आपको भी दुआ करने से रोक दिया गया (अर्थात सभी मामलों का अधिकार केवल अल्लाह के पास है)।

आठवाँः यह भी प्रमाणित होता है कि इंसान को बुरे लोगों की संगति में रहने का नुक़सान उठाना पड़ता है।

नौवाँः पूर्वजों के आदर में (अतिश्योक्ति करने में) हानि है (जब वह बातिल पर (अधर्मी) हों)।

दसवाँः मिथ्यावादियों को इस विषय में भ्रम अबू जहल का इसको तर्क बनाने के कारण हुआ।

ग्यारह्वाँः नजात (मोक्ष) का आधार बिल्कुल अंतिम समय में किया गया कर्म है, क्योंकि अबू तालिब यदि मृत्यु के समय इस कलमा का इक़रार कर लेते तो यह उन्हें लाभ पहुँचाता।

बारह्वाँः गुमराह (दिग्भ्रमित) लोगों के दिलों में पड़े उस बड़ी शंका के विषय में सोच-विचार करना चाहिए, इसलिए कि अबू तालिब के कथा में स्पष्ट है कि मक्का के सरदार इसी शंका के कारण अबू तालिब से झगड़ते रहे जब्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बड़ा प्रयास किया तथा बारंबार अपना उपदेश पहुँचाया फिर भी इसकी महानता तथा स्पष्टता के कारण इसी पर अडिग रहे (जोकि पूर्वज तथा महात्माओं के आदर की शंका है)।

तीसरे पाठ से परीक्षा (४ अध्याय)

प्रथम प्रश्न: इस पाठ के समस्त अध्यायों के नाम तथा लेखक का उस अध्याय में उसे उल्लेख करने का कारण व सबब भी बताएं:

लेखक का उस अध्याय में लाने का उद्देश्य	शीर्षक	क्र.
....	....	1
....	....	2
....	....	3
....	....	4

द्वितीय प्रश्न: निम्नांकित कृत्य का हुक्म बताएं:

जायज़ (१) नाजायज़ (२) शिर्क -ए- अकबर (३) मुस्तहब/सुन्नत (४)

.....	नबी की प्रतिष्ठा का वसीला पकड़ना	.....	मुर्दों से शफाअत तलब करना
.....	मरनासन्न को कलमा कहने के लिए प्रेरित करना	.....	मुश्रिक रोगी का हला-चाल पूछना
.....	सामान्य रूप से काफिरों पर लानत करना	.....	निश्चित व्यक्ति पर लानत करना

तृतीय प्रश्न: ☒ का चिन्ह उचित स्थान पर लगाएं अथवा रिक्त स्थानों को भरें:

1. किताबुत तौहीद में तीसरा पाठ (क़िस्म) है: ☐ तौहीद की तफ़्सीर ☐ अल्लाह के सिवा अन्य की उपासना करना बातिल तथा व्यर्थ है।
2. तीसरे पाठ मे: ☐ चार अध्याय हैं ☐ छ: अध्याय हैं ☐ पाँच अध्याय हैं।
3. आयत ﴿أَيُشۡرِكُونَ﴾ में इस्तिफ्हाम (प्रश्नवाचक संज्ञा) इंकार तथा चेतावनी के लिए है: ☐ सही ☐ गलत।
4. अल्लाह तआला ने आयत ﴿أَيُشۡرِكُونَ﴾ में मूर्तियों की इबादत व उपासना को बातिल तथा उसकी असमर्थता को कितने प्रकार से बताया है: ☐ ३ ☐ 4।
5. ﴿وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ﴾ यहाँ दुआ का भावार्थ है: ☐ इबादत वाली ☐ माँगने वाली ☐ दोनों।
6. कोई भी व्यक्ति यद्यपि वह कितना बड़ा पापी क्यों न हो हमें उसके विषय में अल्लाह की रहमत व कृपा से मायूस नहीं होना चाहिए, सिवाय कुफ्फार के सरदारों के: ☐ सही ☐ गलत।
7. लेखक रहिमहुल्लाह का कथन कि जिन पर बद्दुआ की गई वो कुफ्फार थे का भावार्थ उनके कुफ्र के संबंध में सूचना देना है: ☐ सही ☐ गलत।

8. लेखक महोदय का कथन: (सैयिदुल मुरसलीन (रसूलों के सरदार) का क़ुनूत पढ़ना) का अभिप्राय है: ☐ क़ुनूत पढ़ना जायज़ है ☐ इस उम्मत का कोई भी व्यक्ति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की तुलना में अल्लाह के अधिक निकट नहीं हो सकता इसके बावजूद वो लोग अल्लाह की ओर पलटते थे।
9. काफिरों पर लानत भेजने का ढ़ंग: ....
10. ﴿فُزِّعَ﴾: भय (☐ बेसुध करने देने वाली ☐ स्थिर) उनके दिलों से दूर कर दी जाती है।
11. (كَوْنُهُ يَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ) (फिर वह उसमे सौ झूठ मिला देता है), नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ऐसा फरमाना: ☐ अतिश्योक्ति के रूप में है ☐ एक निश्चित एवं सीमित संख्या बताना है।
12. ﴿وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ﴾ इस आयत में सिफ़ारिश के तीनों शर्तों का उल्लेख है: ☐ सही ☐ गलत।
13. हरेक वह सिफारिश जिसमे शिर्क का समागम हो ऐसी सिफारिश: ☐ नाजायज़ है ☐ शिर्क है ☐ समस्त।
14. सिफारिश करने का कदापि यह अर्थ नहीं है कि, जिस के बारे में सिफारिश की जा रही है उसमें अल्लाह की सहायता करना है, यह वर्जित है: (☐ सही ☐) गलत, बल्कि इसका अर्थ है: (☐ सिफारिश करने वाले का सम्मान ☐ जिसकी सिफारिश की जा रही है उसको लाभ पहुँचाना, ☐ सभी)।
15. वह कौनसी आयत है जिसके विषय में कहा गया है कि वह शिर्क रूपी पेड़ की जड़ों का समूल उन्मूलन कर देती है:

....

16. प्रमाणित हिदायत: .... अप्रमाणित हिदायत: ....
17. आयत ﴿إِنَّكَ لَا تَهۡدِي مَنۡ أَحۡبَبۡتَ﴾ का भावार्थ है: ☐ जिसकी हिदायत आप चाहते हैं ☐ उससे नैसर्गिक प्रेम करते हैं ☐ यह कुफ्फार से प्रेम रखने को निषेध करार देने के पूर्व का मामला है ☐ समस्त।
18. «حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ» (अबू तालिब की मृत्यु का समय समीप हुआ) अर्थात: .... अथवा ....
19. अब्दुल मुत्तलिब का धर्म है: ☐ शिर्क तथा मूर्तियों को पूजना ☐ ईसाईयत ☐ मजूसियत।
20. «أُحَاجُّ» अर्थात: ☐ अल्लाह के पास इसे दलील के तौर पर पेश करूँगा ☐ आपके लिए अल्लाह से लड़ूँगा।
21. मृत्यु शय्या पर पड़े हुए व्यक्ति को "ला इलाहा इल्लल्लाह" कहने के लिए (कहो, अथवा पढ़ो) द्वारा बोल कर कहना सुन्नत है तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अपने चाचा के संग किया गया अमल है: ☐ सही ☐ गलत, इसके तथा उलेमा के इस कथन कि: (कहो अथवा पढ़ो) बोले बिना मरनासन्न व्यक्ति को कलमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" कहने के लिए प्रेरित किया जाएगा, के मध्य संतुलन कैसे बनाएंगे: ....

....

22. रावी (वाचक) ने यह क्यों कहा कि: (वह अब्दुल मुत्तलिब के धर्म पर है) और (मैं अब्दुल मुत्तलिब के धर्म पर हूँ) क्यों नहीं कहा? ....

23. नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अपने चाचा को इसलाम स्वीकार करवाने के लिए प्रयासरत रहने का कारण है: ☐ निकटतम संबंधी होना ☐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा इसलाम के प्रति किया गया उनका उपकार ☐ सभी।

24. पूर्वजों तथा बड़ों का आदर करना निंदनीय है: ☐ आम तौर पर ☐ जब वो अधर्मी हों।

चतुर्थ प्रश्न: शफ़ाअत (सिफारिश) की क़िस्मों को पूर्ण करें:

......................: कुछ शर्तों के साथ सही है:

1- ....

2- ....

3- ....

......................: यही है जिसका इंकार कुरआन ने किया है, और यह .... और इसका हुक्म यह है कि यह: ....

......................: इसको अल्लाह ने केवल अपने लिए आरक्षित किया है, तथा निम्नांकित शर्तों के साथ यह अल्लाह से माँगी जायेगी:

1- ....

2- ....

3- ....

यहा आम है ....इनमें से कुछ यह हैं:

1. ....

2. ....

3. ....

यह केवल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए आरक्षित है, इनमें से कुछ यह हैं:

1. ....

2. ....

3. ....

चौथाः मानव जाति में कुफ्र पनपने का कारण (४ अध्याय)

- इस अध्याय को कुफ्र पनपने का कारण बताने के लिए लाये हैं ताकि हम (उसको जान कर) उससे बच सकें, तथा उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि कुछ उम्मतें (समुदाय) कुफ्र में क्यों पड़ गईं, प्रारंभिक तीन अध्यायों में इसी का उत्तर दिया है तथा चौथे अध्याय में यह स्पष्ट किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने शिर्क तक जाने के सभी रास्तों को बंद कर दिया है।

१९- मानव जाति में कुफ्र पनपने एवं धर्म त्यागने का कारण नेक लोगों (साधु-संतों) के संबंध में अतिश्योक्ति (ग़ुलू) से काम लेना है

- यह सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक संगीन कारण है, तथा इस धरती पर पनपने वाले सर्वप्रथम शिर्क का कारण इन लोगों के विषय में अतिश्योक्ति से काम लेना था।

पहली व दूसरी दलीलः

१- अल्लाह तआला का फरमान हैः ﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ﴾ (हे अहले किताब (यहूदी व ईसाई) अपने धर्म में अतिश्योक्ति न करो)।

२- सही (बुख़ारी) में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अल्लाह तआला के इस कथनः ﴿وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمۡ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّٗا وَلَا سُوَاعٗا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسۡرٗا﴾ (उन्होंने कहा कि अपने पूज्यों को न छोड़ना और न वद्द और सुवाअ तथा यग़ूस एवं यऊक़ और नस्र को (छोड़ना)), के विषय में कहते हैं किः (هٰذه أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ؛ أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهَا أَنْصَابًا، وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا، وَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَنُسِيَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ)، وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: (قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: لَمَّا مَاتُوا عَكَفُوا عَلَى قُبورِهِمْ، ثُمَّ صَوَّرُوا تَمَاثِيلَهُمْ، ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَعَبَدُوهُمْ)، यह नूह अलैहिस्सलाम की समुदाय के नेक तथा सदाचारी लोग थे जब उनकी मृत्यु हो गई तो शैतान ने उनके समुदाय के लोगों के दिलों में यह बात डाली कि उनके आसनों के स्थान में उनकी मूर्तियों को लगाओ तथा उन्हीं के नाम पर उनका नामकरण कर दो तो उन्होंने ऐसा ही किया, किंतु उनकी पूजा नहीं की, यहाँ तक कि जब ये लोग मर गये तथा ज्ञान जाता रहा तो उनकी पूजा होने लगी।

तथा इब्ने क़ैय्यिम रहिमहुल्लाह कहते हैं किः अनेक सलफ (पूनीत पूर्वज) ने कहा है कि जब वे मर गये तो उनकी समाधियों पर धूनी रमाने लगे तत्पश्चात उनकी प्रतिमायें बनी ली फिर कालांतर में उसकी पूजा होने लगी।

- ﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ﴾: अहले किताब से अभिप्राय यहूदी हैं जिनकी आसमानी किताब तौरात है, तथा ईसाई हैं जिनकी आसमानी किताब इंजील है।
- ﴿لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ﴾: अर्थात अपनी हद से आगे न बढ़ो चाहे वह प्रशंसा में हो अथवा निंदा में, ईसाईयों ने ईसा अलैहिस्सलाम की प्रशंसा में अतिश्योक्ति से काम लेते हुए आप को अल्लाह का पुत्र तथा तीन पूज्यों में से एक बना दिया, जब्कि यहूदियों ने आपकी निंदा करने में सारी हदें फलांग दी।
- «هَلَكُوا» : (हलाक हो गए) अर्थात उनकी मृत्यु हो गई।
- «أَوْحَى الشَّيْطَانُ»: (शाब्दिक अर्थ वह्य), भावार्थः शैतान ने उनके दिलों में वसवसा (भ्रम) पैदा किया।
- «أَنِ انْصِبُوا»: इससे तात्पर्य है हरेक वह चीज़ जिसे गाड़ा जाये, शैतान ने उनको भरमाते हुए कहा किः जब तुम उनको देखोगे तो तुम्हारे अंदर उपासना करने का और अधिक भाव उत्पन्न होगा, किंतु उन लोगों ने ऐसा करके वास्तव में शरीअत के तरीके का विरोध किया, अतः ज्ञात हुआ कि केवल नीयत का अच्छा होना पर्याप्त नहीं है।
- «حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ»: अर्थात वो लोग जिन्होंने मूर्ति बनाया तथा उसे स्थापित किया था, जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए।
- नूह अलैहिस्सलाम से पूर्व के समुदाय ने तीन कार्य किये थेः
    - «صَوَّرُوا»: मूर्ति बनाया तथा उसे स्थापित किया।
    - «عَكَفُوا»: उसके पास धूनी रमाने लगे।
    - « طَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ»: ज्यों-ज्यों नबूवत काल दूर होता गया, ज्ञान क्षीण होता गया तो फलस्वरूप शिर्क -ए- अकबर अस्तित्व में आया चुनाँचे उन्होंने ग़ैरुल्लाह की पूजा आरंभ कर दी, अतः मानव को चाहिये कि वह अपने ज्ञान एवं कर्म का जायज़ा लेता रहे ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।

ग़ुलू (अतिश्योक्ति) के घातक प्रभावः

- जिसके संबंध में ग़ुलू किया जा रहा है यदि ऐसा उसकी प्रशंसा में है तो यह उसको उसके उचित स्थान से बढ़ावा देना है तथा यदि उसकी निंदा में ऐसा किया जा रहा है तो यह उसको उसके उचित स्थान से कम करना एवं गिराना है।
- जिसके विषय में ग़ुलू किया जा रहा है अंततः लोग उसकी पूजा करने लगते हैं।
- यह अल्लाह के उचित आदर में रुकावट बनता है, क्योंकि नफ़्स (इंद्रीय) या तो हक़ (सत्य) में लीन होगा अथवा बातिल (असत्य) में।
- जिसके संबंध में ग़ुलू किया जा रहा है यदि वह जीवित है तो यह उसके लिए हानिकारक बन जाता है, क्योंकि यदि ऐसा प्रशंसा में हो तो उसके अंदर अहंकार पैदा करता है तथा यदि निंदा में हो तो शत्रुता एवं परेशानियां पैदा करता है।

नेक लोगों (साधु-संतों) के बारे में लोगों के प्रकार:

जो उनकी प्रशंसा में गुलू (अतिश्योक्ति) करते हैं:	जो उनकी निंदा में गुलू करते हैं:	जो इन दोनों के बीच संतुलन बना कर चलते हैं:
जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के संग ईसाईयों का बर्ताव।	जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के संग यहूदियों का बर्ताव।	ना अतिश्योक्ति करते हैं तथा ना ही उचित स्थान से कम आंकते हैं, और ऐसा अहले सुन्नत करते हैं।

तीन से पाँच तक दलीलें:

उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ» **"तुम मेरी प्रशंसा में मुझे उस प्रकार से ना बढ़ाना जिस प्रकार से ईसाइयों ने मरियम के पुत्र (ईसा) की प्रशंसा में किया था, मैं अल्लाह का बंदा (दास) हूँ अत: मुझे अल्लाह का बंदा तथा उसका रसूल कहो"**।

४- अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ» **"गुलू (अतिश्योक्ति) से बचो क्योंकि पहले लोगों का सर्वनाश इसी गुलू ने किया"**।

५- सही मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ»، **"अतिश्योक्ति करने वालों का नाश हो"**, आपने ऐसा तीन बार फरमाया।

- «لَا تُطْرُونِي»: अरबी शब्द "अल-इत़रा" का अर्थ है किसी की प्रशंसा करने में अतिश्योक्ति करना, अर्थात ऐसी अतिश्योक्ति जो ईसाईयों के अतिश्योक्ति के समान हो या उससे कम हो।
- «عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ»: (अल्लाह के बंदे तथा उसके रसूल): यह दोनों गुण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में अति उत्तम रूप में विद्यमान हैं जो आपके लिए सम्मान की बात है।
- «الْغُلُوُّ»: "ग़ुलू" किसी की प्रशंसा, उपासना अथवा किसी कार्य में हद से बढ़ जाने को कहते हैं।
- ग़ुलू ने उनका नाश कैसे किया? ग़ुलू ने नाश किया: १- उनके दीन का, २- तथा उनके शरीर का।

- ग़ुलू (अतिश्योक्ति) के बहुतेरे प्रकार हैं: अक़ीदा (श्रद्धा), (इबादत) उपासना, मामला तथा आचरण में ग़ुलू करना, जब्कि अल्लाह का दीन (धर्म) अति एवं न्यून के मध्य बिल्कुल संतुलित दीन है।
- «الْمُتَنَطِّعُونَ»: "मुतनत़्त़ेअ": कृत्य अथवा बात-चीत में बनावट, तकल्लुफ़ तथा पाखंड करने वाले व्यक्ति को कहते हैं क्योंकि यह अहंकार तथा आत्ममुग्धता पर आधारित होता है, तथा दीन में इस प्रकार का कृत्य ग़ुलू करने के समान है, और सर्वनाश के कारणों में से एक कारण है।

मसाइल:

पहला: जो व्यक्ति इस अध्याय तथा इसके बाद के दो अध्याय को समझ जायेगा उसे इस्लाम के अपरिचित होने का अनुभव हो जायेगा तथा उसे अल्लाह के सामर्थ्य एवं दिलों के फेर देने के आश्चर्यजनक करिश्मे दृष्टिगोचर होंगे।

दूसरा: इस धरती पर पनपने वाले सर्वप्रथम शिर्क (बहुदेववादिता) का कारण नेक लोगों (साधु-संतों, महात्माओं) के संबंध में अति प्रेम तथा उनके आदर में अतिश्योक्ति करना था।

तीसरा: नबियों के दीन-धर्म में सर्वप्रथम जिस चीज़ के द्वारा बदलाव आया उसका ज्ञान मिला (वह शिर्क था) और उसका कारण क्या था (सालेहीन अर्थात नेक लोगों के संबंध में ग़ुलू करना) यह ज्ञात होने के बाद भी कि अल्लाह ने ही उन्हें अपना दूत बना कर भेजा था।

चौथा: लोग बिदअत (नवाचार) को अति शीघ्र स्वीकार कर लेते हैं जब्कि शरीअत (धर्मविधान) एवं प्राकृति उसे नकारती है।

पाँचवां: शिर्क प्रारंभ होने का मूल कारण हक़ (सत्य) तथा बातिल (असत्य) को आपस में गड्ड-मड्ड कर देना था, जिसके दो स्पष्ट कारण थे: प्रथम: सदाचारियों के संग अत्याधिक प्रेम तथा द्वितीय: धर्मशास्त्रियों (उलेमा) ने कुछ कार्य अच्छे इरादे से किये थे किंतु बाद के लोगों ने यह समझ लिया कि उनका आश्य कुछ और था (जो व्यक्ति दीन को बिदअत (नवाचार) के द्वारा सशक्त करना चाहता है उसे याद रखना चाहिए कि इसकी हानि लाभ से कहीं अधिक है)।

छठा: सूरह नूह के आयत की तफ़्सीर (जिसमें है कि वो लोग एक-दूजे को बातिल की वसीयत करते थे)।

सातवाँ: नैसर्गिक रूप से मानव प्राकृति ही ऐसी है कि उसके हृदय में हक़ (सत्य, धीरे-धीरे) कम जब्कि बातिल (असत्य) बढ़ता रहता है (सिवाय उसके जिस पर अल्लाह की विशेष कृपा हो)।

आठवाँ: इससे सलफ (पुनीत पूर्वजों) के उस कथन को बल मिलता है कि बिदअतें (नवाचार) कुफ्र (अधर्म) का कारण बनती हैं (और यह कारण कभी एक से अधिक भी हो सकते हैं)।

नौवाँ: शैतान बिदअत के परिणाम से भलि-भांति परिचित है (कि यह किस प्रकार से मानव जाति का नाश करती है) यद्यपि इसके कर्ता का इरादा नेक हो।

दसवाँ: इससे एक आम नियम का ज्ञान होता है कि ग़ुलू (अतिश्योक्ति) से बचना है (क्योंकि इसका परिणाम दुखद होता है) और जो ग़ुलू की ओर प्रोत्साहित करे उसका भी ज्ञान होना चाहिए।

ग्यारह्वाँ: क़ब्र (साधि) पर किसी नेक अमल (सदकर्म) की नीयत से पड़े रहना हानिकारक है (यह उनकी उपासना एवं पूजे जाने का कारण बनता है)।

बारह्वाँ: प्रतिमायें बनाने से रोकना तथा इसको मिटा देने की हिकमत (तत्वदर्शिता) का पता चलता है (कि यह शिर्क तक पहुँचने के रास्ते को रोकने के लिए है)।

तेरह्वाँ: इस वृत्तांत से जहां (शिर्क पनपने का) गंभीर किस्सा मालूम होता है, वहीं इसका भी पता चलता है कि इसका जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु अधिकांश मुसलमान इससे अचेत हैं।

चौदह्वाँ: अति विचित्र बात यह है कि लोग इस वृत्तांत को तफ़्सीर एवं ह़दीस़ की किताबों में पढ़ते हैं, इसका अर्थ भी समझते हैं, किंतु अल्लाह तआला ने उनकी समझ ऐसी फेर दी है कि वो यह समझते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के समुदाय का यह कृत्य (क़बर पूजना, नेक लोगों के आदर में अति करना इत्यादि) सर्वश्रेष्ठ इबादत है, और यह भी आस्था रखते हैं कि जिस बात से अल्लाह एवं उसके रसूल ने रोका है वह ऐसा कुफ्र है जिससे धन तथा प्राण ह़लाल हो जाता है।

पंद्रह्वाँ: इसमें यह भी स्पष्ट है कि इन (मूर्तियों की पूजा करने वालों) का इरादा केवल यह था कि यह सदाचारी हमारे सिफारिशी हैं (इसके बावजूद वो लोग शिर्क में पड़ गये)।

सोलह्वाँ: बाद वाले लोगों ने यह गुमान किया कि उनके जिन पूर्वजों ने यह प्रतिमायें बनाई थीं उसके पीछे एक विशेष कारण था (कि वो उनकी सिफारिश करेंगे जब्कि ऐसा गुमान करना मिथ्य तथा व्यर्थ था)।

सत्रह्वाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथनः «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ» (मुझे ऐसे न बढ़ाना जैसे ईसाईयों ने मरियम के पुत्र (ईसा अलैहिस्सलाम) को बढ़ा दिया था" इसमें मुसलमानों के लिए स्पष्ट बयान है, अल्लाह तआला की असीम कृपा तथा शांति बरसे आप पर कि आपने पूर्णरूपेण धर्मप्रचार का ह़क़ अदा कर दिया (आपने प्रशंसा करने में अतिश्योक्ति से काम लेने से रोका था और स्थिति यह है कि इस उम्मत के कुछ लोग इसी में पड़ गये, बल्कि मामला इससे भी अधिक संगीन है)।

अट्ठारह्वाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें यह शिक्षा दी है कि तकल्लुफ़ करने तथा हद से बढ़ने वालों का सदैव नाश होता है (और आपने ऐसा करने से डराने के लिए इस तरह फरमाया)।

उन्नीसवाँ: इससे ज्ञान का महत्व तथा उसके न होने की हानि का भी आभास होता है कि नूह अलैहिस्सलाम के समुदाय के लोगों ने ज्ञान समाप्त हो जाने के पश्चात ही मूर्तियों की पूजा आरंभ की था।

बीसवाँ: उलेमा का मर जाना ज्ञान समाप्त हो जाने का कारण है (यह सबसे बड़ा कारण है, इसी प्रकार से इस के प्रति उदासीनता, सांसारिक कार्यों में व्यस्त हो जाना तथा ज्ञान अर्जित करने से लापरवाह हो जाना)।

२०- जब किसी नेक आदमी (साधु-संत) की क़ब्र (समाधि) के पास अल्लाह की इबादत करना घोर पाप है तो स्वयं उस व्यक्ति विशेष की पूजा करना किता बड़ा महा पाप होगा ?

दीन का अपरिचित होना, लोगों की तौहीद से दूरी तथा क़ब्रों के पास अल्लाह की उपासना करने की जो वर्जना आई है ताकि यह शिर्क का कारण ना बने, यही सब बताने के लिए लेखक महोदय यह अध्याय लाये हैं।

पहली दलील:

सही (बुख़ारी व मुस्लिम) में आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समक्ष एक गिरजा तथा उसमें विद्यमान चित्रों एवं प्रतिमाओं की चर्चा की जिसे उन्होंने हब्शा में देखा था, तो आपने फरमाया: («**أُولَئِكِ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، أَوِ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكِ شِرَارُ الْـخَلْقِ عِنْدَ اللهِ**»، **"यह ऐसे लोग हैं कि इनमें जब कोई नेक व्यक्ति (धर्मात्मा) मर जाता तो उसकी क़ब्र पर मस्जिद बना लेते तथा उसमें इस प्रकार की प्रतिमायें बना देते, ये लोग अल्लाह के पास सर्वाधिक बुरे लोग हैं"**, فَهَؤُلَاءِ جَمَعُوا بَيْنَ الفِتْنَتَيْنِ: فِتْنَةِ الْقُبور، وَفِتْنَةِ التَّمَاثِيلِ) तो इनलोगों ने दो फित्नों को एक साथ एकत्रित किया: क़ब्र (को पूजा स्थल बनाने) का फितना तथा (उसमें) चित्रों एवं प्रतिमाओं का फितना।

- «فَهَؤُلَاءِ جَمَعُوا بَيْنَ الفِتْنَتَيْنِ» (इनलोगों ने दो फित्नों को एकत्रित किया), यह इब्ने तैमिया रहि़महुल्लाह का कथन है, इसको फितना इसलिए कहा गया है कि यह लोगों को दीन से रोकने का कारण व सबब है।
- क़ब्रिस्तान के बारे में मूल बात यह है कि इसे आबादी से बाहर बनाना चाहिए ताकि यह शिर्क तक पहुँचने का ज़रिया न बने।
- क़ब्रों का फित्ना, मूर्तियों तथा प्रतिमाओं के फित्ने से भी गंभीर है, निम्नांकित कारणों से:
    - क़ब्र (तथा क़ब्रिस्तान) प्रत्येक स्थान पर होते हैं प्रतिमाओं के विपरीत।
    - क़ब्रों के पास ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो दूसरे स्थान पर नहीं होतीं, जैसे (दिल में) डर पैदा हो जाना।

दूसरी व तीसरी दलील:

२- और सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) ही में आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जब आपके प्राण पखेरू उड़ने का समय आया तो आप अपने मुख मंडल पर चादर डाल लेते तथा जब दम घुटने (श्वास रोध होने) लगता तो चादर हटा देते, तथा आपने इसी स्थिति में फरमाया: «لَعْنَةُ الله عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» **"यहूदियों तथा ईसाईयों पर अल्लाह की (लानत) धिक्कार हो उन्होंने अपने अम्बिया की समाधियों को इबादत का स्थान बना लिया"**, ऐसा करने से आप अपनी उम्मत को डरा रहे थे, यदि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र को सज्दा का स्थान बना लेने का भय न होता तो आप की क़ब्र भी (सामान्य सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की क़ब्रों की भांति) खुली हुई होती।

३- तथा मुस्लिम में जुन्दुब बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है वह कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपनी मृत्यु के पाँच दिन पूर्व फरमाते हुए सुना: «إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى الله أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ؛ فَإِنَّ الله قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا؛ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» **"मैं अल्लाह के समक्ष इस बात से अलगाव ज़ाहिर करता हूँ कि तुम में से कोई मेरा ख़लील (मित्र) हो, क्योंकि अल्लाह तआला ने मुझे अपना ख़लील बना लिया है जिस प्रकार से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना ख़लील बनाया था, और यदि मैं किसी को अपना ख़लील बनाता तो अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) को अपना ख़लील बनाता, सावधान, तुमसे पूर्व के लोग अपने अम्बिया की क़ब्रों एवं समाधियों को मस्जिद (पूजा स्थल) बना लेते थे, सावधान, तुम समाधियों को पूजा स्थल न बना लेना मैं तुम्हें ऐसा करने से रोकता हूँ"**।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस कृत्य से अपने जीवन के अंतिम समय में रोका, पुनः आपने -जब आप मरनासन्न थे तो- ऐसा करने वाले पर लानत (धिक्कार) भेजी, (पता चला कि) क़ब्र के ऊपर मस्जिद ना भी बनी हो तब भी क़ब्र के पास नमाज़ पढ़ना मना है, यही आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा के कथन: «خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا» (इसका डर था कि आपकी क़ब्र को सज्दा करने का स्थान ना बना लिया जाए), فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا सहाबा से यह उम्मीद नहीं थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र के ऊपर मस्जिद बनायेंगे।

तथा प्रत्येक स्थान जहाँ नमाज़ पढ़ने का इरादा हो वह मस्जिद ही है, बल्कि हरेक वह स्थान जहाँ नमाज़ अदा की जाये वह मस्जिद ही है, जैसाकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» **"मेरे लिए भूमि को मस्जिद तथा पवित्र करने वाला बना दिया गया है"**।

- «لَـمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ الله ﷺ»: इससे अभिप्राय मलकुल मौत (यमराज) हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के प्राण हरने के लिए उतरे थे।
- «خَمِيصَة»: "ख़मीसा" चादर अथवा धारीदार कपड़े को कहते हैं।
- «لَعْنَةُ الله»: अर्थात अल्लाह की ओर से उस पर धिक्कार तथा वह अल्लाह की रहमत (कृपा) से दूर हो, इस आधार पर यह अल्लाह की ओर से सूचना देना है, और यह भी संभव है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनके ऊपर बद्दुआ किया (श्राप दिया) हो।
- «اتَّخَذُوا قُبور أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»: या तो उस पर सज्दा करके अथवा विधिवत उसपर मस्जिद बना कर।
- «لأُبْرِزَ قَبْرُهُ»: अर्थात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र प्रकट होती और अपने हुजरा से बाहर कहीं और, जैसे बक़ीअ में दफन किये जाते।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हुजरा (कमरा) के भीतर क्यों दफन किया गया जहाँ क़ब्र की मिट्टी तो दूर कोई आपके हुजरा को भी नहीं देख पाता?

- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण: «مَا قُبِضَ نَبِيٌّ إِلَّا دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ» (जहाँ नबी के प्राण पखेरू उड़ते हैं वहीं उनकी क़ब्र (समाधि) बनती है)।
- «خَشِيَ»: अरबी भाषा की वर्णमाला के एक व्यंजन "ख़" पर ज़बर के साथ अर्थ होगा: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम डरते थे कि कहीं आप की क़ब्र को वसन (उपास्य) न बना लिया जाए।
- «خُشِيَ»: अरबी भाषा की वर्णमाला के एक व्यंजन "ख़" पर पेश के साथ अर्थ होगा: सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम डरते थे कि कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र को वसन (पूज्य) न बना लिया जाये, और उनका ऐसा करने का कारण स्वाभाविक तौहीद की रक्षा करना था।

उनका खण्डन कैसे करेंगे जो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र मस्जिद के भीतर है?

क- **संक्षिप्त खंडन:** यह मुतशाबेह (मिलती-जुलती, दुविधा में डालने वाली) में से है, और हमारे लिए वाजिब एवं अपरिहार्य क़ुरआन व हदीस़ के मुहकमात (बिल्कुल स्पष्ट) पर अमल करना है तथा आप मुहकमात को छोड़ कर मुतशाबेह के पीछे पड़े हुए हैं अत: हम आपकी बात नहीं मानेंगे।

ख- **विस्तृत खंडन:**

1- मस्जिद क़ब्र के ऊपर नहीं बनाई गई अपितु मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन काल में ही बन चुकी थी।

2- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मस्जिद में दफन नहीं किया गया बल्कि आप को अपने घर में दफन किया गया जो मस्जिद से बाहर था।

3- हुजरात (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पत्नियों के कमरे) को मस्जिद में दाख़िल करने का कार्य सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के इत्तेफ़ाक़ (एकमत) से नहीं किया गया था, अपितु ऐसा उनमें से अधिकांश के मृत्यु पा जाने के पश्चात हुआ था, और जो लोग जीवित थे उन्होंने इसका विरोध किया था जैसाकि सईद बिन मुसैयिब रहिमहुल्लाह से इसका विरोध करने के साक्ष्य मोजूद हैं।

4- क़ब्र मस्जिद के अंदर नहीं है बल्कि एक अलग कमरे में है, और मस्जिद उस हुजरे के ऊपर नहीं बनाई गई है, इसके अतिरिक्त उस क़ब्र को तीन दीवारों से घेर दिया गया है और वह दीवारें क़िबला से बिल्कुल तिरछे कोण में बनाई गई हैं ताकि नमाज़ पढ़ते समय वह नमाज़ी के बिल्कुल सामने ना हो।

5- मस्जिद -ए- नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अपनी अलग विशेषता है जैसे इसके लिए यात्रा करना जायज़ है तथा इसमें एक नमाज़ का स़वाब एक हज़ार नमाज़ के समान है।

चेतावनी: ख़ुल्लत (मित्र -ख़लील- बनाना) प्रेम का सर्वश्रेष्ठ दर्जा है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है इसे अल्लाह तआला ने अब तक केवल दो महानुभावों के लिए साबित किया है तथा वो दोनों इब्राहीम अलैहिस्सलाम एवं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं, यह स्पष्ट हो जाने के बाद आप उन लोगों की महा अज्ञानता का बख़ूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कहते हैं कि: इब्राहीम ख़लीलुल्लाह हैं और मुहम्मद हबीबुल्लाह हैं (यह समझते हुए कि ह़बीब, ख़लील से ऊँचा दर्जा है, जब्कि) दरअसल यह आप का अनादर करना है क्योंकि ऐसे लोगों ने आपका दर्जा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नीचे कर दिया, तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आम लोगों के मध्य कोई अंतर नहीं किया क्योंकि अल्लाह तआला एह़सान (उपकार) करने वालों से भी मोहब्बत करता है, अतः जो यह कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ह़बीब हैं वह गलत करता है।

(ह़बीब तथा मोहब्बत की उत्पत्ति एक ही शब्द "हुब्ब" से हुई है, कहने का अर्थ यह है कि जिससे मोहब्बत की जाये उसे ही ह़बीब कहा जाता है)

चौथी दलील:

मुसनद अहमद में अच्छे व जैय्यिद सनद के साथ इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन वर्णित है कि:

«إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبور مَسَاجِدَ»

"सबसे बदतरीन वो लोग होंगे जिन के जीवनकाल में क़्यामत आयेगी और वह भी (सर्वाधिक बुरे हैं) जो क़ब्रों को मस्जिद का दर्जा देते हैं"। इसे अबू हातिम (इब्ने हिब्बान) ने अपनी सही में रिवायत किया है।

- «شِرَارِ النَّاسِ»: इससे प्रमाणित होता है कि बुराई में भी लोगों की श्रेणियां हैं कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक बुरे होते हैं।

अध्याय का सारांश:

शिर्क तथा वहाँ तक ले जाने वाले सभी साधनों से दूर रहना वाजिब व अपरिहार्य है, और जो व्यक्ति किसी नेक आदमी (सदाचारी, साधु-संत) की क़ब्र (समाधि) के पास अल्लाह की इबादत व उपासना करना, जैसे नमाज़ आदि पढ़ना चाहे तो ऐसे लोगों से कठोरता के साथ निपटा जायेगा, और जो यह अक़ीदा(आस्था, श्रद्धा) रखे कि इस क़ब्र वाले के पास सदक़ा (दान-पुण्य) करना दूसरे स्थान के मुक़ाबले में अधिक बेहतर एवं फलकारी है तो वह भी उसी के समान है जिसने क़ब्र को मस्जिद बना लिया।

मसाइल:

पहला: किसी बुज़ुर्ग (साधु-संत) की क़ब्र (समाधि) के निकट अल्लाह की इबादत करने किए मस्जिद बनाने वाले को कठोरता के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रोका है, यद्यपि मस्जिद बनाने वाले की नीयत व विचार सही ही हो (यह ऐसा कृत्य है जिसमें नीयत की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका संबंध केवल उस कार्य भर से है, तथा इसमें मुश्रिकीन की नक़ल करना भी है)।

दूसरा: चित्र एवं प्रतिमायें बनाने को वर्जित करना तथा कड़ाई से इसका संज्ञान लेना (विशेष रूप से यह चित्र ऐसे लोगों की हो जिनका आदर किया जाता है चाहे आदतानुसार जैसे माता-पिता अथवा शरीअतानुसार जैसे औलिया व सालेहीन (साधु-संत, धर्मात्मा, महात्मा)।

तीसरा: इस कृत्य की भर्तसना करने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अतिश्योक्ति से काम लेने पर विचार करना चाहिए कि आपने इस कृत्य से पहले भी रोका था, पुनः अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में मृत्यु से पाँच दिन पूर्व भी इस पर चेताया, और जब आप मृत्यु शय्या पर थे तो पुनः एक बार फिर ऐसा करने से रोका और पहले वर्णन पर ही बस नहीं किया।

चौथा: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने क़ब्र के अस्तित्व में आने के पूर्व ही अपनी क़ब्र के पास ऐसा करने से रोक दिया।

पाँचवां: अम्बिया के क़ब्रों पर मस्जिद बनाकर उसमें इबादत करना यहूदियों एवं ईसाईयों की रीति है।

छठा: ऐसा करने के कारण आप ने यहूदी एवं ईसाई पर लानत की (धिक्कारा) है।

सातवाँ: यहूदियों तथा ईसाईयों के ऐसा करने पर धिक्कारने का उद्देश्य वास्तव में हमें आपकी क़ब्र के पास ऐसा करने से डराना था।

आठवाँ: आपकी क़ब्र को प्रकट न करने का कारण (कि कहीं आपकी उपासना न होने लगे इसका भय, तथा नबी जहाँ मरते हैं वहीं उनकी समाधि भी बनती है)।

नौवाँ: क़ब्रों को मस्जिद बना लेने का क्या अर्थ है इसको स्पष्ट रूप से बताना (उस पर मस्जिद बनाना तथा उसे नमाज़ पढ़ने का स्थान बना लेना)।

दसवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ब्र पर मस्जिद बनाने वाले तथा जिन पर प्रलय आयेगी दोनों का एक साथ उल्लेख किया है, मानो आपने कुफ्र या शिर्क के पनपने के पूर्व ही उसके कारण तथा परिणाम बता दिया है।

ग्यारहवाँ: अपने निधन के पाँच दिन पूर्व इसकी चर्चा करना उन दो सम्प्रदाय पर कुठराघात है जो बिदअतियों में सबसे बुरे हैं, बल्कि कुछ उलेमा (धर्मज्ञों) ने उन्हें मुसलमानों के बहत्तर (७२) फिरक़ों (सम्प्रदाय) से ही अलग कर दिया है तथा यह राफ़ज़ी एवं जहमीय्या हैं, राफ़ज़ियों के कारण ही शिर्क तथा समाधियों की पूजा पनपी और उन्होंने ही सर्व प्रथम क़ब्रों पर मस्जिदें बनाईं।

बारहवाँ: प्राण निकलते समय आप को बड़े दुःख का सामना करना पड़ा।

तेरहवाँ: अल्लाह का ख़लील (मित्र) बनाए जाने के द्वारा आप का सम्मान किया गया।

चौदहवाँ: इसका वर्णन कि यह मोहब्बत से उत्तम दर्जा है।

पंद्रहवाँ: इसका स्पष्ट वर्णन कि अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) सर्वश्रेष्ठ सहाबी हैं (ईमान तथा सदकर्मों के द्वारा पाई गई श्रेष्ठता वंश की श्रेष्ठता से बढ़ कर है, इसी कारण अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर प्राथमिकता दी गई)।

सोलहवाँ: इसमें अबू बकर की ख़िलाफ़त (प्रतिनिधित्व) की ओर भी संकेत है।

२१- नेक लोगों की क़ब्रों के संबंध में अतिश्योक्ति उसे अल्लाह के सिवाय पूजी जाने वाली वसन (मूर्ति) बना देती है

- शिर्क पनपने का यह तीसरा कारण है, ग़ुलू (अतिश्योक्ति) करने का परिणाम यह निकलता है कि लोग क़ब्र की अथवा क़ब्र वाले की पूजा करना आरंभ कर देते हैं, और अरबी शब्द ग़ुलू का अर्थ है: किसी की प्रशंसा अथवा निंदा में हद से बढ़ जाना।
- क़ब्र के संबंध में लोगों के तीन प्रकार हैं: अतिश्योक्ति करने वाले, अपमान करने वाले तथा संतुलित। अति करने वालों ने उसकी उपासना तथा उस पर भवन बनाकर उसके संबंध में ग़ुलू से काम लिया, अपमान करने वालों ने उस पर बैठने के द्वारा उसका आवश्यक आदर न कर के तथा मुर्दों को क़ब्रों से निकाल कर उनका अनादर किया, तथा बीच का संतुलित एवं सही रास्ता यह है कि उसके मर्यादा की रक्षा की जाये और उसके विषय में इस क़दर अतिश्योक्ति न की जाये कि उसकी पूजा ही होने लगे।

एक से चार तक दलीलें:

१- इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने मुवत्ता में रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» **"हे अल्लाह, मेरी क़ब्र (समाधि) को वसन (मूर्ति) न बनाना जिसकी पूजा की जाने लगे, अल्लाह का घोर प्रकोप उस समुदाय पर हो जिसने अपने नबियों की समाधियों को मस्जिद (पूजा स्थल) बना लिया"**।

२- इब्ने जरीर रहिमहुल्लाह ने आयत (श्लोक) ﴿ أَفَرَءَيۡتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلۡعُزَّىٰ ﴾ की तफ़्सीर में अपनी सनद से सुफियान से, उनहोंने मन्सूर तथा उन्होंने मुजाहिद से रिवायत किया है कि: "लात" हाजियों को सत्तू घोल कर पिलाया करता था, जब उनकी मृत्यु हो गई तो लोग उसकी क़ब्र पर मुजाविर बन गये (अर्थात धूनी रमाने लगे)।

३- तथा अबुल जौज़ा ने भी अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है कि: "लात" हाजियों को सत्तू घोल कर पिलाता था।

४- अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ब्रों की ज़ियारत (दर्शन) के लिए जाने वाली महिलाओं पर लानत भेजी (धिक्कारा) है, तथा उन लोगों को भी धिक्कारा है जो क़ब्रों पर मस्जिद बनाते तथा दीप जलाते हैं। इस हदीस को अहले सुनन ने रिवायत किया है।

- «اشْتَدَّ غَضَبُ الله»: "ग़ज़ब (प्रकोप, क्रोध)" यह अल्लाह तआला के लिए प्रमाणित स्वाभाविक एवं हक़ीक़ी सिफत (गुण) है, किंतु अल्लाह का ग़ज़ब मख़लूक़ (जीव) के ग़ज़ब के समान नहीं है।
- «اتَّخَذُوا قُبور أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»: (उन्होंने ने अपने नबियों की क़ब्रों को मस्जिद बना लिया था) या तो उस पर सज्दा कर के या फिर बाक़ायदा उस पर मस्जिद की इमारत बना ली थी।
- क्या अल्लाह तआला ने आप की यह दुआ क़बूल (स्वीकार) कर ली थी कि आपकी क़ब्र को ऐसा वस़न (मूर्ति) न बनने दे जिसको अल्लाह के सिवा पूजा जाने लगे, या अल्लाह कि हिकमत इसके विपरीत थी? इब्ने क़ैयिम रहिमहुल्लाह कहते हैं कि: अल्लाह तआला ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी, अतः ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि आपकी क़ब्र (समाधि) को वस़न (बुत) बना लिया गया और उसकी पूजा होने लगी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की समाधि को तीन दीवरों के द्वारा घेर दिया गया, इसी भावार्थ को उन्होंने निम्नांकित पंक्ति में उल्लेखित किया है:

  فَأَجَابَ رَبُّ الْعَالَمِينَ دُعَاءَهُ

  وَأَحَــــــاطَهُ بِثَلَاثَةِ الْجُدْرَانِ

  अल्लाह ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया
  और आपकी क़ब्र को तीन दीवारों से घेर दिया

  हाँ यह बात सही है कि कुछ लोग आप की क़ब्र के संबंध में ग़ुलू (अतिश्योक्ति) करते हैं किंतु मामला इस हद तक नहीं पहुँचा कि आपकी क़ब्र को वस़न (बुत) बना कर उसकी पूजा होने लगे।
- ﴿أَفَرَءَيْتُمُ﴾: इन मूर्तियों का उन बड़ी निशानियों से क्या संबंध हो सकता है जो आपने मेराज की रात देखा था।
- «السَّوِيقَ»: अल-सवीक़: जौ को भून कर या सूखा कर, फिर उसको पीस कर तत्पश्चात खजूर के संग मिला कर जो चीज़ बनती है उसे "सवीक़ (सत्तू)" कहते हैं, जो वह हाजियों को पेश करते थे।
- «السُّرُجَ»: (दीप जलाना): अल-सुरुज, अल-सिराज का बहुवचन है, दिवा-रात्रि उस पर दीप प्रज्वलित किया जाता है और ऐसा उसके आदर तथा उसके बारे में ग़ुलू करते हुए किया जाता है।
- नारियों का क़ब्रों पर जाना कबीरा गुनाहों में से है, इसी प्रकार क़ब्रों को मस्जिद बना लेना और उस पर दीप प्रज्वलित करना भी क्योंकि ऐसा करने वाले पर लानत (धिक्कार) भेजी गई है।
- **<u>क़ब्रों (समाधियों) की ज़ियारत (दर्शन) करने के प्रकार</u>**: १- शरई: इसके लिए यात्रा नहीं की जायेगी, और इसके दर्शन का उद्देश्य आख़िरत (परलोक) का स्मरण और अपने तथा मृतकों के लिए दुआ करने की नीयत हो, २- यदि मूर्दों से दुआ मांगने की नीयत हो तो यह ज़ियारत शिर्किया कहलायेगी, ३- और नीयत यदि इन क़ब्रों के पास जा कर अल्लाह से दुआ मांगने की हो तो यह ज़ियारत बिदई (बिदअत पर आधारित) कहलायेगी।

मसाइल:

पहला: औसान (प्रतिमायें) की व्याख्या (कि प्रत्येक वह चीज़ वसन है जिसकी अल्लाह के सिवाय पूजा की जाती है चाहे वह मूर्ति हो, क़ब्र (समाधि) हो अथवा कुछ और)।

दूसरा: इबादत (उपासना) की तफ्सीर एवं उसकी व्याख्या (इबादत कहते हैं: माबूद (उपास्य) के समक्ष विनम्रता अपनाना तथा झुकना, उसका आदर करते हुए तथा प्रेम रखते हुए, उसके यातना से भयभीत होते हुए तथा उसके नेमतों (अनुग्रहों) की आशा रखते हुए)।

तीसरा: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने केवल उसी चीज़ से पनाह माँगी जिसके होने का आपको अंदेशा था।

चौथा: आपने जहाँ यह दुआ की: "हे अल्लाह मेरी क़ब्र को वसन न बनाना जिसकी पूजा होने लगे" वहीं आपने यह भी बताया कि: "पहले लोगों ने अपने नबियों की क़ब्रों को पूज स्थल बना लिया था"।

पाँचवां: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बताया कि ऐसा करने वाले अल्लाह के घंघोर क्रोध के पात्र हैं।

छठा: एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि "लात" जो अरब का सबसे बड़ा देवता था उसकी पूजा कैसे आरंभ हुई।

सातवाँ: यह बात पता चली कि "लात" एक सदाचारी व्यक्ति की समाधि (क़ब्र) थी।

आठवाँ: "लात" क़ब्र वाले का नाम था तथा उसके नामकरण का कारण भी उल्लेखित है।

नौवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन महिलाओं पर लानत भेजी है जो क़ब्रों की ज़ियारत एवं दर्शन के लिए जाती हैं।

दसवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ब्रों (समाधियों) पर दीप प्रज्वलित करने वालों पर भी लानत भेजी तथा धिक्कारा है।

- एक अति महत्वपूर्ण मसला: बुज़ुर्गों एवं नेक लोगों (साधु-संतों, महात्माओं, धर्मात्माओं) की समाधि के संबंध में ग़ुलू (अतिश्योक्ति) करना उसको वसन (बुत) बना देता है जैसाकि "लात" की समाधि के साथ मामला हुआ।
- मसला: महिला जब मस्जिद -ए- नबवी में "रौज़ा शरीफ़" में नमाज़ पढ़ने के लिए जाए तो चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र समीप ही होती है अतः वहाँ खड़े हो कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद व सलाम भेजने में कोई हर्ज नहीं है, हाँ बेहतर यह है कि वह भीड़-भाड़ तथा मर्दों के साथ मेल-मिलाप से दूर रहे और इसलिए भी कि कोई उसको देख कर यह न समझ ले कि महिलाओं के लिए सुनियोजित ढ़ंग से सउद्देश्य क़ब्रों की ज़ियारत एवं दर्शन के लिए जाना जायज़ है।

२२- नबी -ए- मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तौहीद की चहारदीवारी की रक्षा तथा शिर्क तक पहुँचने के मार्ग को बंद करना

इस अध्याय को यह बताने के लिए लाए हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने चमन -ए- तौहीद के ठोस बचाव के लिए एक ओट लगा दी है, और कोई भी ऐसा द्वार खुला नहीं छोड़ा है जिससे कोई शिर्क तक पहुँच जाए, बल्कि आपने शिर्क तक जाने वाले सभी मार्गों को बंद कर दिया है।

पहली और दूसरी दलील:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ (तुम्हारे पास तुम्हीं में से एक रसूल आए हैं, तुम्हारा दुःख जिनके अत्यंत कठिन है)। الآيَةَ.

२- अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ» **"अपने घरों को क़ब्रिस्तान (शमशान) न बनाओ और न मेरी क़ब्र (समाधि) को उत्सव स्थल बनाओ, और तुम जहाँ भी रहो मुझ पर दरूद भेजते रहो, तुम्हारा दरूद व सलाम मुझ तक पहुँच जाएगा"**। इस हदीस़ को अबू दाऊद ने रिवायत किया है तथा इसके रावी (वर्णनकर्ता) स़िक़ा (विश्वसनीय) हैं।

- ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ﴾: तीन ताकीद के द्वारा इसे बयान किया गया है: छिपा हुआ क़सम, लाम, तथा क़द।
- ﴿مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾: अर्थात: १- तुम्हारे ही समुदाय में से एक व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारे ऊपर प्रधानता वह़्य (आकाशवाणी) के कारण दी गयी है।
  २- एक क़िराअत में: «مِنْ أَنْفَسِكُمْ» अरबी वर्णमाला के एक शब्द "फा" के ज़बर के साथ भी इसका उच्चारण किया गया है, ऐसी स्थिति में आयत का अर्थ होगा: वह तुम लोगों में सर्वाधिक कुलीन तथा मुत्तक़ी (संयमी) व्यक्ति हैं।
- ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ﴾: जो तुम्हारे लिए कठिन हो वह उन्हें विचलित कर देती है, इसी लिए उन्हें सरल व नम्र धर्म दीन -ए- ह़नीफ देकर अवतरित किया (भेजा) गया है।
- ﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُم﴾: तुम्हारे हित के लिए वो अंथक प्रयास करने वाले हैं।
- ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾:जिसका उल्लेख बाद में होना चाहिए था उसका पहले उल्लेख

करना एक विशेष अर्थ उत्पन्न करता है, अर्थातः ग़ैर मोमिनों के लिए आप कठोर हैं: ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ﴾ (मुहम्मद -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं वो काफिरों के लिए कठोर तथा आपस में नम्र हैं)।

- ﴿فَإِن تَوَلَّوۡاْ﴾: यदि वो इससे विमुखता प्रकट करें, यह नहीं कहाः فإن تولَّيتُم (यदि तुम इसकी उपेक्षा करो): १- क्योंकि इस प्रकार बयान कर देने के पश्चात उपेक्षा करना मकरूह (अप्रिय) है, २- पाठक को सावधान करने के लिए ज़मीर (सर्वनाम) को बदल दिया ताकि पाठक सावधान हो जाये।
- ﴿فَقُلۡ حَسۡبِيَ ٱللَّهُ﴾: अर्थात उनकी उपेक्षा करना आपको व्याकुल न करे, बस आप अपनी ज़ुबान और दिल से यह कहते रहें: ﴿حَسۡبِيَ ٱللَّهُ﴾ (अल्लाह मेरे लिए काफी है)।
- ﴿«بُيُوتَكُمْ قُبورا»: अर्थातः १- उसमें नमाज़ पढ़ना न छोड़ो, २- उसमें मुर्दों को दफन न करो।
- «عِيدًا»: अर्थातः मेरी क़ब्र पर बार-बार आना अपनी दिनचर्या न बना लो यद्यपि यह आदत वार्षिक, मासिक अथवा साप्ताहिक ही क्यों न हो, बल्कि नबी के क़ब्र की ज़ियारत किसी कारणवश की जाये, उदाहरणस्वरूप कोई यात्रा से लौट कर आए अथवा आख़िरत (परलोक) का स्मरण करने के लिए हो।
- «وَصَلُّوا عَلَيَّ»: अल्लाह तआला की ओर से अपने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर सलात (दरूद) भेजने का अर्थ हैः अति उत्तम फरिश्तों के मध्य आपकी प्रशंसा करना।
- «تَبْلُغُنِي»: क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक दूसरे स्थान पर फरमाया हैः «إِنَّ لِلَّهِ مَلائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلامَ» "अल्लाह के कुछ अति विशिष्ट फरिशेत (देवदूत) धरती पर घूमते रहते हैं जो मुझ तक मेरी उम्मत का सलाम पहुँचाते हैं", अतः आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र -ए- मुबारक के पास भीड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

तीसरी दलील:

ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन रहिमहुल्लाह ने एक व्यक्ति को नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की समाधि स्थल (क़ब्र) के इर्द-गिर्द बनी दीवार के एक छिद्र से आता तथा भीतर जा कर क़ब्र के पास दुआ करते हुए देखा तो उसे रोका और कहाः तुम्हें एक हदीस़ न सुनाऊँ जो मेरे पिता (हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु) ने मेरे दादा (अली रज़ियल्लाहु अन्हु) से और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि आपने फरमायाः «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبورا؛ فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَ كُنْتُمْ» **"तुम मेरी समाधि को उत्सव (स्थल) न बना लेना तथा न ही अपने घरों को क़ब्रिस्तान बना लेना, (और मुझ पर कहीं से भी दरूद भेजते रहना) क्योंकि तुम्हारा दरूद व सलाम मुझ तक पहुँचेगा तुम जहाँ कहीं भी रहो"**। इसे (ज़ियाउद्दीन अल मक़दिसी ने) अल-मुख़तारह में ज़िक्र किया है।

- «فَيَدْعُو»: उनका यह गुमान करना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र के पास दुआ करने का अपना एक महत्व है, यह शिर्क के द्वार को खोलना और उस तक पहुँचने का एक वसीला एवं माध्यम बन सकता है।
- «أَيْنَ كُنْتُمْ»: इसका भावार्थ है कि: तुम जहाँ कहीं भी रहो मेरे ऊपर दरूद व सलाम भेजते रहो, मेरी क़ब्र के पास आकर ही दरूद व सलाम पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मसाइल:

पहला: सूरह बराअत (तौबा) की आयत ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ की तफ़्सीर एवं व्याख्या।

दूसरा: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अपनी उम्मत को शिर्क की सीमा से बहुत दूर रहने की हिदायत एवं आदेश (अपने घरों को क़ब्रिस्तान न बनाओ...)।

तीसरा: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का हम (अपनी उम्मत) पर अति दयालु तथा हमारे मार्गदर्शन के लिए सदा प्रयासरत रहने का उल्लेख (सूरा बराअत वाली आयत)।

चौथा: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने विशेष रूप से अपने क़ब्र (समाधि) की ज़ियारत (दर्शन) करने से रोका है जब्कि आपके क़ब्र की ज़ियारत करना अति उत्तम कार्य है (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़ब्र की ज़ियारत के समय आपको सलाम किया जाता है, तथा आपका ह़क़ (अधिकार) अन्य की तुलना में अधिक बड़ा है)।

पाँचवां: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़ब्र की बारंबार ज़ियारत करने से रोका गया है।

छठा: आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नफ़्ल नमाज़ घर में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है।

सातवाँ: सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के निकट यह बात सुनिश्चित थी कि क़ब्रिस्तान (शमशान) में नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती है।

आठवाँ: दरूद व सलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह कारण बताया कि व्यक्ति का दरूद व सलाम उन तक पहुँच जाता है यद्यपि वह दूर ही क्यों न हो, अतः पास जाकर दरूद व सलाम भेजने का भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है (ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन रहिमहुल्लाह ने फरमाया: तुझमें और जो अंदलुस (स्पेन) में है उसमें कोई अंतर नहीं है)।

नौवाँ: इसमें यह भी बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बर्ज़ख़ में हैं तथा उम्मत के कर्मों में से दरूद व सलाम आप के समक्ष पेश किया जाता है।

पाँचवाँ: उन लोगों का खण्डन जो कहते हैं कि इस उम्मत अथवा अरब द्वीप में शिर्क नही पनप सकता (एक अध्याय)

२३- इस उम्मत के कुछ लोग वसन (मूर्ति) की पूजा करेंगे

- इस अध्याय के द्वारा उन लोगों के दलीलों का खंडन किया है जो कहते हैं किः उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में शिर्क नहीं पनप सकता, क्योंकि यह उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथनः «إِنَّ الشَّيْطَانَ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» **"शैतान इस बात से निराश हो चुका है कि अरब द्वीप में नमाज़ पढ़ने वाले लोग उसकी इबादत व उपासना करेंगे"** के कारण मासूम व निष्पाप हो चुकी है।
- उनके इस शुब्हा (दुविधा, शंका) का मुजमल (संक्षिप्त) उत्तर यह है किः यह मुहकम (स्पष्ट) को छोड़ कर मुतशाबेह (मिलती-जुलती, दुविधा में डालने वाली चीज़) का अनुसरण करना है। तथा इसका मुफ़स्सल (विस्तृत) उत्तर निम्नांकित है:

  1. शैतान के निराश हो जाने की सूचना देना, शिर्क के न पाये जाने का प्रमाण नहीं है।
  2. शैतान नमाज़ियों से निराश हो चुका है ग़ैर नमाज़ियों से नहीं, और नमाज़ी व्यक्ति (साधारण्यता) मुवह्हिद (एकेश्वरवादी) होता है।
  3. यह समझ क़ुरआन व हदीस़ के अन्य बहुतेरे नुसूस (दलीलें, प्रमाण, साक्ष्य) के विपरीत है।
  4. सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अरब द्वीप में मुर्तद (विधर्मी) लोगों से उनके शिर्क के कारण युद्ध किया।
  5. वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है, अतः -उदाहरण स्वरूप- आप अरब द्वीप में भी बहुतेरे लोगों को ग़ैरुल्लाह के नाम पर बलि चढ़ाते हुए देखेंगे।
  6. यह बात शैतान के दिल में आई, किंतु इसके बावजूद उसने आदम की संतान को दिग्भ्रमित करना नहीं छोड़ा।
  7. जब विजय पताका फहराने लगा तथा झुंड के झुंड इसलाम स्वीकार करने करने लगे तब यह बात सामने आई।
  8. उलेमा ने बहुतेरे ऐसी बातों का वर्णन किया है जिनके आधार पर बहुत सारे लोग मुर्तद हैं यद्यपि वह अरब द्वीप ही में क्यों न रहते हों।

- जिसने यह दावा किया कि (अत्यंत झूठा व्यक्ति) मुसैलमा नबी है वह काफिर है और कलमा -ए- शहादत उसके लिए कुछ भी लाभकारी नहीं है, तो जो तीजानी (और उन जैसे लोगों) को अल्लाह के समान माने, क्या वह काफिर नहीं है? यह तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है!!

लेखक रहिमहुल्लाह ने इन आयात का उल्लेख इस अध्याय में क्यों किया है जब्कि सामान्यतः इसका अध्याय से स्पष्ट संबंध दिखाई नहीं देता?

- लेखक महोदय का आशय अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु वाली हदीस़ से स्पष्ट होता है, अतः ये आयात अध्याय के बिल्कुल अनुकूल हैं।

पहली और दूसरी दलील:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّٰغُوتِ﴾ (क्या आपने उन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ अंश मिला है? जो जिब्त (मूर्ति) तथा ताग़ूत (बातिल) पर ईमान रखते हैं)।

२- तथा अल्लाह तआला का कथन है: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّٰغُوتَ ۚ﴾ (कह दीजिये कि क्या मैं तुम्हें बताऊँ? कि उससे भी अधिक बुरा बदला पाने वाला अल्लाह के निकट कौन है? वह जिस पर अल्लाह तआला ने लानत भेजी तथा उस पर क्रोधित हुआ एवं उनमें से कुछ को बंदर तथा सूअर बना दिया और जिन्होंने ताग़ूत की उपासना की)।

- ﴿أَلَمْ تَرَ﴾: यह इस्तिफ़हाम (प्रश्नवाचक संज्ञा) साबित करने तथा आश्चर्य प्रकट करने के लिए है, उस व्यक्ति के लिए जिसको इसके द्वारा संबोधित करना सही है।
- ﴿أُوتُوا﴾: यह أُعطوا (दिया गया) के अर्थ में है, उन्हें सम्पूर्ण पुस्तक नहीं दी गई थी, क्योंकि उनके पापों के कारण उन्हे इससे वंचित कर दिया गया था।
- ﴿يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّٰغُوتِ﴾: उन पर ईमान लाने का अर्थ है कि वो उनको सत्य मानते हैं तथा उनका इंकार करने के स्थान पर उनको प्रमाणित करते हैं।

प्रथम आयत (श्लोक) से चयनित कुछ फायदे:

1. बड़ा आश्चर्यजनक है कि किसी व्यक्ति को किताब का कुछ अंश दिया जाये इसके बावजूद वह मूर्ति तथा बातिल (मिथ्य) माबूदों (उपास्यों) पर ईमान रखे।
2. ज्ञान का होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह ज्ञान उस ज्ञानी को कुकर्मों से बचा कर रखेगा।
3. बुत (मूर्ति) तथा बातिल (मिथ्या) माबूदों (पूज्यों) का इंकार वाजिब व अपरिहार्य है, किसी भी स्थिति में उनका इक़रार करना व उन्हें प्रमाणित करना जायज़ नहीं है।
4. इस उम्मत के भी कुछ लोग जिब्त और ताग़ूत पर ईमान लायेंगे जैसाकि बनी इस्राईल में हुआ।

- ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم﴾: यह संबोधन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को है उन यहूदियों पर रद्द करने के लिए जिन्होंने इस्लाम धर्म को उपहास तथा खेल-कूद का मुद्दा बना लिया था, तथा इस्तिफ़हाम यहाँ साबित करने एवं प्रोत्साहित करने के लिए है।

द्वीतिय आयत (श्लोक) से चयनित कुछ फायदे:

1- विरोधियों को चित करने के लिए ऐसे प्रमाण लाना जिसका इंकार करना उनके लिए असंभव हो, चूँकि यहूदी जानते थे कि उनके अंदर एक ऐसा समुदाय था जो अल्लाह के कोप भाजन बने थे तथा अल्लाह ने उन्हें धिक्कारा था और उनमें से कुछ को बंदर तथा सूअर बना दिया था, जब वह इस बात को मानते हैं और इसके बावजूद मुसलमानों का उपहास उड़ाते हैं तो हम उनसे कहेंगे कि: जिन पर अल्लाह का प्रकोप उतरा (अर्थात यहूद) वह उपहास के अधिक पात्र हैं।

2- अल्लाह के निकट लोगों की विभिन्न श्रेणियां हैं उनके ईमान में ज़्यादती अथवा कमी एवं उस पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर।

3- यहूदियों की दुर्दशा का वर्णन कि वह ऐसा समुदाय है जिन्हें अल्लाह ने दंड स्वरूप धिक्कारा, उनका रूप बदल दिया, और यह कि उन्होंने ताग़ूत (मिथ्य उपास्यों) की उपासना की।

4- अल्लाह तआला के लिए ऐच्छिक कार्यों (इख़्त्यारी अफ़आल) का वर्णन, जैसे धिक्कारना, क्रोधित होना, तथा क़ुदरत एवं अधिकार वाला होना, और वह जो चाहता है करता है।

5- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخٍ نَسْلًا وَلَا عَقِبًا» "**प्रत्येक वह (उम्मत व समुदाय) जिसका रूप बदल दिया गया, अल्लाह तआला ने ना तो उसके संतान बनाए और ना ही उनका वंश बाकी रहा**", अर्थात अभी जो बंदर हम देखते हैं वह उनके वंश से नहीं हैं बल्कि ये उससे पहले से मौजूद हैं।

6- दंड का आधार होता है जैसे को तैसा, क्योंकि यहूदियों ने ऐसा कृत्य किया था जो ऊपरी तौर पर तो जायज़ दिखाई देता था जब्कि वास्तव में वह ह़राम एवं वर्जित था।

तीसरी दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمۡرِهِمۡ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيۡهِم مَّسۡجِدٗا﴾(जो लोग उन पर प्रभुत्व पा गये उन्होंने कहा हम उनके ऊपर मस्जिद बनायेंगे)

- ﴿قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ﴾: शासकों ने यह बात प्रतिज्ञा करते हुए ताकीदी तौर पर कही थी।

1. असह़ाबे कहफ़ (गुफा वाले) की कथा में अल्लाह तआला के सम्पूर्ण क़ुदरत (अधिकार) को प्रमाणित करने वाली बहुतेरी आयात (निशानियाँ) तथा चिन्ह हैं।
2. क़ब्रों पर मस्जिद बनाने के कारणों में से एक कारण क़ब्र वालों के प्रति ग़ुलू (अतिश्योक्ति) करना भी है।
3. क़ब्रों के प्रति ग़ुलू (अतिश्योक्ति) करना यद्यपि उसकी मात्रा कम ही क्यों न हो तथापि यदा-कदा उससे बड़े व संगीन चीज़ों तक पहुँचा देता है।

चौथी व पाँचवीं दलील:

४- अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ»، **"तुम पहले लोगों का अनुसरण करते हुए वैसे ही हो जाओगे जैसे एक तीर दूसरे तीर के समान होता है, यहाँ तक कि अगर वो गोह (सान्डहा) के बिल में घुसे होंगे तो तुम भी उसके बिल में घुसोगे, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा: अल्लाह के रसूल क्या आपका अभिप्राय यहूदी व ईसाई हैं? तो आपने फरमाया: फिर और कौन।"**। बुख़ारी तथा मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है।

५- सही मुस्लिम मे स़ौबान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «إِنَّ اللهَ زَوَى لِيَ الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ: الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا» **"अल्लाह तआला ने मेरे लिए धरती को समेट दिया यहाँ तक कि मैंने उसके पूर्व तथा पश्चिम को देखा, और मेरी उम्मत का शासन वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक की धरती मेरे लिए समेटी गई थी, तथा मुझे दो ख़ज़ाने (कोष) दिये गये, लाल और सफेद, एवं मैंने अपने रब (प्रभू) से अपनी उम्मत के लिए दुआ माँगी कि: उसे आम भूख-मरी (सुखाड़) से नाश न करे, तथा उसके सिवाय उस पर किसी ऐसे शत्रु का प्रभुत्व न दे जो उसका सफाया कर दे, तो मेरे रब (पालनहार) ने कहा: हे मुहम्मद, जब मैं कोई निर्णय ले लेता हूँ तो वह बदलती नहीं है, मैं आपकी उम्मत के लिए यह वचन देता हूँ कि आम भूख-मरी से उसका नाश नहीं करूँगा, तथा उन पर उनके सिवाय किसी ऐसे शत्रु को प्रभुत्व नहीं दूँगा जो उसका सर्वनाश कर दे यद्यपि समस्त संसार मिल कर ही क्यों न ऐसा करना चाहे, यहाँ तक कि वो स्वयं एक-दूसरे का नाश करेंगे तथा एक-दूजे को बंदी बनायेंगे"**।

तथा इसे ह़ाफ़िज़ बुर्क़ानी ने अपनी पुस्तक (अल-सहीह) में रिवायत किया है एवं निम्नांकित वाक्यों की बढ़ोतरी की है:

«وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي،

وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى» "मैं अपनी उम्मत पर गुमराह (दिग्भ्रमित) इमामों (शासकों एवं बुद्धिजीवियों) से डरता हूँ, और जब उनके बीच एक बार तलवार निकल पड़ेगी तो क़्यामत (महा प्रलय) तक यह मियान के अंदर नही जायेगी, और क़्यामत उस समय तक नहीं आयेगी जब तक मेरी उम्मत का एक समूह मुश्रिकों से न मिल जाये और मेरी उम्मत के बहुत से गिरोह मूर्तियाँ न पूजने लगें, तथा निश्चय ही मेरी उम्मत में तीस महा झूठे पैदा होंगे सब के सब नबी होने का दावा करेंगे, और मैं अंतिम नबी (आसुर) हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आयेगा, और मेरी उम्मत में से एक समूह सर्वदा सत्य पर स्थिर तथा विजयी रहेगा (अल्लाह की ओर से उनकी सहायता होती रहेगी) और उन्हें छोड़ कर जाने वाले उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पायेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला का आदेश (महा प्रलय) आ जायेगा"।

- «سَنَنَ»: अरबी वर्णमाला के एक व्यंजन "सीन" के ज़बर के साथ अर्थ होगाः मार्ग एवं पथ, और "सीन" के पेश के साथ अर्थ होगाः तरीक़ा एवं ढ़ंग।
- «حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ»: अरबी भाषा के शब्द "अल-क़ुज़्ज़ा" का अर्थ होता हैः तीर का पर, अत्याधिक रूप से समानता पाये जाने के कारण इससे उपमा दी गई हैः

  1- इस उम्मत के कुछ लोग मूर्तियों की पूजा करेंगे क्योंकि यह हमसे पहले के लोगों का मार्ग है, और हम उनके मार्ग का पूर्णरूपेण अनुसरण करेंगे।

  2- पिछले समुदायों के उन तरीकों का ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है जिनसे बचना वाजिब है ताकि उनसे बचा जा सके, और उनमें से अधिकांश चीज़ें क़ुरआन व ह़दीस़ में उपलब्ध हैं, अतः अल्लाह की अवज्ञा में हम उनका अनुकरण नहीं करेंगे।

  3- सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के लिए यह बात अचंभित करने वाली थी हम (उनके बाद के लोग) हिदायत आ जाने के बाद भी अपने से पहले लोगों के तरीक़ों का अनुसरण करेंगे।

  4- ज्यों-ज्यों लोगों और रिसालत (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को रसूल बनाने का युग) की अवधि के मध्य दूरी बढ़ती जायेगी त्यों-त्यों ज़माना ह़क़ (सत्य) से दूर होता चला जायेगा।

- «زَوَى»: संग्रहित किया तथा समेट दिया।
- «الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ»: सोना एवं चाँदी, इससे अभिप्राय क़ैसर व किसरा के ख़ज़ाने (कोष) हैं।
- «وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي»: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी उम्मत के लिए तीन चीज़ों की दुआ मांगी थी जिनमें से दो आपको दिया गया तथा तीसरे से रोक दिया गयाः

1- आपकी उम्मत को आम भूख-मरी के द्वारा नाश न करे, अतः अल्लाह तआला समस्त उम्मत पर सामान्य रूप से सुखाड़ एवं क़हत नाज़िल नहीं फरमायेगा।

2- कुफ्फार को सारी उम्मते इस्लामिया पर व्यापक रूप से प्रभुत्व नहीं दिया जायेगा।

3- यह उम्मत गृह-युद्ध का शिकार न हो, इस अंतिम प्रार्थना को अल्लाह तआला ने अस्वीकार कर दिया।

- «الأَئِمَّةَ الْـمُضِلِّين»: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने भय एवं डर का केंद्र-बिंदु गुमराह इमामों (पथभ्रष्ट अगुवा) को क़रार दिया है, और इमाम (अगुवा) या तो:

1. ख़ैर भलाई एवं पुनीत कार्यों में होगा: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ (और जब उन लोगों ने सब्र किया (धैर्य रखा) तो हमने उनमें ऐसे पेशवा (अगुवा, मुखिया) बनाए जो हमारे आदेश से लोगों का मार्गदर्शन करते थे, और वह हमारी आयतों (श्लोकों) पर यक़ीन एवं विश्वास रखते थे)।

2. अथवा बुराई एवं कुकर्मों में होगा: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ﴾ (और हमने उनको (गुमराहों) का पेशवा बनाया कि (लोगों को) नरक की ओर बुलाते हैं, और क़्यामत के दिन (ऐसे निःसहाय होंगे कि) उनको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जायेगी)।

- «وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ»: उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद से आज तक यही मामला चला आ रहा है।
- «وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ»: यहाँ तक कि मेरी उम्मत का एक समूह मूर्तियों की पूजा करने लगे।
- «كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ»: यह या तो बाहुल्यता बताने के लिए है अथवा सीमित करने के अर्थ में है (अर्थात इससे आपका अभिप्राय या तो यह था कि ऐसे बहुत ज़्यादा झूठे लोग होंगे जो नबी होने का दावा करेंगे या फिर यह था कि वो तीस ही की संख्या में होंगे न उससे कम न उससे अधिक)।

मसाइल:

पहला: सूरह निसा की आयत (﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾) की तफ़्सीर।

दूसरा: सूरह माइदा की आयत (﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾) की तफ़्सीर।

तीसरा: सूरह कहफ की आयत ﴿لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾) की तफ़्सीर (चूँकि पिछली उम्मतों ने मूर्तियों एवं वसन की उपासना की अतः इस उम्मत मे भी ऐसे लोग पाये जायेंगे जो मूर्तियों और वसन की उपासना करेंगे)।

चौथा: सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिब्त (बुत) और ताग़ूत (शैतान) पर ईमान लाने का क्या अर्थ है?

क्या इसका अर्थ दिल से इसको मानना है अथवा इससे घृणा रखते हुए उसको असत्य मानते हुए दिखावे के तौर पर उसका साथ देना है (१- यदि उसको सही मानते हुए उसका समर्थन करेगा तो काफिर होगा। २- और यदि उसको सही न मानते हुए उसका समर्थन करेगा तो काफिर नहीं होगा)।

पाँचवां: उन (यहूदियों) का यह कथन भी पता चला कि अपने कुफ्र से भली-भांति परिचित कुफ्फार, ईमान वालों से ज्यादा सीधे रास्ते पर हैं (अर्थात ऐसा कहना कुफ्र व रिद्दत (विधर्म) है, ईमान पर कुफ्र को प्राथमिकता देने के कारण)।

छठा: एक अत्यंत महत्वपूर्ण मसला जो इस अध्याय का शीर्षक एवं अभिप्राय है, कि ऐसा समूह हरेक युग में मौजूद रहेगा जैसाकि अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में इसका स्पष्ट वर्णन विद्यमान है (अतः इससे डरते रहना चाहिए)।

सातवाँ: इस बात का स्पष्टीकरण कि इस उम्मत के बहुत से समूह मूर्तियों की पूजा करेंगे।

आठवाँ: सबसे विचित्र बात ऐसे व्यक्ति का निकलना है जो नबूवत का दावा करेगा, जैसे मुख़तार हालाँकि वह तौहीद व रिसालत का इक़रार करता था और इस उम्मत में से होने का दावा करता था और यह भी मानता था कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सच्चे हैं और क़ुरआन सच्ची किताब है और उस क़ुरआन में यह भी है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अंतिम नबी हैं, उसकी बातों में इतना विरोधाभास होने के बावजूद लोग उसको सच्चा मानते थे, वह सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के अंतिम युग में प्रकट हुआ और बहुत से समूहों ने उसका अनुकरण किया (मुख़तार से अभिप्रायः मुख़तार बिन अबी उबैद सक़फी है)।

नौवाँ: यह शुभ-सूचना कि सत्य पूर्णतः समाप्त नहीं होगा जैसा पहले युगों में हुआ, बल्कि एक गिरोह सदा उस सत्य पर क़ायम रहेगा (अर्थात इस उम्मत में एक समूह होगा जिसकी क़्यामत तक सहायता की जायेगी)।

दसवाँ: हक़ (सत्य) पर रहने वालों की एक बड़ी निशानी यह है कि उनको छोड़ कर जाने वालों से उन्हें कोई फर्क़ नहीं पड़ेगा और उसके विरोधी उसका कुछ भी हानि नहीं कर पायंगे।

ग्यारह्वाँ: अहले हक़ का अस्तित्व क़्यामत (के निकट होने) तक रहेगा।

बारह्वाँ: उपरोक्त हदीस में निम्नांकित बड़ी-बड़ी निशानियाँ हैं: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह सूचना देना कि अल्लाह तआला ने आपके लिए पूर्व तथा पश्चिम को समेट दिया और आपने जैसी सूचना दी थी शब्दशः वैसा ही हुआ, उत्तर एवं दक्षिण के विपरीत (कि आपने इसके संबंध में कुछ नहीं बताया था)। आपका यह बताना के उम्मत के विषय में आपकी दो दुआ स्वीकार कर ली गई हैं। तथा आपका यह फरमाना कि आपकी तीसरी दुआ अस्वीकार हो गई। आपका यह सूचना देना कि मेरी उम्मत में यदि तलवार निकल जायेगी तो क़्यामत तक नहीं रुकेगी। आपका यह सूचना देना कि वे एक-दूसरे से मार-काट करेंगे। आपका यह बताना कि वे एक-दूसरे को बंदी बनायेंगे। आपका अपनी उम्मत पर गुमराह इमामों से भय खाना। आपका यह सूचना देना कि इस उम्मत में नबूवत के झूठे दावेदार पैदा होंगे। आपका यह सूचना देना कि इस उम्मत में एक विजयी गिरोह सदा मौजूद रहेगा। और यह सभी भविष्यवाणियां शब्दशः सच्ची साबित हुईं, हालांकि बोद्धिक रूप से इन सभी का ज्यों का त्यों घटित होना बड़ा कठिन एवं असंभव सा प्रतीत होता है।

तेरह्वाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मात्र उम्मत के गुमराह पेशवाओं से डर महसूस किया।

चौदह्वाँ: मूर्ति पूजा के सही अर्थों की ओर ध्यानाकर्षण किया है (कि यह केवल मूर्तियों के लिए रुकू एवं सज्दा करने तक ही सीमित नहीं है, अपितु गुमराह लोगों का अनुसरण करना भी इसमें दाख़िल है)।

चौथे तथा पाँचवे पाठ से परीक्षा (५ अध्याय)

प्रथम प्रश्न: इन दोनों पाठों के हरेक अध्याय का किताब से संबंध स्पष्ट करें:

लेखक का इस अध्याय में उल्लेख करने का कारण	अध्याय का शीर्षक	क्र.
....	....	1
....	....	2
....	....	3
....	....	4
....	....	5

प्रथम प्रश्न: (☒) का चिह्न उचित स्थान पर लगायें अथवा वाक्य पूर्ण करें:

1- भूत काल से लेकर वर्तमान काल तक शिर्क का मूल कारण नेक लोगों के संबंध में ग़ुलू करना है: ☐ सही ☐ गलत।

2- ग़ुलू कहते हैं: .... और इसके नकारात्मक प्रभाव में से है: ....

3- क़ब्र का फित्ना बुत के फित्ना की तरह है, बल्कि उससे भी संगीन है: ☐ सही ☐ गलत।

4- क़ब्रों की साज-सज्जा करना, उस पर दीप प्रज्वलित करना, उसको चूना करना, उस पर शिलालेख लगाना, उसकी चौहद्दी करना, उसके दर्शन के लिए आने वालों की आव-भगत करना, और मुजाविरीन (धूनी रमाने वालों) को नक़्दी उपहार आदि देना: ☐ वाजिब है ☐ हराम (वर्जित) है।

5- लेख ने कहा है कि: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़ब्र की ज़ियारत करना सर्वोत्तम कर्मों में से है: ☐ सही ☐ गलत।

6- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से संबंधित भग्नावशेषों की खोज-बीन करना: ☐ मुसतहब है ☐ इसमें तफ़्सील एवं विस्तार है ☐ हराम एवं वर्जित है।

7- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी उम्मत पर भय को इस चीज़ में सीमित कर दिया है:

....

8- लेखक रहिमहुल्लाह का तीन आयतों को "इस उम्मत के कुछ लोग बुतों की इबादत करेंगे" के तहत उल्लेख करने का कारण: ☐ इसका अध्याय से कोई संबंध नहीं है ☐ हदीस़ से इसका स्पष्टीकरण होता है ☐ यह कुछ लिपिकार की गलती है।

9- नेक लोगों के बारे में लोगों के प्रकार: ☐ अति, न्यून एवं संतुलित ☐ ग़ुलू एवं अपमान करने वाले।

10- नेक लोगों से प्रेम दिखलाने का तरीका है, उनके लिए दुआ, उनका बचाव करना तथा उनसे ज्ञान अर्जित करना: ☐ सही ☐ गलत।

11- नेक लोगों के बारे में ग़ुलू करना ही केवल कुफ्र का सबब नहीं है लेकिन यह सबसे संगीन है: ☐ सही ☐ गलत।

12- क्या इबादत में ग़ुलू समा सकता है? ☐ हाँ ☐ नहीं।

13- बंदा यदि नेक लोगों को देखने के बाद ही अल्लाह का स्मरण करे तो ऐसी इबादत या तो अपूर्ण है अथवा व्यर्थ है: ☐ सही ☐ गलत।

14- «عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ» यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का सबसे सटीक एवं सम्मान सूचक गुण है: ☐ सही ☐ गलत।

15- الإطراء। (अल-इत़रा, ग़ुलू) कहते हैं: .... इसका उदाहरण है: ....

16- «لَا تُطْرُونِي» इसमें ईसाई की तरह अतिश्योक्ति या उससे कम सभी समाहित हैं: ☐ सही ☐ गलत।

17- ग़ुलू होता है: ☐ प्रशंसा में ☐ इबादत में ☐ कर्म में ☐ उक्त सभी।

18- «الْــــمُتَنَطِّعُونَ» कौन हैं? ....

....

19- «أَهْلَكَ» से अभिप्राय है: ☐ दीन का नाश ☐ शरीर का नाश ☐ उक्त सभी।

20- अल्लाह का दीन ग़ुलू एवं हीनता से पाक है: ☐ सही ☐ गलत।

21- تنطع (तनत़्तुअ) होता है: ☐ बात-चीत में ☐ वाणी में ☐ उक्त सभी।

22- उम्मत एकमत है कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का एक सिर था जब्कि वास्तव में उनके पाँच सिर थे: ☐ सही ☐ गलत।

23- इस धरा पर पाया जाने वाला सर्वप्रथम शिर्क ☐ आदम ☐ नूह ☐ इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम ☐ के समुदाय में पाया गया।

24- नबियों के दीन को सर्वप्रथम जिस चीज़ के द्वारा बदल दिया गया वह शिर्क था और इसका कारण नेक लोगों (साधु-संतों) के बारे में अतिश्योक्ति का शिकार होना था: ☐ सही ☐ गलत।

25- दीन को बिदअत के द्वारा सशक्त करने के प्रयास से होने वाली हानि उसके लाभ से कहीं अधिक है: ☐ सही ☐ गलत।

26- हरेक वह चीज़ जिसको उत्सव बना लिया जाये इस तौर पर कि प्रत्येक वर्ष अथवा सप्ताह उसको दोहराया जाये, तो ऐसा करना: ☐ बिदअत है ☐ जायज़ है ☐ सुन्नत है।

27- बिदअत, कुफ्र का सबब है: ☐ सही है ☐ गलत है क्योंकि अल्लाह के साथ कुफ्र करने के अनेक कारण हैं।

28- इल्म के गुम हो जाने का कारण है: ☐ उलेमा की मृत्यु ☐ उससे विमुखता प्रकट करना ☐ सांसारिक मोह-माया ☐ उक्त सभी।

29- क़ब्रों की ज़ियारत करना: ☐ शिर्क है ☐ बिदअत है ☐ शरीअत से प्रमाणित है ☐ उक्त सभी।

30- ऐसी ज़ियारत जिसका उद्देश्य मुर्दों को लाभ पहुँचाना और इबरत पकड़ना हो तो: (☐ सही है ☐ गलत है), और ऐसी ज़ियारत जिसका उद्देश्य शरई तौर पर मूर्दों से लाभ लेना हो तो: (☐ सही है ☐ गलत है)।

31- हरेक वह चीज़ जो इंसान को दीन से रोकने का सबब बने वह: ☐ बिदअत है ☐ फित्ना है ☐ ख़ुराफात है।

32- «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ»: ☐ यह उन पर बद्दुआ है ☐ यह अल्लाह के लानत की सूचना देना है ☐ दोनों संभव है।

33- क़ब्रों को मस्जिद बनाना: ☐ उस पर सज्दा करके ☐ उस पर मस्जिद तामीर करके ☐ उक्त सभी।

34- «خُشِيَ» पेश के साथ पढ़ने का अर्थ होगा कि डरने वाले: ☐ नबी थे ☐ सहाबा थे।

35- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र इसलिए प्रकट नहीं की गई कि: ☐ خُشِيَ ☐ خَشِيَ ☐ नबी जहाँ मरते हैं वहीं उनकी समाधि बनती है ☐ उक्त सभी।

36- आपकी क़ब्र प्रकट की गयी का अर्थ है: ....

37- यह कहना कि नबी “ह़बीबुल्लाह” हैं: ☐ जायज़ है ☐ यह आपकी शान कम करके आँकना है: ☐ मुस्तहब है।

38- यह कहना कि: इब्राहीम अलैहिस्सलाम “ख़लीलुल्लाह” हैं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम “ह़बीबुल्लाह” हैं: ☐ जायज़ है ☐ मुस्तह़ब है ☐ नाजायज़ है।

39- “ख़ुल्लत (ख़लील -मित्र- होना)” साबित है केवल: ☐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ☐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दोनों के लिए ☐ इन दोनों के लिए तथा इनके अतिरिक्त अन्य के लिए भी।

40- किसी ने क़ब्र पर मस्जिद बना ली तो: ☐ क़ब्र को उखाड़ दिया जायेगा ☐ मस्जिद गिरा दी जायेगी जब्कि क़ब्र बाकी रहेगी।

41- नमाज़ जायज़ नहीं है क़ब्र: ☐ की तरफ ☐ पर ☐ में ☐ उक्त सभी।

42- लोगों के दर्जा में विभिन्नता होती है: ☐ भलाई में ☐ बुराई में ☐ उक्त सभी।

43- सर्वाधिक बुरे वो लोग हैं: ☐ जिनके समय क़्यमत आयेगी ☐ जो क़ब्रों को मस्जिद बनाते हैं ☐ सभी।

44- दूर रहना वाजिब है: ☐ शिर्क से ☐ उसके कारणों से ☐ उक्त सभी।

45- क़ब्र के पास सदक़ा करने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि वहाँ पर केवल नमाज़ पढ़ने से रोका गया है: ☐ सही ☐ गलत।

46- मुश्रिकीन की नकल करना उसी समय कबीरा गुनाह मानी जायेगा जब: ☐ नकल करना उद्देश्य हो ☐ ऐसा चाहे सउद्देश्य किया गया हो या यूँही दोनों में कोई अंतर नहीं है।

47- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ब्रों को मस्जिद बनाने से रोका था: ☐ अपने जीवन काल में ही ☐

अपनी मृत्यु से पाँच दिन पूर्व ☐ मृत्यु शय्या पर ☐ उक्त सभी।

48- ईमान तथा सदकर्म की श्रेष्ठता समस्त श्रेष्ठताओं से बढ़ कर है: ☐ सही ☐ गलत।

49- «لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا»: ☐ नबी की यह दुआ स्वीकृत हुई ☐ अल्लाह की हिकमत इसके विपरीत थी।

50- महिलाओं का कब्रों की ज़ियारत करना कबीरा गुनाहों में से है: ☐ सही ☐ गलत।

51- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने: ☐ चमन -ए- तौहीद की रक्षा की ☐ हरेक उस द्वार को बंद कर दिया जो उस तक जाता हो ☐ उक्त सभी।

52- «بُيُوتَكُمْ قُبُورًا» अर्थात: ☐ उसमें मृतकों को दफन न करो ☐ उसमें नमाज़ पढ़ना न छोड़ो ☐ उक्त सभी।

53- हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र की ज़ियारत के लिए न तो यात्रा करें और न ही बारंबार आपकी क़ब्र पर आयें: ☐ सही ☐ गलत।

54- नबी पर दरूद व सलाम भेजा जायेगा: ☐ आपकी क़ब्र के पास, अतः मदीना आने वाले प्रत्येक यात्री को आपकी कब्र के पास उसकी ओर से दरूद व सलाम भेजने के लिए कहा जायेगा ☐ किसी भी स्थान से (तुम और स्पेन में रहने वाले दोनों समान हैं)।

55- «قَبْرِي عِيدًا» अर्थात: ....

56- इस उम्मत में शिर्क का पाया जाना असंभव है क्योंकि यह उम्मत इससे महफ़ूज़ है: ☐ सही ☐ गलत।

57- उन्हें सम्पूर्ण किताब नहीं दी गई बल्कि उनके कुकर्मों के कारण इससे वंचित कर दिया गया: ☐ सही ☐ गलत।

58- ज्ञान, ज्ञानी को कुकर्म करने से नहीं रोकता है: ☐सही ☐ गलत।

59- क्या ये बंदर तथा सूअर उसी समूदाय से हैं जिसका रूप बदल दिया गया था? ☐ सही ☐ गलत।

60- क़ब्रों के प्रति अतिश्योक्ति करने की मात्रा यद्यपि कम ही क्यों न हो, अधिकतर संगीन मामलों तक पहुँचा देता है: ☐ सही ☐ गलत।

61- इस उम्मत में पाई जाने वाली कुकर्मों का सिरा पिछली उम्मतों से जा मिलता है: ☐ सही ☐ गलत।

62- उम्मत जब बंट गई तथा एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया तो अल्लाह ने उन पर शत्रुओं को प्रभुत्व दे दिया: ☐ सही ☐ गलत।

63- इमाम या तो: ☐ केवल भलाई में होगा ☐ भलाई एवं बुराई दोनों में।

64- इस उम्मत पर सर्वाधिक डरा जाता है: ☐ बुरे इमाम से ☐ यहूदी व ईसाई के अनुसरण से।

65- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की यह दो प्रार्थनायें स्वीकृत हुई : ....और यह तीसरी नहीं हुईं: ....

छठाः शैतानी कृत्य (७ अध्याय)

२४- जादू का बयान

- बिना शिर्क किये जादू अंसभव है, क्योंकि शैतान मानव जाति की सेवा किसी कारणवश ही करता है, और वह कारण है मानव को बहकाना और उसे शिर्क एवं कुकर्मों के दलदल में धकेल देना।

पहली और दूसरी दलील:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَلَقَدۡ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشۡتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَٰقٖۚ﴾ (निश्चय ही उन्हें ज्ञान हो चुका कि जिसने जादू सीखा उसका आख़िरत (परलोक) में कोई हिस्सा नहीं)।

2- तथा फरमाया: ﴿يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡجِبۡتِ وَٱلطَّٰغُوتِ﴾ (वो जिब्त एवं ताग़ूत पर ईमान रखते हैं), :قَـالَ عُمَـرُ (الجِبتُ: السِّـحْرُ، وَالطَّـاغوتُ: الشَّـيْطَانُ)، आदरणीय उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि:"जिब्त जादू को, तथा ताग़ूत शैतान को कहते हैं", तथा आदरणीय जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं: (الطَّوَاغِيتُ: كُهَّـانٌ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فِي كُـلِّ حَـيٍّ وَاحِـدٌ) "ताग़ूत वो काहिन (ज्योतिषि) हैं जिन पर शैतान उतरता था, और हरेक मोहल्ले का अलग-अलग काहिन होता था"।

- ﴿ٱشۡتَرَىٰهُ﴾: (ख़रीदा था) अर्थात सीखा था।
- «الطَّاغُوتُ: الشَّيطَانُ»: यह उदाहरण के द्वारा तफ़्सीर करना है, क्योंकि ताग़ूत शैतान से आम है।

क्या पूर्णरूपेण नसीब (भाग्य) का इंकार किया गया है?

प्रथम कथन: हम वईद वाले नुसूस को मग़फिरत वाले नुसूस के संग एकत्रित करेंगे, इस आधार पर नसीब (भाग्य, हिस्सा) के इंकार में तफ़सील एवं विस्तार है:

- **सम्पूर्ण इंकार होगा:** यदि जादू करने के लिए शैतान का सहारा लिया जाये।
- **कुछ का इंकार होगा:** यदि जादू करने के लिए औषधि एवं जड़ी-बूटी का सहारा लिया जाये।

द्वितीय कथन: वईद (दंड-त्रासन) वाली आयतों को जैसे आया है वैसे ही गुज़ार दिया जायेगा, तथा मग़फिरत (क्षमा) वाली आयतों के संग इसको एकत्रित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा ताकि इसका महत्व कम ना हो, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَمَا نُرۡسِلُ بِٱلۡأٓيَٰتِ إِلَّا تَخۡوِيفٗا﴾ (कि हम तो लोगों को धमकाने के लिए निशानियां भेजते हैं) क्योंकि अल्लाह ने इसे भेजने का उद्देश्य डराना एवं धमकाना बताया है।

तीसरी दलील:

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाय: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْـمُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِالله، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْـحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْـمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْـمُؤْمِنَاتِ»

“सात विनाशकारी चीज़ों से बचो, लोगों ने कहा: अल्लाह के रसूल वो क्या हैं? आपने फरमाया: अललाह का शरीक (साझी) बनाना, जादू करना, अवैध किसी को क़त्ल करना, सूद खाना, अनाथ का धन खाना तथा लड़ाई के मैदान से पीठ दिखा कर भाग खड़ा होना तथा भोली-भाली पवित्र मुसलमान स्त्रियों पर (व्यभिचार का) आरोप लगाना”।

- «اجْتَنِبُوا» : अर्थात उससे इस प्रकार दूरी बनाये रखो कि तुम एक किनारे हो और वह दूसरे किनारे।
- «السَّبْعَ»: केवल सात ही में सीमित करना उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इसके अतिरिक्त भी विनाशकारी पाप हैं।
- «وَأَكْلُ الرِّبَا» : सूद खाने का भावार्थ है सूद लेना, चाहे वह खाने के रूप में हो अथवा बिस्तर इत्यादी के रूप में, और “रिबा (सूद)” कहते हैं: अनुबंध करते समय किसी ऐसी चीज़ में बढ़ा कर लेना जिसमें बराबर-बराबर लेना वाजिब है, तथा जिस चीज़ में वस्तु को अतिशीघ्र अपने क़ब्जे में लेना आवश्यक है उसको लेने में देर करना, इसके दो प्रकार हैं: १- रिबा फ़ज़्ल (अधिकता) २- रिबा नसीआ (देर करना)।
- «وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ» : यतीम (अनाथ) कहते हैं जिसका पिता उसके व्यस्क होने के पूर्व ही मर गया हो।
- «وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ» : अर्थात जब युद्ध के लिए पंक्ति लग चुकी हो तब वहाँ से भाग खड़ा होना।
- «وَقَذْفُ الْـمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْـمُؤْمِنَاتِ» : स्वतंत्र मोमिन महिलाओं पर व्यभिचार का आक्षेप

«وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ» (जिसको क़त्ल करना अवैध है) और यह चार हैं:

- **मोमिन:** अपने ईमान के कारण।
- **ज़िम्मी:** जिज़्या देने के कारण वह मुसलमानों की ज़िम्मेदारी में हो।
- **मुआहद:** मुसलमान तथा उनके मध्य संधि हो कि न हम तुमसे लड़ेंगे और न तुम हम से।
- **मुस्तामिन:** हमारे तथा उनके मध्य अमन मुआहदा हो, व्यापार के उद्देश्य से अथवा इस्लाम सीखने के उदेदशय से।

«إِلَّا بِالْـحَقِّ» (सिवाय हक़ के) और यह तीन हैं:

- दीन को छोड़ कर जमात से अलग हो जाने वाला
- विवाहेत्तर संबंध
- जान के बदले जान

तीन स्थितियों में मैदान छोड़ कर भागना जायज़ है:

जब कुफ्फार मुसलमानों के मुक़ाबले में दुगने से अधिक हों: उस समय मैदान छोड़ कर भागना जायज़ है।

﴿مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ﴾(अपने समूह की ओर शरण लेने आता हो): आवश्यकतानुसार दूसरे समूह से मिल जाये बशर्ते कि इससे लश्कर को कोई हानि न पहुँचे।

﴿مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ﴾ (लड़ाई के लिए पैंतरा बदलने की खातिर): जैसे कोई इस लिये पलटे कि अपनी दशा ठीक करे और हथियार तैयार करे, या फिर इस लिए कि दूसरी ओर से हमला करेगा।

चार से सात तक दलीलें:

४- जुन्दुब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफूअन वर्णित है: "**जादूगर का दंड यह है कि उसे तलवार से क़त्ल कर दिया जाये**"। इसे इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है तथा कहा है कि सही बात यह है कि यह मौक़ूफ (सहाबी का कथन) है।

५- सहीह बुख़ारी में बजाला बिन अबदा से रिवायत है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह परवाना जारी किया कि: "प्रत्येक जादूगर एवं जादूगरनी को मार डालो, तो हमने तीन जादूगरनियों को क़त्ल किया"।

६- और हफ़सा रज़ियल्लाहु अन्हा से सही सनद से प्रमाणित है कि उन्होंने अपनी एक दासी को जिसने उन पर जादू कर दिया था, मार डालने का आदेश दिया तो उसे क़त्ल कर दिया गया।

७- इसी प्रकार जुन्दुब रज़ियल्लाहु अन्हु से भी इस प्रकार की एक घटना साबित है, इमाम अहमद कहते हैं: (तीन सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से जादूगर का वध करना साबित है)।

जादूगर का क्या हुक्म है?

प्रथम कथन: (मोहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब रहिमहुल्लाह का): हरेक प्रकार का जादू कुफ्र है, और जादूगर को बिना तौबा का मौक़ा दिये क़त्ल किया जायेगा। और उसके तौबा का मामला अल्लाह के सुपुर्द है।

द्वितीय कथन: (इमाम शाफई रहिमहुल्लाह का): और इसी को शैख़ इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह ने राजेह कहा (प्राथमिकता दी) है।

दवाई तथा जड़ी-बूटियों की सहायता से जादू करना: ऐसा करने वाले का हुक्म विद्रोही तथा दूसरों पर अत्याचार करने वाले के समान होगा, और उसे मुस्लिम होने के कारण क़त्ल किया जायेगा।

शैतान की सहायता से जादू करना: ऐसा करने वाला मुर्तद (विधर्मी) है उससे तौबा कराया जायेगा, यदि तौबा करले तो उसे हद के तौर पर क़त्ल किया जायेगा क्योंकि वह मुस्लिम है, और यदि तौबा न करे तो इसलिए क़त्ल करेंगे कि वह काफिर व मुर्तद (विधर्मी) है।

मसाइल:

पहला: सूरह बक़रह की आयत ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا۟ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ﴾ की तफ़्सीर।

दूसरा: सूरह निसा की आयत ﴿يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّٰغُوتِ﴾ की तफ़्सीर।

तीसरा: जिब्त तथा त़ाग़ूत का अर्थ और उन दोनों के मध्य अंतर (**जिब्त कहते हैं:** प्रत्येक उस चीज़ को जिसमें किसी प्रकार की कोई ख़ैर व भलाई (कुशल-मंगल) न हो जैसे जादू इत्यादि, **त़ाग़ूत कहते हैं:** प्रत्येक उस चीज़ को जिसके द्वारा बंदा अपनी हद फलांग जाये चाहे वो माबूद (उपास्य, पूज्य) हो अथवा पेशवा अथवा हाकिम (शासक))।

चौथा: यह भी प्रमाणित हुआ कि त़ाग़ूत जिन्न भी होते हैं और इंसान भी (मानव तथा दानव दोनों) (त़ाग़ूत जब सामान्य रूप में अपने व्यापक अर्थों में बोला जाये तो उससे अभिप्राय जिन्नाती शैतान होते हैं, और जब काहिन (ज्योतिषि) को बोला जाये तो उससे अभिप्राय इंसानी शैतान होते हैं)।

पाँचवां: इससे उन सात कृत्यों का भी पता चला जो अति विनाशकारी तथा विशेष रूप से वर्जित हैं।

छठा: जादूगर (तांत्रिक) काफिर (अधर्मी) है।

सातवाँ: जादूगर को तौबा का मौक़ा दिये बिना क़त्ल कर दिया जाये (हद्द, जब इमाम (वर्तमान शासक) तक पहुँच जाये तो फिर मामला धारी (जादूगर) को तौबा नहीं कराया जायेगा बल्कि हर हाल में उसे क़त्ल किया जायेगा, लेकिन जहाँ तक काफिर का मामला है तो उसे तौबा करने के लिए कहा जायेगा)।

(हद्द कहते हैं: उस निश्चित दंड को जो किसी निश्चित अपराध पर दिया जाता है)।

आठवाँ: जादूगर जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के युग में मौजूद थे तो उनके बाद के युग में तो और क्या हाल हुआ होगा (इसका सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है)?!

शासक द्वारा जादूगर को क़त्ल करने का फत्वा शरई क़वायद (सिद्धांत) के बिल्कुल अनुकूल है, क्योंकि वह ज़मीन में उपद्रव मचाना चाहता है, बल्कि उसका यह कृत्य फसाद (उपद्रव) का सबसे घृणित रूप है, अतः इमाम के ऊपर उसका क़त्ल करना वाजिब व अपरिहार्य है, और इमाम के लिए किसी भी तरह से जायज़ नहीं है कि वह उसके क़त्ल करने में आना-कानी करे, क्योंकि ऐसे लोग यदि यूँही छोड़ दिये गये तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी कि उनका फसाद सरहदों को फलांगते हुए फैलता चला जायेगा, और यदि क़त्ल कर दिये गये तो लोग उनकी बुराई से बच जायेंगे, तथा लोगों के दिलों में जादू सीखने के प्रति भय व ख़ौफ़ भी पैदा होगा।

२५- जादू के कुछ भेदों का वर्णन

जादू का उल्लेख करने के पश्चात उसके कुछ भेदों का वर्णन कर रहे हैं ताकि आप को पता चले कि इसके भी कई प्रकार होते हैं, और आप उसको जान कर उससे बचें।

एक से पाँच तक दलीलें:

इमाम अहमद कहते हैं कि मुझसे मुहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे औफ़, उनसे हय्यान बिन अलअला, उनसे क़तन बिन क़बीसा ने, उनसे उनके पिता ने बयान किया कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुना: «إِنَّ الْعِيَافَةَ، وَالطَّرْقَ، وَالطِّيَرَةَ؛ مِنَ الْجِبْتِ» **"पक्षियों को उड़ाकर शगुन-अपशगुन लेना, रेखा खींचना तथा किसी वस्तु को देख कर उससे अपशगुन लेना, यह सब जादू में से है"**, औफ़ कहते हैं: (الْعِيَافَةُ: زَجْرُ الطَّيْرِ، وَالطَّرْقُ: الْخَطُّ يُخَطُّ بِالأَرْضِ) "अयाफ़ा: पक्षियों को उड़ा कर अपशगुन लेना, तथा: तर्क़: ज़मीन पर लकीर ख़ींचना (इल्म -ए- रमल, रेखा शास्त्र) है", وَالْجِبْتُ –قَالَ الْحَسَنُ–: (رَنَّةُ الشَّيْطَانِ) तथा हसन बसरी कहते हैं: "शैतानी चीख़ व पुकार तथा उसका रूदन करना जिब्त है"। इसकी सनद उम्दा है, और इसे अबू दाऊद, नसाई और इब्ने हिब्बान ने अपनी "सहीह" में रिवायत किया है (अर्थात: हसन बसरी का कथन, जब्कि औफ का कथन केवल मुसनद अहमद में है)।

२- अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «مَنِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ؛ زَادَ مَا زَادَ» **"जिसने तारों के ज्ञान (ज्योतिष विद्या) का कुछ अंश सीखा उसने जादू का कुछ अंश सीखा, जितना अधिक सीखा उतना अधिक उसके गुनाह में बढ़ोतरी होगी"**। इसको अबू दाऊद ने सही सनद के साथ रिवायत किया है।

३- तथा सुनन नसाई में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि: «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ» "जिसने गाँठ लगाकर उसमें फूँका उसने जादू किया और जिसने जादू किया उसने शिर्क किया, तथा जिसने (बुरी नज़र आदि से बचाव के लिए) कुछ लटकाया उसे उसी के हवाले कर दिया गया"।

४- एवं अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «أَلَا هَلْ أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ؛ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ» **"क्या मैं तुझे अल-अज़्ह के विषय में न बताऊँ?** फरमाया: यह चुग़ली करना है, जिससे लोगों के बीच लड़ाई हो जाये"। इसको मुस्लिम ने रिवायत किया है।।

५- बुख़ारी एवं मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का वर्णन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا» **"कुछ बयान (वक्तव्य में) जादू (जैसा प्रभाव) होता है"**।

- «الْعِيَافَةُ»: शगुन अथवा अपशगुन लेने के लिए पक्षियों को उड़ाना।
- «وَالطَّرْقُ»: जादू या ज्योतिष गणना के लिए मिट्टी अथवा बालू पर रेखा खींचना।
- «الطِّيَرَةُ»: किसी ज्ञात चीज़ के द्वारा अपशकुन लेने को कहते हैं, चाहे उसका संबंध देखने से हो या सुनने से, समय से हो अथवा स्थान से।
- «رَنَّةُ الشَّيْطَانِ»: अर्थातः शैतानी वसवसा, यह शैतानी विचार एवं उसकी बातें होती हैं।
- «الْعَضْهُ»: यह शब्द काटने एवं जुदाई डालने के अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जादू के अध्याय में इसे उल्लेखित करने का क्या कारण है? उद्देश्य यह बताना है किः फूट डालना ही चुग़लख़ोर और जादूगर का लक्ष्य होता है, यह अलग बात है कि जादूगर की तुलना में चुग़लख़ोर अधिक उपद्रव मचाता है।

इल्म -ए- नुजूम (ज्योतिषशास्त्र) के दो प्रकार हैं:

इल्म -ए- तसयीरः
सितारों की चाल के द्वारा दिशा, समय तथा क़िब्ला के दिशा का निर्धारण करनाः

- **वाजिब हैः** जिसके द्वारा वाजिब परिपूर्ण होता है उसका सीखना भी वाजिब होता है, जैसे कोई सहरा या चटियल मैदान में हो और क़िबला के दिशा का निर्धारण करना चाहता हो।
- **जायज़ हैः** यदि इसका प्रयोग समय एवं स्थान के निर्धारण के लिए हो, ﴿وَعَلَٰمَٰتٖۚ وَبِٱلنَّجۡمِ هُمۡ يَهۡتَدُونَ﴾ (और भी बहुत सारी निशानियाँ बनायीं, और सितारों से भी लोग मार्गदर्शन पाते हैं)।

इल्म -ए- तासीरः
सितारों की चाल के द्वारा ज़मीनी घटनाओं का निर्धारण करनाः

- **शिर्क -ए- अकबर हैः** यदि यह अक़ीदा (श्रद्धा) रखे कि सितारे स्वतः अपने आप प्रभावी होते हैं, और यह लाभ पहुँचाने अथवा हानि दूर करने की क्षमता रखते हैं।
- **शिर्क -ए- असग़र हैः** यदि यह अक़ीदा (श्रद्धा) रखे कि सितारे सबब व माध्यम हैं, जब्कि अल्लाह तआला ने उसे ग़ैब के भेद जानने का सबब व माध्यम नहीं बनाया है।

- «الْبَيَانُ»: मुकम्मल फ़साहत, भाषा पर मज़बूत पकड़, बोल-चाल में स्वाभाविकता तथा प्रवाहशीलता तथा अपनी बात को ऐसे सुंदर एवं मनोहर रूप में प्रस्तुत करने की कला कि सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाये, उसका दिल बोलने वाले का क़ैदी हो जाये, उसके विचार तक बदल जायें, इसे ही अरबी भाषा में "बयान" कहते हैं, इसके प्रकार निम्नांकित हैं:
  1. प्रशंसनीय है: यदि इसके द्वारा सच्चाई एवं हक़ को साबित किया जाये तथा बातिल (असत्य) का रद्द एवं खण्डन किया जाये।
  2. निंदनीय है: यदि इसके द्वारा बातिल तथा असत्य को सच बना कर पेश किया जाये तथा सच्चाई एवं हक़ का रद्द एवं खण्डन किया जाये।
- **बयान (बखान) का जादू से क्या संबंध है?** क्योंकि बातिल एवं निंदनीय बयान तथा जादू दोनों ही का मुख्य लक्ष्य, सच्चाई को उलट देना होता है।

मसाइल:

पहला: अयाफा (पक्षी उड़ा कर अपशगुन लेना), तरक़ (रेखाशास्त्र) तथा तियरा (सामान्य रूप से भी अपशकुन लेना), जिब्त (जादू) में से है।

दूसरा: इन तीनों की सम्पूर्ण व्याख्या सामने आ चुकी है।

तीसरा: इल्म -ए- नुजूम (ज्योतिषशास्त्र) भी एक प्रकार का जादू ही है।

चौथा: गाँठ (गिरह) लगाना और फूँक मारना भी एक प्रकार का जादू है।

पाँचवां: चुग़ली (पिशुनता) भी जादू का एक प्रकार है (क्योंकि यह भी जादू की भांति ही लोगों के मध्य फूट डालने का काम करता है)।

छठा: कुछ लोगों का ओजस्वी भाषण भी जादू की ही तरह प्रभावी होता है (क्योंकि ओजस्वी वक्ता यदा-कदा लोगों को किसी कार्य के लिए उकसा कर आमादा एवं तत्पर कर देता है, तो वहीं किसी कार्य को अंजाम देने से रोक भी देता है)।

२६- काहिन (भविष्यवक्ता) आदि के विषय में

क्या ही ख़ूब व बेहतर अंदाज़ में लेखक महोदय ने समस्त अध्यायों को क्रमानुसार सजाया है कि जादू तथा उसके कुछ भेदों के उल्लेख के पश्चात, अब काहिन, रम्माल (रेखाशास्त्री) एवं नुजूमी (ज्योतिषी) का उल्लेख कर रहें हैं, और उनके पास जाने की कैफियत, ढ़ंग एवं जाने का हुक्म बयान कर रहे हैं।

एक से चार तक दलीलें:

१- इमाम मुस्लिम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की किसी धर्मपत्नी से रिवायत किया है कि: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ؛ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» **"जो किसी अर्राफ के पास जाकर कुछ पूछे तथा उसे सत्य मान ले तो चालीस दिन तक उसकी नमाज़ स्वीकार नहीं की जाती"।**

२- और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ» **"जो किसी काहिन (भविष्यवक्ता) के पास जाए तथा उसकी बातों को सच्चा माने तो उसने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर जो (शरीअत) उतारी गई उसका इंकार कर दिया"।** इस हदीस़ को अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

३- चारों सुनन वालों एवं हाकिम ने रिवायत किया है (और हाकिम ने कहा है कि इसकी सनद बुख़ारी एवं मुस्लिम के शर्त के अनुसार है): «مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ» **"जो किसी अर्राफ (अंतर्यामी होने का दावा करने वाला), या काहिन (भविष्यवक्ता) के पास आये तथा उसकी बातों को सच मान ले तो उसने उस (धर्म) को अस्वीकार कर दिया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतारा गया है"।**

४- अबू याला ने अपनी मुसनद में उत्तम सनद के साथ इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से उनका कथन इसी प्रकार रिवायत किया है।

- «مَنْ أَتَى»: उसके पास जाने का अर्थ यह है कि वह उसके पास बैठे, या फोन पर संबंध जोड़े, या किसी और को उसके पास भेजे या उससे पत्राचार करे, या ऐसे चैनल, वेबसाइट देखे और पत्रिका पढे, जिसमें विशेष रूप से राशिफल के विषय में लिखा गया हो या उसकी बातों को सुने, इसकी बुराई एवं फसाद बड़ा संगीन एवं खतरनाक है।
- «لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ»: नमाज़ का स़वाब (पुण्य) उस बुराई (पाप) के तुल्य हो गया, अर्थात उस पाप ने नमाज़ का स़वाब समाप्त कर दिया (और यह केवल उसके पास जाने भर का दंड है, उसको सच्चा मानने का दंड इससे भी भयानक है)।

- «فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ»: अर्थात क़ुरआन का और जो कुछ उसमें है सबका इंकार कर दिया, ﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ (कह दीजिये कि आकाश तथा धरती पर रहने वालों में से अल्लाह के सिवाय कोई ग़ैब नहीं जानता) अतः जो अंतर्यामी होने का दावा करने वाले काहिन को सच्चा माने यह जानते हुए भी कि अल्लाह के सिवाय कोई और ग़ैब नहीं जानता, तो वह कुफ्र -ए- अकबर का अपराध करने वाला काफिर है, और यदि वह अज्ञानी हो तथा यह श्रद्धा नहीं रखता हो कि क़ुरआन में झूठ का मिश्रण है तो वह कुफ्र -ए- अस़ग़र का अपराधी माना जायेगा, और कभी-कभी वह शीघ्र ही उसकी बातों को सच नहीं मान लेता बल्कि उसकी कही कोई बात जब ऊपरी तौर पर सच लगती है तो फिर वह उसको सच्चा मान लेता है।
- «عَرَّافًا»: "अर्राफ़" सामान्य रूप से, अंतर्यामी होने का दावा करने वाला, ज्योतिषी तथा रेखाशास्त्री आदि जो भी किसी विशेष भाव-भंगिमाओं तथा पद्धति के द्वारा ग़ैब की बातें जानने का दावा करे सभी के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात यह शब्द इस प्रकार का दावा करने वाले सभी लोगों को सम्मिलित है।

पाँचवीं दलील:

और इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफूअन वर्णित है: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ» **"वह हम में से नहीं जो शगुन ले या जिसके लिए शगुन लिया जाये, या कहानत करे अथवा उसके लिए कहानत किया जाये, या जादू करे अथवा उसके लिये जादू किया जाये, और जो किसी काहिन के पास जाकर उसकी बातों को सच माने तो उसने उस (दीन) को नकार दिया जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतारी गयी"**। इसको बज़्ज़ार ने उत्तम सनद के साथ रिवायत किया है।

छठी दलील:

यही ह़दीस़ इमाम त़बरानी ने "अल-मोजम अल-औसत़" में उत्तम सनद से रिवायत किया है, किंतु उसमें «وَمَنْ أَتَى ...» से अंत तक के शब्द नहीं हैं।

इमाम बग़वी रह़िमहुल्लाह ने कहा है कि: "अर्राफ़ वह है जो अनुमानों द्वारा छिपी बातों (ग़ैब) को बताने का दावा करे जैसे चोरी तथा खोई वस्तु का पता बताये आदि", यह भी कहा गया है कि: अर्राफ़ काहिन है और काहिन वह है जो भविष्य की बातें बताता है, यह भी कहा गया है कि: (काहिन वह है) जो अंतर्यामी होने का दावा करता है और दिल की बातें बताता है।

और अबुल अब्बास इब्ने तैमिया रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं: "अर्राफ़, एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग काहिन, नुजूमी, रम्माल तथा इस प्रकार के अन्य लोगों के लिये किया जाता है जो इन विद्याओं द्वारा छिप्त बातों को जानने का दावा करते हैं"।

- «مَنْ تَطَيَّرَ»: जो स्वयं के लिए अपशगुन ले अथवा दूसरों के लिए ले, इसमें सभी शामिल हैं।
- «أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ»: अर्थातः इस बात का आदेश दे कि उसके लिये अपशगुन लिया जाये, या इस बात से सहमत हो कि उसके लिए अपशगुन लिया जाये।
- «سُحِرَ لَهُ» (जिसके लिए जादू किया जाये): क्योंकि इस प्रकार का कृत्य करने वाले कुछ लोगों के पास जब कोई पति अपनी पत्नी अथवा पत्नी अपने पति की शिकायत (परिवाद) ले कर आती है तो वह कहता है: जो करूँगा मैं करूँगा आप को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे शिकायत लेकर आने वाला व्यक्ति समझता है कि उसके ऊपर इससे कोई पाप नहीं चढ़ेगा।

सातवीं दलील:

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं: "जो लोग अबा जाद (अक्षरों की संख्या) लिख कर हिसाब निकालते हैं एवं ज्योतिष विद्या सीखते हैं, मेरे विचार से ऐसा करने वालों के लिए अल्लाह के यहाँ आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं है"।

अबा जाद, सीखने के दे प्रकार हैं:

1. **जायज़:** यदि इसको हम सामान्य गणित तथा इस जैसे अन्य कार्यों के लिए सीखें, और स्मरण रहे कि सदा से उलेमा इसका प्रयोग करते हुये दिनांक इत्यादि लिखते हुये आ रहे हैं।
2. **हराम एवं निषेध:** यदि इसका सीखना सितारों की चाल, उसकी भाव-भंगिमा, तथा उदय एवं अस्त मालूम करने से संबंधित हो।

अर्राफ़ इत्यादि से पूछने का हुक्म:

केवल पूछना भर:	पूछना एवं सच्चा मानना:	जाँचने के लिए पूछना:	उसको झूठा बताने तथा विवशता दिखलाने के लिए पूछना:
कबीरा गुनाह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फरमानः «لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» (चालीस दिन तक उसकी नमाज़ स्वीकार नहीं की जाती) के कारण।	कुफ़्र -ए- अकबर है, क्योंकि इससे क़ुरआन को झूठा मानना साबित होता है।	जायज़ है, ताकि उसके झूठ में से सच का पता लगाये, ना कि इसलिए कि उसकी बातों को सीख कर स्वयं यही सब करने लग जाये।	यह वांछनीय (मतलूब) अथवा आवश्यक (वाजिब) है बशर्ते कि वह अपने अंदर इसकी क्षमता रखता हो।

जादूगर की निशानियां एवं लक्षण:

1- शरई झाड़-फूँक के शर्तों का विरोध करना।

2- गिरह (गाँठ) लगाकर उसमें फूँक मारना।

3- अधूरे शब्द तथा निरर्थक वाक्य लिखना।

4- दिलों को फेरने या जोड़ने के लिए अमल (तंत्र-मंत्र) करना।

5- सितारों की चाल (इल्म -ए- तासीर) के द्वारा राशिफल एवं क़िस्मत का हाल बतलाना।

6- हाथ की रेखाएं और प्याली पढ़कर किस्मत का हाल बताना।

7- माँ का नाम पता करना।

8- ग़ैब जानने (अंतर्यामी होने एवं भविष्य बताने) का दावा करना।

9- रोगी को शरीअत के विरुद्ध कोई कार्य करने की आज्ञा देना, जैसे ह़राम कार्य करने, या नमाज़ छोड़ने अथवा बिना बिस्मिल्लाह किए जानवर ज़ब्ह करने के लिए कहना।

10-रोगी का संबंध अल्लाह से जोड़ने के स्थान पर स्वयं से जोड़ना।

11-वह शैतान (दानव, राक्षस) का मित्र होता है।

मसाइल:

पहला: क़ुरआन पर ईमान लाना तथा काहिन की पुष्टि करना, ये दोनों बातें एक साथ एक दिल में एकत्र नहीं हो सकतीं (क्योंकि यह कुफ्र का सबसे बुरा एवं घृणित रूप है)।

दूसरा: इस बात का स्पष्ट वर्णन की काहिन की पुष्टि करना कुफ्र (अधर्म) है।

तीसरा: जिसके लिए कहानत की जाये उसकी चर्चा (अर्थात: वह भी काहिन के ही समान है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दोनों से बराअत व अलगाव प्रकट किया है)।

चौथा: जिसके लिए अपशकुन लिया जाये उसकी चर्चा।

पाँचवां: जिसके लिए जादू (तंत्र-मंत्र) किया जाए उसकी चर्चा (जो स्वयं अपने लिए ऐसा करवाए, वह भी उतना ही दंड का भागी होगा जितना करने वाला)।

छठा: अबा जाद (संख्या की गणना द्वारा हिसाब निकालने) वाले का हुक्म (इसमें तफ़्सील एवं विस्तार है)।

सातवाँ: काहिन एवं अर्राफ के मध्य अंतर का वर्णन।

२७- जादू-टोना के द्वारा जादू का उपचार

(मसला बयान करने के लिए) यह अति उत्तम तरतीब व क्रम है, कि जादू का उल्लेख करने के पश्चात अब उसके उपचार के ढ़ंग का उल्लेख कर रहे हैं, और इसमें कोई संशय नहीं कि यदि अल्लाह को प्रसन्न करने की नीयत से जादू किये हुये व्यक्ति (मंत्रमुग्ध) से जादू को शरई ढ़ंग से दूर कर दिया जाये तो यह बड़ी फ़ज़ीलत की बात है।

पहली दलील:

जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नुशरा (जादू का इलाज जादू के द्वारा करने) के संबंध में पूछा गया तो आपने फरमायाः «هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» "**यह शैतानी कार्य है**"। इसको अहमद ने -उत्तम सनद के साथ- और अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

दूसरी दलील:

इमाम अहमद से इस विषय में पूछा गया तो आपने फरमायाः "इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु इसे मकरूह (अप्रिय) समझते थे"।

- «النُّشْرَةِ»: अर्थात वह "नुशरा" जो जाहिलीयत वाले युग में प्रसिद्ध एवं प्रचलित था, जिसका प्रयोग वह लोग उस समय करते थे (अर्थातः जादू का उपचार जादू -तंत्र मंत्र- के ही द्वारा करना)।
- «مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»: शैतान की ओर इसकी निस्बत करने का उद्देश्य इस की कड़ी निंदा व भर्तसना करना तथा इससे अति घृणा दिलाना है।
- «يَكْرَهُ هٰذا»: पूर्व के उलेमा जब किसी चीज़ को मकरूह कहते थे तो उसका भावार्थ ह़राम (वर्जित) होता था (मकरूह शब्द आज जिन अर्थों में प्रयोग हो रहा है उन अर्थों में नहीं, कि आज कल इस शब्द का प्रयोग अप्रिय के अर्थों में होता है, अर्थात आज कल यह ह़राम से नीचे के दर्जा को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है)।
- «يَكْرَهُ هٰذا كُلَّهُ»: इससे अभिप्राय वह नुशरा है जो शैतानी कृत्य है, अर्थात जादू का उपचार जादू एवं तंत्र-मंत्र से करना।

तीसरी दलील:

बुख़ारी की रिवायत है, क़तादा ने इब्ने मुसय्यिब रहिमहुल्लाह से पूछा कि: رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ أَوْ يُؤَخَّذُ عَنِ امْرَأَتِهِ؛ أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ؟ قَالَ: (لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإِصْلَاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ) انْتَهَى. यदि किसी पर जादू किया गया हो या ऐसा टोना किया गया हो जिसके कारण वह अपनी पत्नी के पास न जा सकता हो, तो कैसे उसका समाधान करे, क्या नुशरा करे? तो उन्होंने कहा: इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य सुधार करना होता है, लाभदायक चीजों से (शरीअत में) रोका नहीं गया है। उनकी बात समाप्त हो गई।

- «طِبٌّ»: "तिब्ब" अर्थात जादू, यह सर्वविदित है कि "तिब्ब" रोग का उपचार करने को कहते हैं, लेकिन जादू को "तिब्ब" नेक फाल (शगुन) लेते हुए कहा गया है, जैसे "लदीग़" (विषैले सांप के डसे हुए को) "सलीम" (स्वस्थ) और "कसीर" (हड्डी टूटे हुए को) "जबीर" (जिसकी हड्डी जुड़ गई हो) कहा जाता है।
- «يُؤَخَّذُ عَنِ امْرَأَتِهِ»: अर्थात उसको इस प्रकार से रोक दिया जाए कि अपनी पत्नी से सहवास करने में असमर्थ हो, और ऐसा किसी रोग के कारण नहीं हो बल्कि एक प्रकार के जादू के कारण हुआ हो।

चौथी दलील:

हसन बसरी रहिमहुल्लाह से वर्णित है वह कहते हैं कि: (لَا يَحُلُّ السِّحْرَ إِلَّا سَاحِرٌ) "जादू को जादूगर ही उतार सकता है"।

इब्ने क़ैयिम रहिमहुल्लाह कहते हैं: जादू किये हुये व्यक्ति (मंत्रमुग्ध) से जादू उतारना "नुशरा" कहलाता है, इसके दो प्रकार हैं:

1- जादू को जादू (तंत्र-मंत्र) से ही दूर करने का प्रयास किया जाये, यह शैतानी कृत्य एवं नाजायज़ है, इस स्थिति में जादू दूर करने वाला तथा जिस पर जादू किया गया है दोनों ही शैतान का सामीप्य प्राप्त करने के लिए उसके कहे अनुसार उसका मनचाहा कार्य करते हैं तथा ऐसे कृत्य अंजाम देते हैं जिनसे प्रसन्न हो कर शैतान जादू किये हुये व्यक्ति (मंत्रमुग्ध) से अपना प्रभाव हटा लेता है। हसन बसरी का कथन इसी पर फिट किया जायेगा।

2- दूसरी क़िस्म यह है कि (शरई) दम -झाड़-फूँक, तअव्वुज़ात (ऐसी दुआएं जिनमें अल्लाह से शरण व पनाह माँगी गई हो) जायज़ औषधियां तथा दुआओं के द्वारा जादू का उपचार किया जाये, यह जायज़ है।

जादू का इलाज जादू से करने को जायज़ कहने वालों पर रद्द:

१- जादू का इलाज जादू से करना, क़ुरआन व हदीस़, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और सलफ रहिमहुमुल्लाह के तरीकों के विरुद्ध है।

२- इसमें क़ुरआन करीम और साबित दुआओं के द्वार उपचार करने की महत्ता को कम करना है।

३- इसमें जादू व जादूगरों का प्रोत्साहन तथा लोगों की दृष्टि में उसे प्रतिष्ठित बनाना है।

४- इसमें क़ुरआन और साबित दुआओं के द्वारा सुनिश्चित उपचार से, जादू जैसे संभावित उपचार की ओर फेरना है।

५- जादू का उपचार जादू से करने के लिए आवश्यक है कि जादूगर तथा रोगी (मोहित) दोनों शैतान का सामीप्य उसकी मनपसंद वस्तुओं के द्वारा हासिल करें, ताकि वह रोगी से जादू के प्रभाव को समाप्त कर दे।

६- जादू का रोगी (मोहित) यदि सब्र करे तो उसके लिए जन्नत है जैसाकि यह बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित है।

७- जादू का उपचार जादू से करने में मोहित के ऊपर फिर से जादू का बोझ डालना है।

८- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ऊपर भी जादू किया गया था, किंतु आपने उसका उपचार जादू से करने की जगह शरई झाड़-फूँक से किया।

मसाइल:

पहला: जादू का उपचार जादू एवं तंत्र-मंत्र से करना वर्जित है।

दूसरा: हराम (वर्जित) तथा जायज़ (वैध) उपचार के बीच अंतर को इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है कि समस्त दुविधाओं का निवारण हो जाता है।

(जिन्होंने जादू का इलाज करने की अनुमति दी है उनका तात्पर्य शरई झाड़-फूँक (दम, रुक़्या), अल्लाह तआला से माँगी जाने वाली दुआएं, वैध औषधियां तथा दुआओं के द्वारा उपचार करना है, और जिन लोगों ने जादू का इलाज करने की अनुमति नहीं दी है उनका तात्पर्य जादू का उपचार जादू एवं तंत्र-मंत्र के द्वारा करना है, यह दोनों कथनों के बीच अति उत्तम संतुलित मार्ग है, व्ल्लाहु आलम (अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है)।

२८- अपशगुन लेने के विषय में

- अपशगुन लेना तौहीद के विरुद्ध हैः १- क्योंकि अपशगुन लेने वाला अपना तवक्कुल व भरोसा अल्लाह से तोड़ कर ग़ैरुल्लाह पर करने लगता है।
  २- क्योंकि उसने ऐसी चीज़ से अपना संबंध जोड़ा जो वास्तविक न हो कर मिथ्या एवं भ्रमात्मक है, जब्कि तौहीद इबादत व इस्तेआनत (मदद माँगने) का नाम है।
- «التَّطَيُّر» **(अल-ततय्युर) शरीअत के अनुसार कहते हैः** किसी चीज़ से अपशगुन लेना, चाहे वह दिखाई देने वाली (दृश्य) हो या सुनाई देने वाली (श्रव्य), या एक निश्चित समय या स्थान से लिया जाये।

1. दिखाई देने वालीः जैसे किसी ने काला या बिदका हुआ पक्षि देख लिया तो उसे अपशगुन समझा।
2. सुनाई देने वालीः जैसे किसी ने किसी काम का इरादा बनाया, किंतु किसी को यह कहते हुए सुन लियाः तेरा घाटा हो, तो अब इसे अपशगुन समझ कर उस काम को टाल दिया।
3. निश्चित समय या स्थानः जैसे किसी निश्चित दिन, मास, वर्ष अथवा स्थान को मन्हूस (अपशगुन) समझना।

पहली व दूसरी दलीलः

१- अल्लाह तआला का फरमान हैः ﴿أَلَآ إِنَّمَا طَٰٓئِرُهُمۡ عِندَ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ (सावधान, उसका अपशगुन (नहूसत) तो वास्तव में अल्लाह के पास है, किंतु उनमें से अधिकतर अनभिज्ञ हैं)।

२- और अल्लाह तआला का फरमान हैः ﴿قَالُواْ طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمۡ﴾ الآيَة. (रसूलों (ईशदूतों) ने कहाः तुम्हारा अपशकुन (मन्हूसियत) तो तुम्हारे साथ लगा हुआ है)।

- ﴿طَٰٓئِرُهُمۡ عِندَ ٱللَّهِ﴾: अर्थात जिस भूख-मरी एवं सुखाड़ का वो सामना करते हैं वो उनके लिए अल्लाह तआला की ओर से भाग्य में लिख दिया गया है, इसका मूसा अलैहिस्सलाम और उनके समुदाय के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, अपितु वास्तविकता तो यह है कि उनका अस्तित्व ख़ैर व भलाई का कारण है।
- ﴿طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمۡ﴾: अर्थात वह तुम्हारे साथ लगी हुई हैं, तुम्हें जो कष्ट एवं विपत्ती का सामना करना पड़ रहा है वह तुम्हारे स्वयं के कारण तथा तुम्हारे कर्मों के कारण है, अतः इसके उत्तरदायी तुम स्वयं हो।

- **दोनों आयतों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है:** पहली आयत यह दर्शाती है कि इन चीज़ों को तक़दीर में लिखने वाला अल्लाह तआला ही है, और दूसरी आयत का अर्थ यह है कि इसका कारण तुम स्वयं हो कोई और नहीं, दरअसल उनका अपशगुन तथा मन्हूसियत उन्हीं के साथ है, अर्थात उनके साथ लगी हुई एवं चिमटी हुई है।

तीसरी व चौथी दलील:

३- अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:«لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ»، أَخْرَجَاهُ، زَادَ مُسْلِمٌ: «وَلَا نَوْءَ، وَلَا غُولَ» **"रोग में छूआ-छूत नहीं होता, अपशगुन की कोई वास्तविकता नहीं, न उल्लू (के बोलने) का कुप्रभाव होता है और न ही सफर (मास, अपशगुन वाला) है"**। इसको बुख़ारी तथा मुस्लिम ने रिवायत किया है, और मुस्लिम में ये इज़ाफा है: **"नक्षत्र और भूतों का भी कोई अस्तित्व नहीं है"**

४- तथा बुख़ारी एवं मुस्लिम ने ही अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ» قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ» **"छूत से रोग नहीं होता, न अपशगुन कोई चीज़ है, और मुझे नेक फाल (शुभ-शगुन) लेना प्रिय है, लोगों ने कहा: नेक फाल (शगुन) क्या है? आपने फरमाया: अच्छी व भली बात"**।

- «لَا عَدْوَى»: इसका उद्देश्य जाहिलीयत युग वाले उस अक़ीदा (आस्था) खंडन करना है कि महामारी स्वतः प्रभावी एवं संक्रामक होती है, या फिर हदीस़ का अर्थ यह है कि: संक्रामक रोग स्वतः एक से दूसरे में नहीं फैलती है बल्कि यह अल्लाह के आदेश से ही दूसरों को लगती है।
- «وَلَا هَامَةَ»: "हामा" एक प्रकार का पक्षी है जो उल्लू के समान होता है, या फिर उल्लू को ही "हामा" कहते हैं जिससे वो लोग अपशगुन लेते थे।
- «وَلَا صَفَرَ»: इससे अभिप्राय, या तो:

1- स़फर मास है, क्योंकि अरब इस महीना को अशुभ समझते थे विशेष कर शादी-विवाह के मामले में।
2- या फिर ऊँट के पेट में होने वाला एक रोग है जो एक ऊँट से दूसरे ऊँट मे फैल जाती थी।
3- या फिर "नसीअ" (विलंब) है, क्योंकि वो लोग हुरमत वाले (मर्यादित) महीना को विलंब करते हुए बदल कर स़फ़र मास तक ले जाते थे ताकि मुर्हरम में यह लोग युद्ध कर सकें।

- «وَلَا نَوْءَ»: चाँद की मंज़िलों को "नौअ" कहा जाता है, हरेक मंज़िल का अपना एक विशेष तारा होता है, अरब इससे अपशगुन लेते हुए कहते थे: यह तारा अशुभ है, इसमें कोई भलाई नहीं है, इसके विपरीत किसी तारा के बारे में कहते थे: यह शुभ तथा ख़ैर व भलाई वाला तारा है।

- «وَلَا غُولَ»: अरब जब यात्रा करने का इरादा करते तो शैतान उनके सामने रंग बदल-बदल कर आता और उनके दिलों में रोब डाल देता तो वह परेशान होकर जिधर जाने का इरादा होता उसको छोड़ कर बैठ जाते।
- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसके प्रभावी होने का खंडन किया है स्वयं उसके अस्तित्व का इंकार नहीं किया है, मोमिन बंदा का हाल यह होता है कि वह यदि कहीं जाने का इरादा करता है तो अल्लाह पर एतमाद व भरोसा करते हुए निश्चिंत भाव के साथ निकल पड़ता है, वह अल्लाह से बदगुमान नहीं होता।
- इन नूसूस (दलीलों) तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथनः «إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ...» (यदि कोई चीज़ अशुभ होती तो ...) के बीच कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकिः

1. यह हदीस़ मुताशाबेहात (दुविधा में डालने वाली) में से है, जब्कि अपशगुन लेने की निंदा तथा उसके शिर्क होने को प्रमाणित करने वाली हदीस़ मुहकमात (स्पष्ट रूप से बताने वाली) में से है।
2. अपशगुन लेने के जितने भी प्रकार हैं सभी निंदनीय हैं, लाभ पहुँचाने तथा हानि दूर करने का अधिकार केवल अल्लाह तआला के पास है।
3. असबाब (माध्यम) अपनाते हुए एक तक़दीर से भाग कर दूसरी तक़दीर की ओर जाना मशरूअ (जायज़) है, जब्कि अपशगुन लेने का मामला ऐसा नहीं है।
4. इस हदीस़ में उल्लेखित मनहूसियत का अर्थ यह है किः यह उस व्यक्ति को लगेगी जो अपशगुन लेगा, लेकिन जो अल्लाह पर आसरा व भरोसा रखे तथा अपशगुन न ले उसे कुछ नहीं होगा।
5. जो अल्लाह के सिवाय किसी अन्य से किसी चीज़ में डरता है तो उस पर वही चीज़ लाद दी जाती है, जैसे जो व्यक्ति अल्लाह के साथ-साथ ग़ैरुल्लाह से भी मोहब्बत रखता है तो उसे उसी के द्वारा यातना दिया जायेगा, और जो अल्लाह के सिवाय किसी और से आशा रखता है वह उसी की ओर से अपमानित किया जाता है। (इसका उल्लेख इब्ने क़ैयिम रहिमहुल्लाह ने किया है)।

पाँचवीं दलील:

सुनन अबू दाऊद में सही सनद के साथ ऊक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समक्ष अपशगुन का चर्चा चला तो आपने फरमायाः «أَحْسَنُهَا: الْفَأْلُ، وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ؛ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ». **"सबसे बेहतर तो नेक फाल (शगुन) लेना है, और यह किसी मुस्लिम को (उसके उद्देश्य से) रोक नहीं सकती, चुनाँचे जब कोई अप्रिय बात देखे तो उसे यह कहना चाहियेः हे अल्लाह, भलाईयां लाने वाला तू ही है तथा बुराईयां तू ही दूर करता है, तेरी ही सहायता से कार्य शक्ति तथा शारीरिक बल हैं"।**

शगुन एवं	अपशगुन के मध्य अंतर
हरेक दिखने वाली अथवा सुनाई देने वाली वह चीज़ जो इंसान को प्रशंसनीय कथन अथवा कर्तव्य के लिए प्रोत्साहित करे।	दिखने वाली या सुनाई देने वाली या निश्चित समय अथवा स्थान से अपशगुन लेना।
तवक्कुल एवं भरोसा मज़बूत करता है।	तवक्कुल एवं भरोसा को कमज़ोर करता है।
इसका हुक्मः यह मुस्तहब है।	1- यदि यह अक़ीदा रखे कि यह माध्यम है तो शिर्क -ए- असग़र है। २- यदि यह अक़ीदा रखे कि यह स्वयं प्रभावी है तो शिर्क -ए- अकबर है।
इसमें अल्लाह से अच्छा गुमान रखना है।	इसमें अल्लाह से बुरा गुमान रखना है।
वास्तविक मुवह्हिद की यही स्थिति होती है।	यह स्थिति काफिर व मुनाफ़िक़ की होती है।
यह बिना बनवाट (तकल्लुफ़) व बिना इरादा होता है।	यह कभी सउद्देश्य होता है जैसे पक्षी उड़ा कर अपशगुन लेना।
जो आप देखते अथवा सुनते हैं वह आपको कुछ करने के लिए प्रोत्साहित अथवा कुछ ना करने के लिए हतोत्साहित न करे, बल्कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास का अनुभव करें।	जो आप देखते अथवा सुनते हैं वह आपको कुछ करने के लिए प्रोत्साहित अथवा कुछ ना करने के लिए हतोत्साहित करे, बल्कि यह उसका कारण बने।
अल्लाह से संबंध को वाजिब व अपरिहार्य करता है।	अपशगुन लेने वाली चीज़ से संबंध को वाजिब करता है।

- उदाहरण१: किसी ने विवाह का इरादा किया और लड़की का नाम पूछा तो कहा गयाः “हना” (मुबारक, शुभ), तो वह विवाह के लिए राज़ी हो गया, और किसी दूसरे ने पूछा तो पता चलाः “सख़रा” (कठोर), तो उसने इंकार कर दिया, यह दोनों ही अपशगुन लेने में शामिल हैं, क्योंकि अपशगुन कहते हैं उस चीज़ को जो आप को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करे अथवा कुछ ना करने के लिए हतोत्साहित करे।
- उदाहरण२: किसी ने विवाह हो जाने के पश्चात लड़की का नाम पूछा तो पता चलाः “सुआद” (भाग्यवान) तो उसने इसको अच्छा समझा ऐसा करना नेक फाल (शगुन) लेने में से है, क्योंकि इसने उसको न तो कुछ करने के लिए प्रोत्साहित किया और न ही कुछ ना करने के लिए हतोत्साहित किया, बल्कि उसने सारा मामला तय हो जाने के बाद इसको बशारत तथा नेक फाल (शगुन) के तौर पर लिया।
- कुछ लोग शगुन लेने के लिए क़ुरआन खोल कर देखते हैं, दृष्टि यदि जहन्नम वाली आयत पर पड़ी तो अपशगुन लेते हैं, और दृष्टि यदि जन्नत वाली आयत पर पड़ी तो कहते हैं: यह नेक फाल (शगुन) है, ऐसा करना ठीक वैसे ही है जैसे जाहिलीयत वाले युग में लोग अज़लाम (तीर) के साथ अपशगुन लेते थे।
- «عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ»: सही, उरवा बिन आमिर है।
- «وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا»: इससे यह पता चलता है कि जिसे अपशगुन अपनी आवश्यकतापूर्ति से रोक दे वह मुस्लिम नहीं है।
- «وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ»: अरबी भाषा का एक शब्द “बा” यहाँ: १- “फी” (मैं) के अर्थ में है, २- इस्तेआनत (मदद माँगने) अर्थ में है, ३- “सबबीयत” (कारण और वजह बताने) के लिए है।

फाल (शगुन) के विषय में लोगों का आचरण

यह उनको अपनी आवश्यकतापूर्ति से नहीं रोकती है, बल्कि वह अल्लाह पर तवक्कुल व भरोसा करते हुए जो करना चाहते हैं, कर डालते हैं: अल्लाह तआला पर भरोसा करने वाले मुवह्हिद का यही हाल होता है, और यही मूल एवं बुनियादी चीज़ है।	वह ठिठक जाता है तथा अपशगुन लेते हुए अपने कार्य को पूर्ण करने से रुक जाता है: यह शिर्क -ए- अस़ग़र है यदि यह अक़ीदा (श्रद्धा) रखता हो कि यह केवल माध्यम भर है, और शिर्क -ए- अकबर है यदि यह आस्था रखता हो कि यह स्वयं अपने आप प्रभावी है।	वह जो करना चाह रहा होता है कर डालता है, किंतु उसे एक प्रकार की बेचैनी, दुःख तथा व्याकुलता रहती है, वह डरता रहता है कि कहीं उस पर यह अपशगुन अपना प्रभाव न डाल दे: ऐसा व्यक्ति गुनाहगार (पापी) है।

छः से आठ तक दलीलें:

६- अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन वर्णित है कि: «الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، وَمَا مِنَّا إِلَّا؛ وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ» **"अपशगुन लेना शिर्क है, अपशगुन लेना शिर्क है, और हम में से कोई नहीं है (जिसे मानव होने के नाते ऐसा वहम नहीं होता है) मगर अल्लाह पर तवक्कुल व भरोसा उसे दूर कर देता है"**। इस ह़दीस़ को इमाम अबू दाऊद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, और तिर्मिज़ी ने सही कहा है और अंतिम वाक्य को इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का कथन क़रार दिया है।

७- मुसनद अहमद में अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है कि: «مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ» **"जिसे अपशगुन ने उसके कार्य से रोक दिया उसने शिर्क किया, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा: इसका कफ्फारा (प्रायश्चित) क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: इसका कफ्फारा (प्रायश्चित) यह दुआ पढ़ना है:** «اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ». **हे अल्लाह, तेरी भलाई (कल्याण) के सिवा कोई भलाई नहीं है, तथा तेरे शगुन के सिवा कोई शगुन नहीं है, और तेरे सिवाय कोई माबूद (पूज्य) नहीं"**।

८- तथा मुसनद अहमद ही में फ़ज़्ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है कि: **"अपशगुन वह है जो आप को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करे या कुछ ना करने के लिए हतोत्साहित करे"**।

- «وَمَا مِنَّا إِلَّا»: हम में से प्रत्येक व्यक्ति (के दिल में अपशगुन का विचार आता है) मगरः इससे प्रमाणित होता है कि जिस शब्द का प्रयोग क़बीह़ (निकृष्ट, बुरा) हो उसे छोड़ दिया जाए, साथ ही साथ शिर्क आधारित शब्दों से दूरी रखना और शब्दों के चयन में भी वास्तविक तौह़ीद का ध्यान रखना चाहिए, जब्कि कुफ्र को नक़ल करना कुफ्र नहीं होता।
- «التَّوَكُّل»: लाभ पहुँचाने अथवा हानि दूर करने के लिए जायज़ असबाब (माध्यम) अपनाते हुए केवल अल्लाह तआला पर ही एतमाद एवं दृढ़ विश्वास रखना।

अपशगुन का उपचार कैसे संभव है?

1. तौह़ीद को वास्तविक रूप में अपनाने के द्वाराः क्योंकि अल्लाह तआला तवक्कुल (भरोसा) के कारण दिल में पनपने वाले अपशगुन वाले विचार को दूर कर देता है, और व्यक्ति निश्चित होकर अपना काम करता है।
2. नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित इस दुआ «اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ...»को पढ़ने के द्वारा।
3. ख़ैर व भलाई (कुशल-मंगल) का फाल (शगुन) ले, तथा अपशगुन लेने से बचे, और सदा भरसक प्रयास करे कि अपशगुन वाले विचार अपने मस्तिष्क में आने ही ना दे।
4. किसी कार्य में कोई संभावित हित निहित दिखाई दे तो पहले ही प्रयास में असफल हो जाने पर थक-हार कर नही बैठना चाहिए, अपितु लगातार प्रयास करते रहना चाहिए यहाँ तक कि अल्लाह तआला उस कार्य को सरल कर दे तथा उसे सफलता मिल जाए।

क़ुरआ (कुरा) अंदाज़ी और	अज़लाम (बाण) के द्वारा शगुन लेने में अंतर
इसका हुक्मः यह जायज़ है।	कबीरा गुनाह है और "मैसर" में शामिल है।
इसके द्वारा शरीअत का उद्देश्य पूर्ण होता है।	इसके द्वारा शरीअत का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है।
इसका प्रयोग उन दो झगड़ा करने वालों के अधिकार निर्धारण के लिए होता है जिनका किसी वस्तु पर समान रूप से अधिकार हो।	इसका प्रयोग बुराई से भलाई के निर्धारण के लिए होता है, तथा यह रेखा खींच कर ग़ैब जानने का दावा करने के समान है।
ऐसा मुवह्हिदीन (एकेश्वरवादी) करते हैं।	ऐसा मुश्रिकीन (अनेकेश्वरवादी) करते हैं।
उदाहरणः अज़ान तथा प्रथम पंक्ति में स्थान ग्रहण करने के लिए क़ुरआ डालना।	उदाहरणः सिक्का फेंकने अथवा गिनने दोनों में से किसी एक के चयन का अधिकार देना।
इससे वास्तविक अधिकारी की पहचान होती है, और इसका विभाजन संभव नहीं होता।	इसमें योग्य तथा अयोग्य दोनों समान हैं, तथा इसका विभाजन करना संभव होता है।

मसाइल:

पहला: इसमें आयत ﴿أَلَآ إِنَّمَا طَٰٓئِرُهُمۡ عِندَ ٱللَّهِ﴾ को इस आयत ﴿طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمۡۚ﴾ के साथ मिला कर समझा जाये (दोनों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है)।

दूसरा: इसमें रोग के संक्रामक होने का इंकार है (अर्थात स्वयं अपने आप बिना अल्लाह की इच्छा के प्रभावी होने का इंकार है, इस बात का इंकार नहीं है कि यह प्रभावित करने का कारण एवं माध्यम है) (अर्थात अल्लाह की इच्छा हो तभी संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगता है अन्यथा नहीं)।

तीसरा: अपशगुन का भी इसमें इंकार है (उसके प्रभावी होने का इंकार है, उसके अस्तित्व का इंकार नहीं है)।

चौथा: “हामा” की बोली से अपशगुन लेने का इंकार (“हामा” उल्लू या उल्लू के समान एक पक्षी को कहते हैं)।

पाँचवां: सफर मास को अपशगुन समझने वाले आस्था का भी इसमें इंकार है (समय एवं युग का अल्लाह की तक़दीर में कोई रोल नहीं और न ही यह स्वयं प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, सफर महीना भी अन्य महीनों के समान एक महीना है, इसमें भी दूसरे महीनों की तरह भलाई और बुराई दोनों होती हैं, कुछ (मुस्लिम) लेखकों की आदत होती है कि जब वह कुछ लिखने से फ़ारिग़ होते हैं तो अंत में यूँ लिखते हैं: यह ख़ैर व भलाई वाले मास सफर में पूर्ण हुआ, ऐसा करना वास्तव में बिदअत का उपचार बिदअत से करने और अज्ञानता का इलाज अज्ञानता से करने के समान है, क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि यह महीना न तो भलाई वाला है और न ही बुराई वाला)।

छठा: शगुन (नेक फाल) लेना वर्जित नहीं अपितु मुसतहब (पुनीत) है।

सातवाँ: इसमें नेक फाल (शुभ शगुन) के सही अर्थों की व्याख्या है (फाल (शुभ शगुन) हरेक उस चीज़ को कहते हैं जो व्यक्ति को प्रशंसनीय कार्य करने के लिए प्रेरित करे)।

आठवाँ: यदि न चाहते हुए भी अपशगुन वाले विचार मस्तिष्क में आ जाए तो वह हानिकारक नहीं, बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल व भरोसा करने के कारण यह दूर हो जाता है।

नौवाँ: जिसके दिल में अपशगुन वाला विचार आजाए तो उसको दूर करने के लिए उपरोक्त अध्याय में उक्त दुआ (اللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ....) को पढ़े।

दसवाँ: इसका स्पष्ट उल्लेख कि अपशगुन लेना शिर्क है (इस विषय में वर्णित तफ़्सील एवं विस्तार को याद रखते हुए: यदि यह श्रद्धा रखे कि यह स्वयं अपने आप प्रभावी है तो शिर्क -ए- अकबर है, और यदि यह श्रद्धा रखे कि यह एक माध्यम मात्र है तो शिर्क -ए- असग़र है)।

ग्यारहवाँ: अपशगुन की व्याख्या (जो किसी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे अथवा न करने के लिए हतोत्साहित करे)।

२९- ज्योतिष विद्या के विषय में

- यह नहीं कहा कि यह शिर्क है क्योंकि इसमें तफ़्सील है: इल्म -ए- तासीर एवं इल्म -ए- तसयीर, पूर्व में इसका उल्लेख किया जा चुका है।

एक से तीन तक दलीलें:

१- इमाम बुख़ारी रहिमहुल्लाह ने अपनी "सही" में क़तादा का यह कथन नक़्ल किया है कि: (خَلَقَ اللهُ هٰذه النُّجُومَ لِثَلَاثٍ: زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا، فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ أَخْطَأَ، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ) انْتَهَى. "अल्लाह तआला ने इन तारों को तीन कार्यों के लिए बनाया है: आकाश की शोभा के लिए, शैतानों को मारने के लिए तथा मार्ग एवं दिशा निर्धारित करने के लिए, तो जिसने इन बातो के अतिरिक्त कुछ और समझा उसने गलती की तथा (हरेक प्रकार की भलाई से) अपना हिस्सा बर्बाद कर लिया तथा ऐसे कार्य को आडंबर रचा जिसका उसे ज्ञान नहीं था"। उनका कथन समाप्त हुआ। ये दोनों रिवायतें उनसे हर्ब ने बयान की हैं।

२- तथा क़तादा चाँद के मंज़िलों (बुर्जों) से संबंधित ज्ञान अर्जित करने को अप्रिय समझा, एवं इब्ने उयैना ने भी इसकी अनुमति नहीं दी है।

३- इमाम अहमद और इस्हाक़ रहिमहल्लाह ने इस (चाँद के बुर्जों से संबंधित) ज्ञान को अर्जित करने की अनुमति दी है।

- जिन नेक पूर्वजों (सलफ) ने तारों के बुर्जों से संबंधित ज्ञान सीखने को हराम कहा है, इससे उनका आश्य "इल्म -ए- तासीर" समझा जायेगा।
- जिन नेक पूर्वजों (सलफ) ने तारों के बुर्जों से संबंधित ज्ञान सीखने की अनुमति दी है, इससे उनका आश्य "इल्म -ए- तसयीर" समझा जायेगा। (पूर्व में दोनों के बीच अंतर का उल्लेख किया जा चुका है)।

चौथी दलील:

अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ»

"तीन प्रकार के लोग जन्नत में नहीं जायेंगे: मदिरा में धुत रहने वाला, सम्बंध तोड़ने वाला तथा जादू पर विश्वास रखने वाला"।

- «لَا يَدْخُلُونَ الْـجَنَّةَ»: यह ह़दीस़ उन वईद (धमकी, चेतावनी) वाली ह़दीस़ों में से है जिनको वैसे ही ग़ुजार दिया जायेगा जैसा वर्णित हुआ है, और दूसरे (मग़फिरत का वादा वाले) ह़दीस़ों के वरोधी मान कर दोनों के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास नहीं किया जायेगा, ताकि इसके कारण लोगों के मन में भय बना रहे।
- «مُدْمِنُ الْـخَمْرِ»: जो सदा मदिरा पीकर धुत रहता हो, और ख़म्र (मदिरा, शराब) हरेक उस चीज़ को कहते हैं जो नशा एवं आनंद उत्पन्न करते हुए अक़्ल (मन-मस्तिष्क) पर पर्दा डाल दे।
- «وَقَاطِعُ الرَّحِمِ»: "रह़िम" सगे-संबंधी को कहते हैं, चूँकि शरीअत में संबंधों को जोड़ने की बात कही गई है और जिन संबंधों का निर्धारण शरीअत में नहीं किया गया है उसका निर्धारण समाज में प्रचलन के आधार पर होगा, जबतक यह शरीअत विरोधी न हो।
- «وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ»: इस ह़दीस़ का साक्ष्य स्थान वास्तव में यही वाक्य है, इससे यह भी प्रमाणित होता है कि ज्योतिष विद्या एक प्रकार का जादू ही है।

कबीरा (बड़े) गुनाहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें:

- कबीरा गुनाह की परिभाषा: शैख़ुल इस्लाम ने इसको यूँ परिभाषित किया है: (हरेक वह पाप जिस पर विशेष दंड निर्धारित किया गया हो) जैस, अल्लाह की लानत एवं प्रकोप का भागी ठहराया गया हो, या अल्लाह की रह़मत (कृपा) से दूरी अथवा ऐसा करने से बराअत (अलगाव) प्रकट किया गया हो, अथवा यह कहा गया हो कि ऐसा करने वाला कुफ्फार (अधर्मी) या मुश्रिकीन (बहुदेववादियों) में से है, अथवा वह मोमिनों में से नहीं, अथवा अति घृणित पशु से उसे उपमा दी गई हो ... ।
- इसको अंजाम देने वाले का हुक्म: वह अपने ईमान के कारण मोमिन तथा गुनाह -ए- कबीरा अंजाम देने के कारण फास़िक़ (दुराचारी) है, और उसका मामला अल्लाह की मशीअत (चाहत, इच्छा) के मातहत है, चाहे तो अज़ाब (यातना) दे और चाहे तो क्षमा कर दे।
- गुनाह -ए- कबीरा की संख्या गिन्ने योग्य है अथवा सीमित? उक्त परिभाषा के आधार पर सीमित तो है किंतु अनगिनत है।
- गुनाह -ए- कबीरा बड़ा है अथवा शिर्क -ए- अस़ग़र? गुनाहों तथा पापों निम्नांकित क्रमानुसार आरंभ होती हैं: सर्वप्रथम गुनाह -ए- स़ग़ीरा, तत्पश्चात गुनाह -ए- कबीरा, तत्पश्चात शिर्क -ए- अस़ग़र और सबसे अंतिम एवं संगीन शिर्क -ए- अकबर है, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ﴾ (अल्लाह तआला शिर्क को कदापि क्षमा नहीं करेगा तथा शिर्क के अतिरिक्त अन्य गुनाहों को चाहेगा तो क्षमा कर देगा), और इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का कथन है: "मैं अल्लाह की झूठी सौगंध उठा लूँ यह मेरे लिए ग़ैरुल्लाह की सच्ची क़सम खाने से बेहतर है", क्योंकि अल्लाह की झूठी क़सम खाना कबीरा गुनाह है जब्कि ग़ैरुल्लाह की सच्ची सौगंध उठाना भी शिर्क -ए- अस़ग़र है।

- कबीरा गुनाह नेक आमाल (सदकर्म) करने से माफ़ हो जाते हैं अथवा इसके तौबा (पश्चाताप) आवश्यक है? गुनाह -ए- कबीरा की माफी के लिए तौबा करना आवश्यक है जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है: «النَّائِحَةُ إِنْ لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا...» "**मृतकों पर रुदन-क्रंदन (नौहा) एवं स्यापा करने वाली महिलाएं यदि अपनी मृत्यु के पूर्व तौबा न करें** ..."। तथा एक अन्य स्थान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «... إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ...» " ... **जब तक कबीरा गुनाहों से बचती रहें** ..."।
- क्या कुछ गुनाहों को छोड़ कर कुछ अन्य गुनाहों से तौबा करना सही है? हाँ, कुछ गुनाहों को छोड़ कुछ दूसरे गुनाहों से तौबा करना सही है बशर्ते कि समस्त गुनाहों को छोड़ देने का दृढ़ संकल्प ले ले।
- कबीरा गुनाह अंजाम देने वाले से प्रेम रखा जायेगा अथवा घृणा की जायेगी? उसके ईमान के अनुपात में उससे प्रेम रखा जायेगा तथा उसके गुनाह के अनुपात में उससे घृणा किया जायेगा, और गुनाह -ए- कबीरा अंजाम देते समय उसकी संगत में नहीं रहा जायेगा।
- क्या गुनाह -ए- कबीरा की विभिन्न श्रेणियां हैं? हाँ, इसकी अलग-अलग श्रेणियां हैं, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है: «أَلَا أُدُلُّكُمْ عَلَى أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» "**क्या बड़े-बड़े गुनाहों की ओर मैं तुम्हारा मार्दशन न कर दूँ**"।
- गुनाह -ए- कबीरा अंजाम देने वाले को हम क्या कहेंगे? वो अपने ईमान के कारण मोमिन हैं तथा कबीरा गुनाह अंजाम देने के कारण फ़ासिक़ है, वो अपूर्ण ईमान वाले मोमिन हैं, न तो हम उन्हें मुरजिआ की तरह "पूर्ण ईमान वाला मोमिन" कहेंगे और न ही ख़्वारिज की तरह उन्हें "काफिर" कहंगे।

मसाइल:

पहला: तारों को पैदा करने की हिकमत (तत्वदर्शिता) (यह आकाश की शोभा बढ़ाने, शैतानों को मारने व भगाने तथा मार्गदर्शन एवं पथ निर्धारण करने के लिए रचे गये हैं)।

दूसरा: इसके अतिरिक्त कुछ और (इल्म -ए- तासीर) समझने वालों का खंडन।

तीसरा: चाँद की मंज़िलों (राशि चक्र) का ज्ञान अर्जित करने के विषय में उलेमा के बीच मतभेद है।

चौथा: जादू में विश्वास करने वालों को धमकी व चेतावनी, यद्यपि वो उसे असत्य मानते हुए ही उसमें विश्वास रखते हों।

३०- नक्षत्रों से वर्षा होने की आस्था रखना

1. शिर्क -ए- अकबर है: यदि नक्षत्रों से वर्षा के लिए कहे, या यह अक़ीदा रखे कि वह आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता रखता है।
2. शिर्क -ए- असग़र है: यदि यह आस्था रखे कि यह माध्यम भर है और वास्तविक वर्षा करवाने वाला केवल अल्लाह तआला है।

पहली तथा दूसरी दलील:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ (और तुम अपना हिस्सा यही बनाते हो कि झुठलाते फिरो)।

2– अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْـجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ بِالأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ»، وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا؛ تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ» **"मेरी उम्मत में जाहिलीयत -अंधकार- युग की चार बातें ऐसी हैं जिन्हें वो नहीं छोड़ेंगे, वंश एवं कुल पर गर्व करना, दूसरों के गोत्र में लांछन लगाना, नक्षत्रों से वर्षा की प्रार्थना तथा मृतकों पर रुदन-क्रंदन तथा विलाप करना, और यदि विलाप करने वाली स्त्री ने अपनी मृत्यु के पूर्व तौबा नहीं किया तो क़्यामत के दिन उसे तारकोल का कुर्ता तथा खुजली वाली ओढ़नी ओढ़ाई जायेगी"**। इमाम मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है।

- ﴿وَتَجْعَلُونَ﴾: इसे तुम झुठलाते हो कि यह अल्लाह की ओर से है, क्योंकि इसकी निस्बत तुम किसी और से जोड़ते हो।
- «أَرْبَعٌ»: इन चार चीज़ों का वर्णन इस उद्देश्य से नही हैं कि इस प्रकार के कार्य केवल यही चार हैं, क्योंकि इसी वर्ग से और भी चीज़ें हैं (जिनका उल्लेख इस हदीस़ में नहीं है), यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा किसी विषय से संबंधित ज्ञान को एक ही स्थान पर एकत्रित करने तथा विभाजन एवं अंक के आधार पर उल्लेख करने की पद्धति का प्रयोग किया है, क्योंकि इससे उल्लेखि बात मन-मस्तिष्क में अच्छे ढ़ंग से बैठ जाती है तथा सहजता के साथ कंठस्थ भी हो जाती है।

- «الْـجَاهِلِيَّةِ»: जाहिलीयत से अभिप्राय नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के रसूल बनाये जाने के पहले का युग है, तथा इसका उद्देश्य उस युग की बुराई तथा उससे घृणा दिलाना है, और यह समस्त कार्य जहालत (अज्ञानता) के कारणवश उत्पन्न होते हैं तथा बेहद बुरे हैं।
- «لَا يَتْرُكُونَهُنَّ»: इससे अभिप्राय इसकी सूचना देना तथा ऐसा करने से डराना है न कि इसको जायज़ क़रार देना।
- «الْفَخْرُ بِالأَحْسَابِ»: अर्थात अपनी सरदारी और वंश तथा उच्च कुल पर घमण्ड तथा इसका महिमामंडन करेंगे, जब्कि वास्तव में गर्व करने वाली चीज़ तो अल्लाह का तक़्वा एवं डर है जो मानव को घमण्डी एवं अभिमानी बनने से रोकता है, और ज्यों-ज्यों बंदों पर अल्लाह तआला की नेमतों (अनुग्रहों) में बढ़ोतरी होती है त्यों-त्यों वह ह़क़ (सत्य) तथा मानव जाति के प्रति विनीत एवं विनम्र बनता चला जाता है।
- «وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ»: इंसान के मूल तथा उदगम स्थान पर लांछन लगाया जाये, जैसे कोई किसी को (हीनता बोध कराने के लिए) कहेः तू दब्बाग़ (चमड़िया, चमड़ा से संबंधित उद्योग-धंधे से जुड़ा हुआ व्यक्ति) का बेटा है।
- «وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ»: इस ह़दीस़ का साक्ष्य स्थान वास्तव में यही वाक्य है, और इसका अभिप्राय है कि ये लोग वर्षा का संबंध नक्षत्रों से जोड़ देंगे (अर्थात कहेंगे किः अमूक नक्षत्र जैसे हथिया के कारण बारिश हुई है)।
- «وَالنِّيَاحَةُ»: जान-बूझ कर रूदन-क्रंदन तथा विलाप करते हुए मृतक पर ज़ोर-ज़ोर से रोना।
- «تُقَامُ»:अर्थातः अपनी क़ब्र (समाधि) में।
- «سِرْبَالٌ» सम्पूर्ण वस्त्र।
- «قَطِرَانٍ»:तारकोल अथवा पिघला हुआ ताँबा।
- «جَرَبٍ»: अर्थात उसके पूरे शरीर में यूँ खुजली होगी जैसे कोई वस्त्र धारण किये हुये हो, और जब खुजली और गंधक एक संग एकत्र हो जायें तो कष्ट और बढ़ जाता है, और इसकी हिकमत यह है कि चूँकि उसने दुःख पर सब्र एवं धैर्य से काम नहीं लिया अतः "अल जज़ा मिन जिन्सिल अमल (जैसे को तैसा)" के नियम पर अमल करेत हुए उसे यह दंड दिया गया।

क़्यामत को क़्यामत कहते हैं:

उस दिन लोगों के क़्याम करने (खड़े होने) के कारण: ﴿يَوۡمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ (जिस दिन सारे लोग समस्त संसार के रब के समक्ष खड़े होंगे)।	गवाही देने वालों के क़्याम (खड़े होने) के कारण: ﴿وَيَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡأَشۡهَٰدُ﴾ (और उस दिन भी जब लोग गवाही देने के लिए खड़े होंगे)।	मीज़ान (तुला, तराज़ू) के क़ायम (स्थापित) किये जाने के कारण: ﴿وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ﴾ (क़्यामत के दिन हम बीच में ला कर रख देंगे ठीक-ठीक तराज़ू)।

तीसरी और चौथी दलील:

३- सही बुख़ारी व मुस्लिम में ज़ैद बिन ख़ालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है किः रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फज्र (भोर) की नमाज़ हुदैबिया नामक स्थान पर पढ़ाई, जब आपने सलाम फेरा तो लोगों की ओर घूम गये तथा संबोधित करते हुये फरमायाः «**هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟**» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «**أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ؛ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا؛ فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ**» **"क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे रब (पालनहार) ने क्या कहा? लोगों ने कहाः अल्लाह व उसके रसूल अधिक जानते हैं, आपने फरमयाः अल्लाह तआला ने फरमाया किः मेरे बंदों में से कुछ मोमिन हो गये और कुछ काफिर, जिसने कहाः हम पर अल्लाह के फज़्ल व रहमत (दया व कृपा) से वर्षा हुई है वह मुझ पर ईमान लाया, और जिसने कहाः कि अमूक अमूक नक्षत्रों के कारण वर्षा हुई उसने मेरा इंकार कर दिया और तारों (के स्वयं प्रभावी होने) पर ईमान लाया"**।

४- तथा सही बुख़ारी व मुस्लिम ही में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से भी इसी प्रकार की एक रिवायत है, जिसमें यह है कि कुछ ने कहाः अमूक अमूक नक्षत्र सच्चा (लाभदायक) साबित हुआ, तो उनके खंडन के लिए अल्लाह तआला ने यह आयत उतारीः ﴿فَلَآ أُقۡسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ﴾(मैं तारों के मंज़िलों की शपथ लेता हूँ) से ले कर ﴿تُكَذِّبُونَ﴾ (तुम उसे झुठलाते हो) तक।

- ﴿ فَلَآ ﴾: अरबी भाषा का शब्द "ला" यहाँ सावधान करने के लिए है कि सचेत और सावधान हो जाओ, मैं सितारों के गिरने (के स्थान) की क़सम खा रहा हूँ।
- अल्लाह तआला के शपथ लेने का लाभ, जब्कि वह सच्चा है और उसे किसी प्रकार के क़सम खाने की आवश्यकता नहीं थीः

1. यह अरबी भाषा की अपनी एक शैली है ताकि शपथ के द्वारा कही गई बात में वज़न पैदा हो।
2. इससे मोमिन के ईमान व यक़ीन में बढ़ोतरी होती है, और ताकीद में वद्धि करने से यदि मोमिन की श्रद्धा और अटूट हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।
3. अल्लाह तआला बड़े-बड़े मामलों की शपथ लेता है जो उसके सम्पूर्ण सामर्थ्य, महानता एवं महाज्ञानी होने को प्रमाणित करता है।
4. शपथ लेने वाले की महानता की ओर चेताना कि वह (अल्लाह) बड़े-बड़े मामलों की ही शपथ लेता है।
5. जिसके ऊपर क़सम खाई गई है उसकी ओर ध्यानाकर्षण कि वह इस योग्य है कि उसका एहतेमाम किया जाये और ध्यान रखा जाये।

- ﴿ كَرِيمٌ ﴾: का अर्थ हैः १- सुंदर एवं उत्तम, और क़ुरआन से सुंदर एवं उत्तम कुछ भी नहीं है। २- अत्याधिक दान-पुण्य करने वाला, और क़ुरआन अपने मानने एवं पढ़ने वाले को धार्मिक, सांसारिक, शारीरिक एवं हृदय से संबंधित हरेक प्रकार के ख़ैर व भलाई से नवाज़ता (कृपादृष्टि रखता) है।
- ﴿ فِي كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ ﴾: इससे अभिप्राय या तो लौह़ -ए- मह़फ़ूज़ है अथवा वह क़ुरआन जो फरिश्तों के पास है।
- ﴿ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾: अर्थात फरिश्ते, इसमें इस बात की ओर भी इशारा है कि जो अपने हृदय को पाक ओर पवित्र करले उसे क़ुरआन समझने में अधिक आसानी होती है।
- ﴿ تَنزِيلٌ ﴾: इससे प्रमाशित होता है किः

1- क़ुरआन सभी मख़लूक़ (जीव) के लिए उतरा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व्यापक रूप से समस्त संसार के लिए रसूल बनाये गये हैं।
2- इस (क़ुरआन) को रब (प्रभु) की ओर से उतारा गया है, और बात जब ऐसी है तो स्वाभाविक रूप से यह लोगों के मध्य न्यायाधीश एवं उनके समस्त विवाद-ग्रस्त मामलों में फैसला करने वाला है।
3- क़ुरआन का उतारना अल्लाह के पूर्णरूपेण रब (प्रभु) होने का प्रमाण है, और यह भी कि यह क़ुरआन बंदों के लिये रह़मत (अनुकंपा) है।
4- क़ुरआन अल्लाह तआला की ओर से उतारा हुआ उसका कलाम (वाणी) और ग़ैर मख़लूक़ है।

- ﴿ مُّدْهِنُونَ ﴾: डरते हो, जब्कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जिसके पास क़ुरआन हो उसे चाहिए

कि वह ह़क़ (सत्य) की ओर आकर्षित हो तथा खुल्लम-खुल्ला उसका बखान करे।

- ﴿وَتَجۡعَلُونَ رِزۡقَكُمۡ أَنَّكُمۡ تُكَذِّبُونَ﴾: उसका धन्यवाद ज्ञापन करने के स्थान पर उसे झुठलाते हो जो कि निरी मूर्खता है।

मसाईल:

पहला: सूरह वाक़िआ की आयत ﴿وَتَجۡعَلُونَ رِزۡقَكُمۡ أَنَّكُمۡ تُكَذِّبُونَ﴾ की तफ़्सीर एवं व्याख्या।

दूसरा: उन चार कृत्यों की चर्चा जो जाहिलीयत युग के रस्मों में से हैं (वंश एवं कुल पर गर्व करना, दूसरों के गोत्र में लांछन लगाना, नक्षत्रों से वर्षा होने की आस्था रखना तथा मृतकों पर रुदन-क्रंदन एवं विलाप करना)।

तीसरा: इनमें कुछ कुफ़्र (अधर्म) हैं (नक्षत्रों से वर्षा करने की प्रार्थना करना, किसी के नसब (वंश) के कारण उसको ताना देना, मृतकों पर विलाप करना)।

चौथा: कुछ कुफ़्र ऐसे भी हैं जिनके कारण इंसान इस्लाम से निष्कासित नहीं होता (इससे अभिप्राय तारों एवं नक्षत्रों से वर्षा की प्रार्थना करना है, कि उनमें से कुछ इस्लाम से निष्कासित कर देता है तो कुछ कुफ़्र दूना कुफ़्र (कुफ़्र -ए- असग़र) होते हैं (जो इस्लामी सीमा से बाहर नहीं करते)।

पाँचवां: अल्लाह तआला का फरमान: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ» (मेरे बंदों में से कुछ मोमिन हो गये तो कुछ काफिर हो गये) का अभिप्राय यह है कि कुछ लोग नेमत (अनुग्रह) मिलने के कारण भी काफिर हो जाते हैं (व्यक्ति को जब कोई नेमत मिले तो उस पर वाजिब है कि वह उस नेमत की निस्बत (संबंध) अल्लाह की ओर करे न कि प्राप्त होने वाली नेमत के माध्यम की ओर)।

छठा: इस स्थान पर ईमान की वास्तविकता पर गहन सोच-विचार करना चाहिए (कि उसका संबंध अल्लाह की दया एवं कृपा से जोड़ा जाये)।

सातवाँ: इस स्थान पर कुफ़्र की वास्तविकता पर गहन सोच-विचार करना चाहिए (कि बारिश का संबंध अल्लाह से जोड़ने के स्थान पर नक्षत्रों की ओर करने से इंसान काफिर हो जाता है)।

आठवाँ: इस प्रकार कहना: «لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا» (अमूक-अमूक) नक्षत्र सच्चा एवं लाभदायक साबित हुआ, इस पर भी गहन विचार करना चाहिए (कि क्या वास्तव में उसका वादा सच्चा है और वह इसका क्रियांव्यन करने में समर्थ है)।

नौवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फरमान: «أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» (तुम्हें पता है कि तुम्हारे रब ने क्या कहा?) से प्रमाणित होता है कि किसी बात को छात्र के मन-मस्तिष्क में अच्छे ढ़ंग से बैठाने के लिए शिक्षक एवं ज्ञानी का किसी बात को प्रश्न के अंदाज़ में बताना जायज़ है (ऐसा अंदाज़ श्रोता को पूरी तरह से सावधान कर देता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह अंदाज़ अपनाना शिक्षा देने के लिये अति उत्तम पद्धति प्रयोग करने का प्रमाण है)।

दसवाँ: विलाप करने वाली महिलाओं के लिये निर्धारित धमकी एवं अज़ाब का ज्ञान (سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ, उसे ताँबा या गंधक तथा खुजली का वस्त्र धारण कराया जायेगा)।

छठे पाठ से परीक्षा (७ अध्याय)

प्रथम प्रश्न: निम्नांकित के मध्य क्या अंतर है?

(शुभ) शगुन	अपशगुन	क्र.
....	....	1
....	....	2
....	....	3
क़ुरआ अंदाज़ी (क़ुरा)	अज़लाम (बाण से क़िस्मत का हाल पता करना)	
....	....	1
....	....	2
....	....	3

द्वितीय प्रश्न:(☒) का चिन्ह उचित स्थान पर लगाएं अथवा वाक्य पूर्ण करें:

1– जादूगर (तांत्रिक) की निशानियां एवं लक्षण: १- .... 2- ....

.... ३- .... 4– .... 5- ....

2– आदरणीय उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का "ताग़ूत" की व्याख्या शैतान से करना, उदाहरण के द्वारा व्याख्या करने का एक नमूना है: ☐ सही ☐ गलत।

3– ﴿اشْتَرَاهُ﴾ अर्थात: .... ﴿مِنْ خَلَاقٍ﴾ अर्थात: ....

4– ﴿اجْتَنِبُوا﴾ यह «اتْرُكُوا» से अधिक प्रभावी है, क्योंकि "اجتناب" (इज्तेनाब) का अर्थ है उससे पूर्णरूपेण दूरी रखते हुए छोड़ देना: ☐ सही ☐ गलत।

5– «السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» यहाँ अंक का उल्लेख (☐ सीमित ☐ असीमित) के अर्थ को दर्शाने के लिए है।

6– नुसूस (क़ुरआन एवं हदीस़) में अवतरित अंक का कोई मतलब एवं उद्देश्य होता है अथवा नहीं: ....

7– जब इसका कोई मतलब एवं उद्देश्य नहीं है तो फिर क्यों उल्लेखित किया जाता है? ....

....

8– जिन लोगों को क़त्ल करना हराम एवं अवैध है उनकी संख्या है: (☐ ३ ☐ ४), हराम एवं निषेध है: ((☐ सूद खाना ☐ सूद (ब्याज) केवल खाने तक सीमित नहीं है (मूल चीज़ ब्याज लेना है चाहे वह किसी भी रूप में लिया जाये)।

9– यतीम (अनाथ) कहते हैं, जिसके ((☐ माता ☐ पिता) की मृत्यु हो गई हो, चाहे वह नर हो अथवा नारी, व्यस्क होने के (☐ पूर्व ☐ पूर्व/पश्चात)।

10- محصنات (मुहस़िनात) से अभिप्राय है: ☐ स्वतंत्र महिलायें ☐ व्यभिचार से पाक व पवित्र महिलायें।

11- शासक एवं हाकिम का जादूगर (तांत्रिक) की हत्या करवाना वाजिब है: ☐ तौबा (पश्चाताप) कराये बिना ☐ तौबा करवाने के बाद।

12- الجبت (अल-जिब्त) से अभिप्राय है: ☐ जादू व तंत्र-मंत्र ☐ प्रत्येक वह चीज़ जिसमें कोई ख़ैर, भलाई एवं कल्याण न हो।

13- الطَّاغوت (ताग़ूत) कहते हैं: ☐ शैतान को ☐ हरेक वह चीज़ जिसके द्वारा मानव अपनी हद लाँघ जाये, चाहे वो माबूद हो अथवा पेशवा अथवा हाकिम।

14- العيافة (अल-इयाफा) अपशगुन लेने की पद्धति है: ☐ सही ☐ गलत।

15- जिसने ज्योतिष विद्या का कुछ अंश सीखा उसने जादू का कुछ अंश सीखा: ☐ सही ☐ गलत।

16- खगोलीय हल-चल का धरती पर घटने वाली घटना से कोई संबंध नहीं होता: ☐ सही ☐ गलत।

17- ज्येतिष विद्या के प्रकार: १- .... इसका हुक्म: .... २- .... इसका हुक्म: ....

18- जादू के अध्याय में चुग़लख़ोरी (पिशुनता) का उल्लेख: ☐ लिपिकार की गलती है ☐ ताकि इन दोनों के मध्य अंतर को उजागर किया जाये।

19- «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا» यह ☐ सराहना के लिये है ☐ निंदा के लिये है ☐ इसकी वास्तविकता बताने के लिये है तथा उसके प्रभाव को देख कर निर्णय लिया जायेगा।

20- العرَّاف (अल-अर्राफ़) कहते हैं: ☐ काहिन (अंतर्यामी होने का दावा करने वाले) को ☐ एक आम संज्ञा है।

21- काहिन एवं कहानत (तांत्रिक एवं तंत्र-मंत्र) का अध्याय यह बताने के लिये लाये हैं कि: ☐ काहिन कौन लोग हैं ☐ उनके पास जाने की कैफियत बयान करें ☐ उसका हुक्म बयान करें ☐ उक्त सभी।

22- अबा जाद सीखने के प्रकार हैं: ☐ दो प्रकार ☐ एक ही प्रकार है जैसाकि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया है।

23- जो व्यक्ति यह मानता हो कि अल्लाह तआला के सिवाय कोई अन्य ग़ैब नहीं जानता इसके बावजूद काहिन को सच्चा माने, तो वह काफिर है और उसका कुफ्र: ☐ अकबर है ☐ अस़ग़र है।

24- एक महिला ने दूसरी महिला से कहा: मैं तुम्हारे पति को वश में करने के लिये तंत्र-मंत्र का प्रयोग करूँगी, और इस (गुनाह) का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा: ☐ दोनों ही उस तंत्र-मंत्र में भागीदार समझी जायेंगी ☐ दूसरी महिला को कोई गुनाह नहीं होगा।

25- किसी व्यक्ति के विषय में कहा जाये: उस व्यक्ति पर "तिब्ब" का प्रभाव है: ☐ ऐसा जादू के बारे में (शुभ) शगुन लेते हुये कहा जाता है ☐ यह शब्द रोग के उपचार के अर्थ में प्रयोग किया जाता है।

26- क़ुरआन व हदीस़ तथा सलफ़ के कथन इस बात को प्रमाणित करते हैं कि: जादू का उपचार जादू से करना: ☐ हलाल नहीं है ☐ हलाल है।

27- जादू का उपचार किया जायेगा: ☐ पछना लगवा कर ☐ आयत अल-कुर्सी पढ़ कर ☐ प्रमाणित दुआओं के माध्यम से जैसे यह दुआ «رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ...» (रब्बन नास अज़हिबिल बास ...) ☐ उक्त सभी।

28- नुशरा के प्रकार हैं: १- .... २- ....

29- फ़िरऔन के वंशज के अपशगुन लेने वाली आस्था को किस आयत के द्वारा बातिल एवं मिथ क़रार दिया गया: ☐ ﴿أَلَآ إِنَّمَا طَٰٓئِرُهُمۡ عِندَ ٱللَّهِ﴾ ☐ ﴿طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمۡۚ﴾.

30- अपशगुन लेना तौहीद के विरोधी इसलिए है कि, अपशगुन लेने वाला: ☐ अल्लाह से संबंध तोड़ कर ग़ैरुल्लाह पर तवक्कुल एवं भरोसा करता है ☐ ऐसी चीज़ से अपना संबंध जोड़ता है जिसकी कोई वास्तविकता नहीं है ☐ उक्त सभी।

31- ﴿طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمۡ﴾ इसके कहने वाले हैं: ☐ नगर वासी ☐ रसूल अलैहिमुस्सलाम।

32- ﴿طَٰٓئِرُهُمۡ عِندَ ٱللَّهِ﴾ अर्थात: .... ﴿طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمۡ﴾ अर्थात: ....

33- अल्लाह की अनुमति से रोग संक्रामक होता है: ☐ केवल शारीरिक रोग ☐ नैतिक रोग ☐ उक्त सभी।

34- «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ» इसमें इंकार है: ☐ इसके अस्तित्व की ☐ इसके प्रभाव की।

35- अर्थात: .... और क्या यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन: «لَا عَدْوَى» के विरोधी है: ....

36- हदीस़ «لَا طِيَرَةَ» और «لَا شُؤْمَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ» के मध्य किस प्रकार संतुलन बनाया जायेगा: ....

37- «لَا هَامَةَ» अर्थात: ...., «لَا صَفَرَ» अर्थात: ....

38- «وَمَا مِنَّا إِلَّا» अर्थात: .... , और इसमें प्रमाण है: ....

39- «لَا نَوْءَ» अर्थात: ...., «لَا غُولَ» अर्थात: ....

40- सफ़्र अल-ख़ैर (ख़ैर व भलाई वाला महीना सफर) कहना: ☐ जायज़ है ☐ (शुभ) शगुन लेना है ☐ यह बिदअत का इलाज बिदअत से करना है।

41- हदीस़ में अवतरित शब्द: ज़ज्र अल-तैर का अर्थ है: पक्षियों को उड़ा उन्हें कष्ट देना: ☐ सही ☐ गलत।

42- अरबों ने अपने अंदर बहुतेरे मिथ एवं भ्रमात्मक ज्ञान पाल रखे थे, जैसे अल-तियरा, अल-ज़ज्र तथा अल-इयाफा (ये सभी पक्षियों को उड़ा कर अपशगुन लेने की क़िस्में हैं), अल-रुक़ा (तंत्र-मंत्र), और इसके संबंध में लोगों के बीच अफवाह फैला रखा था, इसी के अंतर्गत उनका यह तथाकथित दावा भी आता है कि यात्रा के दौरान उसके

समक्ष भूत प्रकट हुआ, और मक़तूल (वधित) व्यक्ति के रक्त से एक पक्षी जन्म लेता है जिसे हामा (उल्लू) कहा जाता है, कुछ लोगों ने तो यह भी दावा कर दिया था कि उन्होंने जिन्न से वार्तालाप भी किया है: ☐ सही ☐ गलत।

43- कुत्ता के भौंकने अथवा गधा के रेंकने के समय यह वाक्य (خيرًا إن شاء الله) (अगर अल्लाह ने चाहा तो बेहतर ही होगा) कहना: ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है।

44- किसी तारा के विषय में कहना: (هذا نجم سعد السُّعود) (यह भाग्यशाली तारा है): ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है।

45- (शुभ) शगुन कहते हैं: ☐ केवल अच्छी बात को ☐ प्रत्येक सराहनीय चीज़ जो व्यक्ति को चुस्त, स्फूर्त तथा किसी कार्य को करने के लिए सक्रिय एवं प्रेरित करे, अब चाहे वो कथन हो, कृत्य हो, अथवा दिखने या सुनाई देने वाली कोई वस्तु।

46- किसी ने अपशगुन लिया तथा भयाक्रांत एवं व्याकुल होते हुए और अपशगुन के प्रभावी होने से डरते हुए भी वह कार्य सम्पन्न कर लिया, ऐसा करना: (☐ जायज़ है ☐ शिर्क -ए- अस़ग़र है ☐ गुनाह है), किसी ने अपशगुन लिया और फलस्वरूप अपने कार्य को स्थगित कर दिया, ऐसा करना: (☐ शिर्क -ए- अस़ग़र है ☐ गुनाह -ए- कबीरा है।)

47- (الطِّيَرة المذمومة) (निंदनीय शगुन) कहना दर्शाता है कि कुछ शगुन सराहनीय भी होते हैं: ☐ सही ☐ गलत।

48- किसी विशेष अंक, स्थान य पद्धति से घृणा करना: ☐ मुबाह (उचित) है ☐ अपशगुन लेने का एक प्रकार है।

49- किसी ने विवाह का इरादा किया और इसका निर्णय करने के लिये गुलाब का फूल लिया और उसकी पंखुरियों को एक-एक करके इस प्रकार अलग करे कि कहे: विवाह करूँगा, फिर अगली पंखुरी को अलग करे और कहे: विवाह नहीं करूँगा, और ऐसा करते हुए अंतिम पंखुरी तक पहुँच जाए, ऐसा करना: ☐ शुभ शगुन लेना है ☐ अपशगुन लेने में शामिल है।

50- कोई आदमी यात्रा करने को लेकर दुविधा में तथा अतएव उसने क़ुरआन खोल कर देखा और रहमत वाली आयत दृष्टिगोचर हुई तो यात्रा के लिए निकल पड़ा, ऐसा करना: ☐ (शुभ) शगुन लेना है ☐ अपशगुन लेना है।

51- एक व्यक्ति ने यात्रा का दृढ़ निश्चय किया और मार्ग में किसी को कहते हुए सुन लिया: अल्लाह आप को तौफ़ीक़ (सामर्थ्य, देवानुग्रह) दे, यह सुन कर उसके अंदर और अधिक स्फूर्ति उत्पन्न हो गई, ऐसा करना: ☐ (शुभ) शगुन लेना है ☐ अपशगुन लेना है।

52- किसी के दिल में अपशकुन लेने वाला विचार आया परंतु उस अपशकुन के विचार ने उसे अपने कार्य करने से नहीं रोका और न ही वह भयाकुल हुआ, तो वह: ☐ गुनाहगार है ☐ उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है।

53- किसी के मन में अपशगुन लेने का विचार आया परंतु वह उसकी ओर ध्यान न देते हुए अपने इरादे पर अडिग रहा, तो उसने: ☐ शिर्क किया ☐ शिर्क नहीं किया।

54- अल्लाह तआला ने कुछ रोगों को संक्रामक तथा छूत से फैलने वाला बनाया है: ☐ सही ☐ गलत।

55- जो ग़ैरुल्लाह से किसी विषय में डरता रहता है वह चीज़ उस पर लाद दी जाती है, यह अपशगुन लेने वाले का दंड है: ☐ सही ☐ गलत।

56- अत्याधिक हंसने के पश्चात यह कहनाः (الله يكفينا شرَّ الضَّحك) (अल्लाह तआला हमें हंसने की बुराई से बचाने के लिये काफी है): ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है।

57- किसी ने इस्तेख़ारा किया और सो गया, और सपना में भयभीत करने वाली कोई चीज़ देख ली अतएव जिस कार्य के लिये इस्तेख़ारा किया था उसे स्थगित कर दियाः ☐ यह अपशगुन लेने में शामिल है ☐ यह इस्तेख़ारा का नतीजा है।

58- दो चीज़ों के बीच दुविधा में फंसा हुआ व्यक्तिः ☐ दुआ करे ☐ विचार-विमर्श करे ☐ इस्तेख़ारा करे ☐ कुरआ अंदाज़ी कर ले ☐ प्रथम एवं द्वितीय, और जब किसी कार्य का इरादा करे तो इस्तेख़ारा करे ☐ उक्त सभी।

59- किसी ने इस्तेख़ारा करने के पश्चात यात्रा आरंभ किया और यात्रा के दौरान उसका कपड़ा फट गया तो उसने यात्रा स्थगित कर दिया, ऐसा करनाः ☐ अपशगुन लेना है ☐ यह इस्तेख़ारा का परिणाम है।

60- किसी एक निश्चित कार्य का इरादा कर लेने के पश्चात इस्तेख़ारा होगा, इस कथनः «فِي هَذَا الْأَمْرِ» (इस मामले में) के आधार पर ☐ सही ☐ गलत।

61- जिस कार्य के लिए इस्तेख़ारा किया था वह केवल शरई अथवा इंद्रीय कारण में होः ☐ सही ☐ गलत।

62- यह आस्था रखना कि नक्षत्र वर्षा होने का कारण है और वास्तविक रूप में वर्षा कराने वाला केवल अल्लाह तआला ही हैः ☐ सही है ☐ शिर्क -ए- अस़ग़र है।

63- जाहिलीयत वाले नक्षत्रों से संबंधित आस्था का स्थान अब मौसम विज्ञान ने ले लिया हैः ☐ सही ☐ गलत।

64- सूर्य को संबोधित करते हुए यह कहनाः (मेरी यह आयु लेकर विवाह वाली आयु वापिस कर दे) ☐ जायज़ है ☐ शिर्क है।

65- चाँद के मंज़िलों (ग्रहों) के विषय में उलेमा के विभिन्न संतुलित राय बनाना उसी तरह से संभव है जिस प्रकार हमने नुशरा के अध्याय में एक बीच की राह निकाली थीः ☐ सही ☐ गलत।

66- चिन्ह एवं प्रतीक जिनसे मार्गदर्शन प्राप्त होता हैः ☐ ज़मीनी होती हैं ☐ आसमानी होती हैं ☐ सही ☐ उक्त सभी।

67- الرَّحِم। (अल-रहिम) कहते हैं: ☐ सगे-संबंधी को ☐ पति-पत्नी के संबंधियों को।

68- जादू देखने वालों को इस प्रकार मोहपाश में बांध लेता है कि लकड़ी पर सोना का आभास होने लगता हैः ☐ सही ☐ गलत।

69- वईद (धमकी) वाली ह़दीसें जैसे अवतरित हुई हैं उन्हें वैसे ही गुज़ार देना चाहिए, न कि उसको दूसरे नुसूस (मग़फिरत का वादा वाले) से विरोधी मान करे दोनों के बीत संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि लोगों के मन इसका भय बना रहेः ☐ सही ☐ गलत।

70- यदा-कदा शरीअत के नुसूस में अंक को विभाजन एवं जोड़ तथा ज्ञान के एकत्रित करके बयान करने के ढ़ंग पर

बयान किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार से समझा एवं याद रखना सरल हो जाता है: ☐ सही ☐ गलत।

71- जाहिलियत वाले युग से संबंध जोड़ने का उद्देश्य होता है: ☐ उससे घृणा उत्पन्न करना ☐ यह अज्ञानता एवं मुर्तखता पूर्ण कृत्य है ☐ उक्त सभी।

72- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कभी-कभी ऐसी चीज़ों के विषय में सूचना देते हैं जिनका अस्तित्व में आना अवश्यंभावी है, किंतु इसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि हम उसका अपना लें, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह कथन: «...لَا يَتْرُكُونَهُنَّ» (वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे): ☐ सही ☐ गलत।

73- कबीरा गुनाह नेक अमल करने भर से माफ नहीं होत अपितु इसके लिए तौबा करना अपरिहार्य है: ☐ सही ☐ गलत।

74- क़ुरआन के "करीम" होने का अर्थ है कि वह: ☐ अत्याधिक दान करने वाला है ☐ सुंदर एवं उत्तम है ☐ उक्त सभी।

75- (अल-मुतहहरून) का अर्थ है: ☐ फरिश्ते ☐ क़ुरआन को केवल पवित्र व्यक्ति ही छूए।

तृतीय प्रश्न: समहू (क) के उचित वाक्य का मिलान समूह (ख) के उचित वाक्य से करें:

ख	क	
हमारे और उनके मध्य व्यापार अथवा इस्लाम सीखने के उद्देश्य से संधि हो।	المُعاهد	١
जादू एवं तंत्र-मंत्र सिद्धि के उद्देश्य से भूमि पर रेखा खींचे।	الذِّمِّيُّ	٢
हमारे और उनके मध्य न एक-दूजे न लड़ने की संधि हो।	الجبت	٣
जो जिज़या देने के कारण हमारे संरक्षण में हो।	المستأمِن	٤
बाँटना और अलग-अलग करना।	الطِّيَرَةُ	٥
अपनी बात को ऐसे सुंदर एवं मनोहर रूप में प्रस्तुत करने की कला कि सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाये, तथा उसके विचार तक बदल जायें।	الْعَضْهُ	٦
यह काहिन, नुजूमी तथा रम्माल समस्त के लिए एक आम संज्ञा है।	الكبيرة	٧
हरेक वह चीज़ जिस पर निश्चित दंड निर्धारित हो।	الْبَيَانُ	٨
शगुन अथवा अपशगुन लेने के लिए पक्षी को उड़ाना।	الطَّرْقُ	٩
दिखने अथवा सुनाई दी जाने वाली, तथा समय अथवा स्थान से अपशकुन लेना।	العَرَّاف	١٠
प्रत्येक वह चीज़ जिसमें कोई भलाई न हो।	الْعِيَافَةُ	١١

सातवाँ: दिलों के आमाल (९ अध्याय)

३१- अल्लाह तआला के फरमान: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾ الآيَة (कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरो को अल्लाह का साझी बनाते हैं और उनसे वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा प्रेम अल्लाह से करना चाहिए) **का अध्याय**

मोहब्बत के प्रकार:

- अल्लाह के साथ-साथ किसी और से मोहब्बत करना: (शिर्क -ए- अकबर है)।
- अल्लाह के लिये मोहब्बत करना: (वाजिब है) यह अल्लाह पर ईमान रखने का सर्वाधिक शक्तिशाली बंधन है:
  - उस कर्म से मोहब्बत रखना जिससे अल्लाह प्रसन्न होता है, और यह हरेक वह चीज़ है जिसको लेकर शरीअत आई है।
  - उस कर्म को अंगीकार करने वालों से मोहब्बत, जैसे अम्बिया, रुसुल, फरिश्ते, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम तथा सभी मुवह्हिदीन।
  - उस समय तथा युग से मोहब्बत रखना जिससे अल्लाह मोहब्बत रखता है, जैसे लैलतुल क़द्र तथा रात का अंतिम तीसरा पहर।
  - उस स्थान से मोहब्बत रखना जिससे अल्लाह मोहब्बत रखता है, जैसे मक्का तथा मदीना।
- नैसर्गिक एवं प्राकृतिक मोहब्बत: (जायज़ है) जैसे संतान से मोहब्बत करना।

दूसरी और तीसरी दलील:

२- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿ قُلۡ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ ﴾ (आप कह दीजिये कि यदि तुम्हारे पिता और पुत्र) से लेकर ﴿ أَحَبَّ إِلَيۡكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ﴾ الآيَة. (अल्लाह और उसके रसूल की तुलना में अधिक प्रिय हैं) तक।

३- अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» **"तुम में से कोई उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वह मुझे अपनी संतान, (माता) पिता एवं समस्त लोगों की तुलना में अधिक प्रिय न समझे"**। इसको बुख़ारी तथा मुस्लिम ने रिवायत किया है।

- ﴿ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ ...﴾: इन लोगों की मोहब्बत इबादत वाली मोहब्बत नहीं है किंतु फिर भी उनकी मोहब्बत यदि अल्लाह की मोहब्बत पर भारी पड़ जाये तो दंड का कारण बन जाता है।
- «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ»: यहाँ मुकम्मल एवं पूर्ण ईमान को नकारा गया है (मूल ईमान को नहीं) सिवाय इसके कि कोई ऐसा भी आदमी हो जिसके दिल में नबी ﷺ की मोहब्बत रत्ती भर भी न हो।

किसी चीज़ के इंकार की स्थिति:

अस्तित्व का इंकार: किसी चीज़ के इंकार का मूल अर्थ यही होता है, उदाहरणस्वरूप: «لا إيمان لعابد صنمٍ» (मूर्तिपूजक का कोई ईमान नहीं) यदि इस अर्थ में निर्धारण असंभव हो तो इसको हम इस अर्थ में लेंगे:

उसके सही होने का इंकार: जैसे «لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ طَهُورٍ» (पवित्रता के बिना नमाज़ सही नहीं) और यदि इस अर्थ में भी निर्धारण संभव न हो तो इसे इस अर्थ में लेंगे:

उसके पूर्ण व मुकम्मल होने का इंकार: जैसे «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ» (खाना सामने रहते हुए नमाज़ नहीं)।

- हदीस़ का संबंध स्पष्ट है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मोहब्बत रखने का मतलब अल्लाह से मोहब्ब रखना है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से निम्नांकित कारणों से मोहब्बत रखी जायेगी:

1- क्योंकि आप अल्लाह के रसूल हैं, और यदि आपके समीप सबसे प्रिय अल्लाह तआला है तो उसका रसूल भी आपके नज़्दीक समस्त जीव से बढ़कर प्रिय होना चाहिए।

2- क्योंकि आप ने अल्लाह की उपासना अति उत्तम ढ़ंग से की और उसकी रिसालत को लोगों तक पहुँचाया।

3- क्योंकि अल्लाह ने आपको उच्च शिष्टाचार, सत्व गुण तथा सदकर्म के सर्वोच्च स्थान पर पदासीन किया है।

4- क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आपके मार्गदर्शन, शिक्षा-दीक्षा तथा हिदायत का कारण हैं।

5- क्योंकि आप ने अल्लाह के संदेश को लोगों तक पहुँचाने के दौरान लोगों की ओर से मिलने वाले कष्ट पर सब्र एवं धैर्य से काम लिया।

6- क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अल्लाह के कलमा एवं दीन को फैलाने के लिए अपनी जान, माल को क़ुर्बान कर दिया तथा इसके लिये हरेक प्रकार के जतन किये।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मृत्यु पश्चात किस प्रकार आप से मोहब्बत रखी जायेगी?

आपकी सुन्नतों को सीख कर, उनके अनुसार कर्म करके, उनकी ओर आमंत्रण देकर, उनकी रक्षा करके, आपके आदेश को समस्त लोगों के आदेश पर वरीयता प्रदान करके और आपके तरीकों का अनुसरण करके।

अल्लाह तआला से प्रेम रखने के संबंध में लोगों के चार प्रकार हैं:

जो केवल अल्लाह से प्रेम रखते हैं और अल्लाह के सिवाय किसी अन्य से प्रेम नहीं रखते, और इसी का नाम इख़लास है।	जो अंदाद (ग़ैरुल्लाह) से अल्लाह के समान ही प्रेम रखते हैं, यह शिर्क -ए- अकबर है।	जो अंदाद (ग़ैरुल्लाह) से अल्लाह से भी बढ़ कर प्रेम रखते हैं, यह शिर्क -ए- अकबर है।	जो केवल अंदाद (ग़ैरुल्लाह) से ही प्रेम रखते हैं और अल्लाह से तनिक भी प्रेम नहीं रखते, यह शिर्क का सबसे बुरा रूप है।

चार से छः तक दलीलें:

४- बुख़ारी तथा मुस्लिम में अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْـمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لله، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ؛ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ» **"तीन गुण ऐसे हैं कि जिसमें वो पाये जायें उनके कारण उसे ईमान की मिठास का अनुभव प्राप्त होगा, वह अल्लाह एवं उसके रसूल को सर्वाधिक प्रिय रखे, किसी से प्रेम करे तो अल्लाह के लिये करे तथा जब अल्लाह तआला ने उसे कुफ्र से बचा लिया है तो फिर पुनः उसकी ओर लौट जाने से ऐसे ही घृणा करे जैसे वह अग्नि में डाले जाने को अप्रिय समझता है"**। और एक रिवायत में इस प्रकार है: «لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ حَتَّى...» **"कोई भी व्यक्ति ईमान की मिठास का अनुभव उस समय तक नहीं कर सकता जब तक कि वह ..."**।

५- अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं: "जो (किसी से) अल्लाह के लिए प्रेम करे, अल्लाह के लिए घृणा करे, अल्लाह के लिए मित्रता करे तथा अल्लाह के लिए ही शत्रुता करे (तो ज्ञात रहे कि) इन्हीं कर्मों के द्वारा अल्लाह की विलायत और मित्रता प्राप्त हो सकती है, और कोई भी व्यक्ति इन कर्मों को किए बिना कदापि ईमान का स्वाद और उसकी मिठास नहीं पा सकता, यद्यपि अधिकाधिक नमाज़ पढ़ने वाला तथा रोज़ा रखने वाला हो, आज साधारणतः लोगों की मित्रता सांसारिक लोभ के लिए होती है, जब्कि यह उन्हें कुछ भी लाभ नहीं पहुँचायेगी"। इसको इब्ने जरीर ने रिवायत किया है।

६- और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने आयत ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ﴾ (क़यामत के दिन सारे माध्यम गौण हो जायेंगे) की तफ़सीर में फरमाया कि इससे अभिप्राय है: «الْـمَوَدَّةُ» "मित्रता, प्रेम एवं आपसी संबंध"।

इबादत पर आधारित मोहब्बत:

वह मोहब्बत जो स्वयं इबादत नहीं है:

- अल्लाह के लिए मोहब्बत करना: जैसे नबियों एवं रसूलों से मोहब्बत करना।
- दयाभाव एवं कृपा वाली मोहब्बत: जैसे संतान तथा छोटे बच्चों से मोहब्बत ... ।
- आदर एवं सत्कार वाली मोहब्बत: जैसे पिता तथा शिक्षक से मोहब्बत करना ...।
- नैसर्गिक मोहब्बत: जैसे खान-पान से मोहबब्त ... ।

वह मोहब्बत जो स्वयं इबादत है:

इस प्रकार के इबादत वाली मोहब्बत केवल अल्लाह तआला के लिए होगी, जो ऐसी विनम्रता तथा आदर को अपरिहार्य करती है कि जिसके कारण अल्लाह के आदेशों का पालन किया जाए तथा अवज्ञा से बचा जाए।

- इनमें सर्वोत्तम सबसे पहला है, तथा अन्य मुबाह़ एवं जायज़ हैं, किंतु यदि इसके संग ऐसी चीज़ शामिल हो जाये जो उपासना के समानार्थी हो तो फिर यह उपासना के वर्ग में चली जायेगी।
- «حَلَاوَةَ الإِيمَانِ»: (ईमान की मिठास) इससे अभिप्राय है: संतुष्टि, विश्वास, शांति एवं संतोष का वह भाव जो व्यक्ति अपने अंदर अनुभव करता है।
- «مَنْ أَحَبَّ فِي الله»: जिससे अल्लाह घृणा करता वह भी उससे घृणा करता है, और जिससे अल्लाह प्रेम करता है वह भी उससे प्रेम करता है।
- ﴿وَتَقَطَّعَتْ﴾: वो समस्त माध्यम कट गये जिनसे मुश्रिकीन अपना संबंध जोड़ते थे, और जिस प्रेम का इज़्हार वो मूर्तियों से करते थे।

विलायत (मित्रता):

बंदों की ओर से अल्लाह के लिए:

शरीअत के अनुसार ऐसा करना वाजिब है, अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ (जो अल्लाह और उसके रसूल से मित्रता करेगा)।

अल्लाह की ओर से बंदों के लिए:

- ख़ास (विशेष) कृपा, तौफ़ीक़ (देवानुग्रह) तथा हिदायत (मार्दशन) वाली विलायत, ये मोमिनों के लिये आरक्षित है।
- आम (सामान्य) तदबीर एवं फेर-बदल के अधिकार वाली विलायत, यह मोमिन एवं काफिर सभी को सम्मिलित है।

मसाइल:

पहला: सूरा बक़रा की आयत (﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا ﴾) की तफ़्सीर।

दूसरा: सूरा बराअत (तौबा) की आयत (﴿ قُلۡ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ ﴾) की तफ़्सीर।

तीसरा: अपनी जान, माल तथा सगे-संबंधियों की मोहब्बत की तुलना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मोहब्बत (को प्राथमिकता देना) वाजिब है।

चौथा: किसी कारणवश ईमान का इंकार करने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि वह व्यक्ति इस्लाम से बाहर हो गया (सिवाय इसके कि किसी का हृदय नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मोहब्बत से बिल्कुल ख़ाली हो, तो ऐसी दशा में कोई संशय नहीं कि यह उसके मूल ईमान का इंकार होगा)।

पाँचवां: ईमान का अपना एक स्वाद होता है जिसका कभी अनुभव होता है और कभी नहीं।

छठा: चार ऐसे दिली कर्म हैं जिनके बिना इंसान अल्लाह की मित्रता नहीं प्राप्त कर सकता और न उनके सिवा ईमान का स्वाद ले सकता है (अल्लाह के लिये मित्रता करे, अल्लाह के लिये शत्रुता करे, अल्लाह के लिये प्रेम रखे तथा अल्लाह ही के लिये घृणा करे)।

सातवाँ: सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने वास्तविकता की कसौटी पर इसे परख लिया था कि साधारणतः आम लोगों कि मित्रता एवं मेल-मिलाप सांसारिक लोभ के कारण होते हैं (यह स्थिति उनके युग में थी तो हमारे युग में मामला कितना बुरा हो चुका होगा सहजता के साथ इसकी कल्पना की जा सकती है)।

आठवाँ: आयत ﴿ وَتَقَطَّعَتۡ بِهِمُ ٱلۡأَسۡبَابُ ﴾ की तफ़्सीर (उदाहरणस्वरूप: प्रेम रखने जैसे सबब व माध्यम)।

नौवाँ: कुछ मुश्रिकीन (बहुदेववादी) ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह से घंघोर प्रेम करते हैं (किंतु मोमिनों को उन पर इस अर्थ में प्राथमिकता एवं वरीयता प्राप्त है कि उनका अल्लाह तआला से प्रेम मुश्रिकीन के अपने मूर्तियों से प्रेम करने की तुलना में कहीं अधिक है)।

दसवाँ: आयत में उल्लेखित आठ चीज़ें, जिसको अपने धर्म से अधिक प्रिय हों उसके लिये भयंकर चेतावनी एवं धमकी।

ग्यारहवाँ: किसी का अपने मिथ उपास्य से अल्लाह के समान प्रेम करना शिर्क -ए- अकबर है।

३२- अल्लाह तआला के फरमान: ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ الآية (वस्तुत: यह शैतान है जो अपने मित्रों से डराता है, अत: यदि तुम मोमिन हो तो उनसे न डरो, मुझ से ही डरो) का अध्याय

लेखक महोदय मोहब्बत के बयान के पश्चात ख़ौफ का बयान कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत दो चीज़ों पर टिकी हुई हैं:

मोहब्बत: इसी के कारण आज्ञापालन होता है। **ख़ौफ:** इसी के कारण अवज्ञा से बचा जाता है।

भय एवं डर के प्रकार:

नैसर्गिक एवं प्राकृतिक भय (जायज़): ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ﴾(जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां से भयभीत होकर देखते-भालते निकल गये) भय का यह प्रकार यदि वाजिब छोड़ने अथवा हराम कार्य करने के लिये प्रेरित करे तो हराम है।

इबादत, विनम्रता, आदर तथा समर्पन का भाव लिये हुए (छिपा हुआ) भय: इसको अल्लाह के सिवाय अन्य के लिये अंजाम देना शिर्क -ए- अकबर है, और इसमें लोग अति, न्यून तथा संतुलित तीन प्रकार के हैं।

- ﴿يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ﴾: शैतान हरेक उस व्यक्ति को डराता है जो वाजिब अदा करने का इरादा करता है।
- ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ﴾: (उनसे डरो नहीं) बल्कि तुम्हें जो करने का आदेश मैंने दिया है उसे कर डालो, और जो जिहाद मैंने वाजिब क़रार दिया है उस पर अमलकरो, उन लोगों से डरो नहीं, और जिसको अल्लाह का साथ मिल जाये उसे कोई पराजित नहीं कर सकता।

दूसरी दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ﴾ الآية. (अल्लाह की मस्जिदें वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह तथा आख़िरत पर ईमान लाये तथा नमाज़ अदा किया और ज़कात दिया और मात्र अल्लाह तआला से डरे)।

- ﴿ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ ﴾ : बहुतेरे स्थान पर अल्लाह तआला ने अल्लाह पर ईमान रखने तथा आख़िरत (परलोक) पर ईमान रखने को एक साथ उल्लेख किया है, क्योंकि: अल्लाह पर ईमान रखना उम्मीद और आशा उत्पन्न करता है, जब्कि आख़िरत पर ईमान रखना अल्लाह तआला से डर उत्पन्न करता है।
- ﴿ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾: (नमाज़ स्थापित करता है) अर्थात: उसको पूर्णरूपेण अदा करता है ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाये, और नमाज़ स्थापित (अदा) करने के दो रूप हैं:

 1- **वाजबी रूप:** शर्त, अरकान (स्तंभ) और वाजिबात (अपरिहार्य) चीज़ों पर ही अमल करना।

 2- **मुस्तहब रूप:** वाजिब पर वृद्धि करना, अतः वाजिब के साथ-साथ मुस्तहब का भी ध्यान रखना।

- ﴿ وَلَمْ يَخْشَ ﴾: अरबी भाषा में प्रयोग होने वाला शब्द "ख़शीयत" उस भय एवं डर को कहते हैं जो भयभीत करने वाले के वयक्तित्व की महानता एवं पूर्णरूपेण समर्थ होने के ज्ञान के पश्चात उपजा हो, तथा अरबी भाषा ही के लगभग समानार्थी शब्द "ख़शीयत" एवं "ख़ौफ" के मध्य सूक्षम अंतर निम्नांकित है:

 1- भयभीत करने वाले व्यक्तित्व के विषय में ज्ञान होने तथा उसके असल स्थिति (सर्वशक्तिमान होने) का बोध करते हुए डरना "ख़शीयत" कहलाता है जब्कि "ख़ौफ" एक अबोध एवं अज्ञान की ओर से भी हो सकता है।

 2- जिस से डरा जा रहा है यदि इस डर का कारण उस व्यक्तित्व की महानता एवं आदर के कारण हो तो यह "ख़शीयत" कहलाता है, जब्कि डरने वाले के अंदर व्याप्त दुर्बलता के कारण प्रकट होने वाले डर को "ख़ौफ" कहते हैं।

- ﴿فَعَسَىٰٓ﴾: (संभतः) अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि: "अल्लाह तआला की तरफ से इस शब्द के प्रयोग -जोकि सामान्य तौर पर किसी संभावित घटना के बारे में आंकलन करने के लिये होता है- का अर्थ है कि यह चीज़ निश्चित रूप से घटित हो कर रहेगी, एवं तरज्जी (आस एवं आशा का बोध कराने वाली एक परिभाषा) का प्रयोग इसलिये किया गया है ताकि इंसान घमंड न करने लगे कि इस गुण से सुसज्जित होने का उसे निश्चित प्रमाण-पत्र मिल गया है"।

मस्जिद को तामीर (निर्माण) करने के रूप, और हाँ तामीर का विलोम तख़रीब है ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ وَسَعَىٰ فِى خَرَابِهَآ ﴾ (उससे बड़ा अत्याचारी कौन हो सकता है जो अल्लाह तआला की मस्जिदों में लोगों को अल्लाह का ज़िक्र एवं स्मरण करने से रोके और उनको ध्वस्त करने का प्रयास करे)

अदृश्य तामीर (निर्माण): नमाज़, ज़िक्र (स्मरण) तथा क़ुरआन का पाठ करने के द्वारा, और इसका विलोम अदृश्य विनाश होगा मस्जिद को शिर्क व बिदअत का अड्डा बना देना।

दृश्य तामीर (निर्माण): भवन निर्माण के द्वारा, फर्श बिछाकर, स्वच्छता का ध्यान रखकर तथा मरम्मत इत्यादि कराकर, जब्कि इसका विलोम दृश्य तख़रीब (विनाश) होगा: उसके भवन को ध्वस्त तथा ख़राब करके।

तीसरी दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِىَ فِى ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ الآية. (कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाये लेकिन जब अल्लाह के रास्ते में पीड़ा दी जाये तो लोगों से मिलने वाली पीड़ी को अल्लाह के अज़ाब की तरह समझते हैं)।

- यह सर्वविदित है कि इंसान अल्लाह के अज़ाब (यातना) से भागता है अतः वह अल्लाह तआला का आज्ञापालन करता है, और ऐसे इंसान को जब व्यक्ति विशेष की ओर से कोई कष्ट पहुँचता है तो वह उसे अल्लाह के अज़ाब की तरह समझता है अंततः लोगों के भय से उसके इच्छानुसार कार्य करना आरंभ कर देता है मानो वह उसे अज़ाब के समान समझ लेता है और कभी-कभी तो वह उससे वैसे ही डरता है जैसे वह अल्लाह से डरता है वह इस प्रकार कि वह मानव की ओर से मिलने वाली यातना को अल्लाह तआला का अज़ाब के समान समझ लेता है और फलस्वरूप उससे बचने के लिये उसके उचित एवं अनुचित सभी प्रकार की बातों का समर्थन करने लगता है।
- आयत में इस बात से डराया गया है कि इंसान वह न कहे जो उसके दिल में न हो (अर्थात मूँह में कुछ और ज़ुबान पर कुछ और)।

चौथी दलील:

अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन वर्णित है कि: «إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللهِ، وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللهِ، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللهُ، إِنَّ رِزْقَ اللهِ لَا يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيصٍ، وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ» **"ईमान एवं विश्वास की दुर्बलता यह है कि तुम अल्लाह को अप्रसन्न करके लोगों को प्रसन्न करो तथा अल्लाह के दिये हुये रिज़्क़ (जीविका) पर लोगों की प्रशंसा करो और यदि अल्लाह तुम्हें न दे इस पर लोगों की निंदा करो, याद रहे, अल्लाह के रिज़्क़ को किसी लोभी का लोभ नहीं खींच सकता और न ही किसी घृणा करने वाले की घृणा उसे रोक सकती है"।**

- «أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ»: अर्थात: अल्लाह से अधिक तुम लोगों से डरने लगो और उनको नसीहत (सदुपदेश, हितोपदेश) करना छोड़ दो।
- «وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ»: अर्थात: तुम आकंठ उसकी प्रशंसा में डूब जाते हो और यह भूल जाते हो कि मुसब्बिब (कारण एवं माध्यम बनाने वाला) तो केवल अल्लाह है।
- «وَأَنْ تَذُمَّهُمْ»: अर्थात: यदि अल्लाह ने इसे तुम्हारे भाग्य में लिखा होता तो उसके लिये कोई न कोई माध्यम अवश्य बना देता, अत: हरेक परिस्थिति में अल्लाह से प्रसन्न रहना ज़रूरी है।

पाँचवीं दलील:

आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ؛ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ» **"जो लोगों को अप्रसन्न करके अल्लाह को प्रसन्न करने का प्रयास करता है तो अल्लाह उससे प्रसन्न हो जाता है तथा लोगों को भी उससे प्रसन्न कर देता है, और जो लोगों को प्रसन्न करने के लिये अल्लाह को अप्रसन्न करता है तो अल्लाह भी उससे अप्रसन्न होता है और लोगों को भी उससे खिन्न कर देता है"।** इस ह़दीस़ को इमाम इब्ने ह़िब्बान ने अपनी "सहीह" में रिवायत किया है।

- «مَنِ الْتَمَسَ»: लोगों के भय से उसको प्रसन्न करने के लिये प्रयासरत रहे, और ऐसा करके उसने अल्लाह के डर पर लोगों के डर को प्राथमिकता एवं वरीयता दी।

हदीस़ से चयनित फायदे:

1. ऐसी चीज़ों के लिये प्रयासरत रहना चाहिये जिससे अल्लाह प्रसन्न हो यद्यपि इंसान उससे अप्रसन्न होता हो तो हो, क्योंकि लाभ-हानि का मालिक व स्वामी केवल अल्लाह ही है।
2. लोगों को प्रसन्न करने के लिये अल्लाह को अप्रसन्न करने वाले कार्य करना नाजायज़ (अनुचित) है, चाहे वह व्यक्ति कितने ही बड़े पद का अधिकारी क्यों न हो।
3. अल्लाह तआला के लिये "रेज़ा (प्रसन्नता)" तथा "सख़्त (अप्रसन्नता)" दोनों वास्तविक गुणों का प्रमाण, किंतु अल्लाह के ये दोनों गुण मख़लूक़ (जीव) के समान नहीं है।

मसाईल:

पहला: सूरा आले-इमरान के आयत (﴿إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ﴾) की तफ़्सीर।

दूसरा: सूरा बराअत (तौबा) के आयत (﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ﴾) की तफ़्सीर।

तीसरा: सूरा अन्कबूत के आयत (﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ﴾) की तफ़्सीर।

चौथा: ईमान कभी मज़बूत (दृढ़) और कभी कमज़ोर (क्षीण) होता है।

पाँचवां: ईमान के कमज़ोरी की चिन्हों में से यह तीन भी हैं (अल्लाह को अप्रसन्न करके लोगों को प्रसन्न करना, अल्लाह तआला के दिये हुये रिज़्क़ (आजीविका) पर लोगों की प्रशंसा करना, तथा अल्लाह ने जो भाग्य में नहीं लिखा है उस पर लोगों की निंदा करना)।

छठा: मात्र अल्लाह से ही डरना, दीन के अनिवार्य कार्यों में से है।

सातवाँ: जिसने ऐसा किया उसका सवाब (पुण्य) (अल्लाह उससे प्रसन्न हो जाता है और लोगों को भी उससे प्रसन्न कर देता है)।

आठवाँ: जिसने ऐसा नहीं किया उसकी सज़ा व दण्ड (अल्लाह उससे अप्रसन्न होता है और लोगों को भी उससे अप्रसन्न कर देता है)।

३३- अल्लाह तआला के फरमान ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ﴾ (यदि तुम ईमान वाले हो तो केवल अल्लाह पर ही तवक्कुल व भरोसा करो) का अध्याय

- मोहब्बत तथा ख़ौफ का उल्लेख करने के कपश्चात लेखक रहिमहुल्लाह ने यहाँ यह बयान किया है कि वांछनीय एवं रुचिकर चीज़ों को प्राप्त करने तथा अप्रिय एवं अरुचिकर चीज़ों से दूरी अपनाने का एकमात्र साधन अल्लाह पर तवक्कुल व भरोसा करना है, और तवक्कुल के बिना तौहीद को उसके वास्तविक रूप में अपनाना भी असंभव है यह (तवक्कुल) बड़ा उच्च स्थान व अति श्रेष्ठ दर्जा है अतः इंसान पर वाजिब है कि वह अपने प्रत्येक मामले में उस (अल्लाह) को अपना मित्र बनाये रखे और उसका साथ न छोड़े।
- ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ﴾: मामूल (कर्म कारक) का उल्लेख पहले करना सीमित एवं निश्चित करने का अर्थ देता है, जो दर्शाता है कि तवक्कुल का इंकार कामिल ईमान का इंकार है, परंतु यदि ऐसा हो कि किसी व्यक्ति का पूर्ण भरोसा ग़ैरुल्लाह पर ही हो तो उस स्थिति में यह शिर्क -ए- अकबर माना जायेगा।

तवक्कुल कहते हैं: अल्लाह पर भरोसा करते हुये और जायज़ माध्यम अपनाते हुये उसी पर दृढ़ विश्वास रखना, अतः अल्लाह पर सच्चा विश्वास रखना तथा उपलब्ध जायज़ माध्यम अपनाना अति आवश्यक है, और इसके निम्नलिखित प्रकार हैं:

वकील बनाना: ऐसा कहना किः (मैंने अमूक व्यक्ति पर भरोसा किया) या (मैंने अल्लाह पर फिर अमूक व्यक्ति पर भरोसा किया) सही नहीं है, क्योंकि यह हार्दिक कार्य है जिसे अल्लाह के सिवा किसी और के लिए अंजाम नहीं दिया जा सकता, बल्कि ऐसे कहेः (मैंने अमूक व्यक्ति को अपना वकील बनाया, अर्थात अपना मामला उसके हवाले कर दिया) याद रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुछ सहाबा को अपने आम और निजी मामलों का वकील बनाया है।

यदि आवश्यकता पूर्ति का भाव रखते हुए किसी जीवित पर भरोसा किया जाए, तो यह शिर्क -ए- अस़ग़र है, जैसे आजीविका की आशा में किसी जीवित को सबब (माध्यम) से भी ऊपर मान कर उस पर भरोसा करना।

सारा मामला पूर्णरूपेण अल्लाह को ही सौंप देना और यह आस्था रखना कि लाभ पहुँचाने अथवा हानि दूर करने का सामर्थ्य केवल अल्लाह के पास है, इसको ग़ैरुल्लाह के अंजाम देना शिर्क -ए- अकबर है।

दूसरी व तीसरी दलीलें:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ (ईमान वाले ऐसे होते हैं कि जब उनके समक्ष अल्लाह तआला का ज़िक्र आता है तो उनके हृदय काँप जाते हैं, और जब अल्लाह की आयतें (श्लोक) उनको पढ़ कर सुनाई जाती हैं तो वो आयतें उनके ईमान को और बढ़ा देती हैं और वो लोग अपने रब पर तवक्कुल व भरोसा करते हैं, ये लोग नियमति रूप से नमाज़ अदा करते हैं तथा जो कुछ धन हमने उन्हें दिया है उनमें से ख़र्च करते हैं)।

३- एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला ने फरमाया: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (हे नबी, (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आप के लिये अल्लाह काफी व पर्याप्त है और उन मोमिनों को भी जो आपका अनुसरण कर रहे हैं)।

- यदा-कदा उपरोक्त गुणों से सुशोभित नहीं होने के बावजूद इंसान मोमिन होता है किंतु उसके साथ मुतलक़ (मूल किंतु अपूर्ण) ईमान होता है (अर्थात मूल बातों पर ईमान रखने के कारण वह मोमिन तो होता है किंतु कामिल व पूर्ण ईमान वाला नहीं होता, दूसरे शब्दों में कहें तो: वह ईमान रखने के कारण मोमिन होता है किंतु पाप एवं कुकर्म करने के कारण पूर्ण एवं मुकम्मल ईमान वाला मोमिन नहीं कहा जा सकता, और इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उसके मोमिन होने का ही इंकार कर दिया जाये)
- ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: हे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आप के लिये अल्लाह ही काफी व पर्याप्त है, और आपकी पैरवी करने वाले मोमिनों के लिये भी अल्लाह काफी व पर्याप्त है, अतः आप और आप का अनुसरण करने वाले मोमिन केवल अल्लाह पर ही तवक्कुल भरोसा एवं आसरा रखें।

अल्लाह तआला ने इस आयत तथा इसके बाद वाली आयत में पूर्ण व मुकम्मल ईमान के लिये पाँच गुणों का उल्लेख किया है

﴿إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾	अर्थात: आयतों के अल्लाह की महानता एवं आदर पर आधारित होने के कारण उनके हृदय काँप जाते हैं, अतः ईमान की निशानी यह है कि जब अल्लाह का ज़िक्र एवं स्मरण हो तो डरे।
﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا﴾	अर्थात: उसको सच्चा मानते हुये और अपनाते हुये, इससे यह भी प्रमाणित होता है कि इंसान कभी-कभी स्वयं क़ुरआन पढ़ने की तुलना में दूसरों को पढ़ते हुये सुन कर अधिक लाभांवित होता है।
﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾	अर्थात: वह केवल अल्लाह तआला पर ही आसरा व भरोसा रखते हैं न की अल्लाह के सिवाय अन्य पर, इसके बावजूद वो लोग असबाब व माध्यम अपनाते हैं, और यही इस आयत का इस अध्याय से संबंध सिद्ध करता है।
﴿ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ﴾	अर्थात: नमाज़ को पूर्णरूपेण एवं उसके मूल रूप में उसको अदा करते हैं, और अरबी भाषा का शब्द "अल-सलात" (अर्थात नमाज़) इस्म -ए- जिंस (जातिवाचक संज्ञा) है, जो सभी प्रकार के नमाज़ अर्थात फ़र्ज़, नफ़्ल सभी को समाहित है।
﴿وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ﴾	अर्थात: यह प्रशंसा एवं सराहना पूरा ख़र्च (व्यय) करने वाले तथा कम ख़र्च करने वाले दोनों के लिये है, जो पूरा ख़र्च करता है वह इस सराहना में उसी स्थिति में सम्मिलित हो सकता है जब्कि उसका तवक्कुल व भरोसा केवल अल्लाह पर ही हो।

चौथी दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ﴾ (जो कोई अल्लाह तआला पर तवक्कुल व भरोसा करेगा तो अल्लाह तआला उसके लिये काफी व पर्याप्त होगा)।

- अर्थात उसके समस्त महत्वपूर्ण एवं महत्वहीन सभी मामलों के लिये अल्लाह काफी होगा, एवं उसके मामले को सहज कर देगा, यद्यपि उसे कुछ कष्टों का सामना करना पड़ सकता है किंतु अल्लाह उसके लिये काफी होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सैयिदुल मुतवक्किलीन (समस्त भरोसा करने वालों के सरदार) थे फिर भी आपको दुःखों एवं कष्टों का सामना करना पड़ा किंतु आपको कोई हानि नहीं हुई।
- आयत का (विपरीत) अर्थ यह भी है कि जो ग़ैरुल्लाह पर भरोसा करता है अपमानित होता है, और अल्लाह तआला उसे छोड़ देता है।

पाँचवीं दलील:

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम फरमाते हैं किः “इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो उन्होंने कहाः «حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ؛ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ ﷺ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ حِينَ قَالُوا: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدۡ جَمَعُواْ لَكُمۡ فَٱخۡشَوۡهُمۡ فَزَادَهُمۡ إِيمَٰنٗا وَقَالُواْ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ وَنِعۡمَ ٱلۡوَكِيلُ﴾» (अल्लाह हमारे लिय काफी है, और इसी प्रकार से जब लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा कि (ये लोग आपके विरुद्ध इकत्र हो गये हैं अतः इनसे डरें, तो उनका ईमान और बढ़ गया और इन लोगों ने कहाः अल्लाह हमारे लिये बस है और अति उत्तम कारसाज़ (युक्तिपूर्वक काम करने वाला है)”।

यह कथा क़ुरआन में मौजूद है कि, अबू सुफियान जब उहुद से वापस आया तो उसने अपने गुमान के अनुसार सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उनके अनुयायियों सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम पर पलटवार करके उनका मामला ही निपटा दे, रास्ते में कुछ सवारों से भेंट हुई तो उनसे कहाः तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उनलोगों ने उत्तर दिया किः हम मदीना जा रहे हैं, तो उसने उन सवारों से कहाः मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तथा उनके साथियों को यह बता देना कि हम उनकी ओर पलट कर आ रहें हैं ताकि उनका काम तमाम कर दें, जब ये सवार मदीना पहुँचे तो सारा वृत्तांत कह सुनाया, यह सुन कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा उनके साथियों ने कहाः ﴿حَسۡبُنَا ٱللَّهُ وَنِعۡمَ ٱلۡوَكِيلُ﴾ (अल्लाह हमारे लिये काफी है और वह बहुत अच्छा कारसाज़ है) मुसलमान सत्तर (७०) की संख्या में निकले यहाँ तक कि हमराअ असद नामक स्थान पर पहुँचे, फिर अबू सुफियान ने अपना विचार त्याग दिया और मक्का लौट गया, यह अल्लाह का अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा मोमिनों के लिये काफी होना है जब उन्होंने अल्लाह पर तवक्कुल व भरोसा किया।

चेतावनी:

विशेषज्ञ उलेमा के समीप यह बात प्रचलित है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा इस्राईलीयात नक़ल करते हैं, जब्कि यह बात आलोच्य (समीक्षा किये जाने योग्य है) क्योंकि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा उन लोगों में से हैं जो बनी इस्राईल से नक़ल करने से रोकते थे।

बनी इस्राईल से वर्णित सूचना (इस्राईलीयात) को हम सच्चा मानें अथवा झूठा?

1. यदि हमारी शरीअत में आया हो कि यह सच है तो हम उसको सच्चा मानेंगे।
2. यदि हमारी शरीअत में आया हो कि यह झूठ है तो हम उसको झूठा मानेंगे।
3. यदि हमारी शरीअत में इसके सच्चा अथवा झूठा होने के संबंध कोई सूचना उपलब्ध न हो तो हम चुप्पी साध लेंगे।

मसाइल:

पहला: अल्लाह तआला पर तवक्कुल व भरोसा करना धार्मिक कर्तव्य है (क्योंकि अल्लाह तआला ने ईमान का आधार इसी को क़रार दिया है)।

दूसरा: तवक्कुल करना ईमान की शर्तों में से है।

तीसरा: सूरा अंफाल की आयत (﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾) की तफ़्सीर।

चौथा: सूरा अंफाल की आयत के अंतमि वाक्य (﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ﴾)की तफ़्सीर।

पाँचवां: सूरा तलाक़ (﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ﴾) की आयत की तफ़्सीर।

छठा: इससे इस वाक्य की महानता एवं महत्पूर्ण होने का आभास होता है कि अल्लाह के दो ख़लीलों (मित्रों) इब्राहीम अलैहिस्सलाम तथा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने घोर कष्ट एवं त्रासदी के समय यह कलमा (वाक्य) पढ़ा था (इस अध्याय से जो प्रमाणित होता है वह यह हैं: ईमान में बढ़ोतरी, आपत्ति एवं कष्ट के समय इंसान को माध्यम एवं सबब अपनाते हुये अल्लाह पर ही तवक्कुल व भरोसा करना चाहिये, और यह भी कि अल्लाह तआला पर ईमान लाने के साथ-साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण करना भी बंदों के लिये अल्लाह के काफी व पर्याप्त होने का कारण है)।

३४- अल्लाह तआला के फरमान ﴿أَفَأَمِنُواْ مَكۡرَ ٱللَّهِۚ فَلَا يَأۡمَنُ مَكۡرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ﴾ (क्या ये लोग अल्लाह के उपाय से निर्भय हो गये हैं, अल्लाह के दाव से वही लोग निर्भीक होते हैं जो घाटा उठाने वाले हों) का अध्याय

- **यह अध्याय आधारित है:** अल्लाह के दाव से निर्भय हो जाने तथा अल्लाह की रह़मत से निराश हो जाने का बयान पर, ये दोनों एक-दूजे के विलोम हैं, लेखक महोदय की इच्छा यह बयान करना है कि मुसलमान को चाहिये कि वह आशा तथा भय के बीच रहे,
- आयत से चयनित लाभः

  1. अल्लाह की ओर से आने वाली अनुग्रहों पर बंदे को डरते रहना चाहिये कि यह कहीं ढ़ील न हो।
  2. स्वयं को अल्लाह की तदबीर एवं उपाय सुरक्षित समझना ह़राम एवं वर्जित है।

दूसरी दलीलः

अल्लाह तआला का फरमान हैः ﴿قَالَ وَمَن يَقۡنَطُ مِن رَّحۡمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ﴾ (और गुमराह एवं दिगभ्रमित लोग ही अल्लाह की रहमत से निराश होते हैं)।

- आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह की रह़मत (कृपा) से वही निराश होता है जिसे हिदायत (मार्गदर्शन) न मिली हो और यूँ भटक रहा हो कि जिसे मालूम ही न हो कि अल्लाह के लिये क्या वाजिब है, जब्कि अल्लाह तआला अति निकट है, और अल्लाह की रह़मत से निराश होना जायज़ नहीं है क्योंकि यह अल्लाह से बुरा गुमान रखना है, क्योंकिः

  1. यह अल्लाह तआला की क़ुदरत (सामर्थ्य) में ताना देना है, क्योंकि जिसको यह ज्ञात हो जाये कि अल्लाह तआला हरेक चीज़ करने पर क़ादिर एवं समर्थ है तो वह कोई भी कार्य अल्लाह के लिये असंभव नहीं समझेगा।
  2. यह अल्लाह तआला की रह़मत (कृपा, दयालुता) में ताना देना है, क्योंकि जो यह जान ले कि अल्लाह तआला रह़ीम (कृपालु, दयालु) है वह इसको कदापि असंभ नहीं समझेगा कि अल्लाह तआला उस पर रह़म ना करे।

तीसरी और चौथी दलीलः

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कबीरा गुनाह (महापाप) के विषय में पूछा गया (कि वो क्या-क्या है)? तो आपने फरमायाः «الشِّرْكُ بِالله،»

«وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ الله، وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ الله» **"अल्लाह तआला के साथ शिर्क करना, अल्लाह की रहमत (कृपा) से निराश हो जाना तथा अल्लाह के तदबीर एवं दाव से निर्भय हो जाना"।**

४- अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया: «أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بِالله، وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ الله، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ الله، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ الله» **"सबसे बड़े गुनाह (महापाप) ये हैं: किसी को अल्लाह के समतुल्य करार देना, अल्लाह के उपाय एवं दाव से स्वयं को सुरक्षित समझना तथा अल्लाह के दया से निराश हो जाना"।** इस हदीस़ को अबदुर्रज़्ज़ाक़ ने रिवायत किया है।

- «الشِّرْكُ بِالله»: इससे अभिप्राय शिर्क -ए- अकबर तथा शिर्क -ए- अस़ग़र दोनों हैं, और शिर्क -ए- अस़ग़र भी कबीरा गुनाहों से बड़ा एवं अधिक संगीन है।
- «وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ الله»: नेमत मिलने के बाद भी अल्लाह के आदेशों की अवहेलना करता रहे।
- «وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ الله»: अल्लाह के रहम व कृपा तथा वांछित चीज़ों की प्राप्ति को असंभ समझे।
- «وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ الله»: मकरूह एवं अवांछनीय चीज़ों के दूर होने को असंभव समझे।

सारांश:

अल्लाह तआला की पथ पर चलने वाले पथिक को दो ही चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो उसे अपने रब से रोकते हैं, वो हैं: अल्लाह के उपाय एवं दाव से निर्भय हो जाना तथा अल्लाह की रहमत व कृपा से निराश हो जाना, जब उसको कोई कष्ट पहुँचता है या कोई वांछनीय चीज़ नहीं मिल पाती है और यदि उसका रब इसका निवारण नहीं कर देता तो उसके ऊपर निराशा एवं मायूसी छा जाती है, वह दु:ख दूर होने को असंभव समझने लगता है और उसे दूर करने वाले माध्यमों को अपनाने का प्रयास नहीं करता, और जहाँ तक बात है अल्लाह के उपाय से निर्भय हो जाने की तो हम देखते हैं कि मानव अनुग्रहों (नेमत) की बहुलता के बावजूद पापों में आकंठ डूबा रहता है और इसी कल्पना में आसक्त रहता है कि चूँकि वह सत्य का पालना कर रहा है इसी कारणवश उसे ये नेमतें मिल रही हैं, ऐसी स्थिति में कोई संशय बाक़ी नहीं रहता कि यह अल्लाह तआला की ओर से इस्तिदराज (ढ़ील देना) है।

मसाईल:

पहला: सूरा आराफ के आयत (﴿ أَفَأَمِنُوا۟ مَكْرَ ٱللَّهِ ﴾) की तफ़्सीर।

दूसरा: सूरा हिज्र के आयत (﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ﴾) की तफ़्सीर।

तीसरा: अल्लाह के उपाय एवं तदबीर से निर्भीक हो जाने पर कड़ी चेतावनी है (कि वह कबीरा गुनाह है)।

चौथा: अल्लाह की दया से निराश हो जाने पर भी कड़ी धमकी व चेतावनी है।

३५- अल्लाह के लिखे हुये तक़दीर पर संतोष करना ईमान का अंश है

सब्र के तीन भेद हैं:

- नेक कामों (सदकर्मों) पर सब्र करना यहाँ तक कि अदा कर दिया जाये, यह अल्लाह के आदेशों का पालन करना है, जैसे नमाज़ व रोज़ा।
- गुनाह के कामों (कुकर्म) ना करने पर सब्र करना, यहाँ तक कि बच जाये, जैसे शिर्क तथा अन्य हराम व वर्जित कार्यों से बचना।
- भाग्य में लिखे हुये दु:खों पर सब्र व धैर्य रखना: जैसे मृत्यु निकट देख कर उस पर सब्र करना।

नेक कामों का सर्वप्रथम उल्लेख इसलिये किया गया है कि अवश्यंभावी है तथा इसका संबंध करने से है, तत्पश्चात गुनाह के कामों से सब्र का उल्लेख किया है क्योंकि इसका संबंध न करने से है, जहाँ तक तक़दीर पर सब्र करने का प्रश्न है तो यह बंदा के बस से बाहर की चीज़ है, यह अलग बात है कि जिस (व्यक्ति) से यह संबंधित होती है उस आधार पर कभी-कभी किसी के लिये गुनाह के कामों से सब्र करना नेक कामों पर सब्र करने की तुलना में अधिक दुष्कर होता है।

पीड़ा एवं त्रासदी के समय लोगों के प्रकार:

- शुक्र अदा करने वाले (यह सर्वोत्तम दर्जा है): ऐसे लोगों का मानना होता है कि यह कष्ट उनके गुनाहों का निवारण तथा ईमान एवं नेकियों में बढ़ोतरी का कारण है, और इसके सिवा भी बड़-बड़े दु:ख हैं (जिससे वह सुरक्षित है)।
- राज़ी व सहमत होने वाले (यह मुस्तहब - उचित- है): अपने रब व प्रभु से पूर्णरूपेण राज़ी व संतुष्ट रहने के कारण, ऐसे लोगों के निकट नेमत तथा कष्ट समान होते हैं, इसके प्रति उसका दृष्टिकोण यह होता है कि यह उसके रब का निर्णय है जिसे अंगिकार किया जाना चाहिये।
- सब्र करने वाले: (उलेमा का इज्मा (एकमत) है कि यह वाजिब है): दिल, ज़ुबान तथा शारीरिक अंगों द्वारा, यद्यपि यह उसके कठिन एवं अप्रिय अवश्य होता है तथापि वह सब्र एवं धैर्य से काम लेता है।
- नाराज़ एवं क्रोधित होने वाले (यह कबीरा गुनाह है और कभी-कभी कुफ्र तक पहुँचा देता है): दिल से (रुष्ट व नाराज़ होते हैं) ज़ुबान से (बकवास तथा विनाश एवं बर्बादी की प्रार्थना करते हैं) तथा शारीरिक अंगों से (मुँह पीटते, गिरेबान फाड़ना तथा बाल नोचते हैं)।

पहली दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ﴾ (जो अल्लाह पर ईमान लायेगा वह उसके दिल को हिदायत व मार्गदर्शन देगा), अलक़मा रहिमहुल्लाह कहते हैं: قَالَ عَلْقَمَةُ: (هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْـمُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ؛ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ) "इससे अभिप्राय ऐसा व्यक्ति है जिसे विपदा पहुँचे तो यह समझे कि यह अल्लाह की ओर से है, चुनाँचे वह उस पर प्रसन्न होता है तथा सहृदय उसे स्वीकार करता है"।

- ﴿يَهْدِ قَلْبَهُۥ﴾: अल्लाह तआला उसे संतोष एवं संतुष्टि देता है, और जब दिल को हिदायत व मार्गदर्शन मिल जाये तो शारीरिक अंगों को भी हिदायत मिल जाती है।

दूसरी दलील:

सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत हैकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْـمَيِّتِ» "**लोगों में दो बाते कुफ्र (अधर्म) की हैं: जाति में व्यंग करना तथा मरे हुये पर विलाप करना**"।

- «الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ»: वंश एवं जात-पात में लांछन लगाना अथवा उसका इंकार करना, यह काफिराना अमल है।
- «وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْـمَيِّتِ»: इसी वाक्य का असल संबंध इस अध्याय से है, अतः रुदन-क्रंदन एवं विलाप करना नाराज़गी एवं अप्रसन्नता की दलील है।

तीसरी दलील:

सही बुख़ारी व सही मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफूअन वर्णित है कि: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْـخُدُودَ، وَشَقَّ الْـجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْـجَاهِلِيَّةِ» "**वह हम में से नहीं जो (दु:ख एवं कष्ट के समय) गाल पीटे, कपड़े फाड़े तथा जाहिलीयत एवं मुर्खता की बातें करे**"।

चौथी दलील:

अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْـخَيْرَ؛ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ؛ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» **"अल्लाह तआला जब अपने किसी बंदा के साथ भलाई करना चाहता है तो उसके पापों का दंड उसे शीघ्र ही इसी संसार में दे देता है, और जब अपने किसी बंदे के साथ बुराई का इरादा करता है तो उसके पाप के दंड को रोक लेता है ताकि क़्यामत के दिन उसका पूरा-पूरा दंड देगा"।**

- «بِدَعْوَى الْـجَاهِلِيَّةِ»: हरेक वह चीज़ जिसका सिरा जाहिलीयत वाले युग से जा मिलता हो, जैसे घरों को ध्वस्त करना, बर्तनों को पटकना, खाना बर्बाद कर देना, या इस प्रकार के कृत्य करना, जैसाकि कुछ लोग विपत्ति के समय करते हैं।
- «إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ»: स्वयं बुराई मात्र कदापि अल्लाह तआला का इरादा नहीं होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारणः «وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ» **"बुराई तेरी ओर से नहीं है"**, अल्लाह तआला किसी हिकमत (तत्वदर्शिता) के अंतर्गत इस (बुराई) का इरादा फरमाता है, ऐसी स्थिति में किसी हिकमत पर आधारित होने के कारण वह बुराई भी दूसरे अर्थों में भलाई ही होती है।
- हदीस़ का उद्देश्य पीड़ित एवं दुःखी को तसल्ली एवं सांत्वना देना है ताकि वह व्याकुलता एवं अधीरता का प्रदर्शन न करे, क्योंकि संभव है कि यह कष्ट उसके लिये भलाई का माध्यम हो, और ज्ञात रहे कि किसी भी स्थिति में आख़िरत के अज़ाब की तुलना में दुनिया का अज़ाब हल्का है, अतः उसे चाहिये कि अल्लाह की प्रशंसा व सराहना करे कि उसने इस दंड को आख़िरत के लिये बचा कर नहीं रखा अपितु दुनिया ही में उसे दंड मिल गया।

पाँचवीं दलील:

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «إِنَّ عِظَمَ الْـجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ؛ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ» **"बड़ी प्रताड़ना का बदला भी बड़ा होता है, अल्लाह तआला जब किसी समुदाय से प्रेम करता है तो उसकी परीक्षा लेता है, और जो इस पर प्रसन्न हो अल्लाह तआला उससे प्रसन्न हो जाता है और जो इस पर अप्रसन्न हो उससे अल्लाह अप्रसन्न हो जाता है"।**

- हदीस़ से चयनित कुछ फायदे:

1. परीक्षा जितनी कठिन होगी और इंसान उस पर सब्र करे तो उसका प्रतिफल भी उतना ही विशाल होगा।
2. अल्लाह तआला जब किसी समुदाय से प्रेम करता है तो उसे शरई एवं ब्रह्मांडीय रूप में लिखी हुई तक़दीर के द्वारा जाँचता एवं आज़माता है।
3. अल्लाह तआला के लिये, "मोहब्बत", "सख़्त (अप्रसन्नता)" तथा "रज़ा (प्रसन्नता)" जैसे गुणों को साबित करना, बिना समानता एवं कैफियत बयान किये हुये।

मसाइल:

पहला: सूरा तग़ाबुन की आयत (﴿وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ﴾) की तफ़्सीर।

दूसरा: (अल्लाह तआला के निर्णय अर्थात भाग में लिखे हुये पर सब्र एवं संतोष करना भी) अल्लाह तआला पर ईमान रखने का एक हिस्सा है।

तीसरा: किसी के वंश या जात-पात पर व्यंग कसना (उसमें कीड़ा निकालना अथवा उसको नकारना कुफ्र -ए-अस़ग़र है)।

चौथा: गाल पीटना, गिरेबान फाड़ना तथा जाहिलीयत एवं मुर्खता के बोल बोलने वाले के लिये कड़ी चेतावनी है (क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ऐसा करने वालों से बराअत एवं अलगाव ज़ाहिर किया है)।

पाँचवाँ: अल्लाह तआला अपने बंदे से भलाई चाहता है इसकी क्या निशानी है (कि अल्लाह तआला ऐसे बंदों को संसार ही में दंड दे देता है)।

छठा: और जिसके साथ बुराई चाहता है उसका चिन्ह क्या है (कि अल्लाह तआला ऐसे बंदों के दंड को आख़िरत एवं परलोक के लिये बचा कर रख लेता है)।

सातवाँ: जिस बंदे से अल्लाह तआला प्रेम करता है उसकी निशानी (अर्थात: उसकी परीक्षा लेता है)।

आठवाँ: अल्लाह तआला के निर्णय एवं भाग्य पर अप्रसन्नता प्रकट करना ह़राम एवं निषेध है (अर्थात: उन चीज़ों पर जिनके द्वारा बंदों की परीक्षा होती है)।

नौवाँ: जाँच एवं विपदा पर प्रसन्न रहने का सवाब व प्रतिकार (अर्थात: अल्लाह तआला ऐसे बंदों से प्रसन्न हो जाता है)।

३६- रियाकारी (पाखण्ड) की निंदा

एक से तीन तक दलीलें:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ﴾ الآيَةَ. (आप कह दीजिये कि मैं तुम्हारे समान एक इंसान हूँ, (अलबत्ता) मेरी ओर वह्य (प्रकाशना) की जाती है कि तुम सबका माबूद व पूज्य एक ही माबूद है)।

२- और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन वर्णित है कि: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ» **"अल्लाह तआला फरमाता है: मैं सभी साझियों से बढ़ कर शिर्क से बेनियाज़ (निःस्पृह) हूँ, जो कोई ऐसा कर्म करे जिसमें वह मेरे साथ किसी और को भी साझी बनाये तो मैं उसे और उसके शिर्क दोनों को छोड़ देता हूँ"।** इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

३- तथा अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन वर्णित है कि: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «الشِّرْكُ الْخَفِيُّ؛ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ؛ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ» **"क्या मैं तुम्हें वह बात न बताऊँ जिसका भय मुझे तुम पर काने दज्जाल से भी अधिक है? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा: क्यों नहीं हे अल्लाह के रसूल अवश्य बतायें, आपने फरमाया: शिर्क -ए- ख़फी (छिप्त), (वह इस प्रकार कि) कोई व्यक्ति नमाज़ के लिये खड़ा हो तथा ख़ूब अच्छे ढ़ंग से इसलिये नमाज़ पढ़े कि कोई उसे देख रहा है"।** इसे अहमद ने रिवायत किया है।

- ﴿قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ﴾: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इस बात का आदेश दिया गया है कि वह लोगों को बतायें कि वह एक इंसान हैं, तथा आपके इंसान होने की और अधिक ताकीद इस वाक्य के द्वारा की है: ﴿مِّثْلُكُمْ﴾ (तुम्हारे समान – ही मानव जाति से संबंध रखता हूँ-), हाँ अंतर यह है कि उनकी ओर वह्य (प्रकाशना) की जाती है, अतः उनका आज्ञापालन आवश्यक है, लेकिन उनकी इबादत करना ह़राम है।
- ﴿لِقَآءَ رَبِّهِۦ﴾: प्रसन्नता तथा नेमत (अनुग्रह) आधारित भेंट केवल मोमिनों के लिये आरक्षित है, और इसी में आख़िरत (परलोक) में अल्लाह का दीदार भी सम्मिलित है।
- ﴿عَمَلًا صَٰلِحًا﴾: ख़ालिस़ व दुरुस्त (इख़लास़, निश्छलता) एवं अनुसरण)।
- «أَنَا أَغْنَى»: इसके दो अर्थ हैं:

1. ऐसा अमल (कर्म) बातिल एवं बेकार है जिसमें रिया (पाखंड, दिखावा) समाहित हो, और रियाकारी करना हराम है।

2. अल्लाह तआला की बेनियाज़ी (निःस्पृहता) एवं उसके अधिकार के महत्व का बयान, और किसी के लिये भी जायज़ नहीं है कि वह अल्लाह के साथ किसी और को साझी बनाये।

- «الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ»: उसकी दाहिनी आँख ममसूह अर्थात पोंछी एवं धंसी हुई होगी।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी उम्मत पर काने दज्जाल से भी अधिक रियाकारी (पाखण्ड) का भय क्यों खाते थे?

1. क्योंकि दज्जाल का फ़ित्ना स्पष्ट होगा जब्कि रियाकारी का फ़ित्ना छिप्र होता है, और स्वयं को रियाकारी से बचाना बड़ा कठिन है।

2. क्योंकि दज्जाल का फ़ित्ना अंतिम युग में सीमित है जब्कि रियाकारी का फ़ित्ना हरेक स्थान तथा हरेक समय विद्यमान है।

शिर्क के दो भेद हैं:

1. ख़फी (छिप्र): जिसका संबंध हृदय से हो जैसे रियाकारी, और इसको शिर्क अल-सराइर (छिप्र शिर्क) भी कहा जाता है।

2. जली (स्पष्ट): जिसका संबंध वाणी एवं वक्तव्य से हो जैसे, ग़ैरुल्लाह की सौगंध लेना, अथवा कर्म से हो जैसे अल्लाह के अतिरिक्त किसी और के आगे झुकना व शीश नवाना।

रिया कहते हैं: कोई कर्म इसलिये करना कि लोग उसे देखें अथवा सुनें, यह मुनाफ़िक़ों का स्वाभाव था।

इबादत समाप्ति के पश्चात हो: इसका इबादत पर कुछ भी प्रभावी नहीं पड़ता है सिवाय इसके कि इसमें विद्रोह विद्यमान हो, जैसे सदक़ा (दान) देने के पश्चात दुःख देना एवं उपकार दिखाना।

क्षणिक एवं सामयिक हो: इसमें तफ़्सील एवं विस्तार है:

मूल इबादत में हो: यह इबादत को बातिल एवं बर्बाद कर देता है।

उसी में लगा रहे: इसमें तफ़्सील एवं विस्तार है:

इसका भुक्तभोगी इसको दूर करने का प्रयास करे: ऐसा करना उसपर वाजिब है और उसकी इबादत व उपासना सही है।

इबादत का प्रारंभ उसके अंत से अलग हो: जैसे ज़कात, ऐसी स्थिति में केवल वह भाग बातिल व बेकार होगा जिसमें रियाकारी समाहित हो।

इबादत के प्रारंभ का संबंध अंत से हो: जैसे नमाज़, ऐसी स्थिति में पूरी इबादत बातिल व बेकार होगी।

रियाकारी (पाखण्ड) का इलाज व उपचार क्या है?

1- तौहीद सीख कर एवं उसको अंगीकार करके अल्लाह का आदर करना, क्योंकि इंसान यदि पूर्णरूपेण अल्लाह की ताज़ीम व आदर करने लगे तो फिर वह किसी अन्य की परवाह नहीं करेगा।

2- रियाकारी में पड़ जाने के डर से अमल (सदकर्म) करना नहीं छोड़ना चाहिये, क्योंकि शैतान या तो आपको रियाकारी व दिखावा कराने का प्रयास करेगा अथवा अल्लाह के सिवाय अन्य से भयभीत कराने का प्रयास करेगा।

3- दुआ व प्रार्थना करना।

4- रियाकारी में पड़ जाने के डर से अपने अमल को छिप्र व गुप्त रूप में अंजाम देना।

5- शरीअत के निर्देशानुसार क़ब्रिस्तानों कि ज़ियारत व दर्शन करना, क्योंकि यह आख़िरत (परलोक) का स्मरण कराता है, और रियाकारी का संबंध सांसारिक मोहमाया से है।

मसाईल:

पहला: सूरा कहफ़ की आयत (﴿قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ﴾) की तफ़्सीर।

दूसरा: नेक अमल (सदकर्म) में यदि थोड़ा सा भी ग़ैरुल्लाह का अंश मिल जाये तो वह व्यर्थ एंव अस्वीकार्य है।

तीसरा: किसी सदकर्म में यदि ग़ैरुल्लाह को सम्मिलित कर लिया जाये तो उसके व्यर्थ होने का मूल कारण यह है कि अल्लाह इससे अत्यंत निःस्पृह (बेनियाज़) है।

चौथा: इस प्रकार के कृत्य के व्यर्थ होने के कारणों में से एक कारण यह भी है कि अल्लाह तआला अपने साझी बनाये जाने वालों में से सर्वोच्च एवं महान है।

पाँचवां: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपने सहाबा (सहचरों) रज़ियल्लाहु अन्हुम के विषय में रियाकारी व पाखण्ड का भय था (तो उनके बाद के लोगों पर यह भय और अधिक बढ़ जाता है)।

छठा: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रियाकारी को इस प्रकार परिभाषित किया कि कोई व्यक्ति नमाज़ जैसे कर्म को अल्लाह के लिये अदा करता हो किंतु उसको उत्तम ढ़ंग से शोभनीय बनाकर इसलिये पढ़ता है कि कोई उसे देख रहा है (इसी प्रकार वाणी एवं वक्तव्य में भी दिखावा करना भी रियाकारी है)।

३७- इंसान का अपने कर्म से सांसारिक लाभ चाहना शिर्क है

- यह अध्याय उन लोगों के लिये है जो अपनी इबादत व उपासना पर किसी की सराहना नहीं चाहते, पाखण्ड नही करते, बल्कि वह पूरी श्रद्धा एवं निश्छल भाव से केवल अल्लाह की ही उपासना करते हैं, किंतु इस उपासना के बदले में सांसारिक लाभ चाहते हैं, जैसे धन-दौलत, पद व उच्च श्रेणी, स्वास्थ्य आदि, तो ऐसा व्यक्ति परलोक के सवाब एवं पुण्य को भुलाकर मात्र सांसारिक लाभ कमाने के लिये इबादत कर रहा है।
- इसमें कोई हर्ज नहीं कि इंसान नमाज़ में दुआ करे तथा अल्लाह तआला से धन-दौलत मांगे, किंतु इसी उद्देश्य से नमाज़ न पढ़े, यह बड़ी घटिया बात है कि आख़िरत में लाभांवित करने वाले कर्मों के द्वारा इंसान सांसारिक क्षणिक लाभ मांगे।
- **चेतावनी:** कुछ लोग जब इबादत व उपासना के विषय में कोई बात करते हैं तो इसे सांसारिक लाभ से जोड़ देते हैं, जब्कि होना तो यह चाहिये कि हम सांसारिक लाभ को ही मूल न मान लें।
- यह मामला रियाकारी के मामला से अधिक संगीन है, क्योंकि संभव है कि रिया केवल एक नमाज़ में हो, जब्कि आख़िरत(परलोक) वाले कर्म के द्वारा सांसारिक लाभ चाहना एक ऐसा खतरा है जो सभी इबादतों पर मंडराता रहता है।

इस अध्याय के आधार पर लोग पाँच प्रकार के होते हैं:

सांसारिक कर्म के द्वारा सांसारिक लाभ चाहना:	जायज़ है, जैसे कोई घर ख़रीदने के उद्देश्य से व्यापार करे।
सांसारिक कर्म के द्वारा आख़िरत में लाभ चाहना:	यह मुस्तहब है, जैसे कोई इसलिये खेती करे कि इसको सदका (दान) करेगा।
आख़िरत वाले कर्म के द्वारा आख़िरत चाहना:	यह सर्वोत्तम है तथा ऐसे व्यक्ति के लिये ख़ुशख़बरी है।
आख़िरत वाले कर्म के द्वारा आख़िरत एवं दुनिया दोनों चाहना:	इस शर्त के साथ जायज़ है कि आख़िरत वाले पहलू को प्राथमिकता दे ﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ حَسَنَةً﴾ (हे हमारे रब, हमें इस लोक में नेकी दे तथा परलोक में भी भलाई दे)।
आख़िरत वाले अमल के ज़रिये दुनियावी फायदा चाहना:	यह शिर्क -ए- असग़र है, जैसे धन अर्जित करने के लिये नमाज़ पढ़ना।

- **कैसे पहचाना जायेगा कि उद्देश्य आख़िरत कमाना है अथवा सांसारिक लाभ?** «إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ» (यदि उसको दिया जाये तो प्रसन्न रहता है और यदि नहीं दिया जाये तो अप्रसन्न हो जाता है)।
- टिप्पणीः कुछ लोग परीक्षा के समय अत्याधिक आस्था के साथ इबादत करते हैं, परंतु जब परीक्षाफल घोषित हो जाता है तो इबदत करना छोड़ देते हैं।

पहली दलील:

अल्लाह तआला का फरमान हैः ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيۡهِمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ فِيهَا﴾ الآيَتَيْنِ. (जो सांसारिक जीवन तथा उसकी शोभा चाहते हैं हम उसके कर्मों का फल संसार में ही दे देतें है)।

इसको सूरह इसरा (बनी इस्राईल) की आयत से ख़ास एवं सीमित कर दिया गया है ﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡعَاجِلَةَ عَجَّلۡنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلۡنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصۡلَىٰهَا مَذۡمُومٗا مَّدۡحُورٗا﴾ (जिसका इरादा केवल इस जल्दी वाली दुनिया की ही हो, उसे यहाँ हम जितना और जिसके लिये चाहें दे देते हैं, और अंततोगत्वा उसके लिये हम जहन्नम निर्धारित कर देते हैं जहाँ वह दुर्दशा में दुत्कारा हुआ प्रवेश करेगा), अतः मामला अल्लाह तआला की मंशा के अंतर्गत है कि वह किसे और कितना देगा।

दूसरी दलील:

सहीह (बुख़ारी) में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ» **“दीनार के भक्त का नाश हो, दिरहम के भक्त का नाश हो, और चादर तथा कम्बल का नाश हो, यदि उसे दिया गया तो प्रसन्न और नहीं दिया गया तो खिन्न हो जाता है, वह नाश तथा औंधा हो जाये, और यदि उसे काँटा चुभे तो न निकाला जा सके, और धन्य है वह बंदा जो अल्लाह के मार्ग में अपने घोड़े की लगाम थामे हुवा है, बाल बिखरे हुये पाँव पर धूल, यदि वह पहरे पर है तो उसी में लगा हुआ है, यदि सेना के पिछले भाग में है तो उसी में है, यदि अनुमति माँगे तो न मिले, और यदि सिफारिश करे तो अस्वीकार हो जाये”।**

- «تَعِسَ»: नुकसान व घाटा उठाने वाला। «عَبْدُ الدِّينَارِ»: नक़दी सोना, उसको दीनार का भक्त इसलिये कहा गया है कि उससे उसका संबंध वैसे ही होता है जैसे बंदे व भक्त का अपने रब व प्रभु से होता है, उसका एकमात्र उद्देश्य केवल रूपया पैसा कमाना ही होता है और इसको अपने रब की बंदगी करने पर भी प्राथमिकता देता है।
- «الدِّرْهَم»: नक़दी चाँदी।
- «عَبْدُ الْـخَمِيصَةِ»:, «عَبْدُ الْـخَمِيلَةِ»: जो बाहरी चीज़ों एवं साज-सज्जा के सामान की फिक्र में लगा रहता है।
- «إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ»: उसका प्रसन्न एवं अप्रसन्न होना केवल धन मात्र के लिये होता है, इसी लिये उसे इसका भक्त कहा गया है।
- «وَانْتَكَسَ»: उसकी चाहत के विपरीत मामला उलट जाता है इस अर्थ में कि वह जो करना चाहता है वह कर नहीं पाता है।
- «وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ»: जब उसे कोई काँटा चुभ जाये तो वह उसे निकालने की भी शक्ति नहीं रखता है।
- ये तीनों वाक्य या तो केवल सूचना भर हैं या फिर उसके ऊपर बद्दुआ हैं।
- «طُوبَى»: अरबी भाषा का शब्द "तूबा" एक व्यक्ति की जो संभावित सर्वोत्तम स्थिति हो सकती है उसको बताने के लिये प्रयोग किया जाता है, यह भी कहा गया है कि यह जन्नत में एक पेड़ का नाम है, किंतु पहला अर्थ अधिक उपयुक्त एवं आम है।
- «فِي سَبِيلِ الله»: इसका नियम यह है कि युद्ध केवल अल्लाह तआला के कलमा (दीन) को बुलंद करने के लिये करे ना कि स्वाभिमान एवं पक्षपात लेने के लिये।
- «أَشْعَثَ رَأْسُهُ»: अल्लाह तआला के रास्ते में पड़ने वाले धूल के कारण, अल्लाह के आज्ञापालन के मार्ग में अपने शरीर पर पड़ने वाले धूल से अपने शरीर की सफाई सुथराई का ध्यान नहीं रखता, उसके पाँव अल्लाह के रास्ते में निकलने के कारण धूल-धूसरित हो जाते हैं, और ज्ञात रहे कि बिना किसी बनावट के यदि बंदे के शरीर पर अल्लाह की इबादत का प्रभाव प्रकट हो तो बंदा को उसके कारण अज्र व बदला दिया जायेगा, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "**रोज़ेदार के मुँह की दुर्गंध**"।
- «السَّاقَة»:(सेना की अंतिम पंक्ति में होता है) हदीस़ के इस वाक्य के दो संभावित भावार्थ हैं:

  1- वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसे कहाँ रखा जा रहा है, वह सर्वोच्च पद के लिये लालायित नहीं रहता, उदाहरणस्वरूप वह यह नहीं कहता कि मुझे सबसे अगली पंक्ति में स्थान दो।

  2- यदि वह पहरेदारी में होता है तो अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे ढ़ंग से करता है, इसी प्रकार यदि सेना के अंतिम पंक्ति में रहे तो वहाँ भी अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे ढ़ंग से करता है।

- «إِنِ اسْتَأْذَنَ»: लोगों के समीप उसकी कोई कद्र, आदर-सम्मान, सत्कार नहीं होता, किंतु अल्लाह के समीप (उसका अपना एक विशिष्ट स्थान) होता है।
- इस हदीस़ का भावार्थ यह है कि कुछ लोग दुनिया के उपासक होते हैं, उसी के लिये प्रसन्न तथा अप्रसन्न होते हैं, और हदीस़ ने लोगों को निम्नांकित श्रेणियों में विभाजित कर दिया है:

  1. जिसका एकमात्र उद्देश्य दुनिया कमाना होता है कि धन संचय करके अपनी स्थिति सुधारे, उसका दिल इसी संसार का भक्त हो जाता है जो उसके अल्लाह का स्मरण व ज़िक्र करने संज्ञाहीन एवं ग़ाफिल कर देती है, और अब होता यह है कि मामला उसके ऊपर उलट जाता है, और वह छोटे से छोटे कष्ट से छुटकारा पाने का सामर्थ्य अपने अंदर नहीं पाता।
  2. उसका मूल उद्देश्य आख़िरत व परलोक होता है, वह उसके लिये बड़ी से बड़ी कठिनाईयां अर्थात अल्लाह के मार्ग में युद्ध लड़ने जैसे कठिन कार्य करता है, इस सब के बावजूद अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन भी अच्छे ढ़ंग से करता है, और चूँकि उसका उद्देश्य लोगों को लाभांवित करना होता है, अतः लोगों की सिफारिश भी करता है।

मसाइल:

पहला: इंसान का आख़िरत वाले कर्म के बदले दुनिया कमाने की चाहत करना (निंदनीय है)।

दूसरा: सूरा हूद के आयत (﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴾) की तफ़्सीर।

तीसरा: (सांसारिक सुख-सुविधा के लिये लालायित रहने वाले) मुसलमान को (عَبْدَ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْـخَمِيصَةِ) (दिरहम व दीनार का भक्त कहा गया है।

चौथा: दिरहम, दीनार, चादर एवं कपड़े के भक्त को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि यदि उसे दिया जाये तो प्रसन्न हो जाता है अन्यथा अप्रसन्न।

पाँचवां: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फरमान «تَعِسَ وَانْتَكَسَ» का भाष्य एवं व्याख्या (संभव है कि यह सूचना मात्र हो तथा यह भी संभव है कि यह आप की ओर बद्दुआ एवं शाप हो)।

छठा: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फरमान «وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ» का भाष्य एवं व्याख्या (संभव है कि यह सूचना मात्र हो तथा यह भी संभव है कि यह आप की ओर बद्दुआ एवं शाप हो)।

सातवाँ: हदीस़ में वर्णित गुणों से सुसज्जित मुजाहिदों की प्रशंसा (वास्तव में यही लोग प्रशंसनीय हैं न कि दिरहम, दीनार, कपड़ा तथा सांसारिक पदों की चाहत रखने वाले)।

३८- अल्लाह के हराम किये हुये को हलाल तथा हलाल किये हुये को हराम करने में जिसने विद्वानों एवं प्रशासकों का आज्ञापालन किया उसने अल्लाह को छोड़ कर उसे अपना रब बना लिया

अल्लाह तआला की अवज्ञा में उलेमा या शासक के आज्ञापालन की परिस्थिति:

अज्ञानतावश यह समझते हुये उसका अनुसरण करे कि यही अल्लाह का आदेश है, तो इसमें तफ्सील एवं विस्तार है:

१- उसके लिये स्वयं हक़ व सत्य को जानना सरल हो, ऐसी स्थिति में वह कोताही करने वाला माना जायेगा और गुनाहगार होगा।

२- न तो वह ज्ञानी हो और न ही उसके लिये सीखना व ज्ञान अर्जित करना संभव हो, और वह उसकी तक़लीद (अनुकरण) यह समझते हुये कर रहा हो कि यही हक़ है, तो उस पर कोई हर्ज नहीं, वह विवश एवं असमर्थ माना जायेगा।

कुफ्र -ए- असग़र व बड़ा विध्वंसक एवं संगीन है, और संभव है कि ऐसा करने वाला कुफ्र -ए- अकबर में पड़ जाये:

अल्लाह तआला के आदेश से सहमत होते हुये और यह जानते हुये कि अल्लाह का आदेश ही बंदों तथा देशों के सबसे उचित व मुनासिब है, किंतु वह उनकी बात अपनी किसी कामना की पूर्ति के लोभ में माने, जैसे इसका उद्देश्य नौकरी हासिल करना हो, और यदि इसके कारण किसी मुस्लिम का हक मारा जाता है तो ज़ालिम (भी) माना जायेगा।

कुफ्र -ए- अकबर है:

उसकी बात से सहमत होते हुये और उसी को प्राथमिकता देते हुये तथा अल्लाह तआला के आदेश से असहमति जताते हुये उसकी बात माने, क्योंकि जिसने भी अल्लाह के उतारे हुये को अप्रिय समझा वह काफिर है, इसी प्रकार से वह भी जो यह समझे कि उनका आदेश अल्लाह के आदेश के समान अथवा उससे भी बेहतर है।

पहली दलील:

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया: «يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ ﷺ، وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ!» "(यदि तुम्हारा यही हाल रहा तो) निकट भविष्य में तुम पर आकाश से पत्थर की वर्षा हो सकती है, मैं कहता हूँ कि: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, और तुम कहते हो: अबू बकर तथा उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने (ऐसा) कहा"।

दूसरी दलील:

और अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह ने फरमया: «عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُوا الإِسْنَادَ وَصِحَّتَهُ؛ يَذْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ، وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، أَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ؟ الْفِتْنَةُ الشِّرْكُ؛ لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْغِ فَيَهْلِكَ» "मुझे उन लोगों पर बड़ा अचरज होता है जो हदीस़ की सनद तथा उसके सही होने का ज्ञान होने के बाद भी सुफयान रहिमहुल्लाह के विचार को मानते हैं, जब्कि अल्लाह तआला फरमाता है: (जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आदेशों का विरोध करते हैं उन्हें डरना चाहिये कि कहीं उन पर कोई फित्ना या भयंकर आपदा न आ जाये), (और फिर पूछा) जानते हो फित्ना क्या है? इससे अभिप्राय शिर्क है, संभव है कि इंसान जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की किसी बात का उल्लंघन करे तो उसके दिल में टेढ़ापन (वक्रता) आ जाये और अंततोगोत्वा उसका नाश हो जाये"।

- «قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ!»: आदरणीय अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के संबंध में यह प्रमाणित नहीं है कि उन्होंने अपनी राय को क़ुरआन व हदीस़ पर प्राथमिकता दी हो।
- ﴿يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ﴾: अर्थात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आदेश से बेपरवाही तथा उस पर ध्यान न देते हुये उससे विमुखता प्रकट करना।

तक़लीद के संबंध में तीन विभिन्न मत हैं:

जायज़ (सबसे प्रबल एवं सर्वोत्तम यही है) आवश्यकता के समय तथा स्वयं किसी मामले का सटीक ज्ञान अर्जित करने में अक्षम होने की स्थिति में, उसे जिसके दीन व ज्ञान पर अधिक भरोसा हो उसकी तक़लीद समस्त मसले में करे, तथा आसानियां न ढूँढ़ता रहे।	बिल्कुल हराम है क्योंकि इसमें उस व्यक्ति की बात को मान लेना है जिसकी बात हुज्जत एवं दलील नहीं है।	तक़लीद वाजिब है क्योंकि चारों प्रसिद्ध इमामों के मृत्यु पश्चात अब इज्तेहाद का दरवाज़ा बंद हो चुका है।

तीसरी दलील:

अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इस आयत का पाठ करते हुये सुना: ﴿ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَـٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ الآيَةَ،

قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ، قَالَ: «**أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّونَهُ؟**»، فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «**فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ**» (उन्होंने अपने पादरियों तथा संतों को अल्लाह तआला के सिवा अपना रब व प्रभु बना लिया), तो वह कहते हैं कि मैंने आप से कहाः हम उनकी पूजा नहीं करते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमयाः "**जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल किया है तुम उनके हराम करने से क्या उसे हराम नहीं मान लेते थे, और जिस चीज़ को अल्लाह तआला ने हराम क़रार दिया है उनके द्वारा उसे हलाल क़रार देने में क्या तुम उनका अनुसरण नहीं करते थे, तो मैंने कहाः हाँ, तो आपने फरमायाः यही तो उनकी पूजा करना है**"। इसे इमाम अहमद तथा तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है तथा इस हदीस़ को हसन (उत्तम) कहा है।

- ﴿أَحْبَارَهُمْ﴾: अत्याधिक ज्ञान रखने वाला प्रकांड विद्वान।
- ﴿وَرُهْبَانَهُمْ﴾: तपस्वी एवं साधक तथा इबादतगुज़ार।
- «إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ»: अर्थातः हम उनके लिये रुकू व सज्दा तथा ज़ब्ह (बलि) एवं मन्नत नहीं मांगते थे, किंतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें समझाया कि यहाँ इबादत व साधना से अभिप्राय उनका आज्ञापालन करना है, अर्थात यह सीमित रूप में उसकी साधना करना है।

मसाइलः

पहलाः सूरा नूर की आयत ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ की तफ़्सीर।

दूसराः सूरा बराअत की आयत ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا﴾ की तफ़्सीर।

तीसराः इबादत (वंदना) के उस अर्थ का वर्णन जिसका अदी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इंकार किया था (कि यहाँ इससे अभिप्राय आज्ञापालन करके उनकी इबादत करना है)।

चौथाः अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा तथा इमाम अहमद ने इमाम सुफ़यान स़ौरी रहिमहुल्लाह का नाम पेश करने पर इंकार किया (जिससे पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आदेश के समक्ष किसी की बात स्वीकार्य नहीं)।

पाँचवांः अब तो स्थिति इतनी बदतर हो चुकी कि अधिकतर अवाम के निकट संतों एवं धर्मगुरूओं की वंदना ही उत्तम कर्म समझा जाने लगा तथा इसे विलायत का नाम दिया जाने लगा, इसी प्रकार ज्ञान तथा धर्मबोध के नाम पर बुद्धिजीवियों की भी उपासना होने लगी, फिर स्थिति में यहाँ तक परिवर्तन हुआ कि अल्लाह के सिवाय उन लोगों की भी इबादत होने लगी जो नेक व धर्माचारी नहीं थे, यदि दूसरे अर्थों में कहें तो उनकी भी वंदना होने लगी जो ज्ञानी न होकर निरे मूर्ख थे (अतः हमें डरते रहना चाहिये, और हम भली भांति यह जान लें कि अल्लाह की शरीअत ही ऐसी चीज़ है जिसकी रक्षा करना और उसे अन्य चीज़ों के मिश्रण से बचाना हमारे ऊपर वाजिब है, साथ ही साथ यह भी कि अल्लाह के हराम किये हुय चीज़ों को हलाल करने तथा अल्लाह के हलाल किये हुये चीज़ों को हराम करने में किसी भी स्थिति में किसी की बात स्वीकार्य नहीं है)।

३९- अल्लाह तआला के फरमान ﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦۖ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا﴾ الآيَاتِ (क्या आपने उन्हें नहीं देखा जो यह दावा तो करते हैं कि जो कुछ आप पर और जो कुछ आपसे पहले उतारा गया उस पर उनका ईमान है, किंतु वो अपने फैसले ताग़ूत (ग़ैरुल्लाह) के पास ले जाना चाहते हैं, हालांकि उन्हें आदेश दिया गया है कि उसका इंकार करें, शैतान तो यही चाहता है कि उन्हें सुदूर बहका कर डाल दे) का अध्याय

- इस अध्याय का पिछले अध्याय से बड़ा मज़बूत संबंध है, क्योंकि पिछले अध्याय में अल्लाह के ह़राम किये हुये चीज़ों को ह़लाल करने तथा ह़लाल किये हुये चीज़ों को ह़राम करने में बुद्धिजीवी तथा प्रशासक के आज्ञापालन का हुक्म बयान किया गया था, जब्कि इस अध्याय में उन लोगों का इंकार है जो अल्लाह को छोड़ कर ग़ैरों के पास जाकर फैसला करवाने की इच्छा रखते हैं।
- ﴿أَلَمۡ تَرَ﴾: यह प्रश्न है जिसका उद्देश्य उन लोगों की स्थिति को साबित करना और उन पर आश्चर्य प्रकट करना है, और संबोधन यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को है।
- ﴿يَزۡعُمُونَ﴾: (जो गुमान रखते हैं) यह नहीं फरमयाः (الَّذين آمنوا) (जो लोग ईमान लाये) क्योंकि वो लोग ईमान नहीं लाये थे बल्कि वो लोग ऐसा झूठा गुमान करते थे।
- ﴿وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ﴾: शैतान, यहाँ जातिवाचक संज्ञा है, जो इंसानी तथा जिन्नाती (मानवी एवं दानवी) दोनों प्रकार के शैतानों को सम्मिलित है।
- ﴿أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا﴾: धीरे-धीरे ह़क़ (सत्य) से दूर करते हुये उसे बहुत दूर पहँचा देता है।
- ﴿رَأَيۡتَ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ﴾: ज़मीर (सर्वनाम) के स्थान पर इज़्हार (संज्ञा) प्रयोग करने के तीन लाभ हैं:
  1. ये लोग जो मोमिन होने का गुमान रखते थे वास्तव में मुनाफ़िक़ थे।
  2. ऐसे कर्म केवल मुनाफ़िक़ ही कर सकता है, क्योंकि मोमिन किसी भी परिस्थिति में बिना किसी रोक-टोक के आज्ञापालन करता है।
- चेतावनी देना, क्योंकि वाक्य की बणत यदि एक ही ढ़ंग पर हो तो इंसान कभी-कभी असावधान हो जाता है, लेकिन वाक्य का अंदाज़ जब बदल जाये तो इंसान सतर्क हो जाता है।

- **शैख़ुल इस्लाम रहि़महुल्लाह फरमाते हैं:** अल्लाह तआला की विशेषताओं में हेर-फेर तथा तावील करने वालों के लिये यह आयत बिल्कुल सटीक है, क्योंकि यह लोग कहते हैं: हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि: अल्लाह तआला के अपने रसूल पर उतारे हुये शरीअत की ओर आओ तो विमुखता प्रकट करने लगते हैं तथा मना करते हुये कहते हैं: हम अमूक-अमूक व्यक्ति के यहाँ जा रहे हैं, और जब इसका विरोध किया जाता है तो कहते हैं: हम तौफ़ीक़ और एहसान चाहते हैं, तथा हम सुने हुये प्रमाण तथा बुद्धी द्वारा प्रमाणित चीजों के मध्य संतुलन बनाना चाहते हैं।

दो से चार तक दलीलें:

२- अल्लाह तआला का फरमान है:﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ (जब उनसे कहा जाता है धरती में उपद्रव न करो तो कहते हैं कि हम तो केवल सुधार करते हैं)।

३- एवं उसका कथन है: ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾ (धरती में सुधार के पश्चात अब फिर से बिगाड़ न उत्पन्न करो)।

४- एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला का फरमान है: .الآية ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ (तो क्या फिर ये अंधकार युग का विधान चाहते हैं)।

- ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾: धरती पर फसाद एवं उपद्रव फैलाने के दो रूप हैं:
  1. **इंद्रीय तथा दृष्टिगोचर होने वाला फसाद:** जैसे घरों को ध्वस्त करना तथा मार्गों को ख़राब करना।
  2. **नैतिक फसाद:** कुकर्मों के द्वारा, यह धरती के सबसे संगीन फसादों में से है।
- ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾: यह सबसे बोगस दावों में से एक है, और अल्लाह तआला ने इसका मुकाबला इससे भी बड़ी चीज़ से किया है, कि ये लोग जो सुधार के नाम पर धरती में फसाद फैला रहे हैं वास्तव में यही लोग सबसे बड़े फसादी व उपद्रवी हैं न कि कोई और।
- ﴿ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾: अर्थात मुसलेहीन (सुधारकों) द्वारा किये गये सुधार के पश्चात, और इसी वर्ग में आयेगा, ज्ञानियों के आमंत्रण, सलफ की दावत तथा जो लोग शरीअत का चलन एवं कार्यान्वयन करते हैं उनके विरोध करना तथा उसके विरुद्ध उठ खड़ा होना।

- ﴿أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾: इस्तिफ़हाम (प्रश्नवाचक संज्ञा) यहाँ डाँटने-फटकारने के लिये है, कि क्या ये लोग अंधकार युग वाले निर्णय ही की तलाश में नहीं रहते हैं।
- ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا﴾: उससे बेहतर निर्णय किसी का नहीं हो सकता, यहाँ वाक्य की यह बणत चैलेंज तथा चुनौती के अर्थ में है।

पाँचवीं दलील:

अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ» तुम में से कोई उस समय तक (पक्का) मोमिन नहीं हो सकता जबतक उसकी इच्छाएं मेरे आदेशों के अधीन न हो जायें। अल्लामा नौवी ने कहा है कि: यह हदीस़ सही है, और इसको मैंने अपनी पुस्तक (अल-हुज्जा) में सही सनद के साथ रिवायत किया है।

छठी दलील:

शाअबी रहिमहुल्लाह कहते हैं कि एक मुनाफ़िक़ (द्वयवादी) तथा एक यहूदी के बीच झगड़ा हो गया, चूँकि यहूदी जानता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रिश्वत नहीं लेते (तथा निर्णय में पक्षपात नहीं करते) अत: उसने कहा कि मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से निर्णय करा लेते हैं, तथा मुनाफ़िक़ ने कहा कि यहूद के पास चलें क्योंकि वह जानता था कि यहूद घूस लेते हैं, अंतत: दोनों इस बात पर सहमत हो गये कि बनू जुहैना के एक काहिन से निर्णय करा लेते हैं, तो इस पर यह आयत उतरी: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ﴾ (क्या आपने उन्हें नहीं देखा जो यह दावा तो करते हैं कि जो कुछ आप पर और जो कुछ आपसे पहले उतारा गया उस पर उनका ईमान है)।

कुछ उलेमा ने कहा है कि यह आयत उन दो व्यक्तियों के संबंध में उतरी है जिनका आपस में विवाद हो गया था, तो एक ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास इस मामला को लेकर चलते हैं, दूसरे ने कहा नहीं: काब बिन अशरफ़ के पास चलते हैं, फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गये तथा पूरा वृत्तांत सुनाया तो जो रसूलुल्लाह के पास नहीं जाना चाहा था, उससे पूछा: क्या ऐसी ही बात है, उसने कहा: हाँ, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार से उसकी हत्या कर दी।

- « لَا يُؤْمِنُ »: अर्थातः पूर्ण ईमान, सिवाय इसके कि वह पूरी तरह इससे विमुख हो तो (मूल) ईमान का इंकार होगा।
- इस ह़दीस़ को उलेमा के एक समूह ने ज़ईफ़ (कमज़ोर) कहा है, किंतु अर्थ सही है।
- «مِنَ الْـمُنَافِقِينَ»: मुनाफ़िक़ कहते हैं जो, कुफ्र छुपाये रखे तथा इसलाम का दिखावा करे।
- «الْيَهُودِ»: मूसा अलैहिस्सलाम के धर्म का अनुसरण करने वालों को यहूद कहा जाता है, और इस नामकरण के पीछे दो कारण हैः

  1. क्योंकि उन्होंने कहाः (إنَّا هدنا إليك) (हम आपकी ओर पलट आये)।
  2. या अपने पूर्वज यहूज़ा की ओर निस्बत व संबंध जोड़ते हुये।

- «إِلَى مُحَمَّدٍ»: आपको रिसालत वाले गुण से सुसज्जित नहीं किया, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत पर ईमान नहीं रखते थे।

मसाइल:

पहला: सूरा निसा के आयत की तफ़्सीर तथा त़ाग़ूत के अर्थ की व्याख्या है। (﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ﴾).

दूसरा: सूरा बक़रा की आयत ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ की तफ़्सीर (इसमें इस बात का प्रमाण है कि निफ़ाक़ धरती में फसाद फैलाने का एक रूप है क्योंकि यह आयत मुनाफ़िक़ीन ही से संबंधित है, और फसाद हरेक प्रकार के गुनाह को कहते हैं)।

तीसरा: सूरा बक़रा की आयत ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ की तफ़्सीर।

चौथा: सूरा बक़रा की आयत ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ की तफ़्सीर (जाहिलीयत हरेक उस चीज़ को कहते हैं जो शरीअत के विरुद्ध हो, जाहिलीयत से उसका संबंध जोड़ने का उद्देश्य इससे घृणा उत्पन्न करना तथा उसकी बुराई बयान करना है, और यह जहालत (अज्ञानता) तथा गुमराही पर आधारित होता है)।

पाँचवां: पहली आयत की तफ़्सीर में शाअबी के कथन की व्याख्या।

छठा: सच्चे तथा झूठे ईमान का वर्णन (सच्चा ईमान अल्लाह और उसके रसूल के आदेशों को पूर्णरूपेण स्वीकार करने, उसके आगे नतमस्तक होने तथा विनम्रता अपनाने का नाम है जब्कि झूठा ईमान इसके विपरीत है)।

सातवाँ: मुनाफ़िक़ के संग उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बर्ताव।

आठवाँ: किसी भी व्यक्ति को उस समय तक पूर्ण ईमान की प्राप्ति नहीं हो सकती जबतक उसकी समस्त इच्छायें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आदेशों के अधीन न हों।

चौथे पाठ से परीक्षा (९ अध्याय)

प्रथम प्रश्न: (☒) का चिन्ह उचित स्थान पर लगायें अथवा रिक्त स्थान पूर्ण करें:

1- सातवें पाठ में पहले अध्याय का नाम "मोहब्बत से संबंधित विषय" का अध्याय है: ☐ सही ☐ गलत।

2- कुछ इबादत करने वाले चंद क़ब्रों का ऐसा आदर और सम्मान करते हैं जो अल्लाह से मोहब्बत रखने का समान होता है, अथवा उससे भी अधिक: ☐ सही ☐ गलत।

3- यदि किसी का दिल पूर्णरूपेण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के प्रेम से ख़ाली हो तो वह: ☐ कमज़ोर ईमान वाला है ☐ उसके अंदर ईमान है ही नहीं।

4- संतान, माता-पित तथा समस्त लोगों से बढ़ कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मोहब्बत होनी चाहिये: ☐ सही ☐ गलत।

5- ईमान की मिठास का अनुभव करने के कारणों में से एक कारण है, मोहब्बत रखना: ☐ अल्लाह के लिये ☐ सगे-संबिधियों के लिये।

6- नह्य (इंकार) को सर्वप्रथम इस अर्थ में लिया जायेगा: .... अथवा .... अथवा ....

7- वईद (धमकी) वाले नुसूस (दलील) के संबंध में अहले सुन्नत का कहना है कि: ....

और क्या इसका यह अर्थ है कि हम क़ुरआन व ह़दीस़ नहीं समझते: ☐ हाँ ☐ नहीं।

8- जिनका विचार है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आ जाने के बाद भी यहूदी व ईसाई अल्लाह के समीप प्रिय अथवा स्वीकार्य दीन पर हैं, तो वह क़ुरआन को झुठलाने वाला इस्लाम से ख़ारिज है: ☐ सही ☐ गलत।

9- मुसलमान काफिर को धोखा नहीं देता वरन वह उसको नसहीत करता एवं समझाता है कि मूसा और ईसा अलैहिमस्सलाम ने जो आदेश दिया था उसके विपरीत वह लोग दिगभ्रमित हैं: ☐ सही ☐ गलत।

10- अल्लाह के शत्रुओं से घृणा का कदापि यह अर्थ नहीं है कि हम उनसे किये हुये वादा को तोड़ दें : ☐ सही ☐ गलत।

11- (जब मैं किसी ईसाई को देखता हूँ तो अपनी आँखें भींच लेता हूँ,क्योंकि मुझे यह अप्रिय है कि मैं अपने चक्षु से अल्लाह के शत्रु को देखूँ) यह कथन है: ☐ इमाम अहदमद का ☐ इब्ने तैमिया।

12- (जो मोमिन मुत्तक़ी (परहेज़गार, निग्रही) होगा वो अल्लाह का मित्र होगा), यह कथन है: ☐ इब्ने तैमिया का ☐ इब्नुल क़ैयिम का।

13- अल्लाह की ओर से बंदों के आम विलायत (मित्रता) मोमिन, काफिर तथा समस्त जीव को सम्मिलित है: ☐

सही ☐ गलत।

14- कोई व्यक्ति नमाज़ पढ़ता हो, रोज़ा रखता हो, परंतु अल्लाह के दुश्मनों से दोस्ती रखता हो तो वह अल्लाह की विलायत व दोस्ती का पात्र नहीं है: ☐ सही ☐ गलत।

15- लेखक रहिमहुल्लाह ने मोहब्बत के पश्चात ख़ौफ का उल्लेख किया है क्योंकि इबादत इन्हीं दो आधारों पर की जाती है: ☐ सही ☐ गलत।

16- अल्लाह तआला से डरने के विषय में लोग अति, न्यून तथा संतुलित तीन प्रकार के हैं : ☐ सही ☐ गलत।

17- उचित व संतुलित भय वह है जो केवल अल्लाह का हराम किये हुये चीज़ों से दूर कर दे, यदि इससे अधिक हो तो यह अल्लाह से निराश हो जाने की ओर ले जाता है: ☐ सही ☐ गलत।

18- प्रत्येक व्यक्ति जो अश्लीलता तथा बुराई के प्रचार-प्रसार में भाग लेता है वह शैतान के दोस्तों में से है: ☐ सही ☐ गलत।

19- जो अल्लाह से डरता है उससे सारी चीज़ें डरती हैं और जो अल्लाह से बचता है उससे सारी चीज़ें बचती हैं और जो ग़ैरुल्लाह से डरता है वह सारी चीज़ों से डरता है: ☐ सही ☐ गलत।

20- मस्जिद को आबाद करने का अभिप्राय उसको आबाद करना है: ☐ भौतिक रूप से (भवन निर्माण करके) ☐ नैतिक रूप से (उसमें उपासना करके) ☐ उक्त सभी।

21- अल्लाह तआला अनेकों स्थान पर अल्लाह पर ईमान तथा आख़िरत (परलोक) पर ईमान रखने को एक साथ उल्लेख किया है क्योंकि यह आज्ञापालन के लिये प्रेरित करता है: ☐ सही ☐ गलत।

22- हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रेम क्यों करें? १- .... २- .... ३- .... ४- ....

23- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मृत्यु पश्चात आपसे प्रेम रखा जायेगा: १- .... २- ....

24- (أقام الصَّلاة) से आशय है: ☐ वाजिबी तौर पर अदा करना ☐ मुस्तहब तौर पर अदा करना ☐ उक्त सभी।

25- तवक्कुल आधा दीन है: ☐ सही ☐ गलत, यह कहना सही है: ☐ मैंने आप पर तवक्कुल किया ☐ मैंने आप को अपना वकील बनाया ☐ मैंने अल्लाह पर तत्पश्चात आप पर तवक्कुल किया ☐ प्रथम के अतिरिक्त सभी।

26- तवक्कुल कहते हैं : .... और इसके भेद हैं : ☐ ३ ☐ ४ ☐ ५।

27- मृतक अथवा अनुपस्थित नेक लोगों पर भरोसा करना, शिर्कः ☐ अकबर है ☐ असग़र है।

28- आवश्यकतापूर्ति का भाव रखते हुये किसी पर जीविका के संबंध में भरोसा करना: ☐ सही है ☐ शिर्क -ए-असग़र है।

29- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भरोसा करने वालों के सरदार हैं इसके बावजूद आपको दुःख (☐

झेलना पड़ा ☐ नहीं झेलना पड़ा), किंतु कोई हानि (☐ नहीं हुई ☐ हुई), क्योंकि अल्लाह तआला आपके लिये काफी था।

30- कष्ट एवं पीड़ा के समय क्या कहा जायेगा? ....

31- इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा उन लोगों में से हैं जो बनी इस्राईल की रिवायतः ☐ लेते हैं ☐ नहीं लेते हैं।

32- अल्लाह की रह़मत (कृपा) से निराश होता हैः ☐ गुमराह ☐ जिसे हिदायत न मिली हो ☐ ऐसे ही भटकने वाला जिसे कुछ पता नहीं हो ☐ उक्त सभी।

33- अल्लाह के दाव एवं उपाय से निर्भीक होने का अर्थ (☐ भय ☐ आशा) में बाधा उत्पन्न होना है, और अल्लाह के रह़म से निराश होने का अर्थ (☐ भय ☐ आशा) में विकार आना है।

34- गुनाह -ए- कबीराः (☐ गण्य, गिनने योग्य हैं ☐ सीमित है), और यह सभी एक ही दर्जा में हैं : (☐ सही ☐ गलत) तथा शिर्क -ए- अस़ग़र इसमें सबसे बड़ा हैः (☐ सही ☐ गलत), और कबीरा गुनाह के अपराधी का हुक्मः (☐ कमज़ोर ईमान वाला मोमिन है ☐ अपने ईमान के कारण मोमिन है तथा कबीरा गुनाह के कारण फ़ासिक़ है ☐ मोमिन है ☐ काफिर है ☐ पहला व दूसरा) और गुनाह -ए- कबीरा अंजाम देने वाले सेः (☐ प्रेम रखा जायेगा ☐ घृणा किया जायेगा ☐ उसके ईमान के बराबर उससे मोहब्बत रखी जायेगी तथा उसके फ़िस्क़ के समान उससे घृणा किया जायेगा), क्या गुनाहे कबीरा नेक अमल (सदकर्म) से माफ हो जाते हैं? (☐ हाँ ☐ नहीं), क्या गुनाह -ए- कबीरा अंजाम देते समय उसके समीप बैठा जायेगा? ((☐ हाँ ☐ नहीं), और कुछ कबीरा गुनाहों से तौबा करना सही हैः ((☐ हाँ ☐ नहीं))।

35- सब्र के भेद हैं : ☐ ३ ☐ ४ ☐ ५, बंदे से अल्लाह के प्रेम की निशानी उसकी परीक्षा लेना हैः ☐ सही ☐ गलत।

36- सब्र का सर्वोच्च दर्जा अल्लाह के अवज्ञा से सब्र करना हैः ☐ सही ☐ गलत।

37- सब्र वाले अध्याय को याद करने का एक लाभ दुःख एवं पीड़ा के समय तथा दुखित एवं पीड़ित पर इसको पढ़ना भी हैः ☐ सही ☐ गलत।

38- कुफ्र के दुर्गुणों में से दो दुर्गुणों का किसी मोमिन में पाये जाने का अर्थ है कि वह काफिर हैः ☐ सही ☐ गलत।

39- ईमान के गुणों में से दो गुण जैसे लज्जा का किसी काफिर में पाये जाने का यह अर्थ नहीं है कि वह मोमिन हैः ☐ सही ☐ गलत।

40- कलमा एवं वाक्य (कुफ्र) को नकरा (अनिश्चयवाचक सर्वनाम) का प्रयोग (☐ प्रमाण है ☐ प्रमाण नहीं है) इस्लाम से ख़ारिज हो जाने पर।

41- विपत्ति के समय लोगों के प्रकार होते हैं : ☐ ५ ☐ ४ ☐ ३।

42- अल्लाह तआला से रुष्ट (नाराज़) होना कुफ्र तक पहुँचा देता हैः ☐ सही ☐ गलत।

43- नाराज़गी होती हैः ☐ दिल, ज़ुबान तथा शारीरिक अंगों से ☐ ज़ुबान तथा शारीरिक अंगों से।

44- सब्र करने, निर्णय पर संतोष करने तथा दु:ख के बोझ के मध्य अंतर है: ☐ सही ☐ गलत।

45- कभी-कभी विपत्ति के कारण बंदे के ईमान में वृद्धि होती है: ☐ सही ☐ गलत।

46- बुराई का इरादा अल्लाह तआला किसी हिकमत के अंतर्गत करता है, तथा वह बुराई भी हिकमत आधारित होने के कारण एक प्रकार से भलाई ही होती है: ☐ सही ☐ गलत।

47- क़्यामत को क़्यामत कहते हैं : ☐ लोगों के अपने समाधियों से क़्याम (उठ खड़े होने) के कारण ☐ गवाही क़ायम (दिये जाने) के कारण ☐ न्याय क़ायम होने के कारण ☐ उक्त सभी।

48- शीघ्र ही दुनिया ही में दंड मिल जाना उसको आख़िरत तक बचा कर रखने से बेहतर है: ☐ सही ☐ गलत।

49- काँटा चुभने का बदला हड्डी टूटने के बदला के समान है: ☐ सही ☐ गलत।

50- (अल्लाह तआला के) समस्त विशेषताओं में ☐ उसको प्रमाणित करना आवश्यक है ☐ समानता अथवा कैफियत बयान करने से बचना अपरिहार्य है ☐ उक्त सभी।

51- वंश-गोत्र, तथा जात-पात में व्यंग करने का अर्थ है: ☐ उस पर लांछन लगाना ☐ उसका इंकार करना ☐ उक्त सभी।

52- रियाकारी (पाखण्ड) करना, शिर्क -ए- ☐ अकबर है ☐ अस़्ग़र है, किंतु यदा-कदा कुफ़्र -ए- अकबर तक पहुँच जाता है, तथा रियाकारी (दिखावा) कहते हैं उस कृत्य को जो लोगों को दिखाने के लिये किया जाये, परंतु लोगों को सुनाने के लिये किया जाने वाला कृत्य रियाकारी नहीं है: ☐ सही ☐ गलत।

53- रियाकारी के उपचार का एक तरीका मौत तथा मरनासन्न वाली स्थिति का स्मरण करना है: ☐ सही ☐ गलत।

54- किसी का अपनी इबादत के विषय में लोगों को पता चल जाने के बाद प्रसन्न होना: ☐ रियाकारी है ☐ रियाकारी नहीं है।

55- अल्लाह के आदेशों का पालन करने के बाद लोगों का प्रसन्न होना: ☐ रियाकारी है ☐ रियाकारी नहीं है।

56- किसी व्यक्ति ने केवल अल्लाह को प्रसन्न करने के लिये नि:कपट भाव से किसी को सदका (दान) दिया, फिर अल्लाह तआला ने मोमिनों के हृदय में उसके लिये प्रेम तथा प्रशंसा का भाव उत्पन्न कर दिया, ऐसा व्यक्ति: ☐ रियाकारी है ☐ रियाकार नहीं है।

57- धन वृद्धि की आशा रखते हुये दान-पुण्य करना, मानो: ☐ आख़िरत वाले कर्मों के द्वारा सांसारिक लाभ चाहना है ☐ आख़िरत वाले कर्मों के द्वारा आख़िरत ही चाहना है।

58- मुसलमान को जब पाखण्ड का अंदेशा हो तो उसे कर्म करना त्याग देना चाहिये, ऐसा करना: ☐ जायज़ है ☐ शिर्क -ए- अस़्ग़र है।

59- दीनार का भक्त कहा गया है: ☐ उसकी उपासना के कारण ☐ उसी लिये प्रसन्न तथा अप्रसन्न होने के कारण जैसी स्थिति एक उपासक की होती है।

60- «طُوبَى» अर्थात: ☐ एक व्यक्ति की जो सबसे उत्तम स्थिति हो सकती है ☐ स्वर्ग में एक पेड़ का नाम।

61- बंदे का अपने (आख़िरत वाले) कर्म के द्वारा सांसारिक लाभ चाहना रियाकारी से अधिक संगीन है: ☐ सही ☐ गलत।

62- झगड़ा करने वाले दो समूहों में से एक समूह का न्यायाधीश को कुछ देना: ☐ यह कर्मियों को उपहार देने के समान है ☐ यह रिश्वत एवं घूस है ☐ उक्त सभी।

63- "ला इलाहा इल्लल्लाह" के इक़रार में दिखावा करना तथा दाने देने में दिखावा करना दोनों समान हैं : ☐ सही ☐ गलत।

64- दिरहम कहते हैं नक़्दी: ☐ चाँदी को ☐ सोना को।

65- सराहनीय दौलतमंद तथा उच्च पदों वाले हैं : ☐ सही ☐ गलत।

66- यदि किसी को कुछ दे दिया जाये तो प्रसन्न हो जाये तथा न दिया जाये तो अप्रसन्न हो जाये, ऐसे स्वाभाव का व्यक्ति दुनिया का ही भक्त होता है: ☐ सही ☐ गलत।

67- उलेमा कहते हैं : (☐ कार्यान्वयन तथा लागू करने का अधिकार रखने वाले को ☐ मार्गदर्शन करने वाले को) तथा शासक इसके अतिरिक्त होते हैं।

68- आदरणीय अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के विषय में यह प्रमाणित नहीं है कि उन्होंने मात्र अपनी राय के द्वारा क़ुरआन व ह़दीस़ का विरोध किया हो: ☐ सही ☐ गलत।

69- अल्लाह तआला की अवज्ञा में बुद्धिजीवी तथा शासकों के आज्ञापालने के रूप हैं : १- .... इसका हुक्म: .... २- .... इसका हुक्म: .... ३- .... इसका हुक्म: ....

70- धार्मिक कट्टरपन तथा अंध अनुसरण (तक़लीद) : ☐ प्रशंसनीय है ☐ निंदनीय है।

71- राहिब कहते हैं (☐ प्रकांड विद्वान को ☐ संत एवं तपस्वी को), तथा ह़ब्र दूसरे को कहते हैं : ☐ सही ☐ गलत।

72- अदी बिन ह़ातिम रज़ियल्लाहु अन्हु वाली ह़दीस़ में ह़लाल के ह़राम किये जाने को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि यह ह़राम को ह़लाल क़रार देने से ज़्यादा संगीन है, जब्कि ह़राम एवं वर्जित दोनों ही हैं : ☐ सही ☐ गलत, तथा अल्लाह तआला की शरीअत की (☐ सहमति में ☐ विरोध में ☐ दोनों में) अनुसरण करना वास्तव में उन्हें रब व प्रभु बना लेना है।

73- जिसने अल्लाह की उतारी हुयी शरीअत को नापसंद किया वह काफिर है तथा उसका कुफ्र: ☐ अकबर है ☐ अस़ग़र है।

74- अल्लाह तआला की उतारी हुई शरीअत के विरुद्ध जाकर निर्णय लेने को जायज़ होने का अक़ीदा रखना, कुफ्र: ☐ अकबर है ☐ अस़ग़र है।

75- यह अक़ीदा रखना कि ग़ैरुल्लाह का हुक्म अल्लाह के हुक्म के समान या उससे भी उत्तम है, कुफ्र: ☐ अकबर है

☐ असग़र है।

76- कोई यह आस्था रखे कि अल्लाह का हुक्म सभी हुक्मों से उत्तम एवं बढ़कर है, किंतु मुद्दालय के विरुद्ध द्वेष ने उसे अल्लाह तआला की उतारी हुई शरीअत विरुद्ध जाकर निर्णय करने पर विवश कर दिया तो वहः ☐ काफिर है ☐ अत्याचारी है ☐ फ़ासिक़ है।

77- ﴿وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ﴾ “ शैतान ” यहाँ जाति वाचक संज्ञा है जो, सम्मिलित हैः ☐ मानवी शैतान को ☐ दानवी शैतान को ☐ उक्त सभी।

78- वह गुमान करते हैं : ☐ मोमिन होने का जब्कि वो झूठे हैं ☐ उनके कार्यकलाप उनके वक्तव्य का खण्डन करते हैं ☐ उक्त सभी।

79- मुसीबतः ☐ शरई होती है ☐ सांसारिक होती है ☐ उक्त सभी।

80- जो अल्लाह तआला और उसके रसूल के आदेशों के समक्ष नतमस्तक न हो तथा उसमें बाधा उत्पन्न करेः ☐ वह मोमिन है ☐ वह मुनाफ़िक़ है।

81- धरती का सबसे बड़ा फ़सादः ☐ भौतिक फ़साद है ☐ नैतिक फ़साद है।

82- सुधार के पश्चात फ़साद फैलाना, सुधार के पूर्व फ़साद फ़ैलाने की तुलना में अधिक संगीन है, और विशेष रूप से उस समय जब उद्देश्य ही सुधार के पश्चात फ़साद फैलाना होः ☐ सही ☐ गलत।

83- जाहिलीयत (अंधकार युग) : ☐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दूत बनाये जाने के पूर्व का युग है ☐ वह जहालत तथा अज्ञानता है जिसका आधार ज्ञान न हो ☐ उक्त सभी।

84- रिश्वत और घूस हराम है यद्यपि उसे अपने अधिकार से वंचित कर दिया गया हो, और उस अधिकार को केवल रिश्वत के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता हो, अथवा बुराई को दूर करने के उद्देश्य से ही क्यों न घूस दिया जा रहा होः ☐ सही ☐ गलत।

आठवाँ : तौहीद -ए- असमा व सिफात (एक अध्याय)

४०- जो अल्लाह के किसी नाम और विशेषणों का इंकार करे

अरबी शब्द "जुहूद" इंकार को कहते हैं, और इंकार की दो क़िस्में हैं :

तावील (अर्थातः किसी शब्द की मनमानी व्याख्या करना) करते हुये इंकार करनाः उसका इंकार तो नहीं करे किंतु उसकी तावील ऐसे अर्थों द्वारा करे जो उसके विपरीत होः

जिसकी गुंजाइश शब्दकोष में हो, वह काफिर तो नहीं लेकिन बड़े भयंकर एवं संगीन मोड़ पर ऐसा व्यक्ति खड़ा है, और हम उसका खंडन करेंगेः
जैसे कोई अल्लाह तआला के इस कथनः ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ (बल्कि अल्लाह तआला के दोनों हाथ खुले हुये हैं) के विषय में कहे कि "यद" (हाथ) से अभिप्राय नेमत (अनुग्रह) है, तो वह काफिर नहीं होगा क्योंकि शब्दकोष में "यद" का प्रयोग "नेमत" (अनुग्रह) के अर्थों में होता है, किंतु हम उसका खण्डन निम्मांकित तरोकों से करेंगेः

जिसकी गुंजाइश शब्दकोष में नहीं हो, यह भी काफिर हैः
जैसे कोई अल्लाह तआला के "यद" (हाथ) से अभिप्राय आकाश है तो वह काफिर है क्योंकि शब्दकोष में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, न ही इसका शरीअत की वास्तविकता से कोई लेना देना है, अतः वह इंकार तथा झुठलाने वाला माना जायेगा।

झुठलाते हुये इंकार करना (यह बिना संदेह शिर्क है)
जिसने क़ुरआन व ह़दीस़ से साबित अल्लाह तआला के नाम अथवा विशेषताओं में से किसी नाम या विशेषता का इंकारकिया तो इस बात पर उलेमा एकमत (इज्मा) हैं कि वह काफिर है, क्योंकि अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को झुठलाने वाला काफिर है उलेमा इस पर एकमत हैं।

1. यह क़ुरआन व ह़दीस़ के स्पष्ट दलीलों के विरुद्ध है, और इसका कोई प्रमाण नहीं है।
2. "यद" (हाथ) के लिये ऐसी विशेषताओं का प्रयोग हुआ है जिनका प्रयोग नेमत या क़ूवत (सामर्थ्य) की विशेषता के रूप में करना असंभ है, जैसे द्विवचन, बहुवचन, पकड़ना, फैलाना, ये विशेषताएं नेमत (अनुग्रह) अथवा शक्ति की नहीं हो सकती।
3. अल्लाह तआला ने आदम अलैहिस्सलाम पर इस प्रकार उपकार किया कि उन्हें अपने हाथ से रचा व पैदा किया तो "यद" (हाथ) यदि क़ूवत (शक्ति) अथवा नेमत के अर्थ में लें तो फिर समस्त जीव पर आदम अलैहिस्सलाम कि विशेष प्राथमिकता नहीं बचती है।

तौहीद -ए- असमा व सिफात: अल्लाह ने अपने क़ुरान में या अपने रसूल के द्वारा अपना जो नाम या विशेषता बताई है, उन सब में अल्लाह को अकेला मानना, और वह इस प्रकार कि उसने अपने लिए जो साबित किया है उसको साबित करना और जिसका अपनी ओर से इंकार किया है उसका इंकार करना। बिना किसी हेर-फेर, निरस्तिकरण, कैफियत एवं समानता के।

बिना किसी (तहरीफ़ अर्थात हेर-फेर) के क्यों कहा, और (बिना तावील अर्थात मनमानी व्याख्या करना) क्यों नहीं कहा?

1. क्योंकि क़ुरआन में ऐसे ही आया है, अतः हम इसके विरुद्ध नहीं जा सकते।
2. क्योंकि यही न्यायोचित है, क्योंकि यह तहरीफ़ करने वाले हैं न कि तावील करने वाले।
3. ऐसा करने वालों के प्रति लोगों के मन में घृणा उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि तहरीफ़ करने वालों को यदि तावील करने वाला कहा जाए तो वे प्रसन्न हो जाते हैं।
4. हरेक प्रकार की तावील निंदनीय नहीं है, जिसके लिए प्रमाण उपलब्ध हो वह सही एवं स्वीकार्य है, और जिसका कोई साक्ष्य नहीं हो वह फासिद बेकार तथा अस्वीकार्य है, जब्कि सभी प्रकार की तहरीफ़ निंदनीय है।

तमसील (बिल्कुल हूबहू मानना) का इंकार क्यों किया गया जब्कि तश्बीह (उपमा) का इंकार क्यों नहीं किया गया?

1. क्योंकि तमसील क़ुरआन में अवतरित हुआ है तथा तश्बीह के विपरीत व्यापक एवं आम रूप से इसका इंकार नहीं किया गया है।
2. क्योंकि तश्बीह का व्यापक रूप से इंकार करना सही नहीं है, क्योंकि दो मौजूद चीज़ों के मध्य समानता पाया जाना अवश्यंभावी है जिसमें वो दोनों एक-दूजे के समान हों, तथा हरेक अपनी-अपनी विशेषताओं के कारण दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ता है।
3. तश्बीह के नामकरण में भी मतभेद है, कुछ लोगों ने (अल्लाह तआला के) गुणों एवं विशेषताओं के साबित करने को तश्बीह का नाम दिया है।

اَلِاسْم (अल-इस्म, नाम) का यौगिक (इश्तेक़ाक़) या, तो:

1. سُمُوّ (सुमूव्व) से है, जो बुलंदी तथा ऊँचाई के अर्थ में है, क्योंकि नामित अपने नाम के द्वारा दूसरों से अलग एवं बुलंद होता है।
2. سِمت (सिम्त) से जो चिन्ह तथा निशानी के अर्थ में है, क्योंकि नामित के लिए यह नाम एक चिन्ह के समान है।

इस्म (नाम) तथा सिफ़त (गुण) के बीच अंतरः

- जिनके द्वारा अल्लाह का नामकरण हुआ है वो इस्म (नाम) हैं तथा जिन गुणों एवं विशेषताओं से अल्लाह तआला सुसज्जित है वो सिफ़ात (गुण) हैं।

हम तौहीद -ए- असमा व सिफ़ात का पठन-पाठन क्यों करें?

1. ताकि हम तौहीद को उसके वास्तविक रूप में अपना सकें, बल्कि कोई भी व्यक्ति उस समय तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वह तौहीद के तीनों भेद में अल्लाह तआला को अकेला न माने।
2. क्योंकि इसमें दिलों का जीवन विद्यमान है, और इस जीवन के लिये सर्वोत्तम ज्ञान तथा सर्वोच्च चीज़ अल्लाह तआला के संबंध में ज्ञान अर्जित करना है।
3. यह जन्नत में प्रवेश पाने का कारण है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «لِلّٰهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» **"अल्लाह तआला के निन्यानवे नाम हैं, जिसने इन नामों का स्मरण एवं कंठस्थ किया वह जन्नत में प्रवेश पाएगा"**।
4. क्योंकि यही वह मूल एवं आधार स्तंभ है जिस पर सलफ़ (नेक पूर्वज) अमल करते थे।
5. ताकि हम निरस्तिकरण तथा समानता के फेर में न पड़ जाएं जैसे कि कुछ दिगभ्रमित समूह पड़ गए।
6. ताकि हम इसके द्वारा अल्लाह तआला को पुकारें एवं उसका स्मरण करें जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान हैः ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا﴾ (अल्लाह के बड़े अच्छे-अच्छे नाम हैं अतः इन नामों के द्वारा अल्लाह तआला से दुआ करे)।

तहरीफ़ः जिसे अल्लाह के लिये साबित करना है उसको बदल लेनाः

शाब्दिकः जैसे अल्लाह तआला के फरमानः ﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ (और अल्लाह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से वार्तालाप किया) में शब्द (اللهُ, अल्लाहु) को (اللهَ, अल्लाहा) से बदल देना, उन लोगोंके अपने गुमान के अनुसार उन्होंने अल्लाह तआला के सिफ़त -ए- कलाम (बात करने की विशेषता) का यह कहते हुये इंकार किया कि यह वार्तालाप केवल मूसा अलैहिस्सलाम की ओर से था, और उनका खंडन हम उनसे यह पूछते हुये करेंगे कि फिर अल्लाह तआला के कथनः ﴿وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ﴾ (तथा उनसे उनके रब ने बात किया) का क्या अभिप्राय है, तो वो निरुत्तर हो जायेंगे तथा उनसे कोई जवाब नहीं बन पायेगा।

अर्थगतः जैसे कहना कि "यद" (हाथ) से अभिप्राय नेमत है।

तातीलः अल्लाह तआला के लिये वाजिब नामों तथा विशेषताओं का इंकार करनाः

कुल्ली तातील (पूर्णरूपेण इंकार) : जैसे जहमिया करते हैं कि अल्लाह तआला को तमाम विशेषताओं से ख़ाली (निर्गुण) क़रार देते हैं।

जुज़्वी तातील (आंशिक इंकार) : जैसे अशाइरा करते हैं कि अल्लाह तआला के कुछ विशेषताओं को मानते हैं तथा कुछ का इंकार करते हैं।

तकयीफ़ः शब्द “ कैफ़ ” (كيف، कैसे) के द्वारा अल्लाह तआला के संबंध में प्रश्न किया जाए, और यह होगाः

ज़ुबान से उच्चारण करते हुएः जैसे अपनी ज़ुबान द्वारा किसी चीज़ से समानता बताए।

उँगलियों द्वारा लिखते हुएः जैसे अपनी उँगलियों द्वारा अल्लाह तआला के विषय में इस प्रकार का कुछ लिखे।

छिप्त रूप से अंतर्मन मेः जैसे अपने मन में इस प्रकार की कोई कल्पना करे।

इस्म (संज्ञा) के दलालात (संकेत, भावार्थ) :

दलालत -ए- मुताबक़तः पूर्णरूपेण उसका अहाता करते हुए उसके सम्पूर्ण अर्थों पर दलालत करना।

दलालत -ए- तज़म्मुनः संज्ञा के कुछ अर्थों पर दलालत करना।

दलालत -ए- इल्तेज़ामः यह अनिवार्य रूप से किसी बाहरी अर्थ पर दलालत करता है।

इसका उदाहरणः शब्द “ख़ालिक़” अल्लाह तआला के अकेले होने पर बतौर मुताबक़त दलालत कर रहा है, और “ख़ल्क़ (पैदा करने)” की विशेषता पर बतौर तज़म्मुन दलालत कर रहा है, जब्कि इल्म (ज्ञान) और क़ुदरत (सामर्थ्य) पर बतौर इल्तेज़ाम दलालत करता है, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान हैः ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًۢا ﴾ (अल्लाह वह है जिसने सात आसमान बनाए और इसी के समान ज़मीन भी, उसका आदेश इनके बीच उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर (सामर्थ्य) है और निःसंदेह अल्लाह अपने इल्म से हरेक चीज़ पर हावी है)।

हम असमा व सिफात का पठन-पाठन कैसे करें?

1. इल्म (ज्ञान) इबादत है, अतः हमें भी उसी ढ़ंग पर चलना चाहिए जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम चलते थे।

2. इस पठन-पाठन का उद्देश्य केवल अल्लाह तआला का आदर हो, और इसीलिये जब इमाम मालिक रहि़महुल्लाह से अल्लाह तआला के इस्तिवा (अर्श पर बैठे होने की स्थिति) के विषय में प्रश्न किया गया तो उन्होंने अपने सिर को झुका लिया और उस पर पसीना की बूँदें दृष्टिगोचर होने लगीं (क्योंकि अति गंभीर विषय के संबंध में प्रश्न था)।

3. हम ऐसी चीज़ों के विषय में प्रश्न न करें जिनके विषय में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने प्रश्न नहीं किया था।

4. सर्वप्रथम दलील का उल्लेख तत्पश्चात उसका अक़ीदा रखना, जब्कि अहले सुन्नत के विरोधियों की हालत इसके विपरीत है वह पहले किसी चीज़ का अक़ीदा रखते हैं फिर उसके लिये दलीलें ढूँढ़ते हैं और जब कोई दलील नहीं मिलती है तो अंड-बंड एवं ऊलजलूल बकते हैं और बिदअत में पड़ जाते हैं।

5. इमाम शाफ़ई रहि़महुल्लाह के ढ़ंग को अंगीकार करें (آمِنْ تَهْتَدِ) (ईमान ले आओ हिदायत पा जाओगे), अतः हम अल्लाह तआला पर और जो कुछ अल्लाह की ओर से अवतरित हुआ है उस पर अल्लाह की मुराद के अनुसार ईमान ले आयें,तथा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर जो कुछ उनकी ओर से आया है उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुराद के अनुसार ईमान ले आयें।

असमा व सिफात से संबंधित कुछ बातें:

1. **अल्लाह तआला के नाम किसी निश्चित संख्या में सीमित नहीं है:** और इसकी दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान है: «أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ» (और जो कुछ तूने अपने पास इल्मे ग़ैब में रखा है), रही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फरमान की कि: «إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا» (अल्लाह तआला के निन्यानवे नाम हैं) तो इसका यह अर्थ नहीं है कि अल्लाह तआला के केवल यही निन्यानवे नाम हैं, बल्कि यह ऐसे ही है जैसे कोई कहे: मेरे पास सौ घोड़े हैं जो मैंने दान करने के लिये रखा है (इसका यह अर्थ नहीं निकलता है कि उसके इस सौ के अतिरिक्त घोड़े नहीं हैं)।

2. **अल्लाह तआला के नाम, नाम भी हैं तथा उस नाम से संबंधित विशेषता का भी वास्तविक अर्थ अपने अंदर रखते हैं :** यह केवल नाम भर नहीं हैं, बल्कि अल्लाह तआला के अस्तित्व पर दलालत करने के आधार पर नाम तो हैं ही किंतु उस नाम से जुड़े गुण पर दलालत करने के आधार पर विशेषता भी हैं, हमारे नामों के विपरीत क्योंकि ऐसा संभव है कि हम में से किसी का नाम “ अली ” (उच्च पद एवं गुण वाला) हो और वास्तविक स्थिति यह हो कि वह महा घटिया तथा दुर्गुण इंसान हो।

4. **अल्लाह तआला के नाम समानार्थी भी हैं और विपरितार्थी भी:** यह अल्लाह तआला के अस्तित्व पर दलालत करने के कारण समानार्थी हैं क्योंकि ये सभी एक मुसम्मा (नामित) पर दलालत करते हैं, उदाहरण स्वरूप अल-समीअ, अल-बसीर, अल-ह़कीम, ये सभी एक ही नामित पर दलालत करती हैं, किंतु विपरीतार्थी अपने अर्थ के आधार पर हैं क्योंकि अल-हकीम का अर्थ अल-समीअ से भिन्न है।
5. **अल्लाह तआला के नाम अस्तित्व (ज़ात) तथा अर्थ दोनों पर दलालत करते हैं:** अतः हमारे लिये अपरिहार्य है कि हम इस्म (नाम, संज्ञा) पर ईमान लायें, तथा वह इस्म जिस विशेषता से संबद्ध है उस पर भी ईमान रखें, और यदि वह इस्म मुतअद्दी (सकर्मक) हो तो जिस प्रभाव तथा हुक्म पर वह सिफत (विशेषता) दलालत करती है उस पर ईमान लाएं, उदाहरण स्वरूप अल-समीअ (सुनने वाला) को लेते हैं, हम इस पर ईमान रखें कि अल्लाह तआला समीअ (सुनने वाला है), और यह अल-सम्अ (सुनने की योग्यता) विशेषता पर भी दलालत करता है, और इस सम्अ का अपना हुक्म और प्रभाव यह है कि वह इसके द्वारा सुनता है, लेकिन इस्म (नाम, संज्ञा) यदि मुतअद्दी (सकर्मक) न हो तो जैसे अल-अज़ीम, अल-ह़ैय्य, अल-जलील तो हम केवल इस्म और सिफत को साबित करेंगे, कोई हुक्म उसकी ओर मुतअद्दी नहीं होगा।
6. **सिफात के अंदर अस्मा (नाम) की तुलना में अधिक विस्तार एवं फैलाव है:** क्योंकि हरेक इस्म, सिफ़त को सम्मिलित है, जब्कि हरेक सिफ़त, इस्म को सम्मिलित नहीं है, तो इस से यह स्पष्ट हुआ कि अल्लाह तआला को कलाम तथा इरादा के गुण से सुसज्जित तो माना जायेगा किंतु इसके आधार पर उसका नाम मुतकल्लिम और मुरीद नहीं रखा जायेगा।
7. हरेक वह गुण जिससे अल्लाह तआला ने स्वयं को सुसज्जित किया है उसे वास्तविक माना जायेगा किंतु उसे समानता तथा उसकी कैफियत बयान करने से पाक समझा जायेगा।

पहली दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ﴾ (और वो लोग रह़मान का इंकार करते हैं)।

- क़ुफ्फार -ए- क़ुरैश उस नाम का इंकार करते थे नामित का नहीं, क्योंकि वह उसका इक़रार करते थे।
- इससे प्रमाणित होता है कि कोई यदि अल्लाह के नामों में से किसी नाम का इंकार करता है तो वह काफिर है।

दूसरी दलील:

सही बुख़ारी में आदरणीय अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कथन है कि: «حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ؟!» "लोगों से उनकी बुद्धि एवं ज्ञान के अनुसार बातें करो, क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह तआला तथा उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को झुठलाया जाये?"।

- दाई (दावत का कार्य करने वाले) के ऊपर वाजिब है कि वह दावत दिए जाने वाले लोगों की बुद्धि एवं समझ का ध्यान रखे, प्रत्येक व्यक्ति को उसके सही स्थान पर रखे, और लोगों से ऐसे अंदाज़ में वार्तालाप करे जो उनकी बुद्धि में समा सके, और इसका तरीका यह है कि वह धीरे-धीरे दावत का कार्य करे यहाँ तक कि जिनको दावत दिया जा रहा है जब वो आश्वस्त हो जायें तथा बातों को स्वीकार करने लग जायें, और हाँ, ध्यान रहे कि उन्हें ऐसी चीज़ों की दावत न दे जो उनकी बुद्धि में समा न सके जो उनकी समझ से बाहर हो।

तीसरी दलील:

अबदुर्रज़्ज़ाक़ ने मामर से, उन्होंने इब्ने ताऊस से, उन्होंने अपने पिता ताऊस और उन्होंने आदरणीय अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से बयान किया है कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने एक व्यक्ति को देखा कि जब उसने अल्लाह के गुणों पर आधारित ह़दीस़ सुनी तो काँप गया मानो उसे यह ह़दीस़ अच्छी न लगी हो, यह दृश्य देख कर उन्होंने फरमाया: «مَا فَرَقُ هَؤُلَاءِ؟ يَجِدُونَ رِقَّةً عِنْدَ مُحْكَمِهِ، وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ» انْتَهَى. "इनके भय का कारण क्या है? मुहकम (दृढ़ आयतों) पर काँप जाते हैं तथा मुतशाबेह (अस्पष्ट) आयतों को सुन कर (तथा न मान कर) हलाक होते हैं"। (उनका कथन समाप्त हो गया।

- «مَا فَرَقُ»: अर्थात इनके पास जब अल्लाह तआला के गुणों एवं विशेषताओं से परिपूर्ण आयतें तिलावत की जाती हैं तथा उनका पाठ किया जाता है तो ये भयभीत क्यों होते हैं? क्यों नहीं ये लोग इन गुणों तथा विशेषताओं को उसी प्रकार से प्रमाणित करते हैं जिस प्रकार से अल्लाह तआला ने अपने लिये तथा उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अल्लाह तआला के लिए प्रमाणित किया है।

क़ुरआन को इस प्रकार परिभाषित किया जायेगा:

- **कुछ मुहकम हैं और कुछ मुतशाबेह:**
  - **मुतशाबेह:**
    - **मुतलक एवं व्यापक:** ठहर कर पढ़ने के आधार पर।
    - **आंशिक एवं अपेक्षाकृत:** मिलाकर पढ़ने के आधार पर।
  - **मुहकम:** जिसका अर्थ स्पष्ट हो।
- **पूरा का पूरा मुतशाबेह है:** इस अर्थ में कि सभी एक-दूसरे से मिलते जुलते हैं और सभी एक-दूजे को प्रमाणित करते हैं।
- **पूरा का पूरा मुहकम है:** पूर्णता तथा अति उत्तम होने के अर्थ में।

1. क़ुरआन को इस ढ़ंग से परिभाषित करना कि वह पूरा का पूरा मुहकम है, मुतशाबेह का उल्लेख किये बिना, इसका अर्थ होगा कि: इसमें कोई ख़लल कोई कमी नहीं है, उसकी दी हुई सूचनाएं झूठी नहीं हैं, उसके बातों तथा आदेशों में कोई अत्याचार नहीं है, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ (आपके रब -प्रभु- का कलाम -वाणी- सच्चाई और न्याय के आधार पर बिल्कुल कामिल व पूर्ण है)।

2. क़ुरआन को इस ढ़ंग से परिभाषित करना कि वह पूरा का पूरा मुतशाबेह है, मुहकम का उल्लेख किये बिना, इसका अर्थ होगा कि: कामिल व पूर्ण तथा सुंदरता के आधार सभी एक दूसरे के समान हैं, और उसका एक भाग दूसरे भाग को प्रमाणित करता है और इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, चुनाँचे अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا﴾ (अल्लाह तआला ने सर्वोत्तम कलाम अवतरित किया है, वह ऐसी किताब है कि आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती है)।

3. क़ुरआन को इस प्रकार परिभाषित करना कि इसमें मुहकम व मुतशाबेह दोनों हैं, ऐसी दशा में मुहकम का अर्थ होगा कि: जिसका अर्थ स्पष्ट एवं खुला हुआ हो, और मुतशाबेह का अर्थ होगा: जिसका अर्थ अस्पष्ट तथा छिप्त हो, और इसके दो भेद हैं : मुतलक (व्यापक) तथा निस्बी (अपेक्षाकृत अथवा आंशिक) अल्लाह तआला के फरमान: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ (उसके वास्तविक अर्थ को अल्लाह तआला के सिवाय कोई नहीं जानता) में मिला कर पढ़ने तथा ठहर कर पढ़ने की स्थिति में जो अर्थ बनेगा वह इसी पर आधारित होगा:

- **मुतलक़ (व्यापक एवं आम):** जिसको अल्लाह के सिवाय कोई नहीं जानता, जैसे सिफ़ात (विशेषताओं) की कैफियत तथा जन्नत में जो कुछ है उसकी वास्तविकता।
- **निस्बी (अपेक्षाकृत अथवा आंशिक):** जिसको प्रकांड विद्वान जानते हैं, जब्कि अन्य के निकट वह मुतशाबेह होता है।

क़ुरआन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सभी लोगों के लिए समग्र रूप से अर्थ के आधार पर मुतशाबेह हो, हाँ समझने में त्रुटि हो जाना संभव है, इसीलिए अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कहा थाः "मैं उन दृढ़ ज्ञानी तथा प्रकांड विद्वानों में से हूँ जिन्हें तावील का ज्ञान दिया गया है", उन्होंने यह बात केवल अपनी प्रशंसा के लिये नहीं कहा था बल्कि उद्देश्य यह था कि क़ुरआन में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका अर्थ पता करना असंभव हो, क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन है कि यह उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ले कर अब तक क़ुरआन के अर्थ को पूरी तरह ना समझ सकी हो और वो स़िफ़ात (गुणों) वाली आयतों को बिना समझे यों ही रट्टू तोते की तरह केवल क़िरात (पाठ) करती रही हो।

चौथी दलीलः

और जब क़ुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से, (अल्लाह के नामों में से एक नाम) रह़मान (दयानिधि) की चर्चा करते हुए सुना तो इसका इंकार किया, तो इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत उतारीः ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ﴾ (वो रह़मान का इंकार करते हैं)।

मसाइलः

पहलाः अल्लाह तआला के किसी नाम अथवा सिफ़त का इंकार करने से ईमान चला जाता है (अर्थात ऐसा करने से ईमान का इंकार होता है)।

दूसराः सूरा रअद की आयत ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ﴾ की तफ़्सीर।

तीसराः श्रोता जिस बात को समझनें में असमर्थ हो उसे छोड़ देना चाहिये (हम उनसे ऐसी बातें करें जो उनकी समझ तथा बुद्धि के अनुकूल हो)।

चौथाः उस कारण का उल्लेख जिससे अल्लाह तआला तथा उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को झुठलाया जाता है यद्यपि इंकार करने वाले का उद्देश्य उसको झुठलाना न हो।

पाँचवांः इससे इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का यह कथन भी ज्ञात हुआ कि जिसने अल्लाह तआला के नामों अथवा गुणों से किसी एक का भी इंकार कर दिया वह उसके कारण नाश बर्बाद हुआ।

आठवें पाठ से परीक्षा (एक अध्याय)

प्रथम प्रश्न:(☒) चिन्ह उचित स्थान पर लगाएं अथवा वाक्य पूर्ण करें:

1- अस्मा व सिफ़ात (नाम तथा गुण) के इंकार के प्रकार हैं : ☐ दो ☐ तीन, इस्म और सिफ़त के बीच अंतर यह है कि इस्म वह है जिसके द्वारा अललाह का नाम रखा जाए तथा सिफ़त वह है जिसके द्वारा अल्लाह के गुण का पता चले।

2- क़ुरआन व हदीस़ में अवतरित किसी इस्म या सिफ़त का इंकार करना कुफ़्रे ☐ अकबर हैं ☐ अस़ग़र है।

3- इस्म मुश्तक़्क़ (यौगिक) है: ☐ सुमूव तथा बुलंदी से ☐ सिम्त तथा चिन्ह से ☐ उक्त सभी।

4- अल्लाह तआला के नामः ☐ आलाम (नाम) हैं ☐ औस़ाफ़ (गुण) हैं ☐ नाम तथा गुण दोनों हैं।

5- बंदों के नामः ☐ आलाम (नाम) हैं ☐ औस़ाफ़ (गुण) हैं ☐ नाम तथा गुण दोनों हैं।

6- इस्म (नाम) के दलालातः ☐ दलालते मुताबकत ☐ दलालते तज़म्मुन ☐ दलालते इल्तेज़ाम ☐ उक्त सभी।

7- अल्लाह तआला का नामः ☐ समानार्थी हैं ☐ विपरीतार्थी हैं ☐ समानार्थी एवं विपरीतार्थी दोनों हैं।

8- अल्लाह तआला के नामः (☐ निश्चित तथा सीमित हैं ☐ अनिश्चित तथा असीमित हैं) किसी निश्चित संख्या में।

9- सिफ़ात (गुणों) की संख्या अस्मा (नाम) से अधिक है क्योंकि हरेक इस्म सिफ़त को सम्मिलित हैः ☐ सही ☐ गलत।

10- बहुतेरे ऐसे सिफात हैं जिनका प्रयोग अल्लाह तआला के लिये किया जाता है किंतु वो अल्लाह के अस्मा में से नहीं हैं : ☐ सही ☐ गलत।

11- तमस़ील का इंकार करने से बेहतर तश्बीह का इंकार कहना हैः ☐ सही ☐ गलत।

12- अस्मा व सिफ़ात के पठन-पाठन के कारणः १- .... २- ....
३- .... ४- .... ५- ....

13- पठन-पाठन का ढ़ंगः १- .... २- ....
३- .... ४- ....

14- हम ऐसी बातें नहीं करेंगे जो लोगों की समझ से बाहर हो यद्यपि लोगों को इसकी आवश्यकता ही क्यों न होः ☐ सही ☐ गलत।

15- ﴿وَهُمۡ يَكۡفُرُونَ بِٱلرَّحۡمَٰنِۚ﴾ अर्थातः ....

16- सिफ़ात (विशेषताओं) वाले नुसूस (दलीलें) इस अर्थ में मुहकम (दृढ़) हैं कि उनका अर्थ स्पष्ट है, और मुतलक़ (व्यापक) तौर पर मुतशाबेह इसलिये हैं कि उनकी कैफियत अल्लाह के सिवाय किसी अन्य को मालूम नहीः ☐ सही ☐ गलत।

17- मुहकम का अर्थ होगा जब उसका वर्णन अकेले किया जायेः ☐ जिसका अर्थ स्पष्ट हो ☐ जिसमें कोई त्रुटि व ख़लल न हो।

18- मुतशाबेह का अर्थ जब उसका उल्लेख अकेले किया जाये किः कामिल व पूर्ण होने तथा सुंदर एवं अति उत्तम होने के आधार पर सभी एक दूसरे के समान हैं : ☐ सही ☐ गलत।

19- तशाबुह निस्बी (अपेक्षाकृत अस्पष्ट) हरेक के लिये अस्पष्ट होता है, जब्कि मुतलक़ तशाबुह (व्यापक रूप से अस्पष्ट) किसी के लिये अस्पष्ट होता है किसी के लिये नहीः ☐ सही ☐ गलत।

20- क़ुरआन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके अर्थ को समझना असंभव होः ☐ सही ☐ गलत।

21- दावत देने का कार्य करने वाले को चाहिये कि दावत दिये जाने वाले लोगों की समझ तथा बुद्धि का ध्यान रखे और लोगों को उसका उचित स्थान देः ☐ सही ☐ गलत।

22- क़ुरआन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अर्थगत रूप से हरेक के लिये मुतशाबेह (अस्पष्ट) होः (☐ सही ☐ गलत), और जहाँ तक हक़ाइक़ (वास्तविकता) का प्रश्न है तो ग़ैबी मामलों के संबंध में अल्लाह तआला ने जो सूचना दी हैं वो मुतशाबेह (अस्पष्ट) हैं (☐ कुछ ☐ समस्त) लोगों पर।

23- अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने यह क्यों कहा किः मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें तावील का इल्म दिया गया हैः ....

24- बिदअतियों (नवाचारियों) की सर्वाधिक बुरी बातों में से एक यह भी कहना है किः (सिफ़ात (गुणों) वाली आयतों का अर्थ नहीं समझा जा सकता), क्योंकि इस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को अज्ञानी मानना, क़ुरआन को झुठलाना एवं फलसफियों (दार्शनिकों) की बातों को प्रसिद्धता प्रदान करना अनिवार्य हो जाता हैः ☐ सही ☐ गलत।

25- बातिल परस्तों की एक पहचान यह भी है कि वो मुहकम को स्वीकार करते हैं किंतु मुतशाबेह का इंकार करते हैं : ☐ सही ☐ गलत।

26- अस्मा व सिफात के कुछ नियमों का उल्लेख करें : १- ....
२- .... ३- ....

द्वितीय प्रश्नः तालिका (क) के उचित वाक्यों को तालिका (ख) के उचित वाक्यों से मिलाएं:

ख	क	क्र.
यह इंकार को कहते हैं ओर इसके दो प्रकार हैं : झुठलाना और तावील करना।	तह़रीफ़	1
ज़ुबान से बोल कर, उँगलियों से लिख कर तथा दिल से सोच कर होगा।	तावील	2
कामिल व पूर्ण होने तथा उत्तमता एवं सुंदरता में एक-दूजे के समान है और एक-दूसरे को प्रमाणित करता है।	तात़ील	3
जिसको अल्लाह के लिये साबित करना है उसको बदल डालना चाहे वह शाब्दिक हो अथवा अर्थगत।	मुहकम	4
जिन नामों तथा गुणों को अल्लाह तआला के लिए प्रमाणित करना वाजिब है उनका इंकार करना (पूर्णरूपेण अथवा आंशिक)।	मुतशाबेह	5
इसमें कोई त्रुटि नहीं, इसकी सूचनाओं में कोई झूठ नहीं, और इसके अहकाम तथा आदेश में कोई ज़ुल्म एवं अत्याचार नहीं।	तकयीफ़	6
जिसकी दलील मौजूद हो वह स्वीकार्य तथा जिसकी दलील मौजूद न हो वह अस्वीकार्य है।	जुहूद (इंकार)	7

नौवां: वर्जित व शिर्क आधारित शब्द तथा वक्तव्य (२६ अध्याय)

- पुस्तक का यह सबसे लंबा अध्याय है, क्योंकि लेखक रहिमहुल्लाह का यह स्वाभाव है पहले संक्षिप्त वर्णन तत्पश्चात विस्तार।
- इस पाठ में वर्जित शब्द, शिर्क आधारित वक्तव्य तथा कुछ शिर्किया कृत्यों का वर्णन किया है, तथा शिर्क -ए- अस़ग़र को विस्तारित रूप में वर्णन करने पर ध्यान केंद्रित किया है क्योंकि यह छिप्त होता है, और इसी प्रकार कुफ्रान -ए- नेअमत (ईश्वर के प्रति अकृतज्ञता, अल्लाह तआला के अनुग्रहों की अवहेलना) का विस्तारित उल्लेख पर ध्यान केंद्रित किया है क्योंकि यह बाहुल्यता के साथ पाया जाता है।

४१- अल्लाह तआला के फरमान: ﴿يَعۡرِفُونَ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا﴾ الآيَةَ। (ये लोग अल्लाह की नेमतों को पहचानते हुए भी इंकार करते हैं) का अध्याय

(अल्लाह की नेमतों (नियामतों, अनुग्रहों) का इंकार करना शिर्क है)

(इस आयत की तफ़्सीर में) मुजाहिद रहिमहुल्लाह ने कहा है कि: "इसका अर्थ यह है कि जो इंसान कहता है कि यह मेरा धन है मैं अपने बाप-दादा से इसका उत्तराधिकारी हुआ हूँ", तथा औन बिन अब्दुल्लाह ने कहा: "लोग कहते हैं कि यदि अमूक न होता तो ऐसा न होता", तथा इब्ने कुतैबा ने कहा कि: "लोग कहते हैं कि यह हमारे देवताओं के सिफारिश से हुआ है",

- नेमत, आज़माइश (परीक्षण) है जिसकी दलील अल्लाह तआला का यह फरमान है: ﴿وَنَبۡلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلۡخَيۡرِ فِتۡنَةً﴾ (हम आज़माइश की ग़रज़ से तुम में से हरेक को बुराई व भलाई में मुब्तला करते हैं)।
- ख़ालिक़ और पैदा करने वाले की नियामत का संबंध किसी और से जोड़ना ख़लल व त्रुटि है, तौहीद -ए-: १- **रुबूबियत में** : क्योंकि इसमें सबब एवं माध्यम को ही कारक एवं प्रभावी समझना है। २- **इबादत में** : क्योंकि उसने शुक्र नहीं अदा किया।
- «يَقُولُونَ: لَوْلَا فُلَانٌ لَمْ يَكُنْ كَذَا» "लोगों का इस प्रकार बोलना कि: यदि अमूक न होता तो ऐसा हो जाता": यदि इससे अभिप्राय सच्ची एवं वास्तविक घटना को बताना तथा घटना का सटीक चित्रण करना हो तो इस प्रकार कहने में कोई हर्ज नहीं है।

नियामत जब आज़माईश (परीक्षा) है तो फिर हम इससे कैसे बचें ?

नियामत मिलने के पूर्वः

आवश्यक है कि यह केवल अल्लाह से ही माँगा जाये और इस संबंध में हार्दिक संबंध केवल अल्लाह से ही हो, कुछ लोगों का यह प्रयास रहता है कि उसको मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पहचाने तथा उसको उपहार स्वरूप कुछ दे, जब्कि होना यह चाहिये कि जिस प्रकार से जन्नत केवल अल्लाह तआला से ही माँगी जाती है उसी प्रकार रिज़्क (जीविका) भी केवल अल्लाह तआला से ही माँगना चाहिये।

नियामत मिलने के पश्चातः

आवश्यक है कि कृपा तथा एहसान करने वाले का दिल, ज़ुबान तथा शारीरिक अंगों द्वारा शुक्र अदा करे।

नियामत के संबंध किसी से जोड़ने के मामले में लोगों के प्रकारः

शिर्क -ए- अकबरः ऐसा छिप्त कारण हो जिसका कहीं कोई प्रभाव नहीं हो।

शिर्क -ए- अस़ग़रः उसका संबंध किसी प्रकट एवं ज़ाहिरी चीज़ से जोड़े, किंतु शरई या इंद्रीय तौर पर उसका सबब व माध्यम होना साबित न होः

सहीः इस तौर पर कि शरीअत अथवा इंद्रीय द्वारा प्रमाणित किसी सही सबब व माध्यम से उसका संबंध जोड़े, यह दो शर्तों के साथ जायज़ हैः

- इनाम करने वाले (अल्लाह तआला) का शुक्र अदा करना न भूले।
- यह अक़ीद न रखे कि यह सबब एवं माध्यम स्वयं अपने आप प्रभावी है।

दूसरी दलीलः

शैख़ुल इस्लाम अबुल अब्बास रह़िमहुल्लाह ने ज़ैद बिन ख़ालिद की ह़दीस़ के बाद कहा है जिसमें यह है कि (अल्लाह तआला फरमाता है): «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ...» (आज मेरे कुछ बंदे मोमिन हो कर तो कुछ काफिर हो कर सुबह किया) -पूर्व में इस ह़दीस़ का वर्णन हो चुका है- : "क़ुरआन व ह़दीस़ में यह बात कई बार आई है कि अल्लाह तआला उन लोगों कि निंदा करता है जो उसके नियामत एवं प्रदानों को

उसके सिवा किसी और से संबंध जोड़ देते हैं तथा अल्लाह तआला के साथ शिर्क करते हैं"।

कुछ सलफ़ (नेक पूर्वज) कहते हैं किः "यह ऐसे ही जैसे कुछ लोग कह देते हैं : वायु बहुत अच्छी थी, मांझी (मल्लाह) दक्ष था, या इसी प्रकार की बातें जो बहुत से लोग बोलते रहते हैं"।

मसाइलः

पहलाः अल्लाह तआला की नियामतों को पहचानने के बाद उसका इंकार करने की व्याख्या (अर्थात अपने इंद्रीय द्वारा पहचान तो लेते हैं कि यह अल्लाह की ओर से है, लेकिन उसका इंकार इस अर्थ में करते हैं कि उसका संबंध किसी और से जोड़ देते हैं)।

दूसराः यह भी स्मरण रहे कि अल्लाह तआला के नियामतों के इंकार के ये रूप लोगों की ज़ुबान पर रहते हैं अर्थात वो इस प्रकार की बातें बोलते रहते हैं (उदाहरणस्वरूपः हवाई जहाज़ के लैण्डिंग के समय भी लोग ऐसा करते हैं)।

तीसराः ऐसी बातें करना अल्लाह तआला की नियामतों का इंकार करना है (वह इसके द्वारा अल्लाह के एहसान व उपकार का इंकार करते हैं उसके अस्तित्व का इंकार नहीं करते हैं, क्योंकि वह उसे पहचानते हैं तथा उसके अस्तित्व का अनुभव करते हैं)।

चौथाः एक ही हृदय में दो प्रतिकूल तथा विरोधाभास का एकत्र होना (अल्लाह तआला की नियामतों को पहचानना किंतु किसी और से इसका संबंध जोड़ कर इसका इंकार करना)।

४२- अल्लाह तआला के फरमानः ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (अतः तुम जानबूझकर किसी को अल्लाह तआला का साझी न बनाओ) का अध्याय

- जब तुम जानते हो कि रुबूबियत में उसके कोई समतुल्य तथा साझी नहीं है तो फिर इबादत में क्यों उसका निद्द और शरीक ठहराते हो, यह आयत क़ुरआन की पहली आयत है जिसमें तौहीद का हुक्म (आदेश) और निदा (पुकार) है इसी प्रकार शिर्क से रोकने वाली भी यह क़ुरआन की पहली आयत है।

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इस आयत की तफ़्सीर में फरमाया किः (निद्द से अभिप्राय शिर्क है जो अँधेरी रात में काले पत्थर पर चींटी की चाल से अधिक हल्की एवं छिप्त है, शिर्क यह होता है कि तुम इस प्रकार कहोः (وَاللهِ وَحَيَاتِكِ يَا فُلَانَةُ، अल्लाह की क़सम और तेरी ज़िंदगी की क़सम), या यह कहना (وَحَيَاتِي, मेरी जान की क़सम), या इस प्रकार कहनाः (لَوْلَا كُلَيْبَةُ هَذَا لأَتَانَا اللُّصُوصُ, यदि यह कुतिया न होती तो हमारे यहाँ चोर आ जाते) या इस प्रकार कहनाः لَوْلَا الْبَطُّ فِي الدَّارِ لأَتَى اللُّصُوصُ, यदि घर में बत्तख़ न होती तो हमारे घर में चोर घुस जाते) या किसी का अपने साथी से इस प्रकार कहनाः (مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ, जो अल्लाह चाहे और तुम चाहो) या इस प्रकार कहनाः (لَوْلَا اللهُ وَفُلَانٌ, अल्लाह तथा अमूक आदमी न होता ...) तुम इस प्रकार कामों में अल्लाह तआला के संग किसी और को सम्मिलित रखो, यह सब अल्लाह के साथ शिर्क करना है)। इसको इब्ने अबू हातिम ने रिवायत किया है।

- «أَخْفَى مِنْ...»: किसी वस्तु के छिपाव एवं गुप्तता को बताने के लिये यह अति उत्तम वाक्य है, जब मानव जाति के हृदय में शिर्क इस से भी अधिक गुप्त है तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इससे बचने में हमारी सहायता करे।

दूसरी दलीलः

उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» **"जिसने अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की शपथ ली उसने कुफ्र अथवा शिर्क किया"**। इस हदीस़ को इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है तथा ह़सन कहा है और इमाम ह़ाकिम ने इसे सही कहा है।

तीसरी दलील:

अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं : (لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا؛ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا) "मैं अल्लाह की झूठी शपथ लूँ यह मुझे इससे अधिक प्रिय लगता है कि मैं ग़ैरुल्लाह की सच्ची शपथ लूँ"।

- «كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»: यदि यह अक़ीदा रखे कि महलूफ बिहि (जिसकी शपथ ली जा रही है) वह महानता तथा आदर में अल्लाह तआला के समान है तो शिर्क -ए- अकबर है अन्यथा शिर्क -ए- असग़र है।
- अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु को न तो ग़ैरुल्लाह की सच्ची शपथ लेना पसंद था और न ही अल्लाह की झूठी क़सम खाना, बल्कि यह बताना उद्देश्य था कि शिर्क की बुराई झूठ की बुराई से गंभीर एवं संगीन है, क्योंकि शिर्क कभी माफ़ नहीं किया जायेगा।

चौथी दलील:

हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ» "**जो अल्लाह चाहे तथा अमूक व्यक्ति चाहे, ऐसा न बोलो, बल्कि इस प्रकार बोलो: जो अल्लाह चाहे तत्पश्चात जो अमूक व्यक्ति चाहे**"। अबू दाऊद ने इसको सही सनद के साथ रिवायत किया है।

पाँचवीं दलील:

इब्राहीम नख़ई का कथन है कि:(أَعُوذُ بِاللهِ وَبِكَ, मैं अल्लाह की तथा तेरी शरण चाहता हूँ) कहना अप्रिय तथा नाजायज़ है, परंतु (بِاللهِ ثُمَّ بِكَ, मैं अल्लाह की तत्पश्चात तेरी शरण चाहता हूँ) कहना जायज़ है, इसी प्रकार (لَوْلَا اللهُ ثُمَّ فُلَانٌ, यदि अल्लाह फिर अमूक व्यक्ति न होता तो ...) कह सकते हैं किंतु (لَوْلَا اللهُ وَفُلَانٌ, यदि अल्लाह तथा अमूक व्यक्ति न होता तो ...) कहना सही नहीं है।

- «وَلَكِنْ قُولُوا»: इस्लामी शरीअत जब ह़राम का दरवाज़ा बंद करती है तो उसी के समतुल्य जायज़ वाला दरवाज़ा भी खोलती है ताकि ह़राम को छोड़ना आसान हो जाये, और हमें शरीअत की महानता तथा सरलता का आभास हो।

मसाइलः

पहलाः अन्दाद (अल्लाह के समान समझे जाने वालों) से सम्बन्धित सूरा बक़रा के आयत (३२) की तफ़्सीर।

दूसराः सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम शिर्क -ए- अकबर (महा शिर्क) के संबंध में उतरी आयतों की व्याख्या इस प्रकार करते थे कि वह शिर्क -ए- असग़र (छोटा शिर्क) को भी अपने समाहित कर लेती थीं (क्योंकि निद्दः समानता, समतुल्य तथा समकक्ष होने के अर्थ में पूर्णरूपेण अथवा आंशिक तौर पर शामिल है)।

तीसराः अल्लाह तआला के अतिरिक्त किसी अन्य की शपथ लेना शिर्क है (जैसे इस प्रकार कहनाः तेरे जीवन की सौगंध, मेरे जीवन की सौगंध, तेरे ज़िम्मा (उत्तरदायित्व) की शपथ, मेरे ज़िम्मा (उत्तरदायित्व) की शपथ, मेरे गर्दन की क़सम, मेरे दाढ़ी की क़सम, मेरे मुख की सौगंध, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़सम, मेरे इज़्ज़त की क़सम, काबा की क़सम, तेरे नमाज़ की क़सम, तेरे रोज़े की क़सम, तेरे आयु की सौगंध, तेरे सहायता की सौगंध, (मिट्टी की सौगंध) या फिर अपने क़सम में इस प्रकार कहेः यदि वह ऐसा करे तो वह यहूदी या ईसाई या काफिर है)।

चौथाः ग़ैरुल्लाह के नाम की सच्ची शपथ, यमीन -ए- ग़मूस से बड़ा पाप है (और यमीन -ए- ग़मूस यह है कि इंसान अल्लाह तआला की झूठी क़सम इस लिये खाये कि इसके द्वारा किसी मुसलान का धन छीन ले)।

पाँचवांः अरबी वर्णमाला के एक व्यंजन “ वाव ” (अर्थातः और, -एवं, तथा-) तथा “ सुम्मा ” (**अर्थातः** तत्पश्चात, फिर) में अर्थगत अंतर है (क्योंकि “ वाव ” समानता एवं बराबरी को दर्शाता है अतः यह शिर्क हो जाता है, जब्कि “ सुम्मा ” क्रम-सूचक है अर्थात यह पूर्व उल्लेखित के समक्ष तुच्छता को दर्शाता है अतः यह शिर्क नहीं होता, जैसे कोई कहेः अल्लाह की मेरी और तुम्हारी क़सम, मैं अल्लाह के तथा तुम्हारी शरण में हूँ, मेरे लिये केवल अल्लाह तथा आप हैं, मैं अल्लाह तआला पर और आप पर तवक्कुल व भरोसा करता हूँ, यह अल्लाह की ओर से तथा आपकी ओर से है, मेरे लिए आसमान में अल्लाह तआला तथा ज़मीन पर आप हैं, मैं अल्लाह तआला के समक्ष तथा आप के समक्ष तौबा करता हूँ)।

४३- जो अल्लाह के नाम की क़सम खाये जाने पर संतुष्ट न हो

क़सम खाने वाले ने जिस चीज़ पर क़सम खाई है उसको और अधिक प्रासंगिक तथा सार्थक बनाने के लिये ऐसी चीज़ की क़सम खाता है जिसका वह अत्याधिक आदर करता है, अतः अल्लाह के नाम की क़सम खाये जाने पर भी संतुष्ट न होना दर्शाता है कि उसके निकट अल्लाह तआला के लिये आदर-भाव में कमी है, जो कमाल -ए- तौहीद (तौहीद का उच्चतम एवं पूर्ण रूप) के विपरीत है।

पहली दलील:

अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ»، **"अपने पूर्वजों की सौगंध न खाओ, जो व्यक्ति अल्लाह की क़सम खाये वह सच बोले तथा जिसके लिये अल्लाह के नाम की क़सम खाई जाये वह मान ले तथा जो न माने उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं"**। इसे इब्ने माजा ने ह़सन सनद से रिवायत किया है।

अल्लाह के नाम की क़सम पर संतुष्ट होने के प्रकार:

इंद्रीय: जिसके लिये क़सम खाई जा रही है उसकी पाँच स्थिति हो सकती है:

1. उसका झूठ होना विदित हो, तो उसके प्रमाणत्व की आवश्यकता नहीं है।
2. उसके झूठे होना के अधिक गुमान हो, तो उसके प्रमाणत्व की आवश्यकता नहीं है।
3. दोनों गुमान समान हों, तो उसको सच्चा मानना आवश्यक है।
4. उसके सच्चा होने का अधिक गुमान हो, तो उसको सच्चा मानना आवश्यक है।
5. उसका सच्चा होना विदित हो, तो उसको सच्चा मानना आवश्यक है।

शरई: जब मुद्दालय को क़सम खाने के लिये कहा जाये और वह शरीअत के तक़ाज़ा के अनुसार अल्लाह की क़सम खाये तो उस क़सम से राज़ी व संतुष्ट होना वाजिब व अनिवार्य है।

मसाइल:

पहला: पूर्वजों के नाम की सौगंध की नह्य (वर्जना) (और यह नह्य हराम -निषेध- क़रार देने के लिये है)।
दूसरा: जिसके लिये अल्लाह के नाम की क़सम खाई जाये उसे इसका मान लेने का आदेश।
तीसरा: जो अल्लाह के नाम की क़सम पर संतुष्ट न हो उसके लिये धमकी व चेतावनी।
(**चौथा:** शपथ लेने वाले को सच बोलने का आदेश, क्योंकि सामान्य रूप में भी जब क़सम की स्थिति न हो तब भी सच बोलने का आदेश है तो क़सम खाते समय यह और प्रासंगिक हो जाता है।)

४४- (जो अल्लाह चाहे तथा जो आप चाहें) बोलने का हुक्म

पहली दलील:

क़ुतैला रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णित है कि एक यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आकर कहने लगा: إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَأَنْ يَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ "तुम (मुसलमान) लोग शिर्क करते हो जब तुम यों कहते हो: जो अल्लाह चाहे और तुम चाहो, तथा जब यों कहते हो: काबा की क़सम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को आदेश दिया कि: **शपथ लेना हो तो काबा के स्थान पर काबा के रब का शपथ लो तथा जो अल्लाह चाहे और आप चाहें कहने के स्थान पर, जो अल्लाह चाहे तत्पश्चात आप चाहें, कहो**"। इसे नसाई ने रिवायत किया है तथा सही कहा है।

दूसरी दलील:

सुनन नसाई ही में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है कि एक व्यक्ति ने कहा: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ: «أَجَعَلْتَنِي لله نِدًّا؟! مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ»، "जो अल्लाह चाहे तथा आप चाहें, तो आप ने फरमाया: तुमने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया, इस प्रकार कहो: जो केवल अकेला अल्लाह चहे।

- **यहूदी को यहूदी क्यों कहते हैं ?**

1. क्योंकि उन लोगों ने कहा: (هدنا إليك) (हम अल्लाह की ओर लौटने वाले हैं)।
2. क्योंकि उनके पूर्वज का नाम यहूज़ा पुत्र याक़ूब था।

- **प्रथम हदीस़ के कुछ फायदे निम्नलिखित हैं :**

1. यद्यपि यहूदी का उद्देश्य निंदा करना था तथापि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसका इंकार नहीं किया, क्योंकि उसने बात बिल्कुल सही कही थी।
2. हक़ (सत्य) को स्वीकार करने का मशरूअ (शरीअत से साबित) होना, यद्यपि हक़ की ओर ध्यानाकर्षण कराने वाला स्वयं हक़ पर चलने वाला न हो।
3. किसी चीज़ को बदलते समय इसका ध्यान रखा जाये कि उसे किसी मिलती जुलती (जायज़) चीज़ की ओर फेर दिया जाये।

- इस अमल की ओर यहूदी ने ही क्यों ध्यानाकर्षण कराया ? इसमें हिकमत उन यहूदियों का परीक्षण व आज़माइश है जो स्वयं तो शिर्क -ए- अकबर में लिप्त थे, किंतु मुसलमानों की आलोचना करते थे और अपना दोष उन्हें दिखाई नहीं देता था।

- «مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ»: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनका मार्गदर्शन ऐसी चीज़ की ओर किया जो शिर्क से पूर्णरूपेण दूर कर दे, आपने उनका मार्गदर्शन यह कहने की ओर (ما شاء الله ثمّ شئت , कि जो अल्लाह चाहे तत्पश्चात आप चाहें) कहने की ओर इस लिए नहीं किया ताकि शिर्क तक पहुँचने का हर चोर दरवाज़ा बंद हो जाये, और ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने चमन -ए- तौह़ीद की रक्षा तथा अल्लाह तआला के आदर का ध्यान रखते हुए किया।

तीसरी दलील:

इब्ने माजा में आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सौतेले भाई तुफ़ैल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने सपना देखा कि मैं कुछ यहूदियों के पास से गुज़रा तो मैंने कहाः तुम अच्छे लोग हो यदि उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पुत्र न कहो, तो उन्होंने भी कहाः तुम लोग भी अच्छे हो यदि (مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ, जो अल्लाह चाहे और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) चाहें न कहो, उसके बाद मैं ईसाईयों के निकट से गुज़रा तो मैंने कहाः तुम श्रेष्ठ लोग हो यदि (ईसा) मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा न कहो, तो उन्होंने भी कहाः तुम लोग भी अच्छे हो यदि (مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ, जो अल्लाह चाहे और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)) चाहें न कहो, जब सवेरा हुआ तो कुछ लोगों को मैंने अपना यह स्वप्न सुनाया, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया तथा आप को इस के संबंध में सूचना दी तो आपने फरमायाः क्या किसी को इस के विषय में कुछ बताया है ? मैंने कहाः हाँ, वह कहते हैं फिर (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ख़ुत्बा -भाषण- देने के लिये खड़े हुये) अल्लाह तआला कि प्रशंसा करने के पश्चात फरमायाः «أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ طُفَيْلًا رَأَى رُؤْيَا أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَإِنَّكُمْ قُلْتُمْ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا، فَلَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ» **“ तुफ़ैल ने एक सपना देखा जिसके बारे में तुम लोगों को सूचित किया, और हाँ, तुम लोग कुछ ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हो जिससे अमूक-अमूक बातों ने मुझे तुमको मना करने से रोक दिया था, अतः (अब) यह न कहो किः जो अल्लाह तआला तथा मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) चाहें, बल्कि इस प्रकार कहोः जो अकेला अल्लाह चाहे ”।**

- «يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا»: (अमूक-अमूक बातों ने मुझे तुमको मना करने से रोक दिया): लज्जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को लोगों को इस प्रकार बोलने से मना करने से रोकती थी किंतु यह बातिल का इंकार करने के वर्ग से नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इससे मना करने से जो चीज़ रोकती थी वह यह था कि अभी अल्लाह की ओर से इस संबंध में कोई आदेश अवतरित नहीं हुआ था, मदिरा (शराब) के समान यहाँ भी आप मौन धारण किये रहे यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने इसे ह़राम (निषेध) घोषित कर दिया।

जिसको सोने वाला देखता है उस (सपना) के प्रकार:

रोज़ाना की गतिविधियां	ख़्वाब एवं सपना	परेशान ख़्वाब (आत्मप्रतारणा)

मसाइल:

पहला: यहूदी शिर्क -ए- असग़र से भली-भांति परिचित थे।

दूसरा: इंसान की इच्छा हो तो वह सत्य असत्य की खोजबीन करता है।

तीसरा: (आगंतुक ने जब: जो अल्लाह चाहे और आप चाहें, कहा तो) नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: («أَجَعَلْتَنِي لله نِدًّا؟!» तुमने मुझे अल्लाह का साझी बना दिया) तो उसको क्या कहा जायेगा जिसने यों कहा: (...مَالِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ, हे अल्लाह के रसूल आप के सिवाय कोई नहीं मैं जिसकी शरण में जाऊँ) तथा इसके बाद की दो अतिरिक्त पंक्तियाँ, इसका सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है? (यह कुफ्र तथा अतिश्योक्ति की पराकाष्ठा है)।

चौथा: (जो अल्लाह तआला चाहे और आप चाहें), इन जैसे वाक्य शिर्क -ए- अकबर नहीं हैं (अन्यथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इससे रोक देते) और यों नहीं कहते: («يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا» तुम्हें इससे रोकने में मुझे हिचकिचाहट थी)।

पाँचवां : अच्छा ख़्वाब भी वह्य (प्रकाशना) की एक क़िस्म है (शूभ सपना भी एक प्रकार की प्रकाशना है)।

छठा: अच्छा सपना कभी-कभी किसी धार्मिक विधि (अहकाम) के निर्धारण का कारण हो जाता है (और ऐसा होना केवल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग में आपके जीवित रहने तक ही संभव था)।

४५- समय एवं युग को अपशब्द कहना दरअसल अल्लाह को पीड़ा देना है (घटना का संबंध किसी काल से जोड़ देना)

- «فَقَدْ آذَى اللهَ» : पीड़ा देने का कदापि यह अर्थ नहीं है कि उसको हानि भी हो, इंसान कभी-कभी बुरी बातों को सुन कर भी पीड़ा का अनुभव करता है किंतु इससे उसको कोई हानि नहीं होती, इसीलिये अल्लाह तआला ने क़ुरआन में अपने लिये पीड़ा को तो साबित किया है किंतु इसका इंकार किया है कि कोई चीज़ उसको हानि पहुँचा सकती है।

ज़माना को अपशब्द कहने के प्रकार:

जायज़ है:	हराम (निषेध) है:	शिर्क -ए- अकबर है:
यदि इसके द्वारा उद्देश्य केवल सूचना देना भर हो निंदा करना नहीं, जैसे कोई कहे: हम आज तेज़ गर्मी से परेशान हो गये, और इसी अर्थ में अल्लाह का यह फरमान है: ﴿هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾ (आज का दिन बड़ी मुसीबत का दिन है)।	यदि ज़माना को अपशब्द तो कहे परंतु यह आस्था न हो कि वास्तविक कारक वही है, बल्कि यह आस्था रखते हुए कि वास्तविक कारक (करने वाला) तो केवल अल्लाह ही है, परंतु ज़माना को अपशब्द इसलिये कहे कि इसमें अप्रिय घटना घटी है।	यदि इस आधार पर ज़माना को गाली दे कि वही वास्तविक कारक एवं इसको करने वाला है, जैसे यह आस्था रखे कि मामलों को बुराई एवं भलाई की ओर पलटने वाला स्वयं ज़माना ही है।

पहली और दूसरी दलील:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ الآيَةَ।

(उन्होंने कहा कि हमारा सांसारिक जीवन ही एकमात्र जीवन है, हम जीते हैं तथा मरते हैं और ज़माना ही हमारा नाश करता है)।

२- और सहीह (बुख़ारी) में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ: أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»

"अल्लाह तआला फरमाता है: आदम का पुत्र ज़माना को अपशब्द कह कर मुझे पीड़ा देता है, क्योंकि मैं ही ज़माना हूँ : दिन तथा रात को मैं ही बदलता हूँ"।

और एक रिवायत में इस प्रकार है: «لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ؛ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ» **"ज़माना एवं काल को अपशब्द न कहो इसलिये कि अल्लाह तआला ही ज़माना है"।**

- ﴿حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا﴾: अर्थात अस्तित्व तथा जीवन जो कुछ है सब यही है, आख़िरत कोई चीज़ नहीं है।
- ﴿وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ﴾: अर्थात हमारा नाश अल्लाह के आदेश और उसके क़ुदरत से नहीं होती, बल्कि जिसकी आयु अधिक हो जाये उसकी मृत्यु अधिक आयु हो जाने के कारण होती है तथा जिसकी अल्प आयु में मृत्यु हो जाये उसकी मृत्यु, रोग, दुःख तथा शोक के कारण होती है, सारांश यह है कि उनका मानना यह था कि उनको नाश करने वाला ज़माना एवं काल ही होता है।
- «يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ»: अर्थात अल्लाह तआला को पीड़ा होती है, और अल्लाह के लिए पीड़ा का सबूत मौजूद है, अतः हमारे लिये वाजिब व अपरिहार्य है कि हम उस चीज़ (पीड़ा) को अल्लाह के लिए प्रमाणित करें जो अल्लाह तआला ने अपने लिए प्रमाणित किया है क्योंकि हम अल्लाह तआला के विषय में अल्लाह तआला से अधिक नहीं जानते हैं, किंतु यह पीड़ा मख़लूक़ (जीव) की पीड़ा के समान नहीं होती।
- «يَسُبُّ الدَّهْرَ»: अर्थात उसको गाली देता है, अपशब्द एवं बुरा-भला कहता है, और लानत-मलामत करता है, और दह्र युग, काल, ज़माना तथा समय को कहते हैं।
- «وَأَنَا الدَّهْرُ»: "मैं ही ज़माना हूँ" का अर्थ है, ज़माना की तदबीर, उपाय एवं देख-भाल करने वाला, उसको उलटने-पुलटने वाला और उसे आदेश देने वाला अल्लाह तआला ही है, जैसे हवा (वायु) इत्यादि।

क्या "दह्र" (دهر, ज़माना) अल्लाह तआला के नामों में से एक नाम है ?

"दह्र" अल्लाह तआला के नामों में से एक नाम नहीं है, निम्निलिखित कारणों सेः

1. जिस प्रसंग में यह आयत है वह इसका खंडन करता है, क्योंकि "दह्र" यदि अल्लाह तआला का नाम होता अहले जाहिलयत का इस प्रकार का अक़ीदा रखना सही होता।
2. ह़दीस़ जिस संदंर्भ में है उससे भी इसका खंडन होता है।
3. जिसने कहा कि "दह्र" ही अल्लाह है उसने मख़लूक़ (रचना) को ही ख़ालिक़ (रचनाकार) मान लिया।
4. अल्लाह तआला के समस्त नाम हुस्ना (अच्छे तथा सुंदर) हैं जो सुंदरता एवं परिपूर्णता में अपनी अंतिम हद को पहुँचे हुए हैं, जिसका अपना एक विशेष अर्थ होता है, जब्कि "दह्र" में कोई सुंदरता कोई अच्छाई नहीं है।
5. अल्लाह तआला के सभी नाम मुश्तक़ (यौगिक) हैं, जब्कि "दह्र" इस्मे जामिद (रूढ़ि) है।
6. पशुओं, वायु तथा बुख़ार (ज्वार) को भी (ज़माने ही की तरह) गाली देने से रोका गया है।

मसाइल:

पहला: ज़माना को गाली देने को वर्जित क़रार देना (जैसे यह कहना: हाय ज़माने के दु:ख, अथवा: ज़माना बुरा है, अथवा: ज़माना ग़द्दार है)।

दूसरा: ज़माना को बुरा:भला कहने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अल्लाह तआला का पीड़ा पहुँचाने का नाम दिया है।

तीसरा: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फरमान: «فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ» (अल्लाह तआला ही ज़माना है) में गहन सोच विचार करना चाहिए (अर्थात इसका अभिप्राय यह है कि अल्लाह तआला ही ज़माना में हेर-फेर करने वाला इसको उलटने-पुलटने वाला तथा इसकी तदबीर एवं उपाय करने वाला है)।

चौथा: इंसान कभी-कभी गाली बोल बैठता है यद्यपि दिल से इसका इरादा नहीं होता है।

(**पाँचवां** : सूरा जासिया की आयत ﴿وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْرُ﴾ की तफ़्सीर।)

४६- क़ाज़ी अल-क़ुज़ात (सर्वोच्च न्यायाधीश) आदि नाम रखना

- अर्थात कोई अपना यह नाम रखले, अथवा कोई दूसरा उसे इस नाम से पुकारे तो उसे प्रसन्नता हो।

क़ाज़ी अल-क़ुज़ात (सर्वोच्च न्यायाधीश) की उपाधि धारण करने का हुक्म ?

- गुनाह -ए- कबीरा है, यदि उसका उद्देश्य केवल यह उपाधि धारण करना मात्र हो।
- शिर्क -ए- अकबर है, यदि यह आस्था रखे कि वह तमाम न्यायकारियों से उच्च यहाँ तक कि अल्लाह तआला से भी बढ़ कर क़ाज़ी (न्यायाधीश) है।
- जायज़ है, यदि इसको किसी विशेष समूह, देश अथवा समय के साथ सीमित कर दिया जाये, किंतु बेहतर यही है कि इस प्रकार की उपाधि धारण करने से बचे।

पहली दलील:

सही (मुस्लिम) में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ: رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاكِ، لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ» **"अल्लाह के निकट सबसे घटिया व पतित नाम वह है कि कोई अपने आपको राजाओं का राजा (महाराजा) कहलाये, अल्लाह तआला के सिवा कोई अधिपति (महाराजा) नहीं"**। सुफयान रहिमहुल्लाह ने ह़दीस़ में अवतरित शब्द मलिकुल अमलाक का अनुवाद (शाहों के शाह) शहंशाह से किया है। और एक रिवायत में यह भी आया है कि: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ» **"क़्यामत के दिन अल्लाह के समीप सर्वाधिक क्रोध का पात्र तथा पतित पुरूष वह होगा जो अपने आपको महाराजा कहलवाये"**। और ह़दीस़ में अवतरित अरबी शब्द («أَخْنَعُ» अख़नअ का अर्थ है: महा घटिया)।

- «أَخْنَعَ»: उसकी इच्छा (स्वयं को सम्मानित करवाने) के विपरीत (उसको अपनामित करने) के द्वारा उसको दंडित किया गया, और इसी वर्जित वर्ग में वह समस्त चीज़ें आ जायेंगी जो ताक़त, ग़लबा (प्रभुत्व) तथा आदर का अर्थ अपने अंदर रखती हों।
- «أَغْيَظُ»: इसमें अल्लाह तआला की एक विशेषता ग़ैज़ (क्रोध, प्रकोप) का प्रमाण है और यह विशेषता अल्लाह तआला के लिये उसी रूप में हम प्रमाणित करते हैं जो अल्लाह की महानता के अनुरूप हो, और स्पष्टतया यह शब्द «أَغْيَظُ» "अग़यज़ु" अत्याधिक क्रोध तथा नाराज़गी को दर्शाता है।

मसाइल:

पहला: किसी को राजाओं का राजा (महाराजा) कहने की वर्जना।

दूसरा: जो भी नाम इस अर्थ में हों वो इसी प्रकार अवैध हैं, जैसाकि सुफियान रहि़महुल्लाह ने उदाहरण देकर स्पष्ट किया है (जैसे क़ाज़ी अल-क़ुज़ात (सर्वोच्च न्यायाधीश), हाकिम अल-हुक्काम (महा हाकिम), सुलतान अल-सलातीन (महा शासक) आदि उपाधि धारण करना)।

तीसरा: इन जैसे शब्दों के अप्रिय होने में गहन सोच-विचार करना चाहिए, यद्यपि दिल में इन शब्दों को इनके वास्तविक अर्थों में प्रयोग करने का इरादा ना हो तब भी।

चौथा: यह भी समझना चाहिए कि ऐसे उपाधियों को केवल अल्लाह तआला की महानता एवं आदर का ध्यान रखते हुये निषेध किया गया है।

४७- अल्लाह तआला के नामों का आदर तथा इसके कारण नामों को बदल देना

अल्लाह तआला के नामों के प्रकार:

विशेष (आरक्षित): जो केवल अल्लाह के लिए ही सही है, इसके द्वारा अल्लाह के सिवा किसी और का नाम नहीं रखा जायेगा और यदि रख दिया जाये तो उसको बदलना वाजिब है, जैसे: अल्लाह, अल-रहमान, रब्बुल आलमीन, तथा इन जैसे अन्य नाम।

सामान्य (अनारक्षित): जिससे अल्लाह के सिवा अन्य का नाम रखना भी सही हो, जैसे: अल-रहीम, अल-समीअ, अल-बसीर, यदि इसमें विशेषता एवं गुण पाये जाने की शंका हो तो वर्जित होगा, और यदि विशेषता पाये जाने का संदेह न हो तो इस के द्वारा नाम रखना इस आधार पर जायज़ होगा कि यह केवल अलम (संज्ञा) मात्र हैं।

पहली दलील:

अबु शुरैह रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उनकी कुन्नीयत (उपाधि) अबू हकम थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «**إِنَّ اللهَ هُوَ الْـحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْـحُكْمُ**»، فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ: «**مَا أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟**»، قُلْتُ: شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُ اللهِ، قَالَ: «**فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟**»، قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: «**فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ**» **"हकम (शासक) तो केवल अल्लाह तआला है तथा हुक्म (शासन) भी केवल उसी का चलता है, उन्होंने कहा: मेरी जाति के लोगों के बीच जब किसी बात पर मतभेद हो जाता है तो वे मेरे पास आते हैं और मैं उनके मध्य निर्णय कर देता हूँ जिस पर दोनों पक्ष प्रसन्न हो जाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: यह तो बड़ी अच्छी बात है, फिर पूछा: तुम्हारा कोई पुत्र है ? मैंने कहा: (हाँ हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं) शुरैह, मुस्लिम तथा अब्दुल्लाह, आपने पूछा: इसमें सबसे बड़ा कौन है ? मैनें कहा: शुरैह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: (फिर तो आज से) तुम अबू शुरैह हो"।**

कुन्नीयत (उपाधि, उपनाम) उस को कहते हैं जिसके पहले अब (पिता) अथवा उम्म (माता) अथवा अम्म (चाचा) अथवा ख़ाल (मामूँ) लगा हुआ हो, और चूँकि उस सहाबी के नाम में अल्लाह की एक विशेषता जो कि "ह़कम" है उसका संदेह हो रहा था इस आधार पर यह अल्लाह तआला के नाम के समान एवं समकक्ष हो रहा था, और यह केवल अलम (संज्ञा) भर होने के कारण नहीं था बल्कि वह संज्ञा जिस विशेषता वाले अर्थ को अपने अंदर समाहित किए हुई थी इस कारण था, तो इस तरह यह एक प्रकार से अल्लाह तआला के साथ समानता थी, इसी लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनके लिये एक उचित उपाधि का चयन किया और इसे धारण करने के लिये कहा, और हाँ आपने उनको फिर से अक़ीक़ा करने का आदेश नहीं दिया।

मसाइल:

पहला: अल्लाह तआला के नामों तथा विशेषताओं का संपूर्ण आदर यद्यपि दूसरों के लिये इसे प्रयोग करते समय इसका अर्थ अभिप्रेत न हो (अर्थात: वह नाम जो अल्लाह तआला के लिए आरक्षित हैं या जिसमें विशेषता में समानता व समतुल्यता पाए जाने का संदेह हो)।

दूसरा: अल्लाह तआला के नामों का आदर करते हुए (शिर्क आधारित तथा ग़लत) नामों को बदल देना (इसी प्रकार यदि नाम का अर्थ भी अनुचित हो तो उसको बदल देना चाहिए)।

तीसरा: कुनियत तथा उपाधि धारण करते समय सबसे ज्येष्ठ पुत्र के नाम पर उपाधि धारण करना चाहिए (कुनियत रखना जायज़ तथा मुबाह़ है, और हाँ, ज्ञात रहे कि मुश्रिक के नाम पर उपाधि नहीं रखी जायेगी)।

४८- अल्लाह तआला, क़ुरआन तथा रसूलुल्लाह का उपहास उड़ाने वाले का हुक्म

- जो अल्लाह तआला का अथवा उसके शरई या ब्रह्मांडीय आयतों (श्लोकों, निशानियों) या उसके रसूल का उपहास करे वह कुफ्र -ए- अकबर का अपराधि काफिर है, क्योंकि उपहास उड़ाने वाले के ईमान का इंकार किया गया है, और कुफ्र के दो भेद हैं :

मुआरज़ा (विरोध) आधारित कुफ्रः यह सबसे गंभीर तथा संगीन है, जैसे अबू जहल एवं अबू लहब का कुफ्र।

ऐअराज़ (विमुखता) आधारित कुफ्रः न तो अल्लाह के दीन में सम्मिलित हो और न ही मुसलमानों के विरुद्ध षडयंत्र करे या युद्ध लड़े।

- उपहास उड़ाने वाला कुफ्र -ए- मुआरज़ा का अपराधि है, यह उससे अधिक बुरा है जो केवल मूर्ति को पूजता है, यह मसला बड़ा गंभीर है, कुछ कलमा का इक़रार करने वाले (मुसलमान) बिना किसी विवेक के ऐसा वाक्य बोल जाता है जिसके कारण वह विपत्ति में बल्कि स्वयं का नाश कर लेता है, इंसान कभी-कभी बिना परवाह किये अल्लाह को क्रोधित करने वाले वाक्य बोल जाता है और जहन्नम का भागी हो जाता है।
  जिसने नमाज़ का -यद्यपि नफ़्ल नमाज़ ही क्यों न हो- या ज़कात का, या रोज़ा का, या हज का उपहास उड़ाया तो उलेमा का इस बात पर इज्मा (एकमत) है कि वह काफिर है, इसी प्रकार जिसने अल्लाह तआला की निशानियों का मज़ाक़ बनाया जैसे कहेः गर्मी के मौसम में ठंड का पाया जाना मुर्खता है, या यों कहेः जाड़े के मौसम में गर्मी का होना मुर्खता है, तो इस्लाम से ख़ारिज काफिर है, क्योंकि अल्लाह तआला के सभी निर्णय हिकमत (तत्वदर्शिता) पर आधारित होते हैं, हम उसकी हिकमत का कदापि कोई अंदाजा एवं अनुमान नहीं लगा सकते हैं।
- जो अल्लाह अथवा उसके रसूल या उसकी किताब को अपशब्द कहे, उसका तौबा (पश्चाताप) स्वीकार्य है या नहीं इस संबंध में उलेमा के दो मत हैं:

कुछ शर्तों के साथ स्वीकार्य हैः

१- उसके तौबा की सच्चाई पता चल जाये। २- अल्लाह तआला की प्रशंसा करे। ३- अपनी कही हुई बात से बराअत व अलगाप प्रकट करे।

लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को गाली देने वाले का तौबा स्वीकार किया जायेगा तथा तत्कालीन शासक के ऊपर वाजिब है कि उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हक़ की खातिर क़त्ल करे, और क़त्ल के बाद उसको नहला कर, कफन पहना कर तथा उस पर जनाज़ा की नमाज़ पढ़ कर मुसलमानों के साथ दफन किया जायेगा।

उसका तौबा अस्वीकार्य है, तथा तत्कालीन शासक उसे क़त्ल करेगाः

न उस पर जनाज़ा की नमाज़ पढ़ी जायेगी, न रहमत की दुआ की जायेगी, उसको मुसलमानों के क़ब्रिस्तान से दूर दफन किया जायेगा, यद्यपि वह यह दावा ही क्यों न करे कि उसने तौबा कर लिया है, क्योंकि इर्तिदाद (विधर्मी हो जाना) अत्यंत संगीन मामला है कि इसमें तौबा भी कुछ लाभ नहीं पहुँचा सकता है।

पहली व दूसरी दलील:

१- अल्लाह तआला का फरमान है:﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ الآيَةَ

(और यदि आप उनसे पूछें तो साफ कहेंगे कि हम तो योंही आपस में हंस-बोल रहे थे)।

२- अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, मुहम्मद बिन काब, ज़ैद बिन असलम तथा क़तादा रहिमहुमुल्लाह से वर्णित है -इनकी रिवायात आपस में मिल गई हैं- (इनके शब्द थोड़े-थोड़े भिन्न हैं किंतु भावार्थ यह है कि): "तबूक के ग़ज़वा (युद्ध) मैं एक मुनाफ़िक़ ने कहा: مَا رَأَيْنا مِثْلَ قُرَّائِنا هَؤلاءِ أرغبَ بُطونًا، ولا أَكْذَبَ أَلْسُنًا، ولا أجْبَنَ عندَ اللِّقاءِ – يَعني الرَّسُولَ ﷺ وأَصْحابَهُ القُرَّاءَ –، فقالَ له عَوْفُ بنُ مالكٍ: كَذَبْتَ؛ ولَكِنَّكَ مُنافِقٌ، لأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَذَهبَ عوْفٌ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيُخْبِرَهُ، فَوجدَ القُرْآنَ قَدْ سَبقَهُ، فَجاءَ ذَلَكَ الرَّجُلُ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَدْ ارْتَحَلَ، ورَكِبَ ناقَتَهُ، فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ! إنَّا كُنَّا نَخُوضُ ونَلْعَبُ ونَتَحَدَّثُ حَدِيثَ الرَّكْبِ، نَقْطَعُ بِهِ عَنَّا الطَّرِيقَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ متعلِّقًا بِنِسْعَةِ ناقَةِ رَسولِ اللهِ ﷺ، وإِنَّ الحِجارَةَ تَنْكُبُ رِجْلَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ ونَلْعَبُ، فيقولُ لَهُ رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴾، مَا يَلْتَفِتُ إِليهِ، ومَا يَزِيدُهُ عَلَيْهِ हमने पेट के पुजारी, ज़ुबान के झूठे तथा युद्ध के समय कायरता दिखाने वाले इन ज्ञानियों से बढ़ कर नहीं देखा, उसका आश्य नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा आपके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से था, तो औफ़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे कहा: तुम झूठे हो बल्कि वास्तविकता तो यह है कि तुम मुनाफ़िक़ (द्वयवादी) हो, मैं इसकी सूचना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अवश्य दूँगा, तदोपरांत औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु इसकी सूचना देने के लिये नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आए तो देखा कि आप पर वह्य (प्रकाशना, आकाशवाणी) उतर चुकी थी, वह व्यक्ति आप के पास आया जब्कि आप ऊँटनी पर सवार हो चुके थे और कहने लगा: अल्लाह के रसूल हम तो मन बहला रहे थे तथा सवारों जैसी बातें कर रहे थे ताकि रास्ते की थकान दूर हो जाये, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया: मानो मैं साक्षात देख रहा हूँ कि वह आपकी ऊँटनी के पालान की रस्सी के साथ चिमटा हुआ है तथा पत्थर उसके पाँव को रोक रहे हैं और वह कह रहा है: हम तो बस दिल्लगी तथा योंही वार्तालाप कर रहे थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमा रहे हैं : (क्या तुम अल्लाह तथा उसकी आयतों एवं उसके रसूलों के साथ परिहास कर रहे थे) आप न तो उसकी ओर देख रहे थे और न ही इससे अधिक कुछ बोल रहे थे"।

- «قُرَّائِنا»: इससे अभिप्राय नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा आपके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम थे, और अल्लाह की क़सम वह झूठा था।
- «ولَكِنَّكَ مُنَافِقٌ»: इससे पता चला कि जो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को गाली दे अपशब्द कहे वह काफिर है, क्योंकि उन पर लांछन लगाना मानो अल्लाह, उसके दीन एवं उसके रसूल पर पर लांछन लगाना है।
- «بِنِسْعَةِ»: यह उस बेल्ट तथा रस्सी को कहा जाता है जिससे पालान को बाँधा जाता है।
- «تَنْكُبُ رِجْلَيْهِ»: उसका पाँव घिसट रहा था।
- **हदीस़ के फायदे:**

1- भविष्य में क्या होगा इसका ज्ञान केवल अल्लाह को है, जो हो चुका तथा जो भविष्य में होने वाला हो सभी का ज्ञान केवल अल्लाह के पास है।

2- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह द्वारा अवतरित की गई शरीअत के अनुसार निर्णय करते थे।

3- अल्लाह का, उसकी आयतों का तथा उसके रसूल का उपहास उड़ाना बड़े कुफ्र में से है।

4- अल्लाह तआला का उपहास उड़ाने वाला काफिर है।

5- स्थिति के अनुसार कड़ाई से भी पेश आना चाहिए।

6- परिहास करने वाले का तौबा सशर्त स्वीकार्य किया जायेगा।

चेतावनियाँ:

१- जो ऐसे स्थान पर उस्थित हो जहाँ अल्लाह तआला या उसके दीन या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को गाली दी जा रही हो अथवा अपशब्द कहा जा रहा हो तो वह या तो उसका खंडन करे अथवा उस स्थान से निकल जाये, अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ (और अल्लाह तआला तुम्हारे पास अपनी किताब में यह आदेश उतार चुका है कि तुम जब किसी मजलिस (संगोष्ठी) वालों को अल्लाह तआला की आयतों के साथ कुफ्र करते तथा परिहास करते हुए सुनो तो उस मजमा (संगोष्ठी) में उस समय तक न बैठो जब तक वह इसके अतिरिक्त कोई और बात न करने लगें)।

२- लोगों को हंसाने के उद्देश्य से क़ुरआन व हदीस़ का उल्लेख करने से आवश्यक रूप से बचना चाहिये और इन दोनों के उल्लेख के समय भयभीत होना चाहिए।

3- वाणी तथा वक्तव्य में यदि गाली एवं अपशब्द का संदेह हो तो कहने वाले को इस ओर ध्यान दिलाया जायेगा, यदि वह तौबा करले तो ठीक है अन्यथा वह उपहास उड़ाने वाला माना जाएगा।

४- आत्मुग्धता तथा घमण्ड से बचना चाहिये, क्योंकि जहाँ नेकी जन्नत में ले जाने का सबब है वहीं बुराई जहन्न में डाले जाने का, यह आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के संग तबूक (युद्ध लड़ने) के लिये निकला किंतु अंततोगोत्वा परिणाम क्या निकला यह हदीस़ से स्पष्ट है।

मसाइल:

पहला: इस अध्याय से एक अत्यंत महत्वपूर्ण मसला यह साबित हुआ कि जो व्यक्ति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का या सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का उपहास करे वह काफिर है (अर्थात: वह अल्लाह तआला, उसकी आयतों तथा उसके रसूल का इंकारी है)।

दूसरा: जो भी ऐसा करे, चाहे वह कोई भी हो, इस आयत के आधार पर उस पर हुक्म लगाया जाएगा (कि वह मुनाफ़िक़ है अथवा ग़ैर मुनाफ़िक़)।

तीसरा: चुग़ली (पिशुनता) और अल्लाह तआला तथा उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए नसीहत, ख़ैरख़्वाही तथा शुभचिंता में अंतर है (क्योंकि नसीहत तथा शुभचिंता का उद्देश्य अल्लाह तआला के शआइर (अनुष्ठान, धार्मिक संस्कार, रस्मो रिवाज) का आदर करना होता है)।

चौथा: क्षमा करने का वह रूप जिसे अल्लाह तआला पसंद करता है (वह है जिसका उद्दश्य इस़लाह व सुधार हो) तथा अल्लाह के शत्रुओं के साथ कड़ाई के साथ पेश आने में अंतर है (किंतु यदि दावत के कार्य तथा तालीफ -ए- क़ल्ब (सहानुभूती तथा दिल जोड़ने) के उद्देश्य से नम्रता अपनाया जाये बेहतर है)।

पाँचवां: कुछ तर्क ऐसे होते हैं जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता (जब यह ज्ञात हो कि यह तर्क मिथ्या एवं बनावटी तथा गढ़ा हुआ है)।

४९- अल्लाह तआला के फरमानः ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ﴾ الآيَةَ (और यदि दुःख के पश्चात हम उसे अपनी दया का अनुभव कराते हैं तो वह कहता है कि यह मेरे लिये है) का अध्याय

मुजाहिद रह़िमहुल्लाह ने इसकी तफ़्सीर में कहा है किः «هٰذا بِعمَلِي، وأنا مَحْقوقٌ بِه» (यह धन-दौलत तो मेरे परिश्रम तथा कर्म के कारण है तथा मैं इसके योग्य हूँ)। और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा किः «يريدُ من عِنْدي» (इसका अर्थ यह है कि वह कहता हैः यह मेरे पास से है)।

इंसान जब नियामत की निस्बत अपनी कमाई तथा कर्म की ओर करता है तो इससे तौह़ीद -ए- रुबूबियत में एक प्रकार से साझी होने का भाव उत्पन्न होता है, और जब नियामत का संबंध तो अल्लाह से ही जोड़ता है परंतु यह गुमान रखता है कि वह इसके योग्य तथा अल्लाह तआला ने उसे जो कुछ दिया है वह केवल उसकी कृपा मात्र नहीं है वरन वह उसकी योग्यता रखता है तो ऐसी स्थिति में उबूदियत व उपासना की ओर से एक प्रकार की विमुखता, अपने आपको बड़ा समझने, अहंकार तथा घमण्ड का भाव प्रकट होता है।

दूसरी व तीसरी दलीलः

२- अल्लाह तआला का फरमान हैः ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ ﴾ (वह -क़ारून- कहता है किः मुझे अपने ज्ञान के कारण यह मिला है), इस आयत की तफ़्सीर में क़तादा रह़िमहुल्लाह फरमाते हैंः «عَلَى عِلْمٍ مِنِّي بِوجُوهِ الْـمَكَاسِبِ» (वह कहता है किः कमाई का ढ़ंग जानने तथा ज्ञानी होने के कारण मिला है), कुछ दूसरे उलेमा यों कहा हैः «عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللهِ أَنِّي لَهُ أَهْلٌ» (अल्लाह के यह जानने के कारण मुझ मिला है कि मैं इसके योग्य हूँ) और मुजाहिद रह़िमहुल्लाह के कथन का भी यही आशय है किः «أُوتِيتُهُ عَلَى شَرَفٍ» (यह धन-दौलत मुझे मेरे कुलीन होने तथा मेरी मर्यादा के कारण मिला है)।

३- अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का वर्णन है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुनाः “**बनी इस्राईल में तीन आदमी थे, जिनमें एक कोढ़ी, दूसरा गंजा तथा तीसरा अंधा था। अल्लाह तआला ने उनकी परीक्षा लेना चाहा तो उनकी ओर एक फरिश्ता भेजा। वह फरिश्ता कोढ़ी के पास आया और उससे पूछाः तुम्हें कौन सी चीज़ सबसे प्रिय है ? उसने कहाः सुंदर रंग तथा सुंदर**

चमड़ी, तथा मुझसे यह रोग दूर हो जाये जिसके कारण लोग मुझसे घिन कर रहे हैं, आप ने फरमायाः तदोपरांत फरिश्ते ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया तथा उसका रंग एवं चमड़ी सुंदर हो गई, फरिश्ते ने पुनः प्रश्न कियाः तुम्हें किस प्रकार का धन सबसे प्रिय है ? उसने कहा ऊँट अथवा गाय – ह़दीस़ के रावी एवं वाचक इस्ह़ाक रह़िमहुल्लाह को दोनों शब्दों के निर्धारण में संशय हो गया – तो उसे दस महीने की गाभिन ऊँटनी दी गई, और फरिश्ते ने दुआ देते हुए कहाः अल्लाह तेरे लिए इसमें बरकत दे।

आप ने फरमायाः फिर वह फरिश्ता गंजे के पास आया तथा कहाः तुम्हें सबसे प्रिय क्या लगता है ? उसने कहाः सुंदर बाल तथा मुझसे यह रोग दूर हो जाये जिसके कारण लोग मुझ से घृणा कर रहे हैं, तो फरिश्ते ने उसके सिर पर हाथ फेरा जिससे उसका रोग दूर हो गया तथा उसे सुंदर बाल प्रदान कर दिया गया, फिर फरिश्ते ने पूछाः तुम्हें किस प्रकार का धन सबसे अधिक प्रिय है ? उसने कहाः गाय, तो उसे एक गाभिन गाय दे दी गई, फरिश्ते ने उसके लिये दुआ करते हुए कहाः अल्लाह तआला तुझे इसमें बरकत दे। ”।

फरिश्त फिर अंधा के पासा आया और पूछाः तुम्हें सर्वाधिक प्रिय क्या चीज़ लगती है ? उसने कहाः अल्लाह तआला मेरी आँख मुझे लौटा दे और मैं इससे लोगों को देखने लगूँ। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तथा उसकी आँख उसको मिल गई, फरिश्ते ने पुनः प्रश्न कियाः तुम्हारा सबसे प्रिय धन कौन सा है ? उसने कहाः बकरी, तो उसे एक गाभिन बकरी दे दी गई, कुछ समय बीता और ऊँटनी, गाय तथा बकरी सभी ने बच्चा दिया, और अब इसके पास एक वादी व तराई ऊँटों से भर गई, तो दूसरे की गाय से और तीसरे की भी एक वादी बकरियों से भर गई।

आप ने फरमायाः फिर (वही फरिश्ता) अपने उसी रूप तथा वेश-भूषा में कोढ़ी के पास आया और कहाः मैं एक ग़रीब आदमी हूँ, मेरी यात्रा का साधन समाप्त हो गया है और मैं आज अल्लाह की फिर उसके बाद तेरी सहायता के बिना अपने गंतव्य को नहीं पहूँच सकता, तुमसे मैं उस अल्लाह का वास्ता देकर माँगता हूँ जिसने तुझे सुंदर रंग तथा सुंदर चमड़ी एवं धन दिया कि मुझे एक ऊँट दे दो जिस पर यात्रा कर सकूँ। उसने कहाः मेरी अपनी आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं, तो इस पर फरिश्ते ने कहाः ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, क्या तुम कोढ़ी नहीं थे ? तुमसे लोग घिन करते थे, तुम निर्धन थे तो अल्लाह तआला ने तुम्हें धनवान बना दिया, इस पर उसने कहाः मैं अपने वंश एवं पूर्वजों से इस धन का उत्तराधिकारी बना हूँ। फरिश्ते ने कहाः यदि तू झूठ बोल रहा है तो अल्लाह तुझे तेरी पहली दशा पर लौटा दे। आपने फरमायाः कि फिर वह फरिश्ता गंजे का पास आया उसी रूप में आया और उससे वैसा ही कहा जो उसने कोढ़ी से कहा था और उसने वैसा ही उत्तर दिया जैसा उस कोढ़ी ने दिया था। तो फरिश्ते ने उससे कहाः अल्लाह तआला तुझे तेरी पहली दशा पर वापस लौटा दे। आपने फरमायाः फिर वह फरिश्ता अंधा के पास उसी रूप तथा वेश-भूषा में आया और कहा कि मैं एक ग़रीब यात्री हूँ, मेरी यात्रा का साधन समाप्त हो गया है, और अपने गंतव्य तक

पहूँचने के लिये मेरा सहारा केवल अल्लाह तथा उसके बाद तुम हो, मैं तुमसे उस अल्लाह को माध्यम बना कर जिसने तुमको पुनः आँखे दी हैं निवेदन करता हूँ कि मुझे एक बकरी दे दो जिससे मैं अपनी यात्रा पूरी कर लूँ, उसने कहाः (हाँ) मैं नेत्रहीन था तो अल्लाह ने मेरी दृष्टि मुझे लौटा दी, तुम जो चाहो ले लो जो चाहो छोड़ दो, अल्लाह की क़सम आज अल्लाह के नाम पर तू जो कुछ ले जाए मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, तो फरिश्ते ने कहाः तुम अपना धन अपने पास रखो, तुम्हारी परीक्षा ली जा रही थी तो अल्लाह तुमसे प्रसन्न हो गया तथा तुम्हारे अन्य दोनों साथियों से अप्रसन्न हुआ। इस ह़दीस़ को इमाम बुख़ारी तथा मुस्लिम ने रिवायत किया है।

- इस ह़दीस़ में अनेकों सदुपदेश हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

१- क़ुरआन व ह़दीस़ में वर्णित कथाओं का उद्देश्य लोगों को नसीहत तथा उपदेश देना होता है।

२- अल्लाह तआला की क़ुदरत एवं सामर्थ्य का बखान कि, मात्र फरिश्ते के छूने भर से कोढ़ी, गंजा तथा अंधा तीनों ठीक हो गये।

३- फरिश्ते यदा-कदा मानव रूप भी धारण कर लेते हैं किंतु ऐसा अल्लाह के आज्ञा से होता है।

४- फरिश्ते बाक़ायदा शरीर रखते हैं, वह केवल प्राण, शक्ति या मात्र एक अर्थ भर नहीं है।

५- रावी (वाचक) का ह़दीस़ के शब्दों को ज्यों का त्यों बयान करने का ध्यान रखना।

६- इंसान का, लिये जा चुके निर्णय से सहमत होना आवश्यक नहीं है, किंतु वह क़ज़ा एवं निर्णय जो अल्लाह का अमल (कर्म) है उससे प्रसन्न होना आवश्यक है, अल्लाह तआला के अमल तथा लिये जा चुके निर्णय के मध्य अंतर है, मक़ज़ी (किया जा चुका फ़ैसला) के दो प्रकार हैं : दुःख एवं विपत्ति जिससे प्रसन्न होना आवश्यक नहीं है, तथा शरई अहकाम व आदेश जिससे प्रसन्न एवं सहमत होना अपरिहार्य है।

७- किसी चीज़ को किसी अन्य पर आधारित करते हुये दुआ करना जायज़ है।

८- झगड़ा करने वाला जो किसी बात को नहीं मान रहा हो उसका मुँह बंद करने तथा निरुत्तर करने के लिये थोड़ा नीचे हो जाना जायज़ है।

९- अल्लाह तआला के बरकत की कोई सीमा नहीं है, इसी कारण उसके ऊँटों से तराई एवं वादी भर गई।

१०- अल्लाह तआला कि नियामतों का शुक्र उसकी महानता के समान ही अदा किया जायेगा।

११- अपने असली रूप के विपरीत स्वयं को किसी और रूप में दिखलाना (भेष धरना) जायज़ है।

१२- परीक्षण कभी खुले आम तथा प्रकट रूप से होता है, इन लोगों का क़िस्सा प्रसिद्ध है।

१३- वरअ (धार्मिकता) एवं ज़ुह्द (वौराग्य) की फ़ज़ीलत व प्रधानता, कि यह अपने अपनाने वाले को अच्छे अंजाम तक ले जाता है।

१४- पिछली उम्मतों में भी विरासत (उत्तराधिकार) का प्रमाण।

१५- रज़ा (प्रसन्नता) तथा सख़्त (अप्रसन्नता) अल्लाह तआला की दो विशेषताएं हैं, तो हम इसे अल्लाह तआला के लिये वैसे ही साबित करें जो उसकी वैभवता के समान हो।

१६- सोहबत (संगत) शब्द का प्रयोग कभी-कभी किसी चीज़ में समानता पाए जाने का कारण भी किया जाता है, इसके लिये शारीरिक से साथ होना आवश्यक नहीं है।

१७- अल्लाह तआला बंदों को नियामत देकर फिर उसे आज़माता है।

१८- स्मरण करना अथवा याद दिलाना कभी वाणी के द्वारा होती है तो कभी कर्म के द्वारा।

मसाइलः

पहलाः सूरा फुस्सिलत की (﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ ﴾) आयत की तफ़्सीर।

दूसराः ﴿ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِى ﴾ का क्या अर्थ है (अर्थातः मैं इसके योग्य हूँ)।

तीसराः ﴿ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ ﴾ का क्या अर्थ है।

चौथाः इन तीन लोगों के किस्से में जो शिक्षायें हैं उनकी ओर इशारा (जैसेः कोढ़ी, गंजे तथा अंधे में अंतर कि कोढ़ी और गंजे ने अल्लाह की नियामत मिलने के बाद उस नियामत का अल्लाह की ओर से होने का इंकार कर दिया, तथा नियामत मिलने से पहले की स्थिति में अपना संबंध अल्लाह से नहीं जोड़ा, जब्कि अंधे ने पहले की स्थिति तथा बाद की नियामत दोनों का संबंध अल्लाह से जोड़ा, इब्नुल क़ैयिम रहिमहुल्लाह कहते हैं : "कोई व्यक्ति घमण्ड एवं अहंकार करते हुए यह न कहे किः (मैं ऐसा हूँ, यह मेरा है, मेरे पास यह चीज़ें हैं,, इन वाक्यों के द्वारा इब्लीस, फ़िरऔन तथा क़ारून को आज़माया गया था, तो इब्लीस ने कहाः ﴿أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ﴾ (मैं उससे बेहतर हूँ) और फ़िरऔन ने कहाः ﴿ لِى مُلْكُ مِصْرَ ﴾ (मिस्र मेरा ही है) और क़ारून ने कहाः ﴿إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ ﴾ (मुझे यह मेरे ज्ञानी होने के कारण दिया गया है) (أنا अना अर्थात मैं) के सर्वोत्तम प्रयोग गुनाहगार, पापी तथा अपराधी जो अपने जुर्म को स्वीकार करता हो, तथा (لي ली, मेरा) का सर्वोत्तम प्रयोग इन वाक्यों में हो सकता हैः मेरा गुनाह, मेरा पाप, मेरा जुर्म, मेरी दीनता एवं निर्धन होना, मेरी असहायता और विनम्रता, तथा (عندي इंदी, मेरे पास, का सर्वोत्तम प्रयोग यह कहना हैः «اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي») (हे अल्लाह, तू मेरे सोच-विचार कर किये गये गुनाह तथा बिना सोचे-विचारे किये गये गुनाह, मेरे जानबूझकर तथा अंजाने में किये गये गुनाह, सबको माफ करदे, ये सब मेरी ओर से हैं)"।

५०- अल्लाह तआला के फरमानः ﴿ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُمَا صَٰلِحٗا جَعَلَا لَهُۥ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَىٰهُمَاۚ ﴾ الآية (जब अल्लाह तआला ने उन्हें स्वस्थ शिशु दिया तो उन्होंने इस कृपा में दूसरों को अल्लाह का शरीक (साझी) बना दिया) का अध्याय

आयत में उल्लेखित शिर्क के प्रकारः

- शिर्क -ए- अकबरः यदि यह अक़ीदा रखे कि अमूक पीर या संत ने मुझे यह बच्चा दिया या इसी प्रकार का कोई और अक़ीदा रखे, क्योंकि तब उसने पैदा करने वाला अल्लाह के सिवाय किसी अन्य को समझा।
- शिर्क -ए- असग़रः यदि शिशु के स्वस्थ तथा निरोग होने का संबंध डॉक्टरों से जोड़े, क्योंकि उसने नियामत की निस्बत कारण बनाने वाले (मुसब्बिब) को छोड़ कर कारण (सबब) की ओर कर दिया।
- शिर्क -ए- असग़रः उबूदियत (साधना) में, वह इस प्रकार कि उस शिशु की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर भारी हो जाये और उसे इबादत से दूर कर दे, यह कैसे संभव है कि हम इस शिशु को मोहब्बत में अल्लाह के समकक्ष बना दें।

दूसरी दलीलः

इब्ने हज़्म रहिमहुल्लाह ने कहा हैः “मुसलमानों का इस बात पर इज्मा (एकमत) है कि जिस नाम में अल्लाह के सिवाय अन्य की दासिता का भाव हो वह हराम व वर्जित है, जैसे अब्दे अम्र (उमरदास) अब्दे काबा (काबादास) तथा जो इसके समान हो, अब्दुल मुत्तलिब (मुत्तलिबदास) इससे अलग है (क्योंकि इसका अर्थ दास अर्थात ग़ुलाम है, यहाँ यह शब्द उन अर्थों में प्रयोग नहीं हुआ है जिससे अभिप्राय अल्लाह की बंदगी होती है)।”।

- अल्लाह तआला के अतिरिक्त किसी अन्य के लिये दासिता और बंदगी सूचक नामों का प्रयोग नाजायज़ है, और जिन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फरमानः «أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ» (मैं मुत्तलिब के दास का पुत्र हूँ) से दलील लेने की कोशिश की है हम उसका खंडन निम्नांकित विधियों से करेंगेः

1- यह मुतशाबेह ह़दीसों में से है जब्कि हमारे पास इसके विरूद्ध स्पष्ट एवं मुहकम नुसूस (प्रमाण) उपलब्ध हैं जो इसका खंडन करते हैं।

2- यह ह़दीस़ सूचना देने के वर्ग से है इसका इक़रार करने और मान लेने के वर्ग से नहीं है।

3- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस नाम से किसी का नामकरण नहीं किय, और न अपने सहाबा में किसी को ऐसा नाम रखने की अनुमती प्रदान की और न इसका इक़रार किया।

4- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इसी नाम से प्रसिद्ध थे, यदि आप यों कहतेः (इब्ने अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह का पुत्र) तो लोग आपको पहचान नहीं पाते।

5- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ऐसी चीज़ के संबंध में बता रहें हैं जो पूर्व में घटित हो चुकी, गुज़र कर समाप्त हो चुकी, क्योंकि अबदुल मुत्तलिब की मृत्यु हो चुकी थी।

6- अब्दुल मुत्तलिब उनका नाम नहीं वरन उपाधि (लक़ब) है, उनका नाम शैबा अल-हम्द था, उनके पिता का नाम हाशिम था, हाशिम ने उनको अपने मामूँ बनू नज्जार के पास बाल्यावस्था में मदीना भेज दिया था ताकि वहीं आयु बढ़ने के साथ-साथ शिक्षा-दीक्षा भी प्राप्त करें, जब उनके चाचा मुत्तलिब मदीना आए तो अपने साथ शैबा अल-हम्द को भी अपने साथ लेते हुए आगए, जब वह मक्का पहुँचे तो लम्बी यात्रा के कारण उनका रंग बदल चुका था, लोगों ने यह देख कर पूछाः यह अब्द (गुलाम, दास) कौन है ? तो उत्तर मिला किः अब्दुल मत्तलिब (मुत्तलिब का दास) (और ज्ञात रहे कि गुलामी वाली दासिता में कोई दुविधा नहीं है), अतः यह उपाधि उनसे चिमट कर रह गया, और इसक प्रकार सारे भ्रम दूर हो जाते हैं।

तीसरी दलीलः

इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने आयत «لَـمَّا تَغَشَّاهَا آدَمُ حَمَلَتْ، فَأَتَاهُمَا إِبْلِيسُ، فَقَالَ: إِنِّي صَاحِبُكُمَا الَّذِي أَخْرَجْتُكُمَا مِنَ الْـجَنَّةِ؛ لَتُطِيعُنِّي أَوْ لَأَجْعَلَنَّ لَهُ قَرْنَيْ أَيِّلٍ، فَيَخْرُجَ مِنْ بَطْنِكِ فَيَشُقَّهُ، وَلَأَفْعَلَنَّ وَلَأَفْعَلَنَّ؛ يُخَوِّفُهُمَا، سَمِّيَاهُ عَبْدَ الْـحَارِثِ، فَأَبَيَا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيِّتًا، ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ؛ فَأَبَيَا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيِّتًا، ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا فَذَكَرَ لَهُمَا، فَأَدْرَكَهُمَا حُبُّ الْوَلَدِ، فَسَمَّيَاهُ عَبْدَ الْـحَارِثِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿جَعَلَا لَهُۥ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَىٰهُمَا﴾» "(जब आदम तथा हव्वा (अलैहिमस्सलाम) आपस में मिले तो हव्वा को गर्भ ठहर गया) की तफ़्सीर में कहा है किः उन दोनों के पास इब्लीस आया तथा कहा कि मैं तुम्हारा वही साथी हूँ जिसने तुम दोनों को स्वर्ग से निकलया था, मेरी बात मानो अन्यथा मैं इसके सिर पर दो सींग बना दूँगा और वह तुम्हारे पेट को चीर कर बाहर निकलेगा, और

मैं ऐसा-ऐसा करूँगा, इस प्रकार की बातें करके उन दोनों को ख़ूब डराया धमकाया और कहा किः इसका नाम अब्दुल हारिस़ रख दो, उन दोनों ने उसकी बात मानने से इंकार कर दिया और बच्चा मृत पैदा हुआ, फिर गर्भ ठहरा तो इब्लीस उनके पास आकर वैसी ही बातें करने लगा और उन दोनों ने फिर इंकार कर दिया, फिर बच्चा मुर्दा पैदा हुआ, पुनः एक बार फिर उन्होने गर्भधारण किया तो इब्लीस फिर आकर वैसी ही बातें करने लगा तो इस बार शिशु प्रेम उनके ऊपर विजयी हुआ और उन्होंने उस शिशु का नाम अब्दुल हारिस़ रख दिया, यही इस आयत का अर्थ है, इसे इब्ने अबि हातिम ने रिवायत किया है"।

तथा इब्ने अबि हातिम ही ने सही सनद से क़तादा से उनका कथन रिवायत किया है किः "उन्होंने इताअत (अनुपालन) में साझी बनाया इबादत (उपासना) में नहीं"।

एवं उन्होंने ही मुजाहिद से अल्लाह तआला के फरमानः ﴿لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَٰلِحًا﴾ के संबंध में उनका कथन नक़ल किया है किः "उन दोनों को यह भय था कि कहीं ऐसा न हो कि हमारा बच्चा इंसान न हो"।

इसी से मिलत-जुलता कथन ह़सन तथा सईद आदि से भी नक़ल किया गया है।

- «قَرْنَيْ أَيِّلٍ» : यह पहाड़ी बकरा को कहते हैं।
- «عَبْدَ الْحَارِثِ» : चूँकि शैतान का नाम ह़ारिस़ है, इसीलिए उसने इस नाम का चयन किया, और उद्देश्य यह था कि उन दोनों से अपनी उपासना करवाए।
- **यह किस्सा कई कारणों से मिथ्या एवं आधारहीन हैः**

1. इस विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कोई सही ह़दीस़ साबित नहीं है, तथा इस किस्सा का संबंध में इब्न ह़ज़्म कहते हैं किः "यह किस्सा झूठा मनगढ़त है"।
2. यह बात किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं कि अल्लाह तआला उनके गुनाह का तो उल्लेख करे किंतु तौबा का उल्लेख न करे।
3. इस बात पर उलेमा एकमत (मुत्तफ़िक़) हैं कि अम्बिया शिर्क से पाक एवं पवित्र हैं।
4. क्यामत के दिन लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास आयेंगे तो वह वर्जित पेड़ से खा लेने वाले अपने गुनाह को याद करके अपनी विवशता प्रकट करेंगे, यदि उनसे शिर्क हुआ होता तो उस समय अपने इस गुनाह को याद करके माज़ेरत चाहना अधिक मुनासिब एवं उचित था।
5. शैतान ने उन दोनों से कहाः «إِنِّي صَاحِبُكُمَا» (मैं तुम्हारा वही साथी हूँ जिसने तुम्हें जन्नत से निकलवाया था) जब्कि कोई यदि किसी को बहकाना चाहे तो इस प्रकार का आचरण कभी नहीं करेगा।

6. यह संभव नहीं है कि वो दोनों शैतान की इस बात को सच मान लें कि वह उनके पेट में पहाड़ी बकरे के दो सींग उगादेगा, क्योंकि यह रुबूबियत में शिर्क करना है।
7. आयत में (يُشرِكون) (वो लोग शिर्क करते हैं) बहुवचन है, इस आयत का संबोंधन यदि आदम एवं हव्वा अलैहिमस्सलाम से होता तो आयत (يشرِكان)(वो दोनों शिर्क करते हैं) द्विवचन के साथ अवतरित होती।
8. इस आधार पर इस आयत का संबोंधन आदम की वो संतान हैं जिन्होंने वास्तविक रूप में शिर्क को अंजाम दिया, क्योंकि उनमें कुछ मुवह्हिद (एकेश्वरवादी) होते हैं तो कुछ मुश्रिक (अनेकेश्वरवादी)।

मसाइलः

पहलाः हरेक वह नाम जिसमें अल्लाह के सिवा किसी अन्य की दासिता का भाव एवं अर्थ हो वह ह़राम एवं अवैध है (यहाँ तक कि अब्दुल मुत्तलिब भी)।

दूसराः सूरा आराफ की आयत (﴿ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُمَا صَٰلِحًا جَعَلَا لَهُۥ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَىٰهُمَاۚ ﴾) की तफ़्सीर।

तीसराः उपरोक्त कथा में जिस शिर्क का उल्लेख है वह केवल नाम रखने की हद तक था, वास्तविक शिर्क -ए- अस़ग़र न था (बल्कि सही बात यह है कि यह शिर्क वास्तविक था तथा आदम अलैहिस्सलाम की संतान में से किसी ने किया था, आदम तथा हव्वा अलैहिमस्सलाम ने नहीं)।

चौथाः किसी के यहाँ स्वस्थ पुत्री का जन्म लेना यह भी अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत व कृपा है (क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि लड़का पैदा होना सज़ा एवं दंड की निशानी है, जब्कि पुत्र एवं पुत्री दोनों ही इस आधार पर बराबर हैं कि दोनों ही अल्लाह तआला की नियामत एवं कृपा हैं)।

पाँचवांः सलफ़ (नेक पूर्वज) इबादत (उपासना) में शिर्क करने तथा इताअत (अनुपालन) में शिर्क करने के बीच अंतर करते थे (क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम तथा हव्वा अलैहस्सलाम ने शैतान की केवल इताअत (अनुपालन) की थी उसकी इबादत (उपासना) नहीं की थी, और यह भी उस समय जब हम यह मान लें कि यह किस्सा सही है -जब्कि यह किस्सा झूठा एवं मनगढ़त है-)।

५१- अल्लाह तआला के फरमान: ﴿وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ أَسۡمَٰٓئِهِۦۚ﴾ الآية (और अल्लाह तआला के अच्छे-अच्छे व शुभ नाम हैं, अतः तुम उसे उन्हीं नामों के द्वारा पुकारो तथा उन्हें छोड़ दो जो उसके नामों में इल्हाद (कजी, नास्तिकता) करते हैं) **का अध्याय**

इब्ने अबी हातिम ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है कि: आयत ﴿يُلۡحِدُونَ فِيٓ أَسۡمَٰٓئِهِۦۚ﴾: «يُشْرِكُونَ» में इल्हाद का अर्थ शिर्क है। तथा उन्हीं का कथन है कि: «سَمَّوُا اللَّاتَ مِنَ الإِلَهِ، وَالْعُزَّى مِنَ الْعَزِيزِ» "मुश्रिकीन ने "इलाह" से लात तथा "अल-अज़ीज़" से अल-उज़्ज़ा बनाया है"। और आमश रहिमहुल्लाह का कथन है कि:«يُدْخِلُونَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا» (उसमें वो ऐसे नामों को भी दाख़िल कर देते हैं जो उसके हैं ही नहीं)।

- इस अध्याय में उनलोगों का खंडन है जो कहते हैं कि: "किताबुत तौहीद" में केवल तौहीद -ए- उलूहियत का ही वर्णन है।
- ﴿ وَلِلَّهِ ﴾: तौहीद का तरीका यहाँ ख़बर को पहले ज़िक्र करना है, क्योंकि जिसको बाद में ज़िक्र करना चाहिये उसको पहले ज़िक्र करना सीमित करने (हस्र) का अर्थ देता है।
- ﴿ ٱلۡحُسۡنَىٰ ﴾: अर्थातः सुंदरता, उत्तमता तथा अच्छाई की पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ, हर ओर से कामिल व पूर्ण, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है।
- ﴿ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ ﴾: अल्लाह तआला का नाम लेकर उससे दुआ करने के दो अर्थ हैं:

दुआ -ए- मसअला (मांगने वाली प्रार्थना): उन नामों का वसीला एवं वास्ता पकड़ते हुए अपनी आवश्यकताओं को उसके समक्ष रखे, जैसे कहे: (فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني؛ إنَّك أنت الغفور الرَّحيم) (अपनी ओर से माफी देते हुए मुझे माफ कर दे, मेरे ऊपर रहम फरमा तू अत्याधिक माफ करने वाला रहम करने वाला है)।

दुआ -ए- इबादत (उपासना वाली प्रार्थना): उन नामों के भावों का ध्यान रखते हुए अल्लाह की इबादत करे, जैसे अल्लाह तआला "बसीर" (देखने वाला) है तो उसकी बसारत (चक्षु) का ध्यान रखते हुये इबादत की जाये कि वह आपको कोई ऐसा कृत्य करते हुये न देखे जिसको वह नापसंद करता हो।

इलह़ादः जिस चीज़ का अक़ीदा रखना वाजिब है उसको छोड़ कर कहीं दूसरी ओर मुड़ जाना, और इलह़ाद के दो प्रकार हैं:

आयतों में इलह़ाद करनाः

चाहे वह आयतेः

१- शरई हों: जौसे कोई कहेः क़ुरआन मख़लूक़ है।

२- कौनी (ब्रह्मांडीय) हों: जैसे कोई कहेः प्राकृति ही चीज़ों को पैदा करती है।

असमा व सिफ़ात में इलह़ाद करनाः इसके कई भेद हैं:

१- समस्त अथवा कुछ असमा (नामों) का इंकार करे, जैसे जहमीया करते हैं।

२- इस्म (नाम) को साबित करे तथा सिफ़त (विशेषता) का इंकार करे, जैसे कहे वह समीअ (सुनने वाला) तो होता है किंतु सुनता नहीं है।

३- उनको समानता का भाव उत्पन्न करने वाला समझे जैसे मुशब्बिहा करते हैं।

४- अल्लाह के नामों को लेकर उससे बुतों का नामकरण करे, जैसे “अल-अज़ीज़” से उज़्ज़ा बना दे।

५- अल्लाह तआला का ऐसा नाम रखे जो स्वयं उसने अपना नाम नहीं रखा है, जैसे कहेः अल्लाह तीन (उपास्यों) में से एक (उपास्य) है, या वह अविष्कार करने में सक्षम है।

मसाइलः

पहलाः अल्लाह तआला के लिये नाम होने का प्रमाण (जहमीया तथा कट्टर मोअतज़िला के विपरीत)।

दूसराः अल्लाह तआला के सभी नाम अच्छे एवं शुभ हैं (अर्थातः कामिल व पूर्ण हैं तथा उत्तमता एवं सुंदरता की पराकाष्ठा को पहुँचे हुये हैं)।

तीसराः अल्लाह तआला के अस्मा -ए- हुस्ना (अच्छे व प्यारे नाम) के द्वारा दुआ मांगने का हुक्म (दुआ -ए- इबादत एवं दुआ -ए- मसअला दोनों, और दोनों ही के संबंध में यह आदेश दिया गया है कि अल्लाह तआला से उन्हीं नामों के द्वारा दुआ मांगी जाये)।

चौथाः जो मूर्ख तथा नास्तिक उनका इंकार करें उनसे वाद-विवाद न किया जाये (अर्थात हम उसके पीछे न पड़े रहें, किंतु इसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि हम उनको दावत न दें, उनके समक्ष इसका बखान न करें, और इस आयत में धमकी एवं चुनौती भी है)।

पाँचवां: अल्लाह तआला के नामों में इलहाद करने का क्या अर्थ है।

छठाः इलहाद करने वालों के लिये धमकी एवं चेतावनी।

नौवें पाठ से प्रथम परीक्षा (११) अध्याय

प्रथम प्रश्न:(☒) चिन्ह को उचित स्थान पर लगायें अथवा रिक्त स्थान पूर्ण करें:

1- नौवां पाठ पुस्तक का सबसे लंबा पाठ है: ☐ सही ☐ गलत।

2- लेखक रहिमहुल्लाह ने शिर्क -ए- असग़र पर अधिक ध्यान इसलिये केंद्रित किया है क्योंकि यह छिप्त एवं गुप्त होता है: ☐ सही ☐ गलत।

3- ﴿نِعۡمَتَ ٱللَّهِ﴾ ☐ एकवचन है किंतु इससे अभिप्राय बहुवचन है ☐ एक वचन है।

4- नेमत (नियामत) होती है: ☐ मनपसंद चीज़ें दे कर ☐ नापसंद चीज़ें दूर करके ☐ उक्त सभी के द्वारा।

5- ﴿ثُمَّ يُنكِرُونَهَا﴾ ☐ उसके अस्तित्व का इंकार करके ☐ उसका संबंध अल्लाह से जाड़ने का इंकार करके।

6- फलाइट लैंडिंग के समय ताली बजा कर पायलट को धन्यवाद देना: ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है।

7- नियामत का संबंध ग़ैरुल्लाह से जोड़ना शिर्क -ए- : ☐ अकबर है ☐ असग़र है।

8- शिर्क मानव जाति के दिलों में : ☐ अंधेरी रात में काले पत्थर पर काली चूँटी की चाल से भी अधिक छिप्त एवं गुप्त है ☐ स्पष्ट एवं प्रकट है।

9- अल्लाह की झूठी क़सम खाना: ☐ शिर्क -ए- असग़र है ☐ गुनाह -कबीरा है ☐ हराम है ☐ इसमें तफ़्सील एवं विस्तार है।

10- ग़ैरुल्लाह की सच्ची क़सम खाना: ☐ शिर्क -ए- असग़र है ☐ गुनाह -कबीरा है ☐ हराम है ☐ इसमें तफ़्सील एवं विस्तार है।

11- शिर्क को अल्लाह तआला कभी माफ नहीं करेगा यद्यपि शिर्क -ए- असग़र ही क्यों न हो: ☐ सही ☐ गलत।

12- अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिये अल्लाह की झूठी क़सम खाना ग़ैरुल्लाह की सच्ची क़सम खाने की तुलना में अधिक आसान है (☐ सही ☐ गलत), और इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु न तो इसे पसंद करते थे और न उसे (☐ सही ☐ गलत)।

13- यह कहना कि: मैं तुम्हारे लिये किस चीज़ की सौगंध उठाऊँ कि तुम मुझे सच्चा समझो: ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है।

14- (ما شاء الله وشاء فلانٌ, जो अल्लाह चाहे तथा आप चाहें) कहने वाला यदि यह आस्था रखता हो कि अमुक व्यक्ति ख़ालिक़ (अल्लाह) से अधिक महान या आदर के योग्य है अथवा अल्लाह के समान है तो यह शिर्क -ए- : (☐ शिर्क -ए- अकबर है ☐ शिर्क -ए- असग़र है) और यदि यह आस्था रखे कि अल्लाह से कम है तो यह

शिर्क -ए- : (☐ शिर्क -ए- अकबर ☐ शिर्क -ए- अस़ग़र है)।

15- (तेरे अमान की क़सम) या (अमानतदारी की क़सम) कहनाः ☐ शिर्क -ए- अस़ग़र है ☐ गुनाह -ए- कबीरा है ☐ जायज़ है।

16- शिर्क के विषय में ज्ञान अर्जित करना वाजिब है ताकि इंसान इसमें पड़ने से बचेः ☐ सही ☐ गलत।

17- शिर्क -ए- अकबर के विषय में अवतरित आयतों की सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ऐसी व्याख्या करते थे कि यह शिर्क -ए- अस़ग़र को भी समाहित हो जाती थीः ☐ सही ☐ गलत।

18- यमीन -ए- ग़मूस कहते हैं कि अल्लाह की क़सम खायेः ☐ झूठी ☐ ताकि इसके द्वारा किसी मुस्लिम का धन हड़प ले।

19- "واو""वाव" चाहता हैः (☐ तरतीब -क्रमवार- को ☐ बराबरी एवं समानता को) अतः यह (☐ शिर्क होगा ☐ जायज़ होगा)।

20- यदि अल्लाह के नाम की क़सम खाने वाला सच्चा तथा विश्वास पात्र न हो तोः (☐ आपको अधिकार है ☐ आपको अधिकार नहीं है) कि उसकी क़सम से सहमत होने से इंकार कर दें।

21- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की, या माता के जीवन की, या ज़िम्मेदारी की, या अपने गर्दन की, या अपने आदर अथवा तेज की क़सम खानाः ☐ उन चीज़ों मे से हैं जिनमें लोग सामान्य रूप से लिप्त हैं ☐ शिर्क -ए- अस़ग़र है।

22- «يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا» अर्थातः ....

23- इस क़सम पर केवल यहूदी ने ही क्यों ध्यानाकर्षण करवाया ? ....

24- यहूदी कहते हैं जो (☐ ईसा अलैहिस्सलाम ☐ मूसा अलैहिस्सलाम) की शरीअत से संबंध रखता हो, तथा इस नामकरण का सबब हैः (☐ उनका यह कथन ﴿إِنَّا هُدْنَآ إِلَيْكَ﴾ ☐ क्योंकि उनके पूर्वजों का नाम यहूज़ा था ☐ उक्त सभी)।

25- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अपने इस कथन «أَجَعَلْتَنِي لله نِدًّا» में शिर्क -ए- अस़ग़र पर शिर्क -ए- अकबर के द्वारा दलील लेनाः (☐ सही है ☐ गलत है), और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनका मार्गदर्शन ऐसी चीज़ की ओर किया जोः (☐ उनसे शिर्क के हरेक साधनों का काट दे चाहे वो दूर का ही क्यों न हो ☐ शिर्क छुड़ा दे)।

26- जब कोई व्यक्ति सलाम करते हुए आप के लिए झुकेः (उसका इंकार किया जाये ☐ इसमें कोई हर्ज नहीं है ☐ यदि इससे मना करने से लज्जा बाधा बने तो कोई हर्ज नहीं), और यदि आप इसको नकारते नहीं हैं तो आपः (☐ ताग़ूत हैं ☐ मुवह्हिद हैं)।

27- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की प्रशंसा ऐसे शब्दों के द्वारा करना जो उनके अल्लाह तआला के समान होने के भाव रखता होः ☐ शिर्क -ए- अकबर ☐ इसका आधार नीयत पर है, यदि इससे अभिप्राय आदर एवं

सम्मान देना है तो फिर कोई हर्ज नहीं।

28- यहूदी के कुकर्म तो बहुतेरे हैं किंतु उनका ﴿عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ﴾ (उज़ैर अल्लाह के पुत्र हैं) कहने को इसलिये विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है क्योंकि यह उनके निकट सबसे प्रसिद्ध तथा सर्वाधिक संगीन था: ☐ सही ☐ गलत।

29- «يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا» : ☐ लज्जा बातिल का इंकार करने में बाधा थी ☐ अल्लाह के आदेश के बिना उससे रोकने से।

30- सही यह है: ☐ सर्वप्रथम इस्तिदलाल (दलील मालूम करना) तत्पश्चात एतक़ाद (उसकी आस्था रखना) ☐ सर्वप्रथम एतक़ाद रखना तत्तपश्चात दलील मालूम करना।

31- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये आदर एवं सम्मान की बात है कि आप: ☐ अल्लाह के बंदा तथा रसूल हैं ☐ मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं।

32- अच्छा सपना कहते हैं : ☐ जो सुधार आधारित हो ☐ जो व्यवस्थित तरीके से दिखाई दे ☐ उक्त सभी।

33- सपना यदि अव्यवस्थित है तो यह उलझनों वाला परेशान ख़्वाब है: ☐ सही ☐ गलत।

34- दु:स्वप्न शैतान की और से होते हैं : (☐ सही ☐ गलत) और सुन्नत यह है कि इसे: (☐ ताबीर बताने वाले के पास बयान करे ☐ अपनी बाईं और तीन बार थूके तथा शैतान से अल्लाह की शरण मांगे)।

35- यदि यह अनुमान हो कि सपना शरीअत विरोधी है तो: ☐ इसको आधार बनाया जायेगा ☐ इसका कोई एतबार नहीं।

36- अपनी पत्नी से यों कहना: (मेरे जीवन का सबसे काला दिन मेरे विवाह का दिन है): ☐ जायज़ है ☐ नाजाजयज़ है।

37- सही यह है कि: ☐ पीड़ा से हानि होना ज़रूरी नहीं है ☐ पीड़ा से हानि होना आवश्यक है।

38- अल्लाह तआला के समस्त नाम अच्छे तथा शुभ हैं जब्कि "दह (ज़माना)" इस्म जामिद (रूढ़ि) है जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं है सिवाय इसके कि यह समय एवं काल का एक नाम है: ☐ सही ☐ गलत, तथा "**मैं ही दह (ज़माना) हूँ**" अर्थात: ....

39- (ज़माना ग़द्दार है) कहना: ☐ हराम है ☐ जायज़ है क्योंकि यह केवल सूचना देना भर है।

40- (अमूक व्यक्ति सुखाड़ वाले वर्ष में पैदा हुआ) कहना: ☐ हराम है ☐ जायज़ है क्योंकि यह केवल सूचना देना भर है।

41- (हे धरती, अपने ऊपर के वासियों की रक्षा करना) कहना: ☐ यह ग़ैरुल्लाह से दुआ करना (शिर्क) है ☐ जायज़ है।

42- ज़माना को गाली देने के प्रकार: १- .... इसका हुक्म: ....
२- .... इसका हुक्म: .... ३- .... इसका हुक्म: ....

43- (प्राकृति बड़ी आश्चर्यजनक तथा रहस्यमयी है) कहना, या (यह प्राकृति का काम है) कहना: ☐ सही है ☐

गलत है।

44- क़ाज़ी (न्यायाधीश) लाज़िम करने तथा फ़त्वा देने के बीच संतुलन बनाते हुए चलेगा: ☐ सही ☐ गलत।

45- (सातवीं शताब्दी के सर्वोच्च न्यायाधीश) कहना: ☐ जायज़ है ☐ ऐसा न बोलना बेहतर है।

46- शैख़ुल इस्लाम अर्थात: ☐ वह शैख़ तथा ज्ञानि जो इस्लाम का आश्रय है ☐ मुजद्दिद -ए- दीन तथा जिन्होंने इस्लाम की रक्षा में महत्वपूर्ण किरदार अदा किया।

47- (☐ उचित है ☐ अनुचित है) कि किसी विशेष उपाधि से सम्मानित आत्ममुग्धता तथा अहंकार में पड़ जाये।

48- अल्लाह तआला के निकट सबसे प्रिय नाम वह है जो विनम्रता तथा कमतर होने का भाव रखता हो, जैसे: (☐ शहंशा ☐ अब्दुर्रहमान) और अल्लाह के निकट सबसे घटिया एवं पतित नाम वह है जो: (☐ शक्ति ☐ अहंकार ☐ महानता ☐ सभी) का भाव प्रकट करता हो, और इसीलिये उसकी इच्छा के उलट उसका अपमान करके उसको दंड दिया गया (☐ सही ☐ गलत)।

49- मलिक अल-अमलाक (महाराजा) तथा क़ाज़ी अल-क़ुज़ात (सर्वोच्च न्यायाधीश) नाम रखना: ☐ जायज़ है ☐ ह़राम है ☐ गुनाह -ए- कबीरा है।

50- कुनियत वह जिसके पहले: (अब, पिता) या (उम्म, माता) या (अख़, भाई) या (अम्म, चाचा) या (ख़ाल, मामूँ) लगा हुआ हो, और यह होता है: ☐ सराहना के लिये ☐ निंदा के लिये ☐ किसी चीज़ की अनिवार्यता या पूरक होने का बताने के लिये ☐ अलम (संज्ञा) के लिये ☐ उक्त सभी।

51- ऐसे भी सहाबी थे जिनका नाम ह़कीम या ह़कम था लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको नहीं बदला, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल संज्ञा मात्र था: (☐ सही ☐ गलत) अल्लाह तआला के ऐसे नामों के द्वारा नामकरण करना वर्जित है जो (☐ उसी के लिये आरक्षित हो ☐ जिसमें विशेषता का भाव एवं अर्थ अभिप्रेत हो ☐ उक्त सभी)।

52- कुनियत रखने का हुक्म: ☐ मुबाह है ☐ मुस्तहब है।

53- (जिसने किसी ऐसी चीज़ का उपहास उड़ाया जिसमें अल्लाह का या क़ुरआन का या रसूल का ज़िक्र हो) और रसूल से अभिप्राय हैं : ☐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ☐ समस्त रसूल गण।

54- उपहास करने वाले के ईमान को नकारना बड़ा संगीन इंकार है, और यह कल्पना नहीं की जा सकती कि एक मुसलमान इसकी गंभीरता को न जानता हो: ☐ सही ☐ गलत।

55- उपहास करने वाले को तौबा की शर्तें : १- ....

२- .... ३- ....

56- उपहास के अध्याय में दृढ़ता एवं जानबूझकर ऐसा किया गया हो इसका पाया जाना आवश्यक है: ☐ सही ☐ गलत।

57- कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह को गाली देने वालो का समर्थन करते हैं किंतु जब उसकी अपनी माता को

गाली दी जाये तो उसके अंदर आत्मसम्मान का भाव जाग जाता है: ☐ सही ☐ गलत।

58- आवश्यक है कि लोगों के सामने यह स्पष्ट किया जाये कि यह इस्लाम से ख़ारिज कर देने वाला कुफ्र है और हम इस प्रतिक्षा में न रहें कि जब लोग गाली देने लगेंगे तब हम उसको बताएंगे: ☐ सही ☐ गलत।

59- कुछ लोग कहते हैं कि: हम गाली देने वाले और उपहास करने वाले से पूछेंगे कि उसका उद्देश्य गाली देना था या नहीं, उनका ऐसा कहना: ☐ सही है ☐ बकवास है।

60- ख़ालिक़ पर मख़लूक़ के हक़ व अधिकार के आदर की दलील यह कहना है कि गाली देने वाले को क्रोध के कारण विवश समझा जायेगा, जब्कि राष्ट्र अध्यक्ष अथवा बाप को गाली देने या नोट फाड़ देने के समय उसे विवश नहीं समझा जायेगा: ☐ सही ☐ गलत।

61- कुछ देशों में गाली देने पर कड़े प्रतिबंध लगाना फलित हुआ जब्कि कुछ दूसरे देशों में इसमें सुस्ती करने का परिणाम यह निकला कि बड़े-छोटे सभी निडर होकर गाली देने लगे: ☐ सही ☐ गलत।

62- उपहास करने वाला, मूर्ति को सज्दा करने वाले से अधिक बुरा है: ☐ सही ☐ गलत।

63- ऐसा बहुत संभव है कि आप यहूदि अथवा ईसाई को नहीं सुनेंगे कि वह रब अथवा मूसा अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम को या धर्म को अपशब्द कहता हो, लेकिन जो दीन (-ए- इस्लाम) के दावेदार हैं उनको आप अपशब्द कहते हुये सुनेंगे: ☐ सही ☐ गलत।

64- वास्तविक मोमिन के सामने जब क़ुरआन व ह़दीस़ का ज़िक्र होता है तो वह डरता है और उसके ईमान में वृद्धि होती है, जब्कि मुनाफ़िक़ हंसी ठठ्ठा खेल-कूद तथा उपहास करता है और लोगों को हंसाने वाली बातें करता है: ☐ सही ☐ गलत।

65- ऐसी वीडियो जिसमें आपकी माता जी को अपशब्द कहे गये हों, क्या आप उसको सुनेंगे अथवा शेयर करेंगे ? तो फिर आप कैसे उस वीडियो के फैलाएंगे जिसमें तमाम मोमिनों की माता को गाली दी गई हो? ☐ हाँ ☐ नहीं।

66- जिसके पास ऐसी ऑडियो या वीडियो जिसमें गाली गलोच हो, उस पर वाजिब है: ☐ सुनना और शेयर करना ☐ फौरन उसी समय डिलीट कर देना।

67- ऐसी फाइलें जमा करना जिसमें गाली तथा उपहास सामग्री हो, या ढ़ंग है: ☐ सलफ़ का ☐ मुनाफ़िक़ो का।

68- गाली अथवा उपहास करके मुर्तद हो जाना बड़ा संगीन मामला है, कुछ उलेमा ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति का तौबा स्वीकार्य नहीं और अपरिहार्य है कि तत्कालीन शासक उसका सिर धर से अलग कर दे, और उसकी न तो जनाज़ा पढ़ी जायेगी, न उसके लिये रह़मत की दुआ की जायेगी और न ही उसके मुसलमानों के साथ दफ़न किया जायेगा: ☐ सही ☐ गलत।

69- गाली देने वाला यदि कहे कि उसने तौबा कर लिया है तथा फिर गाली दे तो यह उसके झूठा होना का प्रमाण है: ☐ सही ☐ गलत।

70- मुनाफ़िक़ जब गाली देता है तो कहता है कि मेरा यह उद्देश्य नहीं था, यह तो बस एक ज़ुबानी वक्तव्य था: ☐ सही ☐ गलत।

71- उपहास करने वाले के सच्चा तौबा की दलील यह कहना है किः गाली देना और उपहास करना कुफ्र है, और ऐसा करने वाले से बराअत व अलगाव ज़ाहिर करेः ☐ सही ☐ गलत।

72- जो गाली या उपहास का इंकार न करे या वहाँ से उठ कर न चला जाये तो उसका हुक्म उपहास करने वाले के समान हैः ☐ सही ☐ गलत।

73- शैतान कभी-कभी लोगों को कुफ्र में डालने के लिये भलाई का दरवाज़ा खोलता है, जैसे यह आदमी तबूक में शामिल थाः ☐ सही ☐ गलत।

74- इस्तिहज़ा (उपहास) वाली ह़दीस़ से पता चलता है कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को गाली देने वाला काफिर है (☐ सही ☐ गलत) क्योंकि उन पर लांछन लगाना मानो (☐ अल्लाह ☐ रसूल ☐ दीन ☐ सहाबा ☐ उक्त सभी) पर लांछन लगाना है।

75- जिसके क्षमा कर देने का उद्देश्य सुधार के स्थान पर बिगाड़ उत्पन्न करना हो वह अपने इस क्षमा के कारणः (☐ गुनाहगार होगा ☐ गुनाहगार नहीं होगा)।

76- इंसान जब नियामत का संबंध अपने ज्ञान अथवा कमाई से जोड़े तो यह (☐ रुबूबियत में ☐ उबूदियत में) शिर्क करना है, और जब उसका संबंध अल्लाह से तो जोड़े किंतु यह गुमान रखे कि वह उसके योग्य है तो इसमें एक प्रकार का अहंकार, बड़प्पन तथा आत्ममुग्धता का भाव पाया जाता हैः (☐ सही ☐ गलत)।

77- वह क़ज़ा (फैसला) जो अल्लाह का अमल (कर्म) है उससे राज़ी रहना (☐ वाजिब है ☐ वाजिब नहीं है) और मक़ज़ी (जिसका निर्णय हो चुका है) यदि मुसीबत हो तो उससे राज़ी होना लाज़िम नहीं हैः (☐ सही ☐ गलत)।

78- अंधा, गंजा तथा कोढ़ी का फरिश्ते से मांगने में कोई अंतर नहीं थाः☐ सही ☐ गलत।

79- अब्दुल मुत्तलिब नाम रखनाः ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है।

80- फूल की एक प्रजाति का नाम अब्बादुश शम्स (सूर्य का भक्त) रखनाः ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है।

81- जो नाम रखना सही है उसके आस-पास गोल घेरा ○ बनायें : (अब्दुल मुत्तलिब – अब्दुल काबा – अब्दे मुनाफ़ – अब्दुल हुसैन – अब्दुंनबी – अब्दुल ह़ारिस़ – फ़िरऔन – ख़िन्ज़िब – आस़िया (अवज्ञाकारी के अर्थ में) – शासकों का शासक महा शासक – सैयेदुन्नास (लोगों का सरदार) – ग़ुलाम अली – रब्बुल आलिमीन – अर्रह़मान – अल-ख़ालिक़ – अब्दुस सत्तार – अब्दुन्नूर – पोतरस (बुतरस) – जॉर्ज – सैयिदुस्सादात (सरदारों का सरदार महा सरदार) – सित्तुंनिसा – अब्दुन्नासिर)।

82- राफ़िज़ियों के ग़ुलू (अतिश्योक्ति) में से जो चीज़ें मुसलमानों में आ गई हैं उनका एक उदाहरण बंदगी प्रकट करते हुये अपने बच्चे का नाम (ग़ुलाम अली) अर्थात (अली का बंदा) रखना है, यह ग़ैरुल्लाह के लिये बंदगी प्रकट करना है जो शिर्क हैः ☐ सही ☐ गलत।

83- जो व्यक्ति किसी दूसरे के धन में उपभोग का अधिकार नहीं रखता हो, उसका यह कहनाः (मैं हुक्म का ग़ुलाम हूँ): ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है।

84- आदम व हव्वा अलैहिमस्सलाम का क़िस्साः ☐ सही है ☐ बातिल व बकवास है।

85- शैतान ने अब्दुल हारिस नाम का चयन इसलिये किया किः ☐ यह उसका नाम है ☐ यह सही नहीं है क्योंकि "हारिस" सबसे सच्चा नाम है।

86- "हारिस" नाम रखनाः ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है।

87- उलेमा इस बात पर मुत्तफ़िक (एकमत) हैं कि अम्बिया शिर्क से पाक व पवित्र हैं, और जो व्यक्ति उनके विषय में अनाप-शनाप बोले या उनसे होने वाली बातों को तलाश करे, तो वहः ☐ मुनाफ़िक़ है ☐ मुवह्हिद है।

88- अल्लाह के नामों से दुआ करना, दुआ -ए- : ☐ इबादत है ☐ मसअला है ☐ उक्त सभी।

89- "किताबुत तौहीद" ☐ तौहीद की तीनों भेदों को अपने अंदर समाहित किये हुये है ☐ इसमें केवल तौहीद -ए- इबादत का उल्लेख है।

90- (अल्लाह के नाम) असमा में इलहाद (नास्तिकता, कजी) के प्रकार हैं : ☐ दो ☐ पाँच।

91- अर्थातः ☐ हम न तो उसको दावत देंगे और न ही उनके सामने कुछ बयान करेंगे ☐ उनके पीछे नहीं पड़ेंगे।

92- असमा व सिफ़ात में इलहाद (नास्तिकता, कजी) के प्रकार हैं : १- ....
२- .... ३- ....
४- .... ५ - ....

५२- "अस्सलामु अलल्लाह" नहीं कहा जायेगा (ऐसा कहना ह़राम है)

क्यों ?

क्योंकि इस प्रकार से दुआ करना यह भ्रम उत्पन्न करता है कि उसके अंदर कोई कमी या त्रुटि है, क्योंकि किसी के लिये सलामती, शांति तथा सुरक्षा के लिये उसी समय दुआ की जायेगी जब वह उसका ज़रूरतमंद होगा, जब्कि अल्लाह तआला हरेक प्रकार के दोष, कमी तथा त्रुटि से दोषमुक्त, पवित्र एवं पाक है।

क्योंकि यह वास्तविकता के बिल्कुल विपरीत है, अल्लाह तआला के लिये दुआ करने के स्थान पर अल्लाह तआला से दुआ मांगी जायेगी, वह हम से बेनियाज़ (निःस्पृह) है, किंतु सिफ़त -ए- कमाल (पूर्ण सद्गुणों) के द्वारा उसकी प्रशंसा एवं सराहना की जायेगी।

पहली दलील:

सही (बुख़ारी) में अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है वह कहते हैं कि जब हम नमाज़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ होते थे तो हम कहते थे: (السَّلَامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ) "अल्लाह तआला पर उसके बंदों की ओर से सलाम हो, अमूक-अमूक व्यक्ति पर सलाम हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «**لَا تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ؛ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ**». **"अल्लाह पर सलामती हो न कहा करो, क्योंकि अल्लाह तआला तो स्वयं "अल-सलाम" (सलामती वाला) है"**।

- **अस्सलाम**, स़बूती सलबी संज्ञा है, सलबी इस अर्थ में है कि अल्लाह की ओर से हरेक उस दोष, कमी तथा त्रुटि को नकारा जायेगा जिसकी कल्पना मस्तिष्क में की जा सकती है या बुद्धि द्वारा विचार किया जा सकता है, अल्लाह तआला को उसकी ज़ात (अस्तित्व) स़िफ़ात (विशेषताओं) या अफ़आल (कर्म) या अह़काम (आदेश) में किसी प्रकार का कोई दोष छू भी नहीं सकता। और स़बूती इस अर्थ में है कि इससे अभिप्राय अल्लाह के लिये इस नाम को साबित करना है और इस नाम से संबंधित सभी विशेषताओं को भी अर्थात "अस्सलामा" (सलामती, शांति, सुरक्षा आदि)।
- **और अल-सलाम के कई अर्थ हैं:**

"अस्सलाम" अल्लाह तआला के नामों में से एक नाम है।

दोष, कमी, त्रुटि तथा विपत्ति से संरक्षण की दुआ, जैसे हमारा कहना: (السَّلام عليك أيُّها النَّبيُّ) (हे नबी, आप पर सलामती हो)।

"अल-तह़ीया" (सलाम), जैसे किसी को कहा जाता है कि: अमूक व्यक्ति को सलाम करो।

मसाइल:

पहला: अल-सलाम, की व्याख्या (कि यह अल्लाह तआला का एक नाम है जिसका अर्थ है: हरेक प्रकार के दोष, कमी एवं त्रुटि से दोषमुक्त, पवित्र एवं पाक)।

दूसरा: यह कलमा (सलाम) मुसलमानों का एक-दूजे के लिये उपहार है।

तीसरा: इस शब्द (सलाम) का प्रयोग अल्लाह तआला के लिए करना उचित नहीं है (और जब यह अल्लाह तआला के लिए प्रयोग करना अनुचित है तो इसका मतलब है कि यह ह़राम है)।

चौथा: अल्लाह तआला के लिये इस शब्द के प्रयोग न करने का कारण व सबब पता चला (वह यह है कि अल्लाह तआला स्वयं "अल-सलाम" (सलामती वाला) है)।

पाँचवां: उस तह़ीया (अभिवादन) की शिक्षा जो अल्लाह तआला के लिये उचित व मुनासिब है (अर्थात: तशह्हुद मे: अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु ... कहना, अत: मख़लूक़ (जीव) के लिये "तह़ीय्याती" नहीं कहा जायेगा)।

५३- (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ) (हे अल्लाह यदि तू चाहे तो मुझे क्षमा कर दे) कहने का हुक्म (इस प्रकार से अल्लाह की इच्छा पर छोड़ते हुये दुआ करना ह़राम है)

यह अध्याय अल्लाह तआला के पूर्ण शासन और उसके कृपा व एहसान का बखान करता है, और उपरोक्त वाक्य का प्रयोग करने पर जो विचार मन में उभरता है वह यह किः

- इससे यह आभास होता है कि अल्लाह तआला पर कोई दबाव डालने वाला है जब्कि ऐसी कोई बात नहीं है।
- इससे यह आभास होता है कि यह मामला अल्लाह तआला के लिए बहुत बड़ा है जो उसको विवश तथा असहाय कर देने वाला है जब्कि ऐसी कोई बात नहीं है।
- इससे यह आभास होता है कि इंसान अल्लाह तआला से बेनियाज़ (निःस्पृह) है, जो किसी भी रूप में उचित नहीं है और यह शिष्टाचार के भी विरुद्ध है।

पहली दलीलः

सही (बुख़ारी) में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ الْـمَسْأَلَةَ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ» **"कोई यह न कहे किः हे अल्लाह, यदि तू चाहे तो मुझे क्षमा कर दे, हे अल्लाह, यदि तू चाहे तो मुझ पर दया कर, बल्कि दृढ़ संकल्प के साथ अल्लाह तआला से दुआ करे क्योंकि कोई अल्लाह तआला को विवश करने वाला या दबाव डालने वाला नहीं है"।**

और मुस्लिम की रिवायत है किः «وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ؛ فَإِنَّ اللهَ لا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ» **"और चाहिये कि बड़ी-बड़ी कामनाएं करे क्योंकि अल्लाह तआला के लिये कुछ भी प्रदान करना कोई बड़ी बात नहीं है"।**

दुआ -ए- इस्तिख़ारा में अल्लाह की इच्छा पर जो निर्भरता जताई गई है वह निर्भरता अल्लाह की मशीअत व चाहत से संबंधित नहीं है बल्कि वह हमारे निकट अस्पष्ट तथा अनभिज्ञ चीज़ से संबंधित है, हम नहीं जानते कि हमारे लिये क्या बेहतर है ? और इसी प्रकार से इस ह़दीसः «أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي» (जब तक जीवित रहना मेरे लिये बेहतर हो मुझे जीवित रख) का मामला भी बिल्कुल वैसा ही है

मसाइल:

पहला: दुआ करते समय मामला को अल्लाह की इच्छा पर छोड़ देने की निषिद्धता (अर्थात: इस प्रकार नहीं कहना चाहिये कि: हे अल्लाह, यदि तू चाहता है तो मुझे माफ़ कर दे)।

दूसरा: अल्लाह तआला की इच्छा पर निर्भरता की वर्जना का कारण भी बताया गया है।

तीसरा: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान कि: «لِيَعْزِمِ الْـمَسْأَلَةَ» "**अल्लाह तआला से पूर्ण विश्वास तथा दृढ़ संकल्प के साथ मांगो तथा दुआ करो**" (अर्थात: जब अल्लाह तआला से दुआ करे तो दिल में बिना किसी हिचकिचाहट के इस विश्वास से दुआ करे कि अल्लाह तआला उसकी दुआ व प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेगा)।

चौथा: अल्लाह तआला के समक्ष बड़ी-बड़ी कामनाएं की जाये (अर्थात जो भी मांगना हो अल्लाह तआला से मांगे क्योंकि किसी भी मांग को पूरा करना अल्लाह के लिये तनिक भी कठिन या असंभव नहीं है)।

पाँचावां: अल्लाह तआला के समक्ष बड़ी-बड़ी अभिलाषाएं तथा कामनाएं करने के आदेश का कारण भी पता चला (१- शरीअत की बुलंदी एवं सर्वोच्चता बताने के लिये। २- इंसान को और अधिक निश्चिंत करने के लिये। ३- जब अह़काम से संबंधित कोई मसला पेश आजाए तो क़्यास को स़ाबित व प्रमाणित करने के लिये)।

५४- अब्दी व अमती कहने की वर्जना

अब्दी (मेरा भक्त, दास) व अमती (मेरी भक्तिनी, दासी) कहने का हुक्म:

इसकी निस्बत किसी दूसरे की ओर करे: जैसे कहे: (अमूक व्यक्ति का -अब्द- दास) या (अमूक व्यक्ति की -अमता- दासी) यह जायज़ है।

इसकी निस्बत स्वयं अपनी ओर करे: इसके दो प्रकार हैं :

यह निदा (पुकार) के द्वारा हो: जैसे कहे: (हे मेरे अब्द -दास-) तो यह वर्जित है।

यह ख़बर (सूचना) के द्वारा हो: जैसे कहे: (मैंने अपने अब्द -दास- को खाना खिलाया) या (मैंने अपने अब्द -दास- को आज़ाद व स्वतंत्र कर दिया) इसमें विस्तार व तफ़्सील है:

यदी इस शब्द का प्रयोग अब्द या अमः (दास या दासी) की उपस्थिति में कहे तो देखा जायेगा कि क्या इसका कोई बुरा प्रभाव पड़ रहा है क्या ? जिसका संबंध दास या दासी से है, यदि इसका कोई बुरा प्रभाव दिखाई दे तो वर्जित होगा अन्यथा जायज़ होगा।

यदि यह शब्द अब्द या अमः (दास या दासी) की अनुपस्थिति में कहे तो जायज है।

पहली दलील:

सही (बुख़ारी) में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कि रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وضِّئْ ربَّك، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُم: عَبدِي وَأَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وفتَاتِي وَغُلَامِي» **"तुम में से कोई यह न कहे कि अपने रब (पोषक) को भोजन करा दो, अपने रब (पोषक) को वुज़ू करा दो, उसे मेरा सैय्यिद (स्वामी) तथा मेरा मौला (रक्षक, आक़ा) कहना चाहिये, तथा कोई मेरा अब्द (भक्त, दास) तथा मेरी अमः (भक्तिनी, दासी) न कहे बल्कि मेरा सेवक तथा सेविका कहना चाहिये"।**

- «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وضِّئْ ربَّك»: क्योंकि इसमें एक प्रकार से रुबूबियत वाली सीमा को लांघ जाने का अर्थ पाया जाता है।

- «وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ»: यह संबोधन अब्द (दास, सेवक) को है, और यह वुजूब (अपरिहार्य होने) के लिये नहीं है, बल्कि यह मुबाह (जायज़) तरीके की ओर मार्गदर्शन करना है, क्योंकि उलेमा कहते हैं किः अम्र (आदेश, हुक्म) जब किसी वर्जित चीज़ की तुलना में उसके विरुद्ध आये तो वह इबाहत (जायज़ क़रार देने) के लिये होता है, जैसे अल्लाह तआला के इस फरमान में हैः ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟﴾ (और जब तुम (हज के कार्यों को अंजाम दे कर) हलाल हो जाओ तो शिकार करो)।
- «وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُم»: नह्य (वर्जना) या तो तहरीम (निषेध क़रार देने) के लिये है अथवा कराहत (अप्रिय बताने) के लिये, ताकि यह भ्रम पैदा न हो कि यहाँ वही उबूदियत, बंदगी और भक्ति अभिप्रेत है जो अल्लाह तआला के लिये विशेष एवं आरक्षित है। «عَبدِي»: (मेरा बंदा, दास, भक्तनी) युवक एवं सेवक के लिये। «وَأَمَتِي»: (मेरी बंदी, दासी, भक्तनी) युवती तथा सेविका के लिये।
- «وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وفَتَاتِي وَغُلَامِي»: यह संबोधन स्वामी तथा आक़ा को, इससे यह प्रमाणित होता है कि शरीअत जब हराम चीज़ों का दरवाज़ा बंद करती है तो उसकी तुलना में जायज़ चीज़ों का भी दरवाज़ा खोलती है, इसमें शब्दों के चयन में भी तौहीद के वास्तविक रूप का ध्यान रखने की ओर चेताया गया है।

मसाइलः

पहलाः (عَبْدِي وَأَمَتِي) मेरा भक्त (दास) व मेरी भक्तनी (दासी) जैसे शब्दों का प्रयोग करना वर्जित है।

दूसराः कोई सेवक अपने स्वामी को (رَبِّي) (मेरा प्रभु) न कहे, और न किसी सेवक को इस प्रकार से संबोधित किया जाये किः (أَطْعِمْ رَبَّكَ) (अपने प्रभु को भोजन कराओ)।

तीसराः मालिक व स्वामी को यह शिक्षा दी गई है कि वह (عَبْدِي وَأَمَتِي) (मेरा भक्त, मेरी भक्तनी) कहने के स्थान पर (فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي) (मेरा सेवक, मेरी सेविका, मेरा ग़ुलाम) जैसे शब्दों का प्रयोग करे।

चौथाः सेवक को यह शिक्षा दी गई है कि वह अपने स्वामी को (سَيِّدِي وَمَوْلَايَ) (मेरा सरदार, मेरा आक़ा) जैसे शब्दों से संबोधित करे।

पाँचवां: इसका मूल उद्देश्य यह है कि तौहीद का अक़ीदा बिल्कुल पक्का हो यहाँ तक कि शब्दों के चयन में भी तौहीद का ध्यान रखते हुए सावधानी बरतनी चाहिये।

५५- अल्लाह के नाम पर मांगने वालों को ख़ाली हाथ न लौटाया जाए (यह तहरीम या कराहत के लिए है)

अल्लाह के नाम पर मांगने के प्रकार:

अल्लाह तआला की अवतरित की हुई शरीअत के अंतर्गत मांगने का कार्य करे: अर्थात उस ढ़ंग से मांगे जिसको शरीअत ने जायज़ क़रार दिया है, जैसे फ़क़ीर (निर्धन, भिक्षुक) सद्का (दान, भिक्षा) मांगे।

बजाय़े "अल्लाह" शब्द का प्रयोग करते हुए मांगे: जैसे कोई कहे: मैं अल्लाह के नाम का वास्ता दे कर आप से माँगता हूँ।

क्या किसी इंसान के लिये अल्लाह का नाम ले कर मांगना जायज़ है

बिना किसी आवश्यकता व ज़रूरत के मांगना स्वयं अपने आप में हराम या मकरूह है, इसीलिए सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बैअत (संकल्प) किया था कि वह किसी इंसान से कुछ नहीं मांगेंगे, अब जहाँ तक प्रश्न है मांगने वाले की आवश्यकतापूर्ति की तो मांगने वाले (भिक्षुक) की निम्नांकित दो स्थिति हो सकती है:

सवाल मात्र हो: जैसे कहे: (हे अमूक मुझे कुछ दे) यदि उसने ऐसी चीज़ का प्रश्न किया है जिसे शरीअत ने जायज़ क़रार दिया है तो उसकी मांग पूरी कर दे।

अल्लाह का नाम लेकर मांगना: तो उसे दिया जायेगा क्योंकि यद्यपि वह उसके योग्य नहीं भी होगा फिर भी, चूँकि उसने सर्वोच्च महान व्यक्तित्व का नाम लेकर मांगा है, अतः उस व्यक्तित्व का आदर करते हुए उसकी मांग पूरी की जायेगी, किंतु यह मांग यदि किसी गुनाह का हो अथवा मांग पूरी करने में, मांग पूरी करने वाले को हानि होने का अंदेशा हो तो फिर उसकी मांग पूरी नहीं की जाएगी।

पहली दलील:

अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ، حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ» **"जो अल्लाह के नाम पर शरण मांगे उसे शरण दो, और जो अल्लाह के नाम पर मांगे उसकी माँग पूरी करो, और कोई तुम्हें न्योता दे तो उसे स्वीकार करो, जो तुम्हारे साथ उपकार करे तुम भी उसके बदले उपकार करो, और यदि बदला चुकाने के लिये तुम्हें कुछ न मिले तो उसके लिये इतनी दुआ करो कि तुम्हें यक़ीन हो जाये कि तुमने उसका बदला चुका दिया"**। इस हदीस़ को अबू दाऊद तथा नसाई ने सही सनद के साथ रिवायत किया है।

- « فَأَعِيذُوهُ » : यदि किसी ऐसी चीज़ के संबंध में शरण मांगे जो उस पर वाजिब है, अथवा गुनाह या उपद्रव के लिये पनाह मांगे तो पनाह नहीं दिया जायेगा।
- न्योता स्वीकार करना अल्लाह के अधिकार के कारण है या मानव के? यह आदमी का ह़क़ व अधिकार है, इसीलिये यदि मेज़बान (अतिथेय) से खाने और क़ैलूला (दिन के खाने के पश्चात थोड़ी देर विश्राम) की अनुमति मांगे और वह अनुमति देदे तो वहाँ क़ैलूला करने में कोई गुनाह नहीं है, किंतु यह अल्लाह के आदेश के कारण वाजिब है, परंतु मेज़बान यदि लोकलाज के डर से खिलाने तथा क़ैलूला करवाने से मना न कर सके बल्कि यों ही दावत देदे तो ऐसी परिस्थिति में उसकी दावत खाना अनुचित है।
- «فَأَجِيبُوهُ» : इससे अभिप्राय वह दावत है जो आदर-सत्कार के लिये हो दिखावा के लिये नहीं, जम्हूर (अधिकांश) उलेमा का कहना है कि न्योता स्वीकार करना मुस्तह़ब है, सिवाय वलीमा के न्योता के, वलीमा की दावत को स्वीकार करना छः शर्तों के साथ वाजिब है:

1. दावत देने वाला व्यक्ति ऐसा न हो जिससे दूर रहना वाजिब या सुन्नत हो।
2. दावत वाले स्थान पर मुन्कर (वर्जित कार्य) न किया जा रहा हो, किंतु यदि वहाँ मुन्कर किया जा रहा हो और यह व्यक्ति उस मुन्कर को रोकने में सक्षम हो तो दावत स्वीकार करने तथा मुन्कर को रोकने के लिये वहाँ उपस्थित होना वाजिब है।
3. न्योता देने वाला मुसलमान हो, अन्यथा दावत स्वीकार करना वाजिब नहीं होगा (अर्थात यदि वह इस दावत को अस्वीकार करता है तो उसे गुनाह नहीं होगा)।
4. मेज़बान (अतिथेय) की कमाई ह़राम व अवैध न हो।
5. न्योता स्वीकार करना किसी वाजिब कार्य से रोक देने का कारण न बने, या किसी ऐसी चीज़ से रोकने का कारण न बने जो दावत से भी बढ़ कर वाजिब है।
6. न्योता स्वीकार करने के कारण उसे कोई हानि होने का अंदेशा न हो, जैसे सुदूर यात्रा करके जाना पड़े, या उसके घरवाले जिन्हें उसकी आवश्यकता है उनको छोड़ कर जाना पड़े।

- क्या बांटा जाने वाला आमंत्रण पत्र आमने सामने न्योता देने के समान है? यदि यह विदित हो अथवा यह गुमान हो कि जिसने यह आमंत्रण पत्र भेजा है उसका उद्देश्य वही है जो सामने आकर न्योता देने वाले का होता है तो इसका हुक्म सामने आकर न्योता देने वाले के समान होगा।
- «فَكَافِئُوهُ» : बदला चुकाने के दो लाभ हैं :

1. भलाई करने वाले (परोपकारी) को और अधिक परोपकार करने के लिये प्रेरित करना।
2. इसके द्वारा इंसान लज्जा की उस रेखा को लांघता है जिससे उसके साथ किसी के परोपकार करने के पश्चात उसे जूझना पड़ता है।

मसाइलः

पहलाः जो कोई अल्लाह का नाम ले कर शरण माँगे उसे शरण दिया जाये (जो व्यक्ति अल्लाह का नाम लेकर पनाह माँगे उसको पनाह देना वाजिब है, यह अलग बात है कि यदि वह ऐसी चीज़ से पनाह माँगे जिसका करना या न करना वाजिब हो, ऐसी स्थिति में उसे पनाह नहीं दी जायेगी)।

दूसराः जो अल्लाह तआला का नाम ले कर माँगे उसे कुछ न कुछ देना चाहिये।

तीसराः न्योता स्वीकार करने का हुक्म।

चौथाः किसी के उपकार का बदला चुका देना चाहिये (अर्थातः जो आप के साथ भलाई व उपकार करे आप भी उसके साथ भलाई व उपकार करें)।

पाँचवां: जो उपकार का बदला चुकाने में अक्षम हो वह उपकार करने वाले के लिये दुआ करे (क्योंकि ऐसी स्थिति में यही उपकार का बदला चुकाना है, तथा ऐसी चीज़ों में किये गये उपकार का भी जिनका आदतानुसार किसी सामान के द्वारा बदला नहीं चुकाया जाता)।

छठाः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान किः «حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ» **"उपकार करने वाले के लिये इतनी दुआ करना कि यह आभास होने लगे कि अब उसका बदला चुका दिया"** (उपकार करने वाले के लिये दुआ करने में कमी न करे बल्कि उस समय तक दुआ करता रहे जबतक यह यक़ीन हो जाये या यह गुमान होने लगे कि अब उसने बदला चुका दिया है)।

५६- अल्लाह का वास्ता देकर केवल जन्नत माँगी जाये

अध्याय के शीर्षक का अर्थः

अर्थातः किसी मख़लूक़ (जीव) से जन्नत न मांगो, क्योंकि जन्नत देना मख़लूक़ के सामर्थ्य से बाहर है।

अथवाः अल्लाह का वास्ता देकर अल्लाह तआला से जब भी कुछ मांगो तो जन्नत ही मांगो, सांसारिक लाभ की वस्तुएं न मांगो।

इसमें अल्लाह के वज्ह (मुख, चेहरा) का आदर है कि उसके वज्ह -ए- करीम का वास्ता देकर केवल जन्नत ही मांगी जाये अथवा वह चीज़ जो जन्नत तक ले जाने वाली हो।

पहली दलीलः

जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا الْجَنَّةُ» **"अल्लाह तआला का वास्ता देकर केवल जन्नत के सिवाय कुछ और न माँगा जाए"**। इस हदीस़ को अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

- «بِوَجْهِ اللهِ»: इसमें अल्लाह तआला के लिये वज्ह (मुख) का प्रमाण है, और यह क़ुरआन, हदीस़ तथा इज्मा (सर्वमत) से प्रमाणित है, अल्लाह के पास वास्तविक मुख है जो मख़लूक़ के समान नहीं है।

मसाइलः

पहलाः अल्लाह तआला का वास्ता देकर सबसे बड़े लक्ष्य एवं महानतम उद्देश्य (जन्नत) के अतिरिक्त कुछ और न माँगा जाये (अदब का तक़ाज़ा यह है कि अल्लाह का वास्ता देकर वही चीज़ माँगी जाए जिसका संबंध आख़िरत (परलोक) से हो जैसे जन्नत में प्रवेश अथवा जहन्नम से बचाव)।

दूसराः अल्लाह तआला के लिये "वज्ह" (मुख, चेहरा) का प्रमाण है।

दुआ -ए- सिफ़त का हुक्मः

दुआ -ए- सिफ़त जायज़ नहीं है, जैसे कहनाः (يا رحمة الله، يا وجه الله، يا عزَّة الله) या रह़मतल्लाह, या वज्हल्लाह, या इज़्ज़तल्लाह, ये सब बनाई हुई दुआ (बिदअत) है, जिसका न तो क़ुरआन व हदीस़ में कोई उल्लेख है और न ही सलफ़ से साबित है, और शैख़ुल इस्लाम रह़िमहुल्लाह कहते हैं : (ऐसा कहना कुफ्र है)।

५७- "लौ" (यदि, अगर) कहने का हुक्म (इसमें तफ़्सील है)

"लौ" (यदि, अगर) शब्द प्रयोग करने के प्रकार मय हुक्मः

हराम है और कभी-कभी कुफ्र तक जा पहुँचता हैः यदि इसका प्रयोग शरीअत पर आपत्ति जताने के लिये किया जाये।	﴿لَوۡ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلۡأَمۡرِ شَيۡءٞ مَّا قُتِلۡنَا هَٰهُنَا﴾: मुनाफ़िक़ों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत पर आपत्ति जताते हुए कहा किः यदि यह लोग हमारी बात मान लेते और हमारी तरह वापस लौट जाते तो क़त्ल नहीं होते, अर्थात हमारा मत व विचार नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत से बेहतर है।
हराम हैः यदि इसका प्रयोग तक़दीर (भाग्य) पर आपत्ति जताने के लिये किया जाये।	﴿لَوۡ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ﴾: (वो लोग यदि हमारी बात मान लेते तो क़त्ल न किए जाते), इस प्रकार उन्होंने अल्लाह की तक़दीर पर आपत्ति जताया।
हराम हैः यदि इसका प्रयोग निराशा तथा अफ़सोस प्रकट करने के लिये हो।	"यदि मैं यों करता तो ऐसा-ऐसा हो जाता": क्योंकि अफसोस, दुःख एवं कचोट का कारण है, जब्कि अल्लाह तआला चाहता है कि हम निश्चिंत रहें।
हराम हैः यदि इसका प्रयोग किसी कुकर्म को जायज़ ठहराने के लिये भाग्य को हुज्जत बनाने की ख़ातिर हो।	﴿لَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكۡنَا﴾: यह बातिल है, और तक़दीर से हुज्जत पकड़ना जायज़ है यदि यह केवल विपत्ति बताने के लिये हो उसको दोषयुक्त करने के लिये नहीं, और इसकी पहचान यह है बंदा गुनाह से रुक जाये तथा तौबा व पशचात्ताप करे।
यदि यह ख़ैर व भलाई के लिये हो तो बेहतर है और यदि शर्र व बुराई को लिये हो तो बुरा हैः अगर इसका प्रयोग तमन्ना व अभिलाषा के लिये हो।	"यदि मेरे पास धन होता तो मैं ऐसा-वैसा करता" यह ख़ैर व भलाई की आरज़ू है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**वह अपनी नीयत पर है, और दोनों का अज्र (पुण्य) समान है**", और जिसने बुराई की आरज़ू की उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "**वह अपनी नीयत पर है, और दोनों का गुनाह (पाप) समान है**"
जायज़ हैः यदि इस का प्रयोग मात्र सूचना भर देने के लिये हो।	"**जो बात मुझे अब ज्ञात हुई है यदि पहले से पता होती तो मैं क़ुर्बानी के पशु साथ न लाता**" यह सूचना मात्र है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ऐसी किसी चीज़ की आरज़ू नहीं कर सकते जो अल्लाह की तक़दीर के विरुद्ध हो, यह ऐसे ही है जैसे कोई कहेः यदि मैं पाठ में उपस्थित रहता तो लाभांवित होता।

एक से तीन तक दलीलें:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿يَقُولُونَ لَوۡ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلۡأَمۡرِ شَيۡءٞ مَّا قُتِلۡنَا هَٰهُنَا﴾ الآية।

(ये लोग कहते हैं यदि हमारे बस में कुछ होता तो हम यहाँ मारे नहीं जाते)।

२- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخۡوَٰنِهِمۡ وَقَعَدُواْ لَوۡ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْۗ﴾ الآية।

(ये वो लोग हैं जो स्वयं भी बैठे रहे तथा अपने भाइयों के संबंध में कहा कि यदि वो हमारी बात मान लेते तो क़त्ल नहीं किये जाते)।

३- तथा सही (मुस्लिम) में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزَن، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا؛ وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللهُ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» **"लाभदायक चीज़ों के लिये लालायित रहा करो, तथा केवल अल्लाह तआला से सहायता माँगो, और विवश हो कर न बैठ जाओ, और यदि तुम्हें कोई दुःख व विपत्ति पहुँचे तो यों न कहो: यदि मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा-वैसा हो जाता, बल्कि इस प्रकार कहो: अल्लाह का फैसला है उसने जो चाहा सो किया, क्योंकि "लौ (यदि, अगर, मगर आदि)" का प्रयोग करना शैतानी कर्म के द्वार खोलता है"।**

- ﴿يَقُولُونَ لَوۡ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلۡأَمۡرِ شَيۡءٞ مَّا قُتِلۡنَا هَٰهُنَا﴾: यह मुनाफ़िक़ों की ओर से शरीअत पर आपत्ति जताना था, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इस बात के लिये अप्रसन्नता जताई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनकी सहमति लिए बिना ही लड़ाई के लिये निकल पड़े।
- संभवतः यह तक़दीर पर भी आपत्ति हो सकती है इस अर्थ में कि: (हम मारे जाने के लिये नहीं निकले हैं)।
- ﴿ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخۡوَٰنِهِمۡ وَقَعَدُواْ لَوۡ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْۗ﴾: इसमें मोमिनों पर, अल्लाह के फैसले पर तथा तक़दीर पर आपत्ति जताना है, और जिहाद से बुज़दिली दिखाना है।
- जिसने तक़दीर (भाग्य) पर आपत्ति जताया तथा उससे अप्रसन्नता प्रकट किया वह अल्लाह तआला को अपना रब (प्रभु, पालनहार) मानने पर संतुष्ट व सहमत नहीं हुआ और न ही उसने तौह़ीद -ए- रुबूबियत को मुहक़्क़क़ किया अर्थात उसे उसके वास्तविक रूप में नहीं अपनाया।

- इस ह़दीस़ से साबित होता है किः

1- लाभदायक चीज़ों के लिये प्रयासरत रहना और हानिकारक चीज़ों से दूर रहना चाहिये। २- अल्लाह तआला की सहायता माँगना। ३- किसी चीज़ को पाने के लिये अनवरत प्रयासरत रहना तथा विवश हो कर बैठ नहीं जाना चाहिये, और इसके भी कई दर्जे हैं। ४- यदि कोई चीज़ ऐसी पेश आ जाये जो आपकी मंशा के विपरीत हो तो इसमें आपका कोई दोष नहीं यह अल्लाह की ओर से लिखा हुआ भाग्य है, अतः मामला अल्लाह तआला को सोंप दें।

मसाइलः

पहलाः सूरा आल -ए- इमरान की दो आयतों की तफ़्सीर (पहली आयत में शरीअत पर आपत्ति का वर्णन है जब्कि दूसरी आयत में तक़दीर पर आपत्ति जताने का उल्लेख है)।

दूसराः किसी विपत्ति और दुःख के समय (यदि मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा-वैसा हो जाता ...) कहने की वर्जना।

तीसराः "लौ" ("अगर, यदि") कहने का निषिद्ध होने के कारण का उल्लेख कि इससे शैतानी कर्म का द्वार खुलता है (जिससे इंसान को निराशा एवं अफसोस के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता)।

चौथाः अच्छी बात व वक्तव्य («قَدَّرَ اللهُ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ») (कि अल्लाह तआला ने जो चाहा -अच्छा ही- किया) की ओर मार्गदर्शन

पाँचवांः लाभदायक चीज़ों की लालसा व अभिलाषा तथा उसको पाने के लिये अल्लाह तआला से सहायता मांगने का आदेश।

छठाः इसके विपरीत विवश होकर बैठ जाने की वर्जना (अर्थात किसी कार्य से सुस्ती, आलस्य, तथा शिथिलता प्रकट करना, क्योंकि इंसान के वश में बस इतना ही है कि वह प्रयासरत रहे)।

५८- वायु एवं आंधी को गाली देने की निषिद्धता (भाग्य से संतुष्ट रहना)

पहली दलील:

उबइ बिन काअब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ» **"हवा को गाली न दो तथा जब ऐसी बात देखो जो तुमको बुरी लगे तो कहो: हे अल्लाह, हम इस वायु की भलाई तथा जो उसके भीतर है उसकी भलाई, तथा जिस भलाई का इसे आदेश दिया गया है उस भलाई की तुझसे माँग करते हैं, और तुझसे इस वायु की बुराई तथा जो इसके भीतर है उसकी बुराई से एवं जिस बुराई का इसे आदेश दिया गया है उसकी बुराई से तेरी शरण चाहते हैं"**। इस ह़दीस़ को तिर्मिज़ी ने सही कहा है।

- वायु तथा आंधी को गाली देने का वही हुक्म है जो पूर्व में ज़माना एवं काल को गाली देने से संबंधित अध्याय में विस्तार से वर्णन किया जा चुका, लेखक महोदय ने समाज में बहुलता के साथ इस कृत्य के पाए जाने के कारण इसे अलग से उल्लेखित किया है, वैसे सामान्य रूप से भी लानत-मलामत करने तथा अपशब्द कहने की वर्जना इसलाम में मौजूद है, चुनाँचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ» **"मोमिन कटाक्ष करने वाला, लानत करने (धिक्कारने) वाला, अश्लील तथा अशिष्ट नहीं होता"**, इसके अतिरिक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान भी है: «لَا يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» **"लानत करने वाला क़्यामत के दिन न तो सिफ़ारिशी होगा और न गवाही देने वाला"**।
- और मोमिन को गाली देने के संबंध में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» **"मोमिन को गाली देना फ़िस्क़ (दुराचार) है और उनसे युद्ध लड़ना कुफ्र है"**।
- तथा मृतकों को गाली देने के विषय में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا» **"मुर्दों को गाली न दो, उन्होंने जो किया उसका बदला उन्हें मिल चुका"**।

- तथा पशुओं का गाली देने के संबंध में आप का कथन है कि: «لَا تُصَاحِبُنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ» **"हमारे साथ ऐसी ऊँटनी नहीं रहेगी जिसपर लानत भेजा गया हो"**।
- और बुख़ार (ज्वार-ताप) को गाली देने के संबंध में फरमाया: «لَا تَسُبُّوا الْحُمَّى» **"बुख़ार को गाली न दो"**।

मसाइल:

पहला: हवा को गाली देने की निषिद्धता (यह ह़राम है क्योंकि हवा और आंधी को गाली देना दरअसल उसके पैदा करने वाले तथा उसे भेजने वाले को गाली देना है)।

दूसरा: इसमें इस बात की ओर मार्गदर्शन किया गया है कि इंसान जब कोई अप्रिय चीज़ देखे तो लाभदायक बात बोले या कर्म करे (जैस कहे: ऐ अल्लाह, मैं तुझसे माँगता हूँ ..., तथा इंद्रीय माध्यम अपनाये, जैसे आंधी के वेग एवं बुराई से बचने के लिये दीवार का सहारा ले)।

तीसरा: इसमें यह उपदेश भी है कि हवा अपने आप नहीं चलती बल्कि यह अल्लाह तआला के आदेशाधीन है।

चौथा: इसमें यह भी वर्णन है कि कभी उसे भलाई का आदेश होता है और कभी बुराई का।

(सारांश यह है कि इंसान पर वाजिब व अनिवार्य है कि वह अल्लाह के फ़ैसले और तक़दीर पर आपत्ति न जताए, और न ही उसे गाली दे व अपशब्द कहे बल्कि जिस तरह से वह अल्लाह तआला के शरई फ़ैसलों को बिना किसी आपत्ति के मान लेता है वैसे ही अल्लाह तआला के कौनी (ब्रह्मांडीय) फैसलों को भी बिना आपत्ति के मान लेना चाहिए, क्योंकि यह मख़लूक़ (जीव) स्वयं अपने आप कुछ भी करने में असमर्थ है सिवाय इसके कि जिस चीज़ का अल्लाह तआला उसे हुक्म दे)।

५९- अल्लाह तआला के फरमान ﴿يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ ظَنَّ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِۖ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلۡأَمۡرِ مِن شَيۡءٖۗ قُلۡ إِنَّ ٱلۡأَمۡرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِ﴾ الآيَة (वो अल्लाह तआला के बारे में जाहिलीयत युग के समान मिथ्या धारणा रखते हैं, और कहते हैं क्या हमें भी किसी चीज़ का अधिकार है, आप कह दीजिये हरेक प्रकार का अधिकार केवल अल्लाह के पास है) का अध्याय

- ﴿يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ﴾: (अर्थातः मुनाफ़िक़ीन) यह जाहिलीयत के समुदायों के समान गुमान है जिसमें गुमान करने वाला अल्लाह की महानता से भलि-भांति परीचित नहीं होता, अतः अज्ञानता आधारित बातिल गुमान है, और अल्लाह तआला से गुमान रखने के दो रूप हैं :

1) **अल्लाह तआला से अच्छा गुमान रखे,** और इससे संबंधित दो चीज़ें हैं**:**

क- जो वह इस कायनात में कर रहा है उससे संबंधितः इस के विषय में अल्लाह तआला से अच्छा गुमान रखना वाजिब है।

ख- जो वह विशेष रूप से कर रहा है उससे संबंधितः इस विषय में अल्लाह तआला से सबसे अच्छा गुमान रखना वाजिब है बशर्ते कि आप के पास वह चीज़ हो जो इस हुस्न -ए- ज़न्न (अच्छे गुमान को वाजिब करे जो अल्लाह तआला के लिये इख़लास़ (निःकपटता) तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण है।

2) **अल्लाह तआला से बुरा गुमान रखे**: जैसे उसके किसी कृत्य को मुर्खता, या अत्याचार या इसके समान किसी और चीज़ पर आधारित समझे यह ह़राम कार्यों में सर्वाधिक बुरा तथा गुनाहों में सबसे संगीन है, जैसाकि मुनाफ़िक़ नाहक इस तरह का गुमान रखते थे।

पहली दलीलः

अल्लाह तआला का फरमान हैः ﴿ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوۡءِۚ عَلَيۡهِمۡ دَآئِرَةُ ٱلسَّوۡءِۖ﴾ الآيَة। (जो लोग अल्लाह तआला के बारे में बुरा गुमान रखेत थे वो स्वयं बुराई के फेरे में आ गये)।

- इससे अभिप्रेत मुनाफ़िक़ और मुश्रिक लोग हैं कि बुराई उन्हें चारों ओर से घेरे हुए है।

इब्ने क़ैयिम रहिमहुल्लाह कहते हैं (उपरोक्त आयत में जिस अंधकार युग वाले मिथ्या गुमान का वर्णन है वह यह है कि) वो यह गुमान करने लगे थे कि अल्लाह तआला अपने रसूल की सहायता नहीं करेगा तथा उसकी दावत शीघ्र ही समाप्त हो जायेगी, और वो लोग यह गुमान करने लगे थे कि मुसलमानों पर जो विपत्ति आई है वह अल्लाह की तक़दीर तथा हिकमत के अंतर्गत नहीं थी, इस प्रकार भी वर्णन किया गया है कि ये लोग अल्लाह की तक़दीर, हिकमत (दूरदर्शिता) और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सफलता का इंकार करते हैं और यह गुमान करते हैं कि यह (इस्लाम) धर्म समस्त धर्मों पर विजयी नहीं होगा। मुनाफ़िक़ों एवं मुश्रिकीन का यही वह बुरा गुमान है जिसका उल्लेख सूरा फ़त्ह की आयत में हुआ है, क्योंकि यह ऐसा गुमान है जो अल्लाह तआला की महानता एवं शान के विरुद्ध है, अतः जो यह गुमान करे कि अल्लाह तआला बातिल (असत्य) को ह़क़ (सत्य) पर स्थायी प्रभुत्व देगा जिसके कारण सत्य मिट जायेगा, या जो यह गुमान करे कि यह निर्णय अल्लाह के क़ज़ा व क़दर से नहीं हुआ, या जो यह गुमान करे कि अल्लाह तआला की तक़दीर सराहनीय सम्पूर्ण हिकमत (तत्वदर्शिता) पर आधारित नहीं है बल्कि यह गुमान करे कि यह मात्र उसकी मशीयत व चाहत से हुआ, यही काफिरों का गुमान है और उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है, और बहुतेरे लोग अपने तथा अन्य लोगों से संबंधित कार्यों में अल्लाह तआला के बारे में बुरा गुमान रखते हैं, इस बुरे गुमान से केवल वही लोग सुरक्षित हैं जो अल्लाह तआला, उसके असमा व सिफ़ात तथा उसकी हिकमत एवं प्रशंसा के कारणों की पहचान रखते हों। अतः प्रत्येक बुद्धिजीवी जो स्वयं का शुभचिंतक हो उसे चाहिये कि वह उपरोक्त समस्त बातों का ध्यान रखे, अल्लाह से क्षमा याचना करे, और उसके समक्ष अपने इस बुरे गुमान के लिये पश्चात्ताप करे, और यदि आप लोगों की बातों पर ध्यान दें तो देखेंगे कि अधिकांश लोग तक़दीर के विषय में शिकायत का पहलू अपनाए हुए हैं, और भाग्य का रोना रोते हुए कहते हैं कि यह कार्य ऐसे सम्पन्न होना चाहिए तो अमूक कार्य वैसे, स्वयं को मिलने वाली चीज़ों को कुछ लोग कम समझते हैं तो कुछ ज़्यादा, आप भी अपने अंतर्मन में झांकें कि क्या आप इससे बचे हुए हैं अथवा आप भी इसी में लिप्त हैं ?

(فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ   وَإِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ نَاجِيًا)»

यदि आप इससे सुरक्षित हैं तो एक बड़ी बात से सुरक्षित हैं   अन्यथा मैं आप को सुरक्षित नहीं समझता।

- यह बात इमाम इब्नुल क़ैयिम रहिमहुल्लाह ने अपनी पुस्तक "ज़ाद अल-मआद" में उहुद युद्ध के वर्णन के पश्चात, इसमें छिप्त हिकमतें (तत्वदर्शिता, दूरदर्शिता) तथा उद्देश्य, शीर्षक के अंतर्गत किया है, बुरा गुमान रखने के विषय में उन्होंने जो बातें कही हैं उनका सारांश यह है कि:

1- यह गुमान रखे कि अल्लाह तआला बातिल (असत्य) को ह़क़ (सत्य) पर ऐसा प्रभुत्व देगा कि जिसके कारण ह़क़ समाप्त हो जायेगा।

2- जो हुआ वह अल्लाह तआला के क़ज़ा व क़दर से हुआ इसका इंकार करे, उसके स्वामित्व में कोई घटना कैसे घट सकती है जो उसकी इच्छा के विरुद्ध हो!।

3- इसका इंकार करे कि अल्लाह तआला की तक़दीर प्रशंसनीय मुकम्मल व पूर्ण हिकमत पर आधारित है।

- बुरा गुमान रखने के संबंध में उन्होंने जो उपचार बताया है कि उसका सारांश निम्नांकित है:

1. अल्लाह तआला के असमा व सिफ़ात की वास्तविक पहचान, तहरीफ़ (हेर-फेर), तावील (अपनी ओर से मंगढ़त व्याख्या करना) आधारित पहचान नहीं।

2. बुद्धिजीवी उपरोक्त बातों का ध्यान रखे ताकि यह उसे अल्लाह तआला से अच्छा गुमान रखने के लिये प्रेरित करे, बुरा गुमान या जाहिलीयत (अंधकार) युग वाला गुमान नहीं।

3. अल्लाह के समक्ष अपने गुनाहों से तौबा करते हुये अल्लाह की ओर पलट कर आजाये, और तौबा व इस्तिग़फार करे।

4. आप स्वयं अपने बारे में बुरा गुमान रखें (यह अल्लाह से बुरा गुमान रखने की तुलना में बेहतर है) क्योंकि मानव भूल-चूक, बुराई तथा त्रुटि का पुतला है।

मसाइल:

पहला: सूरा आले इमरान की (﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ﴾ और इसमें ज़मीर (सर्वनाम) मुनाफ़िक़ों के लिये है) आयत की तफ़्सीर।

दूसरा: सूरा फ़त्ह की आयत (﴿الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ﴾ और इसमें ज़मीर (सर्वनाम) मुनाफ़िक़ों के लिये है) की तफ़्सीर।

तीसरा: इससे यह भी प्रमाणित होता है कि बदगुमानी की बहुतेरे प्रकार हैं जिसकी गणना नहीं की जा सकती (और इसका नियम यह है कि अल्लाह तआला से ऐसा गुमान रखना जो उसकी महानता तथा आदर भाव के विरुद्ध हो)।

चौथा: इस बदगुमानी से वही सुरक्षित रह सकता है जो अल्लाह तआला के असमा व सिफ़ात की पहचान के साथ-साथ स्वयं की भी पहचानने का गुण रखता हो (उसके विषय में गहन सोच-विचार करे, वास्तविकता तो यह है कि इंसान कमियों और बुराइयों का पुतला है, जब्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हरेक प्रकार की पूर्णता एवं कमाल से सुसज्जित है जिसको किसी भी प्रकार की कमी व त्रुटि छू भी नहीं सकती)।

६०- तक़दीर का इंकार करने वालों का हुक्म (कुफ्र -ए- अकबर है)

- <u>**तक़दीर**</u>: यह अल्लाह तआला का उसकी मख़लूक़ में एक भेद और राज़ है, हम इसको घटित हो जाने के बाद ही जान पाते हैं, इसका संबंध तौहीद -ए- असमा व सिफात से है और विशेष रूप से तौहीद -ए- रुबूबियत से है, तक़दीर पर ईमान रखने के संबंध में लोगों के तीन प्रकार हैं :

  1) **जबरीया**: तक़दीर का साबित करने में अतिश्योक्ति की पराकाष्ठा कर दी यहाँ तक कि बंदे से उसकी शक्ति, सामर्थ्य और अधिकार ही छीन लिया और कहा कि: इंसान के पास कोई अधिकार, शक्ति व सामर्थ्य नहीं।

  2) **क़दरीया और मोअतज़िला**: बंदे की शक्ति, सामर्थ्य और अधिकार को साबित करने में अतिश्योक्ति की पराकाष्ठा कर दी, और यहाँ तक कह दिया कि: बंदे के कर्म में अल्लाह तआला की मशीयत (चाहत) अथवा ख़ल्क़ (पैदा करने) की कोई भूमिका नहीं है।

  3) **तीसरा समूह अहले सुन्नत वल जमात का है**: जिन्होंने सभी दलीलों को एक स्थान पर एकत्र किया तथा उनके बीच संतुलन बनाते हुए सर्वश्रेष्ठ मिल्लत (संप्रदाय) वाला रास्ता अपनाया, अतः उन्होंने अल्लाह तआला के क़ज़ा व क़दर (फ़ैसला एवं भाग्य) पर भी ईमान रखा, और बंदे के लिये भी अल्लाह की मशीयत (चाहत) के अंतर्गत आने वाली मशीयत को साबित किया।

  क़जा व क़दर (निर्णय एवं भाग्य) पर ईमान रखने के बड़े लाभ हैं, जिनमें से कुछ निम्नांकित हैं:

1- यह तौहीद -ए- रुबूबित को मुकम्मल व पूर्ण करने में से है।

2- यह अल्लाह तआला पर सच्चा एतमाद व भरोसा को वाजबि करता है।

3- यह दिल में इत्मीनान एवं संतुष्टि को वाजिब करता है, जब आपको यह विश्वास हो जाये कि जो (दुःख इत्यादि) आपको पहुँची वह टल नहीं सकती थी और जो आप तक नहीं आई वह कभी आप तक पहुँच नहीं सकती थी, तो लाभदायक माध्यमों को अपना लेने के पश्चात आप को जो मिलेगा आप उस पर संतुष्ट रहेंगे।

4- सराहनीय कार्य करने के पश्चात इंसान को अहंकार में पड़ जाने से रोकना कि वास्तव में अल्लाह ही है जिसने उस पर यह कृपा की है।

5- जो दुःख एवं विपत्ति उस पर आयेगी उसका शोक न मनाना कि जब यह अल्लाह तआला की ओर से है तो निश्चित रूप से रहमत, कृपा, तथा हिकमत आधारित ही होगा।

6- इंसान असबाब (माध्यम) अपनाता है क्योंकि वह अल्लाह तआला की हिकमत पर ईमान रखता है और वह किसी चीज़ की तक़दीर का आधार उससे संबंधित माध्यमों पर रखता है।

पहली दलील:

अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं : "उस की क़सम जिसके हाथ में इब्ने उमर की जान है, यदि किसी के पास उहुद पहाड़ के तुल्य सोना हो और वह उसे अल्लाह के मार्ग में ख़र्च (व्यय) करे तो उसका यह कृत्य अल्लाह के समीप उस समय तक स्वीकार्य नहीं जब तक वह तक़दीर पर ईमान न रखे। फिर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन को प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत किया: «الْإِيمَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» **"ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर ईमान रखो, तथा उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों, आख़िरत के दिन (अंत दिवस) एवं तक़दीर के अच्छे व बुरे होने पर ईमान लाओ""**। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

ईमान: ज़ुबान से इक़रार करना (कथन), दिल से विश्वास रखना, शरीर के अंगों से उसके अनुसार कर्म करना, ईमान सुकर्म से बढ़ता है और कुकर्म से घटता है। और इसके छः अरकान (स्तंभ) हैं, ईमान रखना:

- अल्लाह पर
- फरिश्तों पर
- किताबों पर
- रसूलों पर
- आख़िरत के दिन पर
- तक़दीर के अच्छे और बुरे होने पर

«أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ»: अल्लाह पर ईमान लाने से निम्नांकित चीज़े लाज़िम आती हैं:

- तौहीद -ए- असमा व सिफात
- तौहीद -ए- उलूहियत
- तौहीद -ए- रुबूबियत
- अल्लाह के अस्तित्व पर ईमान, और यह प्रमाणित होगा निम्नांकित चीज़ों के द्वारा:

अक़्ल (बुद्धि) द्वारा

बुद्धि कभी भी यह नहीं मान सकती कि सृष्टि कर्ता के बिना सृष्टि की रचना हो जाए, ﴿أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَـٰلِقُونَ﴾ (क्या वे बिना किसी खालिक़ के पैदा हो गए हैं या वे स्वयं ख़ालिक़ हैं)।

इंद्रीय द्वारा

जब आप किसी तक्लीफ या पीड़ा में होते हैं तो हाथों को आकाश की ओर उठाकर कहते है: हे मेरे रब, तब अल्लाह के आज्ञा से यह पीड़ा दूर हो जाती है। जैसे उहुद के समय नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दुआ किया था।

प्राकृति द्वारा

नबी ﷺ ने फरमाया: «كل مولود يولد على الفطرة» (प्रत्येक बच्चा प्राकृतिक एवं स्वाभाविक रूप से इस्लाम पर पैदा होता है), फिर उसके माता-पिता उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं।

शरीअत द्वारा

इब्ने क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने लिखा है कि कुरआन में एक भी ऐसी आयत नहीं है जिसमें अल्लाह के एक व अकेला होने की दलील मौजूद न हो।

- «وَمَلَائِكَتِهِ»: फरिशते ग़ैब की (अनदेखी दुनिया) दुनिया से संबंध रखते हैं, अल्लाह ने उन्हें नूर से पैदा किया है, वह अल्लाह के आज्ञापालन में लगे रहते हैं तथा उसकी अवज्ञा नहीं करते, उनके पास रूह (आत्मा) है, ﴿رُوحُ الْقُدُسِ﴾ और शरीर भी ﴿جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ हृदय एवं बुद्धि भी ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ हम उन पर और उनके उन नामों पर भी ईमान रखते हैं जो अल्लाह ने हमें बता दिया है (जैसे जिब्रील, मीकाईल, इस्राफील) उनके गुणों पर भी ﴿لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ एवं उनके कार्यों पर (जैसे अर्श को उठाने वाले फरिश्ते) तथा उनके विषय में जो खबरें हम तक पहूँची हैं मोटे तौर पर या विस्तृत रूप से, हम सबपर ईमान रखते हैं।
- «وَكُتُبِهِ»: यह ईमान रखना वाजिब है कि कुरआन अल्लाह का वास्तविक कलाम (कथन) है, तथा अल्लाह की ओर से उतारा गया है, पैदा नहीं किया गया, और प्रत्येक रसूल के साथ अल्लाह ने एक किताब उतारी, हम उन किताबों पर तथा अल्लाह तआला ने उनमें से जिनके नाम बताए हैं और जो ख़बरें उन में हैं तथा उनमें गैर मन्सूख़ (प्रचलित) जो अहकाम हैं सब पर ईमान रखते हैं (मोटे तौर पर भी तथा विस्तृत रूपसे भी), यह भी ईमान रखते हैं कि कुरआन ने पूर्व की तमाम किताबों को मंसूख (रद्द) कर दिया है जो कि यह है: तौरात, इंजील, ज़बूर तथा इब्राहीम व मूसा -अलैहिमस्सलाम- के सहीफे।
- «وَرُسُلِهِ»: इस बात पर ईमान लाना ज़रूरी है कि तमाम रसूल इंसान हैं, उनमें रुबूबियत का कोई भी गुण नहीं है, वो सभी बंदे हैं उनकी इबादत (उपासना) नहीं की जा सकती, अल्लाह ने उन्हें रसूल बनाकर भेजा और उनकी ओर वह्य (प्रकाशना) उतारी तथा निशानियों एवं मोअजिज़ा (चमत्कारों) के द्वारा उनकी मदद की, वे अमानत को पूर्णरूपेण अदा कर चुके, उम्मत की खैरख्वाही (हितचिंता) की और दीन पहूँचा दिया तथा अल्लाह के रास्ते में जिहाद का हक़ अदा कर दिया, हम उन पर तथा जो कुछ भी अल्लाह ने हमें उनके नामों, गुणों व हालतों के विषय में मोटे तौर पर या विस्तृत रूप से बताया हैं हम उन सब पर ईमान रखते हैं, और यह भी की पहले नबी आदम عليه السلام हैं, पहले रसूल नूह عليه السلام तथा अंतिम नबी मोहम्मद ﷺ हैं, यह भी कि पूर्व की तमाम शरीअतें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत के द्वारा मंसूख़ (समाप्त) कर दी गई हैं तथा अज्म वाले रसूल पाँच हैं जिनका उल्लेख सूर: शूरा तथा अहज़ाब में हुआ है और वह यह है: (मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, नूह, इब्राहीम, मूसा तथा ईसा अलैहिमुस्सलाम)।
- «وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»: इसमें हर उस चीज पर ईमान लाना शामिल है जिसके विषय में नबी सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम ने खबर दिया है कि वह मृत्यु पश्चात होने वाली है, जैसेः क़ब्र का फितना, सूर फूँका जाना, लोगों का कब्रों से उठ खड़ा होना, मीज़ान, आमाल नामा, कौसर नामक हौज, शफाअत, जन्नत, जहन्नम, मोमिनों का क़्यामत के दिन व जन्नत में अपने रब का दीदार करना तथा इसके अलावा अन्य ग़ैबी चीजें।

- «وَتُؤمِنَ بِالقَدَرِ»: यहाँ फेअल (क्रिया) (تُؤمِنَ) की पुनरावृत्ति की है क्योंकि तक़दीर पर ईमान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसकी चार श्रेणियां हैं :

(عِلْمٌ، كِتابَةُ مَولَانَا، مَشِيْئَتُه *** وَخَلْقُهُ وَهُو إِيْجَادٌ وَتَكْوِيْنٌ)

इल्म (ज्ञान), किताबत (लिखना), उसकी मशीयत और पैदा करना जोकि अविष्कार तथा बनाने के अर्थ में है।

ख़ल्क़ (पैदा करना)	मशीयत (चाह)	किताबत (लिखना)	इल्म (ज्ञान)
यह ईमान रखना कि बंदा तथा उसके समस्त क्रियाकलाप अल्लाह ने पैदा किए हैं, इसी प्रकार समस्त ब्रह्मांड भी, जिसकी दलील अल्लाह का यह फरमान है: ﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (अल्लाह तआला प्रत्येक चीज को पैदा करने वाला है) ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (अल्लाह ने तुम्हें तथा तुम्हारे कर्मों को पैदा किया है)।	यह ईमान रखना कि अल्लाह जो चाहता है वह होता है, जो नहीं चाहता है नहीं होता है, और बंदे का भी इरादा होता है किंतु वह अल्लाह तआला के इरादे के अधीन है। जिसकी दलील अल्लाह तआला का यह फरमान है: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ (और तुम नहीं चाह सकते मगर यह कि अल्लाह तआला चाहे)।	यह ईमान रखना कि क़्यामत तक घटित होने वाली सभी चीजों की तक़दीर अल्लाह ने लिख दिया है। जिसकी दलील अल्लाह तआला का यह फरमान है: ﴿وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ﴾ (आसमान व ज़मीन में कोई पोशीदा (छिपा, गुप्त) चीज़ ऐसी नहीं जो रौशन और खुली (स्पष्ट) किताब में न हो)।	इस पर ईमान रखना कि अल्लाह तआला प्रत्येक वस्तु को पूर्व से ही संक्षिप्त एवं विस्तृत तौर पर जानता है। जिसकी दलील अल्लाह तआला का यह फरमान है: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾(वह जानता है जो कुछ उनके आगे तथा जो कुछ उनके पीछे है)।

दो से चार तक दलीलें:

२- उबादा बिन स़ामित रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्होंने अपने बेटे से कहा: يَا بُنَيَّ؛ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «**إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَقَالَ: رَبِّ! وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ**»، يَا بُنَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «**مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي**» "हे मेरे पुत्र, तुम ईमान का स्वाद तब तक नहीं पाओगे जब तक यह विश्वास न रखो कि जो (दुःख) तुमको पहुँचा वह तुमसे चूक नहीं सकता था तथा जो तुमसे चूक गया वह कभी तुम तक पहुँच नहीं सकता था, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुना है कि: **अल्लाह तआला ने सर्वप्रथम क़लम को पैदा किया तथा उसे लिखने का आदेश दिया, उसने कहा: हे मेरे रब, मैं क्या लिखूँ ? अल्लाह तआला ने फरमाया: क़्यामत तक घटित होने वाली सभी चीज़ों की तक़दीर लिख।** हे मेरे पुत्र, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुना कि: **जो इसके अतिरिक्त किसी अन्य अक़ीदा पर मरा वह मेरी उम्मत में से नहीं**"। और अहमद की एक रिवायत में इस प्रकार है: «**إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْقَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ**» "**सर्वप्रथम अल्लाह तआला ने क़लम को पैदा किया और उसे लिखने का आदेश दिया, तो उसने उसी क्षण क़्यामत तक घटित होने वाली हरेक बात लिख दी**"।

३- तथा इब्ने वहब की रिवायत के शब्द हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमया: «**فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّهِ؛ أَحْرَقَهُ اللهُ بِالنَّارِ**» "**जो व्यक्ति भाग्य के अच्छे व बुरे होने पर ईमान नहीं लाया, अल्लाह तआला उसे नरक की अग्नि में जलायेगा**"।

३- एवं "मुसनद" तथा "सुनन" में इब्ने दैलमी की रिवायत है वह कहते हैं कि: ...فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ "मैं आदरणीय उबैय बिन काब के पास आया और कहा: मेरे मन में तक़दीर के संबंध में कुछ शंका है, आप कोई ह़दीस़ बयान करें जिससे संभवतः अल्लाह तआला मेरे दिल से उस शंका का निवारण कर दे। तो उबैय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया: यदि तुम उहुद पहाड़ के समान भी सोना दान करो तो तुम्हारी ओर से अल्लाह तआला इसे उस समय तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक तुम यह यक़ीन न रखो कि जो विपत्ति तुम पर आई वह तुमसे टल नहीं सकती थी, और जो नहीं आई वह कभी तुम तक पहुँच नहीं सकती थी। यदि तुम्हारी आस्था (अक़ीदा) इसके विरुद्ध हुआ तो और तुम इसी पर मर गये तो तुम जहन्नमी हो गये"। इब्ने दैलमी कहते हैं इसके पश्चात मैं अब्दुल्लाह बिन मसऊद, हुज़ैफ़ा बिन यमान तथा ज़ैद बिन स़ाबित रज़ियल्लाहु अन्हुम के पास गया (और उनको अपनी शंका से अवगत कराया) तो उन्होंने भी इसी के समान नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ह़दीस़ बयान की। यह ह़दीस़ सही है, इसे ह़ाकिम ने अपनी सही में रिवायत किया है।

- «حَتَّى تَعْلَمَ»: अल्लाह तआला ने अपने इस कथन में इसी अर्थ को दर्शाया है: ﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مِّن قَبۡلِ أَن نَّبۡرَأَهَآۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ٢٢ لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ وَلَا تَفۡرَحُواْ بِمَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٍ ٢٣﴾ (न कोई मुसीबत दुनियाँ में आती है न (विशेष) तुम्हारी जानों में मगर इससे पहले कि हम इसको पैदा करें वह एक विशेष किताब में लिखित है, यह (कार्य) अल्लाह तआला पर (बिल्कुल) आसान है। ताकि तुमसे जो चीज़ चूक गई उसपर शोक न मनाओ और ना ही मिली हुई चीज़ पर इतराओ, और इतराने एवं डींग हांकने वालों को अल्लाह तआला पसंद नहीं करता है)।
- «يَا بُنَيَّ»: इसमें उपदेश देते समय संतानों के संग नम्रता एवं कोमलता से पेश आने का प्रमाण है, और बच्चों को अह़काम (इसलाम धर्म से संबंधित आदेश) को प्रमाण सहित बताना चाहिए: १- ताकि बच्चे दलीलों का अनुसरण करने के अभ्यस्त हों। २- ताकि बच्चों की परवरिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मोहब्बत करने पर हो।
- «فِي نَفْسِي شَيْءٌ»: दैलमी के दिल में जो शंकाएं उत्पन्न हुई थीं वो उन बिदअतियों के संग बैठने का भयंकर परिणाम हैं जो तक़दीर में शक किया करते थे, और शुबहा (शंका) का समाधान नुसूस (क़ुरआन व ह़दीस़) के द्वारा किया जायेगा ताकि यह पूर्णरूपेण समाप्त हो जाये।
- «الْقَلَمُ»: इसमें "पेश" और "ज़बर" के साथ दो रिवायतें हैं :

1- "पेश" के साथ: अर्थ होगा कि जिन मख़लूक़ात (जीव) का हम अवलोकन करते हैं जैसे आसमान तथा ज़मीन उसकी तुलना में अल्लाह तआला सर्वप्रथम क़लम को पैदा फरमाया, तो यह प्राथमिकता तुलनात्मक है, इब्ने क़ैयिम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं :

وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِي الْقَلَمِ الَّذِي ... كُتِبَ الْقَضَاءُ بِهِ مِنَ الدَّيَّانِ
هَلْ كَانَ قَبْلَ الْعَرْشِ أَوْ هُوَ بَعْدَهُ ... قَوْلَانِ عِنْدَ أَبِي الْعَلَا الْهَمَذَانِي
وَالْحَقُّ أَنَّ الْعَرْشَ قَبْلُ لِأَنَّهُ ... قَبْلَ الْكِتَابَةِ كَانَ ذَا أَرْكَانِ

क़लम जिसके द्वारा अल्लाह की ओर से फैसले लिखे गये उसके संबंध में लोगों में मतभेद है कि वह अर्श (सिंहासन) से पहले पैदा हुआ या बाद में, अबुल अला अल-हमदानी से दोनों प्रकार के कथन नक़ल किये गये हैं, किंतु सही बात यह है कि अर्श, किताबत से पहले ही स्तंभों वाला मौजूद था।

2- "ज़बर" के साथ: अर्थ होगा कि अल्लाह तआला ने क़लम को पैदा करते ही सर्वप्रथम लिखने का आदेश दिया।

मसाइलः

पहलाः तक़दीर पर ईमान लाना फर्ज़ है।

दूसराः तक़दीर पर ईमान लाने की कैफियत का वर्णन (कि हम ईमान की चारों श्रेणियों पर ईमान रखें)।

तीसराः तक़दीर पर ईमान न रखने वाले व्यक्ति के पुण्य कर्म बर्बाद हो जाते हैं (क्योंकि वह कुफ्र -ए- अकबर को अंजाम देने वाला अपराधी है)।

चौथाः जिस व्यक्ति का तक़दीर पर ईमान न हो, वह ईमान का स्वाद नहीं ले सकता।

पाँचवां: उस चीज़ का वर्णन जिसे अल्लाह तआला ने सर्वप्रथम पैदा किया (इसमें कोई संशय नहीं कि क़लम को अर्श के बाद पैदा किया गया, किंतु जिन चीज़ों का हम अवलोकन करते हैं उनकी तुलना में क़लम सबसे पहले पैदा किया गया, अर्थात उसकी प्राथमिकता तुलनात्मक है)।

छठाः इसका वर्णन कि क़लम ने उसी क्षण क़्यामत तक घटित होने वाली सभी घटनाओं को लिख दिया (इसमें निर्जीव वस्तुओं से भी अल्लाह तआला के वार्तालाप करने का प्रमाण है, और यह भी कि वह अल्लाह के आदेश को समझता है, क्योंकि अल्लाह तआला ने क़लम को जब आदेश दिया तो उसने उसे समझा और आज्ञापालन किया)।

सातवाँ: तक़दीर पर ईमान न रखने वालों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का विमुखता प्रकट करना (वह ऐसे कुफ्र का अपराधी है जो इस्लामी मिल्लत से निष्कासित कर देता है)।

आठवाँ: इससे यह भी प्रमाणित हुआ कि शंका के निवारण के लिये सलफ़ (नेक पूर्वज) उलेमा एवं धर्मशास्त्रियों से उसके संबंध में पूछा करते थे (इसमें अनेक उलेमा से पूछने के जायज़ होने का भी प्रमाण है किंतु यह और अधिक संतुष्टि प्राप्त करने की नीयत से हो न कि आसानी खोजने के लिये)।

नौवाँ: उलेमा ने हरेक प्रकार के शुबहों का उत्तर देकर उसका निवारण कर दिया है और अपनी दलीलों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जोड़ दिया है (इसके द्वारा शंकाओं का पूर्णरूपेण निवारण हो जाता है, और इसमें कोई हर्ज नहीं कि विरोधी संतुष्ट करने तथा समर्थक के अतिरक्त निश्चित्ता के लिये इसके सिवा भी अन्य बोद्धिक तथा इंद्रीय दलीलों का प्रयोग करे, और इसके अतिरिकत एक चौथी दलील और भी है जो कि "नैसर्गिक एवं प्राकृतक दलील" है।

६१- चित्रकारों के संबंध में (कड़ी चेतावनी)

1– चूँकि चित्र बनाने में भी एक प्रकार से रचना एवं सृजनता होती है, अतः इस दृष्टिकोण से देखें तो चित्रकार अल्लाह तआला का मुक़ाबला करने का प्रयास करता है।

2– इस भूमि पर उत्पन्न होने वाले सर्वप्रथम शिर्क का कारण चित्रकारी तथा मूर्तिकारी ही थी।

एक से पाँच तक दलीलें:

१- अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً» **“अल्लाह तआला फरमाता हैः उससे बड़ा अत्याचारी कौन होगा जो मेरी रचना के समान (कुछ) रचने का प्रयास करता है, यह लोग एक कण अथवा एक दाना अथवा एक जौ ही बनाकर दिखाएं”**। इस ह़दीस़ को इमाम बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।

२- तथा बुख़ारी व मुस्लिम ही में आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ اللهِ» “क़यामत के दिन सबसे बड़ी यातना उन लोगों को होगी जो पैदा करने तथा बनाने में अल्लाह तआला का मुक़ाबला करने का प्रयास करते हैं”।

३- और सही बुख़ारी व मुस्लिम ही में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाता हुए सुनाः «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ؛ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ» **“प्रत्येक चित्रकार (एवं मूर्तिकार) जहन्नम में जाएगा, उसकी बनाई हुई हरेक आकृति के बदले एक आकृति बनाई जायेगी जिससे उस को नरक में दंड दिया जायेगा”**।

४- सही बुख़ारी व मुस्लिम ही में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरफूअन वर्णित है किः «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا؛ كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ» **“जो संसार में कोई चित्र (अथवा प्रतिमा) बनाएगा क़यामत के दिन उस पर भार डाला जाएगा कि वह उसमें प्राण डाले, परंतु वह उसमें प्राण डालने में असमर्थ होगा”**।

५- तथा मुस्लिम में अबुल हैयाज की रिवायत है कि आदरणीय अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझ से कहाः (أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟: «أَنْ لَا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ») क्या मैं तुझे उस कार्य के लिये न भेजूँ जिसके लिये मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भेजा थाः **“कि जो भी चित्र देखूँ उसे मिटा दूँ तथा जो भी ऊँची कब्र देखूँ उसे समतल कर दूँ”**।

- **चित्रकार (और मूर्तिकार) का दंड:** १- उसे सर्वाधिक कष्टदायक दंड दिया जाएगा, या वह सर्वाधिक कष्टदायक यातना झेलने वालों में से होगा। २- वह मलऊन (धिक्कृत) है। ३- अल्लाह तआला प्रत्येक चित्र के बदले एक जान बनाएगा जिसके द्वारा उसे अज़ाब (यातना) देगा। ४- वह नरक की अग्नि में जलेगा। ५- उसको बाध्य किया जाएगा कि वह उसमें प्राण डाले जिसमें वह असमर्थ होगा। ६- इस वर्ग में उससे बड़ा ज़ालिम व अत्याचारी कोई नहीं अथवा वह अत्याचार की पराकाष्ठा पर है।
- «طَمَسْتَهَا»: यदि वह रंगीन हो तो उस पर दूसरा रंग फेर कर उसकी निशानियों को मिटा दिया जायेगा, यदि प्रतिमा हो तो उसका सिर अलग कर दिया जाएगा, यदि गड्ढा हो तो उस पर मिट्टी डाल कर उसको भर दिया जाएगा ताकि उसका निशान समाप्त हो जाए, अर्थात उसको मिटाने के भिन्न रूप हो सकते हैं, और ह़दीस़ का ज़ाहिरी अर्थ यह है कि यद्यपि उसकी पूजा हो रही हो अथवा नहीं सब समान हैं।
- «سَوَّيْتَهُ»: बुलंद, ऊँची। «مُشْرِفًا»: इसके दो अर्थ हैं :

  1- शरीअत की मंशा के अनुसार उसको बेहतर कर दिया जाये। २- उसके आस-पास की क़ब्र को बराबर कर दिया जाए।

चित्र एकत्र करने के उद्देश्य एवं रूप:

1- **चित्र में विद्यमान व्यक्ति का आदर करने के लिये:** यह बिना किसी संशय के ह़राम है, क्योंकि शक्ति एवं शासन रखने वाले लोगों का आदर करने के लिये उनकी चित्रों को एकत्र करना तौह़ीद -ए- रुबूबियत में विकार का घोतक है, जब्कि पूज्य की चित्रों को एकत्र करने के द्वारा उनका आदर करना तौह़ीद -ए- उलूहियत में विकार का घोतक है।

2- **उसकी ओर देख-देख कर आनंद लेने के लिये:** इसमें फितना का डर होने के कारण ह़राम है।

3- **मोहब्बत एवं प्रेम की स्मृति के रूप में:** जैसे वो लोग जो बच्चों के चित्र बनाते हैं, यह ह़राम है।

4- **जिन चित्रों को एकत्र करना विवशता हो:** जैसे नोट और कार्ड इत्यादि पर विद्यमान चित्र, इसमें कोई गुनाह नहीं है क्योंकि इससे बचना असंभव है।

5- **ऐसे चित्र जो किसी और चीज़ से संबंधित हों:** जैसे पत्रिकाओं एवं अख़बारों में मौजूद चित्र, इसमें कोई हर्ज नहीं है, किंतु बिना किसी कष्ट के यदि इसको मिटाना संभव हो तो बेहतर है कि इसे मिटा दे।

6- **अपमानित करने के लिये हो:** जैसे वह चित्र जो डस्टबिन में हो, या बिछाने अथवा रौंदने के स्थान पर हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, किंतु वह वस्त्र जिसमें चित्र हो उसका हुक्म इससे भिन्न व अलग है।

मसाइल:

पहला: चित्रकारों के लिये कड़ी चेतावनी एवं धमकी है।

दूसरा: इसका कारण यह है कि यह अल्लाह तआला के साथ अशिष्टा एवं बेअदबी है, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي» (उससे बड़ा अत्याचारी कौन हो सकता है जो मेरी रचना के समान रचने का प्रयास करे) (वह वैसे ही अल्लाह के साथ अशिष्टता कर रहा होता है जैसे कोई उसकी उतारी हुई शरीअत में उससे प्रतियोगिता करने लगे, अतः उससे बड़ा अत्याचारी और कोई नहीं है)।

तीसरा: इसमें अल्लाह तआला की क़ुदरत एवं सामर्थ्य तथा मख़लूक़ की असमर्थता का वर्णन है कि: «فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ شَعِيرَةً» (ये लोग, एक कण, एक दाना अथवा एक जौ ही बना कर दिखाएं) (क्योंकि अल्लाह तआला ने इससे भी बड़ी एवं महान चीज़ें पैदी की हैं जब्कि ये लोग एक कण अथवा जौ भी पैदा कर सकने में असमर्थ हैं)।

चौथा: इसका स्पष्ट वर्णन कि चित्रकार को कठोरतम दंड दिया जाएगा।

पाँचवां: अल्लाह तआला उसकी बनाई हुई हरेक चित्र के बदले एक जान पैदा करेगा जिनके द्वारा चित्रकार को नरक में दंडित किया जायेगा।

छठा: चित्रकार के द्वारा बनाई हुई चित्र में प्राण फूँकने के लिये उसे बाध्य किया जायेगा (यह कठोरतम दंडों में से एक होगा)।

सातवाँ: इसमें यह भी बयान है कि चित्र जहाँ भी मिले उसे मिटा दिया जाए (इसमें तमाज़ील -मूर्ति एवं प्रतिमा- तथा क़ब्र के फित्ना को एक साथ उल्लेख किया गया है क्योंकि इनमें से हरेक शिर्क तक पहुँचने का कारण है, इसमें क़यामत के दिन दंड दिये जाने का प्रमाण है, इससे यह भी प्रमाणित होता है कि: الجزاء من جنس العمل (अल जज़ाउ मिन जिंसिल अमल (जैसे को तैसा मिलता है)) होता है, साथ-साथ यह भी प्रमाणित होता है कि आख़िरत में दंड देने का एक रूप यह भी है कि उसे ऐसा कार्य करने को बाध्य किया जाएगा जिसको करने में वह असमर्थ होगा)।

६२- अत्याधिक क़सम खाना (अल्लाह के आदर के कारण इस पर चेतावनी

पहली दलील:

अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡ ﴾ (और तुम अपने क़समों की रक्षा करो)।

सौगंध की रक्षा करने की श्रेणियाँ:

- आरंभ में ही इसकी सुरक्षा करना: अत्याधिक क़सम न खाकर।
- मध्य में इसकी सुरक्षा करना: क़सम को न तोड़ कर, सिवाय उसके जिसको इससे अलग किया गया हो।
- अंत में इसकी सुरक्षा करना: क़सम तोड़ देने के बाद इसका कफ्फारा (प्रायश्चित्त) अदा करना।
- ग़ैरुल्लाह की क़सम न खाना।

दो से छः तक दलीलें:

२- अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «الْـحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ» **"क़सम से सौदा बिकता तो है परंतु उसकी बरकत चली जाती है"**। इस हदीस़ को बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।

३- सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أُشَيْمِطٌ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللهَ بِضَاعَتَهُ؛ لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ، وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ» **"तीन प्रकार के लोग हैं जिनसे अल्लाह तआला न तो बात करेगा और न उन्हें पवित्र करेगा, तथा उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक यातना है: बूढ़ा व्यभिचारी, अहंकारी फ़क़ीर (भिक्षुक) तथा वह व्यक्ति जिसने अल्लाह को ही अपनी पूँजी बनाया हुआ है कि क़सम से ही क्रय करता (ख़रीदता) है तथा क़सम से ही विक्रय करता (बेचता) है"**। इस हदीस़ को त़बरानी ने सही सनद के साथ रिवायत किया है।

४- और सही (मुस्लिम) में इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ – قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا! –، ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ» **"मेरी उम्मत का श्रेष्ठतम युग मेरा युग है, तत्पश्चात जो मेरे बाद होगा, तत्पश्चात उसके बाद,** -इमरान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते: मैं नहीं जानता कि आप ने अपने युग के पश्चात दो युगों का उल्लेख किया अथवा तीन युगों का- **फिर उसके बाद**

ऐसे लोग होंगे जो बिना मांगे गवाही देंगे, विश्वासघात करेंगे तथा अमानतदार (विश्वस्त) नहीं होंगे, मन्नत मानेंगे तो पूरी नहीं करेंगे तथा उनमें मोटापा होगा"।

५- सही मुस्लिम ही में अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ» **"श्रेष्ठतम लोग मेरे युग के हैं, फिर जो उनके बाद होंगे, तत्पश्चात जो उनके बाद होंगे, उसके बाद ऐसे लोग आएंगे कि उनकी गवाही शपथ से पहले तथा शपथ गवाही के पहले होगी"।**

६- इब्राहीम नख़ई रहिमहुल्लाह कहते हैं: "बाल्यावस्था में हमें हमारे बुज़ुर्ग गवाही देने तथा वचन देने पर मारा करते थे"।

- «مَنْفَقَةٌ»: अर्थात: सौदा को चलन में लाने का कारण है। «مَمْحَقَةٌ»: अर्थात: कमाई योंही बेकार चली जाती है (और बरकत ख़तम हो जाती है)।
- «وَلَا يُزَكِّيهِمْ»: क़यामत के दिन न तो उसकी पुष्टि करेगा, न समता करेगा और न ही उसके ईमान की गवाही देगा।
- «أُشَيْمِطٌ»: अत्याधिक आयु हो जाने के कारण काले केश सफेद होने लगे हों, तथा वासना एवं कामावेग ठंडा पड़ चुका हो। «عَائِلٌ»: फ़क़ीर एवं निर्धन। «مُسْتَكْبِرٌ»: हक़ (सत्य) से (मुँह मोड़ कर) तथा जीव के सामने अहंकार दिखाता है।
- «لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ»: यों अधिकता के साथ क़सम खाना उसके समीप क़सम के अनादर तथा उसे हलका समझने का प्रमाण है।
- «وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ»: या तो गवाही देने में जल्दबाज़ी (आतुरता) करते हैं अथवा झूठी गवाही देते हैं।
- «تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ»: १- लोगों के उस पर कम भरोसा करने के कारण वो क़सम खा कर गवाही देंगे।

  २- अथवा यह इस बात का संकेत है कि ये लोग क़सम खाने और गवाही देने की कोई परवाह नहीं करेंगे।

मसाइल:

पहला: सौगंधों की रक्षा करने पर बल दिया गया है।

दूसरा: यह सूचना है कि सौगंध खाने से सौदा बिकता तो है किंतु उसकी बरकत (विभूति) चली जाती है।

तीसरा: जो व्यक्ति माल बेचते और ख़रीदते समय ख़ामख़ाह क़सम खाये उसके लिए कड़ी चेतावनी है।

चौथा: इसमें यह भी चेतावनी है कि गुनाह के कारण यद्यपि छोटे हों किंतु अकारण इसको अंजाम देना उसे बड़ा बना देता है।

पाँचवां: इसमें उन लोगों की निंदा है जो बिना माँगे ही क़सम खाने लगते हैं (यदि आवश्यकता हो अथवा किसी हित के अंतर्गत क़सम खाया जाए तो कोई हर्ज नहीं)।

छठा: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तीन अथवा चार युगों (शताब्दियों) की प्रशंसा तथा इसके बाद जो घटित होगा उसकी भविष्वाणी की।

सातवाँ: इसमें उन लोगों कि निंदा है जो गवाही माँगे बिना गवाही देने के लिये तैयार हो जाते हैं (और विश्वासघात करतें हैं, और अमानतदार नहीं होते, और मन्नत माँगते हैं तो उसे पूरा नहीं करते, और जो मोटापा बढ़ाने वाली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तथा ईमान व इल्म (ज्ञान) से दूर हो कर दिल के मोटा हो जाने से निश्चित एवं असवाधान हो जाते हैं)।

- **आठवाँ:** सलफ़ अपने बच्चों को गवाही तथा वचन देने पर मारा करते थे (वचन निभाने तथा गवाही देने की महत्ता को बताने के लिये जो इस बात का प्रमाण है कि वो अपने बच्चों के पालन-पोषण एवं प्रशिक्षण का कितना ध्यान रखते थे, बच्चों को मारना जायज़ है किंतु कुछ शर्तों के साथ:

1. वह बच्चा अदब सिखाए जाने के योग्य हो, जो छोटा बच्चा मारने का अर्थ एवं उद्देश्य न समझता हो उसे मारा नहीं जायेगा।
2. अदब सिखाने के लिय मारने का यह कार्य उनकी ओर से हो जो उसका अभिभावक हो।
3. मारने की मात्रा, कैफियत, प्रकार या स्थान में अति करने से बचे।
4. बच्चे की ओर से ऐसी कोई गलती हुई हो जिसके कारण वह मार खाने का हक़दार हो।
5. इस मार का उद्देश्य अदब व शिष्टाचार सिखाना हो न कि अपना इंतक़ाम (प्रतिशोध) लेना, अन्यथा अपने अहंकार के कारण बदला लेने वाला माना जायेगा)।

६३- अल्लाह तथा उसके नबी की ज़मानत देने का अध्याय (इख़लास़ एवं अनुसरण)

अल्लाह तआला के नाम पर किये गये वादा को पूरा न करना उसकी शान में कमी तथा तौहीद में विकार है, अतः लोगों से मामला करते समय भी अल्लाह का आदर करना वाजिब है यद्यपि वो कुफ्फार ही क्यों न हों, चाहे जिहाद जैसी संगीन परिस्थिति ही क्यों न हो, अल्लाह की शरीअत का क्रियान्वयन तथा उसके नबी की ज़मानत का आदर किया जायेगा।

पहली व दूसरी दलील:

१- अल्लाह तआला का फरमान है: ﴿وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ الآيَةَ. (जब अल्लाह से अह्द (प्रतिज्ञा) करो तो उसे पूरा करो और जब पक्की क़समें खाओ तो उसे न तोड़ो)।

२- तथा बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब किसी बड़ी सेना अथवा छोटी टुकड़ी का किसी को सेनापति बनाते तो उसे अल्लाह से डरने और अपने साथ के मुसलमानों के संग अच्छे स्वभाव के साथ पेश आने की ताकीद करते, और फरमाते:

«اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ، قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْـمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ – أَوْ: خِلَالٍ – فَأَيَّتُهُنَّ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْـمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُم أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْـمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْـمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا؛ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْـمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ تَعَالَى، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ؛ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْـمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمُ الْـجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ؛ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ؛ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ؛ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لَا».

"अल्लाह के मार्ग में अल्लाह का नाम लेकर लड़ो और हरेक उस व्यक्ति से लड़ो जो अल्लाह को नकारता है, लड़ाई करना तथा ख़्यानत (विश्वासघात, अपभेग) न करना, वचन न तोड़ो, मुस़्ला (मृतक के अंग-भंग) न करना और न बच्चों को क़त्ल करना, जब अपने मुश्रिक शत्रु से तुम्हारा सामना हो तो उन्हें तीन बातों का प्रस्ताव दो, यदि वह उन में से एक भी बात मान लें तो उसे स्वीकार कर लो तथा युद्ध से रुक जाओ: सर्वप्रथम उन्हें इस्लाम की दावत देना यदि वो इसे मान लें तो उसे स्वीकार कर लेना और उन्हें कुफ्र वाले स्थान से इस्लाम वाले स्थान की ओर पलायन की दावत देना, और उन्हें बताना कि यदि वो हिजरत करेंगे तो उन्हें वह समस्त अधिकार प्राप्त होंगे जो मुहाजिरीन को प्राप्त हैं और जो मुहाजिरीन को बर्दाश्त करना पड़ता है उन्हें भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, और यदि वो हिजरत करने से इंकार करें तो उन्हें बताना कि वे ग्रामीण मुसलमानों के समान होंगे जिन पर अल्लाह का आदेश लागू होता है, किंतु उन्हें ग़नीमत अथवा फैय से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा सिवाय इसके कि वो मुसलमानों के साथ मिल कर लड़ें, यदि वह इस्लाम धर्म अपनाने से इंकार कर दें तो फिर उनसे जिज़या (रक्षाकर) मांगो और यदि जिज़या देने पर राज़ी हो जायें तो स्वीकार कर लेना तथा लड़ाई से रुक जाना, और यदि वह जिज़या देने से भी इंकार करें तो अल्लाह तआला की सहायता माँग कर उनसे लड़ाई करना, और जब तुम किसी क़िला (गढ़ी) को घेर लो और वो लोग तुमसे अल्लाह तआला और उसके रसूल की ज़मानत माँगे तो ऐसा कदापि मत करना बल्कि अपने तथा अपने साथियों की ज़मानत दो, क्योंकि यदि तुम अपना या अपने साथियों की ज़मानत तोड़ दो तो यह अल्लाह तथा उसके रसूल की ज़मानत को तोड़ने से सरल होगा, और जब तुम क़िला में बंद अपने किसी शत्रु को घेर लो और वो चाहें कि तुम उन्हें अल्लाह के आदेश पर उतारो तो ऐसा भी कदापि न करना क्योंकि तुम नहीं जानते कि उसके संबंध में अल्लाह के फैसला को सटीक रुप से पा सकोगे या नहीं"। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है।

- «جَيْشٍ»: चार सौ से अधिक सेना वाली टुकड़ी को जैश कहते हैं।
- «أَوْ سَرِيَّةٍ»: जिसमें चार सौ से कम सेना हो उसको सरीय्या कहते हैं।
- «اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ»: १- अल्लाह से सहायता माँगते हुए। २- अल्लाह का नाम लेकर लड़ाई आरंभ करो।
- «فِي سَبِيلِ اللهِ»: इसमें नीयत और अमल (कर्म) दोनों शामिल हैं।
- «مَنْ كَفَرَ بِاللهِ»: पक्षपात, देश अथवा समुदाय के लिये न लड़ो बल्कि उन्हीं के हित अर्थात उन्हें जहन्नम से बचाने के लिये उनसे लड़ाई करो, और ज्ञात रहे कि कुफ्र का आधार दो चीज़ें हैं: इंकार करना तथा अपने आपको महान समझना।
- «وَلَا تَغُلُّوا»: ग़नीमत के धन से कुछ छुपा कर अपने लिये न रख ले।

- «وَلَا تَغْدِرُوا»: वचन देने के बाद हम धोखा नहीं दें, किंतु यदि वचन न दिया हो तो धोखा देना जायज़ है क्योंकि युद्ध नाम ही है धोखा का।
- «وَلَا تُمَثِّلُوا»: अनावश्यक किसी अंग को काट कर उसे क्षत-विक्षत कर देना, क्योंकि यह अनुचित प्रतिशोध है, किंतु यदि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया हो तो फिर दूसरी बात है।
- «وَلِيدًا»: बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं, साधकों एवं संतों तथा रोगियों को क़त्ल नहीं किया जायेगा, परंतु यदि वो लड़ने में शामिल रहे हों या लोगों को लड़ने के लिये प्रेरित कर रहे हों या लड़ाई में कोई राय दे रहे हों तो फिर अलग बात है।
- «عَدُوَّكَ»: यह उनसे लड़ने के लिये प्रोत्साहित करना है, और स्मरण रहे कि शत्रु आपका अपमान करना, आप से दूर रहना तथा आप पर अत्याचार करना चाहता है।
- «الْغَنِيمَةِ»: कुफ्फार के वह धन जो लड़ाई अथवा इसके समतुल्य जो हो उसके द्वारा अर्जित हुआ हो।
- «وَالْفَيْءِ»: (अल-फैय) जो बैतुलमाल के लिये अलग किया जाये, जैसे ग़नीमत का धन, ख़िराज और जिज़या का पाँचवां भाग।
- «إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا»: जब वो इस्लाम स्वीकार कर लें और युद्ध लड़ें तो उन्हें भी आम मुसलमानों के समान ग़नीमत और फैय में से हिस्सा मिलेगा।
- «الْـجِزْيَةَ»: (जिज़या) मुसलमानों के बीच रहने तथा उनकी रक्षा हेतु ग़ैर मुस्लिमों की ओर से दिये जाने वाले धन को कहते हैं, और इसमें यहूदी, ईसाई तथा मजूसी के अतिरिक्त अन्य लोगों से भी जिज़या लेने का प्रमाण है।

संधि किये हुए लोगों के संग हमारा व्यवहार:

- जब तक वो लोग संधि का पालन करते रहें हम पर भी उसका पालन करते रहना वाजिब है: ﴿ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ﴾ (जब तक वो लोग तुमसे वादा निभाएं तुम भी उनसे वफादारी करो)।
- यदि वो लोग संधि तोड़ दें तो समझौता समाप्त हो जायेगा तथा उनसे लड़ना जायज़ होगा: ﴿ وَإِن نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَـٰنَهُم مِّنۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ ﴾ (यदि ये लोग संधि के बाद भी अपना वादा तोड़ दें)।
- यदि संधि करने में हमें दुविधा हो तो वह संधि हम लौटा देंगे: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانۢبِذْ إِلَيْهِمْ ﴾ (यदि किसी समुदाय से तुझे विश्वासघात का भय हो तो उनकी संधि उन्हें लौटा दो)।

<table>
<tr><th>मुसलमान कुफ्फार से जिहाद के समय क्या करते हैं</th><th>कुफ्फार मुस्लिमों से लड़ाई के समय क्या करते हैं</th></tr>
<tr><td>बच्चों, महिलाओं, साधकों और रोगियों को क़त्ल करना हराम है</td><td>बच्चों, महिलाओं, साधकों और रोगियों को क़त्ल करते हैं</td></tr>
<tr><td>उनसे लड़ना उन्हीं के हित के लिये होता है (उन्हें नरक से बचाना)</td><td>उनका लड़ना दुनिया के लिये होता है</td></tr>
<tr><td>उनसे किये गये संधि का पालन करते हैं</td><td>अधिकतर संधि तोड़ देते हैं</td></tr>
<tr><td>जब कुफ्फार वचन तोड़े तो लड़ने के पूर्व उनको सावधान करते हैं कि हमारा संधि समाप्त हो चुका</td><td>जब मुसलमानों की ओर से ऐसा कुछ हो तो वो सावधान नहीं करते हैं</td></tr>
<tr><td>धोखा नहीं देते हैं</td><td>धोखा देते हैं</td></tr>
<tr><td>मृतकों के अंग भंग नहीं करते सिवाय इसके कि यदि उसके मृतकों के साथ ऐसा किया गया हो</td><td>उनके मृतकों के साथ ऐसा न किया गया हो फिर भी ऐसा करते हैं</td></tr>
<tr><td>इस्लाम या जिज़या में चयन का अधिकार दिये बिना नहीं लड़ते</td><td>मूल रूप से उनके यहाँ ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं</td></tr>
<tr><td>न्यायपूर्ण फ़ैसला करते हैं अत्याचार नहीं करते</td><td>उनके फैसले अत्याचार आधारित होते हैं</td></tr>
<tr><td>नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नबूवत से लेकर तमाम युद्धों में मृतकों की संख्या एक हज़ार से अधिक नहीं है</td><td rowspan="2">नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने हाथ से केवल एक आदमी को क़त्ल किया</td></tr>
<tr><td>इसमें किसी बच्चा, बूढ़ा अथवा महिला को क़त्ल नहीं किया गया</td></tr>
</table>

मसाइल:

पहला: अल्लाह तथा उसके रसूल एवं मुसलमानों की ज़िम्मेदारी में अंतर।

दूसरा: दो बातों में से जो कम खतरनाक हो उसको अपनाना चाहिए।

तीसरा: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमाना: «اُغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ» "**अल्लाह के मार्ग में अल्लाह का नाम लेकर लड़ो**" (लड़ाई के समय इख़लास, शरीअत के अनुसार तथा अल्लाह से सहायता माँगते हुए लड़ना वाजिब है)।

चौथा: आपका फरमाना कि: «قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ» "**उससे लड़ो जिसने अल्लाह के साथ कुफ्र किया**" (उनसे लड़ने का कारण कुफ्र है)।

पाँचवां: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान: «اِسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ» "**अल्लाह से सहायता माँगो तथा उनसे लड़ो**" (इंसान केवल अपनी शक्ति पर भरोसा न करे)।

छठा: अल्लाह के निर्णय एवं उलेमा व ज्ञानियों के निर्णय में अंतर है।

सातवाँ: आवश्यकतानुसार सहाबी यदि कोई फैसला करें तो वह भी नहीं जानते कि यह फैसला अल्लाह के आदेशानुसार है या नहीं (और यह केवल सहाबी के साथ नहीं है बल्कि बाद के लोग भी इसमें शामिल हैं)।

६४- अल्लाह तआला पर क़सम खाना

जिसने अल्लाह पर क़सम खाई उसने अल्लाह का अनादर किया, अल्लाह के फ़ज़्ल (कृपा) को रोका और अल्लाह के साथ बुरा गुमान रखा और यह सब कमाल -ए- तौहीद के विरुद्ध है, और कभी-कभी ऐसा करना मूल तौहीद के विरुद्ध भी हो जाता है, क्योंकि जो महान है उस पर क़सम खाना उसकी शान (वैभव, प्रताप) में अशिष्टता एवं धृष्टता करना है।

अल्लाह तआला पर क़सम खाने के प्रकार:

हराम है, और संभव है कि ऐसा करने वाले के कर्म अकारत हो जाएं: जब ऐसा करना उसे आत्ममुग्धता एवं अहंकार के लिए प्रेरित करे, और वह अल्लाह तआला से बदगुमानी रखते हुये उसके फ़ज़्ल को रोकने का प्रयास करे।

जायज़ है: अपने रब पर दृढ़ विश्वास और अच्छा गुमान रखते हुये क़सम खाये, बशर्ते कि उसके पास किये गये नेक अमल (सदकर्म) मौजूद हों, जैसे अनस बिन नज़्र रज़ियल्लाहु अन्हु के क़िस्सा में है।

जायज़ है: जिसके बारे में अल्लाह तआला और उसके रसूल ने सूचित किया है चाहे वह इक़रार में हो या इंकार में, उस पर अल्लाह की क़सम खाना, यह उसके यक़ीन की दलील है, (जैसे कोई कहे: अल्लाह की क़सम, क़यामत के दिन अल्लाह मख़लूक़ के विषय में अपने नबी की सिफारिश को अवश्यावश्य स्वीकार करेगा)।

पहली और दूसरी दलील:

१- जुन्दुब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «قَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ، فَقَالَ اللهُ ﷻ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ» **"एक व्यक्ति ने कहा: अल्लाह की क़सम, अल्लाह अमूक व्यक्ति को क्षमा नहीं करेगा, तो अल्लाह तआला ने फरमाया: यह कौन होता है जो मुझ पर क़सम खाता है कि मैं अमूक को क्षमा नहीं करुंगा, मैंने उसको क्षमा कर दिया और तेरे कर्मों को नाश कर दिया"**। इस हदीस़ को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है।

२- तथा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कि हदीस़ में है कि: (أَنَّ الْقَائِلَ رَجُلٌ عَابِدٌ "ऐसा कहने वाला व्यक्ति, आबिद (साधक एवं तपस्वी) था"), अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि: «تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ» "उसने मात्र एक ऐसा शब्द बोल दिया जिसने उसकी दुनिया व आख़िरत (लोक-प्रलोक) दोनों को तबाह किर दिया"।

- «لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ»: ऐसा कहनाः अल्लाह की रहमत से निराशा, तथा अल्लाह के बंदों को हेयदृष्टि से देखने तथा आत्ममुग्धता, अहंकार एवं घमंड का द्योतक है।
- «يَتَأَلَّى عَلَيَّ»: मेरे फ़ज़्ल, कृपा एवं नियामत को रोके कि मेरे जिन बंदों ने पाप किया है मैं उनको क्षमा नहीं करूँगा।

मसाइलः

पहलाः अल्लाह तआला पर क़सम खाने से भयभीत करना।

दूसराः जहन्नम इंसान के जूते के फीते से भी अधिक निकट है।

तीसराः तथा जन्नत भी ऐसे ही समीप है।

चौथाः इस हदीस़ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के निम्नांकित हदीस़ को समर्थन एवं बल मिलता हैः «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ ...» إِلَى آخِرِهِ **"इंसान कभी-कभी ऐसा वाक्य बोल जाता है जिससे उसकी दुनिया एवं आख़िरत दोनों बर्बाद हो जाते हैं"**।

पाँचवांः कभी-कभी किसी व्यक्ति को ऐसे कारण से माफी मिल जाती है, जो उसके समीप सर्वाधिक अप्रिय होता है।

६५- अल्लाह तआला को सिफारिशी के रूप में मख़लूक़ के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता (अल्लाह के अत्यंत महान होने के कारण)

मख़लूक़ (जीव) के समक्ष अल्लाह तआला को सिफारिशी के रूप में पेश करना उसके प्रताप, तेज एवं शान में अशिष्टा का परिचय देना है, क्योंकि ऐसा करके जिस व्यक्ति के समक्ष वह अल्लाह को सिफारिशी बना कर पेश कर रहा है उसने अल्लाह की साख एवं प्रतिष्ठा उस व्यक्ति से भी कम कर दी।

पहली दलील:

जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक देहाती नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया और कहने लगा: يَا رَسُولَ اللهِ نُهِكَتِ الأَنْفُسُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، وَهَلَكَتِ الأَمْوَالُ، فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ، فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ، وَبِكَ عَلَى اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «**سُبْحَانَ اللهِ! سُبْحَانَ اللهِ!**»، فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «**وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا اللهُ؟ إِنَّ شَأْنَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى أَحَدٍ**...»، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ "**हे अल्लाह के रसूल, प्राणियों का नाश हो गया, बच्चे भूखे हो गये, धन बर्बाद हो गया, आप हमारे लिये अपने रब (प्रभु) से वर्षा की दुआ करें, हम आप को अल्लाह के पास तथा अल्लाह को आप के पास सिफारिशी बनाते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसकी बात सुन कर बारंबार सुब्हानल्लाह (अल्लाह पाक एवं पवित्र है) दोहराने लगे, यहाँ तक कि इसका प्रभाव आपके सहाबा के मुखों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा, फिर आपने फरमाया: तेरा बुरा हो, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह क्या है ? (अर्थात उसकी मान-मर्यादा किया है ?) अल्लाह तआला की मर्यादा इससे कहीं बढ़ कर महान है, अल्लाह को किसी के सामने सिफारिशी बना कर नहीं पेश किया जा सकता**", और फिर पूरी हदीस़ बयान की। इस हदीस़ को अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

- «نُهِكَتِ»: कमज़ोर व दुर्बल हो गये। «وَهَلَكَتِ الأَمْوَالُ»: वर्षा तथा हरियाली की कमी के कारण।
- «فَاسْتَسْقِ»: आप हमारे लिये अल्लाह तआला से वर्षा कि दुआ कर दें, और ऐसा व्यक्ति जिसकी दुआ अल्लाह के यहाँ स्वीकार्य होने की आशा हो उससे दुआ व प्रार्थना करवाना जायज़ है इस शर्त के साथ कि उस पर ही आश्रित रहने का भाव मन में उत्पन्न न हो तथा एक प्रकार की असहायता का प्रदर्शन भी न हो।

- «نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ»: अर्थातः हम अल्लाह तआला को, आपके तथा अल्लाह तआला के मध्य वास्ता बनाते हैं कि आप हमारे लिये अल्लाह से दुआ करें, इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति ने अल्लाह का दर्जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दर्जा से भी नीचे कर दिया, जोकि मुन्कर (आपत्तिजनक) एवं अत्यंत बुरा है।
- «سُبْحَانَ اللهِ! سُبْحَانَ اللهِ!»: इस वक्तव्य की भयावहता एवं संगीनी का अंदाज़ा करते हुए तथा इसका इंकार करते हुए, और अल्लाह तआला की पाकी एवं पवित्रता का स्मरण करते हुए।
- «وَيْحَكَ»: मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है और मैं तेरे ऊपर तरस खाता हूँ।

मसाइलः

पहलाः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नेः «نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ» (हम अल्लाह तआला को आपके समक्ष सिफारिशी के रूप में पेश करते हैं) कहने वाले देहाती की बात पर अप्रसन्नता प्रकट की और इसका इंकार किया।

दूसराः आपके तेवर इस प्रकार से बदल गये कि इसका प्रभाव सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के मुखों से भी प्रकट होने लगा।

तीसराः रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने देहाती की बात का दूसरा भाग किः «نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللهِ» (हम आपको अल्लाह तआला के पास सिफरारिशी के रूप में पेश करते हैं) का इंकार नहीं किया।

चौथाः (سُبْحَانَ اللهِ) सुब्हानल्लाह (अल्लाह पाक एवं पवित्र है) के अर्थ का वर्णन।

पाँचवांः यह भी प्रमाणित हुआ कि मुसलमान (सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आकर आपसे बारिश की दुआ कराया करते थे (अर्थात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन काल में)।

(इससे यह भी प्रमाणित होता है कि किसी चीज़ की माँग करते समय इंसान उसे ऐसी विशेषताओं से संबोधित करे जो दयालुता एवं कृपा का भाव उत्पन्न करे)।

६६- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तौहीद की रक्षा करना तथा शिर्क के दरवाज़ों को बंद करना (यहाँ तक कि शब्दों में भी)

पहली और दूसरी दलील:

१- अब्दुल्लाह बिन शिख़्ख़ीर रज़ियल्लाहु अन्हु का वर्ण है कि: «انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْنَا: أَنْتَ سَيِّدُنَا، فَقَالَ: «**السَّيِّدُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى**»، قُلْنَا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا، وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا، فَقَالَ: «**قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ**»» "मैं बनू आमिर के प्रतिनिधि मंडल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया, तथा हमने कहा: आप हमारे सैय्यिद (अधिपति) हैं तो आपने फरमाया: **सैय्यिद तो अल्लाह तआला है**, हमने कहा: आप हम सबमें सबसे उत्तम तथा हममें सर्वाधिक कृपालु हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: **इस प्रकार की (जायज़ और उचित) बात कहा करो, और ध्यान रहे कि शैतान कहीं तुम्हें अपने फंदे में न फंसाले**"। इस हदीस़ को इमाम अबू दाऊद ने जैय्यिद सनद के साथ रिवायत किया है।

२- अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि कुछ लोगों ने कहा: يَا رَسُولَ اللهِ، يَا خَيْرَنَا، وَابْنَ خَيْرِنَا، وَسَيِّدَنَا، وَابْنَ سَيِّدِنَا، فَقَالَ: «**يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي اللهُ** ﷿» "हे अल्लाह के रसूल, हे हम में सर्वोत्तम, हम में से सर्वश्रेष्ठ के पुत्र, हमारे सैय्यिद (अधिपति) तथा हमारे सैय्यिद के पुत्र, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: **हे लोगों, तुम वही बातें करो जो तुम करते हो, शैतान कहीं तुम्हें बहका न दे, मैं मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह का बंदा (भक्त) तथा रसूल (संदेशवाहक) हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मेरे उस पद से ऊँचा उठाओ जिस पर अल्लाह तआला ने मुझे रखा है**"। इस हदीस़ को नसाई ने जैय्यिद और उत्तम सनद से रिवायत किया है।

- «**السَّيِّدُ اللهُ**»: अल- सय्यद, अल्लाह तआला के नामों में से एक नाम है जो (अल-समद) (बेनियाज़, निःस्पृह) के अर्थ में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें इस लिये रोका कि शैतान कहीं उन्हें बहका न दे, और शब्द "सयादत, सरदारी" जो लोगों के लिये विशेष अर्थों में प्रयोग किया जाता है कहीं यह अल्लाह के लिये आम एवं व्यापक अर्थों में प्रयोग होने वाले अर्थ के दर्जा तक न पहुँचा दे।

- «وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ»: शैतान तुम्हें कहीं बहका कर के वहाँ तक न पहुँचा दे कि तुम मुन्कर (बुरी बात) कहने लगो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनका मार्गदर्शन उचित कार्य की ओर किया ताकि तौहीद में किसी प्रकार कि कमी न हो या उसको समाप्त कर देने वाली चीज़ों से बचा जाये।
- «يَا خَيْرَنَا»: वंश, स्थान तथा स्थिति के आधार पर। :«وَابْنَ خَيْرِنَا»: केवल वंश के आधार पर स्थान या स्थिति के आधार पर नहीं।
- «وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ»: ऐसा न हो कि शैतान तुम्हें बहलाये और तुम उसकी बात मानने लगो तथा उसके ढ़ंग के अनुसार कर्म करने लगो यहाँ तक कि तुम ग़ुलू (अतिश्योक्ति) करने लगो।

मसाइल:

पहला: लोगों को ग़ुलू (अतिश्योक्ति) से रोकना।

दूसरा: जिस व्यक्ति को यह (आप हमारे सय्यद -अधिपति) हैं) कहा जाये उसे क्या कहना चाहिये (अर्थात: वह यह कहे कि सय्यद -सरदार- तो अललाह है, इससे यह भी प्रमाणित हुआ कि फ़ासिक़, काफिर और मुनाफ़िक़ को सरदार बनाना जायज़ नहीं है, चाहे वह पूरुष हो अथवा महिला)।

तीसरा: उनलोगों ने यद्यपि बात तो सच कही थी तथापि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: «لَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ» "शैतान कहीं तुम्हें फंसा न ले"।

चौथा: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथन: «مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي» "मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मेरे पद से ऊँचा उठाओ"। (और अल्लाह तआला ने आपको जो पद दिया है वह उबूदियत (भक्ति) और रिसालत (संदेशवाहक होने) का है)।

दसवाँ: समाप्ति (एक अध्याय)

लेखक रहिमहुल्लाह ने पुस्तक को इस अध्याय के साथ संभवतः -बाकि अल्लाह बेहतर जानता है- इसलिए समाप्त किया है कि:

१- ताकि हम मुश्रिकों की तरह न हो जायें जो ख़ालिक़ और पैदा करने वाले का आदर नहीं करते।

२- ताकि हम अपने अमल (कर्म) से धोखा न खायें, क्योंकि इंसान के कर्म में अपूर्णता तथा कमी की सदा संभावना बनी रहती है, अतः हम किसी भी प्रकार की स्थिति में अल्लाह के लिये विनम्रता एवं विवशता का भाव बनाये रखें।

३- इमाम बुख़ारी रहिमहुल्लाह का अनुसरण करते हुये जिन्होंने अपनी किताब की समाप्ति इस ह़दीस़ के द्वारा की है: «ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ» (तराज़ू में अत्याधिक भारी होंगे), मानो वह अल्लाह तआला से दुआ कर रहे हैं कि इस पुस्तक के माध्यम से उन जीवों के समान ही इनके भी तराज़ू को नेकियों के द्वारा भारी कर दे, तथा अपनी भूल-चूक के लिये अल्लाह से क्षमा याचना कर रहे हैं।

६७- अल्लाह तआला के फरमान: ﴿وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَٱلسَّمَـٰوَٰتُ مَطْوِيَّـٰتٌۢ بِيَمِينِهِۦ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (और उन्होंने अल्लाह का जैसा आदर होना चाहिये था वैसा आदर नहीं किया, समस्त भूमि क़यामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी और सारा आकाश उसके दाहिने हाथ में लपेटा हुआ होगा, वह पाक और पवित्र है तथा मुश्रिकीन जिन चीज़ों का उसका साझीदार बनाते हैं वह उससे बढ़कर है)। **का अध्याय**

- ज़मीर (सर्वनाम), मुश्रिकों की ओर लौट रही है जिन्होंने अल्लाह तआला का जैसा होना चाहिये वैसा आदर नहीं किया इस अर्थ में कि उन्होंने उसकी मख़लूक़ एवं रचना को ही उसका साझीदार बना दिया, जब्कि वह हरेक प्रकार की कमी व त्रुटि एवं दोष से दोषमुकत एवं पाक व पवित्र है, उसका निद्द और साझी बनाने से भी उसे पाक समझना चाहिये, अतः उन्होंने यदि अल्लाह तआला का वैसा आदर किया होता जैसा होना चाहिये तो वह अल्लाह को छोड़ कर किसी अन्य का आज्ञापालन तथा इबादत एवं उपासना नहीं करते।

दूसरी दलील:

अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक यहूदी विद्वान नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आकर कहने लगा: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْأَرَضِينَ

عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْـمَاءَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَسَائِرَ الْـخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ، فَيَقُولُ: أَنَا الْـمَلِكُ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ؛ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَـبْرِ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ﴾ الآيَةَ "हे मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हम (अपनी किताब में यह लिखित) पाते हैं कि अल्लाह तआला क़यामत (महाप्रलय) के दिन सारे आकाश को एक ऊँगली पर, समस्त भूमि को एक उँगली पर, सभी वृक्षों को एक उँगली पर, पानी (जल) को एक उँगली पर, कीचड़ (पाताल) को एक उँगली पर, तथा शेष समस्त सृष्टि को एक उँगली पर रख लेगा और कहेगा: मैं ही राजा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसकी यह बात सुन कर उस विद्वान के द्वारा कही गई बात की पुष्टि के लिये हंस पड़े यहाँ तक कि आपके डाढ़ (केंचुली के दाँत) दिखाई देने लगे, तत्पश्चात आपने इस आयत की तिलावत फरमाई:(और उन्होंने अल्लाह का जैसा आदर होना चाहिये था वैसा आदर नहीं किया, समस्त भूमि क़यामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी)"। इस हदीस़ को इमाम बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।

तथा मुस्लिम की एक रिवायत में है: «وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَقُولُ: أَنَا الْـمَلِكُ، أَنَا اللهُ» **"अल्लाह तआला पर्वत एवं वृक्ष को एक उँगली पर रखेगा फिर उनको हिलाकर कहेगा: मैं ही बादशाह हूँ, मैं अल्लाह हूँ"**। और बुख़ारी की एक रिवायत में इस प्रकार है: «يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْـمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، ، وَسَائِرَ الْـخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ» **"आसमानों को एक उँगली पर, जल एवं कीचड़ (पाताल) को एक उँगली पर तथा शेष सृष्टि को एक उँगली पर (रखेगा)"**।

- «حَـبْرٌ»: प्रकांड विद्वान को कहते हैं, उसको बह़ "بحر" भी कहा जाता है। «إِنَّا نَجِدُ»: अर्थात: तौरात में।
- इसमें अल्लाह तआला के लिये उँगिलयों का प्रमाण है, ऐसी वास्तविक उँगलियां जो उसके प्रताप एवं वैभव के समतुल्य हो, जिस प्रकार से उसके पास ऐसे वास्तविक हाथ हैं जो उसी के लायक़ व योग्य है।

तीन से पाँच तक दलीलें:

३- मुस्लिम में अब्दुल्ललाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरफूअन वर्णित हे कि: «**يَطْوِي اللهُ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْـمَلِكُ، أَيْنَ الْـجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْـمُتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَطْوِي الْأَرَضِينَ السَّبْعَ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْـمَلِكُ، أَيْنَ**

«الْـمُتَكَبِّرُونَ؟» **"अल्लाह तआला क़यामत के दिन सारे आकाशों को लपेट कर अपने दाहिने हाथ में लेगा और फरमायेगाः मैं ही बादशाह हूँ, (ज़मीन पर) उपद्रव तथा उत्पात मचाने वाले कहाँ हैं ? अहंकारी लोग कहाँ हैं ? "। फिर सातों ज़मीनों को लपेटेगा, फिर उन्हें बाएं हाथ में लेगा तत्पश्चात फरमायेगाः (ज़मीन पर) उपद्रव तथा उत्पात मचाने वाले कहाँ हैं ? अहंकारी लोग कहाँ हैं ?**

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं: «مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرَضُونَ السَّبْعُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ؛ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ» "सातों आकाश तथा सातों धरती अल्लाह तआला की हथेली में ऐसे होंगी जैसे तुम्हारे हाथ में राई का दाना होता है"।،

५- इब्ने जरीर कहते हैं मुझसे युनुस ने बयान किया कि मुझे इब्ने वहब ने ख़बर दिया कि, मुझसे इब्ने ज़ैद ने कहा कि मुझसे मेरे पिता ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः **«مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ؛ إِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلْقِيَتْ فِي تُرْسٍ» "सातों आकाश कुर्सी की तुलना में ऐसे हैं जैसे किसी ने सात दिरहम एक ढ़ाल में डाल दिये हों"**। और अबू ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुये सुनाः **«مَا الْكُرْسِيُّ فِي الْعَرْشِ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ، أُلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ» "अल्लाह तआला की कुर्सी उसके अर्श की तुलना में यों है जैसे लोहे का एक छल्ला किसी चटियल मैदान में डाल दिया गया हो"**।

- «أَنَا الْـمَلِكُ»: मैं ही हूँ जिसका सम्पूर्ण अधिकार तथा बादशाहत है, जिसमें कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता।
- «أَيْنَ الْـجَبَّارُونَ؟»: यह इस्तिफ़हाम (प्रश्न वाचक संज्ञा) चुनौती देने के लिये है, अर्थात कहाँ हैं वो राजा जिनका दुनियाँ में राज-पाट था और जो अल्लाह के बंदों पर अहंकार करते हुए अत्याचार करते थे ? और उस समय उनकी स्थिति कण एवं दाना के समान होगी जिसको लोग रौंदेंगे।
- «بِشِمَالِهِ»: यह वृद्धि शाज़ अर्थात विरल (ग़लत) है, और यदि इसे हम महफ़ूज़ अर्थात सही मान लें तो इससे अभिप्राय दूसरा हाथ होगा, और यह उस हदीस के विरुद्ध नहीं है जिसमें है किः **«كِلْتَا يَدَيهِ يَمِين» "अल्लाह तआला के दोनों हाथ दाहिने हैं"** क्योंकि यह मख़लूक़ (जीव) के समान हाथ नहीं है जो दाहिने की तुलना में कमतर होता है।
- «كَخَرْدَلَةٍ»: यह बहुत ही छोटे एवं सुक्ष्म कण को कहते हैं, और यह अल्लाह तआला के महानता की दलील है कि किसी भी चीज़ का इल्म उसका इहाता और समाविष्ट नहीं कर सकता।
- «الْكُرْسِيِّ»: अल्लाह तआला के पाँव रखने का स्थान। «تُرْسٍ»: (ढ़ाल) चमड़ा अथवा लकड़ी की एक

वस्तु जिसका प्रयोग युद्ध के समय किया जाता है जिसके द्वारा तलवार या बरछी इत्यादि के वार से बचा जाता है।

- «الْعَرْشِ»: (अर्श) वह विशाल मख़लूक़ (रचना) जिस पर अल्लाह तआला विराजमान है, जिसके क़द्र एवं विशालता का अनुमान अल्लाह के सिवाय कोई नहीं लगा सकता।
- चूँकि यह हदीस़ अल्लाह तआला की महानता को प्रमाणित करती है, अतः अध्याय में उल्लेखित आयत की तफ़्सीर के लिए एक दम सटीक है।

छठी और सातवीं दलील:

६- अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि: «بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْكُرْسِيِّ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ، وَاللهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ» "पहले तथा दूसरे आकाश के बीच की दूरी पाँच सौ वर्ष की दूरी है, इसी प्रकार प्रत्येक आकाश से दूसरे आकाश की दूरी पाँच सौ वर्ष के समान है, सातवें आसमान तथा कुर्सी के बीच की दूरी पाँच सौ वर्ष है, तथा कुर्सी एवं पानी के बीच पाँच सौ साल की दूरी है, एवं अल्लाह तआला का अर्श (सिंहासन) पानी के ऊपर है तथा अल्लाह तआला अर्श के ऊपर (विराजमान) है, और तुम्हारा कोई भी कर्म उससे छुपा हुआ नहीं है"। इस हदीस़ को इब्ने महदी ने हम्माद बिन सलमा से और उन्होंने आसिम से, उन्होंने ज़िर्र तथा उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसऊद से रिवायत किया है। और इसी प्रकार की एक रिवायत मसऊदी ने आसिम से, उन्होंने अबू वाइल से और उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसऊद से बयान किया है। तथा हाफ़िज़ ज़हबी रहिमहुल्लाह कहते हैं: "इस हदीस़ की और भी अनेक सनद हैं"।

७- तथा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: **«هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟»**، قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: **«بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْعَرْشِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَاللهُ تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ» "क्या तुम जानते हो कि आकाश तथा धरती के बीच कितनी दूरी है ? हमने कहा: अल्लाह तथा उसके रसूल अधिक जानते हैं। आपने फरमाया: दोनों के बीच पाँच सौ वर्ष की दूरी है, तथा प्रत्येक आसमान की दूरी दूसरे आसमान से पाँच सौ वर्ष के समान है, तथा प्रत्येक आकाश की मोटाई पाँच सौ वर्ष के समान है, सातवें आकाश तथा अर्श के बीच एक समुद्र है जिसके ऊपर तथा तले भागों के मध्य भी उतनी ही दूरी है जितनी आकाश तथा धरती के मध्य दूरी है, और अल्लाह तआला उसके ऊपर है, और आदम की संतान का कोई कर्म उससे छुपा नहीं रहता है"**। इस हदीस़ को अबू दाऊद आदि ने रिवायत किया है।

- «وَاللهُ فَوْقَ الْعَرْشِ»: यह अल्लाह तआला की ज़ात (अस्तित्व) एवं सिफ़ात (विशेषताओं) की बुलंदी और ऊँचाई को प्रमाणित करने वाली स्पष्ट दलील है।
- «لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ»: चाहे वह कर्म हार्दिक हों अथवा शारीरिक अंगों से संबंध रखने वाले, दिखाई देने वाले हों अथवा सुनाई देने वाले, अल्लाह के इल्म की व्यापकता एवं विस्तार के चलते वह अल्लाह से छुपे हुए नहीं हैं, और इसको अल्लाह तआला की बुलंदी एवं ऊँचाई का उल्लेख करने के पश्चात यह बताने के लिये लाए हैं कि उसका बुलंद एवं ऊँचा होना अल्लाह का हमारे कर्मों से अवगत होने में कोई बाधा नहीं उत्पन्न करता है, और अल्लाह तआला के ज़ात (वजूद, अस्तित्व) की बुलंदी एवं ऊँचाई को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
- «هَلْ»: यह इस्तिफहामिया (प्रश्न वाचक संज्ञा) है, और इससे दो चीज़ें अभिप्रेत हैं:

  1– उल्लेख की जाने वाली चीज़ के लिये लालसा एवं रुचि उत्पन्न करना। 2– उल्लेखित होने वाली चीज़ के लिये चेताना एवं सावधान करना।
- «اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ»: (अल्लाह तथा उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं): ऐसाः १- केवल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवनकाल में कहा जाता था। २- उन शरई मामलों में कहा जायेगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें सिखाए हैं।
- इसमें अल्लाह तआला के आदर का उल्लेख तथा उसके विपरीत से डराना है, क्योंकि वह हमारे ऊपर बुलंदी पर है और उसका फैसला हमें चहुँ ओर से घेरे हुए है।

मसाइलः

पहलाः अल्लाह तआला के फरमान ﴿وَٱلۡأَرۡضُ جَمِيعٗا قَبۡضَتُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ﴾ की तफ़्सीर।

दूसराः इस ह़दीस़ में उल्लेखित तथा इस जैसी अन्य बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग तक यहूदियों में शेष थीं, चुनाँचे उन्होंने न तो इन बातों को नकारा और न कोई उनकी तावील की (जैसे यह कहते किः यहूदी इसमें हेर-फेर करने वालों से बेहतर हैं क्योंकि उन्होंने न तो इसको झुठलाया और न मनगढ़त तावील की)।

तीसराः यहूदी विद्वान ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समक्ष इन बातों की चर्चा की तो आपने उसकी पुष्टि की तथा और अधिक पुष्टि के लिये क़ुरआन भी अवतरित हुआ।

चौथाः यहूदी विद्वान ने जब इस महा ज्ञान का उल्लेख किया तो आप हँस दिये।

पाँचवांः अल्लाह तआला के दो हाथों का वर्णन और यह कि अल्लाह के दाहिने हाथ में आकाश तथा दूसरे हाथ में धरतियाँ होंगी (अल्लाह तआला के पास दो हाथों का होना क़ुरआन, ह़दीस़ तथा इज्मा (सलफ के एकमत होने) से साबित है)।

छठा: अल्लाह तआला के पास बायाँ हाथ होने का स्पष्ट वर्णन (यह रिवायत शाज़ अर्थात स्वीकार करने योग्य नहीं है)।

सातवाँ: अल्लाह तआला का उस समय बड़े-बड़े उपद्रवियों तथा अहंकार करने वालों को पुकारना।

आठवाँ: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान किः «كَخَرْدَلَةٍ فِي كَفِّ أَحَدِكُمْ» **"अल्लाह तआला के हाथ की तुलना में धरती तथा आकाश ऐसे होंगे जैसे किसी के हाथ में राई का दाना होता है"**।

नौवाँ: आकाश की तुलना में अल्लाह तआला की कुर्सी बड़ी है (ऐसे ही जैसे सात दिरहम किसी ढ़ाल में रख दिये गये हों)।

दसवाँ: कुर्सी की तुलना में अल्लाह तआला का अर्श विशाल है (ऐसे ही जैसे किसी चटियल मैदान में कोई अँगूठी पड़ी हुई हो)।

ग्यारहवाँ: अर्श तथा कुर्सी दोनों अलग-अलग हैं।

बारहवाँ: प्रत्येक दो आकाशों के बीच की दूरी (पाँच सौ वर्ष के समान है)।

तेरहवाँ: सातवें आकाश तथा कुर्सी के बीच की दूरी (पाँच सौ वर्ष के समान है)।

चौदहवाँ: कुर्सी तथा पानी के बीच के दूरी (पाँच सौ वर्ष के समान है)।

पंद्रहवाँ: अल्लाह तआला का अर्श पानी के ऊपर है।

सोलहवाँ: अल्लाह तआला अर्श के ऊपर (विराजमान) है।

सत्रहवाँ: आकाश तथा धरती के बीच कितनी दूरी है (पाँच सौ वर्ष के समान)।

अट्ठारहवाँ: प्रत्येक आकाश की मोटाई पाँच सौ वर्ष के समान है।

उन्नीसवाँ: आकाशों के ऊपर जो समुद्र है उसके ऊपर तथा नीचे के भागों के मध्य भी पाँच सौ वर्ष की दूरी है, (والله أعلم, अल्लाह बेहतर जानता है) (इस अध्याय के ह़दीस़ से चयनित कुछ फायदेः

1- अल्लाह के आदेशों की अवहेलना करने से भयभीत करना।

2- मानव जाति का कोई भी कर्म अल्लाह तआला से छुपा हुआ नहीं है।

والله أعلم، والحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا مُحَمَّدٍ ﷺ

(अल्लाह तआला बेहतर जानता है, और समस्त प्रकार की प्रशंसा अल्लाह के लिए है, तथा दरूद व सलाम अवतरित हो हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर)।

मैं अल्लाह तआला से प्रार्थनारत हूँ एवं दुआ करता हूँ कि हमारा एवं आपका अंत तौह़ीद पर हो। आमीन।

शेष नौवें पाठ तथा समाप्ति से परीक्षा (१६ अध्याय)

प्रथम प्रश्नः ☒ का चिन्ह उचित स्थान पर लगाएं अथवा रिक्त स्थान पूर्ण करें:

1- (अस्सलामु अलल्लाह) कहने का हुक्मः ☐ मकरूह है ☐ ह़राम है ☐ जायज़ है।

2- (अस्सलाम) अल्लाह तआला काः ☐ सबूती नाम है ☐ सलबी नाम है, ☐ दोनों, और अल्लाह तआलाः ☐ से दुआ किया जायेगा ☐ के लिये दुआ की जायेगी।

3- (अस्सलाम) के द्वारा किसी भी चीज़ के लिये उस समय तक दुआ नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उससे सुसज्जित होने योग्य न होः ☐ सही ☐ गलत।

4- (ऐ अल्लाह यदि तू चाहे तो मुझे माफ करदे) कहने का हुक्मः ☐ मकरूह है ☐ ह़राम है ☐ जायज़ है।

5- दुआ में इस्तिस़्ना करना जायज़ हैः ☐ सही ☐ गलत, और इस्तिस़्ना शर्त को कहते हैं : ☐ सही ☐ गलत।

6- इंसान जब किसी चीज़ के प्रति दुविधा का शिकार हो तो उसे चाहिये कि वह दुआ करे तथा उस दुआ को अल्लाह की इच्छा पर छोड़ देः ☐ सही ☐ गलत।

7- बंदा जब अल्लाह तआला से दुआ करे तो जो भी मांगना हो मांगे क्योंकि कोई भी चीज़ अल्लाह तआला के लिये कठिन अथवा अंभव नहीं हैः ☐ सही ☐ गलत।

8- (हे अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि मैं जन्नत के द्वार का दरबान बन जाऊँ) इस प्रकार की दुआ करनाः ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है।

9- (ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरे निर्णय को टालने की दुआ तो नहीं करता किंतु तुझसे कृपा एवं दया की दुआ करता हूँ) इस प्रकार की दुआ करनाः ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है।

10- आप अल्लाह तआला से क्या माँगेंगेः ☐ जन्नत ☐ जन्नत में भी फिरदौस -ए- आला।

11- दुआ -ए- इस्तिख़ारा में दुआ को अल्लाह के इच्छा परः ☐ निर्भर रहना है ☐ नहीं रहना है।

12- (अमूक व्यक्ति का अब्द -भक्त, दास- या अमता -भक्तनी, दासी-) कहने का हुक्मः ☐ जायज़ है ☐ ह़राम है।

13- सय्यद (स्वामी) काः (हे मेरे अब्द -भक्त, दास- अमूक वस्तु लेकर आओ) कहने का हुक्मः ☐ जायज़ है ☐ ह़राम है।

14- (मेरा सेवक तथा मेरी सेविका) कहने से तौह़ीद की वास्तविकता की रक्षा हेतु मना किया गया हैः ☐ सही ☐ गलत।

15- बिना आवश्यकता तथा ज़रूरत के माँगना या तो ह़राम है अथवा मकरूहः ☐ सही ☐ गलत।

16- जो आपसे नक़दी रूपया पैसा माँगे कि वह उससे कोई ह़राम चीज़ जैसे मदिरा ख़रीदेगाः ☐ उसकी माँग पूरी की जायेगी ☐ उसकी माँग पूरी नहीं की जायेगी।

17- जो अल्लाह तआला का नाम लेकर माँगे, उसकी माँग पूरी करने का हुक्मः ☐ मुस्तहब है ☐ वाजिब है।

18- ह़दीस़ में अवतरित शब्दः «مَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ» **"जो तुम्हें न्योता दे तुम उसकी न्योता को स्वीकार करो"** यहाँ न्योता का अभिप्राय हैः ☐ आदर सत्कार के लिये दिया जाने वाला न्योता ☐ योंही मात्र पुकार तथा बुलावा।

19- न्योता स्वीकार करनाः ☐ सामान्यतः वाजिब है ☐ मुस्तहब है सिवाय वलीमा वाली न्योता के।

20- जो किसी वाजिब के करने अथवा छोड़ने पर शरण माँगे उसको शरणः ☐ दिया जायेगा ☐ नहीं दिया जायेगा।

21- «فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ»"**उसके लिये दुआ करो यहाँ तक कि तुम्हें यह आभास होने लगे कि तुमने उसका बदला उतार दिया**", अर्थातः ☐ एक बार दुआ करो ☐ दुआ करने में कोई कमी न करो।

22- «لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا الْجَنَّةُ» "**अल्लाह तआला का वास्ता दे कर केवल जन्नत ही माँगी जायेगी**", अर्थातः ☐ किसी मख़लूक़ से अल्लाह का वास्ता दे कर कुछ न माँगो ☐ अल्लाह का वास्ता देकर अल्लाह से केवल जन्नत ही माँगो ☐ उक्त सभी।

23- अल्लाह तआला के लिये "वज्ह (चेहरा, मुख)" साबित हैः ☐ क़ुरआन से ☐ ह़दीस़ से ☐ इज्मा से ☐ उक्त सभी।

24- (हे अल्लाह, मैं तुझसे तेरा वास्ता दे कर माँगता हूँ कि मुझे क़ुरआन हिफ़्ज़ व कंठस्थ करने की तौफ़ीक़ दे) इस प्रकार दुआ करनाः ☐ ह़राम है ☐ जायज़ है, और (हे अल्लाह, में तेरा वास्ता दे कर जहन्नम से तेरी पनाह चाहता हूँ) कहरन का हुक्मः ☐ जायज़ है ☐ ह़राम है।

25- (हे अल्लाह मैं तुझसे तेरा वास्ता देकर माँगता हूँ कि तू मुझे उत्तम सामान दे) ऐसा कहनाः ☐ जायज़ है ☐ ह़राम है।

26- (यदि तुमने मेरी बात मान कर यह यात्रा न की होती तो यह घटना न होती) ऐसा कहनाः ☐ जायज़ है ☐ ह़राम है।

27- (यदि मैं यात्रा नहीं करता तो मुझे यह लाभ प्राप्त हो जाता) ऐसा कहनाः ☐ जायज़ है ☐ ह़राम है।

28- (यदि अल्लाह चाहता तो मैं झूठ नहीं बोलता) कहने का हुक्मः ☐ जायज़ है ☐ ह़राम है।

29- (यदि मेरे पास अमूक व्यक्ति के समान धन होता दान करता) कहने का हुक्मः ☐ जायज़ है ☐ मुस्तहब है ☐ ह़राम है।

30- यदि मैं पाठ में उपस्थित रहता तो लाभांवित होता) कहने का हुक्मः ☐ जायज़ है ☐ ह़राम है।

31- जिसमें कोई लाभ न हो बुद्धिजीवि को अपना प्रयास ऐसे स्थान परः ☐ करना चाहिये ☐ नहीं करना चाहिये।

32- जो चीज़ इंसान के सामर्थ्य से बाहर हो उसमें तक़दीर से हुज्जत पकड़नाः ☐ पकड़ना चाहिये ☐ नहीं पकड़ना चाहिये।

33- तक़दीर से हुज्जत पकड़ना सही हैः ☐ विपत्ति पर किंतु दोषारोपण के लिये नहीं ☐ इसके विपरीत।

34- वायु तथा आंधी को गाली देनाः ☐ ह़राम है ☐ मकरूह है, तथा (बारिश बरसाने वाली हवा चली) कहने का हुक्मः ☐ जायज़ है ☐ ह़राम है।

35- (मेरा रब मुझसे प्रेम करता है) कहना, उस व्यक्ति के लिये जायज़ है, जिसको नियामत मिली होः ☐ सही ☐ गलत।

36- जब कोई व्यक्ति किसी फ़ासिक़ धनवान को देखे तो कहेः (यह व्यक्ति इस धन को पाने के योग्य नहीं है), उसका ऐसा कहनाः ☐ जायज़ है ☐ ह़राम है।

37- इंसान जब वाजिब कार्यों में कोताही करने वाला तथा ह़राम कार्यों में लिप्त हो, और इसके बावजूद अल्लाह तआला से अच्छा गुमान रखे, तो यह वास्तव में : ☐ अल्लाह तआला से बुरा गुमान रखना है ☐ अल्लाह तआला से अच्छा गुमान ही रखना है।

38- कुछ लोगों का यह गुमान हो कि यदि वह मशरूअ ढ़ंग से दुआ करेंगे तो उनकी दुआ अल्लाह तआला स्वीकार नहीं करेगा, तो यह वास्तव में अल्लाह तआला सेः ☐ बुरा गुमान रखना है ☐ अच्छा गुमान रखना है।

39- (अल्लाह तआला आज्ञापालन करने वाले अज़ाब तथा गुनाहगार को सवाब व पुण्य दे) ऐसा कहना, अल्लाह तआला से: ☐ बुरा गुमान रखना है ☐ अच्छा गुमान रखना है।

40- (मैं अमूक पद का किसी अन्य की तुलना में अधिक योग्य हूँ), ऐसा कहना: ☐ अल्लाह तआला से बुरा गुमान रखना है ☐ अल्लाह तआला से अच्छा गुमान रखना है।

41- रोगी से यों कहना: (बेचारा) और (आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिये था) औ (यदि मामला मेरे हाथ में होता तो आपके साथ ऐसा नहीं होता), ऐसा कहना: ☐ अल्लाह तआला से बुरा गुमान रखना है ☐ अल्लाह तआला से अच्छा गुमान रखना है।

42- (मामला यदि मेरे हाथ में होता तो मैं अमूक को मुफ़्ती बना देता), ऐसा कहना: ☐ जायज़ है ☐ ह़राम है।

43- (सलामती का रास्ता) ऐसा कहना वास्तव में अल्लाह तआला से बुरा गुमान रखना है: ☐ सही ☐ गलत।

44- (हम को रोग नहीं लगना चाहिये तथा हमारे रिज़्क़ में बढ़ोतरी होनी चाहिये), ऐसा कहना अल्लाह तआला से: ☐ बुरा गुमान रखना है ☐ अच्छा गुमान रखना है।

45- आवश्यक है कि इंसान स्वयं अपने बारे में : ☐ बुरा गुमान रखे ☐ अच्छा गुमान रखे।

46- इंसान के लिये ज़रूरी है कि वह अपने आपके संबंध में बुरा गुमान रखे ताकि वह अपने आप से धोखा न खाये: ☐ सही ☐ गलत।

47- कंजूसी एवं अत्याचार हरेक प्रकार की बुराई का ठिकाना नफ्स (इंद्रिय) है: ☐ सही ☐ गलत।

48- क़ज़ा व क़दर की श्रेणियाँ हैं : ☐ चार ☐ पाँच ☐ तीन।

49- जो क़ज़ा व क़दर का इंकार करे: ☐ वह इस्लामी मिल्लत से ख़ारिज है ☐ वह इस्लामी मिल्लत से ख़ारिज नहीं है।

50- (मेरे दिल में तक़दीर के संबंध में कुछ है) अर्थात: ☐ शक एवं दुविधा ☐ इंकार।

51- (मेरे दिल में तक़दीर के संबंध में कुछ है) अर्थात: ...., और क्या वह इसके कारण काफिर समझा जायेगा: ....

52- क़लम: ☐ सर्वप्रथम रचना है ☐ जिसका हम अवलोकन करते हैं उसकी तुलना में सर्व प्रथम पैदा की गई है।

53- सलफ़ की यह आदत रही है कि वह शंका के निवारण के लिये: ☐ उलेमा से ☐ इबादगुज़ारों से, पूछते रहे हैं।

54- अनेक उलेमा से पूछना जायज़ है, बशर्ते कि यह: ☐ संतुष्टि तथा इत्मीनान के लिये हो ☐ अपनी सुविधा खोजने के लिये हो ☐ उक्त सभी।

55- शंका का पूर्णरूपेण निवारण हो जाता है यदि उसे सौंप दिया जाये: ☐ अल्लाह और उसके रसूल को ☐ उलेमा को।

56- शंकाओ को सुनने से बचना वाजिब है क्योंकि यह कभी-कभी मस्तिष्क में चिपक कर रह जाता है: ☐ सही ☐ गलत।

57- शुबुहात एवं शंकाओं को सुनने तथा उसे फैलाने के मामले में अधिकांश लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आदेश का उल्लंघन करते हैं : ☐ सही ☐ गलत।

58- तौरात और इंजील को पढ़ना जायज़ नहीं, और इन दोनों के अतिरिक्त किसी अन्य को पढ़ना तो और अधिक जायज़ नहीं है: ☐ सही ☐ गलत।

59- (चित्रकारों से संबंधित चीज़ों का बयान) इसे किताबुत तौहीद में उल्लेख करना कुछ लिपिकारों की गलती है, क्योंकि इसका इस किताब से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि इसका संबंध फ़िक़्ह से है: ☐ सही ☐ गलत।

60- चित्रकारों के दंड के वर्ग हैं : (☐ ५ ☐ ४ ☐ ३ ।

61- चित्र बनाना एक प्रकार से पैदा करने व अविष्कार करन के समान है तो इस आधार पर चित्रकार मानो अल्लाह तआला का मुकाबला करने का प्रयास करता है: ☐ सही ☐ गलत।

62- चित्र बनाना कबीरा गुनाह है, क्योंकि (☐ इसमें कुफ्फारों की नक़ल करना है ☐ इसमें अपव्यय (फ़ुज़ूल ख़र्ची) है ☐ अल्लाह तआला से पैदा करने में मुक़ाबला करना है।

63- पेड़, पर्वत, नदी तथा नाले का चित्र बनाना: ☐ जायज़ है ☐ ह़राम है।

64- चित्र को मिटाने के रूप इस प्रकार हैं : ☐ किसी दूसरे रंग से उसकी निशानियों को मिटा देना ☐ मूर्ति के सिर तोड़ देना ☐ यदि गड्ढ़े के रूप में हो तो उसको पाट देना ☐ समस्त, परिस्थिति के अनुसार जो उचित हो वह किया जाये।

65- मुशरिफ़ (ऊँची तथा अलग क़ब्र), अर्था: ☐ जिस पर निशानियां लगी हुई हों ☐ जिस पर निर्माण किया गया हो ☐ जिसको रंगा गया हो ☐ जो मिट्टी या पत्थर के कारण दूसरों से भिन्न हों ☐ उक्त सभी।

66- क़ब्र को बराबर कर देना अर्थात: ☐ उसको सुन्नत के अनुसार कर देना ☐ उसके आस-पास को बराबर कर देना ☐ उक्त सभी।

67- चित्र में विद्यमान व्यक्ति के आदर के लिये चित्र एकत्र करना: ☐ जायज़ है ☐ ह़राम है।

68- जो अत्याधिक सौगंध लेता है, वह: ☐ अल्लाह का आदर करने वाला होता है ☐ अल्लाह का अनादर करने वाला होता है।

69- हरेक क़िस्म की, प्रथम, मध्य तथा अंतिम तीन स्थिति होती है: ☐ सही ☐ गलत।

70- ऐसा मोटापा जो इंसान के वश से बाहर हो, वह: ☐ निंदनीय है ☐ निंदनीय नहीं है।

71- असबाब एवं कारणों के कमज़ोर होने के बाद भी कुकर्म करना, उसकी भयावहता को और बढ़ा देता है: ☐ सही ☐ गलत।

72- किसी आवश्यकता के अंतर्गत सौगंध लेना: ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है।

73- बच्चे का मारना-पीटना: ☐ सामान्यत: जायज़ है ☐ कुछ शर्तों के साथ जायज़ है।

74- बंदों पर अल्लाह का ह़क़ व अधिकार यह है कि: ☐ उसकी इबादत करने तथा उसके संग किसी को साझीदार न बनायें ☐ जो उसके संग किसी को साझीदार न बनाये वह उसे अज़ाब न दे।

75- जैश उस सेना को कहते हैं जिसके फौजियों की संख्या: (☐ ४०० हो ☐ १००० है) और सरीय्या इसके विपरीत है।

76- अल्लाह के रास्ते में लड़ना: ☐ नीयत के साथ ख़ास है ☐ कर्म के साथ ख़ास है ☐ नीयत और कर्म दोनों को सम्मिलित है।

77- हम काफिरों से लड़ाई उनके हित के लिये ही करते हैं जोकि उनको नरक से बचाना है: ☐ सही ☐ गलत।

78- ग़ुलूल और ख़्यानत कहते हैं : ग़नीमत के माल में कोई चीज़ छुपा कर अपने लिये ख़ास कर लेना: (☐ सही ☐ गलत) और इस ख़्यानत (विश्वासघात) का हुक्म: (☐ जायज़ है ☐ ह़राम है ☐ कबीरा गुनाह है।

79- कुफ्फार के बच्चों, महिलाओं, साधकों एवं तपस्वियों को क़त्ल करना जायज़ नहीं है: ☐ सही ☐ गलत।

80- मृतक का मुस़ला (अंग-भंग) करना, ख़्यानत (विश्वासघात), ग़द्दारी, बच्चों को क़त्ल करना: ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है।

81- जिज़या लिया जायेगा: ☐ यहूदी, ईसाई तथा मजूसी से ☐ समस्त काफिरों से।

82- (अल्लाह तआला तुम्हारे तौबा को कदापि स्वीकार नही करेगा) कहने का हुक्म: ☐ जायज़ है ☐ कबीरा गुनाह है।

83- (अल्लाह की क़सम, अल्लाह तआला शिर्क करने वालों को कभी माफ़ नहीं करेगा), कहने का हुक्मः ☐ जायज़ है ☐ कबीरा गुनाह है।

84- किसी निश्चित व्यक्ति पर हुक्म लगाते हुए ज़ुबान की फिसलन से बचनाः ☐ जायज़ है ☐ मुबाह़ है ☐ वाजिब है।

85- (अल्लाह तआला अमूक जीवित व्यक्ति को माफ़ नहीं करेगा) कहने की वर्जनाः ☐ केवल गुनाहगार मुसलमानों के लिये है ☐ मुस्लिम और काफिर दोनों को सम्मिलित है।

86- मुन्कर (वर्जित) यह कहना हैः (हम सिफारिशी बनाते हैं ...): ☐ अल्लाह को आप पर ☐ आप को अल्लाह तआला पर।

87- «نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ»**"हम आपको अल्लाह तआला के पास सिफारिशी के रूप में पेश करते हैं"** अर्थातः ....

88- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का रक्षा करना (☐ एक स्थायी अध्याय है ☐ दोहराया हुआ है) और इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तौह़ीद की रक्षा की हैः (☐ कर्म में भी ☐ शब्दों में भी)।

89- अल-सय्यद (अधिपति): ☐ अल्लाह तआला के नामों में से है ☐ अल्लाह के नामों में से नहीं है।

90- अल-सय्यद, अल-समद (बेनियाज़, नि-स्पृह) के अर्थ में हैः ☐ सही ☐ गलत।

91- शब्द सियादत (सरदारी) का प्रयोग उसके व्यापक एवं आम अर्थों में न करके सीमित अर्थों में करना जायज़ हैः ☐ सही ☐ गलत।

92- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सर्वोत्तम एवं सर्वाधिक अच्छा गुण यह है कि आपः ☐ अल्लाह के बंदे और रसूल हैं ☐ मुहम्मद पुत्र अब्दुल्लाह हैं।

93- यहूदी उन लोगों से बेहतर हैं जो सिफ़ात (विशेषताओं) का इंकार करते हैं और इस विषय में मनगढ़त तावील से काम लेते हैं, तथा वो उनकी तुलना में अल्लाह को अधिक जानने वाले हैः ☐ सही ☐ गलत।

94- अर्शः .... कुर्सीः ....

95- किताबुत तौह़ीद के अंत में लेखक रह़िमहुल्लाह मानो यह दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तआला इस किताब के द्वारा उनको नेकियों वाले पलड़े को वैसे ही भारी कर दे जैसे आकाश, अर्श तथा कुर्सी भारी हैं : (☐ सही ☐ गलत) और इस बात की ओर चेताया है कि काफिरों ने अल्लाह तआला का जैसा आदर होना चाहिये वैसा आदर नहीं किया, अतः तुम उनके समान न हो जाओ, बल्कि अल्लाह तआला की तौह़ीद को अपना कर उसका आदर करोः (☐ सही ☐ गलत)।

96- अनेकों सलफ़ ने सही अक़ीदा के लिये बहुतेरे नामों का प्रयोग किया है जिनमें से कुछ निम्नांकित हैं : ☐ सुन्नत ☐ शरीअत ☐ तौह़ीद ☐ फ़िक़्ह -ए- अकबर ☐ उक्त सभी।

विषय सूची

"किताबुत तौहीद" के अध्यायों का सारांश (67 अध्याय) 4

पहलाः प्रस्तावना (5 अध्याय) किताबुत तौहीद 12

1- तौहीद के वाजिब व अपरिहार्य होने का अध्याय 13

2- तौहीद की फ़ज़ीलत व प्रधानता और यह कि वह पापों को मिटा देता है 24

3- जो वास्तविक तौहीद अपनाएगा बिना हिसाब जन्नत में प्रवेश पाएगा 30

4- शिर्क (बहुदेववादिता) से डरने का बयान 36

5- "ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही के लिए आमंत्रण देने का अध्याय 42

पहले पाठ से परिक्षा (5 अध्याय) 48

दूसराः तौहीद की तफ़्सीर एवं व्याख्या (9 अध्याय) 56

6- तौहीद व "ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही की तफ्सीर एवं व्याख्या 56

7- विपत्ति को रोकने अथवा दूर करने के लिए कड़ा एवं धागा आदि पहनना शिर्क है 60

8- झाड़-फूँक और तावीज़ (यंत्र तथा मंत्र) का बयान 65

9- जो पेड़ अथवा पत्थर आदि को मुबारक (शुभ) सझता हो 70

10- अल्लाह के सिवाय किसी अन्य के लिए बलि चढ़ाने के विषय में 74

11- जिस स्थान में ग़ैरुल्लाह के लिए बलि दी जाती हो वहाँ अल्लाह के लिए क़ुर्बानी न किया जाए 78

12- ग़ैरुल्लाह की नज़्र व नियाज़ (मनौती) मानना शिर्क है 82

13- अल्लाह के सिवाय अन्य से इस्तेआज़ा (शरण माँगना) शिर्क है (अर्थात ऐसी चीज़ों में ग़ैरुल्लाह से शरण माँगना जिन की शक्ति, सामर्थ्य एवं ताकत केवल अल्लाह ही के पास है) 84

14- ग़ैरुल्लाह से इस्तेग़ास़ा (गुहार, फरियाद) करना अथवा दुआ करना शिर्क है 87

दूसरे पाठ से परीक्षा (9 अध्याय) 90

तीसराः अल्लाह के सिवाय अन्य की इबादत बातिल है (४ अध्याय) 94

15- अल्लाह तआला के फरमानः ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾ ....﴾ الآيَة का अध्याय 94

16- अल्लाह तआला के फरमानः ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا۟ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ...﴾ का अध्याय 98

17- शफ़ाअत (सिफारिश, अभिस्तावना) का अध्याय 104

18- अल्लाह तआला के फरमानः ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ﴾الآيَة का अध्याय 109

तीसरे पाठ से परीक्षा (4 अध्याय) 112

चौथा: मानव जाति में कुफ्र पनपने का कारण (4 अध्याय) 115

19- मानव जाति में कुफ्र पनपने एवं धर्म त्यागने का कारण नेक लोगों (साधु-संतों) के संबंध में अतिश्योक्ति (ग़ुलू) से काम लेना है 115

20- जब किसी नेक आदमी (साधु-संत) की क़ब्र (समाधि) के पास अल्लाह की इबादत करना घोर पाप है तो स्वयं उस व्यक्ति विशेष की पूजा करना कितना बड़ा महा पाप होगा ? 120

21- नेक लोगों की क़ब्रों के संबंध में अतिश्योक्ति (ग़ुलू) उसे अल्लाह के सिवाय पूजी जाने वाली वस़न (मूर्ति) बना देती है 125

22- नबी -ए- मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तौहीद की चहारदीवारी की रक्षा तथा शिर्क तक पहुँचने के मार्ग को बंद करना 128

पाँचवाँ: उन लोगों का खण्डन जो कहते हैं कि इस उम्मत अथवा अरब द्वीप में शिर्क नही पनप सकता (एक अध्याय) 131

23- इस उम्मत के कुछ लोग वस़न (मूर्ति) की पूजा करेंगे 131

चौथे तथा पाँचवे पाठ से परीक्षा (5 अध्याय) 138

छठा: शैतानी कृत्य (7 अध्याय) 142

24- जादू का बयान 142

25- जादू के कुछ भेदों का वर्णन 146

26- काहिन (भविष्यवक्ता) आदि के विषय में 149

27- जादू-टोना के द्वारा जादू का उपचार 153

28- अपशगुन लेने के विषय में 156

29- ज्योतिष विद्या के विषय में 163

30- नक्षत्रों से वर्षा होने की आस्था रखना 166

छठे पाठ से परीक्षा (7 अध्याय) 171

सातवाँ: दिलों के आमाल (9 अध्याय) 177

31- अल्लाह तआला के फरमान: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ﴾ الآيَةَ का अध्याय 177

32- अल्लाह तआला के फरमानः ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ الآيَة का अध्याय 182

33- अल्लाह तआला के फरमान ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ का अध्याय 187

34- अल्लाह तआला के फरमान ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴾ का अध्याय 192

35- अल्लाह के लिखे हुये तक़दीर पर संतोष करना ईमान का अंश है 194

36- रियाकारी (पाखण्ड) की निंदा 198

37- इंसान का अपने कर्म से सांसारिक लाभ चाहना शिर्क है 201

38- अल्लाह के ह़राम किये हुये को ह़लाल तथा ह़लाल किये हुये को ह़राम करने में जिसने विद्वानों एवं प्रशासकों का आज्ञापालन किया उसने अल्लाह को छोड़ कर उसे अपना रब बना लिया 205

39- अल्लाह तआला के फरमान ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴾ الآيَاتِ का अध्याय 208

चौथे पाठ से परीक्षा (9 अध्याय) 212

आठवाँ : तौह़ीद -ए- असमा व सिफात (एक अध्याय) 218

40- जो अल्लाह के किसी नाम और विशेषणों का इंकार करे 218

आठवें पाठ से परीक्षा (एक अध्याय) 227

नौवां: वर्जित व शिर्क आधारित शब्द तथा वक्तव्य (26 अध्याय) 230

41- अल्लाह तआला के फरमानः ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴾ الآيَة का अध्याय (अल्लाह के नेमतों (नियामतों, अनुग्रहों) का इंकार करना शिर्क है) 230

42- अल्लाह तआला के फरमानः ﴿ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ का अध्याय 233

43- जो अल्लाह के नाम की क़सम खाये जाने पर संतुष्ट न हो 236

44- (जो अल्लाह चाहे तथा जो आप चाहें) बोलने का हुक्म 237
45- समय एवं युग को अपशब्द कहना दरअसल अल्लाह को पीड़ा देना है (घटना का संबंध किसी काल से जोड़ देना) 240
46- काज़ी अल-क़ुज़ात (सर्वोच्च न्यायाधीश) आदि नाम रखना 243
47- अल्लाह तआला के नामों का आदर तथा इसके कारण नामों को बदल देना 245
48- अल्लाह तआला, क़ुरआन तथा रसूलुल्लाह का उपहास उड़ाने वाले का हुक्म 247
49- अल्लाह तआला के फरमानः ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِى﴾ الآيَةَ का अध्याय 251
50- अल्लाह तआला के फरमानः ﴿فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُمَا صَٰلِحًا جَعَلَا لَهُۥ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَىٰهُمَا﴾ الآيَةَ का अध्याय 255
٥١- अल्लाह तआला के फरमानः ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ﴾ الآيَةَ का अध्याय 259
नौवें पाठ से प्रथम परीक्षा (11) अध्याय 261
52- “अस्सलामु अलल्लाह” नहीं कहा जायेगा (ऐसा कहना ह़राम है) 268
53- (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ) कहने का हुक्म (इस प्रकार से अल्लाह की इच्छा पर छोड़ते हुये दुआ करना ह़राम है) 270
54- अब्दी व अमती कहने की वर्जना 272
55- अल्लाह के नाम पर मांगने वालों को ख़ाली हाथ न लौटाया जाए (यह तह़रीम या कराहत के लिए है) 274
56- अल्लाह का वास्ता देकर केवल जन्नत माँगी जाये 277
57- “लौ” (यदि, अगर) कहने का हुक्म (इसमें तफ़्सील है) 278
58- वायु एवं आंधी को गाली देने की निषिद्धता (भाग्य से संतुष्ट रहना) 281

59- अल्लाह तआला के फरमान ﴿يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ ظَنَّ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِۖ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلۡأَمۡرِ مِن شَيۡءٖۗ قُلۡ إِنَّ ٱلۡأَمۡرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِ﴾ الآيَةَ का अध्याय 283

60- तक़दीर का इंकार करने वालों का हुक्म (कुफ्र -ए- अकबर है) 286

61- चित्रकारों के संबंध में (कड़ी चेतावनी) 293

62- अत्याधिक क़सम खाना (अल्लाह के आदर के कारण इस पर चेतावनी है) 296

63- अल्लाह तथा उसके नबी की ज़मानत देने का अध्याय (इख़लास़ एवं अनुसरण) 299

64- अल्लाह तआला पर क़सम खाना 303

65- अल्लाह तआला को सिफारिशी के रूप में मख़लूक़ के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता (अल्लाह के अत्यंत महान होने के कारण) 305

66- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तौहीद की रक्षा करना तथा शिर्क के दरवाज़ों को बंद करना (यहाँ तक कि शब्दों में भी) 307

दसवाँ: समाप्ति (एक अध्याय) 309

67- अल्लाह तआला के फरमानः ﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦ وَٱلۡأَرۡضُ جَمِيعٗا قَبۡضَتُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطۡوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ﴾ का अध्याय 309

शेष नौवें पाठ तथा समाप्ति से परीक्षा (१६ अध्याय) 315

विषय-सूची 309